त्रयोदश माला, खंड 36, अंक 16

बुधवार, 13 अगस्त, 2003
22 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 36 में अंक 11 से 21 तक हैं)

No. 56
Date 8/4/04

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 36, तेरहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 16, बुधवार, 13 अगस्त, 2003/22 श्रावण, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सोलंग के निकट बादल फटने के कारण अचानक आई बाढ़ से हुई मौतों और महाराष्ट्र में मुम्बई हाई अपतट में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के कर्मचारियों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में	1–2
प्रश्न का मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 321	3–6
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 320 (11.8.2003)	6–55
तारांकित प्रश्न संख्या 322 से 340 (13.8.2003)	55–90
अतारांकित प्रश्न संख्या 2760 से 2936 (11.8.2003)	90–326
अतारांकित प्रश्न संख्या 2937 से 3166 (13.8.2003)	326–602
सभा पटल पर रखे गये पत्र	602–614
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	614–615
लोक लेखा समिति	
बावनवां और तिरपनवां प्रतिवेदन	616
रेल संबंधी स्थायी समिति	
की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण	616
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
मुम्बई हाई अपतट में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के कर्मचारियों को ले जा रहे हेलीकाप्टर की दुर्घटना	
श्री राम नाईक	616–618
समितियों के लिए निर्वाचन	618–620
(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति	618–619
(दो) केन्द्रीय भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति	619–620
बैंककारी विनियमन (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक—*पुर:स्थापित*	620–621
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) आंध्र प्रदेश के मेडक जिले में जाहिराबाद में रेलवे फाटक पर एक सड़क अधोगामीपुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता	
श्री ए. नरेन्द्र	621

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय | कॉलम

(दो) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में जूनागढ़ कस्बे के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 201 पर हाती नदी के ऊपर हाई लेवल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री बिक्रम केशरी देव 621–622

(तीन) देश में आलू के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री श्याम बिहारी मिश्र 622

(चार) गुजरात में भरूच-अंकलेश्वर-सूरत राष्ट्रीय राजमार्ग के समुचित रखरखाव की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा 622–623

(पांच) गुजरात के बलसाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में व्यारा रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण रेलों का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री मानसिंह पटेल 623

(छह) तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से प्रवासित हुए कतिपय समुदायों को उत्तरांचल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

डा. महेन्द्र सिंह पाल 623–624

(सात) कर्नाटक में सूरथकल और कुण्डापुरा क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर सूरथकल से कुण्डापुरा खंड को चार लेन वाला बनाए जाने का कार्य शुरू किये जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके 624

(आठ) राजस्थान राज्य में पेयजल की समस्या को हल करने के लिए राजस्थान सरकार को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री भेरूलाल मीणा 624–625

(नौ) केरल में क्वीलोन बाईपास के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

श्री पी. राजेन्द्रन 625

(दस) बीज अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक व्यापक कानून लाए जाने की आवश्यकता

श्री के. येरननायडू 626

(ग्यारह) संसद सदस्यों को पेयजल परियोजनाओं पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से 10 प्रतिशत राशि खर्च करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रनाथ सिंह 626–627

(बारह) 'खाद्य निरीक्षकों' के पद पर नियुक्ति के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी में स्नातकों को वरीयता दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव 627

(तेरह) कोलकाता में स्वामी विवेकानन्द स्मारक और सांस्कृतिक केन्द्र के विकास के लिए रामकृष्ण मिशन को विशेष बजटीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय 627–628

(चौदह) डोंगरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता

चौ. तालिब हुसैन 628

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश में हापुड़ और मुरादाबाद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 के रखरखाव के लिए उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र विजय सिंह 628–629

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

विशेषाधिकार का प्रश्न 630–632

लोक सभा

बुधवार, 13 अगस्त, 2003/22 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, कल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 11 आदिवासियों का कत्ल कर दिया गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: शोक प्रस्ताव के बारे में एक रैफ्रेंस है। अभी आप बैठिए। शोक प्रस्ताव के बाद आप अपनी बात कह सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप मेरी बात समझते नहीं हैं?

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सोलंग के निकट बादल फटने के कारण अचानक आई बाढ़ से हुई मौतों और महाराष्ट्र में मुम्बई हाई अपतट में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के कर्मचारियों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में

अध्यक्ष महोदय: जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, 7 अगस्त, 2003 को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सोलंग के निकट बादल फटने के कारण अचानक आई बाढ़ में अनेक लोग मारे गये और कई घायल हुए।

एक अन्य घटना में, 11 अगस्त, 2003 को तेल और प्राकृतिक गैस निगम के कर्मचारियों को ले जा रहा एक हेलीकाप्टर मुम्बई हाई, महाराष्ट्र में अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 25 लोग मारे गये और दो लोग लापता हैं।

हमें इन दुर्घटनाओं में हुई मानवीय क्षति पर गहरा शोक है। सभा इन त्रासदियों पर अपनी गहरी वेदना व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.1$^{1}/_{2}$ बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, सरकार जानबूझकर लोक लेखा समिति के निष्कर्षों के बारे में सभा से बाहर वक्तव्य दे रही है ...*(व्यवधान)*। हम एक बार फिर से अपना यह मत दोहराते हैं कि 'आपरेशन विजय' केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट से संबद्ध है इसलिए इस वाद-विवाद पर उत्तर प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए। सभी प्रपत्रों को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए और उस रिपोर्ट का एक भाग लोक लेखा समिति को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जब तक सरकार द्वारा इन मांगों पर विचार नहीं किया जाता ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह निर्णय पहले ही लिया जा चुका है कि प्रश्न काल किसी भी कारण से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। मैं प्रश्न काल के बाद आपको अपनी बात कहने की अनुमति देने को तैयार हूं, लेकिन प्रश्न काल के पहले ऐसा नहीं हो सकता।

प्रश्न संख्या 321—श्री वाई.जी. महाजन।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, कल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 11 आदिवासियों का कत्ल कर दिया गया। मैंने इस बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। वहां क्रिमिनल्स ने 11 आदिवासियों को कत्ल कर दिया। ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(इस समय श्री अधीर चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न काल के बाद आपको अपनी बात कहने की अनुमति देने के लिए तैयार हूं लेकिन प्रश्न काल के

पहले नहीं। कई संसद सदस्यों ने मुझसे शिकायत की है कि उनके प्रश्न सभा की कार्यवाही में नहीं लिए जाते। उनके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी-अपनी जगह पर जाइए। सदन का काम ठीक ढंग से चलना चाहिए। मैं अब क्वैश्चन आवर आगे बढ़ाने वाला हूं। आप अपनी-अपनी जगह पर चलिए।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम इन मुद्दों पर फिर कभी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि अभी क्वैश्चन आवर चलने दिया जाए। मैं क्वैश्चन आवर के बाद आपको बोलने की इजाजत दूंगा। आप सब अपनी-अपनी जगह पर जाइए।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने स्थान पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी जगहों पर जाइए। मैं क्वैश्चन आवर के बाद आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: महाजन जी, आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न $11.4^1/_2$ बजे

प्रश्न का मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

कैंसर अनुसंधान में भारत-अमरीका सहयोग

+*321. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीकी सरकार कैंसर अनुसंधान के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में भारत में किये जा रहे अनुसंधान से अब तक क्या सफलता हासिल हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जहां तक कैंसर अनुसंधान का प्रश्न है, इस समय सरकार के स्तर पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कोई सहयोग नहीं है। इस समय सरकारी स्तर पर इस प्रकार का सहयोग विचाराधीन नहीं है।

जहां तक देश में कैंसर के संबंध में किये जा रहे अनुसंधान का प्रश्न है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इस प्रयोजन के लिए शीर्षस्थ एजेंसी है। अनुसंधान में कैंसर की घटनाओं के बारे में प्रमाणिक आंकड़ों को एकत्र करने, सामान्य कैंसरों के कारणों की खोज और भारत में इसके रोगजनकों और सामान्य कैंसर नियंत्रण के लिए प्रचालन अनुसंधान पर बल दिया जाता रहा है। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम ने छह जनसंख्या आधारित और पांच अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों के अपने नेटवर्क के माध्यम से 1982 से कैंसर की घटनाओं के बारे में आंकड़े प्रदान किये हैं और कैंसर जानपदिक रोग विज्ञान और पंजीकरण में मानव संसाधन के विकास का समर्थन किया है। कैंसर रजिस्ट्री आंकड़ों से समस्या की व्यापकता, आम कैंसर स्थलों और उनके समय-रुझानों तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अंतरों का पता चलता है। गर्भाशय (सर्वाइवल) कैंसर पर प्रचालन अनुसंधान अध्ययनों से पता चलता है कि आरम्भ में ही इसका पता लगाने से संबंधित कार्य करने के लिए पराचिकित्सा कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। मीडिया, स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे, शैक्षिक संस्थाओं और स्वैच्छिक समूहों के माध्यम से तम्बाकू (जो कैंसर का प्रमुख कारण होता है) के इस्तेमाल को नियंत्रित करने की परियोजनाओं से प्रत्येक कार्यकलाप के बाद तम्बाकू के इस्तेमाल में कमी आने का पता चलता है। गर्भाशय कैंसर पर बहुआयामी अध्ययनों से खतरे के कारणों का पता लगने के अतिरिक्त ह्यूमन पपिल्लोमा वाइरस (एच पी वी) संक्रमण तथा भारत में ग्रीवा कैंसर से जुड़े सामान्य एच पी वी किस्म की भूमिका पर भी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने हाल ही में ग्रीवा, स्तन और ओरल केवेटी की जांच के संबंध में हिमाचल

प्रदेश के तीन जिलों में एक प्रचालन अनुसंधान परियोजना आरम्भ की है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अतिरिक्त देश में 20 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र हैं जो कैंसर का व्यापक उपचार प्रदान कर रहे हैं। उनमें से कुछ केन्द्रों ने विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाएं भी चलाई हैं।

श्री वाई.जी. महाजन: अध्यक्ष महोदय, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हर वर्ष करीब 70 लाख कैंसर के मामले पकड़ में आते हैं। ...*(व्यवधान)* मौजूदा अनुमानों के अनुसार 2026 तक इनकी संख्या दुगुनी हो जाएगी। ...*(व्यवधान)* केन्द्रीय सरकार प्रति संस्थान दो करोड़ रुपए की सहायता उपकरण खरीदने के लिए देती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या बढ़ती हुई संख्या के अनुमान के हिसाब से यह राशि पर्याप्त है? ...*(व्यवधान)* हाल के अनुसंधानों मे यह भी पता चला है कि बांस की कोपल खाने से कैंसर का उपचार हो सकता है। क्या सरकार ने इसके अनुसंधान के लिए विशेष धनराशि का आवंटन करके कोई कार्यक्रम बनाया है? यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करायी है? ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मुझे क्वैश्चन स्पष्ट सुनायी नहीं दे रहा है। मैं इसका जवाब कैसे दूं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं फिर एक बार आपसे विनती करता हूं कि जब 12 बजे क्वैश्चन ऑवर पूरा हो जाये, उसके बाद आप अपना विषय रख सकते हैं। मैं आपको इजाजत देने के लिए तैयार हूं। गवर्नमेंट की तरफ से भी उत्तर आ सकता है कि इस विषय में सरकार की क्या भूमिका है। आप भी अपनी भूमिका रखिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कौन-सा तरीका है कि आप सदन नहीं चलने देंगे? इतने सारे मैम्बर्स बैठे हुये हैं, वे अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं। मेरा भी कर्त्तव्य है कि हाउस चले। आप अपनी जगहों पर जाइये। यह ठीक नहीं है। आप एक रैस्पांसिबल पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी यहां मेजर अपोजीशन पार्टी है। यदि आप को-ऑपरेट नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं है। प्लीज, आप लोग अपनी जगहों पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय, अखबार में छपा है, जिसमें सी.वी.सी. के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है ...*(व्यवधान)* 'आपरेशन विजय' के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: किसी भी नारे को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। टी.वी. रिले बंद किया जाये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह सदन चर्चा करने के लिए है। आप चर्चा कर सकते हैं। किसी भी विषय पर चर्चा हो सकती है।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य

***301. श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत कुछ वर्षों के दौरान गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत अधिक (एम.एस.पी.) निर्धारित किये जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न एजेंसियों के पास गेहूं का अभूतपूर्व भण्डार जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कृषि उत्पादों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या विख्यात कृषि अर्थशास्त्रियों ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के मानदंडों की समीक्षा का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाने वाले प्रस्तावित अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) देश में गेहूं का अधिक स्टॉक होने में बहुत से कारकों का योगदान है। इनमें उत्पादन में वृद्धि होना जिसके परिणामस्वरूप मार्किटेबल सरप्लस में वृद्धि होना, अधिप्राप्ति का उच्चतर स्तर तथा लक्षित पब्लिक

वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अधीन अपेक्षाकृत कम उठान (लोअर ऑफटेक) शामिल है।

(ख) सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों के साथ-साथ ऐसे अन्य संगत कारकों, जो सरकार की राय में न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण हैं, को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निर्णय लेती है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग उत्पादन लागत के अतिरिक्त (1) राष्ट्रीय आवश्यकताओं के आलोक में उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने और व्यापक रूप से उत्पादन प्रतिमान के विकास के लिए उत्पादक को प्रोत्साहन मुहैया कराने की जरूरत; (2) भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की जरूरत; और (3) शेष अर्थव्यवस्था पर विशेषकर आजीविका लागत, मजदूरी स्तर, औद्योगिक लागत संरचना आदि पर मूल्य नीति के संभावित प्रभाव आदि को ध्यान में रखता है।

(ग) और (घ) नई दिल्ली में दिनांक 6-7 नवम्बर, 2002 को आयोजित ''न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण पद्धति'' संबंधी मामलों पर राष्ट्रीय विचारगोष्ठी में भाग लेने वालों में प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री भी शामिल थे। सहभागियों ने न्यूनतम समर्थ मूल्य के निर्धारण में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उपर्युक्त संदर्भित राष्ट्रीय विचारगोष्ठी के मुख्य निष्कर्ष विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ङ) सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्यों की निर्धारण पद्धति संबंधी मामलों पर राष्ट्रीय विचारगोष्ठी द्वारा की गई संस्तुतियों की जांच करने के लिए प्रो. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

विवरण

6-7 नवम्बर, 2002 को नई दिल्ली में सम्पन्न न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में कार्यपद्धतीय मुद्दों पर राष्ट्रीय सेमिनार के मुख्य निष्कर्ष

1. उन सभी नीतिगत पहलों/निर्णयों में कृषि मंत्रालय को, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, मुख्य भूमिका अदा करनी चाहिए।

2. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को कृषि क्षेत्र के लिए समग्र रूप में उपयुक्त नीतिगत परिवर्तनों का सुझाव देने में पूर्णरूपेण कार्यनीतिक भूमिका निभानी चाहिए न कि उनकी भूमिका केवल फसल विशिष्ट सिफारिशों तक ही सीमित रहे।

3. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को कृषि मंत्रालय के लिए ''मुख्य विचारक'' (थिंक टैंक) के रूप में काम करना चाहिए। इसे टैरिफ आयोग की तरह कार्य करना चाहिए तथा विशेषकर वैश्वीकरण के मद्देनजर मंडी द्वारा विविधीकृत कृषि को बढ़ावा देने के लिए करों, राजसहायता, ऋण, विपणन इत्यादि में सुधारों संबंधी सुझाव देने चाहिए।

4. न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम मूल्य (फ्लोर प्राइज) की प्रकृति से अधिक होने चाहिए। तथापि, न्यूनतम समर्थन मूल्य में कम से कम प्रचालनात्मक व्यय एवं पारिवारिक ऋण लागत कवर होनी चाहिए।

5. न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होने चाहिए:

   (1) मंडी में मूल्य के उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली अवांछनीय परेशानियों का सामना करने से किसानों को बचाना एवं मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना;

   (2) वृहत् एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना;

   (3) उचित एवं साम्य कृषि व्यापार शर्तों को सुनिश्चित करना;

   (4) मंडियों एवं मंडी द्वारा होने वाले कृषि विविधीकरण के लिए सिगनल प्रदान करना।

6. क्षेत्र विशिष्ट न्यूनतम समर्थन मूल्य अवांछनीय होने के साथ-साथ क्रियान्वित किये जाने के लिए कठिन भी होंगे।

7. न्यूनतम समर्थन मूल्य को तकनीकी रूप से उत्पादन लागत या मंडी मूल्यों से जोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने में सीएसीपी का ठोस, समग्र आर्थिक विश्लेषण तथा व्यावसायिक निर्णय अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा।

8. न्यूनतम समर्थन मूल्य यथा समय अर्थात् बुवाई मौसम से पूर्व घोषित किये जाने चाहिए।

9. कृषि मूल्य नीति में भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग हेतु उपयुक्त संकेत दिये जाने चाहिए।

10. खेती की लागत पर आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। आंकड़े वास्तविक होने चाहिए और कृषक समुदाय को स्वीकार्य होना चाहिए।

11. (क) पारिवारिक श्रम का मूल्य, (ख) भूमि का जमाबंदी (रैंटल) मूल्य, तथा (ग) पूंजी पर ब्याज का आकलन करने में अनुसरण की गई प्रणालियों की पुनः जांच होनी चाहिए।

12. कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा यह जांच की जानी चाहिए कि क्या विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु परिवहन लागतों, विपणन लागतों और प्रसंस्करण लागतों पर विचार किया जाए।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों का विकास

***302. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अपने-अपने राज्यों में विमानपत्तनों के विकास हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गोवा में मोपा, कर्नाटक में बंगलौर के निकट देवनहल्ली तथा आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के निकट शमशाबाद प्रत्येक में एक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकृत किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर, जेवर में ताज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से संबंधित तथा महाराष्ट्र में नवीं मुम्बई, पुणे के निकट चकन तथा शिरडी, सिक्किम में पाकयोंग, राजस्थान में अजमेर, केरल में कन्नूर, नागालैंड में कोहिमा के समीप चैतू तथा दक्षिणी मिजोरम में लुगालेई में हवाईअड्डों से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ऐसे प्रस्तावों की तकनीकी सम्भाव्यता व आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर जांच की जाती है और निर्णय लिया जाता है।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक भवनों के रख-रखाव हेतु विदेशी निवेश

***303. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु देश में पुरातन और ऐतिहासिक भवनों के रख-रखाव और सौन्दर्यीकरण हेतु विदेशी निवेश आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्थलों के राज्यवार नाम क्या हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) सरकार विदेशी निवेश को आमंत्रित नहीं करती है, लेकिन स्मारकों के पुनरुद्धार तथा संरक्षण हेतु आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के माध्यम से, मामले दर मामले आधार पर विदेशी सहायता स्वीकार करती है।

विगत वर्ष के दौरान, अजंता-एलौरा स्मारक के पुनरुद्धार एवं संरक्षण हेतु, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉआपरेशन से सहायता ली गई है।

सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन केवल कुछ चुनिंदा मामलों को लिया गया है, जिनमें विदेशी सहायता सम्भावित है।

[अनुवाद]

जल संसाधन विकास परियोजनाएं

***304. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सहित कुछ राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार को स्वीकृति तथा विदेशी सहायता हेतु जल संसाधन विकास परियोजनाएं भेजी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जल की कमी वाले राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए दसवीं योजना में किन-किन योजनाओं का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार जल की कमी की बढ़ती समस्या के मद्देनजर तमिलनाडु सहित राज्य सरकारों को विशेष पैकेज देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) विदेशी सहायता पर विचार करने हेतु

विभिन्न राज्य सरकारों से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावित परियोजनाओं और निर्माणाधीन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने दसवीं योजना अवधि के दौरान विश्व बैंक सहायता हेतु ''जल संसाधन समेकन परियोजना, चरण-2'' नामक एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 3902 करोड़ रुपये की सहायता के लिए विश्व बैंक को दिनांक 23.01.2003 को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, लघु सिंचाई टैंकों से गाद हटाने, इनके पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण से संबंधित तीन और छोटी स्कीमें भी तमिलनाडु सरकार से प्राप्त हुई हैं और ये स्कीमें विदेशी सहायता के लिए मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) और (घ) जल राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सहित जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, प्रचालन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार ने ऐसी निर्माणाधीन सिंचाई/बहुउद्देशीय परियोजनाएं जिन पर पर्याप्त प्रगति हुई है और जो राज्य सरकारों की संसाधन क्षमता से परे हैं और ऐसी अन्य वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जो पूरा होने के अंतिम चरण में हैं और जो आगामी चार कृषि मौसमों में सिंचाई लाभ दे सकती हैं, के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारंभ किया है। एआईबीपी के प्रारंभ होने के बाद से मार्च, 2003 तक 172 वृहद/मध्यम और लगभग 5000 लघु सिंचाई स्कीमों के लिए 11541.732 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है जिसमें से 20.00 करोड़ रुपये की राशि तमिलनाडु सरकार को जारी की गई है। वर्ष 2003-04 के लिए एआईबीपी के अंतर्गत 2800 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है।

विवरण

क. विचाराधीन परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत (रु. करोड़ में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
विश्व बैंक सहायता			
1.	बांध सुरक्षा आश्वासन पुनर्वास और आपदा प्रबंधन परियोजना चरण-2	718.99	यह परियोजना 7 मई, 2003 को विश्व बैंक को प्रस्तुत की गयी है।
2.	त्रिपुरा सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन कार्य	475.65	दिनांक 7.3.2001 को विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई। विश्व बैंक ने जनवरी, 2002 में सूचित किया है कि भारत सरकार से सलाह प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।
3.	महाराष्ट्र जल सेवा सुधार परियोजना	1433.20	दिनांक 7.2.2000 को पश्चिम बंगाल को प्रस्तुत की गई। विश्व बैंक द्वारा परियोजना के बारे में बताया जा रहा है।
4.	मध्य प्रदेश जल संसाधन समेकन परियोजना		एशियन विकास बैंक द्वारा हाल ही में व्यवहार्यता अध्ययन पूरे किये गए।
5.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना-2	3902	दिनांक 23.1.2003 को पश्चिम बंगाल को विचारार्थ प्रस्तुत की गई।

1	2	3		4
6.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना, चरण-2	800		दिनांक 18.6.2002 को पश्चिम बंगाल को प्रस्तुत की गई। पश्चिम बंगाल ने दिनांक 3.7.2003 को सूचित किया कि यह उनकी वित्तपोषण योजना में शामिल नहीं है।
7.	गुजरात जल संसाधन समेकन परियोजना	724		दिनांक 2.5.2002 को पश्चिम बंगाल को प्रस्तुत की गई। पश्चिम बंगाल ने दिनांक 3.7.2003 को सूचित किया कि यह उनकी वित्त पोषण योजना में शामिल नहीं है।
8.	गुजरात लवणता रोधी परियोजना	1160		दिनांक 14.6.2000 को पश्चिम बंगाल को प्रस्तुत की गई। पश्चिम बंगाल ने दिनांक 3.7.2002 को सूचित किया कि यह उनकी वित्तपोषण योजना में शामिल नहीं है।
9.	जल विज्ञान परियोजना, चरण-2 (बहुराज्यीय)	709		दिनांक 9.3.2003 को पश्चिम बंगाल को प्रस्तुत की गई।
द्विपक्षीय सहायता				
1.	साबरमती नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना-गुजरात	13.00	फ्रांस	राज्य सरकार को आगे की कार्रवाई करनी है।
2.	अतिदोहित जलभृतों में सतही जल पुनर्भरण का संवर्धन-गुजरात	305.64	नीदरलैण्ड	दिनांक 5.2.2001 को नीदरलैण्ड पक्ष को भेजी गयी।*
3.	जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना-महाराष्ट्र	31.25	फ्रांस	राज्य सरकार को आगे की कार्रवाई करनी है।
4.	तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भूमि जल प्रबंधन और अन्वेषण	32.19	फ्रांस	दिनांक 30.5.2003 को आर्थिक कार्य विभाग को संप्रेषित वित्तीय नयाचार के मसौदे पर सहमति
5.	लघु सिंचाई टैंकों का पुनर्वास-राजस्थान	441.40	जर्मनी	के एफ डब्ल्यू, जर्मनी को प्रस्तुत की गई। अगस्त, 2001 में
6.	राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना-2	75.00	जर्मनी	दाता अभिकरण ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया।
7.	बारगी डाइवर्जन परियोजना-मध्य प्रदेश	143.58	जापान	बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण का मामला होने के कारण इस परियोजना को दाता अभिकरण का समर्थन नहीं मिल सका।

1	2		3	4
8.	कानुपुर सिंचाई परियोजना–उड़ीसा	428.32	जापान	दिनंक 23.4.2003 को जापानी पक्ष को प्रस्तुत की गई।
9.	महाराष्ट्र में सिंचाई स्कीमों का इष्टतीकरण	65.00	फ्रांस	दिनांक 10.4.2002 को फ्रांस को प्रस्तुत की गई।
10.	हिमाचल प्रदेश में स्वान कनदी बाढ़ प्रबंधन	123.93	जापान	दिनांक 23.4.2003 को जापानी पक्ष को प्रस्तुत की गई।
11.	ओमकारेश्वर बहुद्देशीय परियोजना—मध्य प्रदेश	1314.43	जापान	दिनांक 23.4.2003 को जापानी पक्ष को प्रस्तुत की गई।
12.	400 चंदेला टैंकों का विस्तार, सुधार और पुनर्वास-मध्य प्रदेश	98.87	अभिज्ञात नहीं	किसी दाता अभिकरण का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका।
13.	310 एमआई टैंकों से गाद हटाना और इनका पुनर्वास-तमिलनाडु	267.92	जर्मनी	दिनांक 9.5.2003 को आर्थिक कार्य विभाग को सिफारिश की गई।
14.	मध्य प्रदेश में लघु सिंचाई का पुनर्वास	751.60	अभिज्ञात नहीं	किसी दाता अभिकरण का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका।

*आर्थिक कार्य विभाग की सूचना के अनुसार द्विपक्षीय सहायता पर भारत सरकार की नवीनतम नीतिगत दिशानिर्देशों से नीदरलैण्ड के साथ द्विपक्षीय वित्तीय सहायता प्रतिबंधित होती है।

ख. विदेशी सहायता हेतु मूल्यांकन के लिए विभिन्न चरणों में परियोजना प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य का नाम		परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1	2		3	4
द्विपक्षीय सहायता				
1.	आंध्र प्रदेश	(1)	आंध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं (इनमें 9 उप-परियोजनाएं शामिल हैं)	1282.98
		(2)	वम्सधारा परियोजना, चरण-2	275.74
2.	छत्तीसगढ़		जल संरक्षण परियोजना	184.15
3.	झारखंड	(1)	पुनासी जलाशय परियोजना	221.65
		(2)	सुबर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना	1428.82
4.	मध्य प्रदेश	(1)	भानपुरा नहर परियोजना	78.68

1	2	3		4
		(2)	पेंच डाइवर्जन परियोजना	641.35
5.	उड़ीसा	(1)	साल्की सिंचाई परियोजना	11.57
		(2)	महानदी डेल्टा चरण-1 में जल निकास विकास (चरण-1)	227.75
6.	पंजाब	पंजाब सिंचाई और जल निकास परियोजना (चरण-3)		1149.00
7.	राजस्थान	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी.)		745.59
8.	तमिलनाडु	(1)	तमिलाडु में 1798 एमआई टैंकों का सुधार	957.3
		(2)	तमिलनाडु में 648 नं. के एम आई टैंकों से गाद हटाना और इनका पुनर्वास	178.35
		(3)	तमिलनाडु में 247 सं. नान-सिस्टम टैंकों का आधुनिकीकरण	65.59
6.	उत्तर प्रदेश	(4)	जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	663.41

ग. निर्माणाधीन परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	वित्तपोषण अभिकरण	समझौता/पूरा होने की तिथि	सहायता राशि मिलियन डोनर करेंसी में	31.3.2003 तक उपयोग/संवि-तरण मिलियन डोनर करेंसी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-3 क्रेडिट 2952 आई एन एल एन 4166 आईएन	विश्व बैंक	03.06.1997 31.7.2004	क्रेडिट एसडीआर 108.100 ऋण 130.00 अमरीकी डालर	एसडीआर 108.00 ऋण 56.600 अमरीकी डालर
		आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक) एल-एन 4360-आईएन	विश्व बैंक	4.2.1999 31.3.2004	170 अमरीकी डालर	90.67 अमरीकी डालर

1	2	3	4	5	6	7
		कुर्नूल कुडप्पा नहर परियोजना पर आधुनिकीकरण	जेबीआईसी, जापान	25.01.1996 26.2.2005	16049.00 येन	9019.934 येन
2.	गुजरात	फ्यूज गेट सिस्टम की संस्थापना	फ्रांस	10.12.1998 30.10.2001*	34.74 एफएफ	33.99 एफएफ
3.	हिमाचल प्रदेश	लघु सिंचाई एवं ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना, फेज-1	जीटीजेड, जर्मनी	28.11.2002 31.12.2005	5.2 डीएम	–
4.	कर्नाटक	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	विश्व बैंक	6.6.2002 31.1.2009	80 एसडीआर	2.172 एसडीआर
5.	मध्य प्रदेश	राजघाट नहर परियोजना	जेबीआईसी, जापान	25.2.1997 29.5.2006	13222.00 येन	6466.600 येन
6.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र लघु सिंचाई परियोजना	केएफडब्ल्यू, जर्मनी	21.12.1998 30.12.2006	23.08 ईयूआर	1.544 ईयूआर
		लवणीय भूमि सुधार परियोजना फेज-2	ईईसी	11.7.1995 31.12.2005	15.50 ईयूआर	1.229 ईयूआर
7.	उड़ीसा	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना क्रेडिट 2801-आईएन	विश्व बैंक	5.1.1996 31.3.2004	194.800 एसडीआर	151.823 एसडीआर
		उड़ीसा लघु सिंचाई परियोजना	ईईसी	3.7.1995 31.12.2004	10.70 ईयूआर	1.108 ईयूआर
		रेंगाली सिंचाई परियोजना	जेबीआईसी, जापान	12.12.1997 31.12.2004	7760.00 येन	4830.608 येन
		लिफ्ट सिंचाई परियोजना	केएफडब्ल्यू, जर्मनी	19.2.1993 30.6.2003**	28.12 ईयूआर	21.822 ईयूआर
8.	पांडिचेरी	टैंक सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण	ईईसी	21.2.1997 31.12.2004	6.65 ईयूआर	21.822 ईईयूआर
9.	राजस्थान	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना क्रेडिट 3603-आईएन	विश्व बैंक	15.3.2002 31.3.2008	110 एसडीआर	4.298 एसडीआर
10.	तमिलनाडु	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना क्रेडिट 2745-आईएन	विश्व बैंक	22.9.1995 31.3.2004	161.900 एसडीआर	137.565 एसडीआर

1	2	3	4	5	6	7
11.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना क्रेडिट 3602-आईएन	विश्व बैंक	8.3.2002 31.10.2007	117 एसडीआर	4.373 एसडीआर
12.	बहुराज्य	जल विज्ञान परियोजना	विश्व बैंक	22.9.1995 31.12.2003	75.1 एसडीआर	65.157 एसडीआर

*गुजरात सरकार ने 30.6.004 तक परियोजना के विस्तार के लिए अनुरोध किया है।
**आर्थिक कार्य विभाग को 31.3.2004 तक विस्तार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

विश्व विरासत स्मारक

***305. श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन स्मारकों के नाम क्या हैं जिन्हें ''यूनेस्को'' द्वारा विश्व विरासत स्मारक का दर्जा दिया गया है और इसके लिए राज्य-वार कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली में लाल किला और मध्य प्रदेश में भीमबेतका गुफाओं सहित कुछ और स्मारकों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए ''यूनेस्को'' से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर ''यूनेस्को'' की प्रतिक्रिया क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) स्मारकों के नाम, राज्यवार जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्वदाय का दर्जा दिया गया है तथा अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	विश्वदाय स्थल का नाम	राज्य का नाम
1	2	3
1.	महाबोधि मंदिर-बोध गया	बिहार
2.	हुमायूं का मकबरा, दिल्ली	दिल्ली
3.	कुतुब मीनार तथा उसके स्मारक, दिल्ली	दिल्ली
4.	पुराना गोवा के चर्च तथा कान्वेंट	गोवा
5.	स्मारक समूह, हम्पी	कर्नाटक
6.	स्मारक समूह, पट्टाडकल	कर्नाटक
7.	चित्रित शैलाश्रय, भीमवेटका	मध्य प्रदेश
8.	बौद्ध स्मारक, सांची	मध्य प्रदेश
9.	खजुराहो स्मारक समूह	मध्य प्रदेश
10.	अजंता गुफाएं	महाराष्ट्र
11.	एलौरा गुफाएं	महाराष्ट्र
12.	एलीफेंटा गुफाएं	महाराष्ट्र
13.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	उड़ीसा
14.	वृहदीश्वर मंदिर, तंजावूर	तमिलनाडु
15.	स्मारक समूह, महाबलीपुरम्	तमिलनाडु
16.	आगरा किला	उत्तर प्रदेश
17.	ताज महल, आगरा	उत्तर प्रदेश
18.	फतेहपुर सीकरी	उत्तर प्रदेश
	विश्वदाय सूची में शामिल भारत में प्राकृतिक स्थल	
19.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	असम
20.	मानस वन्य जीवन अभ्यारण्य	असम
21.	सुन्दरबन राष्ट्रीय उद्यान	पश्चिम बंगाल
22.	नंकादेवी राष्ट्रीय उद्यान	उत्तर प्रदेश
23.	कैलादेव राष्ट्रीय उद्यान	राजस्थान
	विश्वदाय सूची में शामिल भारत में औद्योगिक दाय स्थल	
24.	दार्जिलिंग हिमालयन ट्रेन	पश्चिम बंगाल

निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार यूनेस्को से कार्यशाला इत्यादि के लिए प्राप्त लघु राशि

क्र.सं.	स्मारक का नाम	राज्य	यूनेस्को से कार्यशाला आदि हेतु प्राप्त लघु राशि	किए गए कार्य
1.	स्मारक समूह, हम्पी	कर्नाटक	6000 अरीकी डालर (अक्तूबर, 2000 में) (रु. 2,58,000)	विश्वदाय कन्वेंशन आदि के कार्यान्वयन के बारे में कर्नाटक तमिलनाडु, गोवा तथा उड़ीसा राज्यों में स्थित विश्व दाय स्थलों के स्थल प्रबंधकों के लिए कार्यशाला चलाना।
2.	बौद्ध स्मारक, सांची	मध्य प्रदेश	62,144 अमरीकी डालर 1994 से 1999 के बीच (रु. 26,72,212)	जल हौज के जीर्णोद्धार तथा मरम्मत, उत्खनन, वनरोपण, बोरिंग तथा वृक्षारोपण और सर्वेक्षण एवं प्रलेखन के लिए।
3.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	उड़ीसा	27,000 अमरीकी डालर (जून, 1998 तथा 10,000 अमरीकी डालर जनवरी, 2001 में) (रु. 15,91,000)	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की को सूर्यमंदिर, कोणार्क में मृदा-अन्वेषण, भू-रडार अध्ययन, पत्थरों के नमूना तथा जांच के लिए दस लाख रुपए दिए गए तथा के.भ.अ.सं. की रिपोर्ट यूनेस्को को प्रस्तुत की गई
4.	आगरा किला तथा ताज महल, आगरा	उत्तर प्रदेश	वर्ष 1999 में 6,000 अमरीकी डालर (रु. 2,58,000) तथा 2001 में 9,000 अमरीकी डालर (रु. 3,87,000)	आगरा किला में संरक्षण प्रयोगशाला के सुधार तथा संरक्षण और परि-रक्षण कार्यों के लिए

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थित चित्रित शैलाश्रय को नामित किया गया था तथा विश्व दाय समिति ने 2003 के लिए विश्व दाय सूची में इसके अंकन को अनुमोदित किया है।

लाल किला का प्रस्ताव 1982 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1993 में स्थल की स्थिति के मूल्यांकन के पश्चात, यूनेस्को ने स्थल को इस आधार पर स्थगित कर दिया था कि स्मारक के बड़े भाग पर सेना का कब्जा है तथा कानूनी तौर से यह संरक्षित नहीं है। संपूर्ण लाल किला संरक्षित है तथा अब जबकि सेना ने इससे बाहर जाने का निर्णय कर लिया है, अतः विश्वदाय सूची में लाल किला को अंकित करने के लिए यूनेस्को को नया नामांकन डोजियर भेजने का निर्णय लिया गया है।

गुजरात राज्य में चम्पानेर स्थित मध्यकालीन स्मारक समूह तथा पंजाब राज्य में अमृतसर स्थित हरमिन्दर साहब (स्वर्ण मंदिर) को शामिल किये जाने संबंधी नामांकन डोजियर, क्रमशः वर्ष 2004 तथा 2005 के लिए विश्वदाय सूची में नाम दर्ज कराए जाने के लिए यूनेस्को को प्रस्तुत किए गए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कार्यान्वयन

***306. श्री किरीट सोमैया:**
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा कम्पनियों द्वारा देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) का कार्यान्वयन सही प्रकार से नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या विभिन्न राज्य सरकारों, जन प्रतिनिधियों और किसानों ने संरक्षण, प्रीमियम और लाभों के विषय में आपत्तियां उठायी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) वर्तमान में किसानों को इस पर कितना प्रीमियम देना होता है और इससे उनको क्या-क्या लाभ मिलते हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार उक्त योजना में संशोधन करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) और (ख) देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) बिना किसी बड़ी समस्या के क्रियान्वित की जा रही है। केवल एक शिकायत उत्तर प्रदेश राज्य से क्षेत्रीय स्तर पर अपर्याप्त स्टाफ के संबंध में प्राप्त हुई है।

(ग) पर्याप्त अवसंरचना मुहैया कराने तथा स्कीम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित कराने हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. (एआईसीआई) नामक एक नई एजेंसी की स्थापना की गई है। इस भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. ने पहले ही अप्रैल, 2003 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(घ) और (ङ) कुछ राज्यों ने गन्ना और कपास फसलों के लिए उच्च प्रीमियम दरों बारहमासी फसलों के कवरेज; न्यूनतम उपज को पुन: परिभाषित करने; प्रीमियम राजसहायता (सब्सिडी) को जारी रखने तथा बीमा के यूनिट क्षेत्र में कमी करने के संबंध में कुछ मुद्दे उठाए हैं।

(च) खाद्य पदार्थों तथा तिलहनों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत प्रीमियम दरें वर्तमान में 1.5% से 3.5% के बीच हैं। बीमांकिक दरें वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए लागू की जाती हैं।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के निम्नलिखित लाभ हैं:

- फसल चौपट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। पिछले छ: फसल मौसमों (अर्थात रबी 1999-2000 से खरीफ 2002 तक) के दौरान लगभग 107.82 लाख किसानों को 2433 करोड़ रु. के बीमा दावों का भुगतान किया गया है।
- किसानों को प्रगतिशील कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- कृषि ऋण के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती है।

(छ) और (ज) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की समीक्षा के लिए एक प्रस्ताव जिसमें प्रीमियम दरों को युक्तिसंगत बनाना, बीमित धनराशि की सीमा निर्धारित करना, छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रीमिया राजसहायता (सब्सिडी) जारी रखना तथा छोटे क्षेत्र फसल अनुमानन प्रणाली विधि का प्रयोग शामिल हैं, शुरू (इनीशिएट) किया गया है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठन

***307. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष के दौरान इन संगठनों को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है और इन्होंने इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए तथा क्या उपलब्धियां प्राप्त कीं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितनी योजनाओं को बन्द किया गया और कितनी नई योजनाएं आरम्भ की गई हैं; और

(घ) उक्त योजनाओं को बन्द करने के क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काम कर रहे स्वैच्छिक संगठन, अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार स्कीमों के बारे

में निर्णय लेते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं तथा अपनी उपलब्धियों पर निगरानी रखते हैं। खाद्य प्र स्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इसलिए स्वैच्छिक संगठनों के प्रचालन के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। यह नहीं मालूम है कि स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शुरू की गई स्कीमें गत दो वर्षों के दौरान बंद हो गई हैं या नई स्कीमें शुरू की गई हैं।

वैसे स्वैच्छिक संगठन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अधिकांश योजना स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। मंत्रालय की स्कीमों के तहत गैर-सरकारी संगठनों को पिछले दो वर्षों (2001-02 और 2002-03) के दौरान 639.63 लाख रुपये की और वर्तमान वर्ष (जुलाई, 003 तक) के दौरान 5.90 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

भू-जल को बढ़ाना

***308. श्री राम टहल चौधरी:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से भू-जल को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव/योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कार्यान्वित की जा रही भू-जल को बढ़ाने संबंधी विभिन्न योजनाओं ने अब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं; और

(च) उक्त अवधि के दौरान, राज्यवार, जल स्तर में कितनी वृद्धि हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय को चालू वित्त वर्ष 2003-2004 के दौरान भूजल के पुनर्भरण के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव/स्कीमें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) से (ङ) जल राज्य का विषय होने के कारण भूजल पुनर्भरण संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण और निष्पादन का दायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का होता है। तथापि, देश में विभिन्न जल भू वैज्ञानक स्थितियों में पुनर्भरण संरचनाओं की क्षमता के प्रदर्शन के दृष्टिकोण से भारत सरकार के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययन' नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम प्रारभ की है। इस स्कीम के तहत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 35.81 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित कुल 174 परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में छोटे क्षेत्र शामिल हैं और इनसे भूजल क्षेत्र पर स्थानिक सकारात्मक प्रभाव का पता चला है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड की उपरोक्त स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या नीचे दिए गए अनुसार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या
1.	2001-02	24
2.	2002-03	63
3.	2003-04 (जून, 2003 तक)	03

(च) पूरी की गई कुछ परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किया गया प्रभाव आकलन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा कार्यान्वित कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का प्रभाव आकलन

राज्य का नाम	स्कीम का नाम	स्कीम का प्रकार	परिणाम
1	2	3	4
हरियाणा	डी सी ऑफिस, फरीदाबाद में छत/फुटपाथ वर्षा जल संचयन प्रणाली	छत के वर्षा जल संचयन की प्रणाली	एक वर्षा मौसम में 2370 घनमीटर वर्षा जल पुनर्भरित किया गया

1	2	3	4
कर्नाटक	मुलबगुल और गौरीबिदनूर तालुका, कोलार जिले में वर्षा जल संचयन प्रणाली	चेक बांध, वाटरशेड सुधार, ग्रेविटी पुनर्भरण कूप	भूजल संरचनाओं का स्थायित्व 2 से 3 गुना बढ़ा, फसल सघनता 2 से 3 गुना बढ़ी
मध्य प्रदेश	उटावली वाटर शेड, बुरहानपुर ब्लॉक, खंडवा जिले के धोबीघाट और चिन्ताहरण में उप-सतही डाइकों का निर्माण	उप-सतही डाइक	प्रतिप्रवाह क्षेत्र में भूजल स्तरों में वृद्धि देखी गई। नदी के अनुप्रवाह में सतही प्रवाह में कमी आई।
	खरगौन जिले में कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन	उप-सतही डाइक	इन डाइकों के आसपास के क्षेत्र में उत्खनित कूपों के कमान क्षेत्र की वृद्धि से भूजल स्तर में वृद्धि का पता चला। नदी के सतही प्रवाह में उल्लेखनीय कमी हुई है।
	लोंधरी वाटरशेड, नारायण गांव, देवास जिले में कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन	उप-सतही डाइक चेक बांध	प्रतिप्रवाह क्षेत्र में मौजूदा नलकूपों के जल स्तर में 0.30 से 2.00 मीटर की वृद्धि पाई गई।
	बरवा कलां, राजगढ़ जिले में कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन	उप-सतही डाइक	उत्खनित कूपों में जल स्तर में 0.80 से 3.80 मीटर तक और हैंडपंपों में 6 से 12 मीटर की वृद्धि पाई गई।
	सुखेड़ी, मंदसौर जिले में परिस्रवण तालाबों से कृत्रिम पुनर्भरण	परिस्रवण तालाब	तालाब के कमान क्षेत्र अनुप्रवाह के जल स्तर में 1-4 मीटर की वृद्धि पाई गई।
	देवास शहर में छत के वर्षा जल का संचयन	1000 भवनों के माध्यम से छत के वर्षा जल का संचयन	इस स्कीम के माध्यम से लोगों की सहभागिता का प्रदर्शन किया गया जिसमें केवल ऑनलाइन फिल्टर की आपूर्ति मुफ्त में की गई तथा छत के वर्षा जल संचयन की अन्य व्यवस्थाएं लाभग्राहियों द्वारा की गई। कम वर्षा के बावजूद नलकूपों से जल प्राप्ति में वृद्धि और भूजल संसाधनों में सुधार दर्ज किया गया।
	वाल्मी फार्म में उप-सतही डाइक का निर्माण	उप-सतही डाइक	सतही जल के तालाब के सूख जाने के पश्चात डिमान्सट्रेशन फार्म में भूजल की उपलब्धता में वृद्धि दर्ज की गई। भूजल स्तर में कमी की औसत दर 10 सेमी. प्रतिदिन से घटकर 6 सेमी. प्रतिदिन हो गई।
महाराष्ट्र	बासाल्टिक क्षेत्र, वरूद तालुका, अमरावती जिले में कृत्रिम पुनर्भरण	परिस्रवण तालाब, चेक बांध	लाभान्वित क्षेत्र-प्रति परिस्रवण तालाब लगभग 60 से 120 हेक्टेयर,

1	2	3	4
			प्रति चेक बांध 3 से 15 हेक्टेयर जल स्तर वृद्धि-1.5 मिमी. तक।
	यावल तालुका जलगांव जिले में कछारी जलभृतों का पर्वतीय अग्रभाग पुनर्भरण	परिस्रवण तालाब, पुनर्भरण शैफ्ट, उत्खनित कूप	लाभान्वित क्षेत्र-5 वर्ग किमी. लाभान्वित क्षेत्र-400 हेक्टेयर जलस्तर वृद्धि-1 से 5 मीटर
	किट्स, रेमटेक, नागपुर जिले में छत के वर्षा जल का संचयन	छत के वर्षा जल का संचयन	संचित किए गए वर्षा जल के 90% का पुनर्भरण किया गया। जल स्तर में वृद्धि हुई पास के कुओं में जल उपलब्धता में वृद्धि पाई गई।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	जे.एन.यू. एवं आई.आई.टी. में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	चेक बांध	चेक बांधों के आसपास के क्षेत्र में जल स्तर 2.55 मीटर ऊपर हो गई है तथा प्रत्येक बांध से लाभान्वित क्षेत्र 30 हेक्टेयर तक है।
	आई.आई.टी. में छत के वर्षा जल का संचयन	छत के वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	787 क्यूबिक मीटर वर्षा जल का पुनर्भरण किया गया। 0.12 से 0.78 मीटर जल स्तर में वृद्धि हुई है।
	प्रेसिडेंट इस्टेट में छत/फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	विद्यमान खोदे गए कुएं, पुनर्भरण शाफ्ट, पुनर्भरण कुएं के माध्यम से छत/फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	जल स्तर में 0.93 से 2.32 मीटर की वृद्धि हुई।
	श्रमशक्ति भवन में छत/फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत/फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	एक बारिश के मौसम में 3000 क्यूबिक मीटर वर्षा जल का पुनर्भरण किया गया। जल स्तर में 1.42 से 2.17 मीटर की वृद्धि हुई।
	लोधी गार्डन में फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	फुटपाथ पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	जल स्तर में 0.67 से 0.72 मीटर की वृद्धि हुई।
पंजाब	धुरी संपर्क नाली, जिला संगरूर से कछारी जलभृतों में कृत्रिम पुनर्भरण	लेटरल शैफ्ट इंजेक्शन वेल्स। वर्टिकल शैफ्टस	16.51 लीटर प्रति सेकेंड की दर तक पुनर्भरण तथा लैटरल शाफ्ट के आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर में 1.38 मीटर तक वृद्धि हुई।
	इसूई गांव, लुधियाना में गांव के तालाब से कृत्रिम पुनर्भरण	इंजेक्शन कुएं के साथ पुनर्भरण शाफ्ट	10 घन लीटर प्रति सेकेंड की दर से पुनर्भरण

1	2	3	4
	खेती भवन, अमृतसर में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के वास्ते संचयन प्रणाली	210 घनमीटर वर्षा जल को पुनर्भरित किया गया था।
राजस्थान	मैनपुरा, झुंझुनू जिले में कृत्रिम पुनर्भरण	चेक बांध व उप सतही बैरियर	वर्षा जल संचयन-88000 क्यूबिक मीटर वर्षा जल स्तर में वृद्धि-0.65 मीटर
	मुख्य मंत्री निवास पर छत के वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 725 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
	राजभवन, जयपुर पर छत के वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 490 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
	राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन के लिए प्रणाली	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 1106 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
	विट्टा भवन, जयपुर में छत पर गिरने वाला वर्षा जल संचयन	छत पर गिरने वले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 1106 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
	एम आर ई सी जयपुर में छत पर गिरने वाला वर्षा जल संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 1640 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
	सी जी डब्ल्यू बी, कार्यालय भवन, जयपुर में छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 350 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
	जी डब्ल्यू डी कार्यालय भवन, जयपुर में छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 321 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
	राज्य सचिवालय भवन (भाग 1 एवं 2), जयपुर में छत/फुटपाथ पर गिरने वाले वाले वर्षा जल का संचयन	छत पर गिरने वाले वर्षा जल के लिए संचयन प्रणाली	एक बारिश के मौसम में 2320 क्यूबिक मीटर जल का पुनर्भरण किया गया।
पश्चिम बंगाल	कृत्रिम पुनर्भरण परियोजना-पुरुलिया जिला	खेत तालाब, नाला बंध, उप-सतही डाइक	जल स्तर में वृद्धि-0.15 मीटर

बेरोजगार युवा

*309. **श्री उत्तमराव ढिकले:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बेरोजगार युवाओं द्वारा रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीकरण करवाने के दस/पन्द्रह वर्ष बाद भी उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में औसतन कितने वर्ष का समय लगता है; और

(घ) वर्ष 2003-04 के दौरान युवाओं के लिए रोजगार के कितने अवसर सृजित किये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री साहिब सिंह वर्मा): (क) से (घ) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, 4.1 करोड़ के लगभग है। प्रत्येक 50-60 लाख नए रोजगार चाहने वाले रोजगार कार्यालयों में अपना नाम पंजीकृत कराते हैं तथा लगभग इतनी ही संख्या में रोजगार चाहने वालों की उम्मीदवारी, उम्मीदवारी के नवीकरण न करवाने अथवा रोजगार कार्यालयों को अधिसूचना के अतिरिक्त, रिक्तियों के खुले विज्ञापन की भी अनुमति होने के कारण रोजगार कार्यालयों के माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम से अन्यत्र रोजगार प्राप्त करने जैसे अनेक कारणों से रद्द हो जाती है।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष लगभग 2 लाख रोजगार चाहने वालों को नियोजित किया जाता है। रोजगार हेतु प्रतीक्षित व्यक्तियों की संख्या की तुलना में यह संख्या बहुत कम है तथा इसी कारण कुछ मामलों में उनके नामों को प्रायोजित करने में लम्बा समय लग जाता है। रोजगार चाहने वालों का नियोजन कौशल एवं शैक्षणिक अर्हता तथा श्रम बाजार की मांग पर निर्भर करता है।

10वीं योजनावधि, जिसमें वर्ष 2003-04 शामिल है, के दौरान 50 मिलियन रोजगार अवसर (10 मिलियन प्रतिवर्ष) लक्षित किए गए हैं। इससे रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों को सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल नीति

*310. **श्री अनन्त गुढ़े:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जल नीति के मुख्य उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा बातचीत और आम सहमति की प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों के बीच जल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) राष्ट्रीय जल नीति, 2002 की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं। राष्ट्रीय जल नीति का मुख्य उद्देश्य सभी दावाधारकों के सहयोग तथा सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यथा दिशा-निर्देशित आयोजना, विकास और प्रबंधन के एकीकृत और व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए सतत विकास के जरिए जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है।

लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल नीति जिसे 1 अप्रैल, 2002 को राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा अपनाया गया था, के क्रियान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य सभी सम्बद्धों को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त नीतिगत कार्रवाई संबंधी वार्ता पर कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से जल उपयोगकर्त्ता और गैर-सरकारी संगठनों सहित सभी सम्बद्धों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात इसके क्रियान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है।

(घ) राज्यों के बीच जल के समान वितरण सहित अन्तर्राज्यीय जल संबंधी मुद्दे बेसिन राज्यों के बीच द्विपक्षीय/बहुपक्षीय बातचीत के जरिए हल किये जाते हैं और अन्तरराज्यीय स्तर पर समझौते तैयार किये जाते हैं। किसी समझौते पर न पहुंचने की स्थिति में ''वर्ष 2002 तक यथासंशोधित अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956'' के तहत पक्षकार राज्यों में से किसी एक के अनुरोध पर विवाद को अधिकरण में भेजा जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषताएं

राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं

* जल एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है तथा इसकी आयोजना, विकास और प्रबंधन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए।
* मौजूदा केन्द्रीय और राज्य स्तरीय अभिकरणों को एकीकृत और सुदृढ़ करते हुए डाटा बैंकों और डाटा बेसों के

एक नेटवर्क के साथ राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर जल संबंधी आंकड़ों के लिए एक सुविकसित सूचना प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए।

* जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन की आयोजना, जल वैज्ञानिक एकक के लिए की जाएगी। नदी बेसिनों के आयोजित विकास और प्रबंधन के लिए उपयुक्त नदी बेसिन संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए।

* क्षेत्रों/बेसिनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नदी बेसिन से दूसरे नदी बेसिन में हस्तांतरण सहित अन्य क्षेत्रों से जल हस्तातंरण के जरिए जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराया जाए।

* जल संसाधन विकास परियोजनाओं की आयोजना यथासंभव, समाज के सुविधाहीन वर्गों को शामिल करते हुए मानवीय और पारिस्थितिकीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एकीकृत और बहु-विषयी दृष्टिकोण के साथ बहुउद्देश्यीय होनी चाहिए।

* जल का आबंटन करते समय पहली प्राथमिकता पेयजल को देनी चाहिए फिर इसके बाद क्रमशः सिंचाई, जल विद्युत, पारस्थितिकी, कृषि-उद्योगों और गैर-कृषि उद्योगों, नौवहन और अन्य उपयोगों के लिए दी जानी चाहिए।

* भूजल के दोहन का विनियमन पुनर्भरण संभावनाओं और सामाजिक समानता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। भूजल के अतिदोहन के हानिकर पर्यावणीय परिणामों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने की जरूरत है।

* निर्माण और पुनर्वास संबंधी गतिविधियां साथ-साथ चलाना सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक आयोजना तैयार करना आवश्यक है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी राष्ट्रीय नीति की एक रूपरेखा तैयार करने की जरूरत है ताकि उचित पुनर्वास के जरिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो सके।

* मौजूदा जल संसाधन सुविधाओं को भौतिक एवं वित्तीय स्थायित्व प्रदान करने के संबंध में पर्याप्त बल देने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विभिन्न उपयोगों के लिए जल प्रभार इस प्रकार निर्धारित किए जाएं ताकि प्रारंभिक रूप में इससे कम से कम प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी प्रभार वसूल हो सकें तथा बाद में पूंजीगत लागत का कुछ अंश वसूल हो सके।

* विभिन्न उपयोगों के लिए जल संसाधनों के प्रबंधन में प्रभावी और निर्णयात्मक रूप में विभिन्न सरकारी अभिकरणों के साथ-साथ उपयोगकर्त्ताओं और अन्य दावाधारकों को शामिल करते हुए एक सहभागिता दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

* जहां कहीं व्यवहार्य हो, विभिन्न उपयोगों के लिए जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।

* सतही जल और भूजल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित रूप से मानीटरी की जानी चाहिए। बहिस्रावों को प्राकृतिक धाराओं में छोड़ने से पहले उन्हें स्वीकार्य स्तरों एवं मानकों तक उपचारित किया जाना चाहिए। पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए बारहमासी स्रोतों में न्यूनतम प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

* जल के सभी विभिन्न उपयोगों में इसके उपयोग की कुशलता में सुधार किया जाना चाहिए तथा शिक्षा, विनियमन, प्रोत्साहन एवं दण्ड के माध्यम से संरक्षण चेतना को बढ़ावा देना चाहिए।

* प्रत्येक बाढ़ प्रवण बेसिन के लिए बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के लिए एक मास्टर योजना होनी चाहिए। बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन में ऐसी कार्य-नीति अपनाई जानी चाहिए ताकि बाढ़ की तीव्रता कम हो सके।

* उपयुक्त लागत प्रभावी उपायों के जरिए समुद्र अथवा नदी से होने वाले मृदा कटाव को न्यूनतम किया जाना चाहिए। तटीय क्षेत्रों और बाढ़ मैदान क्षेत्रों में अंधाधुंध कब्जों और गतिविधियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

* जल संसाधन विकास संबंधी परियोजना की आयोजना में सूखा-प्रवण क्षेत्रों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन क्षेत्रों के विभिन्न उपायों के जरिए संवेदनशीलता कम की जानी चाहिए।

* नदी बेसिन में जल संसाधनों की उपलब्धता और इसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्यों के बीच जल बंटवारा/वितरण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए।

* जल संसाधन विकास के विभिन्न अंग के रूप में प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रयासों को सघन किया जाना चाहिए।

आगन्तुकों द्वारा स्मारकों को नुकसान

***311. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को वर्ष 2003-04 के दौरान आगन्तुकों विशेषत: शरारती तत्वों द्वारा पूरे देश में पुरातन स्मारकों को पहुंचाए गए नुकसान के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये नुकसान किस प्रकार के हैं;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इन शिकायतों पर तथ्य एकत्रित करने के लिए तत्परता से कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, नहीं। आगंतुकों द्वारा स्मारकों को क्षति के संबंध में ऐसा कोई अभ्यावेदन ध्यान में नहीं आया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बोनस के भुगतान की सीमा

***312. श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संगठित/असंगठित क्षेत्र के कामगारों को दिए जाने वाले बोनस के भुगतान की सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) से (ग) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले कारखानों व प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। पात्रता सीमा को 3500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करने और गणना की अधिकतम सीमा को 2500 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसी बीच, दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें पात्रता और बोनस की गणना की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर क्रमश: 7500 रुपए प्रतिमाह और 3500 रुपए प्रतिमाह करने की सिफारिश की गई है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में इस मामले की नए सिरे से जांच की जा रही है, क्योंकि निजी क्षेत्र के अतिरिक्त बोनस के लाभ केन्द्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्र व राज्य दोनों) और स्वायत्त सगठनों के कर्मचारियों को दिये जाने होंगे जिससे सरकारी कोष पर एक बढ़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसमें निहित प्रक्रिया और संबंधित वित्तीय परिणामों को देखते हुए फिलहाल इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए कोई निश्चित समयावधि बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

जल संसाधन में वृद्धि

***313. श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना शुरू की है, जो अपनी जल संसाधन क्षमता को बढ़ा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना, राज्यवार, कब से लागू की गई है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को अब तक दी गयी सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों की वृद्धि संबंधी स्कीमों सहित जल संसाधन विकास परियोजनाओं की परिकल्पना, अन्वेषण, आयोजना और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, निर्माणाधीन जल संसाधन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि इनसे शीघ्रातिशीघ्र लाभ प्राप्त किये जा सकें। ऐसी परियोजनाएं, जोकि एक वर्ष (दो कार्य मौसम) में पूरा की जा सकती हैं, के लिए 100 प्रतिशत ऋण सहायता मुहैया कराने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत फरवरी-2002 से एक फास्ट ट्रैक कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है।

(ग) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वर्ष 1996-97 से तथा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के तहत राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण I और विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 1996-97 से 2002-2003 तक राज्यों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता							जारी की गई कुल केन्द्रीय ऋण सहायता
		1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	35.250	74.000	79.670	65.10	95.020	281.660	33.186	663.801
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.000	0.000	0.000	7.500	7.500	15.000	1.500	31.500
3.	असम	5.230	12.400	13.950	14.540	24.077	14.521	16.274	100.992
4.	बिहार	13.500	5.150	36.185	129.695	148.440	3.420	14.481	350.871
5.	छत्तीसगढ़	0.000	4.500	9.500	10.520	13.930	48.200	104.000	190.650
6.	गोवा	0.000	5.250	0.000	3.500	61.650	58.000	0.000	128.400
7.	गुजरात	74.773	196.900	423.820	272.700	421.850	581.690	1000.330	2972.063
8.	हरियाणा	32.500	12.00	0.00	0.000	0.00	0.000	18.000	62.500
9.	हिमाचल प्रदेश	0.000	6.500	5.000	11.047	18.01	3.244	8.150	51.956
10.	जम्मू और कश्मीर	1.300	0.000	0.000	4.680	10.460	11.070	34.999	62.509
11.	झारखण्ड	0.000	8.890	11.640	14.345	9.050	10.820	9.670	64.415
12.	कर्नाटक	61.250	90.500	94.500	157.140	171.00	492.500	620.850	1687.740
13.	केरल	3.750	15.000	0.000	0.000	22.400	11.275	5.665	58.090
14.	मध्य प्रदेश	63.250	110.00	81.250	95.325	151.28	215.10	220.000	936.563
15.	महाराष्ट्र	14.00	55.000	50.860	49.875	97.020	39.100	133.134	438.989
16.	मणिपुर	4.300	26.000	10.780	31.810	1.500	9.360	19.500	93.250
17.	मेघालय	0.000	0.000	0.000	2.694	5.512	4.470	1.500	14.176
18.	मिजोरम	0.000	0.000	0.000	1.433	1.433	2.000	0.750	5.616
19.	नागालैंड	0.000	0.000	0.000	2.730	5.000	5.000	2.659	15.389
20.	उड़ीसा	48.450	85.00	71.500	90.250	100.20	168.475	179.570	743.565
21.	पंजाब	67.500	100.00	0.000	42.000	55.620	113.690	36.660	415.470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	राजस्थान	2.675	42.000	140.050	106.665	78.467	96.315	174.385	640.557
23.	त्रिपुरा	3.773	5.100	3.975	34.653	13.883	21.063	13.395	95.842
24.	तमिलनाडु	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.000
25.	उत्तर प्रदेश	43.500	78.000	76.500	286.00	315.900	354.690	39.00	1513.590
26.	उत्तरांचल	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	25.163	25.163
27.	पश्चिम बंगाल	5.000	20.000	10.000	25.00	26.825	38.608	28.133	153.566
28.	सिक्किम	0.000	0.000	0.000	1.360	0.000	2.400	0.750	4.510
	कुल	500.001	952.19	1119.18	1450.477	1856.2	2601.981	3061.703	11541.732

विवरण II

वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के तहत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता

(रुपये करोड़ में)

राज्य	फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के तहत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता		
	2001-02	2002-03	कुल
आंध्र प्रदेश	176.67	5.00	181.67
छत्तीसगढ़	—	71.900	71.900
गुजरात	94.000	94.000	188.000
कर्नाटक	—	36.37	36.37
मध्य प्रदेश	98.30	65.000	163.03
महाराष्ट्र	—	22.885	22.885
उड़ीसा	64.430	20.555	84.985
राजस्थान	—	31.425	31.425
उत्तर प्रदेश	39.730	39.720	79.450
कुल	472.860	386.855	859.715

[अनुवाद]

संगठित क्षेत्र में रोजगार

***314. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-02 में संगठित क्षेत्र में 4.2 लाख रोजगारों की कमी हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या यह लगातार पांचवां वर्ष है, जिसमें संगठित क्षेत्र में रोजगारों में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 2001-02 में रोजगारों में हुई कमी, इससे पिछले तीन वर्षों को मिलाकर हुई कमी से भी अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) से (ग) जी, हां।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यबल को उपयुक्त आकार दिया जाना और निजी संगठित क्षेत्र में रोजगार में अपर्याप्त वृद्धि संगठित क्षेत्र में रोजगार की कमी के कारणों में से है।

10वीं योजनावधि के दौरान 50 मिलियन रोजगार अवसरों (10 मिलियन प्रतिवर्ष) के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से लगभग 30 मिलियन सामान्य विकास प्रक्रिया तथा 20 मिलियन विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित होंगे। इससे संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में तेजी से और अधिक रोजगार सृजित होगा।

बीटी कॉटन बीज के मूल्य में कटौती

***315. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिस कम्पनी की बीटी कॉटन बीजों को बेचने की अनुमति दी गई थी उसने कुछ राज्यों में 450 ग्राम के प्रति पैकेट का मूल्य 1600 रुपए से कम करके 1200 रुपए प्रति पैकेट कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उन राज्यों में बीटी कॉटन बीजों के प्रयोग को निरुत्साहित करने का है जहां अच्छी फसल न होने के समाचार मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने बीटी कपास के निष्पादन को संतोषजनक पाया। राज्यों से प्राप्त रिपोर्टें भी दर्शाती हैं कि गैर-बीटी कपास की तुलना में बीटी कपास में बाल वर्म की घटना कम हुई है जिसके परिणामस्वरूप कृमिनाशकों के छिड़काव की कम जगरूरत पड़ी। तथापि, कुछ राज्यों में संकर किस्मों में मुरझान रोग उत्पन्न करने वाले तथा चूसक कृमियों की संभावनाएं दिखाई दी हैं। ऐसा लम्बे समय तक सूखे के पश्चात अचानक वर्षा/सिंचाई के जोर के कारण हुआ है।

कृषि क्षेत्र में निवेश

***316. श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र वर्तमान में पूंजी के अभाव से जूझ रहा है और इस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने तथा लाभ बढ़ाने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में बैंकों को शामिल करने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में बैंकों को कोई निर्देश जारी किये गये हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार कृषकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) से (ग) कृषि क्षेत्र, जिसमें वानिकी तथा मात्स्यिकी शामिल हैं, में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) जिससे पूंजी भण्डार (कैपिटल स्टाक) में वृद्धि होती है, 1993-94 में 15249 करोड़ रुपये से बढ़कर 2001-02 में 36701 करोड़ रुपये हो गया है। भारत सरकार ने निर्यात में वृद्धि के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात क्षेत्रों

(एग्री एक्सपोर्ट जोन्स) की स्थापना की है। अब तक 19 राज्यों में 48 कृषि निर्यात क्षेत्रों की घोषणा की गई है, जिनमें 1326 करोड़ रुपये का प्रक्षेपित (प्रोजेक्टेड) निवेश शामिल है।

(घ) से (छ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे निवल बैंक ऋण की 18% राशि कृषि एवं इससे संबद्ध गतिविधियों के लिए दें। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये जाने वाले 50000 रुपये तक के फसल ऋण पर ब्याज दर घटाकर अधिकतम 9% प्रति वर्ष कर दी गई है।

कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना

*317. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कृषि श्रमिकों हेतु कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु व्यापक कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त योजना के कोष में केन्द्र सरकार के अंशदान का हिस्सा कितना है;

(च) उन चयनित जिलों के नाम क्या हैं जहां उक्त योजना को लागू किया गया है; और

(छ) शेष जिलों में यह योजना कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) जी हां। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कृषि कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1 जुलाई, 2001 से "कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना-2001" आरंभ की।

(ख) इस योजना में जीवन-सह-दुर्घटना बीमा, धन वापसी, पेंशन और अधिवर्षिता लाभों का प्रावधान किया गया है। 18 से 50 वर्ष की आयु-वर्ग के कृषि कामगार इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत, एक कृषि कामगार को 1 रुपए प्रतिदिन या 365 रुपए प्रति वर्ष तथा सरकार को 2 रुपए प्रति दिन या 730 रुपये प्रति वर्ष प्रति लाभार्थी अंशदान करना होता है।

(ग) और (घ) यह प्रस्ताव है कि तीन वर्षों के प्रथम चरण में अर्थात् मार्च, 2004 तक पहचान किए गए प्रत्येक जिले से 20,000 कृषि कामगारों के हिसाब से 10 लाख कृषि कामगारों को इस स्कीम के दायरे में लिया जाए।

(ङ) सरकार के अंशदान का हिस्सा 2 रुपए प्रतिदिन अर्थात् 730 रुपए प्रति वर्ष प्रति लाभार्थी है।

(च) यह योजना निम्नलिखित 50 जिलों में लागू की जा रही है:

हिसार	प. मिदनापुर
कांगड़ा	पू. सिक्किम
जम्मू	पू. खासी
अमृतसर	हिल
उदयपुर	कोहिमा
श्रीगंगानगर	आइजॉल
प. निमार	प. त्रिपुरा
उज्जैन	पालाक्कड
रायपुर	थंजावुर
बिलासपुर	थिरूचिरापल्ली
जबलपुर	मदुरई
इलाहाबाद	कुड्डालोर
बदायूं	गुंटूर
नैनीताल	पू. गोदावरी
देहरादून	प. गोदावरी
नागांव	कृष्णा
पू. सियांग	धारवाड़
इम्फाल	रायचुर
पलामू	खेड़ा
प. सिंहभूम	सूरत
माधेपुरा	जलगांव
गया	धुले
सहरसा	यवतमाल
सम्बलपुर	सोलापूर
कोरापट	सोलापूर
बर्धवान	उ. गोआ

(छ) चूंकि यह एक प्रायोगिक स्कीम है, अत: प्रथम चरण में स्कीम का मूल्यांकन करने के बाद इसे अन्य जिलों में लागू करने पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड

***318. श्री रतनलाल कटारिया:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में बाढ़ से संबंधित समस्याओं से निपटने हेतु एक राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थिति से निपटने हेतु इस बोर्ड को पर्याप्त निधियां उपलब्ध करायी गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो निधियों के वितरण हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड (एन एफ सी बी) का गठन नहीं किया है। तथापि, बाढ़ नियंत्रण के देशव्यापी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए तत्कालीन केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में वर्ष 1954 में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था जिसमें संबंधित बाढ़प्रवण राज्यों और रेलवे, परिवहन आदि जैसे केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल थे। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने नवम्बर, 1977 में आयोजित अपनी 16वीं बैठक में यह निर्णय लिया कि चूंकि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास पहलुओं पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता तथा लगभग सभी राज्यों में, सिंचाई के प्रभारी मंत्रियों के पास बाढ़ नियंत्रण का भी प्रभार था इसलिए, राज्य सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलनों, जिसमें बाढ़ नियंत्रण पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया जाता है, में बाढ़ नियंत्रण के विषय पर विचार-विमर्श किया जा सकता है। जल संसाधन और सिंचाई मंत्रियों के 10वें एवं 11वें सम्मेलन के दौरान अन्य मामलों के साथ, बाढ़ प्रबंधन से संबंधित मामलों, बाढ़ मैदान जोनिंग, बाढ़ रोधी, बाढ़ जोखिम मानचित्रों की तैयारी आदि जैसे गैर-संरचनात्मक उपायों पर बल दिए जाने पर विचार-विमर्श किया गया था।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल नीति-2002 में अन्य बातों के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन की भी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक बाढ़ प्रवण बेसिन के लिए मास्टर योजनाएं तैयार करना, जल भंडारण परियोजनाओं में पर्याप्त बाढ़ कुशन मुहैया कराना, तटबन्धों और बन्धों जैसे बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण तथा हानियों को न्यूनतम करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ चेतावनी, बाढ़ मैदान जोनिंग और बाढ़रोधी जैसे गैर-संरचनात्मक उपाय करना भी शामिल है।

(ग) और (घ) चूंकि इस समय राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड अस्तित्व में नहीं है इसलिए भाग (ग) और (घ) का प्रश्न नहीं उठता।

आयातित और देश में निर्मित इस्पात के मूल्य

***319. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में इस्पात का आयात किया गया;

(ख) आयातित और देश में निर्मित इस्पात के मूल्यों में कितना अन्तर है और इसके परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च की गयी;

(ग) इसे न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए और स्वदेशी उद्योग को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस्पात के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य योजना तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा आयातित इस्पात (परिसज्जित कार्बन इस्पात) की मात्रा नीचे दी गई है:

(10 लाख टन)

वर्ष	मात्रा
2002-03*	1.5
2001-02	1.3
2000-01	1.4

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति

*अनंतिम

(ख) आयात की उतराई लागत तथा घरेलू मूल्य, विशिष्ट बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न स्थानों और

समय पर अलग-अलग होते हैं। मई, 2003 के दौरान आयात की कुछ प्रमुख मदों के मुम्बई बाजार में घरेलू मूल्य तथा आयात की उतराई लागत की तुलना नीचे दी गई है:

(रुपये प्रति टन)

मद	आयात की उतराई तक की लागत (क)	घरेलू मूल्य (मुंबई) (ख)	अन्तर (क-ख)
वायर रॉड	23071	18000	5071
टीओआर स्टील	22719	17000	5719
एच आर क्वायल	20256	23500	(-)3244
सीआर क्वायल	25534	26500	(-)966
जी पी शीट	33627	31000	2627

स्रोत: आर्थिक अनुसंधान इकाई

(ग) उदारीकरण के पश्चात, मूल्य विद्यमान बाजार शक्तियों पर निर्भर करते हुए संबंधित उत्पादकों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। सरकार उन सामान्य परिस्थितियों का प्रबोधन करती है जिनके तहत उद्योग प्रचालनरत है तथा बजटीय प्रक्रिया एवं अन्य नीतिगत कार्यक्रमों के माध्यम से सामान्य प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है।

(घ) और (ङ) विनियमित और नियंत्रण मुक्त परिवेश में निर्यात सहित बाजार नीति मुख्य रूप से संबंधित उत्पादकों द्वारा निर्धारित की जाती है। भारतीय इस्पात उत्पादक कई कदम उठा रहे हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी का उन्नयन, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उत्पाद मिश्र अपनाना शामिल है। उत्पादक ने तथा गैर-परंपरागत बाजारों की लगातार तलाश/विस्तार करते रहते हैं।

निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित सामान्य कदम उठाए गए हैं:

1. 2002-07 के लिए आयात-निर्यात नीति में नवीनतम संशोधन में काफी उपाय प्रस्तावित किये गये हैं जिनसे निर्यात करने वाली इकाईयों को लाभ होगा और सामान्य रूप से आयात-निर्यात प्रचालनों में सुविधा मिलेगी।

2. इस्पात के निर्यात की बाधाओं को दूर करने के लिए इस्पात निर्यातक मंच बनाया गया है।

3. आयात करने वाले देशों द्वारा की गई व्यापार कार्रवाईयों के संबंध में इस्पात उद्योग को सक्रिय रूप से सहायता देना।

4. उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने सहित निर्यात बाजार का विस्तार करने के उद्देश्य से इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रयास करना।

ई.एस.आई. मॉडल अस्पताल

***320. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में सभी सुविधाओं से युक्त मॉडल अस्पताल स्थापित करने और भारी संख्या में श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय को वहन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों और औषधालयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे सभी विभिन्न अस्पतालों को ई.एस.आई. अस्पतालों के दायरे में लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने पृथक अस्पतालों को स्थापित करने के स्थान पर ई.एस.आई. अस्पताल स्थापित करने के संबंध में कार्रवाई की है, जैसाकि पूर्व में मंत्रालय ने इसका अनुमोदन किया था; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सैद्धांतिक रूप में प्रत्येक राज्य में मौजूदा एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नचाराम (आंध्र प्रदेश), बेलटोला (असम), रांची (झारखंड), राजाजी नगर (कर्नाटक), असरामम (केरल), लुधियाना (पंजाब), जयपुर (राजस्थान), साहिबाबाद (उत्तर प्रदेश), राउरकेला (उड़ीसा), फुलवारी शरीफ (बिहार) और चंडीगढ़ (चंडीगढ़ प्रशासन) में स्थित अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों के रूप में विकसित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से अधिग्रहित कर लिया है।

चिंचवाड़ा (महाराष्ट्र), ठाकुरपुकुर (पश्चिम बंगाल), नागदा (मध्य प्रदेश) और के.के. नगर (तमिलनाडु) स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों, जिन्हें पहले ही सीधे कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाया जा रहा है, को भी मॉडल अस्पतालों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

(ग) प्रत्येक राज्य में स्थित कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों/अस्पतालों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। इसके अलावा, श्रम मंत्रालय का श्रम कल्याण संगठन बीड़ी और गैर-कोयला खान कामगारों की कतिपय श्रेणियों के लाभार्थ विभिन्न श्रम कल्याण निधियों के अंतर्गत स्थापित 13 अस्पतालों और 277 औषधालयों को चला रहा है। औषधालयों और अस्पतालों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) से (छ) चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध किये जाने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उपलब्ध विशेषज्ञों को देखते हुए श्रम कल्याण संगठन के औषधालयों और अस्पतालों को चलाने में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सहयोग लेने के विकल्पों का पता लगाया जा रहा है ताकि बेहतर स्वास्थ्य देख-रेख सेवाएं प्रदान करने में सुविधा हो।

विवरण I

31.3.2002 की स्थिति के अनुसार ई.एस.आई. औषधालयों/अस्पतालों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	कुल	अस्पतालों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1371	11
2.	असम	25	1
3.	बिहार	25	3
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	2	—
5.	दिल्ली	43	4
6.	गोआ	9	1
7.	गुजरात	126	12
8.	हरियाणा	68	5
9.	हिमाचल प्रदेश	9	1
10.	कर्नाटक	149	9
11.	केरल	135	13
12.	मध्य प्रदेश	53	7
13.	(क) मुम्बई	19	
	(ख) नागपुर	22	13
	(ग) पुणे	34	
14.	मेघालय	1	—
15.	उड़ीसा	50	6
16.	पांडिचेरी	14	1
17.	पंजाब	70	7
18.	राजस्थान	66	5
19.	तमिलनाडु	176	9
20.	उत्तर प्रदेश	126	16
21.	पश्चिम बंगाल	38	14
22.	जम्मू और कश्मीर	8	—
23.	छत्तीसगढ़	10	—
24.	उत्तरांचल	7	—
25.	झारखंड	29	3
	कुल	1451	141

विवरण II

श्रम कल्याण संगठनों के अंतर्गत स्थापित अस्पताल और औषधालय

क्र.सं.	राज्य	कुल	अस्पतालों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	22	1
2.	तमिलनाडु	19	—
3.	मध्य प्रदेश	30	1
4.	छत्तीसगढ़	11	—

1	2	3	4
5.	कर्नाटक	30	2
6.	केरल	12	—
7.	राजस्थान	24	1
8.	गुजरात	10	—
9.	बिहार	21	—
10.	उत्तर प्रदेश	20	1
11.	हिमाचल प्रदेश	01	—
12.	झारखंड	12	4
13.	महाराष्ट्र	21	—
14.	उड़ीसा	25	1
15.	पश्चिम बंगाल	17	1
16.	अस्सम	01	—
17.	त्रिपुरा	01	—
18.	गोआ	—	1
	कुल	277	13

[अनुवाद]

परमाणु संयंत्रों से विकिरण

***322. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी:**
श्री पी. कुमारासामी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में परमाणु संयंत्रों से उच्च विकिरण के कारण ऐसे संयंत्रों में काम कर रहे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु परियोजना के समीप की बस्तियों में कई नवजात शिशुओं के हाथों और पैरों में अतिरिक्त उंगलियां हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या यह असामान्य नाभिकीय विकिरण आदि का परिणाम है;

(ङ) यदि हां, तो क्या स्थिति से निपटने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) कुडनकुलम स्थित परमाणु विद्युत परियोजना अभी भी निर्माणाधीन है और इस चरण में, संयंत्र से किसी विकिरणसक्रियता के उत्सर्जन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) ऊपर (ग) तथा (घ) के मद्देनजर ये प्रश्न ही नहीं उठते।

मीडिया लैब एशिया परियोजना

***323. श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री ए. ब्रह्मनैया:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मीडिया लैब एशिया परियोजना की प्रगति को रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए अब तक दिए गए अनुदान का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) अन्य एजेंसियों से इस परियोजना को अब तक मिली सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना से क्या लाभ होने की आशा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने पुनर्गठित मीडिया लैब एशिया के पूर्णस्तरीय कार्यक्रम को नौ वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया है।

(ग) मीडिया लैब एशिया को वर्ष 2001-02 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में 65 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध है।

(घ) मेसर्स टाटा सन्स ने कार्पोरेट प्रायोजन के रूप में मीडिया लैब एशिया को 1.5 करोड़ की धनराशि दी है।

(ङ) मीडिया लैब एशिया परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) तथा अन्य उदीयमान विषयों के क्षेत्र में असंधान, डिजाइन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण;
- व्यक्तियों, परियोजनाओं तथा प्रयोगशालाओं का एक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना;
- आईसीटी के क्षेत्र में अनुप्रयोगों के लिए प्रायोगिक संयंत्रों तथा उत्पादन सुविधाओं की स्थापना में सहायता करना;
- शैक्षिक तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, सरकारी एवं गैर-सरकारी तथा बहुदेशीय एजेंसियों को सहयोग प्रदान करना और उनके साथ मिलकर काम करना;
- सृजनशीलता तथा अनुसंधान की कुशलता, माइक्रो-उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना और आईसीटी तथा अन्य उदीयमान प्रौद्योगिकियों का नियोजन।

राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलना

***324. प्रो. ए.के. प्रेमाजम:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में प्रत्येक राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में उनकी लंबाई कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान नए राजमार्गों का निर्माण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सरकारों विशेषकर, केरल द्वारा राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गत तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/सुधार के लिए केन्द्रीय सड़क कोष से राज्य सरकारों को धनराशि मुहैया कराई गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन और छह लेन वाले बनाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान घोषित नए राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने से संबंधित सभी प्रस्ताव जिनमें केरल के प्रस्ताव भी शामिल हैं, संबंधित राज्य सरकारों को वापस कर दिए गए हैं। फिलहाल, धनराशि के अभाव के कारण नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा नहीं की जा रही है।

(ङ) केन्द्रीय सड़क निधि से राज्य सरकारों को धनराशि, राज्यीय राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के सुधार के लिए प्रदान की जाती हैं न कि राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाने का कार्य शुरू किया है जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज घटक के तहत चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग तथा सलेम-कोचीन खंड सहित श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला उत्तर-दक्षिण महामार्ग और पोरबंदर को सिल्चर से जोड़ने वाला पूर्व-पश्चिम महामार्ग शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना खंडों से इतर राष्ट्रीय राजमार्गों की 10,000 कि.मी. लंबाई में भी बी ओ टी आधार पर 4 लेन बनाने की योजना बनाई है।

विवरण I

राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214 & 219	4002
2.	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए और 153	392
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 और 153	2836
4.	बिहार	2, 19, 28, 28ए, 30, 30ए, 31, 57, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 और 107	
5.	चंडीगढ़	21	24
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 200, 202, 216 और 217	1810
7.	दिल्ली	1, 2, 8, 10 और 24	72
8.	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी"	269
9.	गुजरात	एनई-1, 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15 और 59	2461
10.	हरियाणा	"1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 72 और 73	1357
11.	हिमाचल प्रदेश	"1ए, 20, 21, 21A, 22, 70, 72 और 88	1188
12.	जम्मू और कश्मीर	"1ए, 1बी और 1सी	823
13.	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100"	1603
14.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 206, 207, 209, 212 और 218	3570
15.	केरल	17, 47, 47ए, 49, 208, 212, 213 और 220	1440
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 27, 59, 59ए, 69, 75, 76, 78, 79, 86 और 92	4664
17.	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204 और 211	3626
18.	मणिपुर	39, 53 और 150	954
19.	मेघालय	40, 44, 51 और 62	717
20.	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	927
21.	नागालैंड	36, 39, 61 और 150	369
22.	उड़ीसा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 200, 201, 203, 215 और 217	3301

1	2	3	4
23.	पांडिचेरी	45ए और 66	53
24.	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1557
25.	राजस्थान	3, 8, 11, 11ए, 12, 14, 15, 65, 76, 79, 79ए, 89 और 90	4597
26.	सिक्किम	31ए	62
27.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 46, 47, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219 और 220	3758
28.	त्रिपुरा	44 और 44ए	400
29.	उत्तरांचल	58, 72, 72ए, 73, 74, 87, 94, 108 और 109	1075
30.	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 7, 11, 19, 24, 24ए, 25, 25ए, 26, 27, 28, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 92, 93, 96 और 97	4942
31.	पश्चिम बंगाल	2, 6, 31, 31ए, 31सी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 80 और 81	1951
	कुल योग		58112

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कुल लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	219	128
2.	अरुणाचल प्रदेश	153	40
3.	असम	153 और 154	130
4.	बिहार	98, 101, 102, 103, 104, 105, 106 और 107	863
5.	छत्तीसगढ़	12ए, 216 और 217	278
6.	गुजरात	8ई	220
7.	जम्मू और कश्मीर	1बी का विस्तार	85
8.	झारखंड	98, 99, 100, 75 का विस्तार	513
9.	कर्नाटक	218	176
10.	केरल	220	210

1	2	3	4
11.	मध्य प्रदेश	59ए, 86 का विस्तार, 92, 12ए, 75 का विस्तार	986
12.	मिजोरम	154	70
13.	उड़ीसा	217, 203 का विस्तार	446
14.	पंजाब	95	225
15.	राजस्थान	90, 79ए, 11ए का विस्तार	216
16.	तमिलनाडु	219, 220	77
17.	उत्तरांचल	94, 72ए, 108, 109	378
18.	उत्तर प्रदेश	91, 92, 93, 96, 97, 75 का विस्तार, 72ए, 58 का विस्तार	1061
		जोड़	6102

खाद्य अपमिश्रण

*325. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कीटनाशकों के प्रयोग से खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि विभिन्न खाद्य उत्पादों में आर्सेनिक, कैडमियम और सीसे जैसी अति विषैली धातुओं की मिलावट अनुज्ञेय मात्रा से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो क्या खाद्य और खाद्य उत्पादों में मिलावट पर नियमित निगरानी रखने के लिए कोई सुनियोजित और प्रभावी प्रणाली है;

(घ) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता मामले, पर्यावरण और वन तथा कृषि मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त सुझावों के मद्देनजर जरूरी संशोधनों को शामिल करने हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) फसलों में पेस्टीसाइड का उपयोग कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 5 के तहत गठित पंजीकरण समिति पेस्टीसाईड की प्रभावकारिता तथा मानव, पशुओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से संतुष्ट होने के बाद देश में खाद्य फसलों पर उपयोग के लिए पेस्टीसाइडों को पंजीकृत करती है।

पेस्टीसाइड का पंजीकरण करते समय पंजीकरण समिति पेस्टीसाईड के उपयोग के लिए फसल, कीट (पेस्ट) तथा बीमारियों, उनकी खुराक, उनके प्रयोग की पद्धति और सुरक्षा उपाय या उनके उपयोग में अपनाए जाने वाले निर्देशों का निर्धारण भी करती है।

यदि निर्धारित पद्धति से पेस्टीसाईड का उपयोग किया जाता है तो उनके उपयोग से खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं होता है। तथापि, उनका अत्यधिक उपयोग, दुरुपयोग या गलत उपयोग से खाद्य पदार्थों में अत्यधिक मात्रा में अपशिष्ट आ सकते हैं जो खाद्य पदार्थों/अथवा मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्य पदार्थों में दूषित तत्वों की मिलावट सहनीय सीमा (टोलरेंस लिमिट) से अधिक न हो, स्वास्थ्य मंत्रालय ने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत पेस्टीसाइड तथा लीड, आर्सेनिक, कैडमियम, जिंक और टिन आदि जैसे मिश्रित दूषित तत्वों (मेटा कंटेमिनेंट) के लिए खाद्य पदार्थों में अधिकतम सहनशीलता सीमा (मैक्सीमम टोलरेंस लिमिट) निर्धारित की है।

देश में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबंधों की मानीटरिंग और

कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उत्तरदायी हैं। कृषि मंत्रालय से प्राथमिक खाद्य उत्पादों में पेस्टिसाइड अवशिष्टों की गहन मानीटरिंग प्रणाली आरम्भ करने का अनुरोध किया गया है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा 1996-97 में कुछ प्रयोगशालाओं के सहयोग से खाद्य पदार्थों में भारी खनिजों की मौजूदगी के बारे में किये गये एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि अधिकांश खाद्य नमूनों में दूषित खनिज मौजूद हैं लेकिन वे निर्धारित सह्य सीमाओं के अन्दर हैं। तथापि, दिल्ली के आसपास कुछ पत्तेदार सब्जियों में कुछ दूषित तत्व होने की रिपोर्टें हैं। पर्यावरण मंत्रालय इस मामले की जांच कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी इस बारे में फिर से सर्वेक्षण करेगा।

विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों तथा मंत्रालय के अपने विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की समीक्षा की जा रही है। अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसमें दण्ड व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाना, जांच और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना, केन्द्रीय मशीनरी को सुदृढ़ करना और खाद्य प्रयोगशालाओं का उन्नयन करना शामिल है।

शिक्षा प्रणाली में सुधार

***326. डा. चरण दास महंत:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने हेतु उपस्थिति और आन्तरिक मूल्यांकन को तरजीह देने के लिए मानदंडों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इन मानदण्डों को देश भर में क्रियान्वित किये जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में मोटे तौर पर क्या मार्गनिर्देश बनाए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) शिक्षा के गिरते स्तर में इससे कितना सुधार आने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) संघ सरकार शैक्षिक संस्थाओं में उपस्थिति तथा आंतरिक मूल्यांकन के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं करती है। संबंधित राज्य अथवा केन्द्रीय बोर्डों द्वारा उनसे संबद्ध स्कूलों के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रथम डिग्री प्रदान करने हेतु शिक्षा के न्यूनतम स्तरों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने विनियमों के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था की गई है कि परीक्षाओं में बैठने का पात्र होने के लिए किसी छात्र के लिए आवश्यक न्यूनतम व्याख्यानों, ट्यूटोरियलों, सेमिनारों, प्रायोगिक कक्षाओं, आदि को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो कुल व्याख्यानों, ट्यूटोरियलों, सेमिनारों, प्रायोगिक कक्षाओं तथा किसी अन्य निर्धारित अपेक्षा की कुल संख्या के औसतन 75 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

(च) यह सच नहीं है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। शिक्षा के लगभग प्रत्येक पैरामीटर में प्रगति हुई है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त प्रयासों के माध्यम से सभी स्तरों पर शिक्षा में समता एवं गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे प्रयासों में बुनियादी सुविधा प्रदान करना, अध्ययन अध्यापन सामग्री की आपूर्ति, पाठ्यचर्या में समय-समय पर संशोधन, नये तथा उभरते क्षेत्रों वाले विषय का अध्यापन प्रारंभ करना, मूल्यपरक शिक्षा, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा तैनाती और परीक्षा प्रणाली में सुधार शामिल है। इस बात का प्रमाण बुनियादी सुविधाओं तथा साक्षरता दरों में सुधार के साथ-साथ अधिकाधिक नामांकनों और भारतीय शिक्षा के कतिपय क्षेत्रों के लिए अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय के रूप में मिलता है।

प्रति व्यक्ति आय

***327. श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय घट कर आधी रह गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य-वार प्रति व्यक्ति आय कितनी थी और वर्तमान में कितनी है;

(घ) प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पड़ोसी विकासशील देशों के मुकाबले भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(छ) सरकार द्वारा देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1995-96 और 2000-01 के दौरान प्रचलित और स्थिर (1993-94) दोनों मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय के राज्य-वार अनुमान दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) चूंकि प्रति व्यक्ति आय में गिरावट नहीं हुई है, अत: प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत में प्रति व्यक्ति आय भूटान, चीन, मालदीव और श्रीलंका के प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है।

(च) वर्ष 2001 में पड़ोसी विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के अनुमान निम्नानुसार हैं:

भारत और पड़ोसी विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, 2001

(यू एस डालर में)

देश का नाम	प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय
बंगलादेश	360.0
भूटान	640.0
चीन	890.0
भारत	460.0
मालदीव	2000.0
नेपाल	250.0
पाकिस्तान	420.0
श्रीलंका	880.0

स्रोत: विश्व बैंक वेबसाइट

(छ) 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर प्राप्त करना है। वृद्धि की दर में बढ़ोत्तरी एवं इसके द्वारा प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में दिये गये मुख्य उपायों में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर, सार्वजनिक निवेश में वृद्धि एवं विनिर्माण क्षेत्र में बेहतर क्षमता उपयोग शामिल हैं। वृद्धि की दर में बढ़ोत्तरी से जनता के जीवन की गुणवत्ता एवं उनके आय स्तरों में सतत् सुधार की संभावना है।

विवरण

प्रचलित तथा स्थिर (1993-94) मूल्यों पर 1995-96 तथा 2000-01 के लिए प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (प्रति व्यक्ति आय) का अनुमान

8 अगस्त, 2003 को

(रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995-96		2000-2001(अ)	
		स्थिर मूल्यों पर	चालू मूल्यों पर	स्थिर मूल्यों पर	चालू मूल्यों पर
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8086	10018	10059	16562
2.	अरुणाचल प्रदेश	9352	10956	9575	15640
3.	असम	5760	7001	5867	10467
4.	बिहार	2728	3041	3345	5108

1	2	3	4	5	6
5.	झारखंड	6105	6905	उ.न.	9017
6.	गोवा	17929	22207	27787	46075
7.	गुजरात	11649	13665	12975	19228
8.	हरियाणा	11545	14213	13759	23057
9.	हिमाचल प्रदेश	8801	10607	10942	18920
10.	जम्मू और कश्मीर	6732	77837	385	12781
11.	कर्नाटक	8368	10217	11910	18041
12.	केरल	8748	11469	10627	19463
13.	मध्य प्रदेश	6790	7809	7198	10666
14.	छत्तीसगढ़	6474	7479	6567	10580
15.	महाराष्ट्र	13221	16152	14335	22179
16.	मणिपुर	5612	6875	7955	12823
17.	मेघालय	7537	8644	9427	14654
18.	मिजोरम	उ.न.	10953	उ.न.	18491
19.	नागालैंड	9646	11057	उ.न.	उ.न.
20.	उड़ीसा	5204	6985	5663	9273
21.	पंजाब	13008	15471	15390	25048
22.	राजस्थान	7216	8467	8165	12557
23.	सिक्किम	7633	8905	उ.न.	15550
24.	तमिलनाडु	10146	18818	12944	20367
25.	त्रिपुरा	5707	6828	8372	14348
26.	उत्तर प्रदेश	5229	6299	5770	9721
27.	उत्तरांचल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
28.	पश्चिम बंगाल	7492	9041	9765	16115
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15317	18580	15831	24563
30.	चंडीगढ़	22524	26734	29208	44397

1	2	3	4	5	6
31.	दिल्ली	18998	22364	24450	38864
32.	पांडिचेरी	9873	12276	18500	31358
	अखिल भारत प्रति व्यक्ति एन एन पी	8489	10149	10306	16707

स्रोत: क्र.सं. 1 से 32 के लिए-राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के अपने-अपने अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय तथा अखिल भारत के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

उ.न.: उपलब्ध नहीं

अ: अनन्तिम।

दिल्ली, मुंबई और पुणे में टेलीफोनों का खराब रहना

*328. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली, मुंबई और पुणे में टेलीफोन खराब रहने की घटनाएं बढ़ी हैं और बार-बार अनुरोध के बावजूद शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई नहीं की जा रही है;

(ख) क्या दो या तीन दिन के भीतर खराबी ठीक न होने पर शिकायतें दर्ज करने हेतु कोई विशेष प्रकोष्ठ है;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. द्वारा उपलब्ध कराई जा रही खराब सेवा के कारण लैण्डलाइन के कई उपभोक्ता अपने फोन वापस कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी को और प्रभावी बनाने तथा दो या तीन दिन के भीतर खराबी ठीक न होने पर शिकायत दर्ज करने हेतु एक और प्रकोष्ठ खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या दो या तीन दिन के भीतर शिकायतों पर कार्यवाही न किये जाने का अलग रिकार्ड रखने और दोषी अधिकारियों को दंडित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं। दिल्ली, मुंबई और पुणे में दोष-दर में आमतौर पर कमी आई है। शिकायतों की ओर भी तत्परता से ध्यान दिया जाता है।

(ख) जी, हां। ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय महाप्रबंधक के अधीन विशेष प्रकोष्ठ कार्यरत हैं। इसके अलावा, ग्राहक विभिन्न अधिकारियों, जैसे उप-मंडलीय अधिकारी, मडंलीय इंजीनियर, क्षेत्रीय प्रबंधक, महाप्रबंधक तथा उच्च स्तरीय अधिकारियों तक जा सकते हैं।

(ग) सेवा की गुणवत्ता का दोषपूर्ण होना ही टेलीफोन वापस करने का कारण नहीं होता है। नवम्बर, 2002 से जनवरी, 2003 के दौरान एमटीएनएल, मुंबई द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों के अनुसार इसके पीछे निम्नलिखित कारण हैं:

(1) सेवा में सुधार होने के कारण दूसरा फोन वापस करना।

(2) डब्ल्यूएलएल (वायरलैस इन लोकल लूप) अथवा जीएसएम (ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशन) कनैक्शन लेना।

(3) कार्यालयों/स्थापनाओं का बंद हो जाना।

(4) आर्थिक कारणों से फोन वापस करना।

(5) निवास स्थान/कार्यालय बदलना।

(6) आंशिक तौर पर अन्य प्रचालकों से सेवा प्राप्त करना, ताकि दो प्राचलकों से सेवा ली जा सके।

(घ) एमटीएनएल और बीएसएनएल के निष्पादन को अधिक सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

(1) दोष दर्ज कराने के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रणाली शुरू की गई है, जिससे बुकिंग करने, परीक्षण करने तथा संबंधित लाइन स्टाफ को दोष की जानकारी देने में मदद मिलती है।

(2) लाइन स्टाफ को पेजर उपलब्ध कराए गए हैं ताकि उनसे आसानी से संपर्क किया जा सके और दोषों के त्वरित निपटान हेतु परीक्षण स्टाफ के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके।

(3) लाइन स्टाफ सहित सभी फील्ड अधिकारियों के लिए सप्ताह में छः कार्यदिवस रखे गए हैं।

(4) क्षेत्रीय प्रबंधकों से प्रत्येक कार्य-दिवस में सायं 3 बजे से सायं 5 बजे तक बिना पूर्व-सूचना के मिला जा सकता है।

(ङ) और (च) दिल्ली, मुंबई तथा पुणे के प्रत्येक एक्सचेंज में एक कम्प्यूटरीकृत दोष-मरम्मत सेवा मौजूद है, जिसमें लंबित दोषों का अवधि-वार ब्यौरा होता है। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में 24 घंटे से अधिक समय तक, 48 घंटों तक, 3 दिनों तक और एक सप्ताह से अधिक रहने वाले दोषों से संबंधित आंकड़े अवधिवार तैयार किये जाते हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक तथा क्षेत्रीय महाप्रबंधक दैनिक आधार पर इनकी ओर ध्यान देते हैं। सात दिन से अधिक समय तक खराब रहे टेलीफोनों के मामले में मासिक किराए में स्वतः ही छूट दे दी जाती है। विलंब के कारणों की सम्यक जांच के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

मिनरल वॉटर में कीटनाशक

***329. श्री विक्रम केशरी देव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा निर्मित बोतल बंद मिनरल वॉटर में 5 प्रतिशत कीटनाशक अवशिष्टों की मिलावट की खबर मिली है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) एन.जी.ओ., सेंटर फार साईस एण्ड एनवाईरनमेंट, नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि बोतल बन्द पेयजल में 0.0015 मि.ग्रा. प्रति लीटर से 0.0522 मि.ग्रा. प्रति लीटर पेस्टीसाइड मौजूद थे जो निर्धारित सीमा (ई.यू.) से अधिक है।

भारत सरकार की अधिसूचना जी.एस.आर. 554(ई), दिनांक 18.7.2003 द्वारा बोतल बन्द पेयजल के मानकों में पेस्टीसाईड की अपेक्षित मात्रा में संशोधन किया गया है जिसमें व्यक्तिगत पेस्टीसाईड के लिए 0.0001 मि.ग्रा./लीटर तथा कुल पेस्टीसाईड के लिए 0.0005 मि.ग्रा./प्रति लीटर का स्तर निर्धारित किया गया है। ये अपेक्षाएं (रिक्वायरमेंट) 1.1.2004 से लागू होंगी।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

***330. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक राज्य को कुल कितनी अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त अवधि के दौरान कुछ राज्यों ने अनुदान का ठीक से उपयोग नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा छोटे परिवार के आदर्श को अपनाने हेतु लोगों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा राज्यों को निम्नलिखित के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं: (1) आधारभूत ढांचे के लिए (वेतन, किराया, आकस्मिक खर्च के लिए नगद गर्भनिरोधकों, औषधों, वैक्सीनों के लिए सामग्री रूप में, तथा नसबंदी के लिए मुआवजा) और (2) अन्य कार्यक्रम (प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरसीएच), सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण (आई ई सी); क्षेत्र परियोजनाएं; राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना (एन एम बी एस); और अधिकार प्राप्त कार्यदल (ई ए जी)। पिछले तीन वर्षों 2000-2001 से 2002-2003 के दौरान जारी की निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राज्यों द्वारा आधारभूत सुविधाओं के लिए जारी की गई पूरी धनराशि प्रायः खर्च कर ली जाती है और उनके द्वारा जारी की गई निधियों से अधिक खर्च की गई धनराशि की राज्यों द्वारा व्यय के लेखापरीक्षित विवरणों को प्रस्तुत करते समय बकाया राशि के रूप में दावा किया जाता है। तथापि, अन्य कार्यक्रमों के संबंध में राज्य जारी किए गए अनुदानों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं और इससे उनके पास खर्च न की गई राशि पड़ी रहती है। उपाबंध में दिए गए ब्यौरे में अन्य कार्यक्रमों के लिए जारी किया अनुदान और राज्यों द्वारा सूचित व्यय भी दर्शाया गया है।

(ङ) सरकार ने बढ़ती जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 को अपनाए जाने के बाद से कई पहलें की हैं। सामाजिक जनांकिकीय रूप से पिछड़े आठ राज्यों, अर्थात बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा और राजस्थान की विशिष्ट जरूरतों (अनमेटनीडस) को पूरा करने के लिए एक अधिकार प्राप्त कार्य दल बनाया गया है। विशेष रूप से जनांकिकी रूप से कमजोर राज्यों में ग्रामीण स्तर पर प्राथमिकी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की पहुंच में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं की प्रदानगी में लगी संस्थाओं की मौजूदा कमियों को दूर किया जा रहा है। नसबंदी और आई यू डी निवेशन के स्वीकारकर्त्ताओं के लिए मुआवजे की राशि भी काफी बढ़ा दी गई है। आई यू डी 380ए और आपाती गर्भनिरोधक गोलियां जैसे नए गर्भनिरोधक इस कार्यक्रम में शामिल किये गये हैं।

शिशु-मृत्यु और मातृ-मृत्यु में कमी लाने के लिए प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं में नवजात शिशु और मातृ परिचर्या में सुधार लाने के लिए कई पहलें की गई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं—राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, कर्मचारियों की ठेके पर नियुक्ति (ए एन एम, जनस्वास्थ्य नर्स, सुरक्षित मातृत्व परामर्शदाता) आदि। गैर-सरकारी संगठनों को अधिक सार्थक ढंग से शामिल करने के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है ताकि गैर-सरकारी संगठन प्रचार के बजाए सेवा प्रदानगी कार्य कर सकें। जनसंख्या स्थिरीकरण में योगदान देने के लिए विशेष रूप से तैयार सहायता परियोजनाओं के वास्ते राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों, निगमित क्षेत्र, उद्योग, व्यापार संगठनों और व्यक्तियों से धन जुटाने के लिए 100 करोड़ रुपये की मूल राशि से परिवार कल्याण विभाग में जनसंख्या स्थिरता कोष स्थापित किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों 2000-01 से 2002-03 के दौरान आधारभूत सुविधाओं (नसबंदी के लिए मुआवजे तथा सामग्री सहित) तथा अन्य कार्यक्रमों (आर सी एच, एरिया प्रोजेक्ट, आई ई सी, एन एम बी एस तथा ई ए जी) के लिए राज्यवार जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	आधारभूत सुविधाएं				अन्य कार्यक्रम				
		2000-01	2001-02	2002-03	कुल	2000-01	2001-02	2002-03	कुल जारी धनराशि	अन्य कार्यक्रमों के लिए जारी कुल निधियों में से सूचित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	12792.20	14080.39	16895.04	43767.63	5747.89	5382.93	2863.33	13994.15	9900.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	379.17	548.77	487.44	1415.38	192.40	194.87	335.65	722.92	458.46
3.	असम	7693.03	11039.42	13444.15	32176.60	2835.39	3203.98	897.29	6936.66	6013.43
4.	बिहार	18024.50	13876.73	1832.84	50244.07	2798.06	2407.59	4392.11	9597.76	2663.28
5.	छत्तीसगढ़	0.00	5093.50	6266.82	11360.32	314.10	1145.93	823.02	2283.05	305.06
6.	गोवा	385.83	341.32	153.35	880.50	27.45	39.71	30.57	97.73	91.84
7.	गुजरात	10479.94	11066.35	12574.04	34120.33	1374.81	8232.46	1754.02	11361.29	4479.69
8.	हरियाणा	4115.68	4221.42	4556.41	12893.51	1727.14	1327.67	1348.88	4403.69	3054.71
9.	हिमाचल प्रदेश	2405.21	2658.33	3202.69	8266.23	459.28	286.72	464.04	1210.04	995.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	जम्मू व कश्मीर	2448.41	2661.76	2812.94	7923.11	579.59	353.66	399.80	1333.05	817.51
11.	झारखंड	0.00	6970.85	7375.96	14346.81	37.00	914.93	1015.06	1966.99	0.00
12.	कर्नाटक	10582.62	11442.08	15415.17	37439.87	5662.01	7252.59	2885.55	15800.15	12966.03
13.	केरल	6995.28	7176.35	7377.79	21549.42	1230.36	1325.13	1007.42	3562.91	3415.98
14.	मध्य प्रदेश	16297.93	12376.53	10894.87	39569.33	3791.78	3499.37	3167.23	10458.38	6365.21
15.	महाराष्ट्र	16250.15	17544.21	20308.94	54103.30	1361.35	4619.57	3761.90	9742.82	4975.60
16.	मणिपुर	1087.50	1636.48	1475.16	4199.14	438.39	920.13	233.11	1591.63	1452.57
17.	मेघालय	764.29	1185.78	1175.70	3125.77	88.95	204.20	118.58	411.73	350.92
18.	मिजोरम	505.42	873.80	875.24	2254.46	750.86	790.47	736.27	2277.60	1761.27
19.	नागालैंड	530.27	796.34	954.24	2280.85	168.81	177.45	285.11	631.37	373.91
20.	उड़ीसा	7582.67	8935.83	8805.90	25324.40	1869.88	3594.29	1185.09	6649.26	3614.29
21.	पंजाब	4362.60	4611.20	2458.08	11431.88	759.91	743.25	387.79	1890.95	1854.96
22.	राजस्थान	13034.87	13214.32	16119.60	42368.79	4918.98	6845.33	3276.08	15040.39	10789.01
23.	सिक्किम	445.57	739.22	548.31	1733.10	56.83	94.48	113.99	265.30	132.16
24.	तमिलनाडु	11617.21	13076.15	14703.65	39397.01	4238.56	2825.48	2145.87	9209.91	4063.46
25.	त्रिपुरा	1082.43	1677.99	1459.83	4220.25	194.02	539.59	251.6	984.77	462.44
26.	उत्तर प्रदेश	31204.15	30424.64	35952.25	97581.04	10212.67	13080.28	14673.94	37966.89	30253.43
27.	उत्तरांचल	0.00	3778.19	2811.56	6589.75	208.59	632.88	457.21	1298.68	403.62
28.	पश्चिम बंगाल	12080.77	13305.07	14202.80	39588.6	3951.70	4049.46	1592.80	9593.96	9958.89*
	कुल सभी राज्य	193147.70	215353.02	241650.77	650151.49	55996.76	74684.40	50602.87	181284.03	121973.77
विधान मण्डल वाले संघ राज्य:										
1.	दिल्ली	1802.81	2090.42	1103.78	4997.01	2332.46	1268.59	768.57	6369.62	4899.59*
2.	पांडिचेरी	463.76	487.57	452.16	1403.49	34.29	34.35	33.54	102.18	128.40*
बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य:										
1.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1802.81	2090.42	1103.78	4997.01	2332.46	1268.59	768.57	4369.62	78.58
2.	चंडीगढ़	237.71	246.67	369.16	853.54	124.43	31.70	29.17	185.30	70.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	दादर और नगर हवेली	70.85	67.89	81.99	220.73	14.31	25.43	19.06	58.80	40.38
4.	दमन व दीव	81.54	93.71	124.27	299.52	11.15	19.74	43.21	74.10	36.95
5.	लक्षद्वीप	43.20	55.45	58.07	156.72	29.14	20.60	16.35	66.09	35.84
	कुल (संघ क्षेत्र)	2920.48	3280.39	2599.66	8800.53	2588.93	1548.00	937.37	5074.31	5290.66
	कुल योग	196068.18	218633.41	244250.43	658952.02	58585.70	76232.40	51540.24	186358.34	127264.43

पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर की प्रगति

***331. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सौराष्ट्र ने सिल्चर तक पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस कॉरीडोर परियोजना में अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) इस बात की निगरानी के लिए कि कितनी धनराशि खर्च की गई है, इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है, कार्य की गुणवत्ता कैसी है आदि के लिए क्या कोई निगरानी तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस कॉरीडोर के अंतिम छोर को जोड़ने वाले राजमार्गों में सुधार करने का कोई प्रावधान है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत पूर्व-पश्चिम महामार्ग की प्रगति इस प्रकार है:

कुल लंबाई	–	3491 कि.मी.
(स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल 149 कि.मी. को छोड़कर)		
कार्यान्वयन के अधीन	–	185 कि.मी.
पहले से ही चार लेन	–	106 कि.मी.
सौंपे जाने के लिए शेष	–	3200 कि.मी.
पूरा करने का लक्ष्य	–	दिसम्बर, 2007

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अब तक 631.21 करोड़ रु. खर्च किये जा चुके हैं।

(ग) और (घ) खर्च धनराशि, कार्य की प्रगति और कार्य की गुणता के लिए निम्नलिखित निगरानी तंत्र है।

(1) निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए पर्यवेक्षी परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं तथा वे व्यय, प्रगति और कार्य की गुणता पर दिन-प्रतिदिन निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

(2) परियोजना कार्यान्वयन यूनिट में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का परियोजना निदेशक दैनिक आधार पर परियोजनाओं पर निगरानी रखता है।

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय द्वारा दैनिक/साप्ताहिक/मासिक रिपोर्टों और निरीक्षणों के माध्यम से परियोजनाओं पर निगरानी रखी जाती है।

(4) माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा भी नियमित आधार पर परियोजनाओं पर निगरानी रखी जाती है।

(ङ) और (च) पूर्व पश्चिम महामार्ग के छोर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, यह कार्य धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन सामान्य आधार पर किया जाता है।

नाल्को का विनिवेश

***332. श्री टी.एम. सेल्वागनपति:**
श्री विनय कुमार सोराके:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल एल्युमनियम कंपनी समेत विभिन्न सरकारी उपक्रमों का विनिवेश रोकने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सरकारी उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है और लाभ में चलने वाले सरकारी उपक्रमों के विनिवेश का क्या औचित्य है;

(ग) क्या उक्त निर्णय से निविदा तैयार करने और संभावित लागत का मूल्यांकन करने में काफी समय और धन खर्च करने वाली कंपनियों के सामने भविष्य में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की योजना उन कंपनियों के संबंध में स्पष्ट नीति की घोषणा करने की है जिनका विनिवेश रोक दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, नहीं। विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर विराम नहीं लगाया गया है। तथापि, स्थानीय गतिरोध से उत्पन्न हुई स्थिति के कारण, जिसने नाल्को के मामले में विधिवत अध्यवसाय को बाधित किया था, फिलहाल विनिवेश का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। सरकार की नीति के अनुसार भारतीय तेल कम्पनी (आईओसी), तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी (ओएनजीसी) तथा भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) जिनमें सरकारी धारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं की जाएगी, को छोड़कर सभी गैर-महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश किया जाना है, चाहे वे लाभ अर्जित कर रहे हों अथवा घाटे में चल रहे हों। ऑयल इंडिया लिमिटेड का भी विनिवेश नहीं होना है।

(ग) से (ङ) नाल्को ही एकमात्र ऐसा मामला है, जिसमें विनिवेश करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था परन्तु उस निर्णय का फिलहाल अनुसरण नहीं हो पा रहा है। विनिवेश संबंधी सरकार की नीति स्पष्ट और असंदिग्ध है। ऐसे 45 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जिनमें विनिवेश का निर्णय क्रियान्वित किया जा रहा है, जबकि 2 अन्य मामलों में यद्यपि विनिवेश प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, परन्तु इन सौदों को उच्चतम न्यायालय तथा औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड से निर्णयों की प्रतीक्षा है।

क्षय रोग

***333. श्री नरेश पुगलिया:**
श्री वाई.वी. राव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में जारी की गई विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 45 लाख से भी अधिक लोग क्षय रोग से पीड़ित हैं, जो विश्व में सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में प्रतिवर्ष 18 लाख नए मामलों का पता चलता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र पर कम वित्तपोषण करने का दोषी ठहराया है और कहा है कि जब तक सरकारी और निजी क्षेत्र के चिकित्सक मिलकर कार्य नहीं करते, यह बीमारी फैलती रहेगी;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार क्षय रोग के उपचार की नई प्रणाली शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (च) जी, हां। विश्वभर के क्षय रोगियों में से लगभग 1/3 क्षयरोगी भारत में हैं। यह अनुमान है कि देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 20 लाख नए क्षयरोगी होते हैं जिनमें से 12 लाख क्षय रोगियों की पहचान कर ली जाती है और उनको राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उपचार पर रखा जाता है। बाकी के रोगी निजी क्षेत्र में रिपोर्ट करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमानित भारत में क्षयरोग की घटनाएं कई उच्च भार वाले देशों की घटना दरों से कम है परन्तु भारत में जनसंख्या का आकार बड़ा होने के कारण देश में रोगियों की वास्तविक संख्या ज्यादा है।

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) के कार्यान्वयन के लिए निधियां पर्याप्त हैं।

रोग को नियंत्रित करने के लिए देश में वर्ष 1962 से राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए नए स्पूटम पाजिटिव रोगियों की 85% रोगमुक्ति दर प्राप्त करने और ऐसे रोगियों का कम से कम 70% तक पता लगाने के उद्देश्य से पूरे देश में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे व्यापक रूप से डाट्स (डी.ओ.टी.एस.) के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसित कार्यनीति है, का चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन किया जा रहा है। एक्स-रे की बजाए स्पूटम माइक्रोस्कोपी द्वारा निदान प्राथमिकता पर संक्रमित रोगियों की पहचान करने और उनको रोगमुक्त करने में सहायता करता है। स्पूटम माइक्रोस्कोपी

द्वारा निदान के लिए सुविधाओं को विकेन्द्रीकृत और सुदृढ़ किया गया है। पर्यवेक्षण के अंतर्गत रोगियों को औषधियां दी जाती हैं और रोगियों की मानीटरिंग की जाती है ताकि वे अपना उपचार पूरा कर लें। रोगी-वार रखे बाक्सों में औषधियां मुफ्त प्रदान की जाती हैं।

परियोजना जिलों ने 80% से ज्यादा की रोगमुक्ति दर सूचित की है, जिसका अर्थ यह है कि संशोधित कार्यनीति के अंतर्गत निदान किये गये और उपचाराधीन लाए गए प्रति 10 रोगियों में से 8 से अधिक रोगियों का सफलतापूर्वक उपचार होता है।

इस कार्यक्रम को जनसंख्या के ज्यादा भागों तक अधिक सुलभ बनाने के लिए और इस दिशा में सरकार के प्रयासों को अनुपूरित करने के लिए इस कार्यक्रम में मेडिकल कालेजों, सभी सामान्य (जनरल) अस्पतालों, निजी प्रेक्टिशनरों और गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है।

देश में डाट्स की कवरेज को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 1998 में 2 करोड़ की कवरेज से बढ़कर वर्तमान में लगभग 70 करोड़ जनसंख्या कवर की जा चुकी है। संशोधित कार्यनीति के अंतर्गत 2004 तक 85 करोड़ जनसंख्या को तथा 2005 तक संपूर्ण देश को कवर करने की परिकल्पना है।

एस.सी.आई. का विनिवेश

***334. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश संबंधी कैबिनेट समिति ने 51 प्रतिशत एस.सी.आइ. हिस्सेदारी के लिए नई निविदाएं (ई.ओ.आई.) आमंत्रित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एस.सी.आई. के लिए 25 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहले की सीमा समाप्त कर दी गई है;

(ग) क्या इस निर्णय से विदेशी कंपनियां एस.सी.आई. में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी या अधिकांश हिस्सेदारी के लिए बोली लग सकती है: और

(घ) यदि हां, तो इससे पोत परिवहन उद्योग को कितनी मदद मिलेगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भागीदारिता संबंधी पहले की सीमा को हटाने से, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश की शर्तें नौ-परिवहन क्षेत्र के लिए मौजूदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुरूप हो जाएंगी।

बुनियादी (लैंडलाइन) फोन कनेक्शनों में कमी

***335. श्री अवतार सिंह भडाना:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में गत एक वर्ष के दौरान बुनियादी (लैंडलाइन) टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो बीएसएनएल कनेक्शनों के संबंध में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान दिल्ली तथा मुम्बई में वापस किये गये अथवा काटे गए टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एमटीएनएल तथा बीएसएनएल के बुनियादी (लैंडलाइन) टेलीफोन कनेक्शनों में कमी उनके द्वारा प्रदान की गई खराब सेवाओं के कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में उनकी सेवाओं में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं। एमटीएनएल और बीएसएनएल के डब्ल्यूएलएल सहित लैंडलाइन कनेक्शनों की संख्या में वर्ष 2002-03 के दौरान कोई कमी नहीं आई। 31.3.2002 और 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार इन दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के डब्ल्यूएलएल सहित लैंडलाइन कनेक्शनों की संख्या नीचे दी गई है:

यूनिट	31.3.2002 की स्थिति के अनुसार लैंडलाइन कनेक्शनों की संख्या (लाख में)	31.3.2003 की स्थिति के अनुसार लैंडलाइन कनेक्शनों की संख्या (लाख में)	2002-03 के दौरान वृद्धि (लाख में)
एमटीएनएल	45.42	46.90	1.48
बीएसएनएल	334.01	359.33	25.32

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान दिल्ली और मुम्बई में वापस किये गये या कटवाए गए टेलीफोनों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:

दिल्ली-1,51,558 और मुम्बई-2,08,606

(घ) और (ङ) जी, नहीं। लैंडलाइन फोनों को कटवाने/वापस करने के संभावित कारण निम्नलिखित हैं:

* लैंडलाइन फोनों के बदले सेल्युलर फोन लेना
* फोनों की उपलब्धता और विश्वसनीयता में वृद्धि होने के कारण फालतू टेलीफोनों को वापस करना
* सामान्य श्रेणी में टेलीफोनों की उपलब्धता में वृद्धि होने के कारण ओवाईटी और तत्काल श्रेणी के टेलीफोनों को वापस करके जमाराशि वापस प्राप्त कर लेना
* उपभोक्ताओं का आंशिक रूप से निजी प्रचालकों की ओर आकर्षित होना
* किसी अन्य एसएसए में शिफ्ट करने के लिए किसी विशेष एसएसए में टेलीफोनों को कटवाना (इसे उस विशेष एसएसए में टेलीफोन को वापस करना माना जाता है और इसे अखिल भारतीय शिफ्ट के रूप में भी जाना जाता है)
* कुछ व्यावसायिक संस्थाओं का कार्य-निष्पादन वित्तीय दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है जिसके कारण वे संस्थाएं टेलीफोन वापस कर रही हैं।

एमटीएनएल और बीएसएनएल ने अपनी सेवाओं में और सुधार लाने के लिए अनेक उपाय शुरू किये हैं। इन उपायों का उद्देश्य विश्वसनीयता में वृद्धि करना और सेवा को उपभोक्ताओं के अनुकूल तथा बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने योग्य बनाना है।

एच.आई.वी./टी.बी. के मामले

***336. श्री माणिकराव होडल्या गावित:**
श्री रतन लाल कटारिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में टी.बी. से ग्रस्त दो लाख से भी अधिक एच.आई.वी. पीड़ितों के संबंध में गम्भीर चिंता व्यक्त करते हुए भारत को चेताया है कि यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भारत को एच.आई.वी. और टी.बी. के एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा, जैसाकि दिनांक 21 जुलाई, 2003 के राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संकट से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिनांक 15 जुलाई, 2003 की प्रेस विज्ञप्ति में विकासशील देशों में एच.आई.वी. से ग्रस्त लोगों के लिए मुफ्त क्षयरोग रोधी औषधों तथा अच्छी परिचर्या की व्यापक उपलब्धता के साथ-साथ एंटी-रिट्रोवाइरल बढ़ाने के लिए नए प्रयासों की अपेक्षा की है। इस समय क्षयरोग, एड्स से ग्रस्त लोगों की मौत का सबसे बड़ा कारण है। क्षयरोग-रोधी औषधें औषधों (आइसोनियाजिड रिफैम्पिसिन, पाइरेजिनामाईड तथा इथाम्बुटोल) का मिश्रण है, जब इसका सेवन उचित रूप से किया जाता है तो क्षयरोग से रोगमुक्त करने में यह 95% से अधिक प्रभावी होती है, चाहे व्यक्ति की एच.आई.वी. की स्थिति कैसी भी हो।

विश्व में क्षयरोगियों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। यहां पहले ही एच.आई.वी. से ग्रस्त 180,000 भारतीय हैं जो क्षयरोग से भी संक्रमित हैं। भारत में डाट्स कार्यक्रम विश्व के सर्वाधिक तेजी से फैलने वाले कार्यक्रमों में से एक है। डाट्स कार्यनीति के माध्यम से प्रयोग की जाने वाली क्षयरोगरोधी औषधें एच.आई.वी. से ग्रस्त लोगों की आयु बढ़ा सकती है।

एच.आई.वी. तथा क्षयरोग की दोहरी महामारी से उत्पन्न गंभीर खतरे की पहचान करते हुए, भारत सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही डाट्स कार्यनीति अपनायी है और क्षयरोग तथा एच.आई.वी., दोनों के उपचार में सुधार हुआ है।

एच.आई.वी. संक्रमण की उच्च व्याप्तता वाले राज्यों को संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) की कवरेज हेतु प्राथमिकता दी गई है। नवम्बर, 2001 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन तथा केन्द्रीय क्षयरोग प्रभाग (आर.एन.टी.सी.पी.) के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार) के बीच एच.आई.वी./क्षयरोग कार्यक्रम के समन्वय संबंधी एक संयुक्त कार्य योजना विकसित की गई। यद्यपि आरंभिक बल छह उच्च व्याप्तता वाले राज्यों पर दिया गया, तथापि अन्य राज्यों को कवर करने के लिए संयुक्त कार्य योजना का धीरे-धीरे चरणबद्ध ढंग से विस्तार किया जा रहा है।

आवश्यक औषधियों की कीमतें

*337. **श्री खगेन दास:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जोहान्सबर्ग में आयोजित गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह प्रस्ताव किया था कि विकासशील देश कम कीमतों पर औषधियों के उत्पादन और विपणन में कानून और प्रशासन की दृष्टि से एक दूसरे की मदद करें;

(ख) यदि हां, तो अन्य कंपनियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में कम कीमतों पर आवश्यक औषधियों के उत्पादन हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) गुट-निरपेक्ष देशों के स्वास्थ्य मंत्री, वहनीय मूल्यों पर अनिवार्य दवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने सहित स्वास्थ्य नीति संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मार्च, 2001 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में एकत्र हुए थे। सभी स्वास्थ्य मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि जीवन रक्षक तथा अनिवार्य दवाओं तक पहुंच की रक्षा करने तथा इसे आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय कानूनों तथा अन्तरराष्ट्रीय करारों के साथ सामंजस्य रख कर अन्तरराष्ट्रीय करारों के तहत अनिवार्य रूप से लाइसेंस देने की व्यवस्था करने तथा इनके समानान्तर आयात करने सहित इन देशों को उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करने संबंधी उनके प्रयासों में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इन मंत्रियों ने एच.आई.वी./एड्स से संबंधित औषधों के विशेष सन्दर्भ में दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए अवसरों को ढूंढने तथा उनका विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया।

रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय भैषजिक मूल्य निर्धारक प्राधिकरण (नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथोरिटी) औषध नियंत्रण मूल्य आदेश को लागू करता है। समय-समय पर यथासंशोधित औषध नीति उचित मूल्यों पर गुणवत्ता वाली औषधों की प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में ध्यान देती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह संस्तुति की थी कि अनिवार्य औषधें मूल्य नियंत्रण अथवा मूल्य अनुवीक्षण (मानिटरिंग) की योजना के अधीन होनी चाहिएं। हाल ही में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनिवार्य औषधों की सूची 279 से बढ़ाकर 354 कर दी है।

भारत के सांस्कृतिक संबंध

*338. **श्री अनंत गुढ़े:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के दूसरे देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों के बारे में कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने विदेश में उत्कृष्ट कार्य किया है;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान परिषद पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने परिषद द्वारा किये गये व्यय की समीक्षा की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): '(क) से (छ) भारत की बाहरी सांस्कृतिक संबंध नीति का उद्देश्य भारत की धनी और विविध सांस्कृतिक विरासत को वर्णित करना तथा सांस्कृतिक संबंधों और अन्य देशों के साथ परस्पर समझबूझ को प्रगाढ़ करना है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इस नीति को क्रियान्वत करने के लिए मूल अभिकरण है जिसके लिए वह व्यापक कार्यकलाप निष्पादित करती है जैसे सांस्कृतिक शिष्टमंडलों तथा गणमान्य अतिथियों का आदान-प्रदान, प्रदर्शनियों का आयोजन, विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना, सांस्कृतिक महत्ता की गोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन करना, इत्यादि।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भारत की बाहरी सांस्कृतिक संबंध नीति क्रियान्वित करने में सफल रही है। 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान, परिषद ने विभिन्न देशों के लिए क्रमशः 53 और 78 भारतीय मंचीय कलाकारों/समूहों की यात्राओं को प्रायोजित किया। इनमें अनेक कलाकारों/समूहों ने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों/उत्सवों में भी भाग लिया। बौद्धिक आदान-प्रदानों को बढ़ावा देने के लिए, परिषद ने 2001-2002 और 2002-2003 में क्रमशः विदेशों में 38 और 45 प्रमुख भारतीयों की यात्राओं को प्रायोजित किया ताकि वे व्याख्यान दे सकें और अन्य देशों में

अपने समकक्षों के साथ अन्योन्यक्रिया कर सकें। विभिन्न देशों में चार प्रमुख प्रदर्शनियों को लगाने के अलावा, परिषद ने विभिन्न देशों में प्रमुख स्थानों पर स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं की अर्ध प्रतिमाओं और पूर्ण आकार प्रतिमाओं को भी लगाया और भेजा। अपने उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, परिषद ने विदेशों में पन्द्रह सांस्कृतिक केन्द्रों का रख-रखाव भी किया।

परिषद ने 2001-02 के दौरान 39.74 करोड़ रुपये की धनराशि तथा 2002-03 के दौरान 44.80 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की है।

परिषद के खर्चों की इसकी वित्त समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है, जिसमें विदेश मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार शामिल हैं। परिषद के व्ययों की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा भी लेखा-परीक्षा की जाती है। आवधिक समीक्षाओं के आधार पर आई सी सी आर के लिए बजटीय आबंटन वर्ष 2002-03 के लिए 42.00 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2003-04 के लिए 54.50 करोड़ रुपये हो गया है।

आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त समझौते

*339. **श्री सुकदेव पासवान:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आतंकवाद गतिविधियों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई शुरू करने के लिए भूटान, म्यामार और बंगलादेश के साथ किसी समझौते/ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नेपाल के साथ भी किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन समझौतों से आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में कितनी मदद मिलेगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) से (घ) जी नहीं। हमने भूटान, म्यांमां, बंगलादेश और नेपाल के साथ आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने संबंधी किसी करार/समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, इन सभी देशों के साथ द्विपक्षीय मंचों पर आतंकवादियों और बागियों की गतिविधियां से संबंधित हित-चिन्ताओं पर हमारी चर्चा हुई है। हम इन गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए हमें सहयोग देने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देते हैं।

मिलावटी पेप्सी और कोक पेय

*340. **श्री के. मलयसामी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेप्सी और कोक पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उनमें शौचालयों की सफाई हेतु सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला एसेट्रिक एसिड होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) एसेट्रिक अम्ल अम्लों की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अधीन साफ्ट ड्रिंक्स में प्रयोग किये जाने हेतु अनुमत्य अम्ल साइट्रिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, टारटेरिक अम्ल, फासफोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सोरबिक अम्ल तथा मौलिक अम्ल हैं। ये अम्ल अमलीकरण करने वाले अभिकर्मकों और बफरिंग तथा निष्प्रभावित करने वाले अभिकर्मकों के रूप में भी अनुमत हैं।

ये अम्ल विभिन्न खाद्य उत्पादों में प्रयोग किये जाने हेतु कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा अनुमोदित किये गये हैं।

मस्जिद मोठ के निकट निर्माण

2760. **श्रीमती प्रभा राव:**
श्री विलास नुत्तेमवार:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली स्थित मस्जिद मोठ को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में इस स्मारक के निकट बनी दुकानों और मंदिर को निर्माण की अनुमति दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निर्माणों और निर्माण के वर्ष का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन ढांचों को हटाए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मोठ की मस्जिद के निषिद्ध तथा विनियमित क्षेत्र में दुकानों तथा मंदिर के निर्माण के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी है।

(घ) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 के उपबंधों के अंतर्गत, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निषिद्ध तथा विनियमित क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की गई है तथा राजस्व, पुलिस, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण के संबंधित प्राधिकारियों से भी इस प्रकार के अनधिकृत निर्माण को हटाने का अनुरोध किया गया है। जहां तक आवासीय भवन का संबंध है, एक मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, अत: यह मामला न्यायाधीन है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु अनुदान सहायता

2761. **प्रो. ए.के. प्रेमाजमः** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु अनुदान सहायता की स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(घ) स्वीकृत न किए गए प्रस्तावों के मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) केरल औद्योगिक बुनियादी विकास निगम (किन्फ्रा) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता संबंधी अनुरोध का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे किन्फ्रा द्वारा 31.3.2003 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु संस्तुत 24 प्रस्तावों में से 4 प्रस्तावों को वित्तीय सहायता हेतु अनुमोदित किया गया है। पांच प्रस्ताव अस्वीकार किये गये हैं क्योंकि ये तकनीकी साध्यता और आर्थिक व्यवहार्यता समेत इस मंत्रालय के मानकों को पूरा नहीं करते थे। आठ प्रस्तावों के बारे में इस मंत्रालय ने संबंधित संगठनों से अतिरिक्त सूचना मांगी है। शेष 7 प्रस्ताव इस मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी जांच समिति को भेजे दिए गए हैं।

[हिन्दी]

राज्यों में पर्यटन का विकास

2762. **श्री बीर सिंह महतो:**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल और जम्मू व कश्मीर सहित सभी राज्यों में पर्यटन के विकास हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना और नौवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी योजनाओं को शामिल किया गया था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गयी थी तथा इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ग) राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(घ) राज्यों में चालू केन्द्र प्रायोजित पर्यटन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन विभाग ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को पर्यटक परिसर/पर्यटक बंगलों का निर्माण, यात्रीनिवास/यात्रिकाओं मार्गस्थ सुविधाओं का निर्माण, स्मारकों/हेरिटेज भवनों का जीर्णोद्धार, साहसिक क्रीड़ा उपकरणों, ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन/प्रदीप्तिकरण, मेले और उत्सवों आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ हुए परामर्शों के आधार पर, पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 530 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से 2526 पर्यटन परियोजनाएं स्वीकृत की थीं। 2526 पर्यटन परियोजनाओं में से 1384 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो गई हैं।

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग ने देश में, पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं:

(1) पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास

(2) उत्पाद/अवसंरचना तथा गंतव्य विकास

(3) भारी राजस्व सर्जक परियोजनाओं के लिए सहायता

वर्ष 2002-03 के दौरान 111.21 करोड़ रुपये के केन्द्रीय वित्तीय सहायता से 212 पर्यटन परियोजनाएं विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्वीकृत की गई थी।

नैफेड

2763. श्री सुकदेव पासवान: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैफेड निजी एजेंसियों को मानद निर्यातकों/आयातकों के रूप में अपने साथ सम्बद्ध करके उनके माध्यम से आयात/निर्यात करता है; और

(ख) यदि हां, तो उन संस्थानों के नाम क्या हैं जिनके माध्यम से नैफेड वर्ष 2000 से लेकर आज तक अपना आयात-निर्यात तथा लहसुन से संबंधित व्यापार कर रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) नैफेड प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही अपने व्यावसायिक सहयोगियों के साथ टाई-अप आधार पर विभिन्न कृषि जिंसों का आयात और निर्यात करता है।

(ख) नैफेड ने वर्ष 2000 से अब तक लहसुन के आयात और निर्यात में किसी अन्य संस्थान का सहयोग नहीं लिया है। तथापि, उन पार्टियों की सूची, जिनके साथ नैफेड वर्ष 2000 से अब तक लहसुन के आयात के बाद व्यापार में लगा हुआ है, विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पार्टियों के नाम

1. जयन्तीलाल मंगलदास एण्ड सन्स, पुणे
2. वेजिटेबल एण्ड फ्रूट काप. मार्केटिंग सोसाइटी लि., नासिक
3. आईएफसी ऑवरसिज, दिल्ली
4. सुपरगारलिक सेंटर, वाशी, नवी मुम्बई
5. बरून ट्रेडर्स, वाशी, नयी मुम्बई
6. राजेशकुमार सुरेशकुमार एण्ड कंपनी, वासी, नवी मुम्बई
7. क्रांति ट्रेडिंग कम्पनी, वासी, नवी मुम्बई
8. अर्जुनलाल क्रान्तिलाल कं., वासी, नवी मुम्बई
9. चिलिज एण्ड गारलिक कमिशन कं., वासी
10. शिवा इंपेक्स, चेन्नै
11. एपी एक्सपोर्टस, चेन्नै
12. स्वाती ट्रेडर्स, चेन्नै
13. श्री बालाजी इंटरप्राइजेज, चेन्नै
14. लक्ष्मी वरूला कोल्ड स्टोरेज, कोयम्बटूर
15. न्यू लक्ष्मी ट्रेडिंग कं., कोयम्बटूर
16. स्वामी इम्पेक्स कराईकाल
17. स्वागीता इटंरनेशनल, कोयम्बटूर
18. निला इम्पेक्स, चेन्नै
19. प्रभा इम्पेक्स, चेन्नै
20. स्वारिका ट्रेडर्स, चेन्नै
21. लक्ष्मी इंपेक्स, चेन्नै
22. ग्लोबल इंटरनेशनल, कोलकाता
23. कृष्णा ट्रेडर्स, कोलकाता
24. श्री मंसूदी चेट्टीयार त्रिची
25. स्वांगा इंडस्ट्री, कोयम्बटूर
26. जयन्तीलाल मंगलदास एण्ड सन्स, पुणे
27. महेन्द्र एण्ड कं., मुम्बई
28. मारूतीनन्दन इम्पेक्स, सूरत
29. श्री वीके इंटरप्राइजेज
30. महावीर ट्रेडर्स, वासी, नवी मुम्बई
31. बी.एम. इंटरनेशनल, मुम्बई
32. जुल्लून्दर पोटेटो, वासी
33. भाटी ट्रेडर्स, मुम्बई
34. चिलिज एण्ड गारलिक कमिशन, वासी
35. लकी एक्सपोर्टस, मुम्बई

36. नोबल एक्सपोर्ट्स, मुम्बई

37. जाफसन्स इंटरप्राइजेज, मुम्बई

38. रोहन एक्सपोर्ट्स, मुम्बई

39. डी.के. ब्रोकर्स, मुम्बई

40. नूरसन्स इंटरप्राइजेज, मुम्बई

41. जनता सेंट्रल काप. डब्ल्यू.आर. स्टोर्स लि., मुम्बई

42. जनरल ट्रेड पाइंट, मुम्बई

43. नवा बम्बई एक्सपोर्ट्स, मुम्बई

44. ओम प्रकाश अरुण कुमार, मुम्बई

45. विशाका एग्जिम कम्पनी

46. सुषमी इम्पेक्स एक्सपोटर्स

47. एसएसपी इंटरनेशनल

48. एम.आर. एक्सपोर्ट्स, मुम्बई

49. यूनिक ट्रेडर्स

50. एमएलआर एक्सपोर्टस

[अनुवाद]

भारतीय पुरातत्व और विरासत सेवा

2764. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक नयी भारतीय पुरातत्व और विरासत सेवा (आई.ए.एच.एस.) को शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश की व्यापक सांस्कृतिक परिसंपत्तियों के समुचित संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) ऐसी सेवा सृजित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) पुरातात्विक स्मारकों के प्रबंधन में अधिकाधिक व्यावसायिकता लाना और सांस्कृतिक परिसंपत्तियों को संघटित करने में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देख-रेख में राष्ट्रीय महत्व के 3622 स्मारक और स्थल है। इन स्मारकों/स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण और परिरक्षण के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। इस विषय को शासित करने वाले दो कानून नामतः प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा पुरावशेष और कला निधि अधिनियम, 1972 मौजूद हैं।

लुप्त सभ्यता की खुदाई

2765. श्री एम. दुरई: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लुप्त सभ्यताओं और नगरों की खुदाई करवाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए एक निदेशालय की स्थापना की है और ''ट्रेवल्स अराउण्ड ए लोस्ट सिविलाइजेशन एंड लोस्ट सीटिज'' नामक परियोजना के तहत कार्य शुरू हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की योजना तमिलनाडु में भी खुदाई करवाने की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संगठनात्मक, ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। फिलहाल, कार्य विद्यमान शाखाओं के जरिए शुरू किया गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तमिलनाडु में महाबलीपुरम में तट से परे अन्तःजल अन्वेषण के साथ-साथ तमिलनाडु में आदिच्चनलुर (तूतीकोरिन) में आद्य ऐतिहासिक स्थल और बान्दरपट्टीनम (तंजावुर) में पूर्व ऐतिहासिक स्थल पर उत्खनन कार्य का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

विमान पत्तनों पर वी.आई.पी. लॉन्ज

2766. श्री अशोक अर्गल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण लिमिटेड (ए.ए.आई.) द्वारा विभिन्न विमानपत्तनों में चलाए जा रहे वी.आई.पी. लॉन्जों

और विशिष्ट व्यक्तियों हेतु आरक्षित कार पार्किंगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को हाल ही में वी.आई.पी. लॉन्ज में किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ किये गये अशोभनीय व्यवहार की कोई शिकायत मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) विभिन्न हवाईअड्डों पर अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए कुल मिलाकर 111 आरक्षित लाउंज तथा 38 आरक्षित कार पार्किंग उपलब्ध कराई गई हैं।

(ख) जी हां, इस साल अब तक केवल दो शिकायतों की रिपोर्ट की गई है, एक औरंगाबाद हवाईअड्डे पर वीआईपी लाउंज के इस्तेमाल से इंकार किये जाने के बारे में तथा दूसरी गुवाहाटी हवाईअड्डे पर वीआईपी लाउंज में पेयजल उपलब्ध न होने के संबंध में।

(ग) सभी क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशकों तथा हवाईअड्डा निदेशकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि अतिविशिष्ट व्यक्तियों को उनके आगमन के तुरंत बाद सारी सुविधाएं दी जाएं एवं शिष्टाचार निभाए जाएं और बिना देरी किए उन्हें पीने का पानी दिया जाए।

पर्यटन वित्त निगम द्वारा निजी फर्मों को ऋण

2767. **श्री महेश्वर सिंह:**
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन वित्त निगम ने निजी फर्मों को विभिन्न आधारों पर ऋण प्रदान किया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की फर्मों को कुल कितना ऋण उपलब्ध कराया गया?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) भारतीय पर्यटन वित्त निगम (टी.एफ.सी.आई.), पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए, विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन/बाजार अनुसंधान संचालित कराने तथा प्रत्येक प्रस्ताव के साथ संबद्ध जोखिम कारकों को ध्यान में रखने के पश्चात् ऋण उपलब्ध कराता है।

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में 234.25 करोड़ रुपये की कुल राशि का ऋण मंजूर किया गया था, जिसका विवरण इस प्रकार है:

(1) हिमाचल प्रदेश	शून्य
(2) केरल	25.65 करोड़ रुपये
(3) कर्नाटक	18.20 करोड़ रुपए
(4) तमिलनाडु	110.65 करोड़ रुपए
(5) आंध्र प्रदेश	79.75 करोड़ रुपए

[अनुवाद]

कपास प्रौद्योगिकी मिशन

2768. **डा. वी. सरोजा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु सरकार द्वारा जून, 1999 में कपास प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत प्रस्तुत योजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तमिलनाडु सरकार की स्कीम को मंजूरी नहीं दी गई क्योंकि भारत सरकार द्वारा कपास प्रौद्योगिकी मिशन वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। कपास प्रौद्योगिकी मिशन तमिलनाडु सहित 13 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

मत्स्य पत्तनों हेतु निधियां

2769. **श्री कोडीकुनील सुरेश:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्तमान मत्स्य पत्तनों का उन्नयन यूरोपीय आर्थिक संघ के मानदंडों के अनुरूप करने हेतु निधियां प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार को गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा सरकारों से मौजूदा मत्स्यन बंदरगाहों के उन्नयन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रस्तावों और प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	मत्स्यन बंदरगाह का नाम	परियोजना की लागत (लाख रुपए में)	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
गुजरात			
1.	वेरावल	40.00	अनुमोदित
2.	मंगरोल	40.00	अनुमोदित
3.	पोरबंदर	18.00	अनुमोदित
पश्चिम बंगाल			
1.	शंकरपुर	40.00	अनुमोदित
2.	फ्रेसरगंज	40.00	अनुमोदित
केरल			
1.	मुनाम्बम	227.00	एएसआईडीई योजना के तहत अनुमोदित
2.	मोपला बे	40.00	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
3.	चोंबल	40.00	
4.	पुथियप्पा	40.00	
5.	नीनदाकारा	40.00	
तमिलनाडु			
1.	चिन्नामुत्तम	40.00	प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुए।
2.	टूटीकोरिन	40.00	
कर्नाटक			
1.	माल्पे	15.00	राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
2.	भटकल	40.00	
3.	होन्नावार	40.00	
4.	तादरी	40.00	
5.	बैथकोल	–	

1	2	3	4
उड़ीसा			
1.	धामरा	129.00	जांच के लिए प्रस्ताव केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर को भेजा गया।
2.	महाबलपुर	491.00	

[हिन्दी]

झारखण्ड में विमानपत्तनों का विकास

2770. **श्री प्रदीप यादव:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखण्ड के दुमका विमानपत्तन को विकसित करने और वहां से विमान सेवाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं। दुमका हवाई अड्डा झारखंड राज्य सरकार का है और दुमका हवाईअड्डे के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए दुमका हवाईअड्डे के विकास तथा वहां से विमान सेवाएं आरंभ करने का इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम

2771. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (एन.एफ.ए.पी.) के अंतर्गत चालू की गयी देश के एक-तिहाई हिस्से को वनों से कवर करने संबंधी केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना संसाधनों की कमी की वजह से भारी संकट में पड़ गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (एनएफएपी), एक वृहत रणनीतिक योजना तैयार की गई है जिसका एक उद्देश्य देश के एक तिहाई भगोलिक क्षेत्र में, बंजरभूमियों और कृषि वानिकी की सभी श्रेणियों के क्षेत्र पर, रोपण करके वन और वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाना है। यह कार्यक्रम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, अवक्रमित वनों और समीपवर्ती क्षेत्रों के पुनरुद्भव और पारिस्थितिकी विकास हेतु, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, 1140 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को आगामी वर्षों के लिए वानिकी सेक्टर में वित्तीय आवंटन में वृद्धि करने के लिए निवेदन किया गया है।

खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों की समस्या

2772. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाड़ी देशों में कार्य कर रहे भारतीय कामगारों के सामने आ रही श्रम समस्याओं का गहन अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूमि प्रयोग नीति संबंधी राष्ट्रीय आयोग का गठन

2773. श्री शीश राम सिंह रवि: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण (2000-2001) में ''भूमि प्रयोग नीति संबंधी राष्ट्रीय आयोग'' का गठन करने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग के गठन संबंधी इस प्रस्ताव को कृषि मंत्री के अनुमोदन के पश्चात् नवम्बर, 2000 में प्रधान मंत्री कार्यालय को भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री कार्यालय ने आयोग के गठन हेतु अभी भी स्वीकृति नहीं दी है; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) मामले पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र में तैयार इस्पात की क्षमता

2774. श्री जे.एस. बराड़: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में तैयार इस्पात की स्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) वर्ष 2002-03 के दौरान कितनी मात्रा में उक्त इस्पात का उत्पादन और निर्यात किया गया है तथा वर्ष 2003-04 के दौरान कितनी मात्रा में इसका निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) तैयार इस्पात को घरेलू उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रणाली अपनायी गयी है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) इस्पात संयंत्रों की संस्थापित क्षमता का अभिप्राय सामान्यत: विक्रेय इस्पात से है। इस समय सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की विक्रेय इस्पात की संस्थापित क्षमता 136.34 लाख टन है।

(ख) 2002-03 के दौरान विक्रेय इस्पात का उत्पादन और निर्यात क्रमश: 134.66 लाख टन तथा 12.27 लाख टन था। 2003-04 के दौरान विक्रेय इस्पात का निर्यात लक्ष्य 14 लाख टन है।

(ग) उत्पाद के रूप में इस्पात संबंधित इस्पात कंपनियों के स्थापित वितरण चैनलों के जरिए बाजार में उपलब्ध कराया जाता है और मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

काली मिर्च के उत्पादन में गिरावट

2775. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में काली मिर्च के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) क्या वियतनाम और श्रीलंका से काली मिर्च के आयात में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो काली मिर्च के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारत में पिछले तीन वर्षों के दौरान काली मिर्च के उत्पादन का ब्यौरा निम्नवत है :-

वर्ष	मात्रा (मी. टन)
2000-01	79000
2001-02	80000
2002-03	62000

स्रोत: मसाला बोर्ड

(ख) वियतनाम तथा श्रीलंका से पिछले तीन वर्षों के दौरान काली मिर्च के आयात का ब्यौरा निम्नवत है :-

मात्रा : मी. टन

वर्ष	वियतनाम	श्रीलंका
2000-01	667	1759
2001-02	2658	1241
2002-03	7428	8374

स्रोत : मासाला बोर्ड

(ग) काली मिर्च के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए मसाला होर्ड द्वारा किए गए प्रमुख उपाय निम्नवत हैं:-

* प्रशिक्षण एवं अवसंरचना विकास के माध्यम से फसलोपरान्त सुधार
* जैविक खेती के लिए सहायता
* अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मेलों, प्रदर्शनियों में सहभागिता, व्यापार शिष्ट मण्डल भेजने आदि के माध्यम से व्यापार प्रोत्साहन
* मूल्य वर्धन को प्रोत्साहन
* निम्नलिखित हेतु सहायता :-
* प्रसंस्करण प्रोद्योगिकी का उन्नयन
* निर्यातकों के परिसरों में इन-हाउस प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन
* अच्छी विनिर्माण विधियों/अच्छी स्वास्थ्यरक्षक विधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए स्पाइस हाऊस प्रमाणपत्र एवं इण्डियन स्पाइसेंस लोगो प्रदान करना।

नए टर्मिनल

2776. **श्री रामशेठ ठाकुर: क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न विमानपत्तनों पर और अधिक अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जिनमें पिछले 3 वर्षों के दौरान अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है उनके नाम दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, त्रिवेन्द्रम, अमृतसर, गुवाहाटी, जम्मू, कालीकट, अगरतला, बागडोगरा, तेजपुर, इम्फाल, बंगलौर, रांची, पटना और गया है। कांगड़ा, जबलपुर, भुज और लीलाबाड़ी हवाई अड्डों पर नये टर्मिनलों का निर्माण किया गया है।

(ख) इन पर 225.46 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

(ग) हवाई अड्डों पर सेवाओं का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है तथा यह कार्य यातायात आवश्यकता तथा भूमि और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास

2777. **डा. बलिराम: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में पर्यटन की विशाल संभावनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस राज्य में कौन-कौन से क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनका विकास केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से पर्यटन स्थलों के रूप में किया जा सकता है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में पर्यटन का विकास करने हेतु कोई व्यापक कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के लिए कितनी धनराशि निर्धारित/जारी की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पर्यटन परियोजनाएं राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से अभिनिर्धारित की जाती हैं एवं मेरिट, निधियों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर मंजूर की जाती हैं। यह सब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वर्ष 2002-03 के दौरान, पर्यटन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में नालंदा-राजगीर-बोधगया-वाराणसी, पर्यटक परिपथ के भाग के रूप में, निम्नलिखित विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई थी:

क्र.सं.	कार्य की मदें	मंजूर की गई राशि (लाख रुपयों में)
1.	महारानी लक्ष्मीबाई मैमोरियल, वाराणसी के चारों ओर सुविधाओं का विकास तथा भू-दृश्यांकन	90.00
2.	सारनाथ में धम्माचक्काप्पावात्तना उद्यान का विकास	200.00
3.	संकेतक	5.00
	कुल	295.00

संस्कृति विभाग ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है:

क्र.सं.	कार्य की मदें	मंजूर की गई राशि (लाख रुपयों में)
1.	बटेश्वर में विकास कार्य	25.00
2.	दुधई में विकास कार्य	25.00
3.	सिरोंजी में विकास कार्य	20.00
4.	वेहलाना में विकास कार्य	19.34
5.	हस्तिनापुर में विकास कार्य	14.80
6.	बडगांव में विकास कार्य	24.92
7.	भदायनी में सुपारसनाथ के जन्म स्थान का विकास	43.29
8.	भेलूपुर में पार्श्वनाथ के जन्म स्थान का विकास	30.84
9.	सारनाथ में श्रेयांसनाथ के जन्म स्थान का विकास	49.35
10.	सिताबदियारा में मौजूदा प्रभावती देवी मैमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स इन्टरमिडिएट कॉलेज का उन्नयन	102.97
11.	शहीद स्मारक पार्क में मौजूद बंजर भूमि का विकास	100.00
12.	शहीद स्मारक पार्क में डाकूमेंटेशन-सह-इतिहास केन्द्र की स्थापना	276.99
	कुल	732.50

[अनुवाद]

पशुधन की गणना

2778. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997 और 2002 की गणना रिपोर्ट अभी तक उपलब्ध नहीं है,

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ग) किन-किन राज्यों में गणना नहीं की गई है और उनके आंकड़े किस आधार पर शामिल किए जाएंगे;

(घ) क्या यह पता चला है कि जिन राज्यों में गणना नहीं की गई है, वहां पहले की रिपोर्टों में पशुओं की संख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक थी; और

(ङ) यदि हां, तो योजना आयोग और कुछ अन्य विशेषज्ञ दलों द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार गणना करने हेतु सुधारों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) 1997 की गणना रिपोर्ट नवम्बर, 2003 तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

2002 में होने वाली 17वीं गणना 15 अक्तूबर, 2003 की संदर्भ तारीख के साथ शुरू होने वाली जिसकी रिपोर्ट सितम्बर, 2004 तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

(ग) बिहार, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली ने 1997 में 16वीं पशुधन गणना नहीं की है। इन राज्यों के आंकड़े इन राज्यों की वार्षिक विकास दर के आधार पर प्रतिलक्षित किए गए हैं।

(घ) जी, हां। इन राज्यों की वार्षिक विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से अधिक है।

(ङ) 17वीं पशुधन गणना की अनुसूचितयों में घरों की कुछ बुनियादी बातें जोड़ दी गई हैं और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वे संदर्भ तारीख पर पशुधन गणना करें। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा आंकड़ों की समयबद्ध रिपोर्टिंग आंकड़ों के कम्प्यूटरीकरण, बेहतर समन्वय तथा पर्यवेक्षण के जरिए हासिल की जाएगी।

गुजरात में कार्गो सम्भलाई विमानपत्तन

2779. श्री जी.जे. जावीया: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में उन विमानपत्तनों का विमानपत्तन वार ब्यौरा क्या है जिनमें इस समय कार्गो सम्भलाई सुविधाएं हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक विमानपत्तन द्वारा वर्षवार सम्भलाई किए गए कार्गो का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जहां अगले कुछ वर्षों के भीतर कार्गो सम्भलाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) कार्गो संचालन सुविधाएं अहमदाबाद हवाईअड्डे में एअर कार्गो कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है। यह एअर कार्गो कॉम्प्लेक्स, राज्य सरकार के एक उपक्रम गुजरात राज्य निर्यात निगम द्वारा प्रचालित किया जाता है। इस हवाईअड्डे पर पिछले तीन वर्षों के दौरान संचालित कार्गो निम्नानुसार है:

2000-01	-	4841 एम टी
2001-02	-	3434 एम टी
2002-03	-	4079 एम टी

(ग) वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण राज्य में किसी अन्य हवाईअड्डे पर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना पर विचार नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

गो-संतति हेतु धनराशि का अन्यत्र उपयोग

2780. श्री रामदास रुपला गावीत:
श्री वाई. जी. महाजन:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गो-संतति को बचाने के लिए आबंटित धनराशि का उपयोग अन्यत्र किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस पर क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

(ख) और (ग) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मीडिया और प्रचार पर व्यय

2781. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान मीडिया और प्रचार पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2001-02 के दौरान किया गया व्यय बजटीय प्रावधान से अधिक था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए धनराशि का उपयोग अन्य स्रोतों से किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) मंत्रालय द्वारा विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान संवर्धन एवं प्रचार पर बजट एवं खर्च की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	बजट (करोड़ रुपयों में)	व्यय (करोड़ रुपयों में)
2000-01	56.75	56.09
2001-02	62.00	63.62*
2002-03	68.07	70.14*
2003-04 (31.7.2003 तक)	68.00	6.14

(*पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचार एवं मीडिया पर व्यय समेत)

(ख) और (ग) जी, नहीं। ऊपर दर्शाई गई अतिरिक्त राशि की पूर्ति पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास समेत पर्यटन मंत्रालय हेतु समग्र रूप से आबंटित बजट में से की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

काजीरंगा नेशनल पार्क की सुरक्षा

2782. **श्री एम.के. सुब्बा:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धनश्री (दक्षिण) के इस वर्ष जुलाई में खतरे के निशान से ऊपर बहने से काजीरंगा नेशनल पार्क को खतरा बढ़ गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस खतरे से बचने के लिए क्या अग्रिम उपाय किए गए हैं और नेशनल पार्क की सुरक्षा हेतु क्या तत्काल कदम उठाए गए थे और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, हां। जुलाई, 2003 में धनश्री (दक्षिण) नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से धनेयरीमुख बांध में दरार की संभावना से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को खतरा होने के रूप में पहचान की गई है।

(ख) मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), असम सरकार ने सूचित किया है कि जल संसाधन विभाग ने स्थल का निरीक्षण किया तथा बांध को मजबूत करने और उसकी मरम्मत संबंधी कार्य किए हैं। केन्द्र सरकार ने उच्चभूमियों पर वन्यजीवों की सुरक्षा को पुख्ता करने, राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर यातायात को नियमित करने, राष्ट्रीय उद्यान में तथा आस-पास के क्षेत्र में वन विभाग द्वारा सघन गश्त करने आदि जैसे उपायों के साथ-साथ "राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के विकास हेतु सहायता" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत असम राज्य सरकार को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा और विकास के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 50.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

ईको-क्लब

2783. **श्री कोलूर बसवनागौड:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, कर्नाटक सहित, विभिन्न स्कूलों में अब तक कितने ईको-क्लबों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या किन्हीं राज्यों ने विशेषकर कर्नाटक ने अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे और अधिक क्लबों की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2002-03 के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई है और वर्ष 2003-04 के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी; और

(ङ) देश के प्रत्येक राज्य में उपर्युक्त योजना हेतु नोडल (शीर्ष) एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) कर्नाटक में 2700 पारि-क्लबों सहित देश में अब तक विभिन्न विद्यालयों में 52,000 पारि-क्लबों की स्थापना की गई है।

(ख) और (ग) पारि-क्लबों की संख्या को बढ़ाने का सुझाव कर्नाटक सहित कई राज्यों ने दिया है। इस प्रकार विचार करते हुए सरकार ने इनकी संख्या 100 विद्यालय प्रति जिला से बढ़ाकर 150 विद्यालय प्रति जिला करने का निर्णय लिया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2002-03 के दौरान जारी की गई निधियों की राज्यवार सूचना, इस समय वर्ष 2003-04 के लिए सांकेतिक रूप से आवंटित राशियां और नोडल एजेंसियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(लाख रुपए में)

राज्य	नोडल एजेंसी	2002-03 के दौरान जारी की गई राशि	2003-04 के लिए सांकेतिक आवंटन
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	39.78	32.26
अंडमान एवं निकोबार	वन विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन	1.08	1.84

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	–	15.73
असम	असम विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद	13.11	30.26
बिहार	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	–	50.83
चंडीगढ़	पर्यावरण विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन	0.57	1.84
छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड	9.64	29.40
दादर व नगर हवेली	प्रदूषण नियंत्रण समिति	–	0.37
दमन एवं दीव	प्रदूषण नियंत्रण समिति	0.40	0.37
दिल्ली	पारि-क्लब सोसाइटी, दिल्ली	16.12	21.13
गोवा	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग, गोवा सरकार	1.24	3.68
गुजरात	गुजरात पारिस्थितिकी शिक्षा एवं अनुसंधान फाउन्डेशन	40.50	35.94
हरियाणा	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	30.78	28.91
हिमाचल प्रदेश	राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद्	19.44	19.05
जम्मू एवं कश्मीर	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	–	20.00
झारखंड	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	–	25.00
कर्नाटक	राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्	15.34	39.61
केरल	राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण समिति	22.68	25.73
लक्षद्वीप	पर्यावरण एवं वन विभाग, लक्षद्वीप प्रशासन	0.22	0.18
मध्य प्रदेश	पर्यावरण योजना एवं समन्वय संगठन	72.90	62.69
महाराष्ट्र	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, नागपुर	18.80	60.63
मणिपुर	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	–	5.00
मेघालय	वन एवं पर्यावरण विभाग, मेघालय सरकार	–	5.00
मिजोरम	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	–	10.00
नागालैंड	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	7.20	7.00
उड़ीसा	पर्यावरणीय अध्ययन केन्द्र	31.50	55.13
पांडिचेरी	राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, शिक्षा विभाग, पांडिचेरी	–	3.68
पंजाब	राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	27.54	31.24
राजस्थान	राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड	–	43.80
तमिलनाडु	पर्यावरण निदेशालय, तमिलनाडु सरकार	18.41	35.00

1	2	3	4
त्रिपुरा	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	-	5.00
सिक्किम	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	-	3.00
उत्तरांचल	उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद	7.41	18.00
उत्तर प्रदेश	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	-	62.63
पश्चिम बंगाल	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	12.30	25.07
	जोड़	407.02	815.00

हैदराबाद विमानपत्तन पर पार्किंग शुल्क

2784. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद पार्किंग स्थल पर पार्किंग शुल्क की दरें बहुत अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002-03 के दौरान हैदराबाद विमानपत्तन पर कार पार्किंग से कुल कितना शुल्क एकत्र किया गया;

(ग) क्या पार्किंग स्थल ठीक बने हुए नहीं हैं जिससे वाहन चालकों और जनता को भारी असुविधा हो रही है; और

(घ) हैदराबाद विमानपत्तन को तत्काल उपयोगकर्त्ता अनुकूल बनाने के लिए कुछ सार्वजनिक सुविधाओं का पुनः निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 2002-03 के दौरान हैदराबाद हवाईअड्डे पर कार पार्किंग प्रभार के रूप में लगभग 1.20 करोड़ रुपए एकत्र किए गए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कार पार्किंग क्षेत्र का, वाहनों की पर्याप्त संख्या को जगह प्रदान करने के लिए यात्रियों की सुविधा, उपलब्ध यातायात और साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से इसकी योजना को बनाया व डिजाइन किया गया है। बहरहाल, सिटी साइड पर विशेषकर व्यस्ततम समय में यातायात प्रवाह को सम्हालने के लिए यातायात पुलिस की सहायता ली जाती है तथा इसकी व्यवस्था समय-समय पर हवाईअड्डा समन्वय समिति की बैठकों में चर्चा द्वारा भी की जाती है। एक समय पर 200 कारों को स्थान देने के लिए नई कार पार्किंग के निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथा इसके अक्तूबर, 2003 तक पूरा होने की आशा है।

पर्यटन परियोजनाएं

2785. श्री परसुराम मांझी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना के दौरान उड़ीसा में कालाहांडी, बोलनगीर, कोरापुट सहित अन्य राज्यों में कौन-कौन सी पर्यटन परियोजनाएं शुरू की गई; और

(ख) इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पर्यटन विभाग ने, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उड़ीसा समेत, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से परामर्श करके, 372.43 करोड़ रुपए की धनराशि की केन्द्रीय वित्तीय सहायता वाली 1563 पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) इन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने हेतु राज्य सरकारों को सलाह दी गई है। परियोजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जा रही है। परियोजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्रता से पूरा करने के लिए, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुनरीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान राज्यवार स्वीकृत पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत परि. योजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	53	1170.35
2.	असम	62	1840.03
3.	अरुणाचल प्रदेश	45	1084.60
4.	बिहार	44	912.68
5.	छत्तीसगढ़	7	155.28
6.	गोवा	52	936.45
7.	गुजरात	64	1653.75
8.	हरियाणा	39	933.85
9.	हिमाचल प्रदेश	63	1680.22
10.	जम्मू एवं कश्मीर	47	1338.06
11.	झारखण्ड	8	286.49
12.	कर्नाटक	88	2163.02
13.	केरल	66	3124.66
14.	मध्य प्रदेश	68	1580.41
15.	महाराष्ट्र	80	3098.52
16.	मणिपुर	40	1338.36
17.	मेघालय	26	492.36
18.	मिजोरम	47	1027.46
19.	नागालैण्ड	42	824.01
20.	उड़ीसा	62	1236.07
21.	पंजाब	30	690.16
22.	राजस्थान	72	1164.79
23.	सिक्किम	76	825.61
24.	तमिलनाडु	75	1579.39
25.	त्रिपुरा	41	1084.28
26.	उत्तरांचल	10	135.70
27.	उत्तर प्रदेश	104	2231.91
28.	पश्चिम बंगाल	64	1193.74
29.	अण्डमान एवं निकोबार	7	256.65
30.	चंडीगढ़	14	150.86
31.	दादरा नगर हवेली	6	66.90
32.	दिल्ली	31	550.95
33.	दमन एवं दीव	5	65.17
34.	लक्षद्वीप	3	51.00
35.	पांडिचेरी	22	319.33
	जोड़	1563	37243.07

क्षेत्रीय सांस्कृतिक परिषदों के उद्देश्य

2786. श्री मणिशंकर अय्यर: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** 27.4.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5238 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिवेदन से संलग्न साक्ष्य, जो प्रतिवेदन की सिफारिश से भिन्न हैं, उसे क्षेत्रीय सांस्कृतिक परिषदों के उद्देश्यों को निर्धारित करने में ध्यान में रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों ने प्रतिवेदन के साथ संलग्न साक्ष्य में दी गई सिफारिशों सहित समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए निम्नलिखित विभिन्न कदम उठाए हैं;

(1) केन्द्रीय/राज्य अकादमियों के साथ सहयोग करना।

(2) विभिन्न कला क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवा कलाकारों को और अधिक अवसर प्रदान करना।

(3) दुर्लभ और लुप्त हो रहे कला रूपों को संरक्षित करना, उनका विकास करना तथा प्रसार करना।

(4) चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत और नृत्य के क्षेत्रों में कलात्मक शिविरों/कार्यशालाओं का आयोजन करना।

(5) कला और संस्कृति के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए मूल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करना।

(6) कार्यकलापों को मुख्यतः लोक और जनजातीय कला-रूपों की ओर अभिप्रेत (फोकस) करना।

(7) विभिन्न क्षेत्रों के लिए कलाकारों को प्रायोजित करना और राष्ट्रीय एकता लाने के लिए अन्य क्षेत्रों के कलाकारों को आमंत्रित करना।

उपग्रह से खारी भूमि का सर्वेक्षण

2787. **श्री प्रकाश वी. पाटील:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1991 के पश्चात् महाराष्ट्र जैसे गन्ना उत्पादक राज्यों के क्षेत्रों में उपग्रह की सहायता से खारी भूमि का सर्वेक्षण आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो 1991 के सर्वेक्षण के परिणामों के संदर्भ में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भू-उपयोग नियोजन ब्यूरो (एन.बी.एस.एस. एण्ड एल.यू.पी.) ने महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय दूर संवेदी अभिकरण (एन.आर.एस.ए.) से प्राप्त उपग्रह से लिए गए प्रतिबिंबों का उपयोग करके तथा जमीनी सत्यापन (ग्राउंड ट्रूथिंग) द्वारा 1:250,000 पैमाने पर सर्वेक्षण कार्य शुरू किया है। राज्य में लवणांकृत भूमियों की पहचान के लिए एन.आर.एस.ए., हैदराबाद के साथ संकलित आंकड़ों का समंजन किया गया है। सर्वेक्षण परिणाम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सर्वेक्षण परिणामों का डाटा बेस कृषि विभाग, महाराष्ट्र सरकार को उनके उपयोग हेतु मुहैया कराया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र की लवण प्रभावित मृदा

क्र.सं.	जिले का नाम	क्षेत्र (है.)
1.	अमरावती	26044
2.	अकोला	217569
3.	अहमदनगर	176094
4.	नासिक	10913
5.	बुलदाना	122146
6.	जलगांव	183693
7.	कुलाबा	18548
8.	मुम्बई	11756
9.	रायगढ़ (अलीबाग)	1449
10.	पुणे	204203
11.	सतारा	19521
12.	सोलापुर	233329
13.	सांगली	61122
14.	थाने	42174
	कुल	1328566

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में संयुक्त कर्मचारी परिषद की बैठकें

2788. **श्री सवशीभाई मकवाना:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त परिषद तंत्र की बैठकों और शिकायत निपटान संबंधी योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सचिव की अध्यक्षता में मुख्यालय की संयुक्त कर्मचारी परिषद की बैठकें तीन माह में एक बार आयोजित किये जाने का प्रावधान है;

(ग) फरवरी, 2001 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सचिव द्वारा मुख्यालय के संयुक्त कर्मचारी परिषद की कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं; और

(घ) यदि कोई बैठकें आयोजित नहीं की गई तो बैठकें आयोजित न करने के क्या कारण हैं और इस संबंध में जवाबदेही निर्धारित करने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं/प्रयास किये जायेंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) निम्नलिखित कारणों से मुख्यालय की संयुक्त कर्मचारी परिषद की कोई बैठक नहीं हो सकी है:

(1) जिस समय संयुक्त कर्मचारी परिषद योजना को सूत्रबद्ध किया गया था उस समय सचिव, भा.कृ.अ.प., कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव तथा सचिव, भा.कृ.अ.प. हुआ करते थे।

(2) सचिव, भा.कृ.अ.प. के स्तर का उन्नयन करके अपर सचिव (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) कर दिया गया है।

(3) अपर सचिव (डेयर) तथा सचिव, भा.कृ.अ.प. की अनेक जिम्मेदारियों को निदेशक या उप सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रदत्त कर दिया गया है। जहां तक मुख्यालय की संयुक्त कर्मचारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता का प्रश्न है, यह मुख्यालय के ग्रुप बी, सी तथा डी वर्ग के कार्मिकों से संबंधित स्थानीय मुद्दों से संबंधित है। यह निर्णय लिया गया था कि इन बैठकों की अध्यक्षता भा.कृ.अ.प. में निदेशक/उप-सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाए। यह व्यवस्था दिनांक 22-23 जनवरी, 2002 को जयपुर में आयोजित केन्द्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद की बैठक में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श से बनाई गई थी।

(4) तथापि, 16 अप्रैल, 2002 को आयोजित बैठक में यह देखने में आया कि कर्मचारियों के प्रतिनिधि अपने समझौते से पीछे हट गए हैं और बैठक से अलग रहे। सिर्फ एक कर्मचारी प्रतिनिधि ने बैठक में हिस्सा लिया।

(5) इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसके बाद कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

दिल्ली में बंदरों का खतरा

2789. श्री संजय लाल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बंदरों का खतरा बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल में स्कूल जाने वाले अनेक बच्चों को बंदरों ने काट खाया है; और

(ग) यदि हां, तो बंदरों के खतरे को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुछ समय से बंदरों का खतरा बढ़ा है। हाल ही में, दिल्ली के एक स्कूल में बच्चों पर बंदरों के हमले की रिपोर्ट अखबार में छपी थी। उनकी संख्या में कमी लाने के लिए नगर अभिकरणों द्वारा बंदरों को पकड़ने और दिल्ली से बाहर उनके प्राकृतिक पर्यावास में उन्हें स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाए हैं। पकड़े गए बंदरों को और उन्हें स्थानांतरित किये जाने तक उन्हें स्वास्थ्य संबंधी उपचार देने हेतु अस्थायी आश्रय स्थल प्रदान करने के लिए एक बंदर आश्रय स्थल राजोकरी में बनाया गया है। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 बंदर पकड़े गए हैं और उत्तर प्रदेश राज्यों के वनों में स्थानांतरित किये जा चुके हैं।

मरुस्थलीकरण, निगरानी एवं आकलन संबंधी अध्ययन

2790. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में मरुस्थलीकरण, निगरानी और आकलन संबंधी कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अध्ययन हेतु क्षेत्रों की पहचान करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) आंध्र प्रदेश में किये गये अध्ययन के क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या राज्य के अनन्तपुर जिले में भी अध्ययन किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, हां।

(ख) अन्तरिक्ष विभाग ने देश में मरुस्थलीकरण मानीटरी और आकलन पर एक पायलट परियोजना आरम्भ की है। परियोजना का उद्देश्य, देश के ठंडे और गर्म मरुस्थलों के लिए उपग्रही डाटा का प्रयोग करते हुए मरुस्थलीकरण स्थिति मानचित्रण हेतु कार्य पद्धति को विकसित और मानकीकृत करना है।

(ग) इन पायलट परियोजनाओं के लिए अध्ययन क्षेत्र का चयन देश में गर्म और ठंडे, दोनों क्षेत्रों में अर्द्ध शुष्क और सूखा अल्प आर्द्र क्षेत्रों से संबंधित सभी तरह की मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के लिए प्रतिनिधित्व स्थलों को कवर करने के लिए किया गया है।

(घ) परियोजना में एक अध्ययन क्षेत्र महबूब नगर जिले का हिस्सा है। अध्ययन 2004 में पूरा हो जाएगा।

(ङ) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय कामगार

2791. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94 और 2002-03 में भारत से विदेशों को प्रवास करने वाले भारतीय कामगारों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या कामगारों का लक्ष्य-देश परिवर्तित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान खाड़ी देशों और अन्य पिछड़े देशों को जाने वाले प्रवासी कामगारों का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या विकसित देशों से अन्य देशों की ओर लक्ष्य परिवर्तन का कारण संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटेड किंगडम जैसे विकसित देशों द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंध एवं विनियम हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) विदेश में रोजगार के लिए उत्प्रवास अनुमति प्राप्त करने वाले कामगारों की संख्या वर्ष 1993 में 4.38 लाख और वर्ष 2002 में 3.68 लाख थी।

(ख) और (ग) ऐसे कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश में रोजगार के लिए उत्प्रवास अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्नवत है:

2002	-	3.68 लाख
2001	-	2.79 लाख
2000	-	2.43 लाख

(घ) और (ङ) विशिष्ट आंकड़े न होने के कारण यह कहना कठिन है कि कतिपय विकसित देशों द्वारा कड़े प्रतिबंध और विनियम लगाए जाने से गंतव्य में परिवर्तन हुआ है या किसी अन्य कारण से।

बच्चों हेतु कार्य योजना

2792. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रमिक संबंधी स्वैच्छिक संगठन केन्द्र ने सरकार से प्रस्तावित "बच्चों हेतु कार्य योजना" में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे बच्चों का विशेष रूप से उल्लेख करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) द सैन्टर ऑफ कन्सर्न फॉर चाइल्ड लेबर, नई दिल्ली ने परामर्श प्रक्रिया के दौरान महिला और बाल विकास विभाग द्वारा तैयार की गयी बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रारूप पर टिप्पणियां और सुझाव दिए हैं। संगठन ने ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के संबंध में अधिक ध्यान देने का सुझाव दिया है।

सम्बद्ध मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से परामर्शी प्रक्रिया के दौरान सभी स्वयंसेवी संगठनों के सुझावों पर विचार किया गया है।

अंडमान निकोबार में वर्षा जल संचयन टंकियां

2793. **श्री विष्णु पद राय:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान निकोबार प्रशासन ने अंडमान-निकोबार द्वीप के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में वर्षा जल संचयन टंकिया निर्मित की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दस वर्ष के दौरान निर्मित टंकियों की वर्षवार और स्थानवार संख्या कितनी है; और

(ग) आबंटित/जारी किया गया धन कितना है और खर्च की गई वास्तविक धनराशि कितनी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके द्वारा वर्ष 1993-94 से 2002-2003 तक 380 छत के वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आर टी आर डब्ल्यू एच एस) का निर्माण किया गया है। निर्मित की गई छत वर्षा जल संचयन संरचनाओं का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	अवधि	आर टी आर डब्ल्यू एच एस की संख्या
1.	1993-94 से 1997-98	शून्य
2.	1998-1999	63
3.	1999-2000	317
4.	2000-01 से 2002-03	शून्य

निर्मित की गई छत के वर्षा जल संचयन संरचनाओं की स्थान-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इस उद्देश्य के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा आबंटित निधियां 3.76 करोड़ रुपये थी जिसमें से वास्तव में 3.25 करोड़ रुपये की निधियां खर्च की गई।

विवरण

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा निर्मित की गई छत के वर्षा जल संचयन संरचनाओं की स्थान-वार संख्या

क्रम सं.	द्वीप	आर टी आर डब्ल्यू एच एस की संख्या
1	2	3
1.	उत्तरी अंडमान	84
2.	मध्य अंडमान	39
3.	दक्षिण अंडमान	86
4.	पोर्ट ब्लेयर (मुख्यालय)	151
5.	हेवलॉक	2
6.	नील	2
7.	लिटिल अंडमान	5
8.	नैनकॉव्री	4
9.	कैम्पबेल की खाड़ी	7
	कुल	380

रेलवे सुरक्षा आयोग का पुनर्गठन

2794. श्री अनिल बसु: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में बढ़ती हुई रेल दुर्घटनाओं के मद्देनजर सरकार का विचार रेलवे सुरक्षा आयोग का पुनर्गठन करने का है, जैसाकि मुख्य आयुक्त, रेलवे सुरक्षा द्वारा सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं। मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

प्रदूषण और वनों के विनाश से हुआ नुकसान

2795. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और वनों के विनाश के कारण कितना नुकसान हुआ है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): सरकार ने देश में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और वनों की कटाई की वजह से हुई हानि की मात्रा का पता नहीं लगाया है। तथापि, पर्यावरणीय अवक्रमण की लागत का अनुसार विश्व बैंक तथा टाटा एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट (टेरी) द्वारा लगाया गया है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 1991-92 के संबंध में पर्यावरणीय अवक्रमण की अनुमानित लागत सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 4.8% रही तथा टेरी के अनुसार 1997 में पर्यावरणीय अवक्रमण और प्राकृतिक संसाधनों के निःशेषण का आर्थिक मूल्य निम्नलिखित है:-

समस्या	वार्षिक आर्थिक मूल्य (बिलियन रु. में)
पेयजल की निम्न गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव	122
मृदा अवक्रमण की वजह से फसल उत्पादकता की हानि	89-232
वन अवक्रमण की वजह से काष्ठ की हानि	57
वायु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव	885-4250

[अनुवाद]

केरल में सांस्कृतिक संस्थानों को अनुदान

2796. **श्री वी.एस. शिवकुमार:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल के सांस्कृतिक संस्थानों के लंबित प्रस्तावों के लिए अनुदानों को जारी करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन अनुदानों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) विशेषज्ञ समितियों द्वारा आवेदन-पत्रों की जांच किए जाने और औपचारिकताओं के पूर्ण होने के बाद सरकार सांस्कृतिक संस्थानों को अनुदान जारी करती है। चूंकि आवेदन-पत्रों पर वार्षिक रूप से विचार किया जाता है अत: कोई विचाराधीनता नहीं है। केरल के जिन संगठनों को वर्ष 2002-2003 के दौरान अनुदान मंजूर किए गए हैं उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उपर्युक्त 'क' को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उठता।

विवरण

पिछले वित्तीय वर्ष (2002 -2003 के दौरान केरल के स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को अनुमोदित किए गए अनुदानों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	अनुमोदित अनुदान की धनराशि
1	2	3
1.	फकलैंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर फोकलोर एंड कल्चर एलामबाची डाकघर कसारगोड जिला केरल	4,00,000 रु.
2.	माधवन नायर प्रतिष्ठान, कोची, केरल	5,60,000 रु.
3.	गांधी, विनोबा स्मृति मंदिर संग्रहालय, विनोबा निकेतन पॉस्सट, तिरूअनंतपुरम, केरल	3,20,000 रु.
4.	देवी कलामंडलम, त्रिशूर, केरल	51,000 रु.
5.	गांधी सेवा सदन कथकली एंड क्लासिक आर्ट्स अकादमी, पालक्कड, केरल	51,000 रु.
6.	स्वाति म्यूजिक डायस, कालीकट, केरल	1,00,000 रु.

1	2	3
7.	दृश्यवेदी, तिरूअनंतपुरम, केरल	90,000 रु.
8.	गीतांजलि चिल्ड्रेन थियेटर, तिरूअनंतपुर, केरल	50,000 रु.
9.	पूक्काड कलालयम, कोझीकोडे, केरल	70,000 रु.
10.	रंगचेतना, त्रिचूर, केरल	50,000 रु.
11.	वास्तुविद्या गुरूकुलम आरनमुला, केरल	2,50,000 रु.
12.	प्रो. एन. कृष्णा पिल्लै प्रतिष्ठान, त्रिवेन्द्रम, केरल	5,00,000 रु.
	योग	24,92,000 रु.

सहकारी समितियों का निरीक्षण

2797. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय पंजीयक बहुराज्यीय सहकारी समितियों ने समितियों का निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उन समितियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है जिनका निरीक्षण किया गया है;

(घ) इन निरीक्षणों के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी समितियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	निरीक्षित समितियों के नाम	वर्ष	निरीक्षण के परिणाम और उन पर की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन.सी.यू.आई.)	2001-2002	(1) व (2): समितियों को निरीक्षण रिपोर्ट में किए गए प्रेक्षणों का अनुपालन करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय रजिस्ट्रार ने एन.सी.यू.आई. के अध्यक्ष को बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 73(1) के प्रावधानों के अधीन एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। अध्यक्ष, एन.सी.यू.आई. ने हाल ही में कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया है।
2.	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.सी.पी.)	2001-2002	
3.	केन्द्रीय भण्डार	2001-2002	(3) व (4): एन.सी.सी. एफ. और केन्द्रीय भण्डार के मामले में अधिनियम के प्रावधानों में कोई बड़ी कमी या उल्लंघन की सूचना नहीं मिली है। तथापि एन.सी.सी.एफ. के मामले में समिति को निरीक्षण रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों का अनुपालन करने तथा
4.	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लि. (एन.सी.सी.एफ.)	-	

1	2	3	4
			समय-समय पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है। केन्द्रीय भण्डार के निरीक्षण के अनुसरण में आगे और जांच की गई तथा उसके बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अनुरोध किया गया कि वह सरकारी सुविधाओं के दुरुपयोग के अवसर को समाप्त करने के लिए अध्यक्ष केन्द्रीय भण्डार की नियुक्ति की शर्तें निर्धारित करें।
5.	दि अकोला जनता कमर्शियल बैंक लि.	2001-2002	(5) दि अकोला जनता सहकारी बैंक लि., अकोला द्वारा 4.4.2002 को निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है। बैंक से अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है।
6.	दि खामगांव शहरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र	2001-2002	(6) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में खामगांव शहरी सहकारी बैंक लि. खामगांव, महाराष्ट्र का निरीक्षण करने का आदेश किया है।
7.	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लि., नागपुर	2001-2002	(7) नागपुर नागरिक सहकारी बैंक का निरीक्षण आर.सी.एस. महाराष्ट्र द्वारा किया गया है। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बैंक ने माधवपुरा मर्केंटाइल कोपरेटिव बैंक लि. गुजरात शाखा (मुम्बई) में अपनी निधियों का गलत ढंग से निवेश किया है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरीक्षण रिपोर्ट में सूचित अनियमितताओं हेतु बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 की धारा 48(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल के अधिक्रमण हेतु 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए।
8.	दि मैकेनिकल डिपार्टमेंट प्राइमरी कोपरेटिव बैंक लि., गोरखपुर	2001-2002	(8) निरीक्षण अधिकारी द्वारा समिति के कार्यकरण का निरीक्षण किया गया और कोई बड़ी अनियमितता की सूचना नहीं मिली है।
9.	ई. एंड एन-एफ रेलवे कोपरेटिव बैंक लि.	1999-2000	(9) से (13) अनुपालन और कर्मियों को दूर करने के लिए समितियों को निरीक्षण रिपोर्ट भेज दी गई है।
10.	स्टेट बैंक आफ इंडिया स्टाफ एसोशिएसन कोपरेटिव बैंक	2001-2002	
11.	एन. एंड एन-एफ. रेलवे कोपरेटिव बैंक लि.	2001-2002	
12.	आई.एस.आई. कोपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि.	2002-2003	
13.	ई. एंड एन-एफ जूनियर कोपरेटिव सोसायटी लि.	2002-2003	

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

2798. श्री टी. एम. सेल्वागनपतिः क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिलेटों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में प्रति टन 30 अमरीकी डालर से ज्यादा की तीव्र वृद्धि ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लाभ में परिवर्तन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी के एक अन्य नुकसानकारी उत्पाद, प्लेट अब प्रमुख निर्यात वस्तु हैं जिससे निर्यात आय में 121.00 करोड़ रुपये का योगदान होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस्पात मूल्यों में भारी वृद्धि के मद्देनजर इस वर्ष के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को भारी लाभ होना अपेक्षित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) बिलेटों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी एस पी) को अपनी लाभप्रदता में सुधार करने में सहायता मिली है। बिलेटों की निर्यात निवली बिक्री प्राप्ति घरेलू बिक्री की तुलना में अधिक है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने पिछले वर्ष की प्रथम तिमाही में किए गए 8470 टन निर्यात की तुलना में 2003-04 की प्रथम तिमाही में लगभग 73500 टन बिलेटों का निर्यात करके इस अवसर का इष्टतम उपयोग किया है।

(ग) वर्ष 2002-03 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 335 करोड़ रुपये मूल्य के 279000 टन प्लेट मिल (पी एम) प्लेटों का निर्यात किया जबकि 2001-02 में 166000 टन प्लेट मिल प्लेटों (152 करोड़ रुपए) का निर्यात किया था। चालू वर्ष 2003-04 (प्रथम तिमाही) में 97000 टन प्लेट मिल प्लेटों का निर्यात किया गया है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 41000 टन प्लेट मिल प्लेटों का निर्यात किया गया है।

(घ) और (ङ) चालू बाजार रुख के आधार पर सेल को 2003-04 के दौरान लाभ अर्जित किए जाने की आशा है।

अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वायुयान

2799. डा. अशोक पटेलः क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अति विशिष्ट व्यक्तियों के उपयोग के लिए ब्राजील से छोटे वायुयान प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन वायुयानों की खरीद पर कितना व्यय होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) सरकार वीआईपी संचार ड्यूटियों के लिए एक्जीक्यूटिव जेटों को प्राप्त करने की योजना बना रही है। इस प्रयोजन के लिए ब्राजील के मैसर्स एम्ब्रेयर के ईएमबी 135-बीजे लेगेसी को चुना गया है। यह विमान दो इंजनों की शक्ति वाला 19 सीटर छोटा यातायात विमान है। इस विमान में अत्याधुनिक एवियोनिक्स तथा शीशे का कॉकपिट है।

(ग) प्राप्त किये जाने के बाद अनुबंध को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

वन भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग

2800. श्री विनय कुमार सोराकेः क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वराही सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 120.60 हेक्टेयर वन भूमि को निर्मुक्त करने की "सैद्धान्तिक" अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक ने केन्द्र सरकार से इस आशय से संबंधित औपचारिक अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अनुमति प्रदान की जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में वराही सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 20 मार्च 2001 को कतिपय शर्तों को पूरा करने की शर्त पर 129.60 हैक्टेयर वन भूमि के वनेतर उपयोग के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किया है। कर्नाटक सरकार ने निर्धारित शर्तों की पूरी अनुपालन रिपोर्ट आज तक प्रस्तुत नहीं की है।

[हिन्दी]

एअर इंडिया द्वारा विमान सेवाओं का विस्तार

2801. **श्री वाई.जी. महाजन:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया विदेशों में अपनी सेवाओं का विस्तार करने की कोई योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को किस तिथि से आरंभ किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) एअर इंडिया के पास विदेशों में अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए निम्न मुख्य योजनाएं हैं:-

(i) मुम्बई/पेरिस/न्यूयार्क की उड़ानों को शीतकालीन 2003 अनुसूची से प्रति सप्ताह 5 से बढ़ाकर 7 करना।

(ii) 1 दिसम्बर, 2003 से फ्रैंकफर्ट होकर शिकागो के लिए तीन और उड़ानें।

(iii) दिसंबर, 2003 से शंघाई, चीन के लिए प्रति सप्ताह दो सेवाओं का आरंभ।

[अनुवाद]

हाथी की मौत संबंधी जांच

2802. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक हाथी के पकड़े जाने के बाद उसकी मौत की जांच करने के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जांच के परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ग) जी, हां। प्राप्त रिपोर्टों के परिणाम निम्नलिखित दर्शाते हैं:-

1. हाथी की मृत्यु सेप्टिसीमीया की वजह से हुई थी जो इसे पकड़े जाने के बाद की गई अपर्याप्त श्रेष्ठ चिकित्सा देखभाल के परिणामस्वरूप हुई।
2. हाथियों के उपचार के संबंध में पर्याप्त जानकारी रखने वाले अनुभवी पशुचिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध नहीं थी।
3. प्रशिक्षक द्वारा जानवर के साथ जानबूझकर क्रूरता बरतने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था।
4. रिपोर्ट में समस्या पैदा करने वाले हाथियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई उपायों की सिफारिश की गई है।

(घ) रिपोर्ट की सिफारिशें हाथी रेंज वाले सभी राज्यों को जारी कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

गन्ना उत्पादन में कमी

2803. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निकट भविष्य में पानी की कमी के कारण गन्ने के उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है और जिसके परिणामस्वरूप चीनी का आयात करना पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

[अनुवाद]

औद्योगिक प्रतिष्ठानों का बंद होना

2804. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:**
श्री प्रबोध पंडा
श्री खगेन दास:
डा. जसवंत सिंह यादव:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके पश्चात बंद पड़े, ताला लगाये गये और रुग्ण घोषित किए गए औद्योगिक प्रतिष्ठानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके परिणामस्वरूप कितने लोग बेरोजगार हुए हैं और इसी के कारण कितने लोगों की छंटनी हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इन इकाइयों को पुनः चालू करने और इन बेरोजगार कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) श्रम ब्यूरो तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के अनुसार क्रमशः "बंदियों एवं तालाबंदियों" तथा "रुग्ण औद्योगिक इकाइयों" से संबंधित सूचना संलग्न विवरण I, II और III में दी गई है।

(ख) बंदियों और छंटनी के कारण प्रभावित कामगारों की संख्या निम्नवत् है:-

(संख्या में)

निम्नलिखित के कारण प्रभावित कामगार	2000	2001	2002	2003 (जन. से मई)
(क) बंदी	11904	11599	5406	1731
(ख) छंटनी	2963	3668	3843	892

स्रोत: श्रम ब्यूरो, शिमला

(ग) और (घ) पुनरुज्जीवन के समस्त विकल्पों पर विचार करने के बाद ही किसी औद्योगिक इकाई को बंद करने का निर्णय लिया जाता है। वैश्वीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण परम्परागत उद्योगों में रोजगार अवसरों में कुछ कमी हो सकती है लेकिन इसके साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिक, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं आदि जैसी अनेक क्षेत्रों में नये रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है।

जहां तक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का संबंध है, "केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को परामर्श देने, उनके पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन हेतु एक योजना" 2001-02 में प्रारंभ की गई थी ताकि ऐसे कर्मचारी स्व-रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में समर्थ हो सकें।

विवरण I

कलेंडर वर्ष 2000-2003 के दौरान बंद की गई इकाइयों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000	2001	2002	2003 जन.-मई
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3	—	4	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
3.	असम	—	1	—	
4.	बिहार	—	—	—	
5.	छत्तीसगढ़	—		—	—

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	6	7	1	—
7.	गुजरात	25	43	36	7
8.	हरियाणा	4	1	4	—
9.	हिमाचल प्रदेश	6	5	6	—
10.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	
11.	झारखंड	—		—	
12.	कर्नाटक	9	7	10	3
13.	केरल	9	9	8	2
14.	मध्य प्रदेश	—	—	1	—
15.	महाराष्ट्र	—	—	2	—
16.	मणिपुर	—	—	—	—
17.	मेघालय	—	—	—	—
18.	मिजोरम	—	—	—	—
19.	नागालैंड	—	—	—	—
20.	उड़ीसा	8	2	4	—
21.	पंजाब	1	1	1	—
22.	राजस्थान	4	1	5	1
23.	सिक्किम	—	—	—	
24.	तमिलनाडु	3	7	—	—
25.	त्रिपुरा	7	7	25	3
26.	उत्तर प्रदेश	31	39	7	
27.	उत्तरांचल	—	5	—	
28.	पश्चिम बंगाल	5	—	1	
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	—		—
30.	छत्तीसगढ़	—	10	1	—
31.	दादरा एवं नगर हवेली	—	—		—
32.	दिल्ली	—	—	1	—

1	2	3	4	5	6
33.	दमन एवं दीव	—	—	—	—
34.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
35.	पांडिचेरी	17	6	4	1
	कुल योग	138	151	121	17

—शून्य

...उपलब्ध नहीं

स्रोत: श्रम ब्यूरो, शिमला

विवरण II

कलैंडर वर्ष 2000-2003 के दौरान तालाबंदियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000	2001	2002	2003 जन.-मई
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	46	45	30	5
2.	बिहार	6	—	—	
3.	दिल्ली	5	2	—	—
4.	गोवा दमन एवं दीव	—	—	—	—
5.	गुजरात	9	8	8	4
6.	हरियाणा	1	—	6	4
7.	कर्नाटक	10	11	—	—
8.	केरल	28	12	8	6
9.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—
10.	महाराष्ट्र	6	2	4	—
11.	उड़ीसा	5	1	—	—
12.	पांडिचेरी	—	—	—	—
13.	पंजाब	5	5	4	—
14.	राजस्थान	12	11	9	8
15.	तमिलनाडु	40	27	31	—
16.	उत्तर प्रदेश	15	9	2	...

1	2	3	4	5	6
17.	पश्चिम बंगाल	155	167	172	
18.	अन्य	2	2	4	—
	कुल	345	302	278	27

—शून्य

...उपलब्ध नहीं

स्रोत: श्रम ब्यूरो, शिमला

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में 30 जून, 2003 तक औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत रुग्ण इकाइयों की संख्या (राज्य-वार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रुग्ण इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	153
2.	बिहार	16
3.	छत्तीसगढ़	01
4.	चंडीगढ़	02
5.	दादरा एवं नगर हवेली	06
6.	गोवा	09
7.	गुजरात	139
8.	हरियाणा	30
9.	हिमाचल प्रदेश	03
10.	झारखंड	15
11.	केरल	19
12.	कर्नाटक	188
13.	मध्य प्रदेश	73
14.	महाराष्ट्र	346
15.	मणिपुर	01
16.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	154
17.	उड़ीसा	29
18.	नागालैंड	03
19.	पांडिचेरी	01
20.	पंजाब	121
21.	राजस्थान	55
22.	तमिलनाडु	178
23.	उत्तर प्रदेश	85
24.	उत्तरांचल	03
25.	पश्चिम बंगाल	79
26.	असम	04
	कुल	1713

स्रोत: औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

[हिन्दी]

श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी

2805. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी कंपनियों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दिया जाना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) इन कंपनियों में कार्यरत श्रमिकों को मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में अनुसूचित रोजगारों वाली कंपनियों सहित नियोजकों द्वारा काम पर लगाए गए श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का प्रावधान है। अधिनियम का प्रवर्तन केन्द्रीय तथा

राज्य प्रवर्तन तंत्रों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। इन तंत्रों के अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं तथा जब भी श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान न किए जाने अथवा न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किए जाने का कोई मामला उनकी जानकारी में आता है तो वे जितनी मजदूरी कम दी गई है उसकी भरपाई करने के लिए नियोजकों को सलाह देते हैं। सलाह न मानने पर चूककर्ता नियोजकों के खिलाफ अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कानूनी तथा दाण्डिक कार्रवाई शुरू की जाती हैं।

(ख) श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किए जाने के अलावा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में सामान्य कार्य दिवस के लिए घंटों की संख्या निर्धारित करने, मजदूरी का समय पर भुगतान करने, समयोपरि कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने अथवा कम भुगतान के संबंध में दावे दायर करने, श्रमिकों को मजदूरी पुस्तिकाएं अथवा पर्ची आदि जारी करने का प्रावधान है।

[अनुवाद]

दुर्गापुर स्थित मिश्रधातु इस्पात संयंत्र हेतु व्यवहार्यता संबंधी योजना

2806. श्री सुनील खांः क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने सेलम इस्पात संयंत्र के विनिवेश के प्रस्ताव के पश्चात अपने दुर्गापुर स्थित मिश्रधातु इस्पात संयंत्र हेतु दस्तूर एंड कंपनी से एकल संचालन आधार पर नये सिरे से व्यवहार्यता संबंधी योजना तैयार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई योजना के अनुसार "सेल" मिश्रधातु इस्पात संयंत्र को अर्थक्षम बनाने के लिए शुरूआती तौर पर 50 करोड़ रुपये का निवेश करेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ग) जी, हां। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने मिश्र इस्पात संयंत्र (ए एस पी) दुर्गापुर का पुनरुद्धार करने के लिए एकमुश्त व्यवहार्यता योजना तैयार करने हेतु मैं एम. एन. दस्तूर एंड् कंपनी को कहा है। वे सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी) के साथ सहक्रिया आधार पर ए एस पी की व्यवहार्यता की भी जांच कर रहे हैं। निवेश के संबंध में निर्णय एम.एन. दस्तूर एंड कंपनी की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया जाएगा।

लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

2807. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथेः
डा. बलिरामः
श्री के.एच. मुनियप्पाः
श्री कोलूर बसवनागौडाः
श्री रवि प्रकाश वर्माः

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु आज की तिथि के अनुसार लम्बित पड़ी प्रमुख और मंझौली दोनों प्रकार की राज्यों की सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सभी परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) प्रत्येक परियोजना के लिए अनुमानित लागत सहित स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी वृहद/माध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना न करने के कारण इन परियोजनाओं की स्वीकृति में देर हुई है।

(ग) परियोजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करने की तत्परता पर निर्भर करती है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	राज्य का नाम	वृहद/ मध्यम	नदी/बेसिन	लाभान्वित होने वाले जिले	प्राप्ति की तारीख	लाभ (हजार हे.)	अनुमानित लागत (करोड़)	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	नेत्तमपाद् लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आंध्र प्रदेश	वृहद	कृष्णा	महबूब नगर	11/2000	10.926	134.30	ए

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	काल्वा कुर्थी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आंध्र प्रदेश	वृहद	कृष्णा	महबूब नगर	11/2000	20.234	380.00	ए
3.	ठोटापल्ली बैराज*	आंध्र प्रदेश	वृहद	नागावली/ नागावली	विजयानगरम और श्रीकाकुलम	9/2001	48.563 (नई) 25.90 मौजूदा	462.00	ए
4.	पुलिचिंतला सिंचाई परियोजना (चिनाई बांध)	आंध्र प्रदेश	वृहद	कृष्णा	गुन्टूर, कृष्णा, प्रकाशम, पश्चिमी गोदावरी	7/93	575	506.20	बी
5.	कृष्णा डेल्टा प्रणाली आधुनिकीकरण-ई आर एम	आंध्र प्रदेश	वृहद	कृष्णा	गुन्टूर, कृष्णा प्रकाशम, पश्चिमी गोदावरी	1/96	575	659.16	बी
6.	भीमा लिफ्ट सिंचाई	आंध्र प्रदेश	वृहद	भीमा/कृष्णा	महबूब नगर	1/96	83.78	744.00	बी
7.	श्रीराम सागर चरण-II	आंध्र प्रदेश	वृहद	गोदावरी	वारंगल नालगोण्डा खम्माम, अदिलाबाद	2	253.40	697.70	बी
8.	एम आर एस पी से बाढ़ प्रवाह नहर	आंध्र प्रदेश	वृहद	गोदावरी	करीमनगर, वारंगल नालगोण्डा	12/93	102.00	1331.00	बी
9.	जुराला (चिनाई बांध)	आंध्र प्रदेश	वृहद	कृष्णा	महबूब नगर	9/80	47.84	545.82	बी
10.	वमसधारा परियोजना चरण-II* (नेराडी बैराज)	आंध्र प्रदेश	वृहद	वमसधारा	श्रीकाकुलम	5/83	50.958	275/74 (86-87 एस ओ आर)	बी
11.	तारकर्म तीर्थ सागरम जलाशय स्कीम	आंध्र प्रदेश	मध्यम	चंपावती/ पूर्व की ओर बहने वाली नदी	विजयानगर	8/2002	10	255. 46	ए
12.	मुसुरुमिल्ली जलाशय परियोजना	आंध्र प्रदेश	मध्यम	सीतापल्लीवागु/ गोदावरी	पूर्वी गोदावरी	मार्च 2003	13.961	167.35	ए
13.	गोल्लावागु जलाशय *	आंध्र प्रदेश	मध्यम	गोलावागु/गोदावरी	अदिलाबाद	6/2001	3.845	39.58	ए
14.	रल्लीवागु जलाशय	आंध्र प्रदेश	मध्यम	रल्लीवागु/गोदावरी	अदिलाबाद	9/2001	2.430	26.75	ए
15.	निलवाई जलाशय	आंध्र प्रदेश	मध्यम	पेडुवागु/गोदावरी	अदिलाबाद	9/2001	5.260	48.90	ए
16.	पेडुगंड्डा जलाशय परियोजना*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	वेगावती/नागावली	विजयानगरम	01/2002	4.858	3.211	ए
17.	मथाडिवागु जलाशय परियोजना का मूल्यांकन	आंध्र प्रदेश	मध्यम	मथाडिवागु गोदावरी	अदिलाबाद	05/2002	3.440	26.44	ए

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	झंझावती परियोजना *	आंध्र प्रदेश	मध्यम	झंझावती/नागावली	विजयानगर	01/2002	-	121.0	ए
19.	पेडूरू जलाशय	आंध्र प्रदेश	मध्यम	पूर्व को बहने वाली/शारदा	विशाखापटनम	9/91	6.46	26.23	बी
20.	पालेमवागु (चिनाई बांध)*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	पालेमवागु/ गोदावरी	खम्माम	5/88	6.23	29.13	बी
21.	वॉल्लिगल्लु जलाशय*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	पापाग्नि/पेन्नार	कुडुप्पा	02/2000	9.715	143.67	बी
22.	येरांवागु (मिट्टी का बांध)	आंध्र प्रदेश	मध्यम	येर्रावागु/गोदावरी	आदिलाबाद	3/99	4.46	31.28	बी
23.	सुद्दावागु (मिट्टी का बांध)	आंध्र प्रदेश	मध्यम	सुद्दावागु/गोदावरी	आदिलाबाद	3/99	5.66	56.48	बी
24.	पेद्दावागु (मिट्टी का बांध)*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	पेद्दावागु/गोदावरी	आदिलाबाद	8/99	9.915	202.60	बी
25.	मुसमपल्लम जलाशय स्कीम (मिट्टी का बांध)	आंध्र प्रदेश	मध्यम	बरदा-कालवा/ गोदावरी	पूर्व गोदावरी	10/99	4.88	46.70	बी
26.	मुसमपल्लम फेज-II*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	बरदा-कालवा/ गोदावरी	पूर्व गोदावरी	7/2000	5.12	49.50	बी
27.	भूपतिपल्लम (बांध)*	आंध्र प्रदेश	मध्यम	सीतापल्ली/गोदावरी	पूर्व गोदावरी	7/2000	5.419	47.23	बी
28.	कादवान जलाशय परियोजना	बिहार	वृहद	सोन/गंगा	पलामू/ रोहतास	5/98	221.27	1111.14	ए
29.	ऊपरी महानंदा सिंचाई स्कीम	बिहार	वृहद	महानन्दा/गंगा	पूर्णिया	5/2001	26.80/0	124.00	ए
30.	पुनपुन बराज	बिहार	वृहद	पुनपुन/गंगा	पटना और जहानाबाद	5/2000	13.898	102.26	बी
31.	तिलैया धाधर	बिहार	वृहद	धाधर (दामोदर) गंगा	नवादा/गया	1/98	38.99	220.11	बी
32.	मोंगरा सिंचाई परियोजना	छत्तीसगढ़	मध्यम	शिवनाथ/महानदी	राजनंदगांव	3/03	9.431	83.46	ए
33.	सुतियापाट जलाशय परियोजना	छत्तीसगढ़	मध्यम	सिल्हेटी/ शिवनाथ/महानदी	राजनंदगांव	9/02	6.960	40.09	बी
34.	मच्छू-I का आधुनिकीकरण-ई आर एम	गुजरात	वृहद	मच्छू/पश्चिम को बहने वाली	राजकोट	2/91	2.14	8.12	बी
35.	वकांल जल संसाधन परियोजना (बांध)	गुजरात	मध्यम	मेश्वो/वात्रक	सुवर्णकंठा	1/95	4.50	23.85	ए
36.	पश्चिमी यमुना संपर्क चैनल*	हरियाणा	वृहद	यमुना		12/96	वाहक नहर	31.26	बी
37.	सतलज यमुना संपर्क नहर	हरियाणा	वृहद	रावी व्यास	अम्बाला	10/93	4.46	61.76	बी
38.	खेत पुराली बांध परियोजना * (मिट्टी का बांध)	हरियाणा	मध्यम	घग्गर/यमुना	पंचकुला	12/95	3.335	16.92	ए

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	रेणुका बांध (बहुउद्देशीय)	हिमाचल प्रदेश	वृहद	गिरि/यमुना	दिल्ली को जल आपूर्ति	8/97	दिल्ली को जल आपूर्ति स्कीम और 40 मेगावाट	1224.64	बी
40.	बल्ह घाटी बांया तट सिंचाई परियोजना	हिमाचल प्रदेश	मध्यम	व्यास	मंडी	8/99	4.354	41.64	बी
41.	तवी पंप हाउस और तवी लिफ्ट नहर-ई आर एम	जम्मू और कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	वृहद	तवी/रावी/सिंधु	जम्मू	9.2001	13.660	13.563	ए
42.	नन्दी नहर का आधुनिकीकरण-ई आर एम	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	झेलम बेसिन	अनंतनाग	5/99	3.06	6.61	ए
43.	अहटां नहर का आधुनिकीकरण-ई आर एम	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	सुखनाग नल्लाह/झेलम	बडगाम	04/2000	17.19	7.96	ए
44.	लार नहर का आधुनिकीकरण-ई आर एम	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	सुखनाग नल्लाह/झेलम	बडगाम	04/2000	5.25	6.63	ए
45.	मावकुल का आधुनिकीकरण-ई आर एम	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	वेशो नल्ला बांया तट/झेलम	अनंतनाग	12/97	9.35	7.00	ए
46.	मारतण्ड नहर का आधुनिकीकरण-ई आर एम	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	झेलम/सिंधु झेलम	अनंतनाग	12/97	6.50	17.72	ए
47.	बाबुल नहर का आधुनिकीकरण-ई आर एम	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	झेलम/सिंधु	बारामुला	6/99	3.08	4.77	ए
48.	कन्दी नहर परियोजना	जम्मू व कश्मीर (जम्मू क्षेत्र)	मध्यम	चेनाब	डोडा	4/2002	3.023	37.31	ए
49.	ठटां नहर का आधुनिकीकरण-ई आर एम	जम्मू व कश्मीर (कश्मीर क्षेत्र)	मध्यम	लिद्दर नल्लाह/झेलम	अनंतनाग	6/99	4.526	11.10	बी
50.	न्यू प्रताप नहर का आधुनिकीकरण-ई आर एम	जम्मू व कश्मीर (जम्मू क्षेत्र)	मध्यम	चेनाब, अखनूर/चेनाब	जम्मू	12/99	12.11	21.68	बी
51.	कठुआ नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू व कश्मीर (जम्मू क्षेत्र)	मध्यम	रावी बेसिन	कठुआ	9/99	14.39	15.68	बी
52.	कनहर जलाशय परियोजना	झारखंड	वृहद	कनहर/सोन	पलामू	11/98	57.67 और 3000 हेक्टेयर	1015.76	ए

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	उत्तर कोयल जलाशय	झारखंड	वृहद	उत्तर कोयल/ सोन	पलामू, औरंगाबाद एवं गया	5/99	104.50	836.11	ए
54.	ऊपरी सकरी जलाशय	झारखंड	वृहद	सकरी/गंगा	हजारीबाग	1/98	67.67	437.94	ए
55.	पुनासी जलाशय*	झारखंड	वृहद	पुनासी/अजय/गंगा	संथाल परगना	7/92	24.292	221.65	बी
56.	सुवर्ण रेखा (बहुउद्देश्यीय) परियोजना*	झारखंड	वृहद	सुवर्ण रेखा/गंगा	सिंहभूम और रांची	8/89	237	1428.82	बी
57.	अजय बैराज/सिकतिया बैराज	झारखंड	वृहद	अजय गंगा	संस्थाल परगना	3/98	40.509	248.10	बी
58.	कोनार सिंचाई	झारखंड	वृहद	कोनार/दामोदर	हजारीबाग/गिरिडीह	7/99	64738/0	336.69	बी
59.	सिंगटलूर (हुली गुड्डा) लिफ्ट सिंचाई स्कीम	कर्नाटक	वृहद	तुंगभद्रा/कृष्णा	गोदेग बेल्लारी	7/98	16.188	123.00	ए
60.	मारकंडे (दोनों तटों पर कंक्रीट बांध व नहर)	कर्नाटक	वृहद	मारकंडे/कृष्णा	बेलगाम	5/97	19.105	209.85	बी
61.	हिप्पारगी सिंचाई परियोजना (मिट्टी का बांध)	कर्नाटक	वृहद	कृष्णा बीजापुर	8/85	59.69	186.70	बी	
62.	ऊपरी तुंगा परियोजना	कर्नाटक	वृहद	तुंग भद्रा/कृष्णा	शिमोगा, धारवाड़, चित्रदुर्ग	2/92	80.494	1052.33	बी
63.	वमासुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	कर्नाटक	मध्यम	तुंग भद्रा/कृष्णा	धारवाड़	11/96	2.267	9.36	ए
64.	इडमलयार सिंचाई परियोजना (दोनों तटों पर नहर प्रणाली सहित बैराज, मिट्टी का बांध)	केरल	वृहद	इर्नाकुलम त्रिचुर	पेरियार	2/92 27.51	107.00	बी	
65.	अट्टापाडी सिंचाई परियोजना-वर्टिकल लिफ्ट ग्राउट स्पिलवे युक्त चिनाई बांध दोनों तटों पर नहर प्रणाली	केरल	मध्यम	पालघाट	सेरुवेणी/कावेरी	3/96	8.38	110.00	ए
66.	हलोन सिंचाई परियोजना (मिट्टी का बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	हलोन/नर्मदा	मण्डला	1/2000	11.736	193.01	ए
67.	पुनासा लिफ्ट सिंचाई	मध्य प्रदेश	वृहद	नर्मदा	पूर्वी निमाड़ (खंडवा)	3/2003	36.758/0	157.00	ए
68.	ऊपरी नर्मदा परियोजना (कम्पोजिट बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	नर्मदा	मंडला व शहडोल	9/96	18.61/00	345/77	ए
69.	कोलार परियोजना (मिट्टी का बांध	मध्य प्रदेश	वृहद	नर्मदा	सीहोर	10/91	भोपाल को 60.87 एवं 56.75 एमसी एम जलापूर्ति	139.14	बी
70.	बनवर टैंक (मिट्टी का बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	गोदावरी	मंडला	12/89	18.21	24.38	बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71.	पेंच डाइवर्जन (मिट्टी का बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	गोदावरी	सिवनी छिन्दवाड़ा	8/88	96.52	184.04	बी
72.	महान (चिनाई बांध)	मध्य प्रदेश	वृहद	महान/सोन	सिधी	6/83	6/83 5/2002	155.10	बी
73.	राजघाट नहर	मध्य प्रदेश	वृहद	यमुना	दतिया, भिण्ड ग्वालियर गुना शिवपुरी और टीकमगढ़	2/90	121.45	309.21	डी
74.	हुमान नदी परियोजना (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	हुमान/गोदावरी	चन्द्रपुर	1/2002	35.75	423.47	ए
75.	निचली वर्धा (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	वर्धा/गोदावरी	वर्धा	11/97	44.00	61.99	ए
76.	गुंजवनी (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	कुनाड/कृष्णा	पुणे	5/98	20.325	86.77	ए
77.	लेन्डी सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उद्यम (मिट्टी का बांध)*	महाराष्ट्र	वृहद	लेन्डी/गोदावरी	नान्देड़ (महाराष्ट्र) और निजामाबाद (आंध्र प्रदेश)	6/01	26.924 (महाराष्ट्र-15.71 आंध्र प्रदेश 11.214)	275.84	ए
78.	भामा आसखेड	महाराष्ट्र	वृहद	भामा/भीमा/कृष्णा	पुणे	9/01	29.465/0	458.20	ए
79.	नीरा देवघर	महाराष्ट्र	वृहद	नीरा/कृष्णा	पुणे	7/02	58.221	588.66	ए
80.	धोम बलकवडी	महाराष्ट्र	वृहद	कृष्णा/कृष्णा	पुणे	7/02	21.70	448.55	ए
81.	उरमोडी	महाराष्ट्र	वृहद	उरमोडी/कृष्णा	सतारा	7/02	43.87	212.08	ए
82.	तारली	महाराष्ट्र	वृहद	तारली/कृष्णा	सतारा	7/02	22.025	673.34	ए
83.	सिना कोलेगांव	महाराष्ट्र	वृहद	सिना/कृष्णा	ओस्मानाबाद/सोलापुर	3/03	10.70	317.77	ए
84.	वारना सिंचाई (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	वारना/कृष्णा	सांगली और कोल्हापुर	8/83	113.92	337.81	बी
85.	अरुणावती नदी परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	अरुणावती/गोदावरी	यवतमाल	12/87	25.15	66.48	बी
86.	पुनाद सिंचाई (कम्पोजिट बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	पुनद/तापी	नासिक	3/89	10.85	29.22	बी
87.	निचली वर्धा परियोजना (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	वृहद	वर्धा/गोदावरी	नागपुर व वर्धा	2/89	28.82	87.55	बी
88.	तलम्बा सिंचाई परियोजना (मिट्टी का बांध)*	महाराष्ट्र	वृहद	करली	सिंधुदुर्ग	6/92	28.90	289.09	बी
89.	संगोला शाखा नहर*	महाराष्ट्र	वृहद	नीरा/भीमा	सोलापुर	2/86	9.22	37.01	डी
90.	सुलवाडे बैराज	महाराष्ट्र	मध्यम	तापी	धुले	12/97	10.06	88.25	ए
91.	पोथरा नल्ला (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	पोथरा नल्ला/गोदावरी	वर्धा	5/98	6.70	42.50	ए

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92.	शेलगांव	महाराष्ट्र	मध्यम	तापी/तापी	जलगांव	3/02	7.155/0	19806	ए
93.	प्रकाश बैराज	महाराष्ट्र	मध्यम	तापी/तापी	धुले	4/99	8.86	93.60	ए
94.	जाम्बरे (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	ताम्रा-पारनी/ कृष्णा	कोल्हापुर	7/99	3.34	50.70	ए
95.	आंध्र खोर (चिनाई बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	आंध्रा/कृष्णा	पुणे	2/2000	12.461	44.37	ए
96.	किरमीमांरी टाकर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	महाराष्ट्र	मध्यम	वर्धा/गोदावरी	चन्द्रपुर	3/2000	2.04	27.89	ए
97.	सपन (मध्यम) मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	सपन/तापी	अरमवती	9/2000	6.380/0	36.30	ए
98.	सोनापुर (तोम्रा) (लिफ्ट सिंचाई स्कीम	महाराष्ट्र	मध्यम	वर्धा/गोदावरी	चन्द्रपुर	9/2000	2.034/0	14.43	ए
99.	सांगखेदा (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	तापी/तापी	नन्दुरबार	10/2000	8.77	132.51	ए
100.	हरणघाट लिफ्ट सिंचाई स्कीम	महाराष्ट्र	मध्यम	वेनगंगा/ गोदावरी	चन्द्रपुर	11/2000	3.65	44.11	ए
101.	गुल नदी (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	गुल/तापी	जलगांव	11/2000	2.59	55.94	ए
102.	घट प्रभा (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	घट प्रभा/कृष्णा	कोल्हापुर	1/01	4.372	34.92	ए
103.	कोरादिनल्ला (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	कोरादि-नल्ला/ तापी	धुले	3/01	2.61	17.32	ए
104.	दारा (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	वाकी/तापी	धुले	3/01	2.29	32.62	ए
105.	नागन (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	नागन/तापी	धुले	3/01	2.49	48.38	ए
106.	नार्थमंड (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	नार्थमंड/कृष्णा	सतारा	4/01	4.80	93.00	ए
107.	वंग (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	नागन/तापी	सतारा	4/01	6.20	134.39	ए
108.	कमानी टंडा	महाराष्ट्र	मध्यम	वाघुर/तापी	जलगांव	7/01	6.032	42.22	ए
109.	पिपलगांव	महाराष्ट्र	मध्यम	श्रीनल्ला/कृष्णा	सोलापुर	2/02	2.42/0	(मूल) 7.39- नवीनतम 42.78	ए
110.	चिल्हेवाडी	महाराष्ट्र	मध्यम	मांदवी/कृष्णा	पुणे	7/02	7.165	123.63	ए
111.	अम्बियोहोल (हिरण्यकेशी)	महाराष्ट्र	मध्यम	अम्बियोहोल/कृष्णा	कोल्हापुर	6/02	5.310	50.65	ए
112.	चन्द्रप्रभा	महाराष्ट्र	मध्यम	चन्द्रप्रभा/तापी	अमरावती	7/93	8.14	35.30	ए

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113.	लोअरपंजारा	महाराष्ट्र	मध्यम	पंजारा/तापी	धुले	3/01	6.191	45.24	ए
114.	शिवान	महाराष्ट्र	मध्यम	शिवान/तापी	नंदुरबार	11/02	2.67	28.89	ए
115.	वाडी-शहवाडी	महाराष्ट्र	मध्यम	बुराई/तापी	धुले	11/02	5.980	98.44	ए
116.	अमरावती	महाराष्ट्र	मध्यम	अमरावती/तापी	धुले	12/02	2.606	84.34	ए
117.	जामखेडी	महाराष्ट्र	मध्यम	जामखेडी/तापी	धुले	11/02	2.750	31.28	ए
118.	कुदाली	महाराष्ट्र	मध्यम	कुदाली/कृष्णा	सतारा	12/02	5.300	262.20	ए
119.	सर्फनाल्ला	महाराष्ट्र	मध्यम	सर्फनाल्ला/कृष्णा	कोल्हापुर	12/02	2.335	46.56	ए
120.	वर्धाली बूटी लिफ्ट	महाराष्ट्र	मध्यम	वेनगंगा/गोदावरी	चन्द्रपुर	3/03	3.441	24.98	ए
121.	वकोड (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	गिरिजा/गोदावरी	औरंगाबाद	3/2000	2.214	34.36	बी
122.	लाल नाला (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	लाल नाला/ गोदावरी	वर्धा	9/97	7.020	43.61	बी
123.	राजगाराम (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	मुस्ट/गोदावरी	ओस्मानाबाद	12/93	1.70	9.51	बी
124.	जाम सिंचाई (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	जाम/गोदावरी	नागपुर	5/94	5.47	42.63	बी
125.	कार (कम्पोजिट बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	कार/गोदावरी	वर्धा/नागपुर	4/95	6.36	44.71	बी
126.	उतवाली (मिट्टी का बांध)	महाराष्ट्र	मध्यम	उतवाली/तापी	बुधाना	11/95	5.39	35.77	बी
127.	इम्पाम हर्दी लिफ्ट सिंचाई	महाराष्ट्र	मध्यम	हमहलनल्ला/ कृष्णा	कोल्हापुर	6/98	4.736	4.29	बी
128.	तिपाइमुख बांध परियोजना (बहुउद्देशीय) (मिट्टी एवं रॉकफिल बांध)	मणिपुर	वृहद	बराक	असम, मणिपुर और मिजोरम के जिले	2/95	विद्युत (6×250) मे.वा. और बाढ़ नियंत्रण	2899	बी
129.	जिरी सिंचाई (बराज)	मणिपुर	मध्यम	जिरी/बराक	कछार (असम) और मणिपुर	10/97	9.78	48.68	डी
130.	दिखु बहुउद्देशीय परियोजना	नागालैंड	वृहद	दिखु/ब्रह्मपुत्र	नागालैंड और असम	4/02	30.6/ 120 मे.वा.	999.7	ए
131.	डिजुबा सिंचाई परियोजना (बराज)	नागालैण्ड	मध्यम	डिजुबा/ब्रह्मपुत्र	कोहिमा	5/98	13.50	49.0	बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132.	ऊपरी कोलाब विस्तार परियोजना-ई आर एम*	उड़ीसा	वृहद	कोलाब/गोदावरी	कोरापुट, नवरंगपुर	9/98	19.28	71.66	बी
133.	तालाडंडा नहर और वितरणी संख्या 12 और इसकी प्रणाली का सुधार -ई आर एम*	उड़ीसा	वृहद	महानदी	कटक	8/99	13.237	57.06	ए
134.	महानदी डेल्टा चरण-1 और 2 के तहत जल निकास विकास फेज-1-ई आर एम*	उड़ीसा	वृहद	महानदी	कटक/पुरी	2/2000	47.80	227.75	ए
135.	इंब सिंचाई परियोजना दायें और बायें दोनों किनारों पर कंक्रीट स्पिलवे नहरों सहित कम्पोजिट गर्क्राफिल बांध	उड़ीसा	वृहद	ईब/महानदी	सुन्दरगढ़	2/98	106.280	1140	बी
136.	ऑग बांध परियोजना (ओ जी टाइप रेडियल गेटेड स्पिलवे युक्त मिट्टी का बांध, दायें व बांये दोनों तटों पर नहर प्रणाली)	उड़ीसा	वृहद	महानदी	बारगढ़	3/97	34.50	304.66	बी
137.	बुरंग सिंचाई परियोजना (कंक्रीट स्पिलवे सहित मिट्टी का बांध, कुवांरिया जलाशय तक संपर्क नहर, कुवांरिया जलाशय के दायें तट पर मुख्य नहर)	उड़ीसा	वृहद	बुरंग/महानदी	नवागढ़	1/98	31.00	27.25	बी
138.	सल्की सिंचाई परियोजना का सुधार-ई आर एम*	उड़ीसा	वृहद	सल्की/महानदी	बोध	9/99	20.141	11.57	बी
139.	आनंदपुर बराज परियोजना	उड़ीसा	वृहद	बैतरणी/ बैतरणी	क्योंझर, भद्रक, बालासोर	1/2001	56.72	482.26	बी
140.	महेन्द्रतन्या सिंचाई परियोजना (बांध)	उड़ीसा	मध्यम	महेन्द्रतन्या/ वम्सधारा	गजपति	3/2000	95.04	100.98	बी
141.	ओ जी टाइप स्पिलवे युक्त मनबोर मिट्टी का बांध, दायें और बायें तट पर नहर प्रणाली	उड़ीसा	मध्यम	महानदी	धेनकनाल	8/91	10.43	37.70	बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142.	रुकुरा (ओ जी टाइप स्पिलवे युक्त मिट्टी का बांध, दायें और बायें तटों पर नहर प्रणाली)	उड़ीसा	मध्यम	ब्राह्मणी	सुन्दरगढ़	5/93	7.65	15.15	बी
143.	धौरागांव (सेन्ट्रल ओ जी टाइप रेडियल गेटेड स्पिलवे युक्त मिट्टी का बांध, दायें और बायें तटों पर नहर प्रणाली	उड़ीसा	मध्यम	बाराबंकी/ महानदी	धेनकनाल	9/96	3.01	16.80	बी
144.	ओजी टाइप स्पिलवे युक्त रेत मिट्टी का बांध, तट के दोनों साइडों पर नहर प्रणाली	उड़ीसा	मध्यम	रेत/टेल/ महानदी	कालाहांडी	10/97	9.775	86.14	बी
145.	ऊपरी लांथ (सेन्ट्रल ओजी टाइप रेडियल गेटेड स्पिलवे युक्त मिट्टी का बांध, दायें तट पर नहर प्रणाली	उड़ीसा	मध्यम	लांथ/टेल/ महानदी	बोलनगीर	11/97	6.105	48.99	बी
146.	समकोई (बराज)	उड़ीसा	मध्यम	समकोई/ ब्राह्मणी	अंगुल	2/99	14.27	43.85	बी
147.	बेलीगाड़ा बांध परियोजना	उड़ीसा	मध्यम	बदजोड़ नाला/वम्सधारा	गजपति	1/99	3.120	52.96	बी
148.	हदुआ/महानदी सिंचाई परियोजना (मिट्टी का बांध)	उड़ीसा	मध्यम	हदुआ/महानदी	कटक	2/2001	5.728	61.48	बी
149.	पंजाब सिंचाई व जल निकास परियोजना (फेज-3)*	पंजाब	वृहद	-	पंजाब के सभी जिले	5/98	2108.91	1149.00	ए
150.	श्री दसमेश सिंचाई परियोजना	पंजाब	वृहद	आनन्दपुर जल विद्युत चैनल	पटियाला	2/2001	130.00	647	ए
151.	भाखड़ा मुख्य नहर की रीलिंग लाइनिंग-ईआर एम	पंजाब	वृहद	सतलज	-	3/02	-	26.69	ए
152	सतलज यमुना संपर्क नहर भाग-3 का संशोधित परियोजना अनुमान*	पंजाब	वृहद	सतलज	रोपड़, पटियाला	6/94	130.00	195.44	ए
153.	सतलज यमुना संपर्क मुख्य नहर भाग-1*	पंजाब	वृहद	सतलज, यमुना	कैरियर चैनल	09/94	-	601.25	डी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154.	सरहिंद फीडर के तटों/ रैजिंग लाइनिंग-ई आर एम	पंजाब	मध्यम	फिरोजपुर फीडर	फिरोजपुर	5/2001	-	13.7543	ए
155.	प्रथम पटियाला फीडर और कोटला शाखा के चैनलों का सुधार	पंजाब	मध्यम	-	संगरूर	5/2001	9.700	46.00	ए
156.	पंजाब सिंचाई परियोजना (चैनलों को पक्का करना) रिड्फ निधि के तहत-ई आर एम	पंजाब	मध्यम	रावी	गुरदासपुर, अमृतसर व पटियाला	2/2000	8.330	49.02 (9/99 मूल्य स्तर)	बी
157.	पिपल्दा लिफ्ट सिंचाई	राजस्थान	वृहद	चम्बल/गंगा	सवाई माधोपुर	9/96	14.87	11.39	ए
158.	भरतपुर जिले में यमुना जल का उपयोग	राजस्थान	वृहद	यमुना/गंगा	भरतपुर	7/96	86.500	150.0	ए
159	झुंझुनू जिले में यमुना जल का उपयोग	राजस्थान	वृहद	यमुना/गंगा	झुंझुनू	1/98	35.00	273.00	ए
160.	इंदिरा गांधी नहर चरण-1-ई आर एम*	राजस्थान	वृहद	रावी-व्यास/सिंधु	श्रीगंगानगर बीकानेर व जैसलमेर	3/93	32.60	121.92	बी
161.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना-ई आर एम*	राजस्थान	वृहद	-	राजस्थान के 26 जिले	1/01	619.195	745.59	बी
162.	पिपलाद सिंचाई (बांध)	राजस्थान	मध्यम	पिपलाद/चम्बल	झालावाड़	2/93	4.70	21.88	ए
163.	चाकनन्द सिंचाई (बांध)	राजस्थान	मध्यम	चाकन/चम्बल	बून्दी	9/92	3.38	9.55	बी
164.	गरारदा सिंचाई (बांध)	राजस्थान	मध्यम	मांगली/चम्बल	बून्दी	7/95	9.22	39.51	बी
165.	कावेरी डेल्टा फेज-1 का आधुनिकीकरण-ई आर एम*	तमिलनाडु	वृहद	कावेरी	थन्जावूर	8/85	70.00	78.80	बी
166.	इरूकनगुड्डी जलाशय (मिट्टी का बांध)	तमिलनाडु	मध्यम	कन्याकुमारी	वैप्पार	2/95	4.229	72.00	बी
167.	कन्हर सिंचाई	उत्तर प्रदेश	वृहद	सोन/गंगा	मिर्जापुर	6/99	33.12	341.45	ए
168.	कचनोदा बांध	उत्तर प्रदेश	वृहद	जामनी/बेतवा	ललितपुर	11/2000	13.55	70.45	ए

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169.	मौजूदा शारदा नहर प्रणाली पर जल प्रबंधन सुधार-ई आर एम*	उत्तर प्रदेश	वृहद	शारदा/गंगा	बरेली, पीलीभीत, नैनीताल, हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव व रायबरेली	7/2001	806.3	102.41	बी
170.	बाणसागर नहर	उत्तर प्रदेश	वृहद	गंगा	इलाहाबाद और मिर्जापुर	2/2002	150.132	620.80	बी
	लहचूरा बांध का आधुनिकीकरण-ई आर एम	उत्तर प्रदेश	वृहद	धसान/यमुना	झांसी	4/2002	46.485	94.18	बी
	मेजा बांध को ऊंचा उठाना	उत्तर प्रदेश	वृहद	टौन्स/गंगा	इलाहाबाद और मिर्जापुर	3/92	17.88	65.0	बी
	मौदहा बांध	उत्तर प्रदेश	वृहद	बेतवा/यमुना/गंगा	हमीरपुर	3/90	17.70	125.16	बी
	[illegible]	उत्तर प्रदेश	वृहद	भाभर नल्ला/घाघरा/गंगा	गोन्डा	10/93	11.88	36.70	बी
	बुंदेलखण्ड में चैनलों को पक्का करना-ई आर एम	उत्तर प्रदेश	वृहद	गंगा	इलाहाबाद, बांदा, झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर व वाराणसी	5/92	23.78	57.37	बी
171.	भूपौली पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना-ई आर एम	उत्तर प्रदेश	वृहद	गंगा	वाराणसी	8/97	34.605	60.53	बी
172.	उत्तर प्रदेश जल पुनर्संरचना परियोजना*	उत्तर प्रदेश	वृहद	घाघरा/गोमती बेसिन	प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, बहराइच	4/2001	300.00	663.41 (अनंतिम)	डी
173.	भौरट व उटारी बांध	उत्तर प्रदेश	मध्यम	जामनी/बेतवा	ललितपुर	9/2001	7.905	52.10	ए
	टिहरी बांध (वृहद)	उत्तरांचल	वृहद	टौन्स/गंगा	-	7/97	विद्युत (600 मे.वा.) दिल्ली को जल आपूर्ति 617 एमसीएम/प्रतिवर्ष	4099.00	सी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180.	कंगसावती जलाशय का आधुनिकीकरण (फज-1) -ई आर एस*	पश्चिम बंगाल	वृहद	कंगसावती/गंगा	बांकुरा, मिदनापुर व हुगली	10/96	355.48	471.90	ए

स्थिति:

ए-मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं के तहत परियोजना।

बी-जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा कुछ टिप्पणियों के अधीन स्वीकृत।

सी-जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा आस्थगित।

डी-निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को भेजी गई।

डेयरी उद्योग

2808. श्री आर. एस. पाटिल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए डेयरी उद्योग गुणवत्ता संबंधी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रयुक्त करके उत्पादों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

(ख) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय बीज निगम में पदों का अनियमित उन्नयन

2809. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1991 के दौरान उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति की उन सिफारिशों की जानकारी है जिनमें कहा गया है कि केन्द्रीय महंगाई भत्ते के आधार पर सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम द्वारा 1 जनवरी 1989 के पश्चात नए पदों का सृजन न किया जाये और पदों का उन्नयन नए पदों के सृजन के रूप में माना जाये;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड में 120 पदों के अनियमित उन्नयन हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए क्या कारवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा इस अनियमितता को समाप्त करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है और इन्हें कब तक किए जाने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) उच्चाधिकारी प्राप्त वेतन समिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के संबंध में 1.1.1989 को अथवा इस तारीख के बाद की गई सभी नियुक्तियां आई डी ए वेतनमानों द्वारा अधिशासित मानी जाएंगी। दिनांक 1.1.1989 को अथवा इस तारीख के बाद नियुक्त कर्मचारियों हेतु आई.डी.ए. पैटर्न पर उपयुक्त वेतनमान संबंध मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा तैयार किए जाएं।

राष्ट्रीय बीज निगम ने सूचित किया है कि प्रगतिरोध हटाने तथा समरूप औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करने के लिए कुछ पदों का उन्नयन किया गया। राष्ट्रीय बीज निगम को इस संबंध में आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दी गई है

[हिन्दी]

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को धनराशि

2810. श्री रामदास आठवले: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) राज्य सरकारों को कब तक उक्त धनराशि जारी किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के लिए अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता दो बराबर किस्तों में वर्ष दर वर्ष आधार पर जारी की जाती है। केन्द्रीय ऋण सहायता की पहली किस्त अग्रिम रूप में उपलब्ध करा दी जाती है तथा दूसरी किस्त, केन्द्रीय जल आयोग की मानीटरिंग रिपोर्ट के आधार के साथ-साथ राज्य हिस्से के साथ पहली किस्त के 70 प्रतिशत से अधिक खर्च होने के बाद, जारी की जाती है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का आबंटन योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्शों के दौरान किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता के वास्ते 2800 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष के वास्ते विभिन्न राज्यों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता की निर्धारित की गई सीमाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	वार्षिक योजना 2003-2004 के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	275.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00
3.	असम	35.00
4.	बिहार	100.00
5.	झारखंड	31.00
6.	गोवा	8.00
7.	गुजरात	630.00
8.	हरियाणा	25.00
9.	हिमाचल प्रदेश	15.00
10.	जम्मू व कश्मीर	60.00
11.	कर्नाटक	450.00
12.	केरल	15.00
13.	मध्य प्रदेश	250.00
14.	छत्तीसगढ़	100.00
15.	महाराष्ट्र	120.00
16.	मणिपुर	*22.00
17.	मेघालय	4.00
18.	मिजोरम	1.50
19.	नागालैंड	8.00
20.	उड़ीसा	250.00
21.	पंजाब	100.00
22.	राजस्थान	250.00
23.	सिक्किम	1.50
24.	तमिलनाडु	20.00
25.	त्रिपुरा	22.00
26.	उत्तर प्रदेश	275.00
27.	उत्तरांचल	20.00
28.	पश्चिम बंगाल	40.00

*सीमा-अनंतिम है।

ताजमहल की सुरक्षा हेतु परियोजनाएं

2811. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ताजमहल को प्रदूषण से बचाने और इसके सौन्दर्य को बनाए रखने के लिए क्या संसाधन जुटाए गए हैं।

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ताज के संरक्षित क्षेत्रों के विकास हेतु संसाधन जुटाने के लिए केन्द्र सरकार से बराबर अंशदान की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए यह मांग की गई है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (घ) ताजमहल की पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षा के उद्देश्य से कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिनमें विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बाढ़ जल निकासी प्रणाली में सुधार, आगरा शहर की सड़कों को चौड़ा करना और उनमें सुधार करना शामिल हैं। ये परियोजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा समान अंशदान के आधार पर शुरू की गई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ''ताज सुरक्षा मिशन'' के तहत क्रियान्वित की जा रही हैं।

आम बोर्ड का गठन

2812. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्य देशों को आम की विभिन्न किस्मों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यतः उत्तर प्रदेश मे एक आम बोर्ड की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। दूसरे देशों को आमों की विभिन्न किस्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैंगो बोर्ड, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) आमों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना पैकेजिंग विकास, मानव संसाधन विकास, निर्यात संवर्धन, मंडी विकास एवं गुणवत्ता नियंत्रण जैसे विभिन्न क्रियाकलापों के लिए व्यक्तियों/निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, अपेडा ने राज्य सरकारों के सहयोग से आमों के निर्यात संवर्धन हेतु क्षेत्र आधारित कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कृषि निर्यात क्षेत्रों के अंतर्गत कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।

छत्तीसगढ़ की आखा मेनसफाल मेगा परियोजना

2813. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने 'आखा मेनसफाल' मेगा परियोजना इसके ब्लूप्रिंट सहित स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की हैं; और

(ख) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) केन्द्रीय जल आयोग को छत्तीसगढ़ का ''आखा मंसाफाल'' वृहद परियोजना नामक कोई प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के वास्ते प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नदी जल का निजीकरण किया जाना

2814. डा. डी.वी.जी. शंकर राव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा, श्योनाथ, परियार और अन्य नदियों के जल का निजीकरण किया गया है और किसान और गांव वाले जल के लिए तड़पते रहते हैं जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां नगरों और शहरों में धनी लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हेतु नदियों से प्रतिदिन मिलियन लीटर पानी लेती है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में जल के निजीकरण हेतु उदारतापूर्वक धन प्रदान कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में लोगों के विरोध की अनदेखी की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम

2815. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नेपाल, भूटान और बंग्लादेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बंगाल से जुड़ी नदियों हेतु कोई बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या दसवीं योजना में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनमें से अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) भारत सरकार जल संसाधनों के विकास के क्षेत्र में बांग्लादेश, नेपाल और भूटान सहित पड़ोसी देशों के साथ लगातार बातचीत कर रही है। सप्तकोसी उच्चबांध बहुउद्देश्यीय परियोजना और सनकोसी भंडारण व डाइवर्जन स्कीम के संबंध में क्षेत्र अन्वेषण, अध्ययन प्रारंभ करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए नेपाल के साथ सहमति हुई है जिसके लिए नेपाल में संयुक्त परियोजना कार्यालय की स्थापना की जा रही है। इस परियोजना से अन्य बातों के साथ-साथ बिहार को बाढ़ नियंत्रण संबंधी लाभ प्राप्त होंगे।

महाकाली (शारदा) नदी पर स्थित पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना के संबंध में क्षेत्र में अन्वेषण पूरे कर लिए गए हैं तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के लिए नेपाल के साथ बातचीत चल रही है। इस परियोजना से अन्य बातों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राज्य को आनुषंगिक बाढ़ नियंत्रण लाभ प्राप्त होंगे।

''भारत और नेपाल की साझी नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली'' संबंधी एक स्कीम वर्ष 1989 से प्रचालन में है। इसके अतिरिक्त, भारत और नेपाल सीमा के आसपास के क्षेत्र में जल आप्लावन की समस्याओं से निपटने के लिए जल आप्लावन समस्याओं संबंधी स्थाई समिति भी कार्य कर रही है। मौजूदा करारों और समझौतों के कार्यान्वयन सहित जल संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में उच्च स्तर पर कार्रवाई करने के लिए भारत और नेपाल के जल संसाधन सचिवों के नेतृत्व में जल संसाधनों संबंधी एक संयुक्त समिति का भी गठन किया गया है।

जहां तक भूटान का संबंध हैं, भूटान में स्थित 35 जल मौसम वैज्ञानिक केन्द्रों वाली ''भारत और भूटान की साझी नदियों पर मौसम वैज्ञानिक और बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना के लिए विस्तृत स्कीम'' प्रचालन में है। इन केन्द्रों से प्राप्त आंकड़ों का भारत में बाढ़ पूर्वानुमान तैयार करने में उपयोग किया जाता है।

बांग्लादेश के संबंध में दक्षिण पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के जुड़े हुए क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली सितंबर, 2000 की अभूतपूर्व बाढ़ की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में इच्छामती बेसिन में बाढ़ प्रबंधन के लिए भविष्य में बाढ़ आपदाओं का संयुक्त रूप मे सामना करने के वास्ते एक कार्रवाई योजना तैयार करने तथा विचार के लिए इसे संयुक्त नदी आयोग को प्रस्तुत करने के वास्ते एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया गया है। यह समिति दो बैठकें आयोजित कर चुकी है और इसने बांग्लादेश और भारत दोनों में अध्ययन क्षेत्रों का दौरा किया है तथा अध्ययनों को पूरा करने के लिए एक कार्रवाई योजना बनाई गई है।

(ख) बाढ़ प्रबंधन/नियंत्रण राज्य का विषय होने के कारण ऐसी स्कीमों को तैयार करना और उनका निष्पादन राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। तथापि, भारत सरकार नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जुड़ी नदियों के संबंध में बाढ़ प्रबंधन से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों की सहायता कर रही है। इस संबंध में 10वीं योजना में कार्यान्वयन के लिए 60 करोड़ रुपये के परिव्यय से बिहार को लाभ पहुंचाने वाली लालबकिया, बागमती, कमला और खांडों नदियों पर तटबंधों को ऊंचा करने, सुदृढ़ करने और उनका विस्तार करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की गई है। उपरोक्त स्कीम के तहत बिहार सरकार को वर्ष 2002-2003 के दौरान 1.5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। इस संबंध में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में तीन स्कीमें दो बागमती नदी पर और एक कमला नदी के लिए प्राप्त हुई थीं। इनकी जांच की गई और इन पर की टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई जिनकी अनुपालना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार नेपाल के क्षेत्र में कोसी और गंडक परियोजनाओं के आसपास के क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रखरखाव प्रारम्भ करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा कार्यों के संबंध में व्यय की गई पूरी लागत की भी प्रतिपूर्ति कर रही है। ये कार्य प्रत्येक वर्ष मानसून की समाप्ति पर कोसी और गंडक उच्च स्तर समितियों की सिफारिशों के आधार पर किए जाते हैं। दसवीं योजना के दौरान इस स्कीम के लिए 35 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई है जिसमें से वर्ष 2002-03 के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों को क्रमश: 7.54 करोड़ रुपए और 0.85 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी।

जहां तक साझी सीमा नदियों पर पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में आपातिक बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल का संबंध है, वर्ष 1999-2000 से केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराई जा रही है। तथापि, दसवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता के लिए पश्चिम बंगाल से अभी तक ऐसी कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय मत्स्यन प्राधिकरण की स्थापना

2816. श्री चिंतामन वनगा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को भारतीय मत्स्यन प्राधिकरण की स्थापना हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारतीय मात्स्यिकी प्राधिकरण स्थापित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ए.टी.एफ. पर बिक्री कर

2817. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एविएशन टरबाईन फ्यूल पर राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री कर का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने अपने राज्यों में नागर विमानन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ए.टी.एफ पर लगाए गए बिक्री कर को कर कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का ए.टी.एफ पर बिक्री कर की कटौती के कारण हुए घाटे की पूर्ति हेतु ए.टी.टी. पर न्यूनतम बिक्री कर लगाने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने 1.4.2002 से, पहले के 30.55% से 4% तक की कमी करके विमानन टरबाईन ईंधन पर विक्रय कर घटा दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 1.5.2003 से पहले की 20% दरों पर 4% तक कमी करके, विमानन टरबाईन ईंधन पर विक्रय कर घटा दिया है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रखी दी जाएगी।

गहन कपास विकास कार्यक्रम

2818. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री जी. जे. जावीया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कपास उत्पादकों के आर्थिक विकास हेतु गहन कपास विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात बीज बायो एजेंट्स स्प्रेयर्स, ड्रिप सिंचाई प्रणाली आदि के वितरण के संबंध में राज्यवार और वर्षवार कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-II के अंतर्गत गहन कपास विकास कार्यक्रम 13 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम का मूल उद्देश्यीय कपास का उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना है। इस कार्यक्रम के अधीन देश में कपास उगाने वाले किसानों के आर्थिक विकास के लिए बीजों, स्प्रेयर स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली फेरोमेन ट्रैस तथा बायो एजेंट आदि की आपूर्ति तथा साथ ही खेतों पर प्रदर्शन और कृषक प्रशिक्षण के जरिये प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु किसानों को सहायता दी जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी -II के अंतर्गत गहन कपास कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की राज्य-वार प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य और घटक-वार प्रगति का ब्यौरा 2000-01, 2001-02 और 2002-03

	2000-01				2001-02				2002-03			
राज्य	1@	2#	3$	4*	1@	2#	3$	4*	1@	2#	3$	4*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	443	4916	2057	20	16	5088	3365	—
गुजरात	7	7698	2913	393	373	10586	17543	508	4684	7576	10239	17

1	2	3	4	5	6*	7	8	9	10	11	12	13
हरियाणा	3000	2345	4000	—	5014	3480	7000	—	2435	—	5138	—
कर्नाटक	—	3839	22212	73	87.40	10241	12206	114	2	11122	2209	62
मध्य प्रदेश	223	402	4834	—	363	600	5912	9	593	630	7392	60
महाराष्ट्र	—	2954	9638	—	1623	14714	16680	460	1812	11623	11623	230
उड़ीसा	—	1000	2298	—	—	500	311	—	—	1550	2158	—
पंजाब	3146	—	—	—	2445	—	—	—	675	—	—	—
राजस्थान	15109	—	1726	—	16360	507	1306	—	5324	1809	1101	—
तमिलनाडु	282	3131	2045	51	697.30	3262	1764	42	839	3556	1157	65
उत्तर प्रदेश	351	10	1944	—	605	—	5182	—	191	—	4025	—
पश्चिम बंगाल	40	—	—	—	—	260	272	—	—	—	—	—
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	474	—

@1. प्रमाणित बीज का वितरण (क्विंटल)

#2. बायोएजेंट का वितरण (हैक्टेयर)

$3. स्प्रेयर का वितरण (सं.)

*4. ड्रिप सिंचाई प्रणाली का वितरण (सं.)

वन भूमि से अतिक्रमण हटाना

2819. श्री नेपाल चन्द्र दास: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रत्येक जिले में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में कितने नोटिस जारी किए गए हैं;

(ख) क्या कुछ नोटिस ऐसे मामलों में भी जारी किए गए हैं जहां भूमि राजस्व विभाग द्वारा राजस्व भूमि के रूप में आवंटित की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ग) वन भूमि पर अतिक्रमणों को हटाने के लिए संबंधित राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए जाते हैं और जारी किए गए इन नोटिसों की संख्या और स्वरूप के विवरण मंत्रालय में संकलित नहीं किए जाते। मंत्रालय का कार्य मुख्यत: वन भूमि से अतिक्रमणों को हटाने के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार करना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार संघ शासित क्षेत्र से अब तक लगभग 1712.900 हैक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है।

गृह आधारित श्रमिकों के लिए कानून

2820. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में गृह आधारित श्रमिकों के कल्याण के लिए एक व्यापक कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गृह आधारित श्रमिकों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों की श्रेणी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक तैयार कर दिये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं। सरकार का केवल "गृह आधारित श्रमिकों" के लिए एक व्यापक कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों की समस्याएं

2821. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम मूल्य मिलने के कारण धान, तिलहन और पाम ऑयल का उत्पादन करने वाले किसान कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान धान/चावल और तिलहन के थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि का रुख दिखाई दिया है। आयल-पाम का मूल्य भी लाभप्रद है।

(ग) गिरते हुए मूल्यों की स्थिति में धान तथा तिलहन की खेती करने वाले किसानों के हित की रक्षा करने के लिए सरकार उन स्थितियों में मूल्य समर्थन कार्य शुरू करती है जब मंडी में मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के आस-पास आ जाता है या इससे नीचे गिर जाता है। आयल-पाम जो बहुत जल्द खराब होने वाली फसल है, के संबंध में सरकार राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर मंडी हस्तक्षेप स्कीम चलाती है और यदि कोई हानि होती है तो उसे केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से बांटा जाता है।

मुंबई में जल संदूषण

2822. श्री किरीट सोमैया: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान मुंबई में पेय जल की घटती गुणवत्ता से संबंधित एम.एम.आर.डी.ए. और अन्य विशेषज्ञ संगठन की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वच्छ वातावरण समिति (सोसायटी फॉर क्लीन एनवायरनमैंट) ने यह पाया है कि मुंबई में जल संदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं और इसने क्या टिप्पणियां की हैं;

(घ) क्या कुछ लोक प्रतिनिधि भी इस बात को सरकार के ध्यान में लाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का योगदान

2823. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महिला श्रमिक सकल घरेलू उत्पाद में 30 प्रतिशत से अधिक का योगदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में महिला श्रमिकों द्वारा कितने प्रतिशत योगदान दिया गया;

(घ) सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला श्रमिकों के योगदान में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में महिला श्रमिकों के योगदान में वृद्धि करने के प्रयास कितने सफल रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) देश के सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं के योगदान के अलग से आकलन नहीं रखे जाते।

(घ) और (ङ) महिलाएं भारत के कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यद्यपि, महिलाओं के रोजगार के विकास की वार्षिक दर में थोड़ा सा सुधार हुआ है, शिक्षित महिलाओं के रोजगार के विकास की वार्षिक दर काफी अधिक है।

कार्य में महिलाओं की सहभागिता दर (एफ डब्ल्यू पी आर) 1991 में पुरुषों की 51.6 की तुलना में 22.3 पर काफी कम दर्ज की गयी थो। महिला कामगारों में 81% प्राथमिकता क्षेत्र में कार्यरत थीं और केवल 8 और 11% क्रमशः द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत थीं। जनगणना 2001 के अनंतिम निष्कर्ष में एफ डब्ल्यू पी आर में 25.6% तक की मध्यम वृद्धि दर्शायी गयी है।

सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में क्रमिक सुधार हो रहा है। सार्वजनिक निर्णय लेने में भी महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हो रही है। 73वें और 74वें संशोधन द्वारा स्थानीय निकाय प्रशासन संरचना में स्थान दिए जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न स्तरों पर लाखों महिलाओं का प्रवेश हो रहा है। राज्यों में ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में महिलाओं की भागीदारी 3 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक है।

पंचवर्षीय योजना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें अर्थव्यवस्था में समान रूप से सम्पूर्ण विकास पर विचार किया जाता है। इसमें पुरुषों/महिलाओं द्वारा अधिक योगदान कराए जाने पर विचार नहीं किया जाता। चूंकि यह एक सम्पूर्ण प्रक्रिया है अतः सकल घरेलू उत्पाद में महिला श्रम के योजना-वार योगदान से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) द्वारा बागवानी नीलामी बाजारों की स्थापना

2824. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
श्री ए. पी. जितेंद्र रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) के माध्यम से बागवानी नीलामी बाजारों की स्थापना के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इस समय बंगलौर में एक बागवानी नीलामी बाजार स्थापित कर रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को आंध्र प्रदेश से बागवानी नीलामी बाजार स्थापित करने का एक इसी प्रकार का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

पर्यटन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को सहायता

2825. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सहित अन्य राज्य सरकारों से राज्यों में पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों के लिए सहायता कब तक जारी कर दी जाएगी?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) पर्यटन परियोजनाएं राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके अभिनिर्धारित की जाती हैं और धन की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर, मेरिट के आधार पर स्वीकृत की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

प्राप्त प्रस्तावों/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ हुए परामर्शों के आधार पर गुजरात सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में वर्ष 2002-03 के दौरान 111.21 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता की 212 पर्यटन परियोजनाएं, पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए स्वीकृत की गई थी। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2002-2003 के दौरान स्वीकृत राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2	507.50	195.00
2.	असम	9	768.13	618.85

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	41.30	32.50
4.	बिहार	8	505.00	505.00
5.	छत्तीसगढ़	9	308.00	98.50
6.	गोवा	1	0.50	0.50
7.	गुजरात	2	197.12	59.13
8.	हरियाणा	8	332.25	311.00
9.	हिमाचल प्रदेश	30	779.32	760.38
10.	जम्मू व कश्मीर	3	94.38	89.47
11.	झारखंड	0	0	0
12.	कर्नाटक	6	902.49	625.49
13.	केरल	11	861.36	829.86
14.	मध्य प्रदेश	18	711.18	574.79
15.	महाराष्ट्र	8	623.46	546.25
16.	मणिपुर	2	5.24	2.62
17.	मेघालय	3	70.35	21.20
18.	मिजोरम	6	141.16	48.46
19.	नागालैंड	5	360.50	323.43
20.	उड़ीसा	2	47.50	15.75
21.	पंजाब	3	23.00	14.60
22.	राजस्थान	13	1098.70	1096.20
23.	सिक्किम	13	346.24	269.76
24.	तमिलनाडु	5	559.00	316.10
25.	त्रिपुरा	5	216.13	67.78
26.	उत्तरांचल	3	548.00	418.00
27.	उत्तर प्रदेश	3	295.00	295.00
28.	पश्चिम बंगाल	5	201.10	60.00
29.	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0

1	2	3	4	5
30.	चंडीगढ़	3	7.75	6.63
31.	दादरा नगर हवेली	2	8.07	6.46
32.	दिल्ली	14	504.00	449.02
33.	दमन एवं दीव	3	49.50	16.90
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	2	7.87	6.30
	जोड़	212	11121.10	8680.93

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एन.सी.सी.एफ.) से गुजरात को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सहायता

2826. श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि को एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया है और 900 करोड़ रुपये की धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य को किस तिथि को और कितनी अवधि के लिए वास्तविक धनराशि जारी की गयी;

(ग) क्या इस मांग को पूरी तरह से पूरा कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) गुजरात ने वर्ष 2002-03 के सूखे के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 895.34 करोड़ रुपये की सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उप प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति द्वारा इस पर विचार किया गया और राज्य को निर्मुक्ति हेतु उच्चस्तरीय समिति द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से किसी भी प्रकार की सहायता का अनुमोदन नहीं किया गया, क्योंकि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए गृह मंत्रालय जो आपदा राहत कोष और और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष के लिए शीर्षस्थ विभाग है, द्वारा जैसा कि पता लगाया गया, राज्य सरकार के पास उनके आपदा राहत कोष में पर्याप्त शेष है।

ठेका श्रमिकों का नैमित्तिकरण

2827. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डी.वी.सी. के चन्द्रपुरा और बोकारो ताप स्टेशन जैसे प्रतिष्ठानों के ठेका श्रमिकों के नैमित्तिकरण का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) जी, नहीं। ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने से संबंधित अधिसूचना जारी किए जाने की स्थिति में ठेका श्रमिकों के नियमितीकरण का कोई प्रावधान शामिल नहीं है।

दामोदर वैली कारपोरेशन के चन्द्रपुरा तथा बोकारो थर्मल स्टेशन के कतिपय कार्यों तथा प्रक्रियाओं में ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करने के संबंध में एक अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ था। केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड मामले पर विचार कर ही रहा था कि दिनांक 30 अगस्त, 2001 को स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड बनाम नेशनल यूनियन आफ वाटरफ्रंट वर्कर्स तथा अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे

दिया जिसके अनुसार इस मामले में झारखंड की राज्य सरकार समुचित सरकार हो गई है। तदनुसार मामले में उपयुक्त कार्रवाई के लिए उक्त अभ्यावेदन और अन्य संबद्ध रिकार्ड राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

कोयला खानों और इस्पात संयंत्रों में ठेका श्रमिक

2828. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला खानों और इस्पात संयंत्रों में ठेका श्रमिकों को काम पर लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने ठेका प्रणाली को समाप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को यह मालूम है कि राष्ट्रीय कोयला खानों एवं स्टील संयंत्रों में ठेका श्रमिकों को काम पर लगाया जा रहा है। तथापि ठेका श्रम के बारे में उद्योगवार आंकड़े केन्द्रीयकृत रूप में नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) कतिपय परिस्थितियों में ठेका श्रम को प्रतिषिद्ध करने और जहां कहीं भी इस प्रकार के नियोजन को प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है वहां ठेका श्रम की कार्य दशाओं को विनियमित करने के लिए ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 को अधिनियमित किया गया है। भारत सरकार द्वारा कोयला खानों एवं स्टील संयंत्रों की विभिन्न प्रक्रियाओं और प्रचालनों में ठेका श्रम के निषेध के ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अंतर्गत समय-सयम पर विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

जल स्तर में गिरावट

2829. श्री हरीभाऊ शंकर महाले:
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भू-जल स्तर में कितनी गिरावट आयी है और इसके राज्य-वार कारण क्या है;

(ख) क्या सरकार इस मामले की जांच करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने जल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए क्या प्रयास किये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए प्रेक्षण के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान भू-जल स्तर में गिरावट के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भू-जल स्तर में गिरावट के प्रमुख कारण, तेजी से हो रहे शहरीकरण, कृषि, औद्योगिक और घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बढ़ती मांग, फसल पद्धति में परिवर्तन और भूजल की अत्यधिक निकासी खराब वर्षा आदि हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधन संवर्धन संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण एवं उनके क्रियान्वयन का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार ने देश में भूजल संसाधनों के संवर्धनों हेतु निम्नलिखित उपाय प्रारंभ किए हैं:-

(i) देश में भूजल के पुनर्भरण अध्ययन संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का क्रियान्वयन करना।

(ii) दसवीं योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन" संबंधी एक केन्द्र प्रयोजित स्कीम तैयार करना। यह स्कीम परामर्श स्तर पर है।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैन्युअल/दिशा-निर्देश परिचालित करना ताकि वे भूजल स्तर में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्षेत्र विशेष कृतिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(iv) जन जागरूकता कार्यक्रमों और वर्षा जल संचयन तथा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(v) वर्ष 1970 में एक माडल बिल परिचालन जिसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1992 और तत्पश्चात वर्ष 1996 में पुनः परिचालित किया गया था ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें।

(vi) भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी जी डब्ल्यू ए) का गठन करना।

(vii) वर्षा जल संचयन और भविष्य में उपयोग के लिए इसके भंडारण की विभिन्न तकनीकों के संबंध में लोगों को जागरूक एवं शिक्षित बनाने के लिए छत के वर्षा जल के संचयन संबंधी एक वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. सीजीडब्ल्यूबीइंडिया.काम) प्रारंभ करना।

विवरण

वर्ष 1999-2000 के बीच भूजल स्तर में गिरावट (मानसून-पूर्व) का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या जिनके जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई	गिरावट की सीमा (मीटर में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	15	0.24-5.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	0.85-1.91
3.	असम	11	0.16-1.88
4.	बिहार	7	0.14-1.66
5.	छत्तीसगढ़	15	1.00-2.20
6.	दिल्ली	6	0.54-8.57
7.	गुजरात	5	0.45-3.32
8.	हरियाणा	17	0.20-3.96
9.	हिमाचल प्रदेश	6	1.30-1.61
10.	जम्मू व कश्मीर	4	1.13-2.09
11.	झारखंड	8	0.38-4.40
12.	कर्नाटक	20	0.19-3.22
13.	केरल	6	0.40-1.43
14.	मध्य प्रदेश	34	0.14-4.31
15.	महाराष्ट्र	27	0.15-2.68
16.	मेघालय	1	0.70
17.	उड़ीसा	12	0.13-1.48
18.	पंजाब	14	0.25-3.53
19.	राजस्थान	17	0.48-4.46
20.	तमिलनाडु	27	0.50-5.79
21.	उत्तर प्रदेश	25	0.12-3.45
22.	पश्चिम बंगाल	17	0.24-2.43

यूनेस्को का हंपी दौरा

2830. श्री आर. एल. जालप्पा: क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को के दल ने संकटापन्न स्थिति वाले स्मारकों की अपनी विश्व विरासत सूची के संबंध में समीक्षा करने के लिए हंपी का दौरा किया; और

(ख) यदि हां, तो यह दौरा किस तिथि को किया गया और इसका क्या परिणाम निकला।

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। विश्व-दाय केन्द्र के उप निदेशक की अध्यक्षता में यूनेस्को के एक दो सदस्यीय दल ने हंपी के विश्वदाय स्थल की संरक्षण संस्थिति की जांच के लिए 2 से 6 मई, 2003 के बीच हंपी का दौरा किया और सुधारात्मक उपायों विशेषत: यूनेस्को के एक विशेषज्ञ द्वारा अनुशंसित एक बाईपास रोड को बनाने के संबंध में केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किए।

उनके दौरा के बाद, उनकी सिफारिशों की भी विश्वदाय समिति द्वारा द्वारा पेरिस में जून, 2003 में हुई उनकी बैठक में पुनरीक्षा की गई है। महत्वपूर्ण सिफारिशों में प्रबंधन योजना के विस्तार, स्थल के संरक्षण और विकास में यूनेस्को को सहयोजित करना शामिल है।

श्रमिकों का शोषण

2831. श्री रामशकल: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के श्रम आयुक्तों ने विभिन्न कारखानों में श्रमिकों के शोषण से संबंधित कोई शिकायतें दर्ज करायी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(घ) सरकार ने कारखानों में श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

धार्मिक भवनों के निर्माण के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति

2832. श्री सोहन पोटाई: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में गांवों की वन भूमि में की मंदिरों और चर्चों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की जायेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में गांवों की वनभूमि पर किसी मंदिर अथवा गिरजाघर का निर्माण नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उड़ीसा में इस्पात कंपनियों द्वारा निवेश किया जाना

2833. श्री अनन्त नायक:
श्री परसुराम मांझी:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ इस्पात कंपनियां उड़ीसा में निवेश करने की इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न इस्पात कंपनियों द्वारा राज्य में स्थापित की जाने वाली इस्पात परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर परियोजना-वार अनुमानित कितनी राशि खर्च होने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (घ) उड़ीसा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 19 कंपनियों ने उड़ीसा में लोहा और इस्पात संयंत्र स्थापित करने की इच्छा दर्शायी है। इन कंपनियों के संबंध में स्थान, क्षमता, निवेश और अपेक्षित भूमि सहित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जुलाई, 1991 में घोषित औद्योगिक नीति में इस्पात उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। इसलिए लोहा और इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित नहीं है। प्रतिबंधित स्थानों को छोड़कर उद्यमी देश में कहीं भी इस प्रकार के संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण

उन कंपनियों की सूची जिन्होंने उड़ीसा राज्य में लोहा और इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए अपने प्रस्ताव भेजे हैं

क्र.सं.	इस्पात संयंत्र का नाम	स्थान	क्षमता	निवेश	अपेक्षित भूमि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	मै. भूषण लि.	लपांग, जिला संबलपुर	चरण I-1.2 एमटीपीए 135 एमडब्ल्यू चरण II-2.8 एमटीपीए 270 एमडब्ल्यू	चरण-I-1650 करोड़ रुपए चरण-II-1850 करोड़ रुपए	1800 एकड़	भूमि की लागत निजी और सरकारी भूमि सहित के लिए कंपनी ने अधिग्रहण हस्तांतरण के लिए आईडीसीओ को 16.85 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं
2.	मै. आरती स्टील लि.	घंटीखाल एंड जिला कटक का सिंधपुर	चरण-I-डीआरआई संयंत्र 0.34 एमटीपीए, ऊर्जा संयंत्र 50 एमडब्ल्यू	चरण-I-433 करोड़ रुपए चरण-II-200 करोड़ रुपए	निजी भूमि 105.76 एकड़ सरकारी भूमि 548.05 एकड़	कंपनी को आवंटित 274 एकड़ भूमि के लिए कंपनी ने आईडीसीओ को 69 लाख रुपए जमा करा दिये हैं।

1	2	3	4	5	6	7
	मै. एम एस पी पावर जेनरेशन लि.	रेंगाली, जिला संबलपुर	चरण-I-कोयला आधारित डीआरआई संयंत्र 0.10 एमटीपीए, ऊर्जा संयंत्र-8 एमडब्ल्यू चरण-II-डीआरआई संयंत्र 0.2 एम टी पी ए, ऊर्जा संयंत्र-75 एमडब्ल्यू	चरण-I-59 करोड़ रुपए चरण-II-396 करोड़ रुपए	निजी भूमि 47.37 एकड़ सरकारी भूमि 229.26 एकड़	हिस्से में आवंटित 32 एकड़ भूमि के लिए कंपनी ने आईडीसीओ को 36 लाख रुपए जमा करा दिए हैं।
4.	मै. श्याम डीआरआई पावर लि.	रेंगाली, जिला संबलपुर	चरण-I-डीआरआई संयंत्र 0.2 एमटीपीए ऊर्जा संयंत्र 25 एमडब्ल्यू चरण-II-डीआरआई संयंत्र 0.4 एमटीपीए, ईएएफ/आईएफ 30 एमडब्ल्यू	चरण-I-240 करोड़ रुपए चरण-II-425 करोड़ रुपए	निजी भूमि 47.81 एकड़ सरकारी भूमि 121 एकड़	कंपनी ने आईडीसीओ के जरिए कलेक्टर, संबलपुर को गांव रेंगाली में 175 एकड़ भूमि के अधिग्रहण करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया है।
5.	मै. संचय मेटलिक्स (पी) लि.	सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला के समीप चढ़ीहरिपुर	चरण-I-डीआरआई संयंत्र 0.24 एमटीपीए, ऊर्जा संयंत्र-25 एमडब्ल्यू चरण-II-डीआरआई संयंत्र 0.115 एमटीपीए, ऊर्जा संयंत्र-45 एमडब्ल्यू	चरण-I-192 करोड़ रुपए चरण-II-198 करोड़ रुपए	निजीभूमि व सरकारी भूमि 280 एकड़	संयंत्र के लिए अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण तथा परियोजना के लिए पानी की पाईपलाइन बिछाने का कार्य कंपनी द्वारा आईडीसीओ को सौंप गया है
6.	मै. जिंदल स्टील एंड पावर लि.	क्योंझर जिले में दिबेहरा	चरण-I-डीआरआई संयंत्र 1.0 एमटीपीए ऊर्जा संयंत्र-100 एमडब्ल्यू चरण-II-डीआरआई संयंत्र 1.0 एमटीपीए, ऊर्जा संयंत्र-100 एमडब्ल्यू	चरण-I-1400 करोड़ रुपए चरण-II-2200 करोड़ रुपए	निजी भूमि 184.62 एकड़ सरकारी भूमि 53.72 एकड़	भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।
7.	मै. कंअलस्टर इंडस्ट्रीज लि.	जाजपुर जिले में दुबुरी	चरण-I-इस्पात बिलेट 0.23 एमटीपीए, ऊर्जा संयंत्र-24 एमडब्ल्यू चरण-II-इस्पात बिलेट - 0.21 एमटीपीए,	चरण-1-330 करोड़ रुपए चरण-II-480 करोड़ रुपए	300 एकड़	भूमि आवंटन समिति ने कलिंगनगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लैक्स जाजपुर में 300 एकड़ भूमि आवंटित की है। कंपनी ने 9375 रुपए जमा करा दिए हैं।
8.	मै. जिंदल स्ट्रिप्स लि.	जाजपुर जिले में दुबुरी	चरण-I-0.5 एमटीपीए स्लैब, चरण-II-1.0 एमटीपीए, केवल एचआर एंड कोल्ड	चरण-I-775 करोड़ रुपए चरण-II-3750 करोड़ रुपए	चरण-1-700 एकड़ चरण-II 500 एकड़	भूमि आवंटन समिति ने कलिंगनगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लैक्स जाजपुर में 300 एकड़ भूमि आवंटित की है।

1	2	3	4	5	6	7
9.	मै. बामरा आयरन एंड स्टील लि.	संभलपुर जिले में बामरा	चरण-I-स्पंज आयरन तप्त धातु -0.25 एमटीपीए स्टील बिलेट 0.3 एमटीपीए ऊर्जा संयंत्र-45 एमडब्ल्यू चरण-II-0.8 एमटीपीए तक की क्षमता बढ़ाई जाएगी	328 करोड़ रुपए		राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।
10.	मै. सन फ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लि.	लपंग, ढालकेल-रेंगाली, जिला संभलपुर	0.35 एमटीपीए, ऊर्जा संयंत्र -80 एमडब्ल्यू	398.71 करोड़ रुपए		परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होनी है।
11.	मै. भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लि.	जिला ढेंकनाल में मेरामुंडली	चरण-I-1.2 एमटीपीए-इस्पात उत्पाद, ऊर्जा संयंत्र 135 एमडब्ल्यू चरण-II- इस्पात उत्पाद ऊर्जा संयंत्र 2.8 एमटीपीए चरण-I-270 एमडब्ल्यू सहित	चरण-I-1650 करोड़ रुपए चरण-II-1850 करोड़ रुपए		आई पी आई सी ओ एल द्वारा कंपनी की वित्तीय एवं तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन किया जा रहा है।
12.	मै. [illegible] इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	गुंडीचापड़ा जिला ढेंकनाल	0.8 एमटीपीए-इस्पात ऊर्जा संयंत्र 100 एमडब्ल्यू	940 करोड़ रुपए		आई पी आई सी ओ एल द्वारा कंपनी की वित्तीय एवं तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन किया जा रहा है।
13.	मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	जाजपुर जिले में दुबुरी	1 एमटीपीए-85 एमडब्ल्यू	250 करोड़ रुपए		परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होनी है।
14.	मै. छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी कं. लि.	क्योंझर जिले में नयागढ़	0.4 एमटीपीए			परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होनी है।
15.	मै. महावीर फैरो एलॉय प्रा. लि.	कुआरमुंडा, सुन्दरगढ़ जिले में राउरकेला	0.35 एमटीपीए	409 करोड़ रुपए	-	परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होनी है।
16.	मै. एमएसपी स्पंज आयरन प्रा.लि.	सुन्दरगढ़/झारसुगुड़ा	300 टीपीडी इस्पात	60 करोड़ रुपए		परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होनी है।
17.	मै. बांके स्टील इंडस्ट्रीज	-	1 एमटीपीए	-		परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होनी है।
18.	मै. [illegible] इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	क्योंझर जिले के जोडा क्षेत्र में [illegible]	0.5 एमटीपीए	300 करोड़ रुपए		परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होनी है।
19.	मै. हिन्दुस्तान [illegible] प्रा. लि.	ढेंकनाल	1 एमटीपीए	940 करोड़		परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होनी है।

एमटीपीए—मिलियन टन वार्षिक
टीपीए—टन वार्षिक
टीपीडी—टन प्रतिदिन

रियायती टिकटें

[हिन्दी]

2834. **श्री चन्द्रेश पटेल:**
श्री अमर राय प्रधान:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों, वरिष्ठ नागरिकों महिलाओं और निर्धन पृष्ठभूमि के गंभीर रोगियों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया/ इंडियन एयरलाइंस द्वारा गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगियों को अनुकंपा के आधार पर कितनी निःशुल्क टिकटें दी गई हैं;

(ग) ये सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या उक्त श्रेणी के व्यक्तियों ने 1 जनवरी, 2001 से एयरलाइंस और सरकार को कोई मांग-पत्र या ज्ञापन दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई और इसके क्या परिणाम निकले?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) दोनों एयरलाइनें वरिष्ठ नागरिकों, कैंसर मरीजों, सैन्य बल कार्मिकों तथा नेत्रहीनों के लिए अपने घरेलू मार्गों पर मूल किरायों में विशेष रियायतें पेश कर रही हैं वर्तमान में दोनों एयरलाइनों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, कैंसर के मरीजों, सैन्यबल कार्मिकों तथा नेत्रहीनों के लिए उपलब्ध करायी जा रही सुविधाएं इस प्रकार हैं:-(i) श्रेणी के हिसाब से किरायों पर 50% से 80% की छूट, (ii) जरूरतमंद यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध किये गये हैं, (iii) सभी हवाई अड्डों पर व्हीलचेयरों वाले यात्रियों, शिशुओं सहित महिलाओं, वृद्धजनों, स्ट्रेचर वाले मामलों आदि को सहायता प्रदान करने के लिए ग्राहक सेवा काउंटर है, (iv) जहां भी संभव हो उनकी व्यवस्था टॉयलेटों के समीप की जाती है और फ्लोर लेवल एग्जिट के लिए शूट उपलब्ध कराये जाते हैं, (v) उनके लिए ऐसी सीटों की व्यवस्था की जाती है जिनमें उनके आराम के लिए अधिकतम स्थान होता हैं अथवा उनके पैरों पर लगे उपकरणों के लिए स्थान होता है, (vi) उन्हें ऐसी जगह सीटें दी जाती हैं जहां से उन्हें जब जरूरत हो जल्द ही सहायता दी जा सके, (vii) जहां सम्भव हो वृद्धजनों को आइल सीटें दी जाती हैं। एअर इंडिया सभी हवाई अड्डों पर वृद्ध तथा बीमार यात्रियों को उनके अनुरोध पर डाक्टरी प्रमाण-प्रत्र प्रस्तुत करने पर निःशुल्क व्हीलचेयर्स उपलब्ध कराती है। बीमार यात्रियों तथा स्ट्रेचर केसों को यात्रा के लिए स्वीकृति से पहले एअर इंडिया मैडिकल सर्विसेज डिपार्टमेंट द्वारा डाक्टरी रूप से क्लियर किया जाना होता है। सी एस आई हवाई अड्डे पर उतरने व चढ़ने वाले दोनों स्थानों पर, यदि अपेक्षित हो तो एम्बुलिफ्ट के साथ-साथ एम्बुलैंस के लिए भी प्रबंध किये गये हैं। वृद्धिजनों के लिए अर्हता के मापदंड यात्रा आरंभ करने की तारीख को पुरुष वरिष्ठ यात्रियों के मामले में 65 वर्ष तथा महिला यात्रियों के मामले में 63 वर्ष है।

(ख) और (ग) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा चिकित्सा तथा अनुकम्पा के आधार पर दी जाने वाली निःशुल्क टिकटों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

वर्ष	एअर इंडिया	इंडियन एयरलाइंस
2000-2001	6	6
2001-2002	शून्य	शून्य
2002-2003	शून्य	4

निःशुल्क टिकटें अयंत विकट मामलों में गंभीर बीमारी के मरीजों को विशेष अनुरोध पर अत्यंत अनुकम्पा के आधार पर दी जाती है।

(घ) से (च) इन दोनों ही एयरलाइंसों का न तो वर्तमान में इन सुविधाओं को बढ़ाने की कोई योजना है और न ही विगत में इन सुविधाओं को बढ़ाने की कोई मांग प्राप्त हुई है।

[अनुवाद]

यमुना सफाई हेतु नई कार्ययोजना

2835. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यमुना नदी की सफाई के लिए नई कार्ययोजना को क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में धनराशि के क्या प्रावधान किए गए; और

(ग) पहले की कार्ययोजना की असफलता के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ग) सरकार ने यमुना नदी के प्रदूषण निवारण

के लिए जे.बी.आई.सी. के वित्त पोषण से जुलाई, 2003 में 624 करोड़ रुपये की लागत से यमुना कार्य योजना-II अनुमोदित की है। जिसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के तीन राज्यों में क्रियान्वित किया जाना है। परियोजना लागत में केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 85:15 की हिस्सेदारी होगी। केन्द्रीय सरकार के हिस्से को नीचे दिए अनुसार परिव्यय में से पूरा किया जाएगा:

दसवीं योजना	-	255 करोड़ रुपये
ग्यारहवीं योजना	-	275 करोड़ रुपये

परियोजना के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले मुख्य घटक हैं:-

दिल्ली	-	सीवेज शोधन संयंत्र (प्रतिदिन 135 मिलियन लीटर नई क्षमता और प्रतिदिन 324 मिलियन लीटर क्षमता का पुनरुद्धार)
	-	ट्रंक सीवर (30.82 किलोमीटर) का पुनरुद्धार/बदलना
उत्तर प्रदेश	-	सीवेज शोधन संयंत्र (प्रतिदिन 38 मिलियन लीटर नई क्षमता)
	-	सीवर लाइन (73 किलोमीटर)
	-	राइजिंग मेन (12.7 किलोमीटर)
हरियाणा	-	सीवर लाइनें (73 किलोमीटर) और वर्तमान सीवेज शोधन संयंत्रों की कार्य क्षमता में सुधार।

परियोजना के पूरा होने की अवधि पांच वर्ष की है।

उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के तीन राज्यों में यमुना कार्य योजना चरण-I 668 करोड़ रुपये की लागत से फरवरी, 2003 में पूरी हो गयी है। 734 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता तैयार की गई है जिसमें उत्तर प्रदेश में 401 मिलियन लीटर प्रतिदिन, हरियाणा में 303 मिलियन लीटर प्रतिदिन और दिल्ली में 30 मिलियन लीटर प्रतिदिन है।

[हिन्दी]

अनाज और दलहन का उत्पादन

2836. श्री राजो सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अनाज और दलहन का प्रति एकड़ कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उक्त उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) वर्ष 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर अनाज व दालों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन नीचे दिया गया है:

उपज कि. ग्रा./हेक्टेयर में

फसल	1999-2000	2000-01	2001-02
अनाज	1926	1844	1983
कुल दलहन	625	544	609

(ख) वर्ष 1998, 1999 तथा 2000 के दौरान अखिल भारत के आंकड़ों की तुलना में अनाज व दालों का विश्व औसत उत्पादन इस प्रकार है:

उपज कि. ग्रा./हेक्टेयर में

फसल/वर्ष	1998	1999	2000
विश्व			
अनाज	3059	3094	3034
कुल दलहन	809	812	770
भारत			
अनाज	2249	2289	2372
कुल दलहन	568	628	564

स्रोत: एफ.ए.ओ. प्रोडक्शन बुक, 2000

(ग) और (घ) देश में कृषि उत्पादन मौसमीय असमानताओं के कारण हालांकि उतार-चढ़ाव के साथ दीर्घावधिक उर्ध्वगामी प्रवृति दर्शाता हैं। तथापि, अनाज तथा दालों के उत्पादन में और सुधार करने के लिए सरकार निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रही है:

(i) चावल आधारित फसल प्रणालियों वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.-चावल)

(ii) गेहूं आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.-गेहूं)

(iii) मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.-मोटे अनाज)

अक्तूबर, 2002 से इन स्कीमों को वृहद प्रबंधन कार्यक्रम में मिला दिया गया है ताकि राज्यों की क्षेत्र विशिष्ट जरूरतों के अनुसार राज्यों को लचीलापन प्रदान किया जा सके। वर्ष 2001-02 तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 19 मार्च, 2002 को एक नई पहल के रूप में "पूर्वी भारत में फसलोत्पादन बढ़ाने के लिए खेत पर जल प्रबंधन" संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य भूमि/सतही जल का दोहन, जल का कुशल उपयोग तथा प्रबंधन करना है ताकि पूर्वी भारत में फसलोत्पादन बढ़ाया जा सके।

जहां तक दलहनों का संबंध है, देश में दालों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित का जा रही है। राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना 30 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा 350 जिलों में प्रचालन में हैं। इस स्कीम के तहत, प्रमाणित बीजों के उत्पादन व वितरण समेकित कृषि प्रबंध और स्प्रिंकलर सेटों के वितरण आदि जैसे विभिन्न घटकों पर सहायता मुहैया कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों, खेतों में उन्नत उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकियों के अंतरण के वास्ते फील्ड प्रदर्शन तथा कृषक प्रशिक्षण भी आयोजित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

डी. एम. एस. द्वारा एन.सी.सी.एफ. और केन्द्रीय भंडार को काली सूची में डालना

2837. डा. एस. वेणुगोपाल: क्या **कृषि मंत्री** 16 दिसंबर, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3954 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तथ्यों का पता लगाने के लिए प्राथमिक जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच कब तक पूरी हो जाने और सरकार को कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जांच चल रही है। इसके सितंबर, 2003 के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

पूर्वी क्षेत्र में कृषि अनुसंधान

2838. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वी क्षेत्र में छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए प्रोत्साहन एवं स्थान विशेष अनुसंधान विकसित करने और तदनुरूप विकास मॉडल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विचार पूर्वी क्षेत्र पटना के लिए अपने मौजूद अनुसंधान संस्थान के माध्यम से अच्छे कार्य करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) पूर्वी क्षेत्र की विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नेटवर्क अनुसंधान और विकास का एक नया प्रस्ताव अपनाया हैं जिसके माध्यम से पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद काम्प्लेक्स, पटना के मुख्यालय में एक निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि व जल संसाधन प्रबंधन, फसल, बागवानी, पशुपालन, मात्स्यिकी, फार्म मशीनरी विकास, कृषि प्रसंस्करण तथा पूर्वी क्षेत्र के छोटे और सीमांत किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर अनुसंधान किया जाएगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अन्तर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, कोलम्बो के साथ संयुक्त सहयोग से सिंधु-गंगा बेसिन फसलों के लिए पानी (वाटर फॉर फूड) पर चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वी क्षेत्र के निचले गंगा बेसिन में जल उत्पादकता खाद्य सुरक्षा तथा रोजगार की स्थिति सुधारने हेतु अनुसंधान और विकास कार्य शुरू किए हैं। इसके अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों के लिए अनुकूल स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी विकसित की जाएगी।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मौजूदा भा.कृ.अ.प. के अनुसंधान संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में नेटवर्किंग की प्रणाली द्वारा एक बहुविषयी संकल्पना की शुरूआत की है। ये कार्यक्रम/परियोजनाएं मानव संसाधन विकास, आंकड़ा आधार प्रबंधन और सूचना प्रसारण से संबंधित घटकों के साथ क्रियान्वित की गई हैं।

(घ) लागू नहीं।

कावेरी जल विवाद

2839. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री मणिशंकर अय्यर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कावेरी जल विवाद न्यायाधीकरण के अंतरिम पंचाट को लागू करने हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रवाह की माप कर्नाटक में बिल्लींगुडलु या तमिलनाडु में मेटुर बांध जलाशय में की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो न्यायाधीकरण के अंतिम पंचाट को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय अपने दिनांक 3 सितम्बर, 2002 के आदेश में कर्नाटक राज्य को कर्नाटक में अपने जलाशयों से जल छोड़ने का निदेश दिया ताकि कावेरी नदी प्राधिकरण (सीआरए) द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने तक तमिलनाडु के मेत्तूर जलाशय प्रतिदिन 1.25 टीएमसी जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि 3 सितम्बर, 2002 को पारित आदेश, प्राधिकरण द्वारा लिए गए किसी निर्णय द्वारा स्वयं प्रतिस्थापित हो जाएगा। कावेरी नदी प्राधिकरण की 8 सितम्बर, 2002 को आयोजित पांचवीं बैठकी की अध्यक्षता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया कि कर्नाटक के चार जलाशयों और मेत्तूर में अंतर्वाहों और भंडारणों दोनों राज्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक को अपने जलाशयों से जल छोडना चाहिए ताकि सितंबर और अक्तूबर, 2002 में साप्ताहिक औसत आधार पर लगभग 0.8 टीएमसी प्रतिदिन की दर से मेत्तूर में 9000 क्यूसेक अंतर्वाह सुनिश्चित किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु पांडिचेरी के लिए समानुपातिक रूप से जल छोड़ेगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 1 नवम्बर, 2002 के अपने आदेश में यह आदेश दिया था कि 1 नवम्बर, 2002 से प्रारंभ करते हुए 6 नवम्बर, 2002 की मध्य रात्रि तक कर्नाटक राज्य अपने जलाशयों से प्रर्याप्त जल छोड़ेगा ताकि कावेरी नदी प्राधिकरण के दिनांक 8 सितंबर, 2002 के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन 9000 क्यूसेक अन्तर्वाह सुनिश्चित किया जा सके। उच्चतम न्यायालय ने 6 फरवरी, 2003 को अपनी अनुवर्ती सुनवाई में कर्नाटक राज्य को अपने जलाशयों से जल छोड़ने का निदेश दिया ताकि कावेरी नदी प्राधिकरण द्वारा मामले पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक मेत्तूर जलाशय में औसतन 4500 क्यूसेक जल सुनिश्चित किया जा सके। तमिलनाडु राज्य ने उच्चतम न्यायालय/कावेरी नदी प्राधिकरण के आदेशों की अनुपालना न करने के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिकाएं दायर की हैं जिस पर न्यायालय द्वारा अभी निर्णय नहीं दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग कावेरी बेसिन में बहुत से निस्सरण/अवसाद आंकड़ा संग्रहण/जल गुणवत्ता मापक स्थलों का रखरखाव कर रहा है। इनमें से एक स्थल कावेरी नदी के बिल्लीगुंडुलु, तमिलनाडु के मेत्तूर जलाशय के प्रतिप्रवाह पर है। तमिलनाडु राज्य मेत्तूर जलाशय में जल स्तर और मेत्तूर जलाशय से नहरों एवं मुख्य कावेरी नदी में बहिस्रावों की माप करता है।

(घ) अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत कावेरी जल के बंटवारे से संबंधित विवाद को जून, 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण को भेजा गया था। वर्ष 1990 के अधिनियम में अधिकरणों द्वारा निर्णय और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। अंतर्राज्यीय जल विवाद (संशोधित) अधिनियम, 2002 जो 6 अगस्त, 2002 से प्रभावी है के अनुसार अधिकरणों से अब यह अपेक्षा की गई है कि वे विवाद भेजने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट तथा निर्णय प्रस्तुत करें।

जल प्रबंधन हेतु विश्वविद्यालय

2840. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केवल जल प्रबंधन से संबंधित विषयों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे विश्वविद्यालयों के प्रस्तावित स्थान का नाम क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई धनराशि आवंटित/जारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल के उत्पादन में सुधार

2841. प्रो. ए. के. प्रेमाजम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नारियल विकास बोर्ड द्वारा अपनी दसवीं योजना के दृष्टिकोण में नारियल के उत्पादन में सुधार लाने हेतु किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) दसवीं योजना के दौरान नारियल विकास बोर्ड नारियल पर प्रौद्योगिकी मिशन सहित भारत में नारियल उद्योग के समेकित विकास पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसमें नारियल का उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं:

(i) उत्पादकता सुधार के लिए नारियल की जोतों में समेकित फार्मिंग:

- 250- प्रति पॉम की दर पर राजसहायता से अधिक रोगग्रस्त पॉमों की कटाई और उन्हें हटाने के माध्यम से रोग प्रभावित पॉमों का प्रबंधन;
- प्रौद्योगिकियों के संवर्धन के लिए 35,000 रुपये प्रति हैक्टेयर की सहायता से क्षेत्र प्रदर्शन प्लाट तैयार करना;
- जैविक खादों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए 20,000 रु. प्रति यूनिट की दर से जैविक खाद ईकाईयों को सहायता;

(ii) पौधरोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण;

(i) नारियल के तहत क्षेत्र का विस्तार; और

(iv) नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत कीट और रोग के प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी विकास, अंगीकरण और प्रदर्शन संबंधी परियोजनाएं।

(ख) और (ग) दिनांक 29-7-2003 को योजना आयोग द्वारा ''मुरझान (विल्ट) प्रभावित नारियल के पौधों की जड़ को हटाने और उत्पादकता के संवर्धन संबंधी परियोजना'' केरल सरकार से प्राप्त की गई है। 8 वर्ष की अवधि के लिए परियोजना की कुल लागत 231.64 करोड़ रुपये है। इनमें से दसवीं योजना के लिए 113.80 करोड़ रुपये और ग्यारवीं योजना के लिए 117.84 करोड़ रुपये है। परियोजना कार्यकलापों में 59.14 लाख रोगोन्मुखी नारियल पॉम की कटाई एवं हटाने के लिए सहायता पुनर्रोपण के लिए रोग रोधक क्षमता वाले उत्तम किस्म के 59.14 लाख नए पौधों की आपूर्ति; विशिष्ट उत्पादन आदानों जैसे जैविक खाद, उर्वरकों और अनिवार्य कृषिजन्य पद्धतियों के लिए सहायता के साथ रोपण के शुरुआती 3 वर्षों के लिए पुनर्रोपित नये पौधों का वैज्ञानिक प्रबंधन शामिल है। क्रेडिट संस्थानों और सहायता देने वाले अन्य अभिकरणों की भूमिका और किसानों के प्रशिक्षण पर भी विचार किया गया है। योजना आयोग संबंधित विभागों और अनुसंधान संस्थानों के परामर्श से परियोजना की जांच कर रहा है।

वन्य जीव उत्पाद धारकों के लिए एमनेस्टी योजना

2842. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने लोगों ने अपनी मौजूदा वन्य जीव ट्राफियों और अन्य वन्य जीव उत्पादों विशेषकर शहतूश शॉल को इन्हें वैधानिक स्वरूप देने के लिए अब तक सरकार से पंजीकृत कराया है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन लोगों के लिए एक एमनेस्टी योजना घोषित करने का है जिन्होंने विगत में अनजाने में वन्य जीव उत्पाद खरीद लिए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) मालिक द्वारा घोषित की गई विद्यमान ट्राफियों तथा शहतूश शालों सहित अन्य वन्यजीव उत्पादों के पंजीकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार उन व्यक्तियों संबंधी आंकड़ों का रखरखाव नहीं करती है जिन्होंने अपने अधिग्रहण की स्थिति घोषित की है या वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत स्वामित्व संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।

(ख) और (ग) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो धारा 40 की धारा (1) या उप धारा (4) के तहत पहले घोषणा नहीं कर सका उसे अब मुख्य वन्यजीव संरक्षक या संबंधित राज्य के अधिकृत अधिकारी के समक्ष उनके नियंत्रण, कब्जे या अधिग्रहण वाले किसी बंदी जानवर से बनी वस्तु अनुसूची-I या अनुसूची-II के भाग-II में विनिर्दिष्ट जानवरों से प्राप्त की गई ट्राफी या असंशोधित ट्राफी के संबंध में घोषणा करने का अवसर प्रदान किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में मत्स्यन का विकास

2843. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में मत्स्यन के विकास के लिए किसी योजना को क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले दो वर्षों के दौरान जिलावार कितने कार्य किए गए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) "ताजा जल जलकृषि का विकास" संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना अंतर्देशीय मात्स्यिकी के विकास के लिए मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के जरिए उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापना के लिए 53 एफ एफ डी ए को मंजूरी दी गई है। नये तालाबों का निर्माण, तालाबों और टैंकों का पुनरुद्धार, प्रथम वर्ष आदानें (मत्स्य बीज, मत्स्य आहार, उर्वरक, खाद आदि) बहते जल में मछली पालन, मत्स्य बीज हैचरियों, मत्स्य बीज मिलों, प्रयोगशालाओं की स्थापना, मत्स्य किसानों को प्रशिक्षण आदि जैसे विकासात्मक क्रियाकलापों पर व्यय भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर वहन किया जाता है। अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी संसाधनों (जलाशयों मात्स्यिकी) का विकास, जल भराव क्षेत्रों का जलकृषि सम्पदा के रूप में विकास और जलकृषि के लिए अंतर्देशीय क्षारीय मिट्टी का उपयोग नामक तीन पायलट योजनाओं की 2001-02 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को 100% केन्द्रीय सहायता के साथ मंजूरी प्रदान की गई थी। एफ एफडीए योजना के तहत विगत दो वर्षों के दौरान शुरू किए गए कार्यों का जिलावार ब्यौरा जैसाकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बताया है संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान उपरोक्त योजनाओं के तहत केन्द्रीय हिस्से के रूप में 4.19 करोड़ रुपये राज्य सरकार को प्रदान किए गए थे।

विवरण

विगत दो वर्षों (2001-02 से 2002-03) के दौरान उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए जिलेवार कार्य

ताजा जल जलकृषि का विकास

क्र.सं.	जिले का नाम	मत्स्य पालन के तहत लाया गया जल क्षेत्र (हेक्टेयर)	
		2001-02	2002-03
1	2	3	4
1.	आगरा	33.45	45.51
2.	फिरोजाबाद	31.02	45.15
3.	अलीगढ़/हाथरस	115.96	110.15
4.	एटा	63.41	50.17
5.	मेनपुरी	63.43	45.11
6.	मथुरा	65.12	55.18
7.	आजमगढ़	85.02	76.21
8.	मऊ	46.75	75.46
9.	बलिया	75.23	81.88
10.	इलाहाबाद/कुशाम्बी	122.33	151.08
11.	फतेहपुर	80.71	76.34
12.	प्रतापगढ़	97.70	82.99
13.	कानपुर (नगर/देहात)	75.98	74.39
14.	इटावा/औरया	75.89	73.75
15.	फर्रुखाबाद/कन्नोज	34.73	53.89
16.	गोरखपुर	117.03	115.40
17.	महाराजगंज	117.45	113.62
18.	देवरिया/कुशीनगर	220.88	211.23
19.	बांदा/चित्रकूट	69.84	79.51
20.	हमीरपुर/महोबा	61.72	79.37
21.	झांसी	22.24	30.80
22.	जलायूं	28.60	45.58

1	2	3	4
23.	ललितपुर	31.24	36.29
24.	गोंडा/बलरामपुर	137.25	142.49
25.	बहराइच/सरावस्ती	130.20	132.73
26.	फैज़ाबाद/अम्बेडकरनगर	197.46	210.49
27.	सुल्तानपुर	124.18	122.43
28.	बाराबंकी	107.21	102.08
29.	बरेली	85.57	78.60
30.	बदायूं	45.08	54.15
31.	शाहजहांपुर	39.27	42.96
32.	पीलीभीत	56.41	54.15
33.	बस्ती/संत कबीरनगर	123.06	142.62
34.	सिद्धार्थनगर	59.62	66.50
35.	मिर्जापुर	26.76	45.09
36.	सोनभद्र	43.51	42.03
37.	मुरादाबाद/ज्योतिबाफुलेनगर	56.90	81.85
38.	रामपुर	50.41	44.77
39.	बिजनौर	85.00	52.05
40.	मेरठ/बागपत	95.41	93.86
41.	गाजियाबाद/गौतमबुद्धनगर	95.28	94.18
42.	बुलंदशहर	65.29	61.74
43.	लखनऊ	69.89	65.03
44.	उन्नाव	70.80	81.32
45.	रायबरेली	61.63	84.56
46.	सीतापुर	94.96	88.35
47.	हरदोई	58.68	81.38
48.	लखीमपुर खीरी	78.08	82.19
49.	वाराणसी/चंदौली/संत रविदासनगर	184.91	193.52
50.	गाजीपुर	100.85	117.32
51.	जौनपुर	150.51	130.59
52.	सहारनपुर	55.24	55.12
53.	मुजफ्फरनगर	53.92	55.92
	कुल	4339.07	4504.13

[अनुवाद]

वन्य प्रणालियों के संरक्षण हेतु त्रि-स्तरीय रणनीति

2844. श्री एम. दुराई: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चिड़ियाघरों में आवास में वन्य प्राणियों के संरक्षण, उत्तकों के प्रशीतित संरक्षण और प्रयोगशालाओं में संकटापन्न प्राणियों के अन्य जर्मप्लाज्म के लिए त्रि-स्तरीय रणनीति अपनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बार-बार स्थानांतरण के दौरान पशुओं की हैंडलिंग के लिए कोई प्रस्ताव बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 21.1.2002 को आयोजित भारतीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में वन्य प्राणिजात के संरक्षण के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-16) अंगीकृत की गई थी। कार्य योजना में संरक्षण संबंधी कार्य नीति में वन्यजीव प्राणिजात के स्वःस्थाने संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है जबकि राष्ट्रीय उद्यान और जीन बैंक जैसे स्थान बाह्य उपाय इस उद्देश्य के पूरक हैं।

(ग) और (घ) जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पारगमन के समय होने वाले दबाव को कम करने के उद्देश्य से पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, भारतीय मानक संस्थान की संहिता और अंतराष्ट्रीय वायु यातायात संघ के दिशा-निर्देशों के तहत विनियम तथा मानक निर्धारित किए गए हैं।

मत्स्य ग्रहण पोताश्रयों के लिए भूमि अधिग्रहण

2845. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य में नए मत्स्य ग्रहण पोताश्रयों और मत्स्य उतराई केन्द्र की स्थापना और प्रसार के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 50 प्रतिशत सहायता देने लिए केरल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। नवम्बर, 1993 से पहले केरल में अनुमोदित मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण, जहां भूमि अधिप्राप्ति की लागत संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच वहन की जाती है, के लिए कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण है। नवम्बर, 1993 में संघ सरकार ने मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने वाले केन्द्रों के विकास के लिए मेरीटाइम राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमि की अधिप्राप्ति के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार संघ सरकार ने तब से भूमि अधिप्राप्ति की लागत पर विचार नहीं किया है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	मत्स्यन बंदरगाह/मछली उतारने वाले केन्द्र का नाम	परियोजना में शामिल की गई भूमि अधिप्राप्ति की लागत	संघ सरकार की प्रतिक्रिया
मत्स्य बंदरगाह			
1.	विझिंजम	80.00	अनुमोदित
2.	मुनाम्बम	63.40	अनुमोदित
3.	नीनदाकारा	24.75	अनुमोदित
4.	चोंबल	42.00	अनुमोदित
मछली उतारने वाले केन्द्र			
1.	कासरगोड	1.64	अनुमोदित
2.	नलोस्वरम	1.00	अनुमोदित
3.	मुक्काडऊ	0.012	अनुमोदित
4.	धामरोडोन	0.375	अनुमोदित
5.	वालीकुनू	1.75	अनुमोदित
6.	चेत्तुवाई	2.25	अनुमोदित
7.	अर्थुगल	5.00	अनुमोदित
8.	क्वेलांडी	5.00	अनुमोदित
9.	थोट्टापल्ली	2.00	अनुमोदित
10.	चेरुवाथुर	6.48	अनुमोदित
11.	पालाकोड	4.00	अनुमोदित

दिल्ली स्थित चिड़ियाघर के लिए सहायता

2846. **श्री दलपति सिंह परस्ते:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली स्थिति चिड़ियाघर में प्रतिवर्ष भ्रमण करने वालों की संख्या का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली स्थित चिड़ियाघर को प्रत्येक वर्ष कितनी राशि की सहायता दी जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक लोग दिल्ली चिड़ियाघर का दौरा करते हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान 12.73 लाख लोगों ने चिड़ियाघर का दौरा किया।

(ग) दिल्ली चिड़ियाघर केन्द्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्ष 2002-03 के दौरान वेतन दिहाड़ी, रख-रखाव, पशुओं के लिए खाना तथा विकास के लिए चिड़ियाघर को 547.00 लाख रु. प्रदान किए गए।

नर्मदा बांध

2847. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार सहित गुजरात सरकार और कुछ अन्य राज्य सरकारों ने नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रस्ताव तैयार किए गए हैं; और

(ग) इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा क्या निर्देश जारी किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) नर्मदा बचाओ आंदोलन ने भारत के उच्चतम न्यायालय में सरदार सरोवर बांध के निर्माण के विरुद्ध 1994 की रिट याचिका (सिविल) सं. 319 दायर की है।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 18 अक्तूबर, 2000 के अपने निर्णय में बांध की ऊंचाई 90 मीटर (ईएल) तक उठाने की अनुमति दी है तथा बांध की ऊँचाई 90.0 मीटर से आगे उठाने की अनुमति प्रदान करने के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) के लिए प्रक्रिया भी निर्धारित की है। तदनुसार बांध की ऊंचाई उठाने के लिए साथ-साथ राहत और पुनर्वास तथा पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन भी करना होगा। पुनर्स्थापना और पुनर्वास संबंधी उपदल और पर्यावरण उपदल से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर बांध की ऊंचाई 90.0 मीटर से आगे उठाने की अनुमति दी जाएगी। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी उपदल तीन राज्य सरकारों के तीन शिकायत निवारण प्राधिकारियों के परामर्श के पश्चात ही स्वीकृति प्रदान करेगा। उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के आधार पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई जून, 2003 तक 110.0 मी. ईएल तक उठाने तथा जून 2005 तक इसे 138.68 मी. ईएल की इसकी पूरी ऊंचाई तक उठाने के लिए एक कार्रवाई योजना को अंतिम रूप दिया है। परन्तु संबंधित राज्य सरकारों के पास परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी कार्यों की अधिकता तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के क्रियान्वयन में शामिल मानवीय दृष्टिकोण के कारण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना उपदल पर्यावरण उपदल तथा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा भी स्वीकृतियां प्रदान करने के बावजूद जून, 2003 तक बाँध की ऊंचाई 100 मीटर ईएल तक ही उठाई जा सकी।

अल्प वर्षा

2848. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत चार वर्षों के दौरान देश में सामान्य से कम वर्षा हो रही है जिससे मुख्य रूप से कृषि प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारणों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेषकर कृतिम बादल के माध्यम से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। देश में एक लम्बी अवधि 1988 से 2001 के दौरान 14 बार सामान्य मानसून आये हैं। दीर्घावधिक औसत (एल.पी.ए.) की ±10% वर्षा सामान्य वर्षा के रूप में परिभाषित की जाती है। देश में समग्र रूप में वर्ष 1999, 2000 तथा 2001 के दौरान मानसून वर्षा दीर्घावधिक औसत की क्रमशः 96%, 92% तथा 92% रही। वर्ष 2002 अखिल भारतीय तौर पर सूखा वर्ष था जिसमें दीर्घावधिक औसत की 81% वर्षा हुई।

(ख) वर्ष 2002 का सूखा वायुमंडल संचरण पैटर्न के अनेक असामान्य लक्षणों के कारण पड़ा, जैसे-

(i) देश के पश्चिमी भागों में असामान्य प्रतिचक्रवातीय बहाव/अवरोही गति की उपस्थिति।

(ii) मौसम के दौरान प्रत्येक मौसम में सामान्यत: 5-6 दबावों के मुकाबले मानसून दबावों का अभाव।

(iii) क्षीण तथा अल्पावधिक कम दबाव वाले क्षेत्र तथा गर्त।

(iv) कमजोर मानसून गर्त जो हिमालय की तराई के निकट जुलाई माह में लम्बे समय तक बनी रही।

(v) अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में कमजोर पारगामी भूमध्यरेखीय दबाव।

(vi) अल-लाइनों का असामान्य व्यवहार।

दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा में ऐसी कोई दीर्घावधिक प्रवृत्ति नहीं देखी गई जिसे मानव निर्मित कारणों से जोड़ा जा सके।

(ग) व्यापक सूखे की स्थिति में जैसी 2002 में थी मौसम की स्थिति बादल बनने की दृष्टि से जो कृत्रिम वर्षा के लिए उपयुक्त हो प्रतिकूल होती है। अत: ऐसे क्षेत्रों में ''क्लाऊड सीडिंग'' के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने के अवसर भी सीमित होते हैं। तथापि, इससे पहले भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आई.आई.टी.एम.), पुणे द्वारा कुछ स्थानों पर अनुसंधान की दृष्टि से सीमित पैमाने पर प्रयोग किए गए थे, जिसके परिणामत: वर्षा में मामूली वृद्धि हुई।

पानी की आवश्यकता संबंधी मूल्यांकन

2849. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में पानी की आवश्यकता के संबंध में कोई मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो कृषि औद्योगिक घरेलू क्षेत्र में अलग-अलग पानी की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ग) क्षेत्र-वार वर्तमान में कितने जल का उपयोग किया जाता है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने पानी की अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने हेतु कोई राष्ट्रीय स्तर की योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां। वर्ष 2000 में जल संसाधन मंत्रालय की स्थाई उप समिति द्वारा देश में विभिन्न उपयोगों के लिए जल की उपलब्धता और आवश्यकता का मूल्यांकन किया गया है।

(ख) इस रिपोर्ट के अनुसार, कृषि, उद्योग, घरेलू क्षेत्र, आदि के लिए जल की अनुमानित आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:-

क्षेत्र	जल की आवश्यकता (बिलियन घनमीटर)	
	वर्ष 2000	वर्ष 2010
कृषि	541	688
पेयजल (पशुओं की पेय आवश्यकताओं सहित)	42	56
औद्योगिक एवं अन्य उपयोग	51	69
कुल	634	813

(ग) रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 605 बिलियन घनमीटर (बीसीएम) जल का उपयोग किया जा रहा है जिसमें से 501 बी सी एम कृषि के लिए और 30 बी सी एम पेयजल और घरेलू उपयोग के लिए है।

(घ) और (ङ) 177 बीसी एम सक्रिय भंडारण क्षमता पहले ही सृजित की जा चुकी है। 75 बी सी एम की अतिरिक्त सक्रिय भंडारण क्षमता का सृजन जारी परियोजनाओं के पूरा होने के उपरांत किया जाएगा। निर्माणाधीन जल संसाधन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत समयबद्ध रूप से निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को उनकी सहायतार्थ केन्द्रीय ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि उन्हें शीघ्रातिशीघ्र लाभ प्राप्त हो सकें। इसके अतिरिक्त विचाराधीन परियोजनाओं के माध्यम से 132 बी सी एम की सक्रिय भंडारण क्षमता का सृजन किया जाना है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भी प्रायोगिक आधार पर ''भूमि जल के पुनर्भरण संबंधी अध्ययन'' पर एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम प्रारंभ की है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने ''भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना'' तैयार की है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में परिस्रवण टैंकों, चेक बांधों, उप सतही डाइकों गल्ली प्लग्स गैबियन संरचनाओं नालाबांधों कंटूर बांधों, पुनर्भरण शैफ्टों आदि जैसे 2.25 लाख कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से 36453 मिलियन घनमीटर जल का पुनर्भरण करने की योजना है। दीर्घावधिक उपाय के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल संसाधन विकास की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालय नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है।

[हिन्दी]

कार्यालय के खर्च

2850. डा. बलिराम: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रचार विज्ञापनों, होटलों, आतिथ्य, खानपान, उद्घाटनों, समारोहों, बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, यात्राओं (विदेश सहित) एस टी डी तथा आई एस डी टेलीफोन बिलों, विद्युत बिलों (विशेषकर वातानुकूलन तथा कूलर बिल) और अन्य कार्यालय खर्चों पर पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत अलग-अलग कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत व्यय में मितव्ययिता हेतु कोई अभियान शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पशुओं के परिवहन संबंधी दिशा-निर्देश

2851. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वधशालाओं के लिए परिवहन नियमों हेतु राजपथ अधिसूचना संख्या एस. ओ. 268(ई) के द्वारा एस. ओ. 279 (ई) दिनांक 26 मार्च, 2001 के द्वारा संशोधन जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को एनीमल राइट्स ने इंटरनेशनल तथा कुछ अन्य गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रकाशित व्यापक पुस्तिका की जानकारी है जिसमें नियमों और विनियमों को लागू करने की अपील की गई है;

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा नियमों को लागू करने हेतु क्या क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या इस तहर के उदाहरण सामने आए हैं कि जहां कीटाणु संक्रमण की जांच की जाती है और मांस संक्रमित पाया जाता है फिर भी इसे भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण बाजार में भेज दिया जाता है क्योंकि जांच में लगभग 48 घंटे लगते हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) पशुओं प्रति क्रूरता निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन) नियमावली, 2001 संबंधी अधिसूचना राजपत्र की अधिसूचना संख्या एस ओ 268(ई) दिनांक 26 मार्च, 2001 के माध्यम से जारी की जा चुकी है। एस ओ 279(ई) सं. से कोई राजपत्र अधिसूचना नहीं है। तथापि, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (बूचड़काना) नियमवली के संबंध में दिनांक 26.3.2001 को राजपत्र में अधिसूचना सं. एस ओ. 270(ई) जारी की है।

पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन) नियमावली, 2001 में विभिन्न तरीकों पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी मानदंडों, वाहन की गति, पिंजरें का साइज, भोजन चारा, जल तथा ले जाए जाने वाले पशुओं की चिकित्सा देखभाल का प्रावधान है। इनमें समय कवर की जाने वाली अधिकतम दूरी चलने के अधिकतम घंटे, आराम की अवधि, तापमान की रेंज आदि पुलिस द्वारा मालिक को पशुओं को नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के लिए कहे जाने संबंधी शक्तियां भी विनिदिष्टि हैं। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (बूचड़खाना) नियमावली, 2001 में स्वच्छता ड्रेनेज वेंटिलेशन तथा एकांत में पशुओं को काटे जाने संबंधी मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य सरकारों ने अधिनियम के नियमों और विनियमों के क्रियान्वयन हेतु पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण के लिए 307 सोसायटी (एसपीसीए) के गठन में सहायता दी है। राज्यों को नियमावली लागू किए जाने के लिए दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बेल्लारी विमानपत्तन का उन्नयन

2852. श्री कोलूर बसवनागौड़: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस अथवा निजी एयरलाइंस कर्नाटक के बेल्लारी में विमान सेवाएं संचालित कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने बेल्लारी विमानपत्तन का उन्नयन करने का कार्य कराया है; और

(घ) यदि हां, तो विमानपत्तन को कार्यरत बनाने में कितनी राशि लगने का अनुमान है और उस पर 2002-03 के दौरान कितनी राशि खर्च की गई और 2003-04 के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के वायु यातायात सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वायु यातायात सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। तथापि, यह यए एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए वायु संवाओं उपलब्ध कराएं बशर्ते वे सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें।

(ग) बेल्लारी हवाई अड्डा राज्य सरकार का है। विमानपत्तन प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी भी अपग्रेडेशन कार्य की जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गन्नावरम विमानपत्तन का विस्तार

2853. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विजयवाड़ के निकट गन्नावरम विमानपत्तन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) जनवरी, 2003 से कितने और किस प्रकार के विमान उतारे गए हैं;

(ग) 2003-04 के दौरान विमानपत्तन के विकास हेतु कितनी निधियां आबंटित की गई; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान कराये जाने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) विजयवाड़ा के निकट गन्नावरम हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का है और यह एक प्रचालनात्मक हवाई अड्डा है।

(ख) विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर जनवरी, 2003 से जुलाई, 2003 तक कुल मिलाकर 77 आगमन और 77 प्रस्थान प्रचालित किए गए हैं जिनमें सी-152, एम-18, ए एन-32, बी-200, बी-190 सी-90 ए, बी-190, सी-560, पी-68सी, बीएच-212, डीओ-81, एमआई-26, सी-421बी, एम-18, बेल-407, बीयू-212, एमआई-8, बीई-190 डी, एचए-25, सी-421 तथा सी-90 प्रकार के विमानों का इस्तेमाल हुआ है।

(ग) और (घ) वर्ष 2003-04 के लिए बजट प्रस्ताव तैयार किये जाते समय विजयवाड़ा हवाई अड्डे के विकास के लिए 40.00 लाख रुपए की राशि विनियोजित की गई थी। तथापि, यातायात विशेषकर अनुसूचित उड़ानों के उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2003-04 के दौरान किसी भी विकास योजना को चलाए जाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

विमान के उड़ान के घंटे

2854. श्री अशोक अर्गल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न विमानों द्वारा विभिन्न उड़ान क्लबों के साथ पूरे किए गए उड़ान के कुल घंटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न उड़ान क्लबों को सरकार द्वारा दिए गए माक्रोलाइट तथा स्वाती विमानों की कुल संख्या कितनी है और तत्संबंधी लागत क्या है;

(ग) प्रत्येक उड़ान क्लब में प्रत्येक माइक्रोलाइट तथा स्वाती विमानों द्वारा पूरी की गई उड़ानों के घंटों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन विमानों द्वारा पूरे किए गए उड़ान के घंटे बहुत कम हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) सूचना एकत्र की जा रही है सथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न फ्लाइंग क्लबों को कुल मिलाकर 24 माइक्रोलाइट्स तथा 18 स्वाति विमान उपलब्ध कराए गए जिनकी कुल लागत क्रमश: 79.73 लाख रुपए तथा 6.02 करोड़ रुपए थी।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी

[अनुवाद]

कर्नाटक के साथ हवाई सम्पर्क

2855. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में कौन से शहरों का कर्नाटक के प्रमुख शहरों से हवाई संपर्क है;

(ख) क्या राज्य के कुछ अन्य शहरों को भी देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों के साथ जोड़ने का मांग है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उन पर क्या कदम उठाये गए?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) कर्नाटक में बंगलौर तथा मंगलौर वायु मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। बंगलौर, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोचीन, मंगलौर, त्रिवेन्द्रम, कोयम्बतूर, पुणे तथा गोवा से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा है।

मंगलौर, मुम्बई तथा बंगलौर से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा है।

(ख) सरकार को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मत्स्य ग्रहण पोताश्रय की स्थापना

2856. श्री मणि शंकर अय्यर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में पुमपुहार में मत्स्य ग्रहण पोताश्रय बनाने के लिए केन्द्रीय मत्स्य संस्थान (बंगलौर) से प्राप्त प्रस्ताव की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) प्रस्ताव के अनुमोदन तथा कार्यान्वयन को तेज करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी, हां। नगापट्टिनम जिले के पुमपुहार में मत्स्य बंदरगाह के निर्माण के लिए केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा प्रस्तुत तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट की जांच करने के बाद तमिलनाडु सरकार से आवश्यक भूमि की उपलब्धता की पुष्टि करने के अलावा विस्तृत हाइड्रोलिक माडल अध्ययनों को शुरू करने और माडल अध्ययन के परिणामों पर आधारित प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए सितम्बर, 2001 में अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार ने अभी तक प्रतिष्ठित एजेंसी को माडल अध्ययन का कार्य नहीं सौंपा है और राज्य से इस कार्य को पूरा करने के लिए कहा गया है।

प्राकृतिक मोतियों का उत्पादन

2857. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1961 से प्राकृतिक मोतियों का उत्पादन नहीं हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप चीन से इनका भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्राकृतिक मोतियों के उत्पादन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) जेम एंड ज्वैलरी काउंसिल के अनुसार अधिकांशत: प्रतिवर्ष लगभग 25-25 करोड़ रुपए के मूल्य के ताजा जल मोतियों को आयात किया जा रहा है; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय ताजा जल जलकृषि संस्थान, भुवेनश्वर ने कल्चर्ड मोतियों के उत्पादन के लिए स्वदेशी प्रणाली विकसित की है जो प्राकृतिक मोतियों जैसी दिखती हैं। यह प्रौद्योगिकी देश के विभिन्न भागों में अंतिम उपभोगकर्त्ताओं को दी जा रही है। इसके अलावा ये दोनों संस्थान पर्ल कल्चर प्रौद्योगिकी में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने भी 1985 से मन्नार की खाड़ी में समुद्री फार्मिंग द्वारा प्राकृतिक बेड में मोती सीप को बढ़ाने के लिए एक पहल की है।

रामपुरराजा पुस्तकालय में निदेशक का रिक्त पद

2858. श्री शीशराम सिंह रविः क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तेइस वर्षों से रामपुरराजा पुस्तकालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश में निदेशक का पद रिक्त पड़ा हुआ है;

(ख) क्या कोई तदर्थ व्यवस्था की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निदेशक के पद को नियमित आधार पर स्थायी पदधारी द्वारा कब तक भरे जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) हां।

(ग) पूर्व निदेशक के निधन के बाद से निदेशक, रामपुरराजा पुस्तकालय का पद खाली पड़ा हुआ है। बाद में, इलाहाबाद के माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदेशक का पद भरे जाने के विरुद्ध निषेधादेश (इन्जंक्शन) दे दिया। तथापि, 1997 में याचिकादाता के निधन के पश्चात् रामपुररजा पुस्तकालय बोर्ड ने, जो निदेशक नियुक्त करने के लिए एक सक्षम निकाय है, नवंबर 1997 और मार्च, 2000 में इस पद के लिए विज्ञापन दिया। इन दोनों अवसरों पर, साक्षात्कार करने के पश्चात् कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया गया।

(घ) निदेशक के पद के लिए भर्ती नियमों के संशोधनों को अब रामपुरराजा पुस्तकालय बोर्ड द्वारा अनुमोदित होना पड़ेगा। बोर्ड द्वारा भर्ती नियम अनुमोदित हो जाने और राजपत्र में अधिसूचित हो जाने के बाद बोर्ड, निदेशक के पद को भरने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

सरकारी कार का दुरूपयोग

2859. श्री नरेश पुगलियाः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आई.सी.ए.आर. के उच्च अधिकारी जनवरी, 2001 से सरकारी/निजी तौर पर बार-बार मेरठ, देहरादून, मसूरी की यात्रा करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी यात्राओं के लिए सरकारी वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या है;

(ङ) ऐसी प्रत्येक मात्रा का उद्देश्य क्या था और उसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां रहीं;

(च) क्या ऐसी यात्राएं आई.सी.ए.आर. के महानिदेशक की अनुमति से नहीं की गई और तत्कालीन महानिदेशक, आई.सी.ए.आर. ने फाईल पर ऐसी यात्राओं पर आपत्ति दर्ज की थी; और

(छ) यदि हां, तो मामले को ठीक करने हेतु क्या कार्रवाई की गई/की जानी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकारी कार्य के लिए सरकारी कार द्वारा मेरठ, मोदीपुरम, देहरादून, मसूरी का दौरा किया है। इस संबंध में उद्देश्य/कारण का विस्तृत ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जनवरी, 2001 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियों द्वारा स्टाफ कार के माध्यम से किए गए दौरा कार्यक्रमों का ब्यौरा

दिनांक	दौरे का स्थान	उद्देश्य/कारण
1	2	3
	महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं सचिव (डेयर)	
15.10.2001	दिल्ली से मोदीपुरम और वापसी (भा.कृ.अ.पा. का वाहन)	फसलीय प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशायलय, मोदीपुरम में और गोपशु परियोजना निदेशालय, मेरठ में शिलान्यास समारोह में भाग लेने।

1	2	3
17-19.10.2002	दिल्ली से देहरादून और वापसी (रेल द्वारा तथा वापसी भा.कृ.अ.प. के वाहन द्वारा)	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण तथा अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून में भा.कृ.अ.प. क्षेत्रीय समिति-1 की XVIIIवीं बैठक में हिस्सा लेने के लिए।
24.1.2003 से 26.1.2003	दिल्ली से मोदीपुरम और वापसी (भा.कृ.अ.प. का वाहन)	सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक भा.कृ.अ.प. के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात मोदीपुरम का दौरा। इस दौरे से यहां स्थित भा.कृ.अ.प. के स्थानों को अनुसंधान एवं प्रशासनिक कार्यों सहित बीज उत्पादन क्रियालापों के प्रथामिकीकरण और व्यवस्थित करने में मदद मिली है।
	अपर सचिव (डेयर) एवं सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	
12.4.2001 से 15.4.2001	दिल्ली से मसूरी और वापसी (एल बी एस का वाहन)	एल बी एस एन ए ए में सार्वजनिक प्रशासन में नीतिपरक विषयों पर व्याख्यान देने हेतु
14.5.2001 से 17.5.2001	दिल्ली से देहरादून से मसूरी और वापसी (एलबीएस का वाहन)	एल बी एस एन ए ए, मसूरी में प्रशासन में जबावदेही विषय पर सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए
3.6.2001 से 7.6.2001	दिल्ली से मोदीपुरम से मसूरी और वापसी (भा.कृ.अ.प. के वाहन द्वारा)	एन सी वीयाना में संस्थागत और व्यावहारिक संपर्कों का संभावना का पता लगाने के लिए एल बी एस एन ए ए तथा भा.कृ.अ.प. के पदाधिकारियों के साथ बैठक
21.5.2002 से 23.5.2002	दिल्ली से मसूरी और वापसी (रेल द्वारा)	एल वी एस एन ए ए में आज के प्रशासन में नीतिपरक विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान देने के लिए
13.7.2002	दिल्ली से मोदीपुरम और वापसी (भा.कृ.अ.प. का वाहन)	इस संस्थान के विभिन्न प्रयोगिक पहलुओं को समझने के लिए
17.7.2002 से 21.7.2002	दिल्ली से समूरी एवं वापस (एलबीएस द्वारा भुगतान -भा. कृ.अ.प. वाहन)	एल बी एन ए ए पर अतिथि संकाय और सरकारी कर्मचारियों के मूल्यों एवं नीति विषयकों पर मापदंड बनाना
17.9.2002 से 19.9.2002	दिल्ली से मसूरी और वापस (एल बी एस वाहन)	एल बी एस एन ए ए में आज के प्रशासन में नीति विषयक मुद्दों पर 7वें पाठ्यक्रम में भाग लेना
9.11.2002 से 17.11.2002	दिल्ली से मसूरी और वापसी (3 दिन की छुट्टी) (एल बी एस वाहन)	अतिथि संकाय एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए मूल्यों और नीति विषयकों पर मापदंड बनाना
3.12.2002 से 5.12.2002	दिल्ली से मसूरी और वापस (एल बी एस वाहन)	एल बी एस एन ए ए में मूल्यों और नीति विषयकों पर 2 सत्र आयोजित करना
24.1.2003 से 26.1.2003	दिल्ली से मोदीपुरम एवं वापस (भा.कृ.अ.प. वाहन)	पी डी सी एस आर, पी डी सी तथा सी पी आर एस, मोदीपुरम के कर्मचारियों के साथ बैठक।

1	2	3
8.3.2003 से 10.3.2003	दिल्ली से मोदीपुरम एवं वापस (भा. कृ.अ.प. वाहन)	सी पी आर एस, मोदीपुरम में एशिया के अंदर आलू के प्रसंस्करण पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेना।
17.3.2003 से 23.3.2003	दिल्ली से समूरी, समूरी से देहरादून, देहरादून से समूरी, मसूरी से दिल्ली (एल बी एस द्वारा भुगतान-भा.कृ.अ.प. वाहन)	देहरादून में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान का दौरा और एल बी एस एन ए ए, मसूरी में पारस्परिक सत्र में भाग लेना।
13.4.2003 से 14.4.2003	दिल्ली से मोदीपुरम एवं वापस (भा.कृ.अ.प. वाहन)	पी डी सी एस आर, पी डी सी एवं सी पी आर एस, मोदीपुरम के कर्मचारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई बैठक में भाग लेना
	उप-महानिदेशक (मात्स्यिकी)	
9-12.3.2001	दिल्ली से भीमताल (उत्तर प्रदेश) वाया मेरठ एवं वापस (भा.कृ.अ.प. वाहन)	शिलान्यास समारोह और माननीय कृषि राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा, डा. देवेन्द्र प्रधान द्वारा सम्बोधन में भाग लेना।
27.7.2002 (एक दिन)	दिल्ली में मेरठ व वापस (भा.कृ.अ.प. वाहन)	सी सी एस विश्वविद्यालय मेरठ में जीव विज्ञान विषय में अनुसंधान उपाधि समिति की बैठक में भाग लेना।
	उप-महानिदेशक (बागवानी)	
17.12.2001 (एक दिन)	दिल्ली से मोदीपुरम और वापसी (भा.कृ.अ.प. का वाहन)	सी पी आर एस में आलू और शुद्ध आलू (ट्रू पोटेटो) पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए तथा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए।
	उपमहानिदेशक (पशु विज्ञान)	
15.10.2001	दिल्ली से मेरठ और वापसी (भा.कृ.अ.प. का वाहन)	दिनांक 15.10.2001 को माननीय कृषि मंत्री द्वारा गोपशु परियोजना निदेशालय के भवन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए।
	वित्त सलाहकार (डेयर)/भा.कृ.अ.प.	
2.4.2002 से 6.4.2002	दिल्ली से मसूरी और देहरादून और वापसी (भा.कृ.अ.प. का वाहन)	राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में सिविल सेवा प्रशिक्षणार्थियों को व्याख्यान देने के लिए।
	उपमहानिदेशक (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन)	
15.10.2001	दिल्ली से मोदीपुरम (भा.कृ.अ.प. का वाहन)	माननीय कृषि मंत्री द्वारा गोपशु परियोजना निदेशालय के भवन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए।

जनवरी, 2001 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियों द्वारा सरकारी वाहन से की गई निजी यात्राओं का विवरण

अपर सचिव (डेयर) एवं सचिव, भा. कृ. अ.प.

25 अक्तुबर, 2001	मेरठ से दिल्ली	पदाधिकारी द्वारा संस्थान की कार में निजी उद्देश्य से यात्रा की गई।
29 अक्तुबर, 2001	दिल्ली से मेरठ	नियमानुसार आवश्यक भुगतान कर दिया गया है।

बंगलौर से उड़ानें

2860. श्री जी. पुट्टा स्वामी गौड़ा: क्या नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर से सीधी उड़ानें संचालित करने की अनुमति मांगने हेतु विदेशी विमान सेवाओं के लिए अनेकों आवेदन गत दो वर्ष से केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इतने लम्बे समय तक लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) यूनाइटेड किंगडम मारीशस तथा संयुक्त अरब अमीरात के वैमानिकी प्राधिकारियों ने अपनी नामित एयलाइनों के लिए बंगलौर को अतिरिक्त प्वाइंट आफ काल बनाए जाने के लिए अनुरोध किया है वायु यातायात अधिकारों की प्रकृति सम्प्रभु होने के कारण उनका विनियम शामिल दोनों देशों के आपसी हितों पर द्विपक्षीय वायु सेवा वार्ताओं की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इसलिए इन अनुरोधों पर परस्पर अनुकूल समय पर दूसरे दौर के द्विपक्षीय वायु सेवा परामर्शों के दौरान विचार कि या जाएगा

औद्योगिक विवाद अधिनियम और व्यवसाय संघ अधिनियम में संशोधन

2861. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से औद्योगिक विवाद अधिनियम और व्यवसाय संघ अधिनियम में संशोधन हेतु अपनी सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार से यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(ञ), धारा 25-क, 25-च, 25-चचक में संशोधन किया जाए तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-ट से 25-ध और ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 की धारा 4, धारा 6(ङ) की धारा 22 का अनुप्रयोग आंध्र प्रदेश राज्य में समाप्त कर दिया जाए। इन दोनों प्रस्तावों के संबंध में श्रम मंत्रालय की राय से उन्हें पहले ही अवगत कराया जा चुका है।

रोजगार हेतु विदेश जाने वाले भारतीय

2862. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में रोजगार की तलाश में विदेशों में गए शिक्षित भारतीयों के बारें में कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग सरकार द्वारा विदेशों में बसे उन शिक्षित भारतीयों को आकर्षित करने और उन्हें वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए है/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रवासियों द्वारा पैसा भेजना

2863. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:
श्री ब्रह्मानंद मंडल:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना तथा दसवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान विदेशों में कार्यरत भारतीय प्रवासियों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या इसका अधिकांश हिस्सा विदेशों में रह रहे सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसासियों से आता है;

(ग) यदि हां, तो सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा तथा अन्य तकनीकी व्यवसायियों से नकदी को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या उनकी आय का कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) आठवी एवं नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रवासी भारतीय कामगारों से प्राप्त धनराशि क्रमशः 63,182.9 करोड़ तथा 2,57,115.4 करोड़ रुपये हैं। तथापि, दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासियों के लिए परीक्षित इमारती लकड़ी

2864. श्री विष्णुपद राय: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंडमान और निकोबार द्वीपों के भूकंपीय क्रियाशील क्षेत्र में अवस्थित होने का कारण जनजातीय और गरीबी की रेखा से रहने वाले परिवारों को गृह-निर्माण के लिए एकमुश्त उपाय के रूप में सस्ती दरों पर परीक्षित इमारती लकड़ी की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने उपर्युक्त श्रेणी की जनसंख्या को परीक्षित इमारती लकड़ी की आपूर्ति पर दी जाने वाली राजसहायता की मात्रा को इंगित करते हुए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो यह आपूर्ति कब शुरू हो जाएगी;

(घ) क्या सभी द्वीपों में परीक्षित इमारती लकड़ी को उपलब्ध कराने के लिए डिपुओं का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे डिपुओं को कब तक खोला जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई वचन नहीं दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) उपरोक्त (ख) के देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समाप्त होते चरागाह

2865. श्री ब्रह्मानंद मंडल: यह **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समाप्त होते चरागाहों के कारण प्रतिवर्ष कितनी हानि हो रही है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार हुई हानि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भू-उपयोग वर्गीकरण संबंधी आकड़ों के अनुसार वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के दौरान देश में स्थायी चारागाह और अन्य चराई भूमि का क्षेत्र लगभग स्थिर अर्थात लगभग 11 मिलियन हैक्टेयर रहा है। देश में वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान उत्पादित चारे और घास का मूल्य केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा क्रमशः 6468 करोड़ रुपये, 9731 करोड़ रुपये और 9606 करोड़ रुपये आंका गया है।

वन भूमि का उपयोग और विक्रय

2866. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से वन के रूप में विधिक रूप से यथा परिभाषित वन भूमि को बेचने संबंधी अपनी नीति में परिवर्तन का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में वन भूमि को अवैध रूप से बेचा/अतिक्रमण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या वन भूमि के उपयोग और विक्रय की कोई स्पष्ट नीति घोषित की जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वन भूमि को अवैध रूप से बेचने के बारे में किसी राज्य से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक वन भूमि पर अतिक्रमणों का संबंध है इस संबंध में विभिन्न राज्यों/संघ शासित सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में लगभग 13.5 लाख हैक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण।

(घ) अतिक्रमण क्षेत्रों सहित राज्यवार विवरण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) देश के वनों प्रबंधन राष्ट्र के पर्यावरण के संरक्षण और राष्ट्रीय वन नीति, 1998 में प्रतिपादित उपबंधों के अनुसरण में समाज की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने लिए किया जाता है। वनों का प्रबंध राज्य की कार्य योजनाओं के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विकास परियोजनाओं के लिए वनभूमि के वनेतर प्रयोग के लिए मंजूरी देने के अतिरिक्त वन भूमि के अन्य उपयोग और बिक्री के कोई नीति नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	अतिक्रमण के अंतर्गत क्षेत्र हैक्टेयर में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	341322.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	4038.0
3.	असम	254711.0
4.	बिहार	2177.0
5.	छत्तीसगढ़	150495.0
6.	दिल्ली	उपलब्ध नहीं
7.	गोवा	1012.0
8.	गुजरात	5484.0
9.	हरियाणा	852.0
10.	हिमाचल प्रदेश	1493.0
11.	जम्मू एवं कश्मीर	15406.0
12.	झारखंड	33905.0
13.	कर्नाटक	109000.0
14.	केरल	45970.0
15.	मध्य प्रदेश	72811.0
16.	महाराष्ट्र	93610.0
17.	मणिपुर	0.3
18.	मेघालय	15464.0
19.	मिजोरम	13.0
20.	नागालैंड	0.0
21.	उड़ीसा	75696.0
22.	पंजाब	4409.0
23.	राजस्थान	17584.0
24.	सिक्किम	12000.0
25.	तमिलनाडु	18283.0
26.	त्रिपुरा	41927.0
27.	उत्तरांचल	10400.0
28.	उत्तर प्रदेश	25210.0
29.	पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	4651.0
31.	चंडीगढ़	उपलब्ध नहीं
32.	दादर एवं नगर हवेली	उपलब्ध नहीं
33.	दमन एवं दीव	उपलब्ध नहीं
34.	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं
35.	पाण्डिचेरी	उपलब्ध नहीं
	कुल	1357923.3

जल मास

2867. **श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई और अगस्त मास को प्रतिवर्ष 'जल मास' (वाटर मन्थस) के रूप में मनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में विद्यालयों, महाविद्यालयों और कार्यशालाओं में लोगों में जल संरक्षण के बारे जागरूकता फैलाने के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं को आयोजित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों दौरान ऐसे आयोजनों पर राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त अवधि में राज्यवार कितना जल संरक्षित किया गया?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) प्रधान मंत्री जी ने जल संरक्षण करने तथा जुलाई एवं अगस्त को 'जल मास' के रूप में मनाने के लिए जून, 2003 में राष्ट्र से अपील की है। देश के विभिन्न स्थानों पर स्कूली अध्यापकों, स्कूली बच्चों तथा अन्य लोगों के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(ग) गत वर्षों में जुलाई तथा अगस्त को जल माह के रूप में मनाने से संबंधित कोई विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये थे।

(घ) जन जागरूकता उन्मुखी इस अपील में संरक्षित जल की कोई मात्रा निर्धारित नहीं है।

पाकिस्तानी वायु क्षेत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध

2868. **श्री रामजीलाल सुमन:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानों के पाकिस्तानी वायु क्षेत्र से होकर उड़ने पर लगे प्रतिबंध के कारण भारतीय उड्डयन कंपनियों को अफगानिस्तान और अन्य देशों से अपनी उड़ानें अपेक्षाकृत लंबे वायुमार्गों से होकर संचालित करने के कारण अतिरिक्त हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको हुई अतिरिक्त हानि का अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी हानि का ब्यौरा क्या है और औसत वार्षिक हानि कितनी हुई; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप भारतीय विमानों को कितनी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) जी, हां। इस कारण से इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का क्रमशः लगभग 8.5 करोड़ रुपये तथा 57 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ है।

(घ) पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का प्रयोग न करते हुए दिल्ली/यूरोप/दिल्ली तथा दिल्ली/गल्फ/दिल्ली सेक्टरों पर उड़ान भरने से भारतीय विमानों को प्रत्येक दिशा में क्रमशः 510 और 245 नाटिकल मील्स की अतिरिक्त औसतन दूरी पर उड़ान भरनी पड़ी है।

नए विमानपत्तनों का निर्माण

2869. **श्री जी. जे. जावीया:**
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्र के धार्मिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक केन्द्रों के विकास के लिए देश में विशेषकर कुरूक्षेत्र में और हरियाणा, गुजरात और तमिलनाडु के अन्य स्थानों पर कुछ नए वायु पत्तन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ऐसी प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है और योजना/परियोजना/अनुमानों का पृथक-पृथक विवरण क्या है;

(ग) इन विमानपत्तनों का कब तक निर्माण किए जाने की संभावना है; और

(घ) उपर्युक्त राज्यों में विद्यमान विमानपत्तनों के स्थापना स्थल और इनमें से प्रत्येक विमानपत्तन के विकास और विस्तार पर 1 जनवरी, 2001 से आज की तिथि तक वर्षवार किए गए व्यय का ब्यौरा किया है; और

(ङ) चालू योजनावधि में इन पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) इस समय हरियाणा, गुजरात अथवा तमिलनाडु में नए हवाई अड्डों के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) गुजरात राज्य में अहमदाबाद, भावनगर, भुज, जामनगर, कांडला, केशोड, पोरबंदर, राजकोट, वडोदरा में तमिलनाडु राज्य में चेन्नै, कोयम्बटूर मदुरई, त्रिची में हवाई अड्डे हैं तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कोई भी हवाई अड्डा हरियाणा में नहीं है। वर्ष 2001-02 के दौरान अहमदाबाद हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार पर 6.77 करोड़ रुपये भावनगर हवाई अड्डे पर 2.01 करोड़ रुपए भुज, हवाई अड्डे पर 4.47 करोड़ रुपए, जामनगर हवाई अड्डे पर 0.75 करोड़ रुपए, पोरबंदर हवाई अड्डे पर 3.70 करोड़ रुपए, वडोदरा हवाई अड्डे पर 0.03 करोड़ रुपए, चेन्नै हवाई अड्डे पर 29.78 करोड़ रुपए, कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर 0.74 करोड़ रुपये, मदुरै हवाई अड्डे पर 0.13 करोड़ रुपए तथा त्रिची हवाई अड्डे पर 0.39 करोड़ रुपए व्यय किए गए। वर्ष 2002-03 के दौरान अहमदाबाद हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार पर 10.25 करोड़ रुपए, भावनगर हवाई अड्डे पर 2.48 करोड़ रुपए भुज हवाई अड्डे पर 6.41 करोड़ रुपए, पोरबंदर हवाई अड्डे पर 2.00 करोड़ रुपए, राजकोट हवाई अड्डे पर 0.77 करोड़ रुपए, चेन्नै हवाई पर 64.10 करोड़ रुपए, कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर 2.11 करोड़ रुपए, मुदरै हवाई अड्डे पर 2.14 करोड़ रुपए, त्रिची हवाई अड्डे पर 1.53 करोड़ रुपए व्यय किए गए। वर्ष 2003-04 के दौरान (जून, 2003 तक) अहमदाबाद हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार पर 1.60 करोड़ रुपए, भावनगर हवाई अड्डे पर 1.22 करोड़ रुपए, भुज हवाई अड्डे पर 0.98 करोड़ रुपए, कांडला हवाई अड्डे पर 0.92 करोड़ रुपए, पोरबंदर हवाई अड्डे पर 1.50 करोड़ रुपए, राजकोट हवाई अड्डे पर 0.09 करोड़ रुपए, चेन्नै हवाई अड्डे पर 6.04 करोड़ रुपए, कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर 0. 13 करोड़ रुपए, मदुरै हवाई पर 0.01 करोड़ रुपए तथा त्रिची हवाई अड्डे पर 0.01 करोड़ रुपए व्यय किए गए।

(ङ) वर्ष 2003-04 के दौरान अहमदाबाद हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार पर 15.20 करोड़ रुपए, भावनगर हवाई अड्डे पर 5.30 करोड़ रुपए, भुज हवाई अड्डे पर 5.20 करोड़ रुपए, जामनगर हवाई अड्डे पर 0.22 करोड़ रुपए कांडला हवाई अड्डे पर 0.36 करोड़ रुपे केशोड हवाई अड्डे पर 0.29 करोड़ रुपए, पोरबंदर हवाई अड्डे पर 4.60 करोड़ रुपए राजकोट हवाई अड्डे पर 3.30 करोड़ रुपए, वडोदरा हवाई अड्डे पर 0.98 करोड़ रुपए, चेन्नै हवाई अड्डे पर 24.83 करोड़ रुपए, कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर 3.20 करोड़ रुपए, मदुरै हवाई अड्डे पर 3.75 करोड़ रुपये तथा त्रिची हवाई अड्डे पर 2.00 करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि में जमा राशि

2870. श्री राम टहल चौधरी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि में जून, 2003 तक कुल जमा राशि कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इस धनराशि को अन्यत्र निवेश करने के कोई निदेश जारी किये है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार को उसके कतिपय नियमों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में भविष्य में इन नियमों के अनुपालन के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 30.06.2003 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि से निवेश की गई कुल राशि 65,973.29 करोड़ रुपये थी।

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 52 के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि के धन को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश पैटर्न के अनुसार निवेश किया जाता है। निवेश के वर्तमान पैटर्न को केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 52 के अनुसार 09.07.2003 को अधिसूचित किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि का केन्द्रीय न्यासी बोर्ड भारतीय स्टेट बैंक की मुंबई शाखा नामक अपने पोर्टफोलिया मैनेजर के माध्यम से गैर-छूट प्राप्त सैक्टर के निवेश कारपस का प्रबंधन करता है और आज की तिथि तक निवेश पैटर्न के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन छूट प्राप्त न्यास केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश पैटर्न के अनुसार अपने स्वयं के निवेश कारपस का प्रबंधन करते हैं।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बाघ परियोजना

2871. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने दो वर्ष पहले चंदोली की 'बाघ परियोजना' के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ताकि इस परियोजना को विशेष दर्जा की मंजूरी दी जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने चंदोली वन क्षेत्र को बाघ रिजर्व घोषित किए जाने हेतु एक प्रस्ताव भेजा था जिसे बाघ परियोजना संचालन समिति ने स्वीकार नहीं किया है।

जानवरों और पक्षियों का वध

2872. श्री अनंत गुढ़े: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों में मोरों, जंगली सुअरों, हिरणों और सांभरों के वध में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निवारात्मक कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आपातकालीन लैंडिंग

2873. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली से पुणे के लिए 145 यात्रियों को ले जा रही इंडियन एयरलाइंस की उड़ान को 17 जुलाई, 2003 को मुंबई हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले छह माह के दौरान इंडियन एयरलाइंस और सहायक कंपनियों की उड़ानों को कितनी बार आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी; और

(घ) सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई की है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी नहीं, तथापि दिनांक 17.7.2003 को 145 यात्रियों को ले जा रहे इंडियन एयरलाइन्स की ए-320 विमान वीटी-ईपी के उड़ान आई सी-688 (दिल्ली-मुम्बई-पुणे) का प्रचालन करते समय इसके टायर फट जाने की घटना हुई थी। विमान मुंबई में सुरक्षित ढंग से उतर गया।

(ग) 1.1.2003 की अवधि से आज की तारीख तक इंडियन एयरलाइंस के किसी भी विमान को आपातकालीन स्थिति में नहीं उतरना पड़ा।

(घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

निजी कंपनियों में ठेका प्रणाली

2874. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा निजी कंपनियों में श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात करने वाली ठेका प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार निजी कंपनियों में कार्यरत श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने और उनके भावी हितों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) कतिपय परिस्थितियों में ठेका श्रम को प्रतिषिद्ध करने और जहां कहीं भी इस प्रकार के नियोजन को प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है वहां ठेका श्रम की कार्य-दशाओं को विनियमित करने के लिए ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 को अधिनियमित किया गया है। तथापि, इस अधिनियम में तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने संबंधी अधिसूचना जारी करने पर ठेका श्रम को नियमित किये जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

आई.टी.आई. का खोला जाना

2875. श्री प्रदीप यादव: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रौद्योगिकीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान और पोलीटेक्निक्स खोलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में विशेषकर झारखंड राज्य के गोंड्डा और देवघर जिलों में नए पोलीटेक्निक्स और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं और वित्तीय सहायता दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार राज्य में जिला स्तर पर औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान और पोलीटेक्निस खोलने के लिए सीधे धन उपलब्ध कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) औद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र/पोलिटेक्निक्स की स्थापना का उत्तरदायित्व राज्य सरकार/संघशासित प्रदेश का है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) औद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र/पोलिटेक्निक्स खोलने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है।

[अनुवाद]

वाइसरीगल लाज एवं राष्ट्रपति निवास को पर्यटन स्थल के रूप में बदलना

2876. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिमला स्थित वाइसरीगल लॉज एवं राष्ट्रपति निवास को पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस 127 एकड़ सम्पदा के क्षेत्र में और सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) शिमला में राष्ट्रीय महत्व के एक स्मारक वाइस रीगल लॉज संरक्षित पर्यावरण के और विकास के अलावा वर्तमान प्रदर्शन को एक अधुनातन संग्रहालय के रूप में उन्नयन करने का निर्माण लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवान्स्ड स्टडीज द्वारा दिसंबर, 2003 के अंत तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को परिसर सुपुर्द किए जाने के बाद, ब्यौरा तैयार किया जाएगा।

सामान्य विक्रय अभिकर्ताओं के प्रति अनुग्रह

2877. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी स्टेशनों पर यात्री टिकटों की बिक्री और कागरो की ढुलाई के लिए नियुक्त सामान्य विक्रय अभिकर्त्ता (जी.एस.ए.) सामान्य कमीशन और विशेष दरों पर अध्यारोही कमीशन के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो कंपनियों के साथ हुए करारों के अनुसार जी.एस.ए. को कंपनी द्वारा निर्धारित दरों के अलावा दरों पर टिकट विक्रय की अनुमति नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या विदेशों में कुछ जी.एस.ए. ने 1998-99 से 2001-02 के दौरान आई.ए.टी.ए. द्वारा प्रकाशित दरों पर टिकटों की बिक्री की थी जो कंपनी द्वारा निर्धारित दरों से अपेक्षाकृत अधिक थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जी.एस.ए. को करारित कमीशन का भुगतान किए जाने के बावजूद प्रोत्साहन के रूप में आधिक्य संग्रह के प्रतिधारण की अनुमति दी गई थी; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस चूक और जी.एस.ए. के प्रति अनुग्रह की जांच करने का है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) एअर इंडिया द्वारा सामान्य बिक्रय एजेंटों को किराए निर्धारित स्तर पर दिए जाते हैं तथा सामान्य बिक्रय एजेंट इन्हें इन निर्धारित स्तर से कम दरों पर टिकटों की बिक्री नहीं कर सकते। वे किराये प्रतिस्पर्द्धी मार्केट किराए होते हैं तथा ये आयटा प्रकाशित किरायों से काफी नीचे होते हैं।

(ग) से (ङ) जी नहीं। काफी कड़ी प्रतिस्पर्द्धा होने के कारण सामान्य बिक्रय एजेंट आयटा प्रकाशित किरायों पर बिक्री नहीं कर

सकेंगे कि चूकि ये मौजूदा मार्केट किरायों की तुलना में बहुत अधिक ऊंचे होते हैं। तथापि, सामान्य बिक्रय एजेंट टिकटों की बिक्री निर्धारित स्तर से ऊंचे स्तर पर कर सकते हैं। निर्धारित स्तर न्यूनतम स्तर होता है। सामान्य बिक्रय एजेंट ऊंची राशि के लिए अनुमोदित दरों पर कमीशन रखते हैं तथा वे कमीशन की अधिक राशि के पश्चात कमीशन की निवल राशि को एअर इंडिया के पास जमा करता है।

(च) जी, नहीं। किसी प्रकार की छानबीन किए जाने का कोई कारण नहीं बनता चूंकि किसी प्रकार की अनियमितताएं नोटिस में नहीं आई हैं।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश के लिए विमान संपर्क

2878. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से पूर्वोत्तर सेक्टर में परिचालन के लिए 4 एटीआर 42-320 विमानों की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विमान की सेवाओं से हिमाचल प्रदेश को वंचित रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का हिमाचल प्रदेश में इस विमान सेवा को कब तक शुरू करने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) एलायंस एयर ने उत्तर पूर्व क्षेत्र में और अधिक संपर्क कराने के लिए उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास विभाग द्वारा 35 करोड़ रुपये की वार्षिक सहायता से 50 सीटों वाले चार एटीआर-42-320 विमान शामिल किये हैं। इस प्रकार इन विमानों को विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र में सेवाओं के प्रचालन के लिए लगाया गया है।

भारतीय भाषा में कृषि प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम

2879. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे कौन-कौन से संस्थान हैं जहां कृषि प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम भारतीय भाषाओं में शुरू किए गए हैं;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में केवल अंग्रेजी में ही शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आई.सी.ए.आर. में राजभाषा अधिनियम, 1963 को अब तक लागू नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आम किसानों को इसमें शामिल करने के मद्देनजर कृषि प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम को हर स्तर पर भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) किसानों तथा विस्तार कार्यकर्त्ताओं के लिए कृषि औद्योगिकी पाठ्यक्रम सामान्यत: भारतीय भाषाओं में आयोजित किए जाते हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र कृषि ज्ञान केन्द्र तथा विस्तार शिक्षा संस्थानों द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम स्थानीय भारतीय भाषाओं में आयोजित किए जाते हैं।

(ख) भा.कृ.अ.प. का एक राष्ट्रीय कार्यादेश (मेन्डेट) है। भा.कृ.अ.प. संस्थानों के शिक्षक छात्र तथा वैज्ञानिक विभिन्न राज्यों से तथा कभी-कभी अन्य देशों से होते हैं। इसके राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप तथा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रशिक्षण तथा अनुसंधान का माध्यम अंग्रेजी भाषा है।

(ग) जी, हां। इसे कार्यान्वित किया गया है।

(घ) से (च) अंग्रेजी भाषा का उपयोग उन राज्यों से पत्राचार करते समय किया जाता है जिन राज्यों ने अपनी कार्यालयीन कार्य में हिन्दी भाषा को नहीं अपनाया है।

अधिकांश स्थानों में निम्न स्तर पर शिक्षा के लिए शिक्षण तथा जहां छात्र/प्रशिक्षणार्थी स्थानीय हैं वहां प्रशिक्षण का माध्यम पहले से स्थानीय भाषा में है। जहां छात्र और प्रशिक्षणार्थी अन्य राज्यों/ देशों से आते हैं वहां शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी ही है।

जल आपूर्ति और सफाई संबंधी परियोजनाएं

2880. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों सरकारों ने केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन हेतु जल आपूर्ति और सफाई संबंधी परियोजनाएं भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक अनुमोदन प्रदान किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन पेय जल की आपूर्ति विभाग ने देश भर त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस सी) के तहत 67 प्रायोगिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के सात जिले चित्तूर, खम्माम, नलगोंडा, नेल्लोर, प्रकाशम, गुंटूर और पूर्वी गोदावरी तथा उत्तर प्रदेश के चार जिले आगरा, चंदौली, लखनऊ, मिर्जापुर और सोनभद्र शामिल हैं। समग्र स्वच्छता अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 41 लाभग्राही जिले और आंध्र प्रदेश में 22 लाभग्राही जिले हैं। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र स्वच्छता अभियान के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार निधियां प्रदान करती है।

[अनुवाद]

बांधों का निर्माण

2881. श्री रतन लाल कटारिया: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्षा जल के संग्रहण के लिए देश के विभिन्न भागों में बांधों के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के वास्ते केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त बांधों तथा वर्षा जल के भंडारण के लिए जलाशयों के निर्माण के लिए सरकारों द्वारा तैयार की गई विचाराधीन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	नई परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	18
2.	बिहार	01
3.	छत्तीसगढ़	02
4.	गुजरात	02
5.	हरियाणा	01
6.	हिमाचल प्रदेश	01
7.	झारखंड	04
8.	कर्नाटक	03
9.	केरल	02
10.	मध्य प्रदेश	06
11.	महाराष्ट्र	45
12.	मणिपुर	01
13.	नागालैंड	01
14.	उड़ीसा	11
15.	राजस्थान	03
16.	तमिलनाडु	01
17.	उत्तर प्रदेश	06
18.	उत्तरांचल	01
19.	पश्चिम बंगाल	01
	कुल	110

बाढ़ पीड़ितों के लिए आश्रय स्थल

2882. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए आश्रय स्थल गलत तरीके के बनाए जा रहे हैं जिससे कि संकटकाल में लोग उनमें शरण नहीं ले सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए जाने वाले आश्रय स्थलों की योजनाओं और डिजाइनरों के मामले में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच एक साझा नीति पर विचार करने का है जिससे कि बिना बाढ़ वाले मौसम में इन शरणस्थलों का उपयोग अन्य सामाजिक कार्यकलापों के लिए किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने का उत्तरदायित्व मुख्यत: राज्यों का विषय है। यदि राज्य अपने पास उपलब्ध संसाधनों द्वारा इससे निपटने की स्थिति में न हों तो भारत सरकार लाजिस्टिक तथा वित्तीय सहायता मुहैया कराके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देता है। बाढ़ राहत शिविरों के संबंध में भारत सरकार ने दिसंबर, 2002 में राज्य सरकारों को सिफारिश की कि बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल के भवनों के लिए स्थानों तथा डिजाइनों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उनका उपयोग बाढ़ के समय शिविर के रूप में किया जा सके।

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के लिए राशि

2883. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एनएटीपी) के अंतर्गत उड़ीसा को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या उड़ीसा के बोलंगीर में एक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) लागू नहीं।

विवरण

उड़ीसा राज्य में रा.कृ.प्रौ.प. (एन ए टी पी) के विभिन्न कार्यान्वयन संस्थाओं को जारी की गई राशि वर्ष-वार ब्यौरा

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद घटक

वर्ष	राशि (रु. लाख में)
1998-99	78.08
1999-2000	387.71
2000-01	398.66
2001-02	489.05
2002-03	325.42
कुल	1678.92

डी ए सी कम्पोनेन्ट-1266.01 लाख रु.

ओवर टाइम में वृद्धि

2884. श्री नेपाल चन्द्र दास: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने केन्द्र सरकार से आई. डी. एक्ट के अनुसार ओवर टाइम की दर को उसकी सामान्य दर से दुगनी करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में समयोपरि भत्ते की दरों का कोई प्रावधान नहीं है। कारखाना अधिनियम, 1948 में कारखानों में कार्यरत कामगारों हेतु समयोपरि कार्यों के लिए अतिरिक्त मजदूरी के प्रावधान हैं। धारा-59 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था है कि यदि किसी कारखानों में कार्यरत कोई कामगार किसी भी दिन 9 घंटे से अधिक अथवा किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य करता है तो वह समयोपरि कार्य के लिए अपनी सामान्य मजदूरी से दोगुनी मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा। इस मंत्रालय को अंडमान और निकोबार प्रशासन से वर्तमान प्रावधानों में संशोधन का कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

चुराई गई पिस्तौल की बरामदगी

2885. श्री जे.एस. बराड़: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय से चुराई गई पिस्तौल बरामद की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे बरामद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उस चूक के लिए कोई जवाबदेही तय की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) मामले की सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई है जो मामले की जांच कर रही है। पुलिस आयुक्त दिल्ली ने चुराई गई पिस्तौल के बारे में सुराग देने वाले व्यक्ति को 1.00 लाख रु. का पुरस्कार देने की घोषणा की है। मैरिटाइम हेरिटेज गैलेरी, जहां उक्त पिस्तौल को प्रदर्शन हेतु रखा गया था, भारतीय नौसेना के नियंत्रण में है, जिसने उन परिस्थितियों की जांच करने के लिए एक आंतरिक जांच का आदेश दिया है जिनके कारण पिस्तौल की चोरी हुई।

[हिन्दी]

जोधपुर से फ्लाइट

2886. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान में जोधपुर के लिए और अधिक फ्लाइटें संचालित करने का कोई प्रस्ताव है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली-जोधपुर-अहमदाबाद-मुंबई फ्लाइट को पुन: संचालित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक चलाए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण संबंधी अनुसंधान केन्द्र को सहायता

2887. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु सैटेलाइट सुविधा स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग करते हुए कोई अनुरोध पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभी तक कोई सहायता जारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सेल्युलर एंड मालिक्यूलर बायोलाजी केन्द्र के अंतर्गत लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए हैदराबाद में प्रयोगशाला की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था।

(ग) और (घ) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए प्रयोगशाला के प्रथम चरण के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए समहत हो गया है। इस उद्देश्य हेतु सेल्यूलर एंड मालिक्यूलर बायोलाजिकल केद्र को पहले ही 2.00 करोड़ रु. जारी कर दिए गए हैं।

पुराने विमान को हटाया जाना

2888. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यात्री विमान को हटाए जाने की सामान्य अवधि/समय क्या है;

(ख) अन्य देशों जैसे सिंगापुर द्वारा अपने यात्री विमान को हटाए जाने के संबंध में क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र में दी जा रही किराया रियायत अधिक यात्रियों को आकर्षित कर पाने में असमर्थ है;

(घ) यदि हां, तो क्या यात्रियों को आकर्षित करने हेतु इस क्षेत्र में भाड़ा-ढांचे में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत पुराने यात्री विमानों की सेवाएं ली जा रही हैं; और

(च) यदि नहीं, तो पिछले छ: माह के दौरान देश के सभी सेक्टरों में लगाए गए विमानों का सेक्टरवार ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक कितना पुराना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) यात्री विमानों को हटाए जाने के लिए कोई समय

सीमा/अवधि निर्धारित नहीं की गई है। एक विमान तब तक प्रचालित किया जा सकता है जब तक कि वह विनिर्माताओं की आवश्यकताओं तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डी जी सी ए) द्वारा निर्धारित अनुरक्षण योजना और अनिवार्य आशोधनों के अनुरूप अनुरक्षित रखा जाता है।

(ख) सिंगापुर सहित अन्य देशों द्वारा अपने यात्री विमानों को हटाए जाने के लिए अपनाए जा रहे है मानदंडों के संबंध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जी, नहीं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचालित उड़ानों का सीट फैक्वर ऊंची है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) व्यक्तिगत विमान किसी विशिष्ट सेक्टर पर संचालित नहीं किए जाते हैं। किसी मार्ग पर किसी दिन विशेष में किसी विशिष्ट विमान को विमान की अनुरक्षण की आवश्यकता तथा विभिन्न अनुरक्षण आधारों पर उसकी पोजीशनिंग को ध्यान में रख कर प्रचालित किया जाता है। इसलिए एक बेड़े के विमानों को सम्पूर्ण नेटवर्क के आधार पर लगाया जाता है कि किसी विमान विशेष को पूर्वोत्तर क्षेत्र पर प्रचालित किया जाता है। केलव चार एटीआर 42 विमान विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही प्रचालित होते हैं। एटीआर-42 विमानों की औसत आयु 9.2 वर्ष है जबकि इंडियन एयरलाइस के अन्य सभी विमानों की औसत आयु 15.4 वर्ष है।

सीआईसीईएफ द्वारा फिशिंग हार्बर डेवलपमेंट वर्क्स

2889. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिशिंग हार्बर डेवलपमेंट वर्क्स की डिजाइनिंग के लिए सैंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी (सी आई सी ई एफ) बेंगलूर द्वारा कराए जा रहे संभाव्यता अध्ययन में देरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूजल संबंधी अनुसंधान

2890. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों को भूजल संबंधी अनुसंधान करने हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इससे राज्यों को किस सीमा तक लाभ होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्य देशों/विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

2891. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और विश्व बैंक सहित अन्य देश भारत को उसके कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सहायता प्रदान करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन एजेंसियों से अब तक प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके निमित्त उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सोयाबीन का उत्पादन

2892. श्रीमती प्रभा राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में किसानों को उनके उत्पादन का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए सोयाबीन उत्पादन का क्षेत्र बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय सोयाबीन की खेती का राज्य-वार क्षेत्र कितना है और राज्य-वार कितने अतिरिक्त क्षेत्र में सोयाबीन का उत्पादन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस समय देश में सोयाबीन का उत्पादन आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में सोयाबीन का आयात किया जा रहा है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.) के तहत अपनाई जा रही कार्यनीतियों में से एक है-मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान सहित सभी तिलहन उत्पादक राज्यों में सोयाबीन सहित तिलहन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करना। सोयाबीन उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु सरकार प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एम.एस.पी.) की घोषणा करती रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों 1999-2000 से 2001-02 तक के दौरान देश में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत राज्य-वार क्षेत्र संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। हालांकि, सोयाबीन के तहत अतिरिक्त क्षेत्र कवरेज मौसम की अनुकूल परिस्थितियों तथा सोयाबीन के मंडी मूल्यों पर निर्भर है।

(ग) और (घ) सोयाबीन सहित तिलहन का वर्तमान उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के तहत खाद्य तेल के आयात की अनुमति दी गई है। वर्ष 2001-02 के दौरान 2273.12 करोड़ रुपये की कीमत के 13.58 लाख मीटरी टन सोयाबीन के तेल का आयात किया गया है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 से 2001-02 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान सोयाबीन की खेती के तहत राज्य-वार क्षेत्र

(000 हेक्टेयर)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1999-2000	2001-02	2002-03
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	14.8	11.7	19.4
अरुणाचल प्रदेश	2.8	2.9	2.9
छत्तीसगढ़	—	12.7	14.7
गुजरात	6.3	6.3	6.3
हिमाचल प्रदेश	0.6	0.6	0.6
कर्नाटक	65.0	65.8	49.0
मध्य प्रदेश	4439.4	4475.5	4322.3
महाराष्ट्र	1163.6	1141.5	1104.9
मेघालय	1.0	1.0	1.0
मिजोरम	1.1	1.2	1.3
नागालैंड	12.5	13.0	18.0
उड़ीसा	0.1	नगण्य	नगण्य
राजस्थान	492.4	659.3	655.9
सिक्किम	4.2	4.2	4.2
उत्तर प्रदेश	18.0	15.7	11.5
उत्तरांचल	—	4.7	8.5
पश्चिम बंगाल	0.7	0.5	0.5
अखिल भारत	6222.5	6416.6	6221.0

गैर-सरकारी संगठनों के लिए धनराशियां

2893. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संस्कृति विभाग द्वारा गैर-सरकारी संगठनों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई;

(ख) क्या सरकार संस्कृति केन्द्रों की स्थापना के कार्य को गैर-सरकारी संगठनों को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत धनराशि को 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) संस्कृति विभाग ने 14 स्कीमों के तहत लगभग 34 करोड़ रुपए अलग से निर्धारित किए हैं; जिसके लिए संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन आवेदन कर सकते कर सकते हैं।

(ख) बहु-उद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों का प्रबंधन सरकार द्वारा प्रायोजित पंजीकृत सोसायटियों द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

सलेम इस्पात संयंत्र का निजीकरण

2894. **श्री अनन्त नायक:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सलेम इस्पात संयंत्र का निजीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के लिए वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना पैकेज जो सरकार द्वारा फरवरी, 2000 में मंजूरी किया गया था, में अन्य बातों के साथ-साथ संयंत्र का पुनरुद्धार करने को ध्यान में रखते हुए सेलम इस्पात संयंत्र (एस एस पी) के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने की परिकल्पना भी की गई थी। तदनुसार सेल उपयुक्त संयुक्त उद्यम के भागीदार का चयन करने के लिए कदम उठा रहा है।

वनीला रोपण

2895. **श्री परसुराम माझी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में किन राज्यों में वनीला रोपण किया जाता है;

(ख) क्या उन राज्यों में वनीला रोपण को बढ़ाने की असीम संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) वनीला की खेती मुख्यतः केरल कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में की जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) वनीला की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम ''कृषि का वृहद प्रबंधकार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों से राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण'' के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा जा रहे हैं:- (i) 25% राजसहायता देकर गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण; तथा (ii) वनीला की खेती सम्भावना वाले राज्यों में किसानों के खेतों पर प्रदर्शन भू-खंडों की स्थापना एवं रख-रखाव, जिसमें 500 रुपये प्रति भू-खंड की सीमा तक आदान लागत की 25% की दर से सहायता दी जाती है। राज्य कृषि/बागवानी विभाग द्वारा किसानों को खेती के विभिन्न पहलुओं पौध संरक्षण आदि के बारे में तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है।

इसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत मसाला बोर्ड द्वारा वनीला की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं:-

कार्यक्रम	प्रदत्त प्रोत्साहन/सहायता
1. नए रोपण	अधिकतम 5 रुपये प्रति कलम अथवा वनीला की अच्छी गुणवत्ता वाली जड़ सहित कलम की लागत का 50%
2. प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना	किसानों को वनीला क्यूरिंग यूनिट की स्थापना की लागत की 25% राशि के लिए 2,500 रुपये प्रति यूनिट

इसके अलावा मसाला बोर्ड द्वारा वनीला की खेती के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने तथा कटाई पश्चात रख-रखाव के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बोर्ड ने वनीला की पौध रोपण सामग्री तैयार करने के लिए टिशु कल्चर सुविधाएं भी सृजित की हैं।

[हिन्दी]

मृदा अपरदन

2896. **श्री राजो सिंह:**
श्री ब्रह्मानंद मंडल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मृदा अपरदन के कारण कृषि उत्पादन को वार्षिक तौर पर अनुमानतः कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है; और

(ख) मृदा अपरदन को रोकने के लिए सरकार द्वारा किन उपायों पर विचार किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) मृदा कटाव के कारण देश में कृषि उत्पादन/

खाद्यान्न की वार्षिक हानि के प्रतिशत को आंकने के लिए कोई योजनाबद्ध अध्ययन नहीं किए गए।

(ख) जल एवं वायु से होने वाले कटाव तथा अन्य विशिष्ट प्रेरणार्थक कारणों द्वारा उत्पन्न मृदा कटाव/भूमि गुणवत्ता ह्रास संबंधी समस्या से निपटने के लिए कृषि मंत्रालय, कृषि के वृहद प्रबंधन अर्थात (1) नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के आवाहों में डिग्रेडेट (अवक्रमित) भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण (आर वी पी एवं एफ पी आर) (2) क्षारीय मृदा का सुधार (आरएफएस), (3) पूर्वोत्तर भारत में श्रम खेती क्षेत्रों (डब्ल्यू डी एस जी) के नियंत्रण के लिए जल विभाजक विकास स्कीम (4) वर्षा पोषित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना के तहत कई केन्द्र प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा हैं।

[अनुवाद]

क्षेत्र को हरा-भरा बनाने संबंधी परियोजनाएं

2897. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली को हरा-भरा बनाने के लिए कोई परियोजना चलाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके लिए दिल्ली को कितनी केन्द्रीय सहायता आबंटित की गई है;

(ग) क्या अन्य राज्यों को भी अपने क्षेत्र में प्रमुख शहरों को हरा-भरा बनाने के लिए इसी प्रकार की सहायता स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) दिल्ली को हरा-भरा बनाने के लिए पर्यावरण वन मंत्रालय ने कोई परियोजना शुरू नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में मत्स्य ग्रहण पोताश्रय

2898. प्रो. ए. के. प्रेमाजम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने कोझीकोड जिले के कोयीलांडी और कन्नूर जिले के थलाई में मत्स्य ग्रहण पोताश्रय की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ग) क्या इसके लिए स्वीकृत दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने कोईलांडी में 23.00 करोड़ रुपये की लागत से कन्नूर जिले के थालाई में 19.70 करोड़ रुपये की लागत से मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कोइलांडी में मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण के लिए प्रस्ताव की जांच के बाद केरल सरकार से भूमि की उपलब्धता पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने और राज्य बजट में समुचित बजटीय प्रावधान की पुष्टि के अतिरिक्त आवश्यक जांच पूरी करने और संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। चोंबल में एक मत्स्यन बंदरगाह की उपलब्धता और माहे में मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण के लिए एक अन्य प्रस्ताव जो कन्नूर जिले के थलाई में प्रस्तावित मत्स्यन बंदरगाह के बहुत निकट हैं को देखते हुए और राज्य सरकार द्वारा निदिष्ट अन्य प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए थलाई में मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण का प्रस्ताव फिलहाल प्राथमिकता में नहीं आता है।

कर्नाटक में बागवानी उत्पादन

2899. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निरंतर सूखे की स्थिति और मानसून में देरी के कारण वर्ष 2003-04 में कर्नाटक के बागवानी उत्पादन में जबर्दस्त गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुमानों के अनुसार वर्ष 2002-03 के 180 लाख टन के उत्पादन की तुलना में उत्पादन कम से कम 20 प्रतिशत कम होगा; और

(ग) यदि हां, तो प्रभावित किसानों को क्या सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) कर्नाटक सहित देश में वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए बागवानी के उत्पादन के निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, कर्नाटक सरकार ने सूखे की स्थिति के कारण वर्ष 2003-04 के दौरान बागवानी फसलों को व्यापक नुकसान होने की नुकसान होने की सूचना दी है।

(ग) कृषि में वृहद प्रबंध-कार्य के जरिए राज्य के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत सरकार किसानों को सहायता प्रदान कर रही है जिसके तहत राज्य सरकार की अनुभूत जरूरतों और मांग के अनुसार बागवानी सहित विभिन्न विकासात्मक कार्यों को शुरू किया जा सकता है। इस स्कीम के तहत वर्ष 2003-04 के दौरान कर्नाटक के लिए 55 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

दुर्गापुर अयस्क इस्पात संयंत्र

2900. **श्री सुनील खां:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दुर्गापुर स्थित अयस्क इस्पात संयंत्र (एएसपी) में चूना पत्थर जैसे नकली कच्चे माल का प्रयोग किए जाने के बारे में रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एएसपी परीक्षण प्रयोगशाला आयरन पाइराट्स, चूना और अन्य लौह-अयस्कों की घटिया गुणवत्ता का पता लगा पाने में असफल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव मामले की जांच कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) मिश्र इस्पात संयंत्र (ए एस पी) में चूना पत्थर जैसे नकली कच्चे माल का प्रयोग किए जाने के बारे में सेल में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में ए एस पी के सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गई थी जिसमें किसी अनियमितता का पता नहीं लगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं। अनुमोदित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फैरो एलाय लाइम और लौह पाइराइट की भी आर एंड सी प्रयोगशाला के कैमिकल अनुभाग में नियमित आधार पर जांच की जाती है। जांच रिपोर्ट और प्रणाली आई एस ओ लेखा परीक्षा के अध्यधीन है। यह अनुभाग संवेदनशील क्षेत्र में आता है और सतर्कता विभाग द्वारा औचक जांच भी की जाती है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

दुबई और कतर के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा संबंधी समझौता

2901. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2002-2003 के दौरान दुबई और कतर के साथ एक नए द्विपक्षीय विमान सेवा संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतर और भारत तथा दुबई और भारत के बीच और अधिक उड़ानों को अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है;

(घ) क्या द्विपक्षीय समझौतों को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए एयर इंडिया के पास पर्याप्त संख्या में विमान नहीं हैं; और

(ङ) इस विषय में चल रहे विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में एयर इंडिया को कौन सी समस्याएं और बाधाएं प्रभावित कर रही हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) भारत और कतर के बीच जून, 2002 में हुई द्विपक्षीय नागर विमानन वार्ताओं के दौरान वायु सेवा करार के एक संशोधित पाठ पर हस्ताक्षर किये गये थे और हैदराबाद व कोचीन को कतर की नामित एयरलाइन के लिए अतिरिक्त स्थलों के रूप में स्वीकृत किया गया था और प्रत्येक पक्ष की क्षमता हकदारी में बढ़ोतरी की गयी। जहां तक यू ए ई (दुबई) की बात है, यद्यपि 2002-03 के दौरान किसी नये करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं, एमरातस को एअर इंडिया के साथ व्यवसायिक करार की शर्त पर 2 वर्ष की अवधि के लिए कोचीन को प्रचालनों के लिए मई, 2002 व मार्च, 2003 के दौरान प्रति सप्ताह 500 सीटें स्वीकृत की गयीं। भारत की नामित एयरलाइनों की क्षमता में भी बढ़ोत्तरी की गयी।

(ग) यद्यपि कतर के प्राधिकारियों ने दोहा-हैदराबाद सेक्टर पर बढ़ी हुई क्षमता के साथ दैनिक आवृतिकी स्वीकृति के लिए एवं नई दिल्ली को एक नये गन्तव्य के रूप में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रार्थना की है, उन्हें सूचित किया गया है कि अभी इस स्टेज पर क्षमता में और वृद्धि करने पर विचार करना अभी ठीक नहीं है। इसी प्रकार एमीरातस ने भारत के लिए अपनी पंचवर्षीय योजना में अपनी क्षमता हकदारी में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि तथा 2007 तक और अधिक भारतीय हवाई अड्डों पर प्रवेश के लिए प्रस्ताव किया है। यातायात के अधिकारों में बढ़ोत्तरी पर दो देशों के बीच यातायात में वृद्धि की पृष्ठभूमि में पारस्परिकता एवं आपसी लाभ के सिद्धांत के आधार पर द्विपक्षीय नागर विमानन परामर्श के दौरान विचार किया जाता है।

(घ) और (ङ) यद्यपि एअर इंडिया अपने बेड़े की उपलब्धता से बाध्य हैं, यह अपने बेड़े के विस्तार की योजनाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इस बीच एअर इंडिया ने 9ए 310-300 विमान तथा बी 747-400 विमान ड्राई लीज पर लिये हैं तथा यह बढ़े हुए द्विपक्षीय अवसरों को पूर्ण रूप से उपयोग करने का प्रयास कर रही हैं।

विमानपत्तनों पर शिकायत पेटिकाएं

2902. श्री ए ब्रह्मनैया: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सभी विमानपत्तनों पर शिकायत अथवा सुझाव पेटिकाएं लगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002-03 के दौरान दिल्ली और मुंबई स्थित विमानपत्तनों पर प्राप्त शिकायतों अथवा सुझावों की संख्या क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन शिकायतों/सुझावों पर उचित रूप से ध्यान नहीं दे पा रहा है;

(घ) ये सुझाव और शिकायत प्रबंध के किस स्तर पर प्रक्रिया में लाये जाते हैं तथा इन पर क्या कार्रवाई की जाती है;

(ङ) क्या सुनिश्चित करने के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार है कि इन शिकायतों पर गंभीरता से विचार हो; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सिविल एन्कलेवों सहित सभी प्रचालनात्मक हवाई अड्डों पर महत्वपूर्ण स्थानों पर शिकायत/सुझाव पेटियां लगाई हैं।

(ख) वर्ष 2002-03 के दौरान इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली तथा छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई पर कुल क्रमशः 766 तथा 523 शिकायतें/सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संबंधित शिकायतों/सुझावों पर यथोचित कार्यवाही एवं शिकायतकर्त्ता को उत्तर के लिए संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा कार्यवाई की जाती है। अन्य एजेंसियों जैसे कस्टम, आप्रवास तथा एयरलाइनों से संबंधित शिकायतों/सुझावों को ऐसी ही कार्यवाही के लिए संबंधित एजेंसी को भेजा जाता है।

(ङ) और (च) सभी शिकायतों पर यथोचित रूप से गंभीरता से विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त सुझावों/शिकायतों पर मासिक फेसिलिटेशन बैठकों में चर्चा की जाती है, जिनमें हवाई अड्डे पर कार्यरत सभी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहते हैं।

[हिन्दी]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि उत्पाद उपकर निधि लेखे का रख-रखाव

2903. श्री अशोक अर्गल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इसके संस्थानों द्वारा योजना के पृथक लेनदेन संबंधी लेखे, गैर-योजनागत निधियों और कृषि उत्पाद उपकर निधियों का रख-रखाव नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अपने साथी संस्थानों को जारी किए गए 1202.90 करोड़ रुपये की निधियों के योजना और गैर-यजोनावार ब्यौरे का रख-रखाव नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों से प्राप्त 83.46 करोड़ रुपये का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इसमें किसी प्रकार की अनियमितता की जानकारी है;

(छ) यदि हां, तो संबद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ज) इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) परिषद द्वारा योजना गैर-योजना और कृषि उत्पाद उपकर निधियों के पृथक लेन-देन संबंधी लेखे का रख-रखाव किया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) परिषद द्वारा अपनी संघटक यूनिटों को जारी किए गए 1202.90 करोड़ रुपये का विवरण निम्न प्रकार से है:-

गैर-योजना =633.18 करोड़ रु.

योजना = 569.71 करोड़ रु.

संस्थानवरण ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) 83.46 करोड़ रुपये की धनराशि का संस्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) से (ज) इन लेन-देनों की सम्मिलित धनराशि वार्षिक लेखे में दर्शायी गई है तथा इस कमी को लेखा-परीक्षा द्वारा अपनी रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया गया था जिसका स्पष्टीकरण परिषद द्वारा लेखा-परीक्षा को दिया जा चुका है। परिषद ने अपनी संघटक यूनिटों को सही प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी है।

विवरण-I

वर्ष 2001-02 में भा.कृ.अ.प. के संस्थानों को जारी की गई है धनराशि

संस्थान का नाम	योजना	गैर-योजना	कुल
1	2	3	4
(क) फसल विज्ञान			
1. सी आई सी आर, नागपुर	936.05	919.00	1855.05
2. सी आर आई जे ए एफ, बैरकपुर	333.15	834.10	1167.25
3. सी आर आर आई, कटक	457.50	1492.23	1949.82
4. सी टी आर आई, राजमुन्द्री	219.35	982.45	1201.80
5. आई ए आई आई, नई दिल्ली	2471.70	9286.44	11758.14
6. आई जी एफ आर आई, झासी	527.00	1166.55	1693.55
7. आई आई पी आर, कानपुर	1144.56	461.21	1605.77
8. आई आई एस आर, लखनऊ	618.87	938.25	1557.12
9. एन बी ए आई एम, नई दिल्ली	99.00	0.00	99.00
10. एन बी पी जी आर, नई दिल्ली	347.25	1130.31	1477.56
11. एस बी आई, कोयम्बटूर	188.50	674.00	862.50
12. वी पी के ए एस, अल्मोड़ा	331.00	352.70	638.70
राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र:			
13. एन आर सी-मूंगफली, जूनागढ़	253.15	250.12	503.27
14. एन आर सी-सरसों, भरतपुर	257.25	133.22	390.47

1		2	3	4
15.	एन आर सी- ज्वार, हैदराबाद	390.40	261.20	651.60
16.	एन आर सी -सोयाबीन, इन्दौर	232.50	112.25	344.75
17.	एन आर सी - समेकित कीट प्रबंध, पूसा	46.50	120.80	167.30
18.	एन आर सी -पौध जैव प्रौद्योगिकी	173.40	147.70	321.10
परियोजना निदेशालय:				
19.	परियोजना निदेशालय, जैविक नियंत्रण, बंगलौर	132.50	117.12	249.62
20.	परियोजना निदेशालय, मक्का, नई दिल्ली	668.11	234.19	902.30
21.	परियोजना निदेशालय, तिलहन, हैदराबाद	356.20	305.67	661.87
22.	परियोजना निदेशालय, चावल, हैदराबाद	608.54	420.45	1028.99
23.	परियोजना निदेशालय, गेहूं करनाल	534.80	310.90	845.70
	कुल फसल विज्ञान	11327.28	20650.95	31978.23
(ख) बागवानी विज्ञान				
24.	सी ए आर आई, पोर्ट ब्लेयर	249.50	433.95	683.45
25.	सी आई ए एच, बीकानेर	292.60	205.13	497.73
26.	सी आई एस एच, लखनऊ	345.00	450.83	795.83
27.	सी आई टी एच, श्रीनगर	153.74	72.10	225.84
28.	सी पी सी आर आई, कासरगोड	313.87	677.52	991.39
29.	सी पी सी आर आई, कयांगुलम	42.00	242.50	284.50
30.	सी पी सी आर आई, विठ्ठल	18.00	149.91	167.91
31.	सी पी आर आई, शिमला	346.00	1181.00	1527.00
32.	सी टी सी आर आई, त्रिरुवन्तपुरम	229.20	478.87	708.07
33.	आई आई एच आर, बंगलौर	519.90	1310.95	1830.85
34.	आई आई एस आर, कालीकट	317.00	270.34	587.34
35.	आई आई वी आर, वाराणसी	480.83	184.24	665.07
राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र:				
36.	एन आर सी-केला, त्रिरुचिरापल्ली	151.75	60.20	211.95
37.	एन आर सी- काजू, पुत्तूर	149.00	136.84	285.84

	1	2	3	4
38	एन आर सी–नींबू, नागपुर	161.00	133.90	294.90
39.	एन आर सी–अंगूर, पुणे	240.50	37.74	278.24
40.	एन आर सी–औषधीय एवं संगधीय पौधे, आनन्द	421.51	41.77	463.28
41.	एन आर सी–खुम्ब, सोलन	205.50	104.55	310.05
42.	एन आर सी–ताड़, पेडावेगी	143.60	167.41	311.01
43.	एन आर सी–प्याज और लहसुन, पुणे	258.88	23.37	282.25
44.	एन आर सी–आर्किड, सिक्किम	170.80	65.83	236.63
45.	एन आर सी–बीज-मसाले, अजमेर	130.00	10.00	140.00
46.	एन आर सी–लीची, मुजफ्फरपुर	116.00	0.00	116.00
47.	एन आर सी–मखाना, पटना	25.00	0.00	25.00
	कुल बागवानी विज्ञान	5481.18	6438.95	11920.13
(ग)	**प्राकृतिक संसाधन प्रबंध**			
48.	सी ए जेड आर आई, जोधपुर	340.20	1561.37	1901.57
49.	सी आर आई डी ए, हैदराबाद	859.36	1022.08	1881.44
50.	सी एस डब्ल्यू सी आर एंड टी आई, देहरादून	349.25	1160.25	1509.50
51.	सी एस एस आर आई, करनाल	535.00	786.15	1321.15
52.	आई सी ए आर रिसर्च काम्पलैक्स, उ. पूर्वी पर्व. क्षेत्र, बड़ापानी	742.33	1449.67	2192.00
53.	आई सी ए आर रिसर्च काम्पलैक्स, पूर्वी क्षेत्र, पटना	1506.10	453.91	1960.01
54.	आई सी ए आर रिसर्च काम्पलैक्स, गोवा	130.00	117.30	247.30
55.	आई आई एस एस, भोपाल	806.50	254.00	1060.50
56.	एन बी एस एस एंड एल यू पी, नागपुर	335.00	1070.85	1405.85
	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रः			
57.	पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, भुवनेश्वर	190.50	83.55	274.05
58.	एन आर सी- कृषि वानिकी, झांसी	455.50	129.48	584.98
59.	एन आर सी - खरपतवार विज्ञान, जबलपुर	366.58	140.75	507.33
	परियोजना निदेशालयः			
60.	परियोजना निदेशालय फसल प्रणाली, मोदीपुरम	728.65	297.65	1026.30
	कुलः एन आर एम	7344.97	8527.01	15871.98

1	2	3	4
(घ) कृषि अभियांत्रिकी			
61. सी आई ए ई, भोपाल	903.00	736.55	1639.55
62. सी आई पी एच ई टी, लुधियाना	619.49	75.30	694.79
63. सी आई आर सी ओ टी, मुंबई	199.50	647.60	847.10
64. आई एल आर, रांची	106.80	504.15	610.95
65. एन आर आर जे एफ टी, (जे टी आर एल), कोलकाता	135.85	399.11	534.96
कुल: कृषि अभियांत्रिकी	1964.64	2362.71	4327.35
(ङ) पशु विज्ञान			
66. सी ए आर आई, इज्जतनगर	224.35	706.44	930.79
67. सी आई आर बी, हिसार	746.93	381.07	1128.00
68. सी आई आर जी, मखदूम	380.10	412.55	792.65
69. सी एस डब्ल्यू आर आई, अविकानगर	407.09	955.00	1362.09
70. आई वी आर आई, बंगलौर	85.00	252.92	337.92
71. आई वी आर आई, भोपाल (एच एस ए डी एल)	251.50	175.75	427.25
72. आई वी आर आई, इज्जतनगर	717.21	4165.45	4882.66
73. आई वी आर आई, मुक्तेश्वर	180.00	603..65	783.65
74. एन बी ए जी आर, करनाल	229.00	151.31	380.31
75. एन डी आर आई, बंगलौर	150.50	430.30	580.80
76. एन डी आर आई, करनाल	653.07	3329.80	3982.87
77. एन आई ए एन पी, बंगलौर	404.30	158.44	562.74
राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र:			
78. एन आर सी-ऊंट, बीकानेर	138.15	128.05	266.20
79. एन आर सी-अश्व, हिसार	160.50	170.39	330.89
80. एन आर सी-मांस, हैदराबाद	141.95	0.00	141.95
81. एन आर सी-मिथुन, झरनापनी	422.00	44.75	466.75
82. एन आर सी-सुअर, गुवाहाटी	30.00	0.00	30.00
83. एन आर सी- यॉक, दिरांग	254.20	88.98	343.18

1	2	3	4
परियोजना निदेशालय:			
84. परियोजना निदेशालय- ए डी एम ए एस, बंगलौर	130.00	0.00	130.00
85. परियोजना निदेशालय- मवेशी, मोदीपुरम	300.50	118.59	419.09
86. परियोजना निदेशालय-मुर्गीपालन, हैदराबाद	277.16	141.94	419.10
कुल: पशु विज्ञान	6283.51	12451.38	18698.89
(च) मात्स्यिकी			
87. सी आई बी ए, चेन्नई	333.58	407.01	740.59
88. सी आई सी एफ आर आई, बैरकपुर	329.08	1154.87	1483.95
89. सी आई एफ ए, भुवनेश्वर	287.96	723.01	1010.97
90. सी आई एफ ई, मुंबई	732.29	1216.83	1949.12
91. सी आई एफ टी, कोचीन	419.30	855.80	1275.10
92. सी एम एफ आर आई, कोचीन	349.38	2012.05	2361.43
93. एन बी एफ जी आर, लखनऊ	177.44	193.26	370.70
राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र:			
94. एन आर सी- शीत जल मात्स्यिकी, भीमताल	259.65	91.84	351.49
कुल:मात्स्यिकी	2888.68	6654.67	9543.35
(छ) कृषि आर्थिकी एवं सांख्यिकी			
95. आई ए एस आर आई, नई दिल्ली	143.59	1130.50	1274.09
96. एन सी ए पी, नई दिल्ली	61.50	72.25	133.75
कुल: कृषि आर्थिक एवं सांख्यिकी	205.09	1202.75	1407.84
(ज) कृषि शिक्षा			
97. एन ए आर एम, हैदराबाद	222.35	410.50	632.85
कुल: कृषि शिक्षा	222.35	410.50	632.85
(झ) कृषि विस्तार			
98. एन आर सी-महिलाएं, भुवनेश्वर	275.72	6.00	281.72
99. जेड सी-टी ओ टी-I, लुधियाना	28.15	1.50	29.65

1		2	3	4
100.	जेड सी–टी ओ टी–II, कोलकाता	757.61	1.00	758.61
101.	जेड सी–टी ओ टी–III, बड़ापानी	38.80	7.75	46.55
102.	जेड सी–टी ओ टी–IV, कानपुर	916.47	17.98	934.45
103.	जेड सी–टी ओ टी–V, हैदराबाद	60.10	8.20	68.30
104.	जेड सी–टी ओ टी–VI, जोधपुर	1025.30	1.00	1026.30
105.	जेड सी–टी ओ टी–VII, जबलपुर	785.63	6.00	791.63
106.	जेड सी–टी ओ टी–VII, बंगलौर	851.67	1.15	852.82
	कुल: कृषि विस्तार	4739.45	50.58	4790.03
(ट) मुख्यालय				
107.	ए एस आर बी, नई दिल्ली	20.60	362.83	383.43
108.	मुख्यालय (मुख्यालय कैश बुक)	1225.50	4027.04	5252.54
109.	प्रकाश प्रभाग, नई दिल्ली	40.60	215.10	255.70
110.	एन ए टी पी, (पी आई यू यूनिट), नई दिल्ली	15227.41	0.00	15227.41
	कुल: मुख्यालय	16514.11	4604.97	21119.08
	कुल: मुख्यालय सहित सभी संस्थान	56971.26	63318.47	120289.73

विवरण–II

वित्तीय वर्ष 2001–02 के दौरान भा.कृ.अ. के संस्थानों से प्राप्त धनराशि

संस्थान का नाम	धनराशि
1	2
एन बी एफ जी आर, लखनऊ	380000.00
वी पी के ए एस, अल्मोड़ा	400000.00
एन आर सी याक, दिरांग	1404387.00
सी आर आर आई, कटक	479000.00
एन आर सी आर एवं एम, भरतपुर	2700000.00
सी ए जैड आर आई, जोधपुर	25000.00
सी आई बी ए, चेन्नई	7000000.00
एन आर सी केला, त्रिचूर	600000.00
सी आई पी एच ई टी, लुधियाना	2062634.00
एन आई ए एन एवं पी, बंगलौर	314665.00
एन डी आर आई, बंगलौर	2612703.00
सी आई ए एच, बीकानेर	100000.00

1	2
डी आई आर चावल अनु., हैदराबाद	16488.00
एन आर सी ज्वार, हैदराबाद	1050000.00
पी डी फार्म, हैदराबाद	1955997.00
सी आई आर बी, हिसार	955268.00
सी आई आर जी, मखदुम	1208651.00
एन सी आई पी एम, नई दिल्ली	113736.00
पी डी कटहल, मीरूत	345969.00
सी आई एफ टी, कौची	3028000.00
आई आई एस एस, भोपाल	450000.00
सी आई आर सी ओ टी, मुंबई	1420503.00
आर आर सी, ओलपालम	79740.00
डी आई आर गेहूं, करनाल	1276165.00
एन बी ए जी आर, करनाल	3208115.00
आई सी ए आर एन ई एच, बड़ापानी	500000.00
सी आई सी एफ आर आई, बैरकपुर	750000.00
आई सी ए आर रिसर्च कॉम्पलैक्स, गोवा	551000.00
डब्ल्यू टी सी, भुवनेश्वर	982000.00
आई सी ए आर, मुख्यालय	12430.00
एच एस ए डी एल, भोपाल	128000.00
एन आर सी मूंगफली, जूनागढ़	900000.00
पी डी फसल सैस, मोदीपुरम	518288.00
सी आई आर जी, मखदुम	486887.00
आई सी ए आर मुख्यालय रिफंड पैनशन	84896963.75
सी एस एवं डब्ल्यू आर आई, अविकानगर	347827.00
एन आर सी इक्यूनेश, हिसार	2515031.00
सी आई एफ ई, मुंबई	193483.00
सी आर आर आई, कटक	239533.00
एन आर सी आर एवं एम, भारतपुर	407072.00

1	2
आई आई वी आर, वाराणसी	1825859.00
जेड सी पंजाब कृषि वि.वि. लुधियाना	16517.00
जेड सी, जबलपुर	96015.00
सी आर आई डी ए, हैदराबाद	76603.00
सी एस एस आर आई, करनाल	1953018.00
सी ए जेड आर आई, जोधपुर	31215.00
ए एस आर बी, नई दिल्ली	1166854.00
पी एवं आई कृ. अनु. भवन, नई दिल्ली	554916.00
आई ए आर आई, नई दिल्ली	1000.00
एन आर सी खुम्बी, सोलन	974507.00
सी आई टी एच, श्रीनगर	1877556.00
जेड सी सी एस ए यू एन आई, कानपुर	9780.00
जेड सी, कलकत्ता	408000.00
सी आई एफ ई, मुम्बई	2052428.00
आई ए आर आई, नई दिल्ली	1000.00
जेड सी सी एस ए यू ए एवं टी, कानपुर	9780.00
एन आर सी ऊंट, बीकानेर	778875.00
डी डब्ल्यू एन आर ई एस, पटना	360121.41
एन आर सी खरपतवार, जबलपुर	189747.00
पशु परियोजना निदेशालय, मेरठ	2018425.00
जेड सी किडा, हैदराबाद	39771.00
एन डी आर आई, बंगलौर	919000.00
आई एल आर आई, रांची	2170226.00
जेड सी सी एस ए एवं टी, कानपुर	9780.00
आई ए आर आई, नई दिल्ली	1000.00
जेड सी किडा, हैदराबाद	13257.00
जेड सी सी एस ए यू एवं टी, कानपुर	9780.00
काजरी, जोधपुर	15372.00

1	2
नार्म, हैदराबाद	8287760.00
आई ए आर आई, नई दिल्ली	1000.00
जेड सी जोन, कानपुर	12280.00
एन आर सी सिट्रस, नागपुर	559727.00
जेड सी किडा, हैदराबाद	13637.00
सी आई एफ ई, मुंबई	45752.00
आई ए आर आई, नई दिल्ली	2000.00
जेड सी सी एस ए यू एन आई, कानपुर	17361.00
जेड सी किडा, हैदराबाद	13877.00
जेड सी जोन, कलकत्ता	411500.00
भा.कृ.अ.प. मुख्यालय द्वारा वापिस	6376386.51
सी एस एवं डब्ल्यू सी आर एवं टी आई, देहरादून	2204811.00
सी आई आर बी, हिसार	40137.00
आई ए आर आई, नई दिल्ली	1000.00
जेड सी, कानपुर	112648.00
जेड सीकिडा, हैदराबाद	16259.00
जेड सी एन बी एस एस एवं एल यू पी कलकत्ता	85700.00
फैलोशिप	16267.00
सी ए जेड आई, काजरी	97728.00
आई ए आर आई, नई दिल्ली	1000.00
जेड सी सी एस ए एवं टी, कानपुर	6500.00
जेड सी किड, हैदराबाद	33148.00
जेड सी एन डी आर आई, बंगलौर	300000.00
आई आई एस आर, लखनऊ	2500000.00
जेड सी, कानपुर	6500.00
आई ए आर आई, नई दिल्ली	1000.00

1	2
भा.कृ.अ.प. अनु. परिसर, पटना	62750000.00
नार्म, हैदराबाद	1776909.00
जेड सी सी एस ए यू सी, कानपुर	6500.00
जेड सी किडा हैदराबाद	16759.00
एन आर सी आर्किडस	750000.00
जेड सी जोन VI, जोधपुर	144619.00
आई ए आर आई, नई दिल्ली	1000.00
आई वी आर आई, इज्जतनगर	7000000.00
जेड सी किडा, हैदराबाद	16759.00
जेड सी जोन IV, कानपुर	6500.00
एन डी आर आई, करनाल	28747.00
तिलहन निदेशालय, हैदराबाद	2400000.00
जेड सी यू किडा, हैदराबाद	29216.00
जेड सी यू एन बी एस एस एवं एल यू पी, कोलकात्ता	50000.00
ए एस आर बी, नई दिल्ली	176000.00
पी एवं आई कृषि अनु. भवन, नई दिल्ली	2000000.00
सी आई आर बी, हिसार	1593000.00
सी आई आर बी, हिसार	1254457.00
सी आई आर बी, हिसार	277245.00
आई जी एफ आर आई, झांसी	24450000.00
सी एस एस आर आई, करनाल	21800000.00
सी आई आर बी, हिसार	9907000.00
एन आर सी मांस, हैदराबाद	8750000.00
आई आई एस एस, भोपाल	2617000.00
आई वी आर आई, मुक्तेश्वर	450000.00
परियोजना निदेशालय, आई वी आर आई, मुक्तेश्वर	1800000.00
परियोजना निदेशालय, आई वी आर आई, मुक्तेश्वर	1600000.00

1	2
एन आर सी मिथुन, झरापानी	6345000.00
आई आई वी आर, वाराणसी	1760000.00
एन आर सी सोयाबीन, इन्दौर	424750.00
एन आई ए एन एंड पी, बंगलौर	4363849.00
सी आई सी आर, नागपुर	3024000.00
सी पी सी आर आई, कायनगुलम	249000.00
आई वी आर आई, बंगलौर	2835000.00
एनआईएएन एण्ड पी, बंगलौर	2372000.00
आई आई एस एस, भोपाल	2427655.00
सी एम एफ आर आई, कोच्ची	540000.00
सी एम एफ आर आई, कोच्ची	1762837.00
एन आर सी प्याज एवं लहसुन, पुणे	168300.00
नार्म, हैदराबाद	3000000.00
एन आर सी, अंगूर, पुणे	440000.00
जेड सी यू जोन, कानपुर	6500.00
एन सी ए ई एंड पी आर, नई दिल्ली	1711548.00
सी टी आर आई, राजामुंद्री	7100000.00
एन डी आर आई, करनाल	46000000.00
सी एस एंड डब्ल्यू आर आई, आविकानगर	10825000.00
एन बी ए जी आर, करनाल	2646648.00
एन आर सी कृषि वानिकी, झांसी	1425000.00
जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय, बंगलौर	148609.00
एन आर सी सिट्रस, नागपुर	1128000.00
एन आर सी औषधीय एवं संगधीय, आंनद	680757.00
आई ए आर आई, नई दिल्ली	30000000.00
एन बी पी जी आर, नई दिल्ली	8596000.00
नार्म, हैदराबाद	1918000.00
पशु परियोजना निदेशालय, मेरठ	553216.00
फसल अनुसंधान परियोजना निदेशालय, मोदीपुर	7030000.00
एन आर सी एंड एम, भरतपुर	1150000.00
एन आर सी काजू, पुत्तूर	2000000.00
सी आई सी आर आई, तिरूवन्नतपुरम	5000000.00
सी आई टी एच, श्रीनगर	2172000.00
एन आर सी आर्किडस, पैक्योंग	700000.00
एच एस डी एल, भोपाल	2232000.00
सी ए आर आई, इज्जतनगर	17200000.00
एन बी एफ जी आर लखनऊ	1750000.00
एन आर सी याक, दिरांग	1872000.00
सी आई एस एच, लखनऊ	1459000.00
सी आई एफ टी, कोच्चि	3200000.00
सी आई एफ टी, कोच्चि	1581908.00
एन आर सी पी आई जी, गुहावटी	1000000.00
एन डी आर आई, करनाल	550000.00
एन आई ए एन एंड पी, बंगलौर	765778.00
सी एस एस आर आई, करनाल	950000.00
आई एल आर आई, रांची	4600000.00
सी आई आर सी ओ टी, मुंबई	3600000.00
सी आई बी ए, चेन्नई	6500000.00
एन सी आई पी एम, नई दिल्ली	1740000.00
सी आई आर, नागपुर	10000000.00
एन आर सी सोयाबीन, इन्दौर	650000.00
सी आई एफ ई, मुंबई	3100000.00
एन ए टी पी, नई दिल्ली	23391472.00
आई ए आर आई, नई दिल्ली	1000.00

1	2
एन सी ए ई एंड पी आर, नई दिल्ली	110790.00
आई वी आर आई, इज्जतनगर	9270000.00
एन डी आर आई, करनाल	536000.00
सी ए जेड आर आई, जोधपुर	8290000.00
सी एस एंड डब्ल्यू आई, अविकानगर	4925000.00
एन आर सी शीत जल, भीमताल	5240000.00
सी आई आर जी, मखदुम	1814000.00
आई ए आर आई, नई दिल्ली	40000000.00
मक्का अनु., नई दिल्ली	8688000.00
एन आर सी, बायोटैक्नोलोजी	2500000.00
सी आई पी एच ई टी, लुधियाना	55000.00
एन आर सी अश्व, हिसार	2508000.00
सी आई ए एच, बीकानेर	477000.00
पी डी, मुक्तेश्वर	3000000.00
प. नि. चावल, हैदराबाद	683000.00
सी आई एफ ए, भुवनेश्वर	6630000.00
एन आर सी साईटरस, नागपुर	30000.00
जेड सी यू जोन अप, जोधपुर	100000.00
ए एस आर बी, नई दिल्ली	1408000.00
आई ए एस आर आई, नई दिल्ली	700000.00
दीपा, नई दिल्ली	900500.00
एन बी ए आई एम ओ, नई दिल्ली	7200000.00
तिलहन, हैदराबाद	501250.00
आई वी आर आई, इज्जतनगर	2000000.00
सी आई आर बी, हिसार	1960000.00
सी.आई.पी.एच.ई.टी., लुधियाना	150000.00
भा. कृ.अ.प. मुख्यालय	70400000.00
भा. कृ.अ.प. मुख्यालल	22700000.00
केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	31681000.00
कुल	798815994.83
एन ए टी पी से मुख्यालय	31734949.00
कृषि उत्पाद उपस्कर	4002306.00
कुल योग	834553249.83

[अनुवाद]

केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान

2904. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सी एम एफ आर आई) समुद्री ब्लैक पर्ल पालन हेतु एक परियोजना पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा महाराष्ट्र के वे तटीय क्षेत्र कौन से हैं जहां उक्त पर्ल पालन की संभावना है; और

(ग) उक्त ब्लैक पर्ल पालन हेतु निजी जनशक्ति को इसमें लगाने तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सी एम एफ आर आई) द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) काले मोती ब्लैकलिप पर्ल आयस्टर द्वारा पैदा किए जाते हैं जो सिर्फ अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में पाये जाते हैं। महाराष्ट्र सहित महाद्वीप (मेनलैंड) समुद्रों में काले मोती के उत्पादन की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ग) संस्थान द्वारा इच्छुक कृषकों और उद्यमियों के लाभ के लिए समुद्री मोती उत्पादन पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

कुकरेल परियोजना का वित्तपोषण

2905. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लखनऊ स्थित उस कुकरेल परियोजना का वित्तपोषण करना बंद कर दिया है जो बंद होने कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने परिसंकटमय प्रजातियों के बंदी प्रजनन हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत कुकरैल लखनऊ स्थित प्रजनन सुविधा को घड़ियाल के प्रजनन और पुनर्वास हेतु 1988-89 तक वित्तीय सहायता प्रदान की थी, इसके पश्चात स्कीम बंद हो गई। इसके अतिरिक्त 1987-88 से लेकर गंगा कार्य योजना चरण-1 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता के साथ गंगा नदी में छोड़े जाने के उद्देश्य से ताजा जल कच्छपों के प्रजनन हेतु कुकरैल में एक परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना को भी भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा किए गए आकलन में अनुकूल न पाये जाने के पश्चात 1996 में बंद कर दिया गया।

पांच सितारा होटलों में चोरियां

2906. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक विदेशी पर्यटकों के दिल्ली में पांच सितारा होटलों से अपने कीमती सामान की चोरी की शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अग्रणी पांच सितारा होटलों से विदेशी पर्यटकों के कीमती सामानों की लगातार चोरी होने से पर्यटन उद्योग को काफी परेशानी हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने होटलों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए निदेश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) एफ एच आर ए आई तथा एच ए आई से प्राप्त सूचना के अनुसार विदेशी अतिथियों के कीमती सामान की चोरी के बारे में कोई विशेष रिपोर्ट दिल्ली में पांच सितारा होटलों से प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) अपने अतिथियों की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अधिकांश पांच सितारा होटलों ने निम्न सुरक्षा उपाय किए हैं:-

(1) आधुनिक लॉकिंग पद्धति

(2) फ्रंट आफिस और गेस्ट के कमरों में सेफ्टी डिपोजिट बाक्स का प्रावधान

(3) अतिथियों के कीमती सामान की चोरी के एवज में बीमा

(4) 24 घंटे गेस्ट फ्लोर्स की सुरक्षा पेट्रोलिंग।

महिलाओं का शोषण

2907. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत सी लड़कियां सरकारी और निजी होटलों के बीयर बार में काम कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार और निजी एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे बीयर बार में काम कर रही ऐसी लड़कियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी महिलाओं का वहां शोषण हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी रक्षा के लिए कोई नियम बनाये हैं अथवा सरकार का महिलाओं के ऐसे शोषण वाले व्यवसाय में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) सरकारी होटलों में बीयर बार में कोई भी लड़कियां काम नहीं कर रही हैं। निजी होटलों के संबंध में हमारे पास कोई निश्चित सूचना नहीं है। तथापि, एफ एच आर ए आई ने सूचित किया हैं कि भारत में निजी होटलों में कोई भी लड़कियां काम नहीं कर रही हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वानिकी परियोजनाओं के लिए विदेशी वित्त पोषण

2908. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री अधीर चौधरी:
डा. चरणदास महंत:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वानिकी परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु कोई अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियां आगे आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों और उसके बाद वानिकी परियोजनाओं हेतु कुछ विदेशी एजेंसियो ने धनराशि भी उपलब्ध कराई है;

(घ) यदि हां, तो एजेंसीवार अब तक प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया गया और भविष्य में किस प्रकार उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) जी, हां। बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों ने वानिकी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। 1979-80 से 2002-03 तक देश में 17 अलग-अलग राज्यों में कुल 17 वानिकी परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं और लगभग 4.0 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्र पर काम किया गया है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियां हैं:-(i) विश्व बैंक (ii) जापान बैंक फार इंटरनेशनल कारपोरेशन (जापान) (iii) स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (स्वीडन) (iv) अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (युनाइटिड किंगडम) और (v) यूरोपीय आर्थिक आयोग।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा प्रदत्त (प्रतिपूर्ति की गई) निधियों का वर्ष-वार, एजेंसी-वार और परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) विविध नियोजित गतिविधियों जैसे वनीकरण, मृदा और नमी संरक्षण, अनुसंधान, वन विस्तार, जैव-विविधता संरक्षण, संयुक्त, वन प्रबंधन गतिविधियां, संस्थागत और आधारभूत विकास इत्यादि के लिए निधियां उपयोग में लाई जा रही हैं/गई हैं।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

परियोजना का नाम	राज्य(यों) का नाम	अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसी का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान (प्रतिपूर्ति) की गई निधियां		
			2000-01	2001-02	2002-03
1 2	3	4	5	6	7
पूर्वी समतल भूमि पर वनीकरण परियोजना	कर्नाटक	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक	101.87	80.30	84.51
वानिकी विकास परियोजना	राजस्थान	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक	24.24	11.26	परियोजना बंद हो चुकी है।
गुजरात वनीकरण और विकास परियोजना	गुजरात	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक	119.45	48.54	परियोजना बंद हो चुकी है
इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रोजेक्ट	राजस्थान	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक	22.88	15.59	परियोजना बंद हो चुकी है।
पंजाब वनीकरण परियोजना	पंजाब	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक	80.65	68.97	37.41

1	2	3	4	5	6	7
	तमिलनाडु वनीकरण परियोजना	तमिलनाडु	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक	89.74	86.63	71.31
	हिमाचल प्रदेश वानिकी परियोजना	हिमाचल प्रदेश	अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग	1.53	परियोजना बंद हो चुकी है	
	उत्तर प्रदेश उत्तरांचल वानिकी परियोजना	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	विश्व बैंक	33.84	42.33	52.41
	केरल वानिकी परियोजना	केरल	विश्व बैंक	25.29	14.56	35.42
	आंध्र प्रदेश सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना	आंध्र प्रदेश	विश्व बैंक	परियोजना 2002-03 में शुरू हुई		13.82

गन्ने का उत्पादन

2909. **श्री रामजी लाल सुमन:**
श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इंदौरा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान गन्ने का कुल कितना उत्पादन हुआ और राज्यवार कितने भूमि क्षेत्र में इसकी खेती की गई है;

(ख) विश्व में गन्ने की औसत पैदावार की तुलना में देश में गन्ने की औसत पैदावार कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में गन्ने की गुणवत्ता और उसके उत्पादन में सुधार लाने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने और इसकी नई किस्म विकसित करने हेतु किसी संस्थान का चयन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या गन्ने की इस नई किस्म का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): वर्ष 1999-2000 तथा 2001-02 के दौरान गन्ने के क्षेत्र तथा उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। वर्ष 2002-03 के राज्य-वार आंकड़ों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) वर्ष 1998, 1999 तथा 2000 में वैश्विक औसत की तुलना में भारत में औसत पैदावार निम्नवत् है:-

पैदावार: किलोग्राम/हेक्टेयर

	1998	1999	2000
विश्व	64841	65288	65970
भारत	66520	72122	75024

स्रोत:-एफ.ए.ओ. प्रोडक्शन ईयर बुक, 2002

(ग) से (ङ) गन्ने की उत्पादकता एवं उत्पादन में सुधार लाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा 1995-96 में 20 राज्यों तथा एक केन्द्र शासित प्रदेश में ''गन्ना आधारित फसल-प्रणाली क्षेत्रों का सतत् विकास'' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई। इस स्कीम का व्यय केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच अधिकांशतः 75:25 आधार पर वहन किया गया।

इस स्कीम में फील्ड प्रदर्शनों के माध्यम से किसानों को प्रौद्योगिकी अन्तरण किसानों/विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण कृषि उपस्करों के माध्यम से किसानों के संसाधन आधार के संवर्धन, बीज उत्पादन संवर्धन तथा कीट नियंत्रण उपायों पर अधिक बल दिया गया है।

इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को निम्नलिखित के लिए सहायता दी गई:

(i) फील्ड प्रदर्शन (ii) कृषक प्रशिक्षण (iii) राज्य स्तरीय प्रशिक्षण (iv) उपस्कर (क) बैल चालित (ख) ट्रैक्टर चालित (v) बीज बहुगुणन (vi) ऊष्मा उपचार संयंत्र (vii) ड्रिप सिंचाई अवसंरचना (viii) आकस्मिकता।

भारत सरकार द्वारा अग्रणी प्रदर्शन, प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण जैसे घटकों के लिए 100% राशि दी गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत दो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान अर्थात राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ तथा गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर तथा इनके क्षेत्रीय केन्द्र एवं अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान परियोजना, जिसके देश भर में 22 अनुसंधान केन्द्र हैं, गन्ने की नई किस्मों तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी के विकास में सतत् रूप से कार्यरत हैं।

(च) और (छ) सी. ओ. 8371, सी.ओ. 85004 सी.ओ. 86032, सी.ओ. 86249, सी.ओ. 87025 सी.ओ. 87263, सी.ओ.एम. 88121, बी.ओ. 128, सी.ओ.एस.ई. 92423 तथा सी.ओ. पंत 90223। बीजों का उत्पादन विभिन्न राज्यों में किया गया है और ये अब वाणिज्यिक खेती की अवस्था में पहुंच गए हैं।

विवरण

वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान गन्ने के राज्यवार अंतिम अनुमान

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	क्षेत्र (000 हेक्टेयर)			उत्पादन (000 टन)			पैदावार (कि ग्रा/हे.)		
	1999-2000	2000-01	2001-02	1999-2000	2000-01	2001-02	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	231.0	217.4	212.6	18508.0	17690.1	17607.5	80121	81371	82820
असम	29.0	27.0	27.2	1155.0	988.0	1011.4	39828	36593	37184
बिहार	97.3	93.5	120.8	4088.5	3987.6	5818.3	42020	42648	48165
छत्तीसगढ़	—	3.3	4.0	—	8.6	10.2	—	2606	2550
गुजरात	201.3	177.7	175.8	14066.2	12694.7	12464.6	69877	71439	70902
गोवा	1.3	1.3	1.2	68.4	72.8	70.6	52615	56000	58833
हरियाणा	137.0	143.0	162.0	7640.0	8170.0	9330.0	55766	57133	57593
हिमाचल प्रदेश	3.0	2.8	3.0	67.4	60.5	82.7	22467	21607	27567
जम्मू व कश्मीर	0.1	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	—	—	—
झारखंड	—	3.8	3.8	—	144.9	144.9	—	38132	38132
कर्नाटक	373.0	417.1	409.0	37566.9	42923.5	33754.0	100716	102909	82528
केरल	5.8	3.4	3.4	578.8	275.6	275.6	99793	81059	81059
मध्य प्रदेश	46.7	74.9	53.9	1991.0	1660.4	2090.0	42634	22168	38776
महाराष्ट्र	590.0	595.0	578.0	53143.0	49589.0	45140.0	90073	83343	78097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मणिपुर	0.7	0.7	0.7	21.2	24.2	21.2	30286	34571	30286
मेघालय	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	—	—	—
मिजोरम	0.7	1.0	1.4	1.5	6.4	9.4	—	—	—
नागालैंड	0.6	0.8	1.0	30.0	35.0	50.0	50000	43750	50000
उड़ीसा	20.6	16.8	11.1	1080.3	963.9	747.7	52442	57375	58351
पंजाब	108.0	121.0	143.0	6770.0	7770.0	8818.0	62685	64215	61664
राजस्थान	19.3	13.5	9.1	786.8	561.3	432.1	40767	41578	47484
तमिलनाडु	316.4	315.3	326.1	34285.0	33188.0	36335.7	108360	105258	111425
त्रिपुरा	1.0	1.0	1.0	51.3	54.1	52.2	51300	54100	52200
उत्तर प्रदेश	2011.0	1938.4	2003.5	115418.9	106067.5	116218.5	57394	54719	58008
उत्तरांचल	—	122.5	125.9	—	7349.2	7555.3	—	59993	60010
पश्चिम बंगाल	22.9	21.6	23.3	1762.8	1465.6	1983.4	76978	67852	85124
अंडमान व निकोबार	0.1	0.2	0.1	4.7	4.7	2.4	—	—	-
पांडिचेरी	2.8	2.5	2.1	237.6	200.4	170.2	84857	80160	81048
अखिल भारत	4219.7	4315.7	4403.2	299323.9	295956.2	300096.4	70935	68577	68154

[अनुवाद]

एअर इंडिया का विस्तार

2910. श्री किरीट सोमैया: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया के विस्तार हेतु नए विमान खरीदने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ई एस आई अधिनियम

2911. श्री राम टहल चौधरी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की मुख्य विशेषतायें और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उक्त अधिनियम को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अधिनियम को पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 कर्मचारियों को बीमारी, प्रसूति, रोजगार अन्य चोट की आकस्मिकताओं में नगद और चिकित्सा लाभ प्रदान करने और उससे संबंधित कुछ अन्य मामलों के लिए प्रावधान करने हेतु अधिनियमित किया गया था।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की मुख्य-मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

* बीमित लाभग्राहियों को बीमारी, प्रसूति, रोजगार अन्य चोट और रोजगार अन्य चोट से हुई मृत्यु की आकस्मिकता में चिकित्सा देख-रेख और नकद लाभ की व्यवस्था।
* लाभों की व्यवस्था के लिए अनिवार्य और अंशदायी योजना।
* कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नाम से एक निगमित निकाय की स्थापना जो लाभ संबंधी स्कीमों का निरंतर प्रशासन करेगा।
* राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश के नोएडा/ ग्रेटर नोएडा क्षेत्र तथा देश में स्थित कतिपय आदर्श अस्पतालों को छोड़कर अन्य स्थलों पर राज्य सरकारों द्वारा चिकित्सा लाभ स्कीमों का प्रशासन।
* क.रा.बी. देयों को समय से जमा करना सुनिश्चित करने के लिए दांडिक प्रावधान और राजस्व वसूली तंत्र।
* ई. आई. न्यायालयों और चिकित्सा अपीलीय न्यायाधिकरणों के रूप में शिकायत निवारण तंत्र।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान दायरें में शामिल प्रतिष्ठानों/कारखानों के संबंध में पूरी तरह कार्यान्वित किए जा रहे हैं और इनका विस्तार नए क्षेत्रों में किया गया है। पिछले दो वर्षों अर्थात 2001-02 और 2002-03 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के दायरे में लाए गए नए क्षेत्रों के नामों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से प्रवर्तन किया जा रहा है। नियमित निरीक्षण तंत्र की व्यवस्था है और चूककर्ताओं की पहचान और वसूली कार्रवाई के लिए नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं। आवश्यकतानुसार दाण्डिक कार्रवाई के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का आश्रय भी लिया जाता है।

[अनुवाद]

वन में आग लगने से हुए नुकसान

2912. श्री अनंत गुढ़े: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में राज्यवार वनों में आग लगने की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) आग की ऐसी घटनाओं में कितने व्यक्ति और जंगली पशु मारे गये और इससे कितना नुकसान हुआ; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में आग लगने की घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के एक प्रकाशन फॉरेस्टरी स्टेटिसटिक्स इंडिया-2001 के अनुसार 1998-99 और 1999-2000 के दौरान हुई आग की घटनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरम में दिया गया है।

(ख) मंत्रालय के अनुमान के अनुसार वनों में आग की वजह से देश भर में लगभग 570 करोड़ रुपये की वार्षिक हानि होती है। इसमें दावानल की वजह से जैव-विविधता और वासस्थल, मृदा उपजाऊपन, वन पुनरुद्धार आदि को हुई हानि शामिल नहीं है। वन्यजीव के संबंध में बड़ी हानि होने संबंधी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, वासस्थलों, घोषलों, अंडों, की कुछ हानि होती है जिसकी गिनती की जानी कठिन है। राज्य वन विभाग उत्तरांचल से मिली रिपोर्ट के अनुसार चालू वर्ष के दौरान आग से निपटते समय 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 3 व्यक्ति घायल हुए हैं। राज्य वन विभाग हिमाचल प्रदेश से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वनों में आग की वजह से 5 मजदूरों की मृत्यु हुई और और एक तेंदुआ की मृत्यु हुई है।

(ग) मंत्रालय राज्य सरकारों को दावानलों के निवारण और नियंत्रण के लिए प्रभावनी उपाय करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सूचित किए गए मामले (1998-99 के दौरान)	सूचित किए गए मामले (1999-00 के दौरान)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	52	35
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	शून्य
3.	बिहार	शून्य	शून्य
4.	गोवा	शून्य	1
5.	गुजरात	551	526

1	2	3	4
6.	हरियाणा	शून्य	शून्य
7.	हिमाचल प्रदेश	441	1902
8.	जम्मू और कश्मीर	369	506
9.	कर्नाटक	33	17
10.	केरल	141	130
11.	मध्य प्रदेश	123	205
12.	महाराष्ट्र	1815	1676
13.	मेघालय	1	शून्य
14.	मिजोरम	44	25
15.	मणिपुर	15	12
16.	नागालैंड	शून्य	शून्य
17.	उड़ीसा	उपलब्ध नहीं	536
18.	पंजाब	26	206
19.	राजस्थान	37	33
20.	सिक्किम	171	20
21.	त्रिपुरा	172	193
22.	तमिलनाडु	264	193
23.	उत्तर प्रदेश	581	उपलब्ध नहीं
24.	पश्चिम बंगाल	25	13
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	शून्य
26.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य
27.	दादर और नगर हवेली	7	11
	कुल	4870	6240

कृषि विज्ञान केन्द्रों के पुनर्गठन हेतु कार्यबल

2913. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि विज्ञान केन्द्रों के पुनर्गठन हेतु कार्यबल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यबल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। कृषि विज्ञान केन्द्रों के पुनर्गठन के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया था। कार्यबल में दस सदस्य थे।

(ग) कार्यबल द्वारा मई, 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

कुतुब मीनार का संरक्षण

2914. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली में कुतुब मीनार के संरक्षण और रख-रखाव का कार्य अपने हाथ में लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुतुब मीनार के संरक्षण और प्रकाश व्यवस्था हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है/कब तक खर्च की गई है;

(घ) क्या स्मारक को जनता को रात में देखने हेतु खोल दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो प्रकाश व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है इसे कब तक पूरा किये जाने की संभावना है;

(च) क्या भारतीय विमानों में कुतुब मीनार का उचित प्रचार करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) जी हां। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के अनुरक्षण, संरक्षण और पर्यावरण संबंधी विकास के लिए चालू वर्ष के समेत पिछले चार वर्षों के लिए 184.00 लाख रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। प्रकाश व्यवस्था के लिए 71.10 लाख रुपये की राशि मुक्त की गई है।

(घ) परिसर पहले ही खुला है। तथापि, कुतुब मीनार ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए बंद है।

(ङ) कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है।

(च) जी हां।

(छ) ब्यौरा किया जा रहा है।

[हिन्दी]

नदियों के जल का समुद्र में प्रवाह

2915. श्री ब्रह्मानंद मंडल: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रति वर्ष नदियों का कितना जल समुद्र में चला जाता है; और

(ख) सरकार द्वारा इस प्रकार व्यर्थ हो रहे जल के उपयोग हेतु क्या योजना तैयार की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) देश में हिमपात सहित औसत वार्षिक वर्षा 4000 बिलियन घन मीटर (बी सी एम) होती है। इसमें से देश को नदी प्रणालियों में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बीसीएम आंकी गई है। उपयोज्य सतही जल 690 बीसीएम आंका गया है और वार्षिक पुनर्भरणीय भू-जल संसाधन लगभग 432 बीसीएम है। 1869 बीसीएम जल में से इस समय 605 बीसीएम जल का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। शेष जल समुद्र में बह जाता है।

देश में नदियों के जल का अधिकतम उपयोग करने तथा उनका किफायती उपयोग करने के लिए 177 बीसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता का पहले ही सृजन कर लिया गया है। निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं वाली परियोजनाओं के पूरा हेने पर अन्य 75 बीसीएम के सक्रिय भंडारण का सृजन होगा। इसके अतिरिक्त विचाराधीन प्रस्तावों के द्वारा 132 बीसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित होगी। भारत सरकार ने निर्माणाधीन स्कीमों को तेजी से पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) शुरू किया है। भारत सरकार भी वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय की त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के तहत कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन के द्वारा वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रही है, इसके लिए राज्य सरकारों और अन्य क्रियान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भी प्रायोगिक आधार पर "भूजल का पुनर्भरण अध्ययन" संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम शुरू की है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने दीर्घकालिक उपाय के रूप में जल की भावी मांग को पूरा करने के लिए जल संसाधन विकास की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें विभिन्न प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है।

उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारक

2916. डा. बलिराम: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत कितने ऐतिहासिक स्थल हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उन पर वर्षवार कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या ऐतिहासिक महत्व के अन्य स्थलों का पता लगाने हेतु खुदाई की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी राशि व्यय हुई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान संरक्षित स्थलों/स्मारकों की सूची में कितने शहरों और स्थलों/स्मारकों को शामिल किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय महत्व के घोषित क्रमशः 169 तथा 741 स्मारक हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय इस प्रकार है:

(लाख रुपये में)

	2000-01	2001-02	2002-03
उत्तर प्रदेश	297.11	385.13	710.64
दिल्ली	219.96	277.14	996.75

(ख) और (ग) जी हां। उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के निम्नलिखित स्थलों पर खुदाई की गई है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय इस प्रकार है:-

		किया गया व्यय (लाख रुपये में)
1		2
	2000-01	
1.	लखनऊ रेजीडेंसी, लखनऊ	5.00
2.	मदारपुर, जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	2.00
3.	तुगलकाबाद, दिल्ली	8.99

1	2
2001-02	
1. लखनऊ रेजीडेंसी, लखनऊ	5.00
2. मूसाबाग, लखनऊ	
3. कटिंगरा, जिला एटा (उत्तर प्रदेश)	1.50
4. तुगलकाबाद, दिल्ली	9.50
2002–03	
1. लखनऊ रेजीडेंसी, लखनऊ (उ. प्र.)	21.50
2. मूसाबाग, लखनऊ (उ.प्र.)	–
3. लक्ष्यगिर, जिला इलाहाबाद (उ.प्र.)	–
4. अयोध्या, जिला फैजाबाद (उ.प्र.)	–
5. गऊशाला, ताजमहल, जिला आगरा	2.40
6. तुगलकाबाद, दिल्ली	13.74
7. सीरी फोर्ट (एशियाड मीनार के पास) नई दिल्ली	–

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए स्मारकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

2000 से 2003 (31 जुलाई-2003 तक) के दौरान संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	स्मारक का नाम	स्थान	जिला	राज्य	संरक्षण का वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	आपात साहेस्वर स्वामी मंदिर तथा अश्वों सहित दरवाजे	सेदामंगलम	सेदामंगलम	तमिलनाडु	2000
2.	स्वर्णेश्वर मंदिर	हलशी	बेलगांव	कर्नाटक	2000
3.	रामलिंगेश्वर मंदिर	हलशी	बेलगांव	कर्नाटक	2000
4.	नरसिंहा मंदिर	हलशी	बेलगांव	कर्नाटक	2000
5.	कमलेश्वर मंदिर	हलशी	बेलगांव	कर्नाटक	2000
6.	मौ. जौक की मजार	मध्य	दरियागंज	दिल्ली	2000
7.	लाल किला की किला दीवार, छत्ता बाजार गेट बावली तथा खाई, दिल्ली	लाल किला	मध्य	दिल्ली	2002
8.	लिंग रोड से अंसारी रोड तथा जवाहर लाल नेहरू मार्ग से समता (सम्पूर्ण हिस्सा) को जोड़ने वाली शाहजहानाबाद की नगर दीवार (दरियागंज के पास)	अंसारी रोड, दरियागंज	उत्तर	दिल्ली	2002
9.	सलीमगढ़ किला जिसमें उत्तरी प्राचीन संरचना का मुख्य दरवाजा तथा सम्पूर्ण किला दीवार शामिल है।	बेला रोड	उत्तर	दिल्ली	2002
10.	करेंसी भवन	डलहौजी स्क्वैअर	कोलकाता	पं. बंगाल	2002
11.	एशियाटिक सोसाइटी भवन	पार्क स्ट्रीट	कोलकाता	पं बंगाल	2002

1	2	3	4	5	6
12.	मैगेन डेविडप्रार्थनागार	वार्ड नं. 45	कोलाकाता	पं. बंगाल	2003
13.	चंदन नगर संस्थान, डुप्ले पैलेस	चंदन नगर	हुगली	पं. बंगाल	2003
14.	बैथ-एल-साइनागौग	पोलक स्ट्रीट	कोलकाता	प. बंगाल	2003
15.	पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर	भुवनेश्वर	दीदीहाट पिथौरागढ़	उत्तरांचल	2003
16.	आगा खां पैलेस भवन	पुणे	पुणे	महाराष्ट्र	2003
17.	झज्झर स्थित स्मारक समूह	झज्झर	-	हरियाणा	2003
18.	प्राचीन उत्खनित स्थल जिसमें बौद्ध स्तूप के अवशेष हैं	कंगन हल्ली	गुलबर्गा	कर्नाटक	2003
19.	दक्षिण गेट केल्ला नेजामत	लालबाग	मुर्शिदाबाद	प. बंगाल	2003
20.	इमामबाड़ा, केल्ला, नेजावत	लालबाग	मुर्शिदाबाद	प. बंगाल	2003
21.	सफेद मस्जिद, केल्ला, नेजामत	लालबाग	मुर्शिदाबाद	प. बंगाल	2003
22.	पीली मस्जिद, केल्ला, नेजामत	लालबाग	मुर्शिदाबाद	प. बंगाल	2003
23.	त्रिपोलिया गेट, केल्ला, नेजामत	लालबाग	मुर्शिदाबाद	प. बंगाल	2003
24.	टाउन हाल	शिवपुरी	शिवपुरी	मध्य प्रदेश	2003
25.	बौद्ध विहार तथा मंदिर के उत्खनित अवशेष पल्लवनेश्वरम	मेलैयूर कावेरीपट्टनम	सिरकाझी नागापट्टनम	तमिलनाडु	2003

संरक्षित स्मारकों का सार

वर्ष	संरक्षित स्मारकों की संख्या
2000	06 नग
2001	शून्य
2002	05 नग
2003	14 नग
योग	25 नग

प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों का निरीक्षण

2917. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गत तीन वर्षों और उसके बाद मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कुछ कारखानों/मिलों का तत्स्थानिक निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन सभी कारखानों/मिलों के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु दिसम्बर, 1999 से मार्च, 2003 के दौरान 265 अचानक निरीक्षण किए जिनका राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप संलग्न है। निष्कर्षों के क्रियान्वयन हेतु इन निरीक्षण रिपोर्ट को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा प्रदूषण नियंत्रण समितियों को भेजा जाता है। आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत कार्यवाही की जाती है।

विवरण

दिसंबर, 1999 से मार्च, 2003 के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए निरीक्षणों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	निरीक्षण किए गए उद्योग
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	असम	3
3.	बिहार	8
4.	छत्तीसगढ़	5
5.	गुजरात	11
6.	हरियाणा	9
7.	जम्मू और कश्मीर	3
8.	झारखंड	6
9.	कर्नाटक	2
10.	केरल	2
11.	मध्य प्रदेश	47
12.	महाराष्ट्र	20
13.	उड़ीसा	15
14.	पंजाब	4
15.	राजस्थान	21
16.	तमिलनाडु	23
17.	उत्तर प्रदेश	47
18.	पश्चिम बंगाल	32
19.	पांडिचेरी	2
	कुल	265

[अनुवाद]

वर्षा जल संचयन

2918. श्री जे.एस. बराड़: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू मानसून के दौरान अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भावी जरूरतों के लिए वर्षा जल को संचित करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चालू मानसून के दौरान अच्छी वर्षा हुई है।

(ख) और (ग) जल राज्य का विषय होने के कारण, भावी आवश्यकताओं के लिए वर्षा जल संचयन संबंधी स्कीमों सहित सभी जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, वित्त पोषण और उनका क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के तहत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल के संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रही है जिसके लिए राज्य सरकारों एवं अन्य क्रियान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भी प्रायोगिक आधार पर "भूजल के पुनर्भरण अध्ययन" संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम प्रारंभ की है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मास्टर योजना" भी तैयार की है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में परिश्रवण टैंकों, चेक बांधों, उप-सतही डाइकों, गल्ली प्लगों, गैबियन संरचनाओं, नाला बंधों, कण्टूर बंधों, पुनर्भरण शाफ्टों आदि जैसी 2.25 लाख कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से 36453 मिलियन क्यूबिक मीटर जल के पुनर्भरण की योजना है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने दीर्घावधि उपाय के रूप में जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें दाता और आदाता राज्यों के बीच आम सहमति के अनुसार जहां कहीं व्यवहार्य हो, अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल हस्तांतरण करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों एवं हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है।

अनारक्षित वन भूमि

2919. श्री विष्णु पद राय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 जनवरी, 2003 को पोर्ट ब्लेयर में एक प्रेस सम्मेलन में यह घोषणा की है कि 1942 से पहले पैदा हुए व्यक्तियों, पंजीकृत आवासियों और अन्य व्यक्तियों को उनकी आजीविका सुनिश्चित करने हेतु अनारक्षित राजस्व वन क्षेत्र में से

ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हेक्टेयर भूमि, पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद आवंटित की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी नहीं।

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय में एसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं हेतु वित्त पोषण

2920. **श्रीमती प्रभा राव : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने तापी, गोदावरी, विदर्भ, कोंकण और एमकेवीडीसी आदि पांच प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु पब्लिक बांडों के माध्यम से धनराशि जुटाई है;

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि कब जुटाई गई थी और इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अभी तक क्या प्रगति हुई है तथा आवंटित राशि से प्रत्येक परियोजना पर अभी तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, उनका क्रियान्वयन तथा वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। केन्द्र सरकार राज्यों को वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही ऐसी वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के वास्ते केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया करा रही है जिन्हें योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति दी गई है। इस कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र को वर्ष 2002-03 तक 21 परियोजनाओं के लिए 438.99 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा ताप्ती, गोदावरी, विदर्भ, कोंकण तथा एम के वी डी सी नामक पांच सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पब्लिक बांडों के जरिए धन उगाहने की सूचना जल संसाधन मंत्रालय को नहीं दी गई है।

किसानों द्वारा आत्महत्या करना

2921. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य वार कितने किसानों ने आत्महत्या की है;

(ख) आत्महत्या करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों को आत्महत्या करने से रोकने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण कार्य

2922. **श्री राजो सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में पारिस्थितिकीय परिस्थितियों का पता लगाने हेतु भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षणों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त सर्वेक्षण के दौरान पहचान की गयी वन्य जीव प्रजातियों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वन्य जीव संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव) : (क) पारिस्थितिकी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सर्वेक्षण नहीं करता। ऐसे सर्वेक्षण भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किए जाते हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए सर्वेक्षणों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) उक्त सर्वेक्षणों के दौरान अभिनिर्धारित प्रजातियों की संख्या राज्य-वार नीचे दी गई है।

क्र.सं.	राज्य	अभिनिर्धारित प्रजातियों की संख्या
1.	केरल	198
2.	जम्मू और कश्मीर	6
3.	उत्तरांचल	66
4.	गुजरात	62
5.	हिमाचल प्रदेश	12
6.	बिहार	55
7.	महाराष्ट्र	31
8.	तमिलनाडु	32
9.	आन्ध्र प्रदेश	351

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को संशोधित किया गया है और वन्यजीव संबंधी अपराधों के दण्य के संदर्भ में इन्हें अधिक कड़ा बनाया गया है।

(2) वन्यजीवों के बेहतर संरक्षण सहित, बेहतर संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों की दो नई श्रेणियां यथा सामुदायिक रिजर्व और संरक्षण रिजर्व की व्यवस्था अधिनियम में संशोधन के बाद की गई है।

(3) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत ''बाघ परियोजना'' और ''हाथी परियोजना'' के उद्देश्य वन्यजीव विकास और संरक्षण है जिनमें राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी है।

विवरण

पारिस्थितिकी सर्वेक्षणों का ब्यौरा	2000-01	2001-02	2002-03	कुल
उष्णकटिबंधी वर्षा वन				
केरल	2	2	2	6
हिमालय पारिप्रणाली				
जम्मू और कश्मीर	2	1	1	4
उत्तरांचल	–	1	1	2
आर्द्रभूमि पारिप्रणाली				
गुजरात	1	1	1	3
हिमाचल प्रदेश	1	1	1	3
बिहार	1	1	1	3
महाराष्ट्र	1	1	1	3
मुहाना पारिप्रणाली				
आंध्र प्रदेश	2	1	1	4
केरल	–	1	1	2
समुद्री/तटीय पारिप्रणाली				
गुजरात	–	1	–	1
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	–	2
तमिलनाडु	1	–	1	2
केरल	–	1	–	1

[अनुवाद]

बैलों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रैक्टर

2923. डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ट्रैक्टरों के प्रयोग से बैलों का कोई उपयोग नहीं रह जायेगा;

(ख) क्या बैलों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रैक्टरों की जांच की गई है और उन्हें उपयुक्त पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) देश में कृषि यंत्रीकरण परिदृश्य मानव, पशु और यांत्रिक/वैद्युत संबंधी ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की परिकल्पना की गयी है। देश के अधिकांश भागों में, कृषि उत्पादन प्रणाली में किसानों द्वारा पशुओं का प्रयोग किया जा रहा है। तथापि, ट्रैक्टरों के प्रयोग में वृद्धि के कारण पशु शक्ति के प्रयोग में कमी आ सकती है।

(ख) फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों द्वारा "बैलों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रैक्टर" नामक किसी उपस्कर का परीक्षण नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय पशु संसाधन विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली ने उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, हिसार, में "बैलों द्वारा खींचे जाने वाले मल्टी टूल बार" का परीक्षण कराया है। इस उपस्कर को हैरो और कल्टीवेटर के साथ जोड़कर संतोषजनक पाया गया। दो फाल वाले देशी हल और मेंड बनाने के मामले में भी कार्य निष्पादन संतोषजनक पाया गया सिवाय इसके कि पशुओं पर कर्षण बल (ड्राफ्ट) स्तर अधिक पाया गया।

(ग) "बैलों द्वारा खींचे जाने वाले टूल कैरियर" पर आधारित सूचना सभी राज्य सरकारों को पहले ही भेजी जा चुकी है। पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए राजसहायता के लिए रूप में किसानों को सहायता उपलब्ध है। राज्य सरकारों के पास इस उपस्कर को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता देने हेतु लचीलापन है।

किराये पर लिये गये चालक दल के सदस्य

2924. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलुः क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एअर इंडिया का विचार अपने प्रस्तावित कम लागत के चार्टर विमान सेवा हेतु केवल दिल्ली से ही चालक दल के सदस्यों को किराए पर लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किराए पर लिये जाने वाले ऐसे चालक दल के सदस्यों को अनुबंध के आधार पर लिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो उनके निबंधन और शर्तों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) एअर इंडिया द्वारा कम लागत वाली चार्टर सेवा को शीघ्र शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) एअर इंडिया द्वारा इस नई सेवा पर होने वाले ऊपरी खर्च में कटौती करने हेतु उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) एअर इंडिया दिल्ली, कालीकट, तिरूवनन्तपुरम तथा कोचीन में प्रस्तावित कम लागत वाले प्रचालनों के लिए एअर इंडिया चार्टर्ड लिमिटेड के माध्यम से कर्मीदल शामिल करने का प्रस्ताव कर रही है।

(ग) और (घ) कर्मीदल को एक नियत पारिश्रमिक और भत्ते पर नियत आवधिक करार के आधार पर भाड़े पर लिए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) और (च) एअर इंडिया चार्टर्ड लिमिटेड के तत्वावधान में कम लागत वाले प्रचालनों की कार्यविधि के अध्ययन के लिए एक समिति गठित की गई है। इस समिति में ग्राउंड सर्विसेज/वित्त/इंजीनियरिंग/मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी./योजना व अंतरराष्ट्रीय सम्पर्क/वाणिज्यिक/मुख्यालय के विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं। पूरी परियोजना की कार्यात्मक एवं आर्थिक व्यवहार्यता का पता लगाने के बाद लिया जाएगा।

नागर विमानन की प्राथमिकताएं

2925. श्री इकबाल अहमद सरडगीः क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नागर विमानन में कुछ क्षेत्रों की पहचान की है जिनका प्राथमिकता के आधार पर विकास किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा मामलों संबंधी केबिनेट समिति ने इन योजनाओं को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित निम्नलिखित अग्रताओं/थ्रस्ट आइटमों की पहचान की है:

(1) नागर विमानन उद्योग से संबंधित वृहत मुद्दों पर काम करने के लिए नागर विमानन नीति को तैयार करना;

(2) चार मैट्रो हवाईअड्डों पर आधारसंरचना सुविधाओं तथा यात्री सुविधाओं को मजबूत बनाना;

(3) प्रस्तावित संयुक्त उद्यम तंत्र पर मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए त्वरित कार्रवाई करना;

(4) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए निजी निवेशकों के चयन के लिए उद्देश्यात्मक मापदंड तैयार करना तथा भारत सरकार और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के बीच रियायती करार को अंतिम रूप देना;

(5) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) अधिनियम, 1994 में संशोधन; तथा

(6) विकसित तकनीक आरंभ करके तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से विशेष रूप से प्रशिक्षित सुरक्षा कार्मिकों को लगाकर हवाई अड्डा सुरक्षा को बढ़ाना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) 28.7.2003 को संसद द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम (संशोधन) बिल पारित करने के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 के संशोधन से संबंधित कार्रवाई पूरी हो गई है। अन्य अग्रताओं/थ्रस्ट आइटमों से संबंधित कार्रवाईयां अंतिम रूप दिये जाने/पूरी होने की विभिन्न चरणों में है तथा इस समय इस प्रकार की कोई भी समय-सीमा बता पाना संभव नहीं होगा कि कब तक ये मदें पूरी कर ली जायेंगी। इन्हें अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

ऐतिहासिक स्मारकों का पुनरुद्धार

2926. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कई ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों के पुनरुद्धार का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और पुनरुद्धार के लिए विशेषकर दिल्ली में चयनित स्मारकों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में इस नीति को लागू करने और बसव कल्याण नामक नैतिक और ऐतिहासिक केन्द्र के पुनरुद्धार का है;

(घ) क्या सरकार ने अरिवीना माने (ज्ञान भंडार), अक्कनगमना और गंगाम्बिके गावी (अक्कानगमन्ना और गंगाम्बिके की गुफाएं), किले और मूर्तियों समेत बसव कल्याण से संबंधित स्मारकों के पुनरुद्धार के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) संस्कृति, पर्यटन और स्वच्छ नागरिक जीवन को संयोजित करके एक बड़ी संख्या में केन्द्रों को ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों के आस-पास विकसित किया जा रहा है जिनका जीर्णोद्धार, संरक्षण और सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) अरिवीना माने (ज्ञानालय) सहित बासव कल्याण, अक्कनागम्मना और गंगाम्बिके गावी (गुफा अक्कना गम्मना व गंगाम्बिके) किला केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं हैं और उनका संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नहीं किया जाता है।

बाघ के पर्यावासों का पुनरुद्धार

2927. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव सम्पूर्ण देश में बाघ के पर्यावासों का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अभ्यारणों में बांधों को रखे जाने की मांग है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उच्च वन अधिकारी नियमित रूप से अभ्यारण्यों का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो वन्य जीवों के संरक्षण के कार्यक्रम में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) भारत सरकार ने देश में बाघों के वासस्थलों की सुरक्षा, संरक्षण, पुनरुद्धार और विकास के लिए वर्ष 1972-73 से "बाघ परियोजना" नामक एक संकेन्द्रित होलीस्टिक स्कीम प्रारम्भ की हुई है। स्कीम 16.399 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 9 रिजर्वों के साथ प्रारम्भ की गई थी जिसका क्षेत्र अब बढ़कर 27 रिजर्वों में 37.761 वर्ग किलोमीटर हो गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) बाघ परियोजना रिजर्व संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में है जिनमें इन रिजर्वों में तैनात स्थानीय क्षेत्र अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं जो राज्य और केन्द्र सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षी दौरों के अतिरिक्त हैं। वन्यजीवों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत शिकार और वाणिज्यिक दोहन के विरुद्ध बाघों सहित वन्यजीवों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(2) वन्य जीवों को प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत क्षमता और आधारभूत संरचना बढ़ाने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

(3) वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को शक्तियां प्रदान की गई है।

(4) वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए फील्ड संरचनाओं को सहायता देने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को लिखा है।

(5) वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव (पर्यावरण एवं वन), भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय और प्रवर्तन समिति गठित की गई है।

(6) भारतीय वन्यजीव बोर्ड की पिछली बैठक में वन्यजीव और वन को प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित करने और फ्रंटलाइन स्टाफ के सभी रिक्त पदों को तत्काल भरने और उन्हें अपनी ड्यूटी दक्षतापूर्वक करने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

(7) देश में वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु विभिन्न कार्रवाई बिन्दु और प्राथमिकता परियोजनाओं के साथ एक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) प्रारम्भ की गई है।

[हिन्दी]

मसालों का उत्पादन

2928. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में मसालों के राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अन्य विकासशील देशों की तुलना में देश में मसालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान मसालों के उत्पादन का राज्य-वार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) देश में मसालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 8.6 ग्राम आंकी गई है। भारत दूसरे विकासशील देशों की तुलना में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 के दौरान मसालों के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा

(मी. टन में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1277	1313	1726
आंध्र प्रदेश	849421	948252	886817

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	38045	39266	42243
असम	17103	17713	17811
बिहार	17519	12009	11498
गुजरात	145334	188724	213232
हिमाचल प्रदेश	770	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
जम्मू व कश्मीर	917	1246	1263
कर्नाटक	347634	307668	315661
केरल	149832	161002	151604
महाराष्ट्र	114115	114258	104289
मेघालय	68526	54613	56326
मिजोरम	33262	30182	51580
मणिपुर	5270	6350	8210
मध्य प्रदेश	363185	107398	152895
नागालैण्ड	32946	35248	उपलब्ध नहीं
उड़ीसा	238270	178250	223950
पंजाब	30430	30205	29744
राजस्थान	314774	369155	616376
सिक्किम	17423	31650	30457
तमिलनाडु	315830	302023	250208
उत्तर प्रदेश	50156	64624	100618
उत्तरांचल	5361	23625	33217
पश्चिम बंगाल	91442	96859	94987

[अनुवाद]

सहायक महाप्रबंधक के विरुद्ध आरोप

2929. **श्री अशोक अर्गल:** क्या नागर विमानन मंत्री 16 दिसम्बर, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4162 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 28 अक्तूबर, 2001 को एअर इंडिया की उड़ान संख्या 111 में दो अफगान नागरिकों की अवैध यात्रा के मामले में दोषी पाये गये एअर इंडिया, आई.जी.आई. हवाई अड्डे के सुरक्षा सहायक महाप्रबंधक की सुरक्षा उपमहाप्रबंधक के पद पर प्रोन्नति कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या माननीय प्रधान मंत्री की चीन उड़ान के लिए अग्रिम सुरक्षा सर्वेक्षण हेतु उनकी तैनाती की गई थी;

(घ) यदि हां, तो प्रधान मंत्री की सुरक्षा में दागदार अधिकारी को लगाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सुरक्षा में गंभीर चूक के लिए निंदा की बजाय उन्हें बी.सी.ए.एस. पास जारी किये जाने के क्या कारण है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर श्री जी.एस. बमकोटी को छिपकर यात्रा करने के मामले में निन्दा का अल्प दण्ड दिया गया है। एअर इंडिया कर्मचारी सेवा नियमनों के अनुसार निन्दा का दण्ड दिए जाने से अधिकारी की पदोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा श्री बनकोटी को उपमहाप्रबंधक सुरक्षा के पद पर पदोन्नत भी कर दिया गया था।

(ग) और (घ) चूंकि इस विशेष मामले में सहायक महाप्रबंधक, सुरक्षा के विरुद्ध कोई गम्भीर आरोप नहीं था इसलिए इस क्षेत्र में उनके अनुभव के दृष्टिगत उन्हें माननीय प्रधानमंत्री की चीन के लिए उड़ान की अग्रिम सुरक्षा के सर्वेक्षण के कार्य के लिए तैनात किया गया है।

(ङ) संबंधित संगठनों के विभागाध्यक्षों तथा प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ताओं की सिफारिशों के आधार पर पी.आई.सी. जारी किये जाते हैं। एअर इंडिया, दिल्ली के सहायक महाप्रबंधक, सुरक्षा, जिन्हें अब उप महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है तथा वे अपनी सेवाएं जारी रखे हुए हैं, को उनके कार्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत एअर इंडिया, के सुरक्षा विभाग की सिफारिश पर पी.आई.सी. जारी किया गया है। एअर इंडिया दिल्ली के उपमहाप्रबंधक, सुरक्षा किसी फौजदारी मामले में शामिल नहीं हैं, पी.आई.सी. समिति जिसमें, बी.सी.ए.एस., सी.आई.एस.एफ. तथा ए.पी.एस. के प्रतिनिधि शामिल हैं, ने उन्हें तदनुसार पी.आई.सी. जारी करने की स्वीकृति दी थी।

बीज फसल बीमा योजना

2930. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 से बीज फसलों की उपज न होने की स्थिति में बीज उत्पादकों की सुरक्षा हेतु प्रायोगिक बीज फसल बीमा योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में यह योजना किन-किन राज्यों में चल रही है;

(ग) राज्य सरकारों को इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना का अन्य राज्यों विशेषकर तमिलनाडु में विस्तार करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) यह स्कीम आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) इस स्कीम को अन्य राज्यों में लागू करने से पूर्व इसे बीज उत्पादकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) से इस स्कीम का मूल्यांकन करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

प्रायोगिक बीज फसल बीमा स्कीम के कारगर कार्यान्वयन हेतु राज्यों को प्रदत्त प्रोत्साहन/सहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी/निगम	निर्गत धनराशि		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7.50	—	—
2.	गुजरात	4.00	—	—

1	2	3	4	5
3.	हरियाणा	3.00	5.00	—
4.	कर्नाटक	5.00	2.50	5.00
5.	मध्य प्रदेश	5.00	2.50	—
6.	उड़ीसा	2.00	5.00	—
7.	पंजाब	1.50	2.50	—
8.	राजस्थान	4.50	7.50	—
9.	महाराष्ट्र	7.50	—	—
10.	उत्तर प्रदेश	10.00	10.00	10.00
	कुल	50.00	35.00	15.00
	राज्य बीज निगम			
1.	आंध्र प्रदेश	1.50	2.50	—
2.	गुजरात	0.80	2.50	—
3.	हरियाणा	0.60	2.50	—
4.	कर्नाटक	1.00	2.50	—
5.	महाराष्ट्र	1.50	2.50	—
6.	मध्य प्रदेश	1.00	2.50	—
7.	उड़ीसा	0.40	2.50	—
8.	पंजाब	0.30	2.50	—
9.	राजस्थान	0.90	2.50	—
10.	यू.पी.एस. तथा टी.डी.सी.	2.00*	5.00	—
	सकल योग	10.00*	35.00	5.00
	सकल योग	60.00	70.00	20.00

*बीज उत्पादक संगठनों अर्थात राज्य बीज निगमों को निर्गत धनराशि

आई.ए.आर.आई. द्वारा कम्प्रेसिंग मशीनों का विकास

2931. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए.आर.आई.) नई दिल्ली ने चारे के लिए कम्प्रेसिंग मशीनों का विकास किया है ताकि इसे लाने-ले-जाने और भंडारण में सुविधा हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मशीनों को लोकप्रिय बनाने और अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं के लिए राजसहायता और वित्तपोषण प्रबंधों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) फोंड ब्लॉक फार्मेशन मशीन का विवरण निम्नवत है:

मशीन की क्षमता	200-250 कि.ग्रा./घण्टा
आवश्यक विद्युत ऊर्जा	25 एच.पी.
फोंड ब्लॉक का आकार	20 × 20 से.मी. × परिवर्तनीय मोटाई
फोंड ब्लॉक का घनत्व	400 कि.ग्रा./एम^3
मूल्य	रु. 5.50 लाख
परिचालन की लागत	रु. 380 टन
आवश्यक क्षेत्र	200 एम^2 (कवर्ड)
इस मशीन को चलाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या	एक

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की आवर्ती निधि स्कीम के माध्यम से मशीन का उत्पाद किया जा रहा है तथा लागत आधार पर इसको इंडेटकर्त्ताओं की आपूर्ति की जाती हैं।

रेल सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट

2932. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल सुरक्षा आयुक्त के पास कई जांच रिपोर्ट लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल दुर्घटनाओं की जांच पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने में देरी हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा ट्रेन दुर्घटनाओं की जांच और रिपोर्ट दाखिल करने हेतु समय सीमा निर्धारित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) रेल संरक्षा आयुक्त, सामान्यतया रेलवे में हुई दुर्घटना से 60 दिनों के अन्दर अपनी विस्तृत दुर्घटना जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तथापि कुछ अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में यह समय सीमा बढ़ भी सकती है जहां दुर्घटना के कारणों तक पहुंचने के लिए तथ्यों की जांच आवश्यक होती है और इसमें अधिक समय लगता है और जो आयोग के नियंत्रण से बाहर होते हैं।

(घ) और (ङ) रेलवे दुर्घटना की जांच करने के लिए समय-सीमा पहले से ही निर्धारित है जिसके अधीन रेल संरक्षा आयुक्त को, रेल दुर्घटनाओं की तारीख से दस दिन के अन्दर प्रारंभिक रिपोर्ट तथा साठ दिन के अन्दर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

ए.ए.आई. के अधिकारियों की गिरफ्तारी

2933. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल में एक ठेकेदार से रिश्वत लेने के आरोप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के राष्ट्रीय विमानपत्तन डिवीजन के कुछ शीर्ष पदों के अधिकारियों को गिरफ्तार किया;

(ख) यदि हां, तो सी.बी.आई. ने भ्रष्टाचार के आरोप में अब तक भारतीय विमानपत्तन के कुल कितने अधिकारियों को गिरफ्तार किया है;

(ग) कितने मामले अंतिम दौर पर निपटा दिये गये हैं; और

(घ) इन अधिकारियों को क्या दण्ड दिया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) पिछले, 5 वर्षों के दौरान, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 9 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

(ग) और (घ) इन 9 मामलों में से, एक मामले में संबंधित अधिकारी की मृत्यु हो जाने के कारण कार्रवाई बन्द कर दी गई है और पांच मामले न्यायालय में लम्बित पड़े हैं, एक मामले में न्यायालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को मामले की पुनः छानबीन करने का निर्देश दिया है। एक मामले की छानबीन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है तथा अंतिम मामले में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी से अभियोजन स्वीकृति मांगी गई है।

कर्नाटक में बटरफ्लाई पार्क

2934. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कर्नाटक में बंगलौर के निकट बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान परिसर में बटरफ्लाई पार्क स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितना धन लगे होने का अनुमान है; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से वे एक बटरफ्लाई पार्क की स्थापना-381.25 लाख रुपये की लागत से राष्ट्रीय जैव संसाधन विकास मंडल के तत्वावधान के अधीन बटरफ्लाई संसाधनों का उपयोग करते हुए, अनुसंधान, शिक्षा एवं ग्रामीण जीविकोपार्जन हेतु कर रहा है।

(ग) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि पार्क पर कार्य पहले ही शुरु हो चुका है। परियोजना के पांच वर्ष की अवधि के अंदर पूरा होने की संभावना है।

वायुदूत का पुनरुद्धार

2935. श्री ए. ब्रह्मनैया:
श्री अनन्त नायक:
श्री परसुराम मांझी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वायुदूत को आर्थिक संकट से उबारने हेतु एक विस्तृत वित्तीय योजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पुनरुद्धार पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने वायुदूत की बकाये के भुगतान में सहायता हेतु 100 करोड़ रुपये की एक मुश्त बजटीय सहायता की मांग की है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस वित्तीय मांग में कटौती करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके क्या कारण हैं और वायुदूत के पुनरुद्धार में सरकार का किस तरीके से आई.ए. की सहायता करने का है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) मई, 1994 में, वायुदूत के इंडियन एयरलाइन्स में विलय किये जाने के लिए, लिए गए निर्णय पर, वायुदूत की 185.91 करोड़ रुपये की राशि की बकाया देयताओं को इंडियन एयरलाइन्स द्वारा चुका दिया जाना था। तथापि कम्पनी द्वारा उठाए जा रही बहुत कठिन वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखकर, कम्पनी ने देयताओं के भुगतान की समस्या का समाधान निकाले जाने के लिए सरकार से सम्पर्क किया। सरकार द्वारा मामले पर विचार किया जा रहा है।

(च) वायुदूत के पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्राचीन विरासत के लिए धनराशि का आवंटन

2936. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्रीमती कांति सिंह:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के प्राचीन विरासत के उन स्मारकों के नाम क्या हैं जिन पर सरकार द्वारा 12.02 करोड़ रु. आबंटित खर्च किया जाने वाला है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

छापे में दवाइयों की जब्ती

2937. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली औषधी नियंत्रण विभाग और आर्थिक अपराध ब्यूरो द्वारा हाल ही में मारे गये छापे के दौरान विभिन्न अस्पतालों के लिए जारी की गई दवाईयों को जब्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल कैमिस्टों और कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और इस घोटाले में शामिल पाए गए अस्पतालों के नाम क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि औषध नियंत्रण विभाग,

दिल्ली के अधिकारियों को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति-श्री प्रदीप कुमार भार्गव अपेक्षित औषध लाइसेंस के बिना 2186, दूसरा तल, चाह इन्दिरा फाउंटेन, दिल्ली में स्थित परिसर में औषधों और शल्य-चिकित्सीय सामग्री का व्यापार कर रहा है और वह विभिन्न सरकारी संस्थानों से चोरी की गई विभिन्न दवाइयों का भी व्यापार कर रहा है। अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों सहित औषध नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने प्रदीप भार्गव के परिसर पर 7.6.2003 को संयुक्त रूप से छापा मारा।

औषध निरीक्षक, दिल्ली सरकार ने लगभग 30 लाख रुपए की "सरकारी आपूर्ति, बिक्री के लिए नहीं" अंकित औषधें और शल्यचिकित्सीय मदें और दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपये की गैर-औषध मदें जब्त कीं। औषध निरीक्षक ने परीक्षण/विश्लेषण करने के वास्ते कुल 4 नमूने एकत्र किए। पुलिस स्टेशन कोतवाली, नई दिल्ली में औषध एवं प्रसाधन-सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा-18/27 के अंतर्गत कथित प्रदीप भार्गव के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई है। इस संबंध में जांच की जा रही है।

जब कभी भी सरकारी आपूर्ति वाली कोई औषध बाजार में पाई जाती है तो ऐसी घटनाओं को रोकने के वास्ते स्रोत का पता लगाने के प्रयास किये जाते हैं ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और भंडारों से चोरी के लिए जिम्मेवार व्यक्ति का पता लगाया जा सके। सरकार भंडारों का बेहतर प्रबंधन और सामग्री सूची नियंत्रण प्रणालियां सुदृढ़ करने के लिए सतत प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

सहायक प्रोफेसरों के रिक्त पद

2938. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पिछले कई वर्षों से तदर्थ आधार पर 164 सहायक प्रोफेसर काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सहायक प्रोफेसरों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्वीकृत सहायक प्रोफेसरों के 225 पदों में से 150 से अधिक सहायक प्रोफेसर आरक्षण एवं तदर्थ नियुक्ति को नियमित करने के संबंध में न्यायालयों में मुकदमे लम्बित पड़े रहने के कारण कई वर्षों से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 26.11.2001 के निर्णय के बाद संस्थान द्वारा नियमित नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया शुरू की गई और यह प्रक्रिया पूरी कर ली गई। तदनुसार 157 सहायक प्रोफेसरों (तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे उम्मीदवारों समेत) ने नियमित आधार पर सहायक प्रोफेसरों के पद पर कार्यभार संभाल लिया है और अभी 3 सहायक प्रोफेसरों ने पद पर कार्यभार संभालना है।

वी.एस.एन.एल. का विनिवेश

2939. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और टाटा कंपनी समूह के बीच वी.एस.एन.एल. के बारे में कोई मतभेद उत्पन्न हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या इन मतभेदों को दूर कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विनिवेश के लिए प्रस्तावित राशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में स्टाफ एक्सचेजों में वी.एस.एन.एल. के संबंध में प्रस्तुत सूचनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ख) जी, हां। टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड में 1200 करोड़ रुपए निवेश करने के वीएसएनएल के निर्णय के बारे में मतभेद उत्पन्न हुए थे।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने यह अपेक्षा की है कि अन्तिम निर्णय लिए जाने के पूर्व लक्षित कम्पनी में वीएसएनएल द्वारा ऐसे किसी निवेश का सावधानीपूर्वक विश्लेषण तथा सोच-विचार एवं वांछनीयता सरकारी नामित निदेशक सहित, वीएसएनएल के निवेशकों की उप-समिति द्वारा अध्ययन की प्रक्रिया के माध्यम से आरम्भ किया जाए। तदनुसार, इस प्रयोजन के लिए एक समिति गठित की गई थी।

(ङ) उप-समिति के निर्णय के अनुसार 835.80 करोड़ रुपए की धनराशि वीएसएनएल द्वारा इक्विटी के जरिए टाटा टेली सर्विसेज

में 7 साल की अवधि में निवेशित की जाएगी। पहले 4 वर्षों में 636.80 करोड़ रुपए की धनराशि निवेशित की जाएगी और शेष धनराशि समय सारणी और वीएसएनएल तथा टाटा टेली सर्विसेज के बीच तय किए जाने वाले आपसी निर्णय की समय-सीमा तथा तरीके के अनुसार की जाएगी।

(च) बोर्ड की बैठक के तुरन्त बाद वीएसएनएल ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि वीएसएनएल के निदेशक मण्डल ने टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी में 1200 करोड़ रुपए तक की अन्तर-निगमित निवेश का अनुमोदन कर दिया था।

केन्द्रीय योजनाओं के लिए धनराशि

2940. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र द्वारा राज्यों की संचित निधि के माध्यम से केन्द्रीय योजनाओं के लिए जारी की गई राशि और प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वयन एजेंसियों के लिए जारी की गई धनराशि का अलग-अलग पिछले तीन वर्षों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) धनराशि के व्यय प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित क्रियान्वयन एजेंसियों के व्यय का प्रतिशत राज्यों के माध्यम से जारी की गई धनराशि से कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

सी.बी.एस.ई. से विद्यालयों की संबद्धता

2941. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी विद्यालय को सी.बी.एस.ई. से संबद्ध किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मापदंड क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरियाणा सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र न दिए जाने के कारण सी.बी.एस.ई. के पास हरियाणा के विद्यालयों के संबद्धता संबंधी कई आवेदन लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सी.बी.एस.ई. निकट भविष्य में इस आवश्यकता को समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार विद्यार्थियों के व्यापक हित में हरियाणा सरकार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र न रोकने का दवाब डालने के बारे में विचार करेगी; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बोर्ड के संवर्द्धन उपनियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले किसी भी विद्यालय को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संवर्द्धन प्रदान किया जा सकता है।

(ख) प्राथमिक मानक इस प्रकार हैं-संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग का अनापत्ति-प्रमाण पत्र, पंजीकृत सोसायटी/न्यास, अपेक्षित भूखंड, पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं, अर्हता प्राप्त शिक्षण कर्मचारी, कर्मचारियों को निर्धारित वेतन एवं भत्तों का भुगतान आदि।

(ग) अनापत्ति-प्रमाण पत्र के बिना जो आवेदन प्राप्त होते हैं उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) 30 जून, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में संबद्धता के लिए हरियाणा से 85 आवेदन प्राप्त हुए जिनके संबंध में हरियाणा सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए हैं।

सी.टी. स्कैनिंग में विलंब

2942. श्री रघुनाथ झा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सी.टी. स्कैनिंग के लिए लंबी प्रतीक्षा के कारण सफदरजंग अस्पताल में रोगियों की दयनीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) यद्यपि रूटीन के सी.टी. स्कैन और साधारण मामलों में 2 से $2^1/_2$ महीने तक की प्रतीक्षा अवधि होती है परन्तु आपातकालिक रोगियों का सी.टी. स्कैन तत्काल किया जाता है और दाखिल किए गए रोगियों का सी.टी.स्कैन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

अस्पताल में नैदानिक/उपचार सुविधाओं का विस्तार करना और उनमें सुधार लाना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हैं और ये अन्य बातों के साथ-साथ संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करती हैं।

[हिन्दी]

विद्यालयों द्वारा मानदंडों का उल्लंघन

2943. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में 250 विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें सी.बी.एस.ई. द्वारा नर्सरी शिक्षा की मान्यता दी गई थी वे प्राथमिक विद्यालय के रूप में चल रहे हैं और जिन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए मान्यता दी गई थी वे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मानदंडों का उल्लंघन करने वाले ऐसे विद्यालयों को दंडित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केवल माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को संबद्धन प्रदान करता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नर्सिंग होम/क्लीनिक सेवाएं

2944. श्री महेश्वर सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी क्लीनिकों, नर्सिंग होमों और अन्य चिकित्सा संस्थानों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में समय-समय पर शिकायतें की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां कार्यरत कर्मचारियों और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करना आवश्यक हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस संबंध में मसौदा प्रस्ताव भेजा है ताकि उनकी संबंधित विधान सभाओं से इसे पारित कराया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्य सरकारों ने इसे पारित कर दिया है और किन-किन राज्य सरकारों ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को सूचित कर दिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए निजी तथा सार्वजनिक अस्पतालों एवं नर्सिंग होमों के कार्यों को विनियमित करने का मूल दायित्व राज्य सरकार का है। कुछ राज्यों जैसे-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सिक्किम, असम, मध्य प्रदेश आदि के पास इस संदर्भ में आवश्यक कानून हैं। केन्द्रीय सरकार मापदंड एवं विनिर्देशन निर्धारित करते हुए एक कानून बनाने पर विचार कर रही हैं जो अस्पतालों, नर्सिंग होमों तथा अन्य नैदानिक स्थापनाओं के लिए न्यूनतम स्तर निर्धारित करेगा। प्रस्तावित विधि ऐसी नैदानिक स्थापनाओं तथा रिकार्डों के रख-रखाव के मूल्यांकन, प्रत्यायन, निरीक्षण प्रमाणन विनियमन के लिए मानदंड निर्धारित करेगी।

(ग) और (घ) वर्ष 2001 में इस संदर्भ में केन्द्रीय कानून बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत सभी राज्यों को उनके कानून पर सहमति प्राप्त करने हेतु पत्र लिखे गये थे। हिमाचल प्रदेश, मिजोरम तथा अरूणाचल प्रदेश राज्यों ने अपनी सहमति दे दी है।

[अनुवाद]

महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार

2945. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि यूनीसेफ के आंकलन के अनुसार कम से कम एक मिलियन बच्चों को विश्वव्यापी देह व्यापार के लिए बाध्य किया जाता है और इनमें से अधिकांश भारत थाईलैंड फिलीपीन्स से हैं; और

(ख) सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) यूनीसेफ द्वारा श्रीलंका, जमैका, अमरीका, नेपाल, भारत, डोमिनिकन, गणराज्य तथा पश्चिमी अफ्रीका समेत अनेक देशों में कराए गए विभिन्न अध्ययनों, शोध निष्कर्षों तथा रिपोर्टों में बताया गया हैं कि प्रति वर्ष लगभग 10 लाख बच्चे यौन व्यापार में प्रवेश करते हैं। बाल-यौन शोषण तथा व्यावसायिक यौन-शोषण बड़े पैमाने पर व्याप्त है।

(ख) सरकार ने महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) अवैध व्यापार की रोकथाम, अवैध व्यापार एवं व्यावसायिक यौन-शोषण पीड़ितों के उद्धार एवं पुनर्वास तथा अनैतिक पणन निवारण अधिनियम के कठोर कार्यान्वयन हेतु विधि प्रवर्तन प्रणालियों को सक्रिय बनाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (1998) तैयार की तथा एक केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया।

(2) उपर्युक्त उद्देश्यों हेतु राज्य को प्राधिकार सौपने तथा अवैध व्यापार के विरुद्ध संघर्ष में अधिकाधिक राज्य संसाधन जुटाने के प्रयास करने हेतु अवैध व्यापार पर राज्य सलाहकार समितियों का गठन किया गया।

(3) महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा विभाग राज्य कार्रवाई की नियमित रूप से समीक्षा भी करता है।

(4) इस समय महिला एवं बाल विकास विभाग अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम सहित मौजूदा कानूनी ढांचे की समीक्षा कर रहा है।

(5) महिला एवं बाल विकास विभाग ने गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से अवैध व्यापार के विविध आयामों के विषय में अधिकाधिक जागरूकता फैलाने तथा सरकारी विभागों पुलिस एवं न्यायपालिका तथा समूचे नागरिक समाज में अवैध व्यापार पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय प्रयास आरंभ किए हैं।

(6) राष्ट्रीय महिला आयोग गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से अवैध व्यापार के विरुद्ध सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहा है। आयोग ने देश भर में 20 कार्यशालाएं आयोजित की हैं तथा इस विषय पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की हैं।

(7) सम्बद्ध राज्य सरकारों ने यौन-शोषण से जुड़ी देवदासी जोगिन परम्पराओं के निषेध हेतु कानून बनाए हैं।

(8) अवैध व्यापार की रोकथाम तथा अवैध व्यापार पीड़ितों के पुनर्वास कार्य में संलग्न गैर-सरकारी संगठनों की सूची तैयार करना।

(9) महिला एवं बाल विकास विभाग ने कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं हेतु 'स्वाधार' नामक एक नई स्कीम आरंभ की है जो कि अवैध व्यापार पीड़ितों पर भी लागू होती हैं । इस स्कीम के अंतर्गत अवैध व्यापार से छुड़ाई गई महिलाओं को आश्रय परामर्श चिकित्सा सहायता व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(10) महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्रोत क्षेत्रों पारस्परिक क्षेत्रों तथा गन्तव्य क्षेत्रों में निवारण, उद्धार व पुनर्वास कार्यों के माध्यम से अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मॉडल सहायतानुदान स्कीम तैयार की हैं। परामर्श अनौपचारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है।

(11) महिला एवं बाल विकास विभाग ने अंतर्राज्यीय अवैध व्यापार के मामलों की जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निरीक्षक स्तर के तथा उससे बड़े अधिकारियों को अवैध व्यापार पुलिस अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है।

(12) महिला एवं बाल विकास विभाग ने गृह मंत्रालय को अवैध व्यापार को रोकने तथा उसके अनुवीक्षणार्थ एक नोडल अभिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है।

(13) राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग ने देश के भीतर अवैध व्यापार पर एक सर्वेक्षण आरंभ किया है। इस अध्ययन में अवैध व्यापार के सभी अभिकर्ताओं के प्रेरणार्थक एवं व्यवहारगत पक्षों की जांच की जाएगी। महिला एवं बाल विकास ने इस समस्या की व्यापकता में लोगों की संख्या तथा अवैध व्यापार मार्गों की जांच हेतु एक सर्वेक्षण भी आरंभ कराया है।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रमों में लगे गैर-सरकारी संगठन

2946. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुजरात में परिवार कल्याण कार्यक्रमों में लगे स्वैच्छिक संगठनों को धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या सरकार ने इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के उचित उपयोग को निगरानी के लिए किसी एजेंसी को नियुक्त किया हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) चूककर्ता पाए गए गैर सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में मदर गैर-सरकारी संगठन स्कीम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) इस स्कीम के अंतर्गत निधियों का वास्तविक उपयोग फील्ड एन.जी.ओ. द्वारा किया जाता हैं जिसका चयन एक समिति द्वारा किया जाता हैं जिसमें सरकार द्वारा नामित व्यक्ति और मदर एन.जी.ओ. शामिल होते हैं। मदर एन.जी.ओ. द्वारा फील्ड एन.जी.ओ. की मासिक मानीटरिंग करने के लिए दौरे किए जाते हैं। फील्ड एन.जी.ओ. की मानीटरिंग के बारे में अपनी तिमाही रिपोर्ट (वित्तीय और कार्यनिष्पादन) मदर एन.जी.ओ. को भेजते हैं। मदर एन.जी.ओ. अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा अंकेक्षित खाते प्रतिवर्ष विभाग को भेजते हैं जिनमें वर्ष के दौरान फील्ड एन.जी.ओ. द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख होता है और फील्ड एन.जी.ओ. के कार्य के क्षेत्र में मदर एन.जी.ओ. द्वारा समय-समय किए गए सत्यापन के परिणाम भी शामिल होते हैं। मदर एन.जी.ओ. द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाते हैं।

विवरण

मदर एन.जी.ओ. स्कीम

क्र.सं.	मदर एनजीओ का नाम	राज्य	2000-01	2001-02	2002-03
1.	गुजरात वालंटरी हैल्थ एसोसिएशन अहमदाबाद	गुजरात			1,250,000.00
2.	सेंटर फार हैल्थ एजूकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन एवरनेस (चेतना)	गुजरात	1,000,000.00	876,997.00	676,317.00
3.	फेमिली प्लानिंग एसोसिएशन आफ इंडिया, अहमदाबाद	गुजरात		1,200,000.00	1,395,562.00
4.	समग्र विकास ट्रस्ट, अमरेली, गुजरात	गुजरात		1,000,000.00	2,426,389.00

[अनुवाद]

केरल में अस्पतालों का उन्नयन

2947. श्री टी. गोविन्दन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में अस्पतालों के उन्नयन के लिए सहायता अनुदान हेतु केरल से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सी डॉट का परिवर्तन

2948. **श्री स्वदेश चक्रवर्ती:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में सी डॉट 256 ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज (आर.ए.एक्स.) को वी 5.2 एक्सेस नेटवर्क (एन.आर.ए.एक्स.) में परिवर्तित करने और एनालॉग एक्सचेंज को डिजीटल एक्सचेंज में बदलने का कार्य आरंभ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) ए एन आर ए एक्स उपकरण के अधिप्रापण हेतु कार्रवाई शुरू की जा चुकी हैं। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी 511 एनालॉग एक्सचेंज को डिजीटल एक्सचेंज में बदल दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा

2949. **श्री मोइनुल हसन:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में मुख्य एक्सचेंजों में लघु एवं मध्यम एक्सचेंजों को रिमोट सब्सक्राइबर यूनिटों (आर.एस.यू.) में बदलने उनका प्रमुख एक्सचेंज में उन्नयन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार हेतु निम्न उपाय किए जा रहे हैं:-

(1) सभी मध्यम एक्सचेंज को आर एस यू में बदला जा रहा है।

(2) 256 पी सी डॉट आरएएस एक्सचेंजों के स्थान पर ए एन-आरएएक्स की स्थापना करना।

(3) वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी की शुरुआत करना

दिल्ली में रेफरल अस्पताल/नर्सिंग होम

2950. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के लाभ के लिए दिल्ली में रेफरल अस्पतालों/नर्सिंग होम और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालों के नामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए सी.जी.एच.एस. की रेफरल सूची में कुछ और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालों को शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

के.स.स्वा. योजना, दिल्ली के अधीन मान्यता प्राप्त निजी प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(ख) से (घ) संसाधनों की तंगी के कारण इस समय के.स.स्वा. योजना के अधीन और अधिक प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालों को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण I

मंत्रालय के का. ज्ञा. सं. रेक-24/2001 जे डी (एम) सी जी एच एस/दिल्ली सीजीएचएस(पी) दिनांक 7.9.2001, 6.5.2002, 14.5.2002, 15.3.2002, 2.8.2002 एवं 26.8.2002 और मंत्रालय के का.ज्ञा. रेक-24/2001-2002/जेडी(एम) सी जी एच एस/ दिल्ली/ सी जी एच एस (पी) दिनांक 10.1.2003 के तहत सी जी एच एस दिल्ली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	निम्नलिखित के लिए मान्यता प्राप्त	प्रोप्राइटर का नाम
1	2	3	4
1.	माता चान्नन देवी अस्पताल सी-1, जनक पुरी, नई दिल्ली फोन न. 5610009, 5554702 5554487, 5610008 (फैक्स)	सामान्य प्रयोजन विशेष कृत प्रयोजन एवं डायलयसिस नॉन इनवेसिव कार्डियक प्रोथियूसर नैदानिक प्रक्रिया, हृदय शल्य क्रिया को छोड़कर	डा. शरद कोछर
2.	महाराजा अग्रसेन अस्पताल रोड नं.-35, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-26 दूरभाष नं. 5121745-54	सामान्य एवं विभेषीकृत प्रयोजन डायलयसिस लेप्रोस्कोपिक शल्यक्रिया नॉन इनवेसिव कार्डियक प्रोसिड्यूसर (हृदय शल्य क्रिया को छोड़कर)	डा. ए.पी. चौधरी
3.	राजीव गांधी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर, सेक्टर-5 रोहिणी, दिल्ली दूरभाष सं. 7051011, 7051030	कैंसर निदान, रसायन उपचार एवं विकिरण उपचार	डा. के.के. मेहता
4.	तीर्थ राम शाह अस्पताल तीस हजारी के पास बोटरी लेन दिल्ली	सामान्य प्रयोजन और नैदानिक	मेजर गणेश काले
5.	संत परमानन्द अस्पताल 18, शामनाथ मार्ग, दिल्ली	हृदय शल्यक्रिया को छोड़कर सामान्य एवं विशेषीकृत प्रयोजन, नैदानिक	डा. एस सी मारवाह
6.	जीवन माला अस्पताल 87/1, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली	-तदैव-	डा. विनय सबरवाल
7.	मोहन आई इन्स्टीच्यूट 11-बी, गंगा राम अस्पताल मार्ग, नई दिल्ली	विशेषीकृत प्रयोजन-नेत्र रोग	डा. हरि मोहन
8.	केसर अस्पताल ए एच-11, शालीमार बाग, दिल्ली	विशेषीकृत प्रयोजन, न्यूनतम एनवेसिव सर्जरी (लेप्रोस्काापिक)	डा. आयुष गुप्ता
9.	इण्डियन स्पिनल इन्ज्यूरी सेन्टर 50-सी वसंत कुंज, नई दिल्ली	विशेषीकृत एवं नैदानिक (रीढ़ से संबंधित चोट रीढ़ से संबंधित रोग और फिजियोथेरापी)	डा. एच एस छबरा
10.	पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इन्स्टीच्यूट प्रेस इन्कलेव मार्ग शेख सराय, नई दिल्ली-17	यकृत गुर्दा और पाचन संबंधी रोगों के लिए विशेषीकृत प्रयोजन	डा. दीपक शुक्ला

1	2	3	4
11.	आर जी स्टोन यूरोलॉजिक रिसर्च इन्स्टीच्यूट एफ-7, ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली	लिबोट्रिप्सी	श्री हनीश बंसल
12.	मलहोत्रा हर्ट इंस्टीच्यूट एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर 14, रिंग रोड लाजपत नगर-IV नई दिल्ली	विशेषीकृत प्रयोजन- ह्रदय रोग कार्डियक एवं वस्कूलर सर्जरी एवं संबंधित निदान	श्री कवरजीत सिंह
13.	नार्थ प्वान्ट अस्पताल (पी) लिमिटेड एस-357 पंचशील पार्क, नई दिल्ली	लिथोट्रिप्सी	श्री अनूप भार्गव
14.	श्री राम सिंह अस्पताल एंड हर्ट इन्स्टीच्यूट बी-25-26-26ए ईस्ट कृष्णा नगर, दिल्ली	केवल सामान्य प्रयोजन	डा. अशोक सिंह
15.	कल्याणी अस्पताल (पी) लिमिटेड 354/2, महरौली रोड गुडगांव	सामान्य प्रयोजन एवं निदान	डा. सुशील खुराना
16.	डा. तनेजा अस्पताल एवं हर्ट सेन्टर, 113-ए, न्यू कालोनी, गुड़गांव	सामान्य प्रयोजन एवं निदान	डा. अशोक तनेजा
17.	नेरन्द्र मोहन अस्पताल मोहन नगर गाजियाबाद	नॉन इनवेसिव कार्डियक प्रोसिड्यूर कार्डियक सर्जरी एवं निदान सहित सामान्य विशेषीकृत प्रयोजन	डा. (कर्नल) उदयवीर सिंह
18.	संतोष मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज अस्पताल 1, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद	सामान्य प्रयोजन एवं निदान	डा. वेकटपाणिधरन
19.	यशोदा अस्पताल एंड रिसर्च सेन्टर 3 एम नेहरू नगर गाजियाबाद	सामान्य प्रयोजन एंड निदान और नान इनवेसिव कार्डियोलाजी इको, कलर डापलर टी एम टी, सी टी स्केन	श्री दारा सिंह
20.	मेट्रो अस्पताल एवं हर्ट इन्स्टीच्यूट X-I, सेक्टर-12, सी 94, सेक्टर-11 नोएडा	सामान्य एवं विशेषीकृत प्रयोजन-ह्रदयरोग ह्रदय शल्यक्रिया एवं नैदानिक प्रक्रिया	श्री के भारद्वाज
21.	कैलाश अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, एच-33 सेक्टर-27, नोएडा	सामान्य प्रयोजन एवं निदान नॉन इनवेसिव कार्डियक प्रोसीड्यूर	डा. महेश शर्मा

1	2	3	4
22.	नोएडा मेडिकल सेन्टर 16-सी ब्लाक -ई, सेक्टर-30, नोएडा	सामान्य/ विशेषीकृत प्रयोजन एवं निदान, नॉन इनवेसिव कार्डियक प्रोसीड्यूर	श्री आर.के गुप्ता
23.	सत्या मेडिकल सेन्टर ए.-98/ए, सेक्टर -34 नोएडा	केवल सामान्य प्रयोजन	डा. नरेन्द्र गुप्ता
24.	सर गंगाराम अस्पताल, सर गंगा राम अस्पताल मार्ग, नई दिल्ली-60	हृदय रोग, हृदय शल्य क्रिया एवं नैदानिक प्रक्रियाएं गुर्दा से संबंधित प्रक्रिया, गुर्दा प्रत्यारोपण, जठरांत से संबंधित प्रक्रिया, यकृत प्रत्यारोपण और आनुवांशिकीय प्रयोगशाला प्रक्रिया	डा. नालिनी कौल डा. एस के सामा
25.	सुंदर लाल जैन अस्पताल, अशोक विहार, फेज-III नई दिल्ली	सामान्य विशेषीकृत प्रयोजन (हृदय शल्यक्रिया को छोड़कर) और नैदानिक प्रक्रियाएं	डा. चंद्र प्रकाश
26.	सरोज अस्पताल मधुवन चौक, रोहिणी, दिल्ली-85	सामान्य प्रयोजन, नैदानिक, नांन इनवेसिव कार्डियक प्रोसिड्यूर	श्री पवन चावला
27.	द हर्ट सेंटर, 2. रिंग रोड, लाजपत नगर-IV नई दिल्ली -24	नॉन इनवेसिव कार्डियल प्रोसीड्यूर	डा. एम खलीलूल्ला
28.	यू.पी.स्टोन एंड यूरोलॉजी सेन्टर, नेहरू नगर, गाजियाबाद-201001	लिथोट्रिप्सी	डा. एस.के. गर्ग
29.	सेन्टर फार साइट, ए-23, ग्रीन पार्क, अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली-16	नेत्र रोग	डा. माहीपाल सचदेव
30.	धर्मशिला कैंसर अस्पताल एन्ड रिसर्च सेंटर, धर्मशिला मार्ग वसुंधरा इन्क्लेव, दिल्ली	कैंसर निदान रसायन उपचार, विकिरण श्यामक परिचर्चा, पुनर्वास और सामान्य निदान प्रयोजन	डा. एस. खन्ना
31.	बत्रा अस्पताल एंड मेडिकल रिसर्च सेन्टर, 1. तुगलकाबाद इन्स्टीच्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-62	कार्डियल प्रक्रियाएं जैसे कि सी ए जी, सी जी वी, पीटीसीए, ई पी स्टडी, कार्डियों वस्कूलर प्रक्रियाएं एम आर आई, सी टी, एमेजिंग, रसायन उपचार, और कैंसर विकिरण उपचार	डा. ए.एल. बत्रा

1	2	3	4
32.	इन्द्रप्रस्थ अपोलो होस्पीटल, सरिता विहार दिल्ली मथुरा रोड़, नई दिल्ली-44	सभी विकिरण जांच एवं न्यूक्लियर मेडिसिन्स लेप्रोस्कापिक सर्जरी, डायलाइसिस, न्यूरोलाजी , अंग प्रत्यारोपण (गुर्दा, यकृत) लियोट्रिप्स, जोड़ को बदलना विकिरण उपचार, हृदय रोग, हृदय शल्यक्रिया, कार्डियो सोरेसिस, वस्कूलर सर्जर	डा. योगी मल्होत्रा
33.	एस्कॉर्ट हर्ट इन्स्टीच्यूट एंड रिचर्स सेंटर, ओखला रोड, नई दिल्ली -25	कार्डियो वस्कूलर सर्जरी, इनवेसिव एंड नॉन इनवेसिव कार्डियोलॉजी एवं बाल हृदय रोग	श्री ए. के. मैनी
34.	नेशनल सीटी स्केन एंड डायोग्नोस्टिक सेन्टर 17, एन डब्ल्यू ए, क्लब रोड पंजाबी बाग नई दिल्ली	कनवेंशनल रेडियोलॉजी, सीटी एवं लैब	डा. एन. के शर्मा
35.	सरल एडवांसड डायोग्नोस्टिक (पी) लिमिटेड ई-1073 सरस्वती विहार, पीतमपुरा एवं 2, शक्ति विहार पीतमपुर दिल्ली	कनवेंशनल रेडियोलॉजी यूएसजी, सीटी, एमआरआई, लैब	डा. आर. गुप्ता निदेशक
36.	जनता एक्स-रे क्लिनिक 4 बी/5, तिलक नगर नई दिल्ली	कनवेंशनल रेडियोलॉजी, सीटी, एम आर आई मेमोग्रफी यू एस जी एवं कलर डॉपलर एवं लैब	डा. आर.ए. गुप्ता
37.	सीटी एक्स-रे एंड स्केन सेंटर 4बी/7, तिलक नगर, नई दिल्ली	-तदैव-	डा. (श्रीमती) एस. कपूर
38.	न्यू दिल्ली स्केन इंस्टीच्यूट (सर गंगा राम अस्पताल) राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	सीटी	डा. टी.बी.एस. बक्सी
39.	नार्थ एम आर स्केन रिसर्च इंस्टीच्यूट (सर गंगा राम अस्पताल) राजेन्द्र नगर नई दिल्ली	एम आर आई	
40.	महाजन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड बोन डिनसीटोमेट्री सेंटर (सर गंगा राम अस्पताल, राजेन्द्र नगर नई दिल्ली	न्यूक्लियर मेडिसिन एवं बोन डेनसिंटोमेट्री	डा. हर्ष महाजन

1	2	3	4
41.	सी.जी. डायोग्नोस्टिक (सुन्दर लाल जैन अस्पताल) अशोक विहार, फेज-IV दिल्ली		सीटी डा. दीपक गुप्ता
42.	मेट्रो हेल्थ केयर सेंटर (तीरथ राम शाह अस्पताल) तीस हजारी के पास, बैटरी लेन, नई दिल्ली	सीटी	श्री जसवंत सिंह
43.	सिद्धार्थ डायोग्नोस्टिक सेंटर, सिद्धार्थ केट स्केन स्पेशिलिटी, 2169, शादी खागपुर, मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली	यू एस जी, सीटी एवं लैब	डा. जी.आर. मलिक
44.	शालीमार डायोग्नोस्टिक सेंटर ए.जी.-130 ए, शालीमार बाग, दिल्ली	कनवेंशनल रेडियोलॉजी एवं लैब	डा. एस.के. सेठी
45.	डा. एस.एस. डोडा अल्ट्रासाउण्ड सेंटर, 23-बी पुसा रोड, नई दिल्ली	कनवेंशनल रेडियोलॉजी, यू एस जी एवं मेमोग्राफी	डा. एस.एस. डोडा
46.	जी.एम.आर. इंस्टीच्यूट आफ इमेजिंग एंड रिसर्च सेंटर, 35-बी, पूसा रोड नई दिल्ली	सीटी एवं एमआरआई	डा. हर्ष महाजन
47.	नार्थ दिल्ली पथ क्लिनिक कमला नगर, 56-ए, कमला नगर, दिल्ली	लैब	डा. राजेश शर्मा
48.	डा. लाल पथ लैब (पी) लि. एस्की होम, 54, हनुमान रोड नई दिल्ली	लैब	-
49.	दीवानचंद सत्यपाल अग्रवाल एमेजिंग रिसर्च सेंटर, 10-बी, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली	सभी विकिरण विज्ञानी जांच एवं न्यूक्लियर मेडिसिन	डा. एस.के. अग्रवाल
50.	मिलेनियम बोन डेनसिटोमेट्री एंड ओस्टियोपोरोसिस रिसर्च सेंटर 47, पूसा रोड, नई दिल्ली	बोन डेनसिटोमेट्री	डा. राकेश वोहरा
51.	स्पेशलिटी रेन बक्शी लिमिटेड द्वारा इंडियन सपाइनल इनजूरीज सेन्टर, सेक्टर-सी बसंत कुंज, नई दिल्ली फोन नं.-6898446	लैब	डा. शुमेधा सोरी

1	2	3	4
52.	मैक्स मेडिकल सेन्टर एन-110, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-17 फोन नं.-6218481, 6237200	कनवेंसिनल रेडियोलोजी, सीटी एम आर आई, मैसोग्राफी यूएएसजी ऐलो होल्टर पीएफटी आडियोमेट्री एंड स्पीच थेरेपी	मिस्टर राजिव बब्बर
53.	जी. एम. आर. इंस्टीच्यूट एंड एम आर आई स्केन सेंटर, ए-13, ग्रीन पार्क नई दिल्ली फोन नं. 6969111, 6969222	एम आर आई	डा. हर्ष महाजन
54.	ओरगन इमेजिंग रिसर्च सेन्टर ए-22, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली फोन नं. 6866134, 6968196, 6859117, 6859118	सी टी और एम आर आई	डा. प्रविण गुलाटी
55.	डा. पी. भासिन पैथ लैब एस-13 ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 नई दिल्ली फोन नं. 6416761, 6227247, 6448574	लैब	डा. पी. भासिन
56.	एन.एम.सी. इमेजिंग और डाइग्नोस्टिक सेन्टर (विम्पस कैम्पस) 1, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नेहरू नगर, नई दिल्ली	सीटी, एमआर आई कन्वेशनल रिडियोलॉजी यू एस जी एवं लैब	श्री आर.के. गुप्ता
57.	मजिदा अस्पताल जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर	नैदानिक प्रयोजन	डा. एस. हसन
58.	डा. सविता जैन अरूण इमेजिंग सेंटर, डी-29, विवेक विहार, दिल्ली	कनवेंशनल रेडियोलॉजी सीटी एवं एम आर आई	डा. सविता जैन
59.	दिल्ली एम आर और सीटी स्कैन सेंटर (अशलोक अस्पताल) 25ए/ए बी, एस जे एन्कलेव नई दिल्ली	एम आर आई सीटी एवं यू एस जी	डा. ए.के. शर्मा
60.	फरिदाबाद सीटी स्कैन सेंटर नीलम चौक, फरीदाबाद	सीटी	
61.	कोल,. पंत इमेजिंग सेंटर, ए-22 ग्रीन पार्क नई दिल्ली	यू एस जी मेमोग्राफी	डा. (कोल) सी एस पंत
62.	बसंत विजन एक्स-रे और यूएसजी क्लीनिक, टी-9/4, बसंत विहार नई दिल्ली	कनवेंशनल रेडियोलाजी एव यू एस जी	डा. राजेश कपूर

1	2	3	4
63.	डा. आनंद इमेजिंग और न्यूरोलोजिकल सेन्टर, एफ-24 प्रीत विहार दिल्ली	कनवेंशनल रेडियोलाजी सीटी एवं एम आर आई	डा. के.एल. आनंद
64.	मॉडॅन डाइयोगनोस्टिक और रिसर्च सेन्टर, 363/4, नई दिल्ली रेलवे रोड गुडगांव (जवाहर नगर)	कनवेंशनल रेडियोलाजी सीटी एवं लैब	डा. डी.एस. यादव
65.	नोएडा डाइयोग्नोस्टिक सेंटर, डी-4, सेक्टर नं. 20 नोएडा	कनवेंशनल रेडियोलाजी एवं लैब	डा. अजेय खुराना
66.	शीतल अस्पताल और आई इंस्टिच्यूट प्राइवेट लिमिटेड नजदीक डी.एस.डी. कॉलेज नई रेलवे रोड गुडगांव	सामान्य प्रयोजन	डा. अजय शर्मा
67.	ओमकल अस्पताल और एम.पी. हार्ट रिसर्च इंस्टीच्यूट ए-520 शुसांत लोक-I, गुडगांव	सामान्य प्रयोजन एवं नैदानिक प्रक्रिया	डा. गुप्ता/डा. कल्पना गुप्ता
68.	जी. एम. मोदी अस्पताल और रिसर्च सेंचर फोर मेडिकल साइंसेज, मंदिर मार्ग नजदीक प्रेम एन्कलेव, साकेत नई दिल्ली	-तदैव-	डा. बी.के. मोदी
69.	ऑरथोनोवा अस्पताल, सी-5/29 एस. डी. ए. मेन आई आई टी गेट के विपरीत, नई दिल्ली-16	आर्थोपेडिक आघात एवं गहन परिचर्या	श्रीमति सोनिया धीर, सलैश धीर
70.	एस्कोर्ट अस्पताल और रिसर्च सेन्टर लिमिटेड नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद	हृदय शल्य क्रिया को छोड़कर सामान्य विशेषीकृत एवं नैदानिक प्रयोजन	डा. एन. के. पांडे
71.	वेणु आई इंस्टीच्यूट और रिसर्च सेंटर, 1/31 शेख सराय इंस्टीच्युशनल एरिया, फेस-II नई दिल्ली	नेत्र रोग से संबंधित प्रयोजन	मिस्टर तनुजा जोशी
72.	जयपुर गोल्डन अस्पताल, 2, इंस्टीच्युशनल एरिया, रोहिणी नई दिल्ली	सामान्य/विशेषीकृत प्रयोजन (हृदय शल्य क्रिया छोड़कर सी ए बी जी, एंजियोग्राफी एवं कार्डियो थोरेसिस सर्जरी एवं निदान सहित) (सीटी को छोड़कर)	डा. वाई. पी. मुंजल
73.	महाराजा अग्रसेन अस्पताल, ब्लाक-डी, अशोक विहार फेस-I दिल्ली-52	फिजियोथेरापी, कनवेंशनल रेडियोलॉजी एवं लैब	डा. अर्जुन सिंघल

1	2	3	4
74.	ब्रहम शक्ति अस्पताल और रिसर्च सेंटर, यू-1/78 बुद्ध विहार, दिल्ली	सामान्य प्रयोजन उपचार	मिस्टर बी. आर. शर्मा
75.	मिलेनियम अस्पताल बी-1/1, पूसा रोड, नई दिल्ली	सामान्य और नैदानिक प्रयोजन	मिस्टर एस.के. सोगान्ती
76.	प्रेसिजन डेंटल केयर, सी-159, सरिता विहार, नई दिल्ली	डे केयर दंत उपचार कास्मेटिक डेंटल केयर को छोड़कर	डा. मोहित शर्मा
77.	आर.बी. सेठ, जेसा राम और ब्रदर्स चैरिटेबल अस्पताल, डब्ल्यू.इ.ए. करोलबाग नई दिल्ली	सामान्य प्रयोजन	डा. लोरानी कालरा
78.	आनंद अस्पताल, 21, काम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार दिल्ली	विकिरण उपचार और हेमोडायलइसिव	डा. सुभाष आनंद
79.	जीवन नर्सिंग होम और अस्पताल 2-बी पूसा रोड नई दिल्ली	स्त्री रोग एवं प्रसूति और सामान्य शल्य क्रिया	डा. वी. समरवाल
80.	प्रकाश अस्पताल डी-12, 21ए, 12बी, सेक्टर-33, नोएडा	सामान्य प्रयोजन	डा. वी.एस. चौहा
81.	कोहली इमेजिंग और डाइयोगनोस्टिक सेन्टर, 70, माउण्ट कैलाश, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली	अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डापलर	डा. पवन डी. सिंह
82.	सांधी मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, एस-51 ग्रेटर कैलाश-I नई दिल्ली	प्रयोगशाला जांच	डा. एम.एल. सांधी
83.	नामा स्कैन सेंटर 38, पाकेट-सी-9, सेक्टर-8 रोहिणी, दिल्ली	प्रयोगशाला, एक्स-रे, यूएसजी कलर डापलर एम आर आई छोड़कर सीटी	श्री संजीव कुमार
84.	गणेश डाइयोगनोस्टिक और इमेजिंग सेंटर, 109 पाकेट-ए-1 सेक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली	एक्स-रे यू एस जी सी टी, एम आर आई	डा. रवीन शर्मा
85.	डा. सुरी लैब प्राइवेट लिमिटेड 23-बी पूसा रोड, नई दिल्ली	प्रयोगशाला जांच	डा. जे.एस. सुरी
86.	डा. हांडा इमेजिंग सेंटर, 34-बी पूसा रोड, नई दिल्ली	एक्स-रे ओ पी जी, यू एस जी, कलर डापलर, मेमोग्राफी	डा. बी. डी. हांडा

1	2	3	4
87.	सचदेवा डाइयोगनोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, ई-991, सरस्वती विहार, दिल्ली	विभेष जांच सहित एक्स-रे यू एस जी, कलर डायलर, बोन डेनसिटोमेट्री	डा. आर. सचदेवा
88.	डा. चोपड़ा बोन डेनसिटोमेट्री सेन्टर और लैब, 2 रजौदी पैलेस जे, 1/162 रजौरी गार्डेन, नई दिल्ली	बोन डेनसिटोमेट्री	डा. चेतन चोपड़ा
89.	फोकस इमेजिंग और रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड 47/1-2, मेन युसूफ सराय मार्केट अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली	एम आर आई	श्री विनोद शर्मा
90.	डा. एम. एल. अग्रवाल एक्स-रे क्लीनिक ए/1/150, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली	एक्स-रे एवं यूएसजी	डा. रवि अग्रवाल
91.	साउथ दिल्ली अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे क्लीनिक, ए-44 हौज खास, नई दिल्ली	एक्स-रे ओ पी जी, यू एस जी	डा. राजेश गोधी
92.	दी क्लीनिकल लैबोट्री ई-13/9 वसंत विहार नई दिल्ली	प्रयोगशाला जांच	डा. ए.के. शर्मा
93.	गामी डाइयोगनोस्टिक सेंटर, 3, गुजरात विहार, विकास मार्ग, दिल्ली	प्रयोगशाला जांच	डा. उपेन्द्र गामी
94.	उमा संजीवनी हेल्थ सेंटर 1, डकक्षीन मार्ग डीएलएफ सीटी-फेस-II गुडगांव	नैदानिक प्रयोजन (प्रयोगशाला)	डा. ए. के. सिंह
95.	मैक्स मेडिसेन्टर-नर्सिंग होम और डाइयोगनोस्टिक ए-2, 3 और 4, नेताजी सुभाष पैलेस वजीरपुर डिस्ट्रिक सेन्टर दिल्ली-32	नैदानिक प्रयोजन	श्री बी. के. सपरा
96.	आर.जी.स्टोन युरोलोजिकल रिसर्च इन्स्टीच्यूट, एफ-12 ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली	इंडो-यूरोलॉजी सर्जरी होलमियम सर्जरी एवं लेप्रोस्कासिक सर्जरी	
97.	मैक्स हेल्थ केयर, एन-110 पंचशील पार्क नई दिल्ली	प्रयोगशाला जांच	
98.	जनता एक्स-रे क्लीनिक 4-बी/एस, तिलक नगर नई दिल्ली	बोन डेनसिटोमेट्री	

1	2	3	4
99.	डा. सविता जैन अरूण इमेजिंग सेन्टर, डी-29, विवेक विहार दिल्ली	कलर डापलर एवं इको	
100.	डा. एस.एस. डोडा अल्ट्रसाउण्ड सेन्टर 23-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	सीटी एवं कलर डापलर	
101.	नेशनल सीटी स्केन और डाइयगनोस्टिक सेन्टर, 17, एन.डब्ल्यू, ए पंजाबी बाग क्लब रोड, नई दिल्ली	कलर डापलर एवं इको	

विवरण II

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत मान्यता-प्राप्त निजी प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालों की सूची

1. कृष्ण दत्त स्वास्थ्य केन्द्र, ईस्ट आफ कैलाश नई दिल्ली।
2. बापू प्राकृतिक परिचर्या अस्पताल एवं योगाश्रम, पटपड़गंज, दिल्ली

[हिन्दी]

पुरूलिया क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शन

2951. **श्री बीर सिंह महतो:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पुरूलिया क्षेत्र के अंतर्गत कई प्रखंडों में टेलीफोन सुविधा प्रदान नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में अब तक टेलीफोन से न जुड़े गांवों की संख्या कितनी हैं और इसके क्या कारण हैं एवं इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में किसी अधिकारी द्वारा लापरवाही बरतने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र के सभी विकास खंडों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(ख) इस क्षेत्र में सभी गांवों को पहले से ही टेलीफोन सुविधा दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

पोत का लापता होना

2952. **श्री बालकृष्ण चौहान:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांच वर्ष पहले मस्कट रवाना हुआ पोत लापता हो गया था जैसाकि 5 जुलाई, 2003 को 'अमर उजाला' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लापता पोत का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) सरकार के पास ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-बांग्लादेश वार्ता

2953. **श्री रामदास रूपला गावीत:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंग्लादेश और भारत के बीच हाल ही में सचिव स्तर की वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) भारत और बंग्लादेश के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता 29 अप्रैल, 2003 को ढाका में संपन्न हुई थी। अभी हाल ही में, 14-16 जुलाई तक ढाका में संपन्न छठी संयुक्त आर्थिक आयोग से पूर्व अधिकारियों की स्थायी समिति की बैठक के दौरान विदेश सचिव ने सचिव आर्थिक संसाधन प्रभाग बंग्लादेश सरकार के साथ चर्चा की थी।

(ख) और (ग) अप्रैल में वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मसलों की संपूर्णता को शामिल करते हुए सामान्य हित के सभी मसलों पर व्यापक रूप से चर्चा की। यह सहमति हुई थी कि संयुक्त सीमा कार्य समूह को बहाल किया जाएगा और सीमा सीमांकन और उससे संबंधित मसलों के शीघ्र समाधान की दिशा में कार्य करने के लिए शीघ्र बैठक होगी। लोगों के सीमा-पार अवैध गमनागमन को रोकने के लिए मौजूदा सहमत क्रिया-विधियों को मजबूत करने तथा पूर्णरूप से क्रियान्वित करने के लिए भी सहमति हुई थी। बंगलादेशी पक्ष ने अपनी वचनबद्धता भी दोहराई कि वह अपने प्रदेश का भारत के हितों के प्रतिकूल किन्हीं शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं देगा। रेल और सड़क संयोजन तथा एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार सहित अनेक आर्थिक मसलों पर भी चर्चा हुई थी। सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर में परियोजनाओं के लिए तथा संयुक्त तूफान प्रवाह आपदा कम करने के लिए भारतीय सहायता का भी प्रस्ताव किया था।

स्थायी समिति बैठक के दौरान आर्थिक और वाणिज्यिक रुचि के सभी मसलों पर छठी संयुक्त आर्थिक आयोग बैठक के लिए तैयारी बैठक में चर्चा हुई थी। चर्चा में एक संभावित सड़क और रेल संयोजकता में द्विपक्षीय सहयोग तटकर सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि नागर विमानन तथा व्यापार से संबंधित मसले शामिल थे।

कैंसर उपचार हेतु बांस

2954. **श्री रामदास रूपला गावीत:**
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैंसर के उपचार के लिए बांस बहुत उपयोगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुसंधान कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) किए गए कुछ अध्ययनों से बांस के ट्यूमर रोधी प्रभाव की संभावना का पता चला है, तथापि, इस संबंध में अभी तक कोई नैदानिक अध्ययन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

केरल में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

2955. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल सर्किल में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में एस.एस.ए. वार कितने आवेदक हैं;

(ख) क्या सरकार ने प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) केरल सर्किल में टेलीफोन कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कुल आवेदकों की संख्या 469661 है। गौण स्विचन क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

गौण स्विचन क्षेत्र	31.7.2003 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदक
1	2
अल्लेप्पी	31165
कालीकट	61611
कैन्नानोर	87810
अर्नाकुलम	46133
कोट्टायम	22141

1	2
मालाप्पुरम	83926
पालघाट	35249
पथनामथिट्टा	3633
क्वीलॉन	49576
त्रिचुर	27486
त्रिवेन्द्रम	20931
जोड़	499661

(ख) और (ग) बीएसएनएल ने केरल दूरसंचार सर्किल में प्रतीक्षा सूची निपटाने के लिए वर्ष 2003-04 के दौरान एक अनंतिम सीधी एक्सचेंज लाइन (डीईएल) की योजना बनाई है जिसमें 8.0 लाख लाइनों की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2003-04 के दौरान, 31.7.2003 तक कुल 1211646 नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं। टेलीफोन कनैक्शन सर्किल के सभी एसएसए मुख्यालयों में मांग पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

गाजियाबाद के मुख्य डाकघर में कम्प्यूटर

2956. **श्री श्रीनिवास पाटील:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गाजियाबाद के मुख्य डाकघर को कितने कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) कितने कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जा रहा है और कितने कम्प्यूटर अप्रयुक्त हैं तथा उनके भंडार कक्ष में पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मुख्य डाकघर के अधिकारियों को कम्प्यूटर प्रचालन की जानकारी नहीं है; और

(घ) यदि नहीं, तो सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण कब तक दिलाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुक्करसर): (क) गाजियाबाद प्रधान डाकघर में 24 कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं।

(ख) उपलब्ध कराए गए सभी कम्प्यूटरों का उपयोग किया जा रहा है और उनमें से कोई भी कंप्यूटर भंडार कक्ष में नहीं हैं।

(ग) गाजियाबाद प्रधान डाकघर में 61 कर्मचारियों में से 41 कर्मचारियों को कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त है।

(घ) शेष कर्मचारियों को इस वर्ष के अंत तक प्रशिक्षित कर दिया जाएगा।

स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना

2957. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के किन भागों का वित्त पोषण किया गया;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किन भागों का वित्त पोषण किया गया और इस प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थानों द्वारा कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थानों द्वारा वित्त पोषित भागों संबंधी निर्धारित लक्ष्य का पुनरीक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थानों की क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाइक): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे एवं वित्तपोषित निम्नलिखित खंड को छोड़कर स्वर्णिम चतुर्भुज के सभी खंडों का वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है:-

क्र.सं.	खंड	लंबाई (कि.मी.)	वित्तीय संस्था
1.	उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड रा.रा. 2 के लिए तीसरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	478	विश्व बैंक
2.	उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में रा.रा. 2 के लिए ग्रांड ट्रंक सुधार परियोजना	420	विश्व बैंक
3.	गुजरात महाराष्ट्र में रा. रा. 8 के लिए सूरत मनोर टालवे परियोजना	175	एशियाई विकास बैंक
4.	कर्नाटक में रा.रा. 4 के लिए पश्चिमी परिवहन महामार्ग परियोजना	270	एशियाई विकास बैंक

उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कुल धनराशि 1525 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर विश्व बैंक वित्तपोषित 6 ठेकों के लिए कुछ महीने की अवधि बढ़ा दी गई है और रा.रा. 8 पर एशियाई विकास बैंक वित्तपोषित दो ठेकों के लिए अवधि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

आशा की जाती है कि स्वर्णिम चतुर्भुज के सभी विदेशी वित्तपोषित खंडों को संबंधित बाहरी ऋण की समाप्ति की तारीख के अंदर पूरा कर दिया लिया जाएगा।

शैक्षिक संस्थानों के लिए अनुदान

2958. **श्री प्रकाश वी. पाटील:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिड़ला अम्बानी समिति ने शैक्षिक संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदान में कमी करने और शिक्षा प्रणाली के निजीकरण की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में विद्यालय बंद हो जाने की आशंका है;

(ग) क्या सरकार विद्यालयों के वेतन अनुदान में 20 प्रतिशत की दर से कटौती करने का आदेश जारी करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) शिक्षा स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास में निजी निवेश के लिए नीति संबंधी कार्य ढांचे पर दिसंबर, 1999 में गठित विशेष विषय दल ने अप्रैल, 2000 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि 'उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा के निजीकरण के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों से सरकारी निधियन में राहत मिलेगी जिसका प्राथमिक शिक्षा के लिए और साक्षरता के संवर्धन के लिए उपयोग किया जा सकता है। उच्चतर शिक्षा के लिए दी जाने वाली सहायता को अधिक शुल्क संरचना में परिवर्तन लाकर धीरे-धीरे वापस ले लेना चाहिए।'

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद

2959. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (फैक्टर कोस्ट के आधार पर) का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित स्थिर मूल्यों (1993-94) पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (कारक लागत पर) क्रमशः10306 रु. 10754 रु. तथा 11010 रु.।

[हिन्दी]

जनजातीय जिलों में मोबाइल सेवाएं

2960. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत संचार निगम लि. जनजातीय जिलों में सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं शुरू करने के लिए क्या नीति अपना रहा है;

(ख) तहसीलों सहित उन जिलों के नाम क्या हैं, जहां सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ग) चालू वित्त वर्ष में जनजातिय जिलों में सेल्यूलर सेवा शुरू करने के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया है;

(घ) क्या जिन जनजातीय जिलों और संबंधी तहसीलों में यह सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां इसे 31 दिसंबर 2003 तक उपलब्ध कराने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ङ) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) के लाइसेंस की शर्तों के अनुसार दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र के लिए प्रचालक को एक वर्ष के भीतर सेवा में 10% जिला मुख्यालयों को तथा 3 वर्षों के भीतर 50% जिला मुख्यालयों को सुविधायुक्त बनाना होता है। लाइसेंसधारक को जिला मुख्यालयों के बदले किसी अन्य नगर को सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति भी होती है। सुविधायुक्त बनाए जाने वाले जिला मुख्यालयों/नगरों का चयन तथा 50% जिला मुख्यालयों/नगरों से अधिक क्षेत्र को सुविधायुक्त बनाना लाइसेंसधारकों के व्यावसायिक निर्णयों पर निर्भर करता है। सीएमटीएस लाइसेंस करार के तहत 100% सेवाक्षेत्र को कवर करना अनिवार्य नहीं है।

तथापि भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) ने देश में सभी जिला मुख्यालयों को कवर करने का नीति अपनाई है तथा आज की तारीख तक असम, पूर्वोत्तर तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों के अलावा 481 जिलों में सेल्यूलर सेवा प्रदान की है सुविधायुक्त जिलों की संख्या तथा जिन जिलों को सुविधा उपलब्ध कराई जानी है, उनके नामों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। देशभर में मोबाइल नेटवर्क के रॉल आउट के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपये की परिकल्पना थी, जिसमें जिलों की कवरेज भी शामिल है। शेष जिला मुख्यालयों को चालू वित्त वर्ष के दौरान सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है।

विवरण

	लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र	सुविधायुक्त जिला मुख्यालयों की संख्या	सुविधारहित जिला मुख्यालयों के नाम
1.	अंडमान व निकोबार	1	-
2.	आंध्र प्रदेश	24	-
3.	असम	0	-
4.	बिहार	37	बक्सर
	झारखंड	22	-
5.	गुजरात	28	-
6.	हरियाणा	19	-
7.	हिमाचल प्रदेश	10	किलौंग चंबा
*8.	जम्मू व कश्मीर	0	-
9.	कर्नाटक	27	-
10.	केरल	16	-
11.	मध्य प्रदेश	39	भिण्ड सायसेन, साहजापुर, सिधी, शिवपुरकलान, डिन्डोरी
	छत्तीसगढ़	8	दंतवाला, जाजगीर, कावध, कंकेर, कोरीया, महासमुंद धामतरी, जसपुर
12.	महाराष्ट्र	34	-
*13.	पूर्वोत्तर	0	
14.	उड़ीसा	28	देवगढ़, गजपति
15.	पंजाब	19	
16.	राजस्थान	32	
17.	तमिलनाडु	31	
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	23	
	उत्तरांचल	13	
19.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	47	
20.	पश्चिम बंगाल	17	
21.	चेन्नई टीडी	1	
22.	कोलकाता टीडी	5	
	कुल	481	

*नोट: जम्मू कश्मीर, असम तथा पूर्वोत्तर लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में सेवा अभी शुरू की जानी है।

[अनुवाद]

सी.ई.टी.ई. द्वारा संचालित कार्यशाला

2961. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंटर फार इलेक्ट्रानिक टेस्ट इंजीनियरिंग (सी.ई.टी.ई.) ने ''मापन में अनिशिचितता'' विषय पर कई कार्यशालाएं आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सी.ई.टी.ई. ने इन कार्यशालाओं का हाल ही में कहां-कहां आयोजन किया है;

(ग) क्या सी.ई.टी.ई. द्वारा आयोजित की जाने वाली ऐसी कार्यशालाओं और संगोष्ठियों की आगे कोई मांग हैं; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) इलेक्ट्रानिक परीक्षण इंजीनियरी केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) के सहयोग से परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए परिमापन में अनिश्चितता विषय पर केवल एक कार्यशाला का आयोग किया गया है।

(ख) इस कार्यशाला का आयोजन बंगलौर में 1 से 3 अगस्त, 2002 के दौरान किया गया।

(ग) कार्यशाला में विभिन्न प्रयोगशालाओं के 87 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया हैं प्रतिभागियों ने यह इच्छा व्यक्त की कि इस प्रकार की प्रयोगशालाएं देश के भागों भी आयोजित की जानी चाहिए।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सेल्यूलर फोन कॉलों की पल्स दर

2962. **श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में कार्यरत निजी सेल्यूलर कंपनियों की सेल्युरल फोन कॉलों की पल्स रेट को मापने के लिए कोई नियम/मानदंड विहित किए हैं अथवा कोई प्रणाली विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने अभी तक किन-किन कंपनियों की पल्स दर की जांच की है अथवा जांच करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार को किन्हीं सेल्यूलर उपभोक्ताओं से पल्स दर में छेड़छाड़ करके सेल्यूलर फोन के मासिक बिल में अधिक राशि का भुगतान करने के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे निजी सेल्यूलर फोन कंपनियां कौन सी हैं; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा पटल पर रख दी जाएगी

[अनुवाद]

भारतीय दंत परिषद

2963. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दंत परिषद को देश के विभिन्न दंत महाविद्यालयों में विद्यमान सीटों को बढ़ाने के संबंध में उनसे आवेदन पत्र मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदनों का राज्यवार और महाविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) लम्बित आवेदनों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे भी कुछ महाविद्यालय है जिन्हें अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने के बावजूद भी विद्यमान सीटों में बढ़ोत्तरी की अनुमति नहीं दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे महाविद्यालय कौन-से हैं;

(च) इनमें से प्रत्येक महाविद्यालय को अपनी विद्यमान सीटों की समीक्षा करने की अनुमति न देने का क्या कारण हैं; और

(छ) आवश्यक मंजूरी देने की कब तक संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (छ) भारतीय दंत परिषद

(डी.सी.आई.) ने सूचित किया है कि उसे संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार पिछले दो वर्षों में 13 महाविद्यालयों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए है।

इनमें से इस परिषद ने सरकार को सीटों की वृद्धि के वास्ते 10 दंत महाविद्यालयों के मामलों को संस्तुत किया है। सरकार ने महाविद्यालयों में सीटों की वृद्धि को अनुमति प्रदान दी है शेष चार संस्तुतियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

भारतीय दंत परिषद के पास 3 मामले विचाराधीन हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1) संतोष दंत महाविद्यालय, गाजियाबाद: आवेदन विचाराधीन है क्योंकि इस महाविद्यालय के प्राधिकारियों ने कहा है कि उनके महाविद्यालय का निरीक्षण 24 व 25 सितंबर, 2003 को किया जाए।

(2) अल अमीन दंत महाविद्यालय, बीजापुर: इस महाविद्यालय का निरीक्षण 4-5 अगस्त, 2003 को किया जा चुका है। निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(3) गौतम दंत महाविद्यालय, विशाखापट्टनम: इस महाविद्यालय के प्राधिकारियों ने अभी तक निरीक्षण की तारीख सूचित नहीं की है।

विवरण

वर्ष 2002 के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्र

क्र.सं.	राज्य	दंत चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	सीटों की वृद्धि
1.	आंध्र प्रदेश	साईबर इन्स्टीच्यूट आफ डेंटल साइंसेज, गुंटुर	40 से 100
2.	आंध्र प्रदेश	श्री सांई कालेज आफ डेटल सर्जरी, विकाराबाद	40 से 100
3.	आंध्र प्रदेश	सीवीएस तेजा इन्स्टीट्यूट आफ डेन्टल साइंसेज, तिरूपति	60 से 100
4.	कर्नाटक	एम.एम. रमैया डेंटल कालेज बंगलौर	40 से 60
5.	कर्नाटक	कृष्णदेवराया कालेज आफ डेन्टल साईसेज बंगलौर	40 से 60
6.	राजस्थान	पैसिफिक कालेज एंड, उदयपुर	60 से 100
7.	उत्तर प्रदेश	संतोष डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, गाजियाबाद	40 से 100

वर्ष 2003 के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्र

क्र.सं.	राज्य	दंत चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	सीटों की वृद्धि
1.	आंध्र प्रदेश	गौतम डेंटल कालेज, विशाखापट्टनम	40 से 100
2.	हिमाचल प्रदेश	एच. पी. डेन्टल कालेज एंड हास्पिटल, शिमला	20 से 60
3.	कर्नाटक	मारूति कालेज आफ डेन्टल साईसेज, बंगलौर	40 से 60
4.	कर्नाटक	अल-अमीन डेन्टल कालेज एंड हास्पिटल, बीजापुर	40 से 60
5.	महाराष्ट्र	सीएसएमएसएस डेन्टल कालेज, औरंगाबाद	50 से 100
6.	महाराष्ट्र	वीएसपीएम डेन्टल कालेज एंड रिसर्च सेंटर, नागपुर	60 से 100

सेल्यूलर कंपनियों की दरें

2964. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी सेल्यूलर कंपनियां विभिन्न दरों को प्रभावित करके उपभोक्ता को धोखा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो रिलायंस और ऐसी अन्य कंपनियों का ब्यौरा क्या हैं जिन्होंनें 501 की दर पर हैंड सेट देकर सस्ती सेवा देने की पेशकश की है बाद में बहुत अधिक प्रभार वसूला है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए है कि योजना की शुरूआत के समय घोषित दरें ही उपभोक्ता से वसूली जाएं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भेषजज्ञों को प्रशिक्षण

2965. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.जी.एच.एस. भेषजज्ञों को नए उत्पादों और औषधियों के निर्माण की जानकारी देने के प्रयोजन समय-समय पर किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिलाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबंध में कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

बी.एस.एन.एल. का नागरिक अधिकार-पत्र

2966. **श्री संतोष मोहन देव:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लि. ने कोई नागरिक अधिकार-पत्र तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकार-पत्र में ऐसी कोई समय-सीमा तय की गई है जिसके दौरान एक उपभोक्ता यह आशा कर सके कि टेलीफोन कनेक्शन के स्थानान्तरण का उनका अनुरोध स्वीकार किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इस आधारभूत मांग की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं;

(घ) बी.एस.एन.एल. के फरीदाबाद सर्किल में टेलीफोन कनेक्शनों के स्थानांतरण के कितने अनुरोध लम्बित हैं;

(ङ) ये अनुरोध कब से लंबित है और इनकों कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि विहित अवधि में स्थानांतरण नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता को क्या उपचार उपलब्ध है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) (1) स्थानीय शिफ्टिंग 7 दिनों के भीतर।

(2) अंत: एक्सचेंज शिफ्टिंग 15 दिनों के भीतर।

(3) अंतर्राज्यीय शिफ्टिंग 30 दिनों के भीतर।

(घ) फरीदाबाद गौण स्विचन क्षेत्र में शिफ्टिंग के 207 अनुरोध लंबित हैं।

(ङ) सबसे पुराना मामला सेक्टर-3 एक्सचेंज क्षेत्र का है जो 24.2.2003 को दर्ज किया गया था। यहां अभी नया एक्सचेंज लगाया जा रहा हैं अत: यह फिलहाल लंबित हैं। फिर भी, शिफ्टिग संबंधी सभी मामले दिनांक 30.9.2003 तक निपटा दिए जाएंगे।

(च) (1) मामलों के निपटान से पूर्व की मध्यवर्ती अवधि के लिए कोई किराया वसूल नहीं किया जाता है।

(2) उपभोक्ता द्वारा इच्छा जाहिर करने पर क्षेत्र विशेष के व्यवहार्य होने तक टेलीफोन पुराने पते पर ही जारी रखा जा सकता है।

केरल में अलेप्पी बाइपास

2967. **श्री वी.एम. सुधीरन:** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में अलेप्पी बाइपास के निर्माण के लिए कोई समय-सीमा नियत की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके विनिर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) दो चरणों में

अलेप्पी बाइपास के निर्माण की योजना बनाई गई है। चरण-I जिसकी लंबाई 3.73 कि.मी. है. पूरा कर लिया गया है। चरण- II जिसकी लम्बाई 3.85 कि.मी. है, दो सड़क उपरि पुलों को छोड़कर अभी हाल में स्वीकृत किया गया है। यह कार्य मार्च, 2005 तक पूरा किया जाना है। दो सड़क उपरि पुलों के लिए प्रस्ताव अभी राज्य लोक निर्माण विभाग से प्राप्त नहीं हुए हैं।

ई.जी.टी.एस. के अंतर्गत आबंटित धनराशि

2968. श्री टी.एच चाओबा सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में ई.जी.टी.एस. (रोजगार सृजन प्रशिक्षण योजना) के तहत कोई धनराशि जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों को ई.जी.टी.एस. योजना के अंतर्गत पिछली तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) मणिपुर के किन सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों को ई.जी.टी.एस. योजना के अंतर्गत धनराशि जारी की गई है और इनमें से प्रत्येक संस्थानों को पिछले तीन वर्षों में कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी, हां।

(ख)

(लाख रुपए में)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03
असम	-	14.50	3.00
अरूणाचल प्रदेश	-	-	3.00
मणिपुर	11.00	19.06	24.96
मेघालय	-	2.0	5.08
मिजोरम	11.00	-	28.60
नागालैंड	11.00	2.0	11.00
त्रिपुरा	-	2.0	-

(ग) (लाख रुपए में)

संस्थान का नाम	सरकारी/गैर-सरकारी	तीन वर्षों में जारी धनराशि
(i) नुपी खुनै इम्फाल	गैर-सरकारी	12
(ii) महिला आय, थौबल	गैर-सरकारी	12
(iii) आरसी-वैड चंदेल	गैर-सरकारी	11
(iv) दक्षिण पूर्व ग्रामीण विकास संगठन, इम्फाल	गैर-सरकारी	11
(v) मणिपुर विश्वविद्यालय	सरकारी	02
(vi) सीईडीटीआई, इम्फाल	सरकारी	06.12

[हिन्दी]

नकली दवाएं

2969. श्री रामशेठ ठाकुरः
श्री ए. वेंकटेश नायकः
श्री अशोक ना. मोहोलः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को नकली दवाओं पर प्रभावी रूप से रोक लगाने का निदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक कानून बनाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) कामन काज (पंजीकृत सोसाइटी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (सी.डब्ल्यू.पी सं. 8105/2002) दायर की जिसमें उसने राजधानी में नकली औषधों का व्यापार बन्द करने के लिए न्यायलय को हस्तक्षेप करने और प्रतिवादियों (दिल्ली सरकार और भारत सरकार) से आम जनता के हित में नकली औषधों के उत्पादन वितरण, बिक्री और उनके रखने में पाबन्दी लगाने के वास्ते उपाय करने के लिए अनुरोध किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों की 3.2.2003 और 1.4.2003 को सुनवाई की और अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें न्यायालय ने भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अगस्त, 2003 के अंत तक डा. आर.ए. माशेलकर, महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित की गई विशेषज्ञ समिति जो नकली औषधों की समस्या का कारगर ढंग से समाधान करने के मामले सहित औषध नियंत्रण प्रशासन से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच-पड़ताल कर रही है की रिपोर्ट की एक प्रति न्यायालय के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। उस समिति की रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात आगे कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए वित्तीय सहायता

2970. श्री ए. वेंकटेश नायकः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण के लिए वित्तीय सहायता की मांग का कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है; और

(ग) कर्नाटक सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव के लिए आबंटन के ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	धनराशि (करोड़ रु.)
2000-01	30.98
2001-02	39.02
2002-03	46.44
2003-04 (अब तक)	15.95

गुजरात में पासपोर्ट कार्यालय बनाना

2971. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजकोट गुजरात में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो पासपोर्ट कार्यालय कब तक खोले जाने की संभावना है;

(ग) अहमदाबाद और सूरत से पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं और पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का गुजरात में किन स्थानों पर पासपोर्ट कार्यालय अथवा सम्पर्क कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है और गुजरात में इस समय कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गुजरात में पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना

वर्तमान में राजकोट में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की कोई योजना नहीं हैं। विदेश मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार किसी क्षेत्र को पासपोर्ट खोलने औचित्य के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 50,000 पासपोर्ट आवेदन-पत्र प्राप्त करने होते हैं। राजकोट के मामले में यह आवश्यकता पूरी नहीं होती क्योंकि राजकोट और इससे लगे हुए जिलों में प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले पासपोर्ट आवेदन पत्रों की संख्या मात्र लगभग 18000 है।

इस समय गुजरात राज्य में केवल अहमदाबाद में पासपोर्ट कार्यालय है। इसके अतिरिक्त राजकोट और सूरत प्रत्येक में एक-एक पासपोर्ट संग्रहण केन्द्र है। सूरत के पासपोर्ट संग्रहण केन्द्र का पासपोर्ट कार्यालय के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गुजरात राज्य में सभी जिला मुख्यालयों में जिला पासपोर्ट कक्ष खोले गए हैं जहां पासपोर्ट आवेदन पत्र जमा कराए जा सकते हैं। वर्ष 2003 में पिछले तीन वर्षों के दौरान और अहमदाबाद पासपोर्ट कार्यालय द्वारा 31.7.2003 तक जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या इस प्रकार है:

(i)	वर्ष 2000	1,45,210
	वर्ष 2001	1,88,904
	वर्ष 2002	2,00,067
	वर्ष 2003	1,15,604 (31.07.2003 तक)

(ii) पिछले 3 वर्षों के दौरान अस्वीकृत किए जाने वाले आवेदन पत्रों की संख्या 18416

(iii) वर्तमान में लंबित पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या लगभग 53,000 है। लंबित पड़े रहने के कारण हैं पासपोर्ट आवेदन-पत्रों की संख्या में वृद्धि और गुजरात में गड़बड़ी के कारण स्टाफ में कमी और मानव दिवस हानि।

[अनुवाद]

जनजातियों को स्वास्थ्य सेवाएं

2972. श्री लक्ष्मण गिलुवा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के जनजातीय समुदायों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विद्यमान स्वास्थ्य नीति के अतिरिक्त तैयार अन्य कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जनजातीय समुदायों में शिशु मृत्यु दर और प्रसव के दौरान मृत्यु के अतिरिक्त मलेरिया तथा पीलिया से होने वाली मृत्यु की घटनाओं को रोकने के लिए विशिष्ट योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो उन्हें उपलब्ध कराई जा रही आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) जनजातीय समुदायों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) दूर-दराज, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे सभी वर्गों के लोगों के वास्ते जीवन के न्यूनतम बुनियादी मानकों को सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपचारी तथा पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने हेतु देश-भर में विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 में इस बात पर जोर दिया गया हैं कि बृहद नीति आदेशों (मेकरो पॉलिसी प्रेस्क्रिपशंस) को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को आदिवासियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के अनुकूल पृथक स्कीमों को बनाने की रियायत होगी।

विश्व बैंक की सहायता से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात. झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के मलेरिया बाहुल्य वाले 100 आदिवासी जिलों में एक वृहद मलेरिया नियंत्रण परियोजना चल रही है।

देश में 1997 से विषाणुज यकृतशोध (पीलिया) सहित संचारी रोगों के प्रकोपों का शुरू में ही पता लगाने के कार्य को बढ़ावा देने के वास्ते निगरानी कार्यकलापों को विकसित और सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम को चरणवार ढंग से कार्यान्वित किया गया है। इस समय यह कार्यक्रम 101 जिलों में चल रहा हैं जिनमें आदिवासी जनसंख्या भी शामिल है।

परिवार कल्याण विभाग ने पहले शिशु मृत्यु दर और प्रसवों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या कम करने के लिए विभिन्न उपाय करने शुरू कर दिए हैं। सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों में 1997 में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया, अभी हाल ही में की गई एक पहल हैं। की गई प्रमुख पहलों में बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं अनिवार्य प्रसूति परिचर्या आपाती प्रसूति परिचर्या, चौबीसों घंटे प्रसव सेवाओं, गर्भ के चिकित्सीय समापन सुविधाओं की उपलब्धता, दाई प्रशिक्षिण और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविर, वैक्सीन से रोके जा सकने वाले छह रोगों के विरुद्ध रोग प्रतिरक्षण तीव्र श्वसनीय संक्रमणों के उपयुक्त उपचार के वास्ते सुविधाएं अतिसारीय रोगों के उपचार के लिए मुखीय पुनः जलपूरण

चिकित्सा (ओ.आर.टी) और अनिवार्य नवजात परिचर्या सेवाएं शामिल हैं। बच्चों की पोषणिक स्थिति में सुधार करने के वास्ते केवल स्तन-पान और उपयुक्त पूरक आहार पद्धतियों का बढ़ावा देना तथा विटामिन-ए और लौह की कमी के विरूद्ध रोग निरोधक भी प्रदान किए जाते हैं इसमें बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व के सभी संघटक शामिल हैं।

भारतीय पोत परिवहन निगम द्वारा धनराशि का अनधिकृत अन्तरण

2973. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 33 क ग 3(ग) के उपबंध का उल्लंघन करके विशेष भंडार (प्रयुक्त) खाते से सामान्य भंडार में 270.00 करोड़ रुपए के अनधिकृत अंतरण पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस अंतरण पर आपत्ति की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) और (ख) एस.सी.आई.ने 2001-02 के दौरान 274 करोड़ रु. की राशि विशेष रिजर्व उपयोग खाते से सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित की, क्योंकि 1998-99 और 1999-2000 में सृजित रिजर्व की राशि पोतों के अधिग्रहण के लिए उपयोग कर ली गई थी। अर्जित पोतों को बेचा नहीं गया है और इस प्रकार रिजर्व का सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण किया जा सकता है।

आयकर अधिनियम की धारा 33 ए.सी. (3) (ग) में लाभ और हानि खाता सामान्य रिजर्व में आयोग की गई राशियों के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट रोक या प्रावधान नहीं है। यह धारा केवल वह तरीका बताती हैं जिसमें रिजर्व का उपयोग होना चाहिए। जैसाकि ऊपर बताया गया है। चूंकि एस.सी.आई. ने पोतों के अधिग्रहण के लिए रिजर्व का उपयोग कर लिया है जोकि इस धारा के अंतर्गत अनिवार्य शर्त है, अत: स्थानांतरण आयकर अधिनियम 1961 की धारा 33 ए.सी. के अनुरूप है। उल्लंघन केवल तब होता है जबकि अर्जित पोत निर्दिष्ट समय के अंदर बेच दिए जाएं।

(ग) से (ङ) यह सही है कि सी.ए.जी. ने अपनी मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस स्थानांतरण पर आपत्ति की है। स्थानांतरण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 33 ए.सी. के अनुसार है। एस.सी.आई. एक संव्यवसायिक रूप से चलाई जाने वाली वाणिज्यिक संस्था है और सरकार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है।

प्रायोगिक शिक्षण परियोजना

2974. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:
श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इंदौरा:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने 11 जून 2003 को सूचना प्रौद्योगिकी की प्रायोगिक शिक्षण परियोजना का उद्घाटन किया था जिसमें 60,000 स्कूलों को इन्ट्रानेट और इन्टरनेट द्वारा एक दूसरे के साथ जोड़ने का लक्ष्य था;

(ख) यदि हां, तो शिक्षण पाठ्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इस प्रणाली के माध्यम से कौन से पैटर्न का प्रसार किया जाएगा; और

(ग) इसका अन्य ब्यौरा क्या है और परियोजना पर कितना खर्च आएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) जी, हां। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 11.6.2003 को 140 विद्यालयों तथा 7 प्रशिक्षण केन्द्रों में विद्यावाहिनी प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया।

(ख) प्रत्येक विद्यालय में केजी से लेकर बारहवीं कक्षा तथा सीबीएसईमानक के अनुसार पाठ्यक्रम से संबंधित पाठय सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई गई है। इस पाठय-सामग्री को एक केन्द्रीय पोर्टल (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. विद्यावाहिनी. एरनेट. इन) में भी डाला गया है। इस पोर्टल में अन्य शैक्षणिक सामग्रियाँ भी हैं।

(ग) विद्यावाहिनी कार्यक्रम का प्रस्ताव इन्टरनेट तथा इन्ट्रा साधनों और कम्प्यूटरों साधित तकनीकों को अधिगम वातावरणों में

एकीकृत करना है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित पर ध्यान दिया गया है:-

* सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की मूलसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराना;
* शिक्षा प्रदान करने के लिए आईसीटी के प्रयोग पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना;
* विभिन्न प्रकार के अधिगम संसाधन उपलब्ध कराना जिनमें संबद्ध शैक्षिक साधन, पाठ्यक्रम-पाठचर्या तथा अन्य अधिगम सामग्रियाँ शामिल हैं।

विद्यावाहिनी की एक प्रायोगिक परियोजना निम्नलिखित छः राज्यों के साथ जिलों के 140 विद्यालयों (प्रत्येक जिले में 20 विद्यालय) में कार्यान्वित की गई है:-

(i) उत्तर प्रदेश - लखनऊ तथा इलाहाबाद

(ii) झारखंड - हजारीबाग

(iii) गुजरात - गांधी नगर

(iv) महाराष्ट्र - परली बैजनाथ

(v) आंध्र प्रदेश - चित्तूर

(vi) पश्चिम बंगाल - दक्षिण 24 परगना

प्रत्येक विद्यालय में एक-एक कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापित की गई है जिसमें 10 वैयक्तिक कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सर्वर, 29 इंच रंगीन टीवी, नेटवर्क प्रिंटर तथा ब्राडबैंड वी-सैट के माध्यम के से 128 केबीपीएस का इंटरनेट संपर्क उपलब्ध कराया गया है। शिक्षकों को कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में प्रशिक्षण देने, पाठ्यक्रम का विकास करने तथा अन्य प्रौद्योगिकी संबंधी पहलुओं के लिए प्रत्येक जिले में एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। विद्यालयों का चयन राज्य सरकारों की मदद से किया गया है।

प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन 15 करोड़ रुपए के बजट से किया गया है।

घाना टेलीकॉम के साथ समझौता

2975. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार लिमिटेड (टीसीआईएल) ने वर्ष 1998 और अप्रैल 2001 के मध्य घाना टेलीकाम के साथ कोई अनुबंध (कान्ट्रेक्ट) निष्पादित किया था, अनुबंध अनुरूप "साख पत्र" प्राप्त कर अपने हितों को सुरक्षित नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर अनुबंध के संबंध में प्राप्त भुगतान लंबित और इसकी नियत तिथि का ब्यौरा क्या है।

(ग) घाना टेलीकाम के संशोधित भुगतान कार्यक्रम और उसके अनुसार प्राप्त भुगतानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) आज तक कितना वास्तविक घाटा हुआ और अतिशोध्य भुगतान के कारण भविष्य में ब्याज का कितना अनुमानित घाटा होगा;

(ङ) अतिशोध्य भुगतान वसूल करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने भारतीय दूरसंचार लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंधन के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है अथवा कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया है जिसने "साख पत्र" प्राप्त करके भारतीय दूरसंचार लिमिटेड के हित पहले सुरक्षित किए बिना ही अनुबंध निष्पादन कर लिया था;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) वर्ष 1998 में घाना टेलीकाम ने टी सी आई एल को 50 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 233 करोड़ रुपये) राशि की उपभोक्ता अभिगम्यता नेटवर्क (सीएएम) परियोजना का ठेका दिया था। 54 इंडेंटों के लिए 7.479 मिलियन अमरीकी डालर (डालर 34.8 करोड़ रुपये) के अग्रिम भुगतान के अलावा 5,451 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 25.4 करोड़ रुपये) मूल्य के "साख पत्र" खोले गए। तदन्तर घाना टेलीकाम से पहले की अपनी दो परियोजनाओं के संबंध में समय से प्राप्त भुगतानों, घाना टेलीकाम के साथ अच्छे व्यावसायिक संबंधों तथा साख पत्रों के बिना दो अन्य ठेकेदारों के इसी तरह के कार्यों को स्वीकार करने के कारण टीसीआईएस ने "साख पत्र" प्राप्त किए बिना 33.849 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 157.7 करोड़ रुपये) मूल्य के 129 इंडेट तथा प्रारूप (डिजाइन) कार्य किए।

46.779 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 217.9 करोड़ रु.) मूल्यों के निष्पादन कार्य के लिए टीसीआईएल ने 30.719 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 143.1 करोड़ रुपये) प्राप्त किए हैं। बकाया देय राशि 16.06 मिलियन अमरीकी डालर 74.8 करोड़ रुपये) (ब्याज तथा मूल्य वर्धित कर (वीएटी) के बिलों को

छोड़कर) घाना टेलीकाम से प्राप्त भुगतानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विभिन्न इंडेंटों पर मार्च 1999 से 2001 तक के भुगतान संदेय हैं।

(ग) संशोधित भुगतानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। टीसीआईएल को 16 मई, 2003 से 6.109 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 28.4 करोड़ रुपये) प्राप्त हो चुके हैं।

(घ) ब्याज की दर एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंकिंग ओवरड्राफ्ट रेट) पर आधारित हैं और ये परिवर्तनीय हैं, इसलिए ब्याज की वास्तविक हानि और भावी हानि का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तथापि यदि घाना टेलीकाम अपने भुगतान नियत समय से करता है तो टीसीआईएल को इस परियोजना से 51 करोड़ रुपये का लाभ होगा।

(ङ) घाना टेलीकाम विदेश मंत्रालय घाना के उच्चायुक्त तथा माननीय संचार मंत्री घाना सरकार से लगातार संपर्क बनाए रखने के कारण घाना टेलीकाम से काफी राशि के भुगतान प्राप्त हुए है।

(च) से (ज) चूंकि देय राशियों का भुगतान होने की संभावना है और प्रबंधन ने व्यावसायिक निर्णय ले लिया है इसलिए कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है।

विवरण I

प्राप्त भुगतान के ब्यौरे

वर्ष		अमरीकी डॉलर (मिलियन में)
1998-1999	0.935	(लगभग 4.3 करोड़ रुपए)
1999-2000	6.201	(लगभग 28.8 करोड़ रुपए)
2000-2001	5.608	(लगभग 26.1 करोड़ रुपए)
2001-2002	6.038	(लगभग 28.1 करोड़ रुपए)
2002-2003	5.395	(लगभग 25.1 करोड़ रुपए)
2003-2004	6.542	(लगभग 30.4 करोड़ रुपए)
जोड़	30.179	(लगभग 143.1 करोड़ रु.)

विवरण II

घाना दूरसंचार की संशोधित भुगतान सारणी

घाना दूरसंचार (जीटीसीएल) का प्रस्ताव है कि वह 15 मई, 2003 से बकाया समेकित राशि का भुगतान 1 मिलियन अमेरिकी डालर के औसत मासिक भुगतान के अनुसार (1 मिलियन अमेरिकी डालर के औसत रकम का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा भुगतान न करने पर यह रकम अगली तिमाही की भुगतान योग्य रकम में जोड़ दी जाएगी) 16 मई, 2003 से तिमाही चक्र आरंभ होगा।

(क) जून/जुलाई की अवधि के लिए एकमुश्त 5 मिलियन अमरीकी डालर भुगतान करने की योजना बनाई जा रही है, बशर्ते वित्तीय व्यवस्था योजनानुसार चले।

(ख) बकाया राशि पर ब्याज का परिकलन तिमाही आधार पर किया जाएगा और इसका भुगतान आगामी तिमाही की प्रथम मासिक किस्त के साथ किया जाएगा।

(ग) बहुत समय से बकाया वीएटी बिलों के संबंध में विलंबित भुगतान क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव अलग से किया जाएगा।

(घ) घाना दूरसंचार को मौजूदा की प्रस्तावित आस्थगित भुगतान योजना को समाप्त करके किसी भी समय पूरी बकाया राशि का भुगतान करने की स्वतंत्रता होगी।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

2976. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्षेत्र में पिछड़े राज्यों की सूची तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त राज्यों में यह कार्यक्रम क्रियान्वित करने हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ इन राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं तैयार करने में सहायता देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एक अधिकार प्राप्त कार्रवाई दल गठित किया गया है।

(ग) वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 में इ.ए.जी. के अंतर्गत जारी की गई निधियां इस प्रकार हैं:

(रुपए लाख में)

राज्य का नाम	वर्ष 2001-2002 के दौरान जारी की गई निधियां	वर्ष 2002-2003 के दौरान जारी की गई निधियां
बिहार	367.5	2.50
छत्तीसगढ़	147.5	3.00
झारखंड	229.5	2.50
मध्य प्रदेश	413.5	13.00
राजस्थान	294.5	280.00
उड़ीसा	284.5	9.00
उत्तर प्रदेश	643.5	10.00
उत्तरांचल	119.5	5.00

[अनुवाद]

आवेदकों को पासपोर्ट न मिलना

2977. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अहमदाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों के कथित कदाचारों के कारण आवेदकों को महीनों से उनके पासपोर्ट नहीं मिले;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कारण और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मामले में कोई जांच शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवेदकों को उनके पासपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) और (ख) जी नहीं। अहमदाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में इस समय लगभग 53,000 पासपोर्ट आवेदन लम्बित हैं। लम्बन की यह स्थिति, पासपोर्ट आवेदनों में लगातार हुई वृद्धि और स्टाफ की कमी के परिणामस्वरूप पैदा हुई है। अलग-अलग समयों पर सतर्कता संबंधी कारणों से आठ कार्मिकों को निलंबित किया गया।

(ग) और (घ) सरकार, अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में कार्य लम्बित होने की समस्या से अवगत है और इसके लिए उपचारात्मक कदम उठाती रही है। इसके अतिरिक्त, सूरत में एक नया पासपोर्ट कार्यालय जल्दी ही खोला जाएगा जिससे अहमदाबाद कार्यालय पर दबाव कम हो जायेगा।

उड़ीसा हेतु दसवीं योजना का आकार

2978. **श्रीमती कुमुदिनी पटनायक:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित उड़ीसा राज्य के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना का आकार क्या है और उसके अनुमोदन की तारीख क्या है;

(ख) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित महत्वपूर्ण और गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित वर्ष 2002-03 के लिए वार्षिक योजना का आकार क्या है और वर्ष 2003-04 की वार्षिक योजना के लिए संसाधनों का आकलन क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा के लिए वर्ष 2003-04 हेतु वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) उड़ीसा के लिए दसवीं योजना के 19,000 करोड़ रु. के परिव्यय को दिनांक 17.5.2002 को अंतिम रूप दिया गया था।

(ख) उड़ीसा के वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 3100 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। संसाधनों के आकलन के आधार पर उड़ीसा की वार्षिक योजना 2003-04 के लिए 3200 करोड़ रु. पर सहमति हुई है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शिशु चोरी गिरोह

2979. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:**
श्री अनंत गुढ़े:
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य:
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शहर के अस्पतालों से नवजात शिशुओं की चोरी और उनकी अवैध बिक्री की जानकारी है जैसाकि दिनांक 10 जुलाई 2003 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों/नर्सिंग होमों का विनियमन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि गुप्त सूचना प्राप्त होने पर नवजात शिशु खरीदने के वास्ते एक नकली ग्राहक को आई एस एच नर्सिंग होम/आई एस एम क्लिनिक आर जेड-12, इंदिरा पार्क उत्तम नगर में भेजा गया जहां डॉ आई एस एच अग्रवाल के साथ समझौता हुआ जिसके अनुसार वह 50,000 रु. में एक नवजात शिशु देने के लिए सहमत हो गया। उसके बाद डाक्टर ने अग्रिम रूप में 20,000 रु. स्वीकार किया और दिनांक 22.4.2003 को नकली ग्राहक को नवजात शिशु सौंप दिया। इसलिए एक मामला (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज किया गया। इसमें आगे की जांच पड़ताल के दौरान चार बच्चे खोज निकाले गए और उनके माता-पिता को वापस कर दिए गए।

जहां तक दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित अन्य केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों का संबंध है ऐसे किसी भी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, ऐसी घटना को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किये गये हैं।

नेशनल इन्नोवेशन फाउन्डेशन में आरक्षण संबंधी दिशा-निर्देश

2980. श्री ए.सी. जोस: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इन्नोवेशन फाउन्डेशन संविधान में प्रदत्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नेशनल इन्नोवेशन फाउन्डेशन में पदनाम-वार कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं;

(घ) उनमें से कितने व्यक्ति स्थायी कर्मचारियों और ठेका कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं और उनके भत्तों और आनुषंगिक लब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ठेका कर्मचारी बीमारी की छुट्टी, अर्जित अवकाश और आकस्मिक अवकाश के पात्र हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) एन.आई.एफ. के कर्मचारी आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश के पात्र हैं।

विवरण

एन.आई.एफ. कार्मिकों का पदवार विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	नियुक्ति का तरीका	स्थिति	मासिक मुआवजा	कार्यकाल
1	2	3	4	5	6	7
1.	मुख्य इन्नोवेशन अधिकारी	1	ठेका आधार पर	भर दी गई है।	36,000 रु. और 6000 रु. तक किराया	2 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7
2.	राष्ट्रीय समन्वयकर्त्ता	4	ठेका आधार पर	भर दी गई है।	25,000 रु. से 26000 रु. और 4000 रु. तक किराया	2 वर्ष
3.	अकादमिक अध्येता	5	टर्म आधार पर	भर दी गई है।	15000 रु. से 35000 रु. तक	2 वर्ष
4.	अनुसंधानकर्त्ता	3	ठेका आधार पर	भर दी गई है।	8000 रु. से 13,000 रु. तक	6 माह
5.	तकनीकी अनुवादक	1	ठेका आधार पर	भर दी गई है।	8500 रु.	6 माह
6.	लेखा सहायक	1	ठेका आधार पर	भर दी गई है।	6500 रु.	6 माह
7.	प्रशासनिक सहायक	1	ठेका आधार पर	भर दी गई है।	5300 रु.	6 माह
8.	डीटीपी ऑपरेटर	1	ठेका आधार पर	भर दी गई है।	5300 रु.	6 माह
9.	सॉफ्टवेयर सहायक	1	ठेका आधार पर	भर दी गई है।	4750 रु.	6 माह

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा मानदंडों की अवहेलना

2981. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कतिपय विश्वविद्यालय मानदंडों की अवहेलना कर रहे हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और वे विश्वविद्यालय कौन-कौन से हैं;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करने की बात सोची गई है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एन.सी.टी.ई. का कार्यकरण

2982. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के प्रशासनिक कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) भारत सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के कार्य संचालन की समीक्षा करने तथा परिषद् की गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के संबंध में संस्तुति करने तथा

इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए श्री पी.के. कौल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

[अनुवाद]

जेस्सप कम्पनी लिमिटेड का विनिवेश

2983. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जेस्सप कम्पनी लिमिटेड के विनिवेश की स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) जैसप एण्ड कंपनी लिमिटेड में 72 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने के सरकार के निर्णय के विरुद्ध जैसप एण्ड कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी संघ ने कोलकाता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। कोलकाता उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने मार्च, 2003 में इस बात का अनुमोदन किया कि जैसप एण्ड कंपनी लिमिटेड 'महत्वपूर्ण क्षेत्र' की श्रेणी में नहीं आती है और इसलिए भारत सरकार जैसप एण्ड कंपनी लिमिटेड में अधिकांश भागीदारिता का विनिवेश कर सकती है। तथापि, माननीय एकल न्यायाधीश की पीठ ने, कतिपय प्रक्रियात्मक मुद्दों के आधार पर, मैसर्स रुइया कोटेक्स लिमिटेड (संकाय) को 72 प्रतिशत इक्विटी की बिक्री करने के सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया। कोलकाता उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध भारत सरकार ने कोलकाता उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष मई, 2003 में एक अपील दायर की थी। अपने दिनांक 8.7.2003 के निर्णय द्वारा कोलकाता उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने इस अपील का निपटारा किया था। अपने निर्णय में खण्डपीठ ने इस बात को सही ठहराया है कि जैसप एण्ड कंपनी लिटिमेड 'महत्वपूर्ण क्षेत्र' की श्रेणी में नहीं आती है और इसलिए भारत सरकार जैसप एण्ड कंपनी लिमिटेड में 72 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश कर सकती है। इस खण्डपीठ ने 72 प्रतिशत इक्विटी की बिक्री मैसर्स रुइया कोटेक्स लिमिटेड (संकाय) के पक्ष में करने का भी अनुमोदन किया है और यह निष्कर्ष निकाला कि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया तथा क्रियावधियां पारदर्शी थी। कोलकाता उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने जैसप एण्ड कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी संघ द्वारा अभिप्रेत निर्णय को स्थगित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। जैसप एण्ड कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी संघ ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है।

औषधियों का निर्यात

2984. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना अवधि के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधियों के निर्यात का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) दसवीं योजना अवधि के लिए निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) होमियोपैथी, आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) नौवीं योजना के दौरान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी औषधियों के निर्यात का विवरण जिसमें कच्ची औषधियां भी शामिल हैं, संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ख) भारतीय चिकित्सा की औषधियों हेतु निर्यात के लिए कोई अलग से लक्ष्य नहीं है।

(ग) निर्यात संवर्धन हेतु सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. सरकार ने औषधीय पादप क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की है।
2. सरकार ने भा.चि.प. एवं हो. औषधियों के संवर्धन के लिए विभिन्न देशों में सरकारी प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं जिनमें व्यापारिक प्रतिनिधि शामिल हैं।
3. सरकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में शामिल होने के लिए उद्योग की सहायता भी कर रही है ताकि वे अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकें। बाजार सर्वेक्षणों के वित्त पोषण के लिए भी स्कीमें मौजूद हैं।
4. निर्यात कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए लेबलिंग उपबंधों में छूट दी गई है।
5. परीक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
6. अच्छी विनिर्माण पद्धतियों (जी.एम.पी.) को अधिसूचित कर दिया गया है।

7. इस विभाग की अनुसंधान परिषदें भा.चि.प. एवं हो. औषधियों पर अनुसंधान कर रही हैं।

8. जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में प्रयुक्त औषधीय और सुगंधित पादपों पर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को भी सहायता दी है।

9. निर्यात बढ़ाने के लिए सिफारिश करने हेतु एक टॉस्क फोर्स बनाई गई है।

विवरण

1997-98 से 2001-02 तक होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी जड़ी-बूटियों और औषधियों का निर्यात मूल्य

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	मद का विवरण	मद कोड	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	कुल नवीं योजना
1.	ऐसे पादप और पादपों के भाग (बीजों और फलों सहित) जिनका मुख्य रूप से प्रयोग सुगंधशाला, फार्मेसी में अथवा कीटनाशक, फफूंदी नाशक अथवा समान प्रयोजनों के लिए ताजा अथवा सुखाकर किया जाता है चाहे वह कटा हुआ हो, कुचला हुआ हो अथवा पाउडर की शक्ल में हो।	1211	254.64	268.75	191.45	357.45	370.95	1443.24
2.	आयुर्वेदिक और यूनानी जड़ी-बूटियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं	12119026	22.76	39.76	18.51	22.50	31.70	135.23
3.	चिकित्सीय रोग निरोधक उपयोग के लिए आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियां जिन्हें फुटकर विक्रय के लिए नहीं रखा गया है।	30039001	42.24	34.76	36.23	96.54	92.56	302.03
4.	चिकित्सीय रोग निरोधक उपयोग के लिए होम्योपैथिक औषधियां जिन्हें फुटकर विक्रय के लिए नहीं रखा गया है।	30039002	3.10	0.37	0.67	2.19	2.04	8.37
5.	फुटकर विक्रय के लिए रखी गई आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियां	30049001	118.77	98.85	108.80	124.97	147.53	598.92
6.	फुटकर विक्रय के लिए रखी गई होम्योपैथिक औषधियां	30049002	0.79	1.33	3.19	8.97	3.74	18.02
	योग (क्र.सं. 1+क्र.सं. 3 से क्र.सं. 6 तक)	-	419.54	404.06	340.34	590.12	616.52	2370.58
	योग (क्र.सं. 2 से क्र.सं. 6 तक)	-	187.66	175.07	167.40	255.17	277.27	1062.57
7.	वनस्पति उत्पादों से प्राप्त वनस्पति रस और अर्क, पाचक पदार्थों, कंकतावार और पेकटेटस, एगार-एगार और अन्य श्लेष्मक और प्रगाढ़क चाहे परिवर्तित हुआ हो अथवा नहीं हुआ हो।	1302	636.74	826.79	921.42	698.99	593.19	3677.13

स्रोत: भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े-वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशक, कोलकाता-700001 द्वारा प्रकाशित वार्षिक अंक

राजस्थान में निवेश

2985. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं योजना के दौरान राजस्थान में और निवेश करने का है;

(ख) क्या राज्य की आशानुसार निवेश में वृद्धि नहीं हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) नौवीं योजना अवधि में राजस्थान की 22525.83 करोड़ रु. की अनुमोदित राज्य योजना परिव्यय और 19836.39 करोड़ रु. के वास्तविक व्यय की तुलना में राज्य की अनुमानत दसवीं योजना परिव्यय वर्ष 2001-02 की कीमतों पर 27318.00 करोड़ रु. है जो कि नौवीं योजना के अनुमोदित परिव्यय/वास्तविक व्यय से अधिक है। इसके अतिरिक्त, राज्य को केन्द्रीय मंत्रालयों की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निवेश हेतु निधि प्राप्त होगी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अविकिरण परियोजना की स्थापना

2986. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने राजस्थान और अन्य राज्यों में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु अविकिरण परियोजना की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी) में विकसित प्रौद्योगिकियों के आधार पर वाशी, नवीं मुंबई में मसालों के किरणन के लिए एक हाई डोज वाला प्रदर्श संयंत्र और महाराष्ट्र राज्य के लासलगांव, नासिक में प्याजों के किरणन के लिए कोबाल्ट-60 पर आधारित एक अन्य निम्न डोज वाला प्रदर्श संयंत्र स्थापित किया है। प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, कृषि उत्पादों को संसाधित करने के लिए इंदौर, मध्य प्रदेश में एक त्वरक-आधारित विकिरण संसाधन सुविधा के संबंध में काम कर रहा है। यह विभाग इस प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार के कार्य में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है और देश के विभिन्न भागों में कृषि उत्पादों के किरणन हेतु सुविधाएं स्थापित करने के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहा है।

अस्पताल को अधिकृत किया जाना

2987. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की चिकित्सा हेतु जोधपुर में किसी अस्पताल को अधिकृत किया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में जोधपुर में किसी अस्पताल को अधिकृत किये जाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के किसी भी अस्पताल तथा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पतालों एवं केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से वित्त पोषित अस्पतालों में चिकित्सा उपचार कराने की अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि सी.जी.एच.एस. नियम/सीएस (एम ए) नियम 1944 के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर चिकित्सा व्यय या किया गया वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

[अनुवाद]

भारत और चीन के मध्य परमाणु ऊर्जा समझौता

2988. श्री चिंतामन वनगा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय में कमियां

2989. श्री तोंराचन्द भगोरा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय चिकित्सा परिषद ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में दिल्ली में नए खुले वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय की कमियों का उल्लेख किया है:

(ख) यदि हां, तो कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन कमियों को दूर करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

"(1) क्या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली से प्रीक्लिनिकल विभागों में नियुक्त शिक्षण स्टाफ, जिन्होंने प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदभार ग्रहण किया है, के स्थान पर नियमित स्टाफ नियुक्त कर लिए गए हैं क्योंकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मानदण्डों के अनुसार अन्य कॉलेजों के स्टाफ की प्रतिनियुक्ति की अनुमति नहीं है।

(2) क्या गुरू गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने इस कॉलेज से संबद्ध सफदरजंग अस्पताल में कार्य कर रहे स्टाफ के शिक्षण पदनाम को बदलकर नया पदनाम दिया है। यदि हां, तो इसकी एक प्रति भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को भेजी जाए।

यह भी पाया गया कि कालेज के प्रिंसिपल को कार्डियो थोरेसिस एवं वस्कूलर सर्जरी में केवल 3 वर्ष का अनुभव है।"

संबंधित शिक्षण संकाय को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज और सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है तथा सफदरजंग अस्पताल में कार्य कर रहे स्टाफ की पात्रता से संबंधित विषय पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद सहित अन्य संबंधितों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

अल्पावास गृह

2990. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा राज्य-वार कितने अल्पावास गृह चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार अल्पावास गृहों की व्यवस्था हेतु झारखंड और बिहार समेत विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि जारी की है/आवंटित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि जारी करने के पश्चात् संबंधित उपायुक्तों/जिलाधीशों द्वारा वास्तविक सत्यापन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) से (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) वास्तविक सत्यापन/निरीक्षण/आकस्मिक जांच राज्य बोर्डों में नियुक्त क्षेत्रीय तंत्र, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा की जाती है। उपायुक्त/डिप्टी मजिस्ट्रेट को सामान्य रूप से अल्पावास गृहों का निरीक्षण करने के लिए तभी कहा जाता है, जब अल्पावास गृहों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संस्वीकृत अल्पावास गृहों की संख्या	निर्मुक्त राशि 2000-01	निर्मुक्त राशि 2001-02	निर्मुक्त राशि 2002-03
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	31	67.80	82.39	176.22
2.	असम	11	24.58	30.05	37.72
3.	बिहार	39	70.76	67.29	124.25
4.	गुजरात	6	26.29	19.19	20.06
5.	हरियाणा	4	8.14	9.16	7.20
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1.08	3.32	2.33
7.	जम्मू व कश्मीर	2	4.31	5.47	6.94
8.	कर्नाटक	17	50.72	72.20	65.00
9.	केरल	5	17.90	17.82	23.00
10.	मध्य प्रदेश	21	46.97	47.74	75.43
11.	महाराष्ट्र	27	63.96	79.75	126.60
12.	मणिपुर	6	9.82	0	20.25
13.	मेघालय	0	0	0	0
14.	नागालैण्ड	1	4.69	2.54	2.33
15.	उड़ीसा	48	147.71	120.24	153.84
16.	पंजाब	2	8.32	12.68	9.33
17.	राजस्थान	11	28.42	26.18	45.57
18.	सिक्किम	1	2.34	1.84	2.33
19.	तमिलनाडु	30	62.54	62.80	90.12
20.	त्रिपुरा	5	6.75	13.33	18.54
21.	उत्तर प्रदेश	50	77.39	88.23	161.57
22.	पश्चिम बंगाल	29	97.55	113.13	115.29
23.	अण्डमान व निकोबार	0	0	0	0
24.	अरुणाचल प्रदेश	2	6.07	4.91	7.00
25.	चण्डीगढ़	1	0	0	3.77

1	2	3	4	5	6
26.	दिल्ली	3	6.79	8.38	12.76
27.	गोवा, दमन व दीव	1	2.74	3.33	3.50
28.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
29.	मिजोरम	1	0	0	1.87
30.	पांडिचेरी	2	5.35	12.17	8.42
31.	दादर व नगर हवेली	1	3.32	4.62	4.56
	कुल	358	852.41	908.75	1325.80

[हिन्दी]

इंटरनेट एक्सेस सुविधा

2991. श्री सईदुज्जमा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सभी तहसील/जिला मुख्यालयों को इन्टरनेट एक्सेस सुविधा से जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन तहसील/जिला मुख्यालयों में यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त तहसील/जिला मुख्यालयों में कब तक यह सुविधा प्रदान किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चिकित्सा उपकरणों के मामले में विनियामक मानदंड

2992. डा. मंदा जगन्नाथ: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास देश में चिकित्सा उपकरण बनाने वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्मित चिकित्सा उपकरणों के मामले में विनियामक मानदंड लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित मानदंड आयात किए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों पर भी लागू होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) सभी चिकित्सीय यंत्रों के लिए कोई विनियामक मानक नहीं हैं। तथापि, निम्नलिखित चिकित्सीय यंत्रों को औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके तहत नियमों के उपबन्ध के अंतर्गत विनियमित किये जाते हैं:

1. विसंक्रमित प्रयोज्य पर्फूजन सेट
2. विसंक्रमित प्रयोज्य हाइपोडर्मिक सिरिंजे
3. विसंक्रमित प्रयोज्य सुईयां
4. एच आई वी, एच वी एस ए जी और एच सी वी के लिए इनविट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइस
5. यांत्रिक गर्भनिरोधक (कण्डोम, कॉपर-टी और ट्यूबल रिंगें)
6. सीवन

भारतीय मानक ब्यूरो चिकित्सीय यंत्रों के लिए मानक निर्धारित करता है। यह निर्धारण परामर्शी प्रकृति में है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अंतर्गत किए गए उपबंधों के अनुसार विभिन्न लाभग्राही (इन्ट्रिस्ट ग्रुपों) को मिलाकर बनाई गई नियमित समिति सुपरिभाषित क्रियाविधि के माध्यम से मानक बनाती है। यह एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त मदें, यदि आयात की जाएं तो उनके उक्त अधिनियम के अंतर्गत विनियमित किया जाएगा तथापि, संहिता संबंधी औपचारिकताओं का अनुपालन करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञों से बनी तकनीकी समिति द्वारा प्रभावकारिता, उपयोगिता और मूल्य के संदर्भ में मूल्यांकन करने के पश्चात सरकारी संस्थाओं के वास्ते आयातित चिकित्सीय उपकरणों का अधिप्रापण किया जाता है।

[हिन्दी]

बिहार में डब्ल्यूएलएल आधारित पीसीओ

2993. श्री राजो सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल आधारित पीसीओ स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में कब तक यह सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल आधारित स्थिर पीसीओ पहले से ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम संचार सेवक योजना के तहत डब्ल्यूएलएल आधारित मोबाइल पीसीओ भी उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

नेशनल एक्सप्रेसवे

2994. श्री मानसिंह पटेल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण कब तक पूरा हो जाएगा और इसे आम लोगों के लिए कब तक खोल दिया जाएगा; और

(ख) अब तक खर्च हो चुकी धनराशि का ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी दूरी कवर की जाएगी तथा यह किन-किन स्थानों से गुजरेगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग सं. 1 (अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग) का चरण-1 पूरा कर लिया गया है और जनवरी, 2003 में यातायात के लिए खोल दिया गया है।

(ख) इसके प्रथम चरण पर 213.12 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। इसकी लंबाई 43.4 कि.मी. है और यह अहमदाबाद, रामोल, वांच, हरनियाव, भूवल, दाजीपुरा, मोदाज, मंकवा, वाथवाड़ी, केशरा, वनसोल, सुंधा, अरेरा और मरीदा से गुजरता है।

[हिन्दी]

बिहार में अनुसंधान संस्थान

2995. श्री अरुण कुमार: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितने अनुसंधान केन्द्र काम कर रहे हैं;

(ख) इस वर्ष प्रत्येक संस्थान में किन-किन विषयों पर अनुसंधान किया जा रहा है; और

(ग) ऐसे कौन-कौन से विषय हैं जो बिहार की वर्तमान समस्याओं से संबंधित हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 20 केन्द्रीय एवं राज्य अनुसंधान संस्थान अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) बनाना रिसर्च स्टेशन, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलिक एण्ड एलाइड रिसर्च, गवर्मेंट ऐरी सीड सप्लाई एण्ड रिसर्च स्टेशन, सिंचाई अनुसंधान केन्द्र, जूट अनुसंधान केन्द्र और मृदा संरक्षण अनुसंधान केन्द्र द्वारा कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किये जा रहे हैं; ऐनिमल प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं मवेशी फार्म समस्तीपुर द्वारा पशु विकास के क्षेत्र में शोध कार्य किये जा रहे हैं; लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संस्थान तथा जल प्रबंधन अनुसंधान निदेशालय द्वारा जल एवं स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किये जा रहे है; मृदा एवं कंक्रीट प्रयोगशाला द्वारा निर्माण के क्षेत्र में शोध किया जा रहा है; परीक्षण एवं यंत्रीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान का संचालन परीक्षण एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जाता है; राज्य औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा बिहार राज्य के लिए औचित्यपूर्ण औद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्रों में शोध कार्य किया जाता है; फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य किये जाते हैं; राजेन्द्र मेमोरियल आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान तथा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान

द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान किये जा रहे हैं जबकि दो क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए औचित्यपूर्ण अनुसंधान कार्य किये जाते हैं। कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, पशु विकास, जल एवं स्वास्थ्य रक्षा, औद्योगिक अनुसंधान आदि बिहार की वर्तमान समस्याओं के लिए प्रासंगिक विषय है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में मोबाइल फोन सेवा

2996. श्री आर.एल. जालप्पाः क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में बीएसएनएल ने अब तक कितने मोबाइल कनेक्शन प्रदान किये हैं;

(ख) क्या वर्ष 2003-04 के दौरान कर्नाटक में 4.5 लाख मोबाइल कनेक्शनों की और मांग हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) 31.7.2003 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लि. द्वारा कर्नाटक में 2,72,445 सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये गये हैं।

(ख) और (ग) मांग और निधि की उपलब्धता के आधार पर चालू वित्त वर्ष के लिए कर्नाटक सर्किल को 2.75 लाख मोबाइल टेलीफोन क्षमता आबंटित की गयी है और तत्संबंधी खरीद की कार्रवाई चल रही है।

राज्य विश्वविद्यालयों को सहायता

2997. श्री टी.टी.वी. दिनाकरनः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य विश्वविद्यालयों के वित्तपोषण हेतु एक नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शत-प्रतिशत आधार पर राज्य विश्वविद्यालयों की भवन परियोजनाओं का वित्त पोषण करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य विश्वविद्यालयों की वित्त पोषण पद्धति के संबंध में नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार आयोग भवन निर्माण परियोजनाओं का शत-प्रतिशत वित्त पोषण करेगा जबकि पूर्ववर्ती पद्धति के अनुसार इन परियोजनाओं का वित्त पोषण भागीदारी के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त 10वीं योजना के दौरान विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली एक तिहाई विकास सहायता नौवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यनिष्पादन पर आधारित होगी।

जवाहर लाल नेहरू पत्तन पर भीड़-भाड़

2998. श्री ब्रह्मानन्द मंडलः
श्रीमती प्रभा रावः
श्री विलास मुत्तेमवारः

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नव सेवा में जवाहर लाल नेहरू पत्तन पर काफी भीड़-भाड़ बढ़ गई है जिसके परिणामस्वरूप भारत के निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पत्तन प्राधिकारियों और ट्रांसपोर्टरों के बीच समन्वय न होने से उक्त पत्तन पर क्लियरेंस मिलने में कठिनाइयां आ रही हैं; और

(ग) सरकार का विचार किस तरह यह सुनिश्चित करना है कि पत्तन पर शीघ्र क्लियरेंस मिल सके और देश से अन्य देशों में किये जाने वाले निर्यात में आने वाली किसी प्रकार की कठिनाइयों को दूर किया जा सके हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) इस समय, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, नवीं मुम्बई में दो कंटेनर टर्मिनल हैं। एक कंटेनर टर्मिनल का जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जे एन पी टी) द्वारा स्वयं प्रबंध किया जाता है तथा चलाया जाता है तथा दूसरा जे एन पी टी के साथ लाइसेंस करार के तहत बनाओ, चलाओ तथा हस्तांतरित करो (बी ओ टी) आधार पर पी एंड ओ आस्ट्रेलिया पोर्ट्स पी.टी. लि. द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी नामतः न्हावा शेवा इन्टरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लि. (एन एस आई सी टी) द्वारा प्रबंधित है तथा परिचालित किया जाता है।

चालू वित्तीय वर्ष अप्रैल से जुलाई, 2003 के दौरान, पूर्व वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कंटेनर यातायात में 16% की वृद्धि हुई है। मानसून अवधि के दौरान अत्यधिक वर्षा से कंटेनर यातायात में तीव्र वृद्धि तथा इसके फलस्वरूप उत्पादकता में कमी से जवाहर लाल नेहरु पत्तन न्यास (जे एन पी टी) में कुछ भीड़-भाड़ बढ़ी है।

(ख) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कंटेनर टर्मिनल (जे एन पी सी टी) में कंटेनरयुक्त आयात/निर्यात कार्गो का निपटान प्रभावित नहीं हुआ है। तथापि, नव सेवा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल (जे एन पी सी टी) पर आयात तथा निर्यात दोनों के निपटान में आंशिक प्रभाव पड़ा है।

(ग) आयातकों तथा निर्यातकों की उम्मीदों को पूरा करने तथा सेवा स्तरों में सुधार के उद्देश्य से जे एन पी टी ने जे एन पत्तन से कंटेनरयुक्त कार्गो को तीव्रता से ले जाने को बढ़ावा देने के लिए उपायों की एक श्रृंखला आरंभ की है। उठाये गये महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) स्थिति को दिन-प्रतिदिन आधार पर मानीटर किया जा रहा है।

(2) पूर्व वर्ष के दौरान नौ रेलगाड़ियां प्रतिदिन की औसत तुलना में औसतन 11 रेल-गाड़ियां प्रतिदिन हैंडल की जा रही हैं।

(3) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में रेल लाइन सं. 6 की मरम्मत की आवश्यकता के कारण मार्च, 2003 से बन्द कर दिया गया था। तथापि, रेल लाइन सं. 6 पर 12 जून, 2003 से 12 जुलाई, 2003 तक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आई सी डी) के कंटेनरों को हैंडल करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान की गई थी।

(4) 12 जून से 26 जून, 2003 तक दो सप्ताह की अवधि के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा परिचालित रेल लाइन 6 तथा 8 पर एन एस आई सी टी के आयात आई सी डी कंटेनरों के बैक लोडिंग के लिए विशेष सुविधा दी गई।

(5) एन एस आई सी टी के आयात आई सी डी कंटेनरों की बैक लोडिंग के लिए सुविधा को रेल लाइन सं. 8 पर एक सप्ताह की अवधि, अर्थात् 1 जुलाई से 8 जुलाई, 2003 तक के लिए पुनः बढ़ाया गया था।

(6) अतिरिक्त रीच स्टेकर्स को शामिल करके जे एन पी सी टी में कंटेनर हैंडलिंग उपकरण का संवर्धन।

(7) विभिन्न अंतराल में जे एन पी टी परिसरों के भीतर कंटेनरों के परिवहन के लिए 46 ट्रेक्टर ट्रेलर्स का संवर्धन।

(8) आई सी डी परिचालनों के लिए एन एस आई सी टी द्वारा ट्रेक्टर ट्रैलर्स का विस्तार।

(9) मुख्य कंटेनर बर्थ पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए फीडर जलयानों तथा गैर-विंडो श्रेणी के अंतर्गत गीयर्ड कंटेनर जलयानों के लिए शैलो ड्राट बर्थ (एस बी-03) तथा पोर्ट क्राफ्ट बर्थ (एस बी-02) का नियतन।

(10) जब कभी भी नौवहन कंपनियों द्वारा अनुरोध किया जाता है, गीयर्ड कंटेनर जलयानों के हैंडलिंग के लिए बल्क बर्थ सं. 2 तथा 3 का नियतन।

(11) जे एन पी टी के माध्यम से निर्यात के लिए सड़क वाहनों, कार तथा बसों को ले जाने से संबधित संपूर्ण यातायात को, कंटेनर गेट परिसर में भीड़-भाड़ कम करने के लिए बल्क गेट परिसर से प्रवेश के लिए बल्क रोड के लिए कंटेनर रोड से मोड़ना।

विशेष वित्तीय पैकेज

2999. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश को विशेष वित्तीय पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है? और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) वर्तमान में उत्तर प्रदेश को विशेष वित्तीय पैकेज देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्बोधित अपने अ.शा.सं. 103/पी.एस.एम.एम./03 दिनांक 20.7.2003 के द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने का अनुरोध किया है।

एड्स नियंत्रण के लिए सहायता

3000. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेट्स फाउण्डेशन ने भारत में एच आई वी संक्रमण को कम करने के लिए 100 मिलियन डॉलर का अनुदान देने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो एच आई वी नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित ब्यौरा क्या है और बिल और मेलिण्डा गेट्स फाउंडेशन से प्राप्त सहायता का प्रभावी ढंग से उपयोग किये जाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां। बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन ने भारत में एच आई वी/एड्स के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता की घोषणा की है, तथापि, संस्थागत प्रबंधन तथा सहयोग, परस्पर इकरारनामे के तौर तरीकों को इस फाउंडेशन द्वारा अभी तय किया जाना है।

सरकार को बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउंडेशन से अभी तक कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है।

असम में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

3001. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में सड़क संपर्क में सुधार के मद्देनजर कुछ नए राष्ट्रीय राजमार्गों को स्वीकृत करने और उनका निर्माण करने का विचार किया है और वर्तमान एनएच-31 सी, एनएच-31, एनएच-52 और एनएच-37 जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों की राइडिंग क्वालिटी और स्टैण्डर्ड को सुधारने पर भी विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर भारत-भूटान सीमा को जोड़ने वाली वर्तमान सड़क संपर्क के नवीकरण हेतु अव्यपगत केन्द्रीय पूल संसाधनों से पर्याप्त केन्द्रीय निधि की मात्रा प्रदान करने पर विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार और मरम्मत हेतु हाल के पांच वर्षों में असम सरकार को नियमित आधार पर केन्द्रीय निधि की अपेक्षित धनराशि प्रदान की है;

(ज) यदि हां, तो अब तक वर्षवार कितनी धनराशि दी गई है;

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ञ) क्या सीमा सड़क संगठन को असम के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्रीय निधि की सहायता से कुछ सड़कों और पुलों के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जैसाकि प्रधान मंत्री द्वारा घोषणा की गई है;

(ट) यदि हां, तो सीमा सड़क संगठन द्वारा अब तक कितनी धनराशि प्राप्त की गई है और निर्माण कार्यों का स्तर और गुणवत्ता का ब्यौरा क्या है; और

(ठ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) फिलहाल, राजधानी के अभाव के कारण नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर विचार नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31सी और राष्ट्रीय राजमार्ग 31 (आंशिक रूप से) को चार लेन का बनाए जाने के लिए पूर्व-पश्चिम महामार्ग परियोजना में शामिल किया गया है। रा.रा. 31, 37 और 52 आदि के शेष भाग में सड़क गुणता के सुधार का कार्य प्रगति पर है।

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गैर व्यपगत निधि का प्रबंधन इस मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) गत पांच वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए अब असम सरकार के लिए धनराशि के आबंटन के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(लाख रु.)

वर्ष	विकास	अनुरक्षण और मरम्मत
1998-99	3384.90	3297.93
1999-2000	6496.32	3677.46
2000-01	9233.00	3131.03
2001-02	14262.19	4284.97
2002-03	15737.00	5896.00

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

(ञ) जी हां।

(ट) सीमा सड़क संगठन, निर्धारित मानक विनिर्देश और गुणता के अनुसार कार्य कर रहा है। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन को 41.53 करोड़ रु. जारी किये गये हैं।

(ठ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय भाषाओं का विदेशों में प्रचार-प्रसार

3002. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण अफ्रीकी सरकार भारतीय भाषाओं जैसे तमिल, गुजराती आदि को पाठ्यक्रम से हटाने की योजना बना रही है जैसाकि 25 जून, 2003 को 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस विषय को संबद्ध प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विदेशों में, विशेषकर उन देशों में जहां भारतीय मूल के नागरिक बड़ी संख्या में निवास करते हैं भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए कारगर कदम उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण अफ्रीका ने सरकारी तौर पर घोषणा की है कि नामांकन दर में कमी और अपर्याप्त राशि के कारण, कुछ भाषाओं जैसे उर्दू, तमिल, गुजराती, हिन्दी और इब्रानी को पाठ्यक्रम से निकाला जा सकता है।

(ग) और (घ) फिलहाल दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के संबंधित संगठन के व्यक्ति और दक्षिण अफ्रीका सरकार विचार कर रहे हैं, किस प्रकार भारतीय भाषाओं के अध्ययन को सहायता दी जा सकती है।

(ङ) जी, हां।

(च) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकोष्ठ स्थापित किया है और चुनी हुई भारतीय भाषाओं और भारतीय संस्कृति, विशेषरूप से भारतीय डायसपोरा के लिए तैयार किये गये कुछ प्रत्यायन के पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने डायसपोरा के लिए भाषा अध्ययन और संचार में अफ्रीका और दक्षिण एशिया में अपने कैम्पस स्थापित करने की संभावना का पता लगाने की अपनी पेशकश की है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए नौकाएं

3003. **श्री विष्णु पद राय:** क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मीटिंग के लिए 20 जनवरी, 2003 में माननीय प्रधान मंत्री की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के दौरान तत्कालीन केन्द्रीय पोत परिवहन मंत्री ने 16-18 नॉट की गति से चलने वाली और 500 यात्रियों की क्षमता वाली नौका छह महीनों के अंदर दक्षिणी द्वीपसमूह के द्वीपों में तैनात करने का वादा किया था;

(ख) यदि हां, तो माननीय मंत्री महोदय द्वारा किए गए वायदे की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस नौका के कब तक चलने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) और (ख) जी हां। 3.6.2002 को हुई जहाज अधिग्रहण समिति की बैठक में दक्षिण वर्ग के द्वीप समूहों के लिए 700 एन एम सहित 300-400 यात्री क्षमता वाले उच्च गति के जहाज को किराये पर लेने की संभावना का पता

लगाने का निर्णय लिया गया था. तदनुसार, मै. एन एस डी आर सी द्वारा वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की गई तथा 300-400 यात्री जलयान को किराये पर लेने के लिए केवल मै. ईस्टर्न ट्रेडिंग एजेंसी, दुबई से निविदा प्राप्त हुई थी। उन्होंने एम वी हारमिस की उपलब्धता की पुष्टि की है तथा अंडमान तथा निकोबार प्रशासन से शीघ्र प्रशासनिक निर्णय लेने का अनुरोध किया है। उपर्युक्त जलयान की क्षमता 1169 यात्री ले जाने की है जिसमें से 385 शयन वास तथा 784 बैठने के स्थान हैं। उपर्युक्त जलायन दक्षिण वर्ग के द्वीप समूहों में नियोजित करने के लिए सभी पैरामीटर्स पूरा करता है तथा इसे मेन-लैंड द्वीप-समूह क्षेत्र में भी चलाया जा सकता है। उपर्युक्त जलयान को किराये पर लेना वित्तीय रूप से व्यवहार्य प्रतीत होता है तथा इस प्रकार यह निर्णय लिया गया था कि नौवहन महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि, पोत परिवहन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि तथा आयुक्त सह सचिव (पोत परिवहन), अंडमान निकोबार प्रशासन का प्रतिनिधि अंडमान तथा निकोबार के समुद्र में परिचालन के लिए जलयान की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए ग्रीस जा सकते हैं। पोत परिवहन मंत्रालय में, ग्रीस के लिए अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित दौरा, तीन दिन से अधिक नहीं, करने के लिए सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बारे में सूचना दे दी है। निदेशक, एन एस डी आर सी से अंडमान निकोबार प्रशासन में उपर्युक्त दल द्वारा निरीक्षण के लिए ग्रीस में उपर्युक्त जलयान किन तारीखों में उपलब्ध रहेगा, इसकी सूचना देने का अनुरोध किया है ताकि अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के दिनांक 30.7.2003 के पत्र द्वारा ग्रीस का दौरा करने वाले अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए राजनैतिक अनुमोदन तथा संवर्ग अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जा सके। तथापि, उपर्युक्त दल द्वारा 22.8.2003 के पश्चात् ग्रीस का दौरा करने की संभावना है।

(ग) दक्षिण वर्ग के द्वीप-समूहों में उक्त जलयान को नियोजित करने की तारीख उपर्युक्त दल द्वारा ग्रीस का दौरा करने तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही ज्ञात हो सकेगी।

[हिन्दी]

सर्कल स्तर पर टीएसी

3004. श्री सुरेश चन्देल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में सर्कल स्तर पर टेलीफोन परामर्शदात्री समितियों के गठन हेतु जनप्रतिनिधियों (संसद सदस्यों) से कोई सुझाव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एमपी लैड योजना

3005. श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री के. मलयसामी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमपी लैड्स के अंतर्गत शीर्ष एजेंसियों और कार्यान्वयन एजेंसियों के खिलाफ ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वे दिशानिर्देशों के अनुरूप काम नहीं कर रही हैं, संबद्ध संसद सदस्यों के वैद्य दावे को नहीं सुन रही है और संसद सदस्यों के साथ तालमेल आदि स्थापित नहीं कर पा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या शीर्ष एजेंसियों और कार्यान्वयन एजेंसियों एमपीलैड्स के अंतर्गत कार्यों को शीघ्र पूरा करने हेतु पर्याप्त प्राथमिकता और महत्व नहीं देती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि इस योजना की धनराशि को सही तरीके से खर्च किया जा सके?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सांसदों से जिलाधिकारियों एवं कार्यकारी अभिकरणों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के संतोषजनक कार्यान्वयन के लिए जिलाधिकारियों के साथ-साथ कार्यकारी अभिकरण भी उत्तरदायी हैं। शिकायतें, मुख्य रूप से प्राप्त अनुशंसाओं पर जिला प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रिया करने में विलंब, संबंधित कार्यकारी अभिकरणों द्वारा प्राक्कलन तैयार करने में विलंब, जिला प्रशासनों द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी करने में विलंब, कार्यकारी अभिकरणों द्वारा समय-सीमा का अनुपालन न किये जाने, एक जिले से दूसरे जिले में निधियों के अंतरण में विलंब, जिला प्रशासनों द्वारा केन्द्र सरकार को व्यय विवरण प्रस्तुत न किये जाने, जिलों द्वारा सांसदो को सूचना न दिए जाने के संबंध में है।

(घ) सभी जिला कलेक्टरों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को शीर्ष प्राथमिकता देने तथा दिशा-निर्देशों का दृढ़ता से पालन करने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं। जब भी विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं, मामले को जांच एवं उपचारी कार्रवाई के लिए तत्काल संबंधित राज्य सरकार/जिला प्रशासन के समक्ष रखा जाता है। राज्य सरकारों को समय-समय पर दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करने एवं सांसदों द्वारा अनुशंसित कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने के निर्देश दिए गए है। जिला प्रशासनों को, सांसदों द्वारा अपनी पात्रता की सीमा तक अनुशंसित कार्यों को, निधियों के वास्तविक अवमोचन की प्रतीक्षा किए बिना स्वीकृत करने एवं व्यय रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया है ताकि मंत्रालय द्वारा पात्र निधियां जारी की जा सकें। जिला प्रशासनों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे कार्यों की प्रकृति के मद्देनजर कार्यान्वयन के लिए एक समय-सीमा निर्धारित करें एवं उसका कड़ाई से अनुपालन करें। राज्य सरकारों/जिला प्रशासनों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यों के प्रबोधन संबंधी प्रावधान का अनुपालन करने तथा मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा बैठकें करने का परामर्श भी दिया गया है। अवरोधों को दूर करने के लिए राज्य मंत्री (सां और का का) के स्तर पर समय-समय पर विशेष समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है, ताकि अनुशंसित कार्यों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

[हिन्दी]

दूरभाष केन्द्रों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाना

3006. **डा. बलिराम:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में कितने दूरभाष केन्द्र स्थापित किये गए हैं;

(ख) क्या सभी विद्यमान दूरभाष केन्द्रों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में कार्यरत सभी दूरभाष केन्द्रों को कब तक ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) 31.7.2003 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3220 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित हैं।

(ख) जी, नहीं। 3220 टेलीफोन एक्सचेंजों में 2740 एक्सचेंज आप्टिकल फाइबर केबल से जोड़े गये हैं।

(ग) और (घ) मौजूदा मार्ग-निर्देशों के अनुसार सभी एक्सचेंजों को तकनीकी आर्थिक कारणों पर निर्भर करते हुए आप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव, उपग्रह, केबल पीसीएम (पल्स कोड माड्यूलेशन) प्रणालियों अथवा भूमिगत केबलों जैसे विश्वसनीय माध्यम से जोड़ना है। चूंकि उत्तर प्रदेश के सभी 3220 एक्सचेंज विश्वसनीय माध्यम पर जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी एक्सचेंजों को केवल आप्टिकल फाइबर केबल से ही जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

कालाआजार का उन्मूलन

3007. **श्री रतन लाल कटारिया:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्यांण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में घातक बीमारी कालाआजार की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस रोग के उपचार हेतु कोई दवा विकसित करने के लिए विदेशी संस्थानों से सहयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से संस्थान हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) बिहार राज्य में तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कालाआजार का अधिक प्रकोप है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष (जून, 2003 तक) के दौरान कालाआजार के रोगियों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:

प्रभावित राज्य	2000 रोगियों की संख्या	2001 रोगियों की संख्या	2002 रोगयों की संख्या	2003* रोगियों की संख्या
बिहार	12909	10327	9389	5050
झारखंड	469	589	758	1059
पश्चिम बंगाल	1244	1238	1592	635
उत्तर प्रदेश	47	22	32	2
दिल्ली में बाहर से आए रोगियों का उपचार	84	63**	74	7

*जून, 2003 तक प्राप्त सूचना के अनुसार

**बाहर से आए एक रोगी का उपचार गुजरात में किया गया।

(ख) काला-आजार की समस्या का निराकरण केन्द्रीय आयोजित काला-आजार नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। केन्द्रीय सरकार काला-आजार नियंत्रण हेतु काला-आजार रोधी औषधियां एवं कीटाणुनाशक दवाएं प्रदान करती है। संबंधित राज्य सरकारें परिवहन, स्प्रे-वेजेज आदि पर होने वाला व्यय वहन करती हैं। तथापि, इस व्यय को अब केन्द्रीय बजट से भी पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि इसको बेहतर रूप से कार्यान्वित किया जा सके।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कालाजार के नियंत्रण के लिए अपनाई गई कार्यनीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

* प्रभावित क्षेत्रों में अवशेष कीटनाशक पदार्थ छिड़क कर वकक्टर नियंत्रण के जरिए संचरण को रोकना
* प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के माध्यम से शीघ्र निदान और पूर्ण उपचार करना।
* स्वास्थ्य शिक्षा एवं सामुदायिक सहभागिता।

नियमित रिपोर्टों/रिटर्न और केन्द्र के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दौरों के माध्यम से परिस्थिति की निगरानी की जाती है।

(ग) और (घ) कालाजार के उपचार हेतु ओरली एक्टिंग मिलटेफॉसिन के बारे में चौथे चरण के क्लीनिकल परीक्षण के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन/टी डी आर, जेनटारिस की भारतीय साझेदार कम्पनी-जेन्टिरस एण्ड जर्मन रेमेडी लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अध्ययन को सहायता दी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से आर एम आर आई, पटना में पेरामोमीसिन टीके का उपयोग करके क्लीनिकल परीक्षण (चरण-III) किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सामाजिक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली

3008. **श्री किरीट सोमैया:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आम आदमी के लिए सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली के लाभ क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को देश में सामाजिक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली के विकास की कमी की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या जापान, कोरिया आदि जैसे देशों में लोगों को पूरी तरह से उक्त प्रणाली में सम्मिलित किया गया है जबकि भारत में केवल 22 प्रतिशत जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में अन्य मंत्रालयों की सहायता से कोई प्रयास किये हैं अथवा कोई योजना तैयार की है और कोई अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (च) आम नागरिक की सामाजिक सुरक्षा एवम् सामाजिक स्वास्थ्य बीमा के लाभ को ध्यान में रखते हुए तथा भारत में सामाजिक स्वास्थ्य विकास प्रणाली को गति प्रदान करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कम्पनियों को वर्ष 2003-04 के दौरान एक समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार करने के लिए केन्द्रीय बजट 2003 में प्रोत्साहित किया गया।

इस संदर्भ में भारत की सामान्य बीमाकर्ता संघ कम्पनियां अर्थात् नेशनल इंश्यूरेंस न्यू इंडिया एश्युरेंश, ओरिएण्टल इन्स्यूरेंस तथा यूनाइटेड इंडिया इन्स्यूरेंस ने एक समुदाय आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है जो प्रति व्यक्ति 30,000 रुपये की सुनिश्चित राशि के लिए 365 रुपए प्रति वर्ष की लागत से स्वास्थ्य बीमा की कवरेज प्रदान करती है। यह पालिसी, पांच सदस्यों तक वाले परिवार के लिए 548 रुपये प्रतिवर्ष की दर और सात सदस्यों वाले परिवारों के लिए 730 रुपये प्रतिवर्ष की दर से फ्लोटर आधार पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम ने वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (55 वर्ष और इससे ऊपर की आयु के नागरिकों के लिए 9% प्रति वर्ष की सुनिश्चित रिटर्न वाली सरकारी रियायत योजना) शुरू की है। यह योजना लाभार्थियों को जीवन भर पेंशन के लिए पात्र बनाती है तथा दुर्भाग्यवश पेंशनर की मौत होने पर खरीद मूल्य (परचेज प्राइस) नामांकित व्यक्ति को लौटा दिया जाता है। न्यूनतम पेंशन 250 रुपए प्रति माह है और अधिकतम पेंशन 2000 रुपए प्रति माह है।

यद्यपि जापान, कोरिया आदि में बीमा कवरेज के ब्यौरे इस समय उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह सही है कि भारत की जनसंख्या के केवल लगभग 22 प्रतिशत लोगों को स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर किया गया है। इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में स्वास्थ्य बीमा पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण

विधेयक के पारित हो जाने से भी प्राइवेट स्वास्थ्य बीमा कम्पनियों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

इसके अलावा, अलाभान्वित वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ, प्रसूति लाभ संशोधन अधिनियम, 1995 कामगार मुआवजा (संशोधन) अधिनियम, 1984, पादप श्रम अधिनियम 1951, बीड़ी और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्त विनियम) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है।

दूरसंचार कंपनियों की संख्या में कमी

3009. **श्रीमती प्रभा राव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कुछ कंपनियों के हाल के आक्रामक रुख को देखते हुए दूरसंचार कंपनियों की संख्या को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो मौजूदा दूरसंचार कंपनियों की संख्या कितनी है और इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या ट्राई का विचार डब्ल्यू.एल.एल. आपरेटरों के लिए केवल सीमित मोबिलिटी की अनुमति प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कब तक संशोधित नीति को अंतिम रूप प्रदान कर दिये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) बुनियादी सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंस संबंधी शर्तों में इन सेवा प्रदाताओं को कम दूरी प्रभारण क्षेत्र के भीतर सीमित मोबिलिटी के साथ वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) सेवाएं प्रदान करने की अनुमति का प्रावधान है।

(घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एकीकृत लाइसेंस पर एक परामर्श दस्तावेज जारी किया है जिसमें विभिन्न स्टॉक होल्डरों के विचार मांगे गए हैं। सरकार ट्राई की सिफारिशें, यदि कोई हों, प्राप्त करने के पश्चात् इस संबंध में निर्णय लेगी।

खाद्य सामग्री पर अनिवार्य रूप से लेबल लगाने के लिए कानून

3010. **डा. बी.बी. रमैया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य सामग्री पर उसकी मात्रा को दर्शाने वाले लेबल को अनिवार्य रूप से लगाने के लिए एक कानून लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की है कि प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा बाजार में भेजी गई सामग्री उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक न हो?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में व्यवस्था है कि खाद्य पदार्थों के प्रत्येक पैकेज में लेबल होगा और जब तक नियमों में अन्यथा व्यवस्था न हो, प्रत्येक लेबल पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा:

(1) खाद्य पदार्थ का नाम, व्यापारिक नाम अथवा विवरण

(2) घटकों के नाम, जिनमें शाकाहारी, मांसाहारी का चिन्ह रंग, फ्लेवर, खाद्य योगज आदि शामिल हैं।

(3) निर्माता या विक्रेता, आयातकर्ता या पैक करने का नाम, पूरा पता तथा निर्माण इकाई का पता।

(4) कुल वजन या संख्या अथवा आकार का माप

(5) स्पष्ट रूप से बैच संख्या या लॉट संख्या

(6) निर्मित किए जाने का माह और वर्ष

(7) अवधि समाप्ति तिथि, तारीख जब तक उपयोग किया जाना उपयुक्त है।

(8) इररेडिएशन का प्रयोजन और इररेडिएटेड फूड होने की स्थिति में लाइसेंस संख्या

(9) एडमिक्सर, डेफिशिएंसी, पोषणिक दावे, कुछ खाद्य पदार्थों के उपभोग आदि पर चेतावनी।

[हिन्दी]

गरीबी उपशमन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधी कृतिक बल

3011. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी उपशमन क्षेत्र विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने, उसमें सुधार करने और उसे सुचारू बनाने हेतु विभिन्न उपाय सुझाने के लिए नौवीं योजना के दौरान एक कृतिक बल गठित किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस सीमा तक इनका कार्यान्वयन किया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) नौवीं योजना के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को मजबूत बनाने, उसमें सुधार करने तथा कारगर बनाने के लिए उपाय सुझाने हेतु योजना आयोग द्वारा कोई कार्यदल गठित नहीं किया गया है। तथापि, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की समीक्षा एवं उन्हें युक्तिसंगत बनाने के लिए योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में फरवरी, 1997 में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1997 में प्रस्तुत की थी। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित सिफारिशों को मौजूदा स्कीमों में समुचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

हच द्वारा लाइसेंस जारी किया जाना

3012. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हच कंपनी द्वारा मोबाइल फोन लाइसेंस जारी किये जाने में की गयी अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इसकी जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) निम्नलिखित लाइसेंस कंपनियां, "हच" के ब्राण्ड नाम के तहत सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) प्रदान कर रही है:

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	सेवा क्षेत्र
1.	स्टर्लिंग सेलूलर लि.	दिल्ली मेट्रो सिटी सेवा क्षेत्र
2.	ह्युचिसन एस्सार साऊथ लि.	चेन्नई मेट्रो सिटी सेवा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र।
3.	मै. उषामार्टिन टेलीकॉम लि.	कोलकाता मेट्रो सिटी सेवा का क्षेत्र।
4.	मै. फेस्सल लि.	गुजरात दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र।

उपर्युक्त लाइसेंस के निर्गमन के बारे में अनियमितताओं की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

टेलीफोन कनैक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

3013. श्री रामशकल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में टेलीफोन कनैक्शन की प्रतीक्षा सूची अप्रत्याशित रूप से बहुत लंबी है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों में ऐसी सूची अन्य राज्यों की तुलना में अधिक लंबी है;

(ग) जुलाई, 2003 तक देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में नये टेलीफोन कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची के आवेदकों की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने देश में टेलीफोन कनैक्शन के शीघ्र आबंटन के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 31.7.2003 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश सहित देश में नए टेलीफोन कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की राज्य-वार तथा संघ शासित क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है, ऐसे राज्य जहां की प्रतीक्षा सूची तुलनात्मक रूप से ज्यादा लम्बी यानी एक लाख से अधिक आवेदकों की हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं-बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

(घ) और (ङ) प्रतीक्षा सूची मुख्य रूप से दूर-दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बित है। भारत संचार निगम लि. ने छिटपुट मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र में वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) प्रणाली लगाने की योजना बनायी है। महानगर टेलीफोन निगम लि. ने डब्ल्यू एल एल, कॉर्डेक्ट, पीएएस (पर्सनल एक्सेस सिस्टम) जैसे उपभोक्ता अभिगम्यता नेटवर्क में वायरलैस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने, अधिकाधिक एक्सचेंज खोलने और तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्रों में भूमिगत केबल छिपाने का कार्य शुरू कर दिया है।

विवरण

31.7.2003 के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार प्रतीक्षा-सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	31.7.2003 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची (अनंतिम)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	59,719
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,692
3.	असम	16,151
4.	बिहार	1,18,417
5.	छत्तीसगढ़	4,214
6.	गोवा	4,748
7.	गुजरात	70,244
8.	हरियाणा	96,472
9.	हिमाचल प्रदेश	45,457
10.	जम्मू व कश्मीर	43,082
11.	झारखंड	10,453
12.	कर्नाटक	1,03,546
13.	केरल	4,67,601
14.	मध्य प्रदेश	14,676
15.	महाराष्ट्र	1,92,314
16.	मणिपुर	4,213
17.	मेघालय	1,563
18.	मिजोरम	768
19.	नागालैंड	591
20.	उड़ीसा	10,707
21.	पंजाब	1,06,961
22.	राजस्थान	1,41,466
23.	सिक्किम	185
24.	तमिलनाडु	59,360
25.	त्रिपुरा	5,769
26.	उत्तर प्रदेश	1,77,179
27.	उत्तरांचल	8,663
28.	पश्चिम बंगाल	1,52,443
29.	अंडमान व निकोबार	189
30.	चंडीगढ़	312
31.	दादर व नगर हवेली	309
32.	दमन	42
33.	दीव	44
34.	लक्षद्वीप	62
35.	पांडिचेरी	2,014
36.	दिल्ली	0

[अनुवाद]

अंतरिक्ष यान का विकास

3014. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस ने किसी नये अंतरिक्ष यान/वाहन का विकास करने के लिए कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत के लिए उक्त यान की उपयोगिता क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

स्मरणात्मक डाक टिकट जारी किया जाना

3015. **श्री उत्तमराव ढिकले:**
श्री कोडीकुनील सुरेश:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर और आर. शंकर, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी हां।

(ख) विभाग ने 28.5.1970 को वीर सावरकर पर डाक-टिकट जारी किया है। आर. शंकर पर डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव व्यक्तित्वों पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था, इसलिए इसे मंजूरी नहीं दी गई। आर. शंकर पर विशेष विरूपण सहित विशेष आवरण जारी करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। अन्य व्यक्तित्वों पर डाक-टिकट जारी करने के प्रस्तावों पर विचार और सिफारिश फिलैटली सलाहकार समिति द्वारा की जाती है और डाक-टिकट जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

इलाज करने से मना करना

3016. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद के कुछ प्रमुख प्राधिकृत अस्पतालों में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के लाभार्थी, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का इलाज करने से मना किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को के.स.स्वा. योजना, हैदराबाद के अंतर्गत मान्यताप्राप्त निम्नलिखित अस्पतालों को रेफर करना तथा अस्पतालों के विरुद्ध अनियमितताओं की कुछ शिकायतों की जांच पूरी होने तक रोक दिया गया है:

1. अपोलो अस्पताल, हैदराबाद
2. मेडिसिटी हास्पिटल, हैदराबाद
3. सी डी आर हास्पिटल, हैदराबाद
4. यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल, हैदराबाद

(ग) और (घ) इन अस्पतालों में लाभार्थियों को फिर से रेफर करने के संबंध में सरकार को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, जांच पूरी होने तक इन प्राइवेट अस्पतालों में के.स.स्वा. योजना के लाभार्थियों को फिर से रेफर किये जाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

एड्स नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय नीति

3017. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की धीमी गति को ध्यान में रखते हुए एड्स नियंत्रण संबंधी एक नयी राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) जी, नहीं। भारत सरकार ने पहले ही अप्रैल, 2002 में राष्ट्रीय एड्स निवारण एवं नियंत्रण नीति को अनुमोदित किया एवं अपनाया है। इससे एच आई वाई संक्रमण को फैलने से रोकने और इस महामारी के लिए कार्रवाई करने हेतु राष्ट्रीय क्षमता बढ़ाने की दिशा में सरकार की दृढ़ता एवं वचनबद्धता की पुष्टि होती है।

मेरठ-कोटद्वार-बद्रीनाथ सड़क पर निर्माण कार्य की धीमी गति

3018. डा. महेन्द्र सिंह पाल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यात्री मेरठ-कोटद्वार-बद्रीनाथ सड़क पर निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण बहुत-सी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सड़क पर हो रहे निर्माण कार्य में निर्धारित समय से अधिक समय लग रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सड़क पर हो रहे निर्माण कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) मेरठ-कोटद्वार-बद्रीनाथ रूट पर मेरठ से श्रीनगर के लिए दो राज्यीय राजमार्ग अर्थात् एस एच-47 और एस एच-41 हैं जो उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल से गुजरते हैं और श्रीनगर से बद्रीनाथ के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 (रा.रा. 58) है। यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जिम्मेदार हैं। मंत्रालय ने रा.रा. 58 पर चौड़ीकरण कार्य को मंजूरी दी है जो सीमा सड़क संगठन के माध्यम से कराया जा रहा है। इस प्रकार सड़क प्रयोक्ताओं को हो रही असुविधा को कम से कम किया गया है।

(ग) राज्यीय राजमार्गों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। जहां तक रा.रा. 58 का संबंध है, निर्माण कार्य नियत लक्ष्य के अनुसार चल रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यूरेनियम का खनन

3019. श्री शिबू सोरेन:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड में कुछ वन क्षेत्रों में यूरेनियम के खनन से यहां के वनों में रहने वाली जनजातियों के लिए यूरेनियम के खनन के दौरान निकलने वाले विकिरण से गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संबंधी कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मूल्यांकन अध्ययन का क्या परिणाम निकला;

(ङ) इन वनों से होकर कौन-कौन सी नदियां गुजरती हैं जहां यूरेनियम के खनन का कार्य आरंभ किया गया है;

(च) क्या केन्द्र सरकार को इन वनों में उत्खनन गतिविधियों के गंभीर प्रभाव की जानकारी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यू सी आई एल) द्वारा झारखंड में यूरेनियम खानों के परिचालन की वजह से स्थानीय लोगों अथवा पर्यावरण पर कोई खतरनाक प्रभाव नहीं पड़ता है। जादुगुडा में और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकिरण का स्तर इस जिले के अन्य भागों में विद्यमान विकिरण के स्तर जितना ही है। यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की खानों और मिलों में विकिरण का स्तर, इस संबंध में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए ई आर बी) द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही होता है जोकि स्वयं, अन्तर्राष्ट्रीय विकिरण बचाव आयोग

(आई सी आर पी) की सिफारिशों पर आधारित हैं। खानों/मिलों में और उसके आसपास विकिरण स्तरों के व्यवस्थित और प्रभावी मानीटरन के लिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी) की भली-भांति सुसज्जित स्वास्थ्य भौतिकी यूनिट एवं पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशाला, जोकि यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड से स्वतंत्र है, यूसिल के गठन के समय से ही जादुगुडा में काम कर रही है।

बंदुहुरंग में प्रस्तावित खान के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी मूल्यांकन का कार्य मीकॉन लिमिटेड जोकि एक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, द्वारा किया गया है। इस मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

* सांस्थितिकी में परिवर्तन से अपवहन-तंत्र पर और ऐंस्थोटिक्स पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ेगा;
* इस खनन परियोजना की वजह से बफर क्षेत्र में अपवहन तंत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा;
* परिचालनात्मक अवस्था में, बफर क्षेत्र की निकटवर्ती भूमि के इस्तेमाल में, आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि, शहरीकरण आदि की वजह से कुछ परिवर्तन किये जाने की संभावना है, जिसे सकारात्मक माना जा रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में मौजूदा सुविधाएं अच्छी नहीं हैं;
* बफर क्षेत्र में भौम-जल की क्वालिटी से पता चलता है कि खनन से पहले ही, उस जल में लोहे की विद्यमानता, उस क्षेत्र की चट्टानों में लौह लवण की मौजूदगी की वजह से, निर्धारित सीमाओं से अधिक है। खनन और संबद्ध गतिविधियों का इन पर कोई प्रभाव अथवा संबंध नहीं होगा;
* जैसांकि मौजूदा (खनन-पूर्व) मानीटरन आंकड़ों से पता चला है, धूल का मौजूदा पृष्ठभौमिक स्तर बहुत कम है। धूल के स्तर में अनुमानित वृद्धि का आसपास के पर्यावरण पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) गारा नाला नदी, यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की परिचालनरत खानों के निकट से गुजरती है।

(च) अब तक इकट्ठे किए गए आंकड़े, इन जंगलों में खनन कार्यों की वजह से पड़ने वाले किसी प्रतिकूल प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

(छ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

3020. श्रीमती मिनाती सेन: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के दो और उपक्रमों ब्रह्मपुत्र वेली फर्टीलाइजर कारपोरेशन और हॉस्पीटल सर्विसेज कंसल्टेन्सी लिमिटेड का विनिवेश करने की योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की योजना ब्रह्मपुत्र वैली फर्टीलाइजर कारपोरेशन के प्रबंधन के साथ-साथ इसके 74 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश करने की है और शेष शेयर अगले तीन सालों के भीतर बेच दिये जायेंगे;

(ग) क्या किसी प्रत्याशित खरीदवार के न मिलने पर सरकार की योजना ब्रह्मपुत्र वेली फर्टीलाइजर कारपोरेशन के संयंत्रों को बंद करने की है जिससे इसके 1953 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की योजना प्रथम चरण में हॉस्पिटल सर्विसेज कंस्लटेन्सी लिमिटेड के 49 प्रतिशत शेयर बेचने और पांच वर्षों के बाद 51 प्रतिशत शेयर बेचने की है जबकि कम्पनी द्वारा कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ङ) सरकार को ब्रह्मपुत्र वेली फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेन्सी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में विनिवेश आयोग से मई, 2003 में सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। सरकार ने विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू. को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना

3021. श्री सुरेश कुरूप: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू. (महिलाओं पर होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने संबंधी अभिसमय) संबंधी समिति को अपनी आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू. समिति की भारत की प्रारंभिक रिपोर्ट पर क्या मुख्य टिप्पणियां और सिफारिशें हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में विलंब के क्या कारण हैं और दूसरी और तीसरी आवधिक रिपोर्टों की देय तिथियां क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) भारत की प्रारम्भिक रिपोर्ट, जिस पर जनवरी, 2000 में विचार किया गया था, पर 'सीडा' समिति की निष्कर्षक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

'सीडा' समिति ने निम्नलिखित बातों के लिए भारत की प्रशंसा की:

1. महिला-पुरुष समानता तथा भेदभाव से सुरक्षा के मौलिक अधिकार को मान्यता प्रदान किया जाना तथा संविधान में महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई संबंधी समर्थनकारी उपबंध।

2. महिला-पुरुष समानता तथा भेदभाव से सुरक्षा पर समाज कार्य याचिका तथा विधिशास्त्र की अवधारणाओं को विकसित करने में सर्वोच्च न्यायालय का योगदान।

3. पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न नीतियां एवं कार्यक्रम।

4. महिलाओं के साथ भेदभावों को रोकने के सांविधिक दायित्व के साथ राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोगों की स्थापना।

5. महिलाओं हेतु स्थानीय शासन निकायों में 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाने की सकारात्मक कार्रवाई।

6. प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा महिला मुद्दों को विकास की मुख्यधारा में लाने तथा राष्ट्रीय स्तर पर विकास में महिला अधिकार संबधी दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया जाना।

7. गर्भ में लड़की होने पर गर्भपात को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाना।

8. महिलाओं एवं पुरुषों को समान अधिकार प्रदान करने हेतु राष्ट्रीयता कानूनों में संशोधन।

9. प्रस्तावित राष्ट्रीय महिला शक्तिसम्पन्नता नीति।

'सीडा' समिति द्वारा नोट किए गए चिंताजनक मुख्य विषय इस प्रकार हैं:

1. सामाजिक क्षेत्र में महिला विकास हेतु संसाधनों का अपर्याप्त आबंटन।

2. विधायी ढांचें में कमियां, जिन्हें महिला-पुरुष समानता तथा महिलाओं के मानवाधिकारों के संवर्द्धनार्थ, दूर किया जाना चाहिए।

3. विभिन्न धर्मों तथा जातीय समुदायों के ऐसे वैयक्तिक कानूनों में सुधार के कोई उपाय नहीं किये गये हैं, जिसके कारण महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण, लड़कों को वरीयता तथा महिलाओं के प्रति भेदभाव जारी हैं।

4. कन्वेंशन तथा बीजिंग कार्रवाई मंच की घोषणाओं को नीति, आयोजना तथा कार्यक्रमों में, जिनमें अभी भी महिलाओं के प्रति 'कल्याण' का दृष्टिकोण अपनाया जाना है, शामिल नहीं किया गया है।

(ग) भारत ने 25 जून, 1993 को 'महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर कन्वेंशन' का अनुसंधान किया था। भारत ने 'सीडा' समिति को अपनी पहली रिपोर्ट वर्ष 1998 में प्रस्तुत की, जिस पर समिति द्वारा वर्ष 2000 में विचार किया गया। यह प्रारम्भिक रिपोर्ट, जो कि वर्ष 1994 में प्रस्तुत की जानी थी, प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ, क्योंकि रिपोर्ट को प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 1993 से 1996 तक पूरे देश में महिला संगठनों एवं गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्श किया गया तथा कन्वेंशन के विभिन्न अनुच्छेदों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श किया गया।

भारत की दूसरी आवधिक रिपोर्ट 8 अगस्त, 1998 को तथा तीसरी आवधिक रिपोर्ट 8 अगस्त, 2002 को प्रस्तुत की जानी थी। 'सीडा' पर भारत की दूसरी और तीसरी आवधिक कार्यान्वयन रिपोर्टों के संबंध में परामर्श जारी है। वे देश, जिन्हें एक से अधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करनी हैं, सभी रिपोर्टें संयुक्त रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि पिछले बकाया कार्य का निष्पादन एक-साथ किया जा सके।

अनुप्रयुक्त श्रमशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एम.आर.) द्वारा कराया गया सर्वेक्षण

3022. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुप्रयुक्त श्रमशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एम.आर.) ने कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में आर्थिक और ढांचागत बदलाव और उत्पादकता की प्रवृत्ति के प्रभावों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा

3023. श्री रामदास आठवले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को ऐसा ही दर्जा प्रदान करने का है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में कोई ज्ञापन/निवेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (च) भारत के उच्चतम न्यायालय की ग्यारह न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने टी.एम. पै प्रतिष्ठान तथा अन्य द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं पर दिए अपने निर्णय में किसी शैक्षिक संस्था को अल्पसंख्यक संस्था मानने हेतु विभेदक लक्षणों के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है और इस प्रश्न का समाधान नियमित न्यायपीठ पर छोड़ दिया है। अतः किसी विश्वविद्यालय, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी शामिल है, को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्रदान करने का प्रश्न अभी भी अनिर्णीत है।

[अनुवाद]

भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना

3024. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में और अधिक भारतीय प्रबंध संस्थान खोले जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में राज्यवार कितने भारतीय प्रबंध संस्थान खोले जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) पहले से चलाए जा रहे भारतीय प्रबंधन संस्थानों में से कुछ संस्थानों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है ताकि देशभर के छात्र मौजूदा सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इसके अलावा सरकारी निधियों से नए राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करने संबंधी मुद्दे पर बाद में विचार किया जाएगा।

बामर लारी एंड कंपनी का विनिवेश

3025. श्री राम विलास पासवान: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के एक उद्यम बालमेर लारी एंड कंपनी लिमिटेड का विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी नीति के अनुसार सरकारी क्षेत्रों के लाभार्जन करने वाले उपक्रमों का निजीकरण नहीं किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो बालमेर लारी एंड कंपनी लिमिटेड के विनिवेश के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव लाभार्जक प्रतिष्ठान होने के कारण इसके विनिवेश पर पुनर्विचार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इसके विनिवेश के परिणामस्वरूप इस कंपनी के अनुमानतः कितने कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है; और

(छ) यदि (घ) का उत्तर नकारात्मक है तो सरकार द्वारा इस कंपनी के प्रभावित कर्मचारियों का पुनर्वास किस प्रकार से किये जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां। सरकार ने बॉमर लॉरी में बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड द्वारा धारित 61.8 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड का विनिवेश करने का निर्णय सरकार की 'विनिवेश' संबंधी उस घोषित नीति के अनुसरण में है जिसके अधीन सभी गैर-महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 26 प्रतिशत अथवा उसके निचले स्तर तक विनिवेशित किये जा सकते हैं, चाहे वे लाभ अर्जित कर रहे हों अथवा घाटे में चल रहे हों।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) 31.03.2002 की स्थिति के अनुसार बामर लॉरी एण्ड कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 1988 है। प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को हित संरक्षण प्रदान करने के लिए अनुकूल बिक्री के समय जो सौदा दस्तावेज सम्पन्न किये जाते हैं उनमें उपयुक्त खण्ड-वाक्य सम्मिलित किये जाते हैं।

[हिन्दी]

आई.सी.डी.एस.-3 परियोजना

3026. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के लिए आई.सी.डी.एस.-3 परियोजना के अंतर्गत राज्य परियोजना निगरानी इकाई और जिला स्तर के आई.सी.डी.एस. प्रकोष्ठों को स्वीकृति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या योजना तैयार की जा रही है और उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पुनर्गठित आई.सी.डी.एस.-3 परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में आई..सी.डी.एस. परियोजनाओं का भी आई.सी.डी.एस. (सामान्य) स्कीम के अंतर्गत स्थापित मौजूदा राज्य/जिला-स्तरीय अवसंरचना के माध्यम से पर्यवेक्षण किया जायेगा।

(घ) पुनर्गठित आई.सी.डी.एस.-3 परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य हेतु परिचालन लागत, निर्माण कार्य, अभिनव कार्यकलापों तथा किशोर बालिका स्कीम का प्रावधान किया गया है। इनके लिए वित्तीय आवंटन राज्य सरकार को 7 अप्रैल, 2003 को संसूचित किया गया है।

[अनुवाद]

ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थिति में सुधार

3027. श्री अनन्त नायक: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थिति में सुधार हेतु कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थिति में सुधार लाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां।

(ख) ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्वीकृत परियोजना की लागत 6605 करोड़ रु. है और दिनांक 31.7.03 तक 1997 करोड़ रु. खर्च किये जा चुके हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत दिल्ली से जालंधर तक रा.रा. 1 और कानपुर से कोलकाता तक रा.रा. 2 को 4/6/8 लेन का बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जालंधर से अमृतसर की ओर (रा.रा. 1 के 387.1-407.1 कि.मी.) 20 कि.मी. के खंड को चार लेन का बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अगले चरण में शुरू करने का लक्ष्य है। ग्रांड ट्रंक सड़क तथा रा.रा. 91 (गाजियाबाद-कानपुर) के शेष खंडों का सुधार चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है।

राष्ट्रीय महिला आयोग

3028. श्री जी.जे. जावीया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 और 2002-2003 के दौरान आज तक राष्ट्रीय महिला आयोग को दहेज उत्पीड़न और महिलाओं पर अत्याचार संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इनमें से कितनी शिकायतों पर अब तक कार्रवाई की गयी है; और

(ग) महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया है कि आयोग को वर्ष 2000 से प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्न है:

वर्ष (जनवरी से दिसम्बर)	शिकायतों की संख्या
2000	5267
2001	4012
2002	7000
2003 (जनवरी से जुलाई तक)	3650
कुल	19,929

वर्ष 2000 से अभी तक प्राप्त शिकायतों में से राष्ट्रीय महिला आयोग ने 5826 शिकायतों का निपटारा किया है और 11,803 शिकायतों को संबंधित राज्य महिला आयोगों/संबंधित राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजा है।

(ग) सरकार ने महिलाओं को अत्याचारों से संरक्षण प्रदान करने के लिए कई कानून बनाए हैं। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, जैसे दहेज हत्या का अपराध, मानसिक एवं शारीरिक अत्याचार के अपराध, छेड़छाड़, बलात्कार आदि जैसे अपराधों से निपटने के लिए भारतीय दण्ड संहिता में कोई प्रावधान हैं। सामान्य दाण्डिक कानूनों के अलावा, सरकार ने विशेष कानून, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, स्त्री अशिष्ट निरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986, अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम, 1956 और सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987 भी अधिनियमित किये हैं।

घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक, 2002 लोक सभा में 8 मार्च, 2002 को पुरःस्थापित किया गया।

चूंकि महिलाओं के साथ हिंसा समाज में उनके प्रति भेदभावपूर्ण अभिवृत्ति को दर्शाती है, इसलिए सरकार ने उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें प्रचार अभियान, जागरूकता विकास शिविर, कानूनी जानकारी का प्रसार, परामर्श, कानूनी सहायता, स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण हेतु स्कीमें शामिल हैं।

राष्ट्रीय महिला शक्तिसम्पन्नता नीति महिलाओं के साथ सभी प्रकार की हिंसा की घटनाओं के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। इनमें वे घटनाएं भी शामिल हैं, जो दहेज जैसी प्रथाओं के कारण होती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन एक उच्च-स्तरीय सांवधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत किया गया है। आयोग को महिला अधिकारों के हनन की शिकायतों की जांच करने तथा इनसे जुड़े मुद्दों को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाने का अधिदेश है।

[हिन्दी]

'इग्नू' के अध्ययन केन्द्र

3029. श्री प्रदीप यादव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के अध्ययन केन्द्र विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में खोले जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश में अब तक खोले गए ऐसे केन्द्रों की राज्यवार व स्थानवार संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पोस्ता (पोपी) के पौधे की एक नई किस्म का विकास

3030. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसीनल एंड एरोमेटिक प्लांटस (सी.आई.एम.ए.पी.) लखनऊ के वैज्ञानिकों ने पोस्ता के पौंधे की एक रोगरोधी और बीज तथा डंठल की उच्च पैदावार वाली किस्म विकसित की है तथा इसके लिए अमरीकी पेटेण्ट प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो पोस्ता के इस नए पौधे की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसका उपयोग क्या है; और

(ग) इसके लिए प्राप्त किए गए अमरीकी पेटेण्ट से कितना लाभ होगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) और (ख) जी हां। इस किस्म का नाम "रक्षित" रखा गया है। इसे अमरीका में पेटेंट सं. 6,534,696 द्वारा पेटेंट किया गया है। यह रोग प्रतिरोधी तथा उच्च पैदावार वाले जीनोटाइपों से विकसित हाईब्रिड है। इसने मृदुरोमिल आसिता (डाऊनी माइल्डयू) के प्रति उच्च प्रतिरोधकता और आर्द्र पतन (डैम्पिंग ऑफ) तथा ग्रीव विगलन के प्रति साधारण प्रतिरोधकता दर्शायी है। परम्परागत किस्मों की तुलना में इसमें डंठल और बीज की उच्च पैदावार क्षमता है। इसका डंठल मॉर्फिन का अतिरिक्त स्रोत है।

(ग) यह अमरीकी पेटेंट इस नई किस्म की खेती में भारतीय किसानों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिलवाता है।

उड़ीसा में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं

3031. श्री परसुराम माझी:
श्री अनन्त नायक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के के.बी.के./अनुसूचित जिलों के लोगों हेतु समुचित स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलों में अस्पताल/औषधालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन जिलों में कितने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अस्पताल/औषधालय खोले जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए उपलब्ध संसाधनों के भीतर अपने-अपने राज्यों की जनता को उनकी आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के अनुसार आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान करना राज्य सरकार का दायित्व है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के के.बी.के. जिलों में सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी खोलने का इस मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अमरीका और ब्रिटेन के साथ संधियां

3032. श्री अकबर अली खांदोकर: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अमरीका और ब्रिटेन की सरकार के साथ हस्ताक्षर की गई संधियों/समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान हस्ताक्षर की गई प्रत्येक संधि/समझौते की प्रकृति, क्षेत्र और वैद्यता क्या है; और

(ग) इन संधियों/समझौतों के परिणामस्वरूप भारत सरकार को प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) भारत और संयुक्त राज्य ने 17 अक्तूबर, 2001 को पारस्परिक विधिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों में आवश्यक विधिक प्रक्रियाओं के संपन्न होने के पश्चात इस समझौते के प्रभावी होने पर दोनों देशों के बीच कानून प्रवर्तन सहयोग सुदृढ़ होगा।

दोनों सरकारों ने जनवरी, 2002 में सैन्य सूचना के सामान्य सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि दोनों पक्षों के बीच सैन्य सूचना का पारस्परिक संरक्षण संभव हो। इस समझौते से भारत संयुक्त राज्य रक्षा संबंध विकसित हुए।

दोनों पक्षों ने 26 दिसम्बर, 2002 को अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनलों के व्यक्तियों को सौंपने से संबंधित समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हुई कि एक दूसरे के राष्ट्रिकों को अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल को तब तक नहीं सौंपा अथवा स्थानांतरित किया जाएगा जब तक कि ऐसा करने के लिए किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय

समझौते द्वारा अन्यथा प्रतिबद्ध नहीं हो, जिसमें भारत और संयुक्त राष्ट्र दोनों पक्षकार हों, और दूसरी सरकार द्वारा संतोष व्यक्त नहीं किया गया हो। इस समझौते के बावजूद अपने-अपने नागरिकों के संबंध में दोनों देशों की राष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त समझौता ज्ञापनों, संयुक्त वक्तव्यों और सैद्धान्तिक वक्तव्यों सहित संयुक्त राज्य के साथ द्विपक्षीय वार्ता से अनेक पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हुआ है जिनमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा, आतंकवाद विरोधी कार्यवाही, नशीले पदार्थ विरोधी कार्यवाही, साइबर सुरक्षा, सिविलियन अंतरिक्ष अनुप्रयोग, सिविलियन परमाणु क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी मामले और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार ने दो सरकारी द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और यू.के. के बीच लंदन में 25.6.2002 को विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते ज्ञापन के माध्यम से भारत के विद्युत क्षेत्र में सुधार के संवर्द्धन और उसे सुविधाजनक बनाने, विशेषज्ञों के आदान प्रदान और सूचना और सर्वोत्तम प्रणालियों को बांटने के लिए द्विपक्षीय संयुक्त विद्युत क्षेत्र कार्य दल की स्थापना की गई।

सीमाशुल्क कानूनों को समुचित रूप से लागू करने और दोनों देशों के बीच वस्तुओं और व्यक्तियों की आवाजाही के संबंध में सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम, जांच, अभियोजन और उसका सामना करने के लिए 16 मार्च, 2001 को दोनों देशों के बीच सीमा शुल्क मामलों में पारस्परिक सहायता और सहयोग के संबंध में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते ज्ञापन से सीमा शुल्क और संबंधित मामलों संबंधी मामले की जांच में द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक सहायता में संवर्द्धन हुआ है।

इन पहलों से संयुक्त राज्य और यू.के. के साथ आर्थिक विकास, विधि प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत का पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग सुदृढ़ हुआ है।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

3033. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है;

(ख) इस राज्य के कितने जिलों से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के शेष जिलों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) 18 राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरते हैं।

(ख) इन राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत 39 जिले आते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों से शुल्क

3034. **श्री सुनील खां:**
श्री कोडीकुनील सुरेश:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों से शुल्क लिए जाने का कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों तथा छात्राओं और गरीबी रेखा से नीचे आय वाले परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों को छोड़कर कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों से प्रारंभ में नवोदय विकास निधि के रूप में 200 रु. प्रति छात्र प्रति माह लेने का निर्णय लिया गया है।

मानव विकास रिपोर्ट

3035. **डा. वी. सरोजा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों ने मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें उपलब्ध की गयी प्रगति और चिन्ता के क्षेत्रों को दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अधिकांश राज्यों द्वारा ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में राज्यों को दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) कुछ राज्यों ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु। अधिकांश शेष राज्य अपनी राज्य मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में है। इन रिपोर्टों को तैयार करने की स्थिति संलग्न विवरण में है।

(घ) और (ङ) राज्य मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लेने का दायित्व सम्पूर्ण रूप से संबंधित राज्य सरकार का होता है। अत: केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्यों को दिशा-निर्देश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, योजना आयोग राज्य सरकारों को अपनी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा अनुरोध करने पर इस प्रयोजन हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है।

विवरण

राज्य मानव विकास रिपोर्टों के तैयार करने की स्थिति

क्र.सं.	राज्यों के नाम	राज्य मानव विकास रिपोर्टों (एस एच डी आर) को तैयार करने की स्थिति
1	2	3
1.	असम	मसौदा रिपोर्ट तैयार है। रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
2.	आंध्र प्रदेश	सर्वेक्षण आदि के द्वारा मूल आंकड़े संकलित किये जा रहे हैं।
3.	अरुणाचल प्रदेश	सर्वेक्षण आदि के द्वारा मूल आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं।
4.	हिमाचल प्रदेश	रिपोर्ट जारी कर दी गई है।
5.	हरियाणा	रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
6.	गोवा	रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
7.	उड़ीसा	मसौदा रिपोर्ट तैयार है। रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
8.	राजस्थान	रिपोर्ट को अप्रैल, 2002 में जारी कर दिया गया है।
9.	पंजाब	मसौदा रिपोर्ट तैयार है। रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
10.	सिक्किम	रिपोर्ट सितम्बर, 2001 में जारी कर दी गई है।
11.	महाराष्ट्र	रिपोर्ट मई, 2002 में जारी कर दी गई है।
12.	उत्तर प्रदेश	मसौदा रिपोर्ट तैयार है। रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
13.	तमिलनाडु	रिपोर्ट 14.7.2003 को जारी कर दी गई है।
14.	नागालैंड	तैयार की जा रही है।

1	2	3
15.	छत्तीसगढ़	तैयार की जा रही है।
16.	पश्चिम बंगाल	तैयार की जा रही है।
17.	मणिपुर	तैयार की जा रही है।
18.	केरल	तैयार की जा रही है।
19.	गुजरात	तैयार की जा रही है।
20.	जम्मू-कश्मीर	तैयार की जा रही है।
21.	कर्नाटक	रिपोर्ट जारी कर दी गई है।
22.	मध्य प्रदेश	रिपोर्ट जारी कर दी गई है।

नांदेड़ डाक मंडल का बंटवारा

3036. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में नांदेड़ डाक मंडल को नांदेड़ और परभनी मंडलों में बांटने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) नांदेड़ डाक मंडल के शीघ्र बंटवारे हेतु सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) नांदेड़ डाक डिवीजन को बांटकर परभनी डाक डिवीजन बनाने के आदेश 13.12.2002 को जारी कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तार सेवाओं का आधुनिकीकरण

3037. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल में तार सेवाओं का आधुनिकीकरण करने हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कोई बजटीय आवंटन किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन राज्यों में तार सेवाओं के आधुनिकीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस प्रयोजनार्थ अलग से कोई बजट आबंटित नहीं किया गया है। तथापि, इन कार्यक्रमों की मांगें उस वर्ष में टैलेक्स तथा टेलीग्राफ संबंधी कार्यों के लिए आबंटित विकासात्मक निधियों से पूरी की जाती हैं।

(ङ) आधुनिकीकरण का कार्य सतत् प्रक्रिया है, जो आवश्यकता/व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है।

विवरण I

जम्मू-कश्मीर में टेलीग्राफ सेवाओं की आधुनिकीकरण के संबंध में जिलावार ब्यौरे

जिला मुख्यालय का नाम	एसएफएम एसएस पोर्ट्स	ईकेबीसी पोर्ट्स	बी फैक्स स्टेशन	ईकेबीसी/ एफटीसी की सं.	एफटी	ईटीपी
अनंतनाग	0	0	0	0	0	0
बड़गाम	0	0	0	0	0	0
बारामुला	0	0	0	0	0	0
डोडा	0	0	0	0	•0	0
जम्मू	4	1	3	3	16	7
कारगिल	0	0	0	0	0	0
कठुआ	2	0	1	0	0	2
कुपवाड़ा	0	0	0	0	0	0
लेह	1	0	1	0	0	1
पुंछ	0	0	1	0	0	0
पुलवामा	0	0	0	0	0	0
राजौरी	1	0	1	0	0	1
श्रीनगर	2	2	3	3	0	2
ऊधमपुर	1	0	1	0	0	2

नोट: सीटीओ जम्मू में 32 लाइनों वाली एक एसएफएमएस प्रणाली उपलब्ध है।

संक्षिप्त:

एसएफएमएस	स्टोर एण्ड फॉरवार्ड मैसेज स्वीचिंग सिस्टम
ईकेबीसी	इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड कंसंट्रेटर
एफटीसी	फॉरमेटेड टर्मिनल कन्संट्रेटर
बी फैक्स स्टेशन	ब्यूरो फैक्स स्टेशन
एफटी	फॉरमैटेड टर्मिनल
ईटीपी	इलेक्ट्रानिक प्रिंटर

विवरण II

पश्चिम बंगाल में तार सेवाओं की आधुनिकीकरण के संबंध में जिलावार ब्यौरे

जिला मुख्यालय का नाम	एसएफएम एसएस पोर्ट्स	ईकेबीसी पोर्ट्स	ईकेबी	बी फैक्स स्टेशन	एफटी एफटीसी की सं.	ईटीपी
1	2	3	4	5	6	7
24 परगना दक्षिण	2	0	7	4	2	0
दिनाजपुर दक्षिण	0	1	0	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7
बांकुरा	1	1	7	1	1	0
24 परगना उत्तर	2	0	5	2	5	0
मुर्शीदाबाद	1	1	12	0	0	2
बर्दवान	6	4	28	5	13	0
कलकत्ता	51	5	32	13	43	8
हुगली	4	1	17	5	3	0
कूचबिहार	0	1	26	1	11	0
दार्जिलिंग	2	2	13	2	1	0
हावड़ा	2	1	10	3	3	0
जलपाईगुड़ी	0	1	7	1	2	0
नाडीया	2	2	4	2	2	0
मालदा	0	1	10	1	1	0
मिदनापुर	5	3	11	4	1	0
पुरुलिया	1	1	12	1	0	0
दिनाजपुर उत्तर	0	1	0	1	2	0
बीरभूम	2	1	9	2	1	1

नोट: सीटीओ जम्मू में 128 लाइनों वाली एक एसएफएमएस प्रणाली उपलब्ध है।

संक्षिप्त:

एसएफएमएस	स्टोर एण्ड फॉरवार्ड मैसेज स्वीचिंग सिस्टम
ईकेबीसी	इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड कंसंट्रेटर
ईकेबी	इलेक्ट्रॉनिक की बोर्ड
बी/फैक्स स्टेशन	ब्यूरो फैक्स स्टेशन
एफटी	फॉरमैटेड टर्मिनल
ईपी	इलेक्ट्रानिक प्रिंटर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति

3038. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में बाढ़, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति का कोई आकलन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश में यातायात की बहाली और राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना, उनकी मरम्मत और नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण संबंधी वर्तमान में कितने निर्माण कार्य चल रहे हैं; और

(ङ) दसवीं योजना अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में और कुल कितनी लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किये गये आकलन के अनुसार आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति सड़क सतह, पुश्ता दीवार, आर-पार जल निकासी व्यवस्था आदि को हुई क्षति के स्वरूप की है। मरम्मत/पुनः मरम्मत के लिए स्वीकार्य कार्य नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग	स्वीकृत राशि (करोड़ रु.)
2000-01	रा.रा. 5, 7, 9, 16, 18, 43, 202, 205 और 214	5.97
2001-02	रा.रा. 5, 7, 9, 18, 43, 63, 202, 205 और 214	7.34
2002-03	रा.रा. 9, 16, 18, 63, 202 और 214	3.23

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात की बहाली और राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्षति की मरम्मत पर खर्च की गई राशि नीचे दी गई हैं:

वर्ष	राशि (करोड़ रु.)
2000-01	2.74
2001-02	9.23
2002-03	1.24

(घ) फिलहाल, आंध्र प्रदेश में 9वीं योजना अवधि के दौरान घोषित नए राष्ट्रीय राजमार्गों पर 15 सुधार कार्य चल रहे हैं।

(ङ) फिलहाल, धनराशि की कमी के कारण नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किये जा रहे हैं। तथापि, सरकार यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछेक राज्यीय राजमार्गों की बहुत सीमित लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने पर विचार कर सकती है जिनमें आंध्र प्रदेश के राज्यीय राजमार्ग भी हो सकते हैं।

उड़ीसा के लिए वार्षिक योजना

3039. श्री भर्तृहरि महताब: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा हेतु वर्ष 2003-04 के लिए वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल परिव्यय कितना है तथा इसके अंतर्गत आर्थिक विकास, कृषि और औद्योगिक विकास के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क विद्युत और पर्यावरण, वनों सहित सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना हेतु कितना आवंटन किये जाने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) उड़ीसा की वर्ष 2003-04 के लिए वार्षिक योजना के आकार को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(ख) राज्य की वार्षिक योजना 2003-04 के लिए कुल परिव्यय 3200 करोड़ रु. की सहमति हुई। राज्यों की वार्षिक योजनाओं में आर्थिक, कृषि और औद्योगिक विकास के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ग) क्षेत्रकीय परिव्ययों को वार्षिक योजना 2003-04 संबंधी कार्यदल की बैठक के पश्चात् अनुमोदित किया जाएगा।

एच.आई.वी./क्षयरोग के मरीजों को विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता

3040. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एच.आई.वी. और क्षय रोग के सभी मरीजों को क्षयरोग और एच.आई.वी. रोधी दवाइयों की निःशुल्क आपूर्ति करने संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन का सुझाव स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी वित्तीय मदद की पेशकश की है,

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस संबंध में जेनेवा में किसी सेमिनार का आयोजन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से कोई भारतीय प्रतिनिधि इस सेमिनार में उपस्थित थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) भारत सरकार, पहले ही सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में सभी एच आई वी एवम् क्षयरोगियों को राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मुफ्त क्षयरोग रोधी औषधें प्रदान कर रही है। तथापि, इस प्रकार के उपचार की बहुत ऊंची लागत और उपचार की अनिश्चित अवधि को देखते हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे रोगियों के उपचार के लिए एच आई वी रोधी औषधें मुफ्त नहीं दी जाती हैं। परन्तु माता-पिता से बच्चों में रोग के संरक्षण को रोकने तथा प्रभाव के बाद रोग निरोधन हेतु ये औषधें दी जाती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, हां।

इस संबंध में तीसरे वैश्विक टी बी/एच आई वी कार्यदल की बैठक 4 जून से 6 जून 2003 तक मोन्ट्रेक्स, स्विटजरलैंड में हुई थी। जिसमें अपर परियोजना निदेशक, नाको और उप सहायक महानिदेशक (टी.बी.) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने भाग लिया था।

(ङ) कार्यदल की सिफारिशें इस प्रकार थीं:

- एचआईवी/टीबी कार्यकलाप शुरू करने वाले देशों को पहले परिस्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। एशिया को एचआईवी/टीबी/कार्यक्रम की कवरेज बढ़ानी चाहिए और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना चाहिए।
- वैश्विक टीबी/एचआईवी कार्यदल देशों को तकनीकी सहयोग दे सकता है।
- एचआईवी/टीबी कार्यकलाप को अलग न मानकर बल्कि चल रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का हिस्सा समझना चाहिए।
- विभिन्न लाभग्राहियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एचआईवी/टी बी के एक साथ संक्रमण के संबंध में राष्ट्र स्तर पर एक संयुक्त समन्वयकर्ता निकाय स्थापित करना चाहिए।
- एचआईवी/टीबी की दोहरी महामारी और उसकी रोकथाम, विश्व स्वास्थ्य असेम्बली, 2004 की कार्यसूची की मद होनी चाहिए।
- देशों को एचआईवी/टीबी/आपरेशन अनुसंधान, के क्षेत्र में अनुसंधान को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- क्षयरोग कार्यक्रम में एचआईवी की निगरानी को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए तथा क्षयरोगियों के लिए स्वैच्छिक परामर्श और जांच (वी सी टी) सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- ऐसे रोगियों में रुग्णता और मृत्यु को कम करने के लिए एचआईवी/टीबी रोगियों हेतु कोट्रीमोक्साजॉल निवारण उपचार के विषय में विचार किया जाना चाहिए।
- एचआईवी/टीबी रोगियों के लिए ए आर वी उपचार की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए।
- स्वैच्छिक परामर्श तथा परीक्षण केन्द्रों में पता लगाए गए एचआईवी पाजीटिव व्यक्तियों को आइसोनियाजिड रोगरोधी उपचार देने बाबत विचार किया जाना चाहिए।

भूकंप सर्वेक्षण केन्द्र की स्थापना

3041. श्री अशोक ना. मोहोलः क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पुणे में भूकंप सर्वेक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है; और

(ग) महाराष्ट्र में वर्तमान में कार्य कर रहे भूकंप सर्वेक्षण केन्द्रों की स्थानवार संख्या कितनी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान में महाराष्ट्र में 52 भूकंप विज्ञान संबंधी केन्द्र कार्य कर रहे हैं। ये केन्द्र विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रचालित एवं अनुरक्षित किये जाते हैं, नामत: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी), राष्ट्रीय भूगर्भ भौतिक अनुसंधान संस्थान, भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान और महाराष्ट्र इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान। भूकंप विज्ञान संबंधी केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

महाराष्ट्र में भूकंप विज्ञान संबंधी वेषशालाओं की सूची (स्थानवार)

1. मुम्बई
2. पुणे
3. कराड
4. लातूर
5. अकोला
6. नागपुर
7. कोयनानगर
8. अलोर
9. चिपलून
10. रत्नागिरि
11. कोल्हापुर-2 (एमईआरआई एवं आईआईजी)
12. सतारा
13. महाबलेश्वर
14. कोकरूड
15. वारना
16. चिखाली
17. सखारपा
18. मराठवाड़ी-2 (एमईआरआई एवं एनजीआरआई)
19. भाटसा
20. दलखान
21. खारडो
22. वाशाला
23. लाहं
24. धामनी
25. नासिक
26. टांटलाडो
27. पारडी
28. कामतखाड़ी
29. ईशपुर
30. खारिया
31. महन
32. धीम्बे
33. नाथनगर
34. भीमनगर
35. भण्डारडारा
36. भटाला
37. दूधगंगा
38. कटवाली
39. येनपे
40. साहूवाडी
41. मनेरी
42. कुन्डी
43. कडवाई
44. फुरूस
45. कोयना
46. वारना
47. साकारपा
48. कोकरुड
49. शाहादा
50. सागबाड़ा

बेल्लारी क्षेत्र में उन्नत डाक सेवाएं

3042. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बेल्लारी क्षेत्र में कितने डाकघर और तार कार्यालय हैं;

(ख) वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान इस क्षेत्र में कितने नए डाकघर और तारघर खोले गए हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में उपलब्ध करायी जा रही उन्नत डाक सेवाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) बेल्लारी जिले में विभिन्न श्रेणियों के 393 डाकघर डाक सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं जबकि 2 विभागीय तारघर, 2 विभागीय दूरसंचार केन्द्र तथा 389 डाकघर तार सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

(ख) बेल्लारी जिले में 2001-02 और 2002-03 के दौरान कोई डाक या तारघर नहीं खोला गया।

(ग) जिले में डाक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

(1) काउटर लेन-देन में तेजी लाने के उद्देश्य से सिरगुप्पा उप डाकघर को 1.2.2003 से मुख्य डाकघर का दर्जा दिया गया है।

(2) डाक की आवाजाही को गतिशील बनाने और पारेषण समय में कमी लाने के लिए गुडीकोटा, येरम्मीगनूर, सिरगुप्पा, देशनूर शुगर फैक्टरी, हटचूली, पपिनायाकानाहल्ली और तोरनागल उप डाकघरों तथा उनके शाखा डाकघरों की मेल व्यवस्था की समीक्षा की गई है। पारेषण समय में कमी लाने के लिए सिरगुप्पा से बेल्लारी और होस्पेट से तोरनागल के बीच मेल मोटर सेवा शुरू की गई है।

(3) ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार डाकघरों में पर्याप्त नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित डाकघरों की नकदी-सीमा की समीक्षा की गई और इसे संशोधित किया गया:

1. होस्पेट एनसीसी उप डाकघर
2. हरपनहल्ली प्रधान डाकघर
3. होस्पेट प्रधान डाकघर
4. टी.बी. डैम उप डाकघर
5. तोरनागल उप डाकघर
6. रामली बाजार उप डाकघर
7. सोंदूर उप डाकघर
8. बेल्लारी प्रधान डाकघर
9. हागरी आर.एस. उप डाकघर
10. सिरगुप्पा बाजार उप डाकघर

(4) ग्राहकों की शिकायतों के तुरंत निपटान के लिए बेल्लारी प्रधान डाकघर, होस्पेट प्रधान डाकघर और हरनहल्ली प्रधान डाकघर में ग्राहक सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित किये गये हैं।

प्री-पेड मोबाइल कार्डों की दर

3043. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली जिलों में भारत संचार निगम लिमिटेड के मोबाइल प्री-पेड कार्डधारकों से सांगली में 300 रु. और कोल्हापुर में 200 रुपये के रूप में भिन्न-भिन्न दरें वसूल की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं। कोल्हापुर तथा सांगली, दोनों जिलों में समान दरों पर प्री-पेड मोबाइल टेलीफोन सेवाएं दी जा रही हैं। तथापि, आरंभिक चरण में सांगली जिले में कुछ विसंगति देखने में आयी थी, जहां भूलवश 200 रुपये की जगह 300 रुपये वसूल किये गये थे। इसमें तत्काल सुधार करते हुए सभी प्रभावित 332 उपभोक्ताओं को 100-100 रुपये वापिस कर दिए गए थे।

कोल्हापुर जिले में ऐसी कोई विसंगति नहीं हुई थी।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छात्रवृत्ति

3044. श्री पी. कुमारासामी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्कूल/विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने हेतु दी गई छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने वाले उन ग्रामीण छात्रों के लाभार्थ विशेष छात्रवृत्ति/योजनाएं शुरू करने का है जो विद्यमान लाभों को प्राप्त करने में अन्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य से कुछ छात्रों का चयन करके विदेशों में विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने

हेतु मेधावी छात्रों को प्रायोजित करने के लिए एक योजना शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) सरकार द्वारा निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती हैं:

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (केवीपीवाई) के अंतर्गत 10 + 2 स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय जांच परीक्षा द्वारा चुने हुए प्रतिभावान छात्रों को एम.एस.सी./एम.टेक. तक छात्रवृत्ति।
2. राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी) द्वारा 10वीं परीक्षा के बाद एक राष्ट्रीय जांच परीक्षा के माध्यम से छात्रों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ये अध्येतावृत्तियां डॉक्टोरल स्तर तक दी जाती हैं।
3. जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रतिभावान छात्रों को जैव प्रौद्योगिकी एवं मैरिन जैव प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर डिग्री (800 रु.), कृषि जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री (1200 रु.), चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री (1500 रु.), तथा जैव रसायन इंजीनियरी एवं जैव प्रौद्योगिकी में एम.टैक. (3000 रु.) करने के लिए अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को छः महीने तक 5000 रु. प्रतिमाह का वजीफा दिया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 10 + 2 स्तर पर जीव विज्ञान में प्रतिभावान छात्रों के लिए 15000 रु. की एकमुश्त पुरस्कार राशि, प्रतिभा प्रमाण-पत्र और पद भी प्रदान किये जाते हैं।
4. शोधकार्य करने वाले छात्रों को सरकार द्वारा कनिष्ठ एवं वरिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियां (जे आर एफ/एस आर एफ) प्रदान की जाती हैं जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा द्वारा किया जाता है।
5. महासागर विकास विभाग द्वारा महासागरीय विज्ञान के क्षेत्रों में एम.एस.सी. के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रों को अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती है।
6. डॉक्टोरल की उपाधि प्राप्त कर लेने के बाद शोध कार्य करने के लिए रिसर्च एसोसिएटशिप के रूप में छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में नए दूरभाष केन्द्र

3045. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल में नए दूरभाष केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2003-2004 के दौरान केरल में 28 नये टेलीफोन एक्सचेजों की योजना बनाई गई है।

(ग) संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2003-2004 के दौरान केरल सर्किल में संस्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित नये टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	एक्सचेंज का नाम
1	2	3
1.	कालीकट	कुरुम्बतूर
2.		मइकवू
3.		वलियापरम्बा
4.		करक्कमाला
5.		इरिंगन्नूर
6.		पय्योली
7.		वलायाम
8.		वेलोम
9.		कूमुल्ली

1	2	3
10.		कोक्कल्लूर
11.		कायन्ना
12.	एर्णाकुलम	मवुडी
13.		पूयम्कुट्टी
14.		वारापेट्टी
15.		वडुथाला
16.	कोट्टायम	पुंचवयाल
17.	पालघाट	कूट्टानड
18.		धोनी (होमाम्बिका नगर)
19.		कन्यम्पुरम (ओट्टपालम)
20.		मनप्पुल्लिकावु
21.	मालाप्पुरम	इरिम्बिलीयम
22.	किल्लोन	वव्वकावू
23.		कैथाकोडे
24.		थुडायन्नूर
25.	कन्नानोर	पैसाकरी
26.		अरिविलांजपोईल
27.		पोइनाची
28.	त्रिवेन्द्रम	थेन्नूर

आर.पी. सेन्टर के फैकल्टी स्टाफ में रिक्त पद

3046. **श्री टीएच. चाओबा सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आर.पी. सेन्टर एम्स के फैकल्टी स्टाफ में कितने पद रिक्त हैं और इन पदों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या एम्स का विचार इन रिक्त पदों को भरने का है;

(ग) यदि हां, तो इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) त्यागपत्र/अधिवार्षिता के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र में निम्नलिखित संकाय (फेकल्टी) पद रिक्त पड़े हैं:

1. चिकित्सा अधीक्षक-1
2. नेत्र रोग विज्ञान के प्रोफेसर-2
3. नेत्र रोग विज्ञान के सहायक प्रोफेसर-3
4. संवेदनाहरणविज्ञान के सहायक प्रोफेसर-1

(ख) से (घ) जी, हां। रिक्त स्थानों पर भरती एक सतत प्रक्रिया है और यह समुचित औपचारिकताओं का अनुपालन करने के बाद की जाती है।

पत्तन अवसंरचना का विकास

3047. **श्री हरिभाई चौधरी:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक नई कंपनियां छोटे लेकिन कुशल पत्तनों का विकास कर रही हैं और सरकारी स्वामित्व वाले 12 से अधिक बड़े पत्तनों के कारोबार में सेंध लगा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़े पत्तनों की कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु उनमें निवेश हेतु सरकार की तत्परता के बावजूद कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण पत्तन अवसंरचना का आधा-अधूरा विकास हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने और पत्तन अवसंरचना के समन्वित विकास को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान महापत्तनों के अलावा अनेक नये पत्तनों का विकास किया गया है और भारत में कुल यातायात प्रचालन में वृद्धि हुई है। तथापि, केन्द्र सरकार के क्षेत्र में आने वाले महापत्तनों में भी यातायात में लगातार वृद्धि हो रही है।

(ख) यह सच है कि पत्तन क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ी है। यह एक सकारात्मक विकास का सूचक है न कि अव्यवस्थित विकास का।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना

3048. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दक्षिण क्षेत्र के लिए प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने वाले उद्योगों के पंजीकरण हेतु प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इस बोर्ड में पंजीकृत उद्योग कितने हैं;

(ग) क्या बोर्ड इस देश के युवाओं हेतु उपयुक्त रोजगार की तलाश में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं हेतु और रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी हां।

(ख) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा पांडिचेरी को मिलाकर गठित प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई के अंतर्गत पंजीकृत उद्योगों की संख्या 3101 है।

(ग) और (घ) समय-समय पर यथा संशोधित प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत दक्षिणी क्षेत्र स्थित बोर्ड द्वारा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम को लागू करने का उद्देश्य सामान्य तौर पर देश के दक्षिणी क्षेत्र के उद्योगों और विशेषतौर पर यहां के नए स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमाधारियों तथा 10+2 स्तर के व्यावसायिक शिक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मदद करना है ताकि उद्योगों को जरूरतों के अनुसार उन्हें उपयुक्त बनाने हेतु उनके तकनीकी कौशल में वृद्धि की जा सके तथा इसके परिणामस्वरूप रोजगार प्राप्त करने की उनकी योग्यता में भी वृद्धि हो सकें।

[हिन्दी]

प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए प्रयोग

3049. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अंतर्गत देशभर में कितनी प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इन प्रयोगशालाओं में सफल प्रयोगों की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इन प्रयोगशालाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रह है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महिला अधिकारिता हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना

3050. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महिला अधिकारिता हेतु कोई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य योजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) से (ग) सरकार राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, 2001 के कार्यान्वयन हेतु एक राष्ट्रीय कार्ययोजना का प्रारूप तैयार कर रही है।

जम्मू-रावलपिंडी सड़क का खोला जाना

3051. श्री चिंतामन वनगा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जम्मू-रावलपिंडी सड़क सम्पर्क को खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) भारत और पाकिस्तान के बीच जन सामान्य के स्तर पर परस्पर संपर्क बढ़ने का समर्थन सरकार सदैव करती रही है। 9 जुलाई, 2001 को सरकार ने दोनों देशों के बीच यात्रा को सुगम

बनाने के अनेक प्रस्तावों पर विचार करने की इच्छा का संकेत दिया था जिसमें राजस्थान सिंध सीमा पर अतिरिक्त जांच चौकियों के माध्यम से और जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निश्चित स्थलों से यात्रा पर विचार किया जाना भी शामिल था।

प्रधानमंत्री ने 18 अप्रैल, 2003 को एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। बाद में भारत ने दोनों देशों के बीच राजनयिक एवं अन्य संपर्कों को सामान्य बनाने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ने की पहल की। 2 मई, 2003 को संसद में अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ, जन सामान्य के परस्पर संपर्क की महत्ता पर बल दिया। उनके अनुसार इस संपर्क से एक ऐसा वातावरण बनेगा जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच के जटिल मुद्दों का हल ढूंढा जा सकता है।

प्रधानमंत्री की पहल के बाद दोनों देशों ने उच्चायुक्तों की नियुक्ति कर दी है। 11 जुलाई से दिल्ली लाहौर बस सेवा बहाल कर दी गई है; अदला-बदली के आधार पर नागरिक उड्डयन बहाल किये जाने हेतु तकनीकी स्तर की वार्ता 27-28 अगस्त, 2003 को होनी निर्धारित है; दोनों पक्षों ने कैदियों को रिहा किया है; और व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं जन सामान्य के परस्पर संपर्क के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण विनिमय हुए हैं।

सरकार का इरादा है कि राजनयिक एवं अन्य संपर्कों के कदम दर कदम सामान्यीकरण के वर्तमान तौर तरीके पर आगे बढ़ा जाए। इस संबंध में हुई प्रगति और पैदा हुए विश्वास के आधार पर आगे कदम उठाने पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

उपचार हेतु लम्बी प्रतीक्षा सूची

3052. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोगियों को सरकारी अस्पतालों विशेषकर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य ऐसे ही अस्पतालों में विभिन्न मेडिकल टेस्ट कराने के लिए लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मेडिकल टेस्ट को कराने में लगने वाले समय में कमी लाने हेतु क्या प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, नहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अंतरंग रोगियों और आपातकालीन परिचर्या की आवश्यकता वाले रोगियों की सभी चिकित्सा जांचें बिना किसी परिहार्य विलंब के की जाती हैं। ओपीडी में आने वाले रोगियों की रूटिन जांचें प्रत्येक दिन की जाती हैं। तथापि, विशेषीकृत जांच की आवश्यकता वाले ओ पी डी रोगियों को इन जांचों के वास्ते कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अन्य केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में भी सभी आपातकालीन जांचें तुरन्त की जाती हैं। उपलब्ध संसाधनों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

एम.टी.एन.एल. के बिल

3053. श्री सईदुज्जमा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमटीएनएल समय पर बिल नहीं भेजता है और कई मामलों में तो भेजे ही नहीं जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि एमटीएनएल के नेहरू प्लेस कार्यालय अथवा अन्य कार्यालयों में बिलों से संबंधित शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार टेलीफोन बिलों पर फोन नम्बर, फैक्स नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. छापने का है जहां उपभोक्ता शिकायत कर सकें और निजी कम्पनियों की तरह ही बिलों की घरों में सुपुर्दगी और संग्रहण की व्यवस्था करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) उपभोक्ताओं को डाक विभाग के माध्यम से समय पर टेलीफोन बिल भेजे जाते हैं।

(ख) नेहरू प्लेस सहित सभी क्षेत्रों की शिकायतों पर शीघ्र ध्यान दिया जा रहा है और उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) वे टेलीफोन नंबर जहां उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं, टेलीफोन बिल पर छपे होते हैं। फिलहाल, एमटीएनएल का फैक्स नंबर, ई-मेल आई डी और घरों से बिल भेजने और एकत्रित करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग

3054. श्री ए. नरेन्द्र: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग (पी.ए.एम.डी.) द्वारा प्रबंधन सलाह देने के लिए अधिकतम समय सीमा चार सप्ताह पर निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रस्ताव टिप्पणों सहित कुल कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये गए;

(ग) क्या हाल ही में कुछ प्रस्तावों में मूल्यांकन टिप्पणों पर चार सप्ताह की निर्धारित अवधि से अधिक का विलंब हुआ था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलंब के क्या कारण हैं और

(ङ) मंत्रालयों/विभागों द्वारा भेजे गए विभिन्न प्रस्तावों के लिए समय सीमा के भीतर मूल्यांकन टिप्पणों को जारी करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी मूल्यांकन टिप्पणियों की कुल संख्या नीचे दर्शाई गई हैं:

वर्ष	जारी टिप्पणों की सं.
2000	121
2001	132
2002	107
2003 (30 जून 2003 तक)	118
कुल	478

(ग) जी, हां। लेकिन, इससे अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ईएफसी/पीआईबी के मामलों में प्रक्रिया में देरी नहीं हुई है। इस विषय से संबंधित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय चार सप्ताह के बाद तुरंत ईएफसी/पीआईबी की बैठक बुलाने के लिए स्वतंत्र हैं-तथा ऐसे मामलों में पीएएमडी स्वयं ईएफसी/पीआईबी की बैठकों में प्रबंधन सलाह/मूल्यांकन टिप्पणी मुहैया कराएगा।

(घ) मूल्यांकन के लिए प्राप्त प्रस्तावों की निलम्बन स्थिति की प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जाती है तथा महीने के अंत में 4 सप्ताह से अधिक के लंबित प्रस्तावों की एक रिपोर्ट पूर्ववर्ती महीने की आखिरी तारीख को तैयार की जाती है तथा इसे इस प्रभाग (पीएएमडी) की मासिक प्रगति रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दिनांक 1.1.2000 से 30.6.2003 के दौरान 478 प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया। उनमें से 99 प्रस्तावों पर चार सप्ताह से अधिक की देरी हुई थी। देरी होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

- काफी मात्रा में मंत्रालयों/विभागों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का इकट्ठा होना
- प्रभाग में स्टाफ का अभाव
- योजना आयोग में विषय संबंधी प्रभागों का पहले से ही अन्य तात्कालिक प्रकृति के कार्यों में व्यस्त रहना
- कुछ परियोजनाओं का उलझी प्रकृति का होना, विशेषकर सम्बद्ध परियोजनाओं के मामले
- अन्य यूनिटों/उपक्रमों से संबंधित समन्वित कार्य

(ङ) मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गयी है कि वे पीएएमडी को प्रस्तावों को इकट्ठा भेजने के बजाय जैसे ही प्रस्ताव तैयार हों, उन्हें तुरन्त भेज दें तथा ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर के ज्ञापन प्राप्त होने की तारीख से एक या दो दिनों में मूल्यांकन टिप्पणी जारी करने के लिए जोर न दें क्योंकि इससे उन परियोजनाओं के मूल्यांकन में देरी होती है, जिन पर पहले ही कार्य शुरू हो गया होता है।

योजना आयोग के सभी प्रधान सलाहकारों/सलाहकारों/प्रभाग के अध्यक्षों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रस्तावों/परियोजनाओं पर मूल्यांकन टिप्पणी जारी करते समय निर्धारित समय सीमा का पालन करें।

प्रभाग को सुदृढ़ करने के उपाय किये जा रहे हैं।

केरल में पोत सेवा

3055. श्री टी. गोविन्दन: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से राज्य में केरल शिपिंग एंड इनलैंड कारपोरेशन द्वारा पोत सेवा आरंभ करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, केरल राज्य अंतर्देशीय नौचालन निगम (के.रा.अ.नौ.नि.) ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा.) के पास राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 पर निश्चित समयबद्ध कार्गो सेवा के प्रचालन के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। बशर्ते कि भा.अ.ज.प्रा. प्रचालन घाटे के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती रहे।

समान टर्मिनेशन प्रभार प्रणाली

3056. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दूरसंचार क्षेत्र में समान टर्मिनेशन प्रभार प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रस्ताव का विभिन्न टेलीफोन सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वागत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रणाली के कब तक लागू होने की सम्भावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (घ) इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार की व्यवस्था भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा "दि टेलीकम्यूनिकेशन इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज (आईयूसी) विनियम 2003 (2003 का 1)" नामक विनियम जारी करके शुरू की गई। इस विनियम में स्थिर, वायरलेस इन लोकल लूप (सीमित मोबाइल) और सेल्यूलर के लिए टर्मिनेशन प्रभारों को निर्धारित किया गया। यह विनियम 1.5.2003 से लागू किया गया है। ऐक्सेस डेफिसिट कंट्रीब्यूशन की राशि भी निर्दिष्ट की गई है। इस संबध में विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने कुछ कठिनाइयों को व्यक्त किया है और तदनुसार टीआरएआई उपर्युक्त विनियम की समीक्षा कर रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में डब्ल्यू.एल.एल.

3057. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में डब्ल्यू.एल.एल. सेवा प्रदान नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इम्फाल में डब्ल्यू.एल.एल. सेवा को उचित रूप से शुरू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने कनेक्शन दिए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इसे मणिपुर के उन दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में शुरू करने का है जहां बुनियादी टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(च) यदि हां, तो इसे कब तक मणिपुर के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में शुरू किये जाने की सम्भावना है; और

(छ) पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में *डब्ल्यू.एल.एल. को शुरू करने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं?*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) डब्ल्यू एल एल सेवा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम में उपलब्ध है। अरुणाचल प्रदेश में उपस्कर के प्रापण हेतु कार्रवाई की जा रही है तथा वर्ष 2003-04 के दौरान इस सेवा को उपलब्ध कराने की योजना है।

(ग) जी, हां।

(घ) 7.8.2003 की स्थिति के अनुसार 402 है।

(ङ) जी, हां।

(च) मणिपुर में 4000 लाइनों की क्षमता उपलब्ध है तथा वर्ष 2003-04 के दौरान 1500 लाइनों की वृद्धि करने की योजना है।

(छ) कोई विशेष कठिनाई नहीं है सिवाय इसके कि पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा कवरेज सीमित है।

प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा

3058. श्री नरेश पुगलिया: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करने वाले राज्यों को मुआवजा दिए जाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं। सरकार के पास प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करने वाले राज्यों को मुआवजा देने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) सं. 202/95 के, आई ए 424 में सुनवाई के दौरान, न्याय परामर्शक ने आयात की गई लकड़ियों एवं लकड़ी उत्पादों पर उपकर लगाने तथा इससे एकत्रित निधियों को प्रोत्साहन/मुआवजे के रूप में वन-बाहुल्य वाले राज्यों के बीच वितरित करने का सुझाव दिया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) न्याय परामर्शक के प्रस्ताव पर सर्वोच्च न्यायालय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

रोगों का डाटा बैंक

3059. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बीमारियों और असंचारी रोगों के लक्षणों से संबंधित डाटा बैंक तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रोगों से लड़ने में इससे किस सीमा तक मदद मिलेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) इस समय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् अपने राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत अस्पताल और जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों के जरिए समय-समय पर आंकड़े एकत्र करती है और उनका विश्लेषण करती है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, समेकित रोग निगरानी परियोजना के अंतर्गत संचारी तथा गैर-संचारी रोगों के लिए प्रहरी केन्द्र सृजित करने का प्रस्ताव है जिससे जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा निगरानी पद्धति का सुदृढ़ीकरण होगा।

नाभिकीय क्षेत्र में भारत-रूस सहयोग

3060. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस भारत में और रिएक्टरों का निर्माण करने हेतु सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस ने भारत के साथ नाभिकीय ऊर्जा सहयोग बढ़ाने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत, भारत में और रिएक्टरों के निर्माण हेतु रूस द्वारा किए गए प्रस्तावों पर सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) भारत और रूस, भारत में कुडनकुलम नामक स्थान पर 1000 मेगावाट क्षमता वाले दो रिएक्टरों का निर्माण करने के लिए सहकार कर रहे हैं। दोनों देश शांतिमय प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहकार के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के संबंध में बातचीत कर रहे हैं।

(घ) वर्तमान सहकार के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के बारे में अंतिम निर्णय लेने के वास्ते कोई समय-सीमा निर्धारित करनी मुश्किल है।

[हिन्दी]

भारत और चीन के बीच व्यापार मार्ग

3061. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन के बीच व्यापार मार्ग के रूप में जेलेप ला दर्रे के स्थान पर नाथूला दर्रे को चुने जाने को वरीयता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध ब्यौरा और कारण क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) और (ख) जून, 2003 में प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान भारत और चीन ने सीमा व्यापार के विस्तार के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके द्वारा नाथु ला दर्रे को, सीमा व्यापार करने के लिए भारत चीन सीमा पर एक और दर्रे के रूप में शामिल किया गया। भारतीय पक्ष ने सिक्किम राज्य के चांगू नामक स्थान को सीमा व्यापार बाजार के स्थान के रूप में नामोद्दिष्ट करने पर

सहमति प्रकट की है वहीं चीनी पक्ष ने सीमा व्यापार बाजार के स्थान के रूप में तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के रेनकिंगांग को नामोद्दिष्ट करने की सहमति दी है।

[अनुवाद]

नकली दवाएं

3062. श्री अमर राय प्रधान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रक विभाग ने विभिन्न दवाओं के नमूनों की अचानक जांच करने पर पाया कि बाजार में विभिन्न प्रकार की नकली दवाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो सी.जी.एच.एस. यूनानी मेडिकल स्टोर डिपो द्वारा खरीदं जा रहे नकली/घटिया फफुंद संक्रमित दवाओं की खरीद के संबंध में विभिन्न शिकायतें प्राप्त होने के बावजूद केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा नमूनों के संग्रह न करने के क्या कारण हैं जैसाकि वर्ष 1999 और 2000 के दौरान समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं;

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान जनता से और सी.जी.एच.एस. यूनानी औषधालयों/इकाइयों के चिकित्सा अधिकारियों से शिकायतें प्राप्त होने के बावजूद ऐसी दवाओं का वितरण न तो बंद किया गया और न ही नमूनों के संग्रह किए गए; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान

3063. श्री खगेन दास: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिलांग स्थित पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान में शासी निकाय का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शासी निकाय के गठन से अब तक इसकी कितनी बैठकें हुई हैं;

(घ) उन बैठकों में क्या निर्णय लिए गए; और

(ङ) निर्णयों को कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सी.जी.एच.एस. में ड्रैसर

3064. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुंदर लाल तिवारी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी जी एच एस) में ड्रेसर का पद महत्वपूर्ण होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ड्रेसर की नियुक्ति हेतु कोई शैक्षिक अथवा व्यावसायिक योग्यता का मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है और इस पद को नर्सिंग अटेंडेंट की पदोन्नति द्वारा भरा जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को संसद सदस्यों से ड्रेसर के पद हेतु आवश्यक शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने संबंधी कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मामले में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में ड्रेसर के पद से संबद्ध कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण है।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में ड्रेसर के पद के भर्ती नियमों के अनुसार, यह पद ऐसे नर्सिंग अर्दली/नर्सिंग अटेंडेंटों में से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाना होता है जिन्होंने अपने ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में नर्सिंग अटेंडेंट के उक्त फीडर संवर्ग पद को समूह 'घ' के ऐसे अन्य कर्मचारियों में से स्थानांतरण द्वारा भरा जाता है जो आठवीं कक्षा पास हों और जिन्होंने अपने ग्रेड में 3 वर्ष की

नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें घावों की मरहम पट्टी करने का एक वर्ष का अनुभव भी हो।

(ग) से (ङ) जी, हां। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में ड्रेसर की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक निर्धारित करने की विभिन्न शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अपर निदेशकों/संयुक्त निदेशकों से परामर्श करके जांच की जा रही है। इसलिए इस संबंध में कोई भी निर्णय विभिन्न केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना वाले शहरों से इस प्रकार प्राप्त हुई टिप्पणियों की जांच करने के पश्चात ही लिया जा सकता है।

[अनुवाद]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन

3065. श्री अनंत गुढ़े: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन करने तथा इसके प्रावधानों को और कड़ा बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विभिन्न खाद्य वस्तुओं में बड़ी मात्रा में होने वाली मिलावट की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) यद्यपि अपमिश्रण के गंभीर मामलों में आजीवन कारावास का प्रावधान पहले से ही है, फिर भी अपराधों की गम्भीरता के आधार पर अपराधों और दंड की श्रेणी को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव है ताकि छोटे अपराधों का प्रशमन (कम्पाउन्डेड) किया जा सके और उन्हें तत्काल निपटाया जा सके तथा बड़े अपराधों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम मामलों के द्रुत निपटान के लिए विशेष अदालतों की व्यवस्था करने और जांच के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का भी प्रस्ताव किया जा रहा है।

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से व्यापक उपभोग की मदों पर विशेष बल देते हुए संभावित अपमिश्रण के संबंध में जांच सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन पर राज्य खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं के विश्लेषक स्टाफ और खाद्य निरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रस्तावित खाद्य निरापदता संबंधी क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत, राज्य प्रयोगशालाओं का उन्हें उपकरणों की आपूर्ति करके और उनके स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्नयन किया जाएगा।

सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना

3066. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में पी.जी.आई., चंडीगढ़ जैसा चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हरियाणा में स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए अपने राज्य में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तथापि पूरे देश में सामाजिक-आर्थिक स्थिति, विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सेवा सुविधा तथा विशिष्ट चिकित्सा शिक्षा, दोनों की व्यवस्था में विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलनों के आधार पर सरकार ने सिद्धांततः देश के विभिन्न भागों में 'प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पैटर्न पर छह अतिविशिष्टता अस्पताल स्थापित करने का निर्णय किया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने कुछ शेष अल्पसेवित राज्यों/क्षेत्रों में मौजूदा संस्थाओं का उनकी अति-विशिष्टता स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को पूरा करने के लिए उन्नयन करने का निर्णय किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्तर तक उन्नयन करने का भी सिद्धान्ततः निर्णय लिया है। इस संबंध में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) इस समय हरियाणा में स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान, चंडीगढ़ जैसा चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सी.एच.एस. के तदर्थ विशेषज्ञ

3067. श्री विष्णु पद राय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.एच.एस. के अनेक तदर्थ विशेषज्ञ गत नौ वर्षों से अण्डमान और निकोबार प्रशासन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अक्टूबर, 2001 में आई.डी.ए. की स्थायी समिति की बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि उन तदर्थ विशेषज्ञों की सेवाएं नियमित की जाएं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) उन विशेषज्ञों की सेवाएं कब तक नियमित किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) इस समय चार डाक्टर पिछले नौ वर्षों से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) अक्तूबर, 2001 में हुई आई.डी.ए. की स्थायी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेषज्ञों के पदों पर कार्यरत स्थानीय रूप से उपलब्ध डाक्टरों को नियमित किया जाए, संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

(ग) और (घ) नियमित आधार पर विशेषज्ञों की नियुक्ति केवल संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। जब कभी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जाती हैं, तदर्थ डाक्टरों को आवेदन करना होता है। इस मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में प्रतिनियुक्ति/स्थायी आमेलन के आधार पर सेवा करने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए थे। इन विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तदर्थ आधार पर कार्यरत 8 डाक्टरों में से 6 डाक्टरों ने प्रतिनियुक्ति/आमेलन के लिए आवेदन किया था। संघ लोक सेवा आयोग ने प्रतिनियुक्ति के लिए इन उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवारों की सिफारिश की और तीन डाक्टरों (अर्थात् डा. आर.के. हल्दर-त्वचा विज्ञान; डा. (श्रीमती) मुनी सिंघानिया-बाल चिकित्सा; डा. (श्रीमती) कुसुम कंवर-प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान) जो अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे थे, को इन पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजा गया।

पुस्तकें भेजने पर राजसहायता

3068. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार डाक द्वारा पुस्तकें भेजने पर कोई राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डाक सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए राजसहायता को घटाकर 50% या और अधिक कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का राजसहायता में यदि कोई हिस्सा है तो वह कितना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 2002-03 के प्रोजेक्शन के अनुसार इस सेवा पर 27.30 करोड़ रुपए अर्थात् लगभग 76 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) शून्य।

औषधियों का पंजीकरण

3069. डा. बलिराम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी विनिर्माताओं से अपनी औषधियों के पंजीकरण हेतु प्राप्त औषधियों के नामों तथा आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन औषधियों तथा विनिर्माताओं को पंजीकरण प्रदान कर दिया गया है;

(ग) क्या डी सी जी आई कार्यालय ने सभी इकाइयों का निरीक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या चीनी विनिर्माताओं ने कोई आश्वासन दिया है कि अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री की पूर्ति की जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार का किस प्रकार गुणवत्ता पर निगरानी रखने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) 15 जुलाई, 2003 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित सूचना स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीडीएससीओ.निक.इन से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रवेश पत्तन पर संबंधित पत्तन अधिकारियों द्वारा आयातित औषधों के यादृच्छिक नमूने लिये जाते हैं और जांच के लिए केन्द्रीय प्रयोगशालाओं/सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं को भेजे जाते हैं। विभिन्न मानकों के अनुसार संतोषजनक परिणामों के प्राप्त होने के पश्चात् ही परेषित माल रिलीज किया जाता है।

गुजरात में सड़कों का विकास

3070. **श्री पी.एस. गढ़वी: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी वित्तीय संस्थाओं (विश्व बैंक के अलावा) ने गुजरात में सड़कों के विकास हेतु कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात में उक्त सहायता से चलाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य में सड़क अवसंरचना विकसित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां।

(ख) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा 2 ऋण दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जिसमें महाराष्ट्र में स्थित भाग भी शामिल है, के लिए एक ऋण 180 मिलियन अमरीकी डालर का है तथा रा.रा. 8ए, 8बी, 14 और 15 के लिए दूसरा ऋण 320 मिलियन अमरीकी डालर का है।

(ग) गुजरात में विदेशी सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रा.रा.सं.	लंबाई (कि.मी.)	स्थिति
1.	सूरत-अतुल 263.40 से 343 कि.मी.	8	79.60	कार्यान्वयन के अधीन
2.	अतुल-कजली 343 से 381.6 कि.मी.	8	38.60	कार्यान्वयन के अधीन
3.	पोरबंदर-भिलाड़ी खंड 2.00 से 52.50 कि.मी.	8बी	50.50	सौंपे जाने हैं।
4.	भिलाड़ी-जैतपुर खंड 52.50 से 117.00 कि.मी.	8बी	64.50	सौंपे जाने हैं।
5.	बामनबोर-गरमोर खंड 182.60 से 254 कि.मी.	8ए	71.40	सौंपे जाने हैं।
6.	गारमोर-गागोधर खंड रा.रा. 8ए का 254.00 से 308.00 कि.मी. और रा.रा. 15 का 281.30 से 245.00 कि.मी.	8ए और 15	90.30	सौंपे जाने हैं।
7.	गागोधरा-राधनपुर खंड 245.00 से 138.80 कि.मी.	15	106.20	सौंपे जाने हैं।
8.	राधनपुर-डीसा खंड 458.00 से 372.60 कि.मी.	14	85.40	सौंपे जाने हैं।
9.	जैतपुर से गोंडल और राजकोट बाइपास 117.00 से 143.0 कि.मी. और 175.0 से 185.00 कि.मी.	8बी	36	सौंपे जाने हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के भाग के तौर पर गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की 1195 कि.मी. लंबाई में चार लेन बनाई जा रही हैं। इसमें से 485 कि.मी. लंबाई स्वर्णिम चतुर्भुज, 654 कि.मी. लंबाई पूर्व-पश्चिम महामार्ग और 56 कि.मी. लंबाई पत्तन संपर्क (कांडला पत्तन के लिए) के अंतर्गत है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की लगभग 184 कि.मी. लंबाई में चार लेन बनाई गई हैं तथा 32 कि.मी. लंबाई में चार लेन बनाने का कार्य चल रहा है। राज्यीय राजमार्गों तथा दूसरी सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार हैं।

भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना

3071. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री हरिभाई चौधरी:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की कोई योजना/प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक क्या प्रगति हुई हैं;

(ग) क्या प्रस्ताव में आयुर्वेदिक औषधियों की शिक्षा को भी शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या आयुर्वेदिक विनिर्माताओं ने देश में समानांतर औषधियों से प्रतिस्पर्धा करने में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के संबंध में सरकार से संपर्क किया है;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को पुनरुज्जीवित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न स्कीमों के नामों से संबंधित विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) आयुर्वेदिक औषधियों और आधुनिक चिकित्सा औषधियों के बीच कोई स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा नहीं है।

(ङ) और (च) इस पद्धति का विकास करने के लिए विभिन्न स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

1. केन्द्र प्रायोजित स्कीमें

(क) शैक्षणिक संस्थानों का विकास

* भा.चि.प. एवं हो. स्नातकपूर्व कॉलेजों का विकास
* भा.चि.प. एवं हो. शिक्षण कॉलेजों/अस्पताल और अन्य अस्पतालों में भा.चि.प. एवं हो. सुविधा (रोगी परिचर्या सेवा) का नवीकरण व सुदृढ़ीकरण
* सूचना प्रौद्योगिकी
* भा.चि.प. में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा को सहायता
* संस्थानों की स्थापना/भा.चि.प. एवं हो. की अन्य अवसंरचना/उत्कृष्टता केन्द्र/माडल कॉलेजों का उन्नयन करना।
* सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का पुनरभिविन्यास

(ख) अस्पताल और औषधालय

* रेजीमेंटल थेरेपी, पंचकर्म, योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित भा.चि.प. पोलिक्लिनिक
* भा.चि.प. एवं हो. पर आधारित विशेष क्लिनिक
* होटलों (चिकित्सा पर्यटन) में आयुर्वेद पार्क/पंचकर्म
* जिला अस्पतालों में भा.चि.प. स्कंध की स्थापना
* भा.चि.प. एवं हो. को लोकप्रिय बनाने के लिए भा.चि.प. एवं हो. की प्रदर्शनकारी इकाइयों की स्थापना की स्कीम।
* ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी और होम्योपैथी (भा.चि.प. एवं हो.) औषधालयों के लिए अनिवार्य औषधियां, चिकित्सा सामग्री वाली किटों की सप्लाई (घरेलू उपचार सामग्रियां)/भा.चि.प. एवं हो के निवारक और संवर्धन कार्यक्रम के जरिए सभी के लिए स्वास्थ्य।

(ग) औषधि एवं गुणवत्ता नियंत्रण

* राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला और फार्मेसियां
* आधुनिक प्रौद्योगिकी और जैव-प्रौद्योगिकी का उपयोग

* भा.चि.प. एवं हो. उद्योग के लिए आई एस ओ गुणवत्ता नियंत्रण प्रमाणन की प्राप्ति हेतु स्कीम
* ए. एस यू चिह्न और गुणवत्ता प्रमाणन शुरू करने के लिए स्कीमें
* स्वास्थ्यवर्धक संपूरक आहार का विनियमन
* प्रयोगशालाओं/गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं के सर्जन के लिए भा.चि.प. एवं हो. उद्योग को सहायता
* गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण
* अच्छी निर्माण पद्धति प्रमाणन प्राप्त करने हेतु इकाइयों को सहायता

2. **केन्द्र प्रायोजित स्कीमें**

* भा.चि.प. पर भेषज संहिता समिति का सुदृढ़ीकरण
* बहिर्वर्ती अनुसंधान स्कीम
* औषधीय पादपों के विकास हेतु नवाचारी स्कीम
* भा.चि.प. एवं हो. पद्धतियों की स्वीकार्यता का सर्वेक्षण और उपयोग
* केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों का विस्तार
* सूचना, शिक्षा एवं संचार
* नुक्कड़ प्रदर्शनों, प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से भा.चि.प. एवं हो के लाभ पर जागरूकता कायम करना।
* महत्वपूर्ण जनस्थलों/कार्यालयों में डेमोन्स्ट्रेशन विन्डोज/कियोस्क/टच स्क्रीन की स्थापना करना
* भा.चि.प. एवं हो. पर अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यशाला तथा भा.चि.प. एवं हो. में विदेशी छात्रों हेतु छात्रवृत्ति स्कीम
* भा.चि.प. एवं हो. कार्मिक हेतु प्रशिक्षण/फेलोशिप/ज्ञानवर्धक दौरे/कौशल उन्नयन आदि हेतु कार्यक्रम
* मेलों में भाग लेने के लिए भा.चि.प. एवं हो. उद्योग को प्रोत्साहन
* पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन
* पांडुलिपियों का प्रकाशन एवं प्राप्ति
* भा.चि.प. एवं हो. के पूर्वोत्तर संस्थान

[हिन्दी]

बिहार में क्षतिग्रस्त पुल

3072. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कौन से पुल खराब दशा में है;

(ख) प्रस्तावित पुल परियोजनाएं कौन सी हैं जिन पर अभी तक कार्य नहीं हुआ है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) जीर्णशीर्ण स्थिति वाले पुलों के पुनर्निर्माण की आज तक की वर्ष-वार योजना क्या है; और

(घ) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों को नाम नहीं दिया जाता है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 87 पुलों पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

(ख) यद्यपि 13 पुल परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, परंतु अभी उन पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। सड़क निर्माण विभाग, बिहार द्वारा उनके लिए अभी एजेंसियां निर्धारित की जानी हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

सेतु समुद्रम परियोजना

3073. श्री के. मलयसामी: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में रामेश्वरम के निकट सेतु समुद्रम परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की लागत तथा प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना पर कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) नेशनल इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट (एन.ई.ई.आर.आई.), नागपुर को सेतु समुद्रम परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और विस्तृत पर्यावरण समाधात निर्धारण अध्ययन का दायित्व सौंपा गया है। एन.ई.ई.आर.आई. की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को सांविधिक शक्तियां प्रदान करना

3074. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को सांविधिक शक्तियां प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय, कॉलेज और विभागीय अध्यापक कालेज एनसीटीई के नियमों/कानूनों के अनुपालन के संबंध में गम्भीर संकट/अनियमितताओं का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) और (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के तहत सांविधिक शक्तियां प्रदान की गई है।

(ग) से (ङ) विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों तथा मानकों की पुष्टि की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है। राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर इन मानदण्डों तथा मानकों में छूट देने संबंधी मामले पर परिषद द्वारा विचार किया जा सकता है। गुजरात, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल राज्यों को कतिपय रियायतें प्रदान की गई हैं।

[अनुवाद]

लीनियर एक्सलरेटर सिस्टम

3075. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैंसर थेरेपी हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा वित्तपोषित 'लीनियर एक्सलरेटर सिस्टम' को 72.38 लाख रुपये की लागत से विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रणाली 1994 तक स्थापित नहीं की गई और लिनाक ट्यूब तथा मैग्नेट्रॉन की कार्यविधि प्रणाली की स्थापना के पहले ही समाप्त हो गई;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रणाली को पुनः परिचालन योग्य बनाने हेतु अपेक्षित बदले जाने वाले सामान पर 30 लाख रुपए की लागत आई और 13.56 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया; और

(घ) यदि हां, तो लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी, हां। सरल त्वरक प्रणाली का संबंध टीओटी-2 प्रणाली से है, जिसका एकीकरण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल), गाजियाबाद में किया जाना था।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वस्तुतः पूर्ण एकीकरण एवं परीक्षण के बाद प्रणाली वर्ष 1997 के प्रारम्भ में बीईएल, गाजियाबाद में तैयार हुई। लेकिन क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र (आरसीसी), कूच बिहार, जहां इसका प्रतिष्ठापन विशेष रूप में निर्मित विकिरण संरक्षित कक्ष तथा अन्य अनिवार्य बुनियादी सुविधाओं के साथ किया जाना था, तैयार न होने के कारण मशीन का प्रतिष्ठापन नहीं किया जा सका। अन्ततः एक वैकल्पिक स्थान ढूंढना पड़ा और जब तक यह वैकल्पिक स्थान (शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, चण्डीगढ़) आवश्यक मूलसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ तैयार हुआ तब तक लाइनैक ट्यूब तथा मैग्नेट्रॉन की कार्यकुशलता कम हो गई। अतः यह महसूस किया गया कि लाइनैक ट्यूब और मैग्नेट्रॉन को बदला जाना चाहिए तथा पूरी तरह से पुनः परिचालन योग्य एवं कारगर रूप से कार्य करने वाली मशीन का प्रतिष्ठापन दूसरे स्थापना-स्थल पर किया जाना चाहिए।

इसके परिणामस्वरूप उपस्करों के बदले जाने पर 30 लाख रुपए तथा पुनः परिचालन योग्य बनाने पर 13.56 लाख रुपये का

व्यय हुआ। मशीन का प्रतिष्ठापन अब कर दिया गया है और परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी) के अनिवार्य अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) कैंसर के मरीजों के लिए एक अति उच्च प्रौद्योगिकी उपचार उपस्कर से संबंधित विकास के कार्यकलाप होने के कारण, जिनमें किसी निश्चित समय-सीमा का अनुमान लगाना संभव नहीं है, कई अप्रत्याशित समस्याएं उत्पन्न होती हैं और किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गई है।

पाकिस्तानी समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाना

3076. श्री विनय कुमार सोराके: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान में एक-दूसरे के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त प्रतिबंध कब तक हटाये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) भारत सरकार पाकिस्तान के साथ समाचार पत्रों के आयात में कोई भेदभाव नहीं करती है। पाकिस्तान से मुद्रित सामग्री के आयात की अनुमति जारी है। किसी भी बाहरी देश से राजद्रोही, उत्तेजक अथवा अश्लील सामग्री के आयात पर लगा प्रतिबंध पाकिस्तान के संबंध में भी लागू होता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान भारत से समाचारपत्रों के आयात की अनुमति नहीं देता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार उद्योगों के लाभ में कमी

3077. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002-2003 के दौरान सरकारी क्षेत्र के दूरसंचार उद्योगों के निवल लाभ तथा परिचालन आय में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनके निवल लाभ को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आई.टी.आई.) लि. का निवल लाभ तथा प्रचालन आय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	निवल लाभ	प्रचालन आय
2000-01	27.55	2144.20
2001-02	21.58	2317.17
2002-03	(-)374.75	1798.54

(ग) सरकार ने आईटीआई लि. से लागत कम करने संबंधी उपायों सहित कंपनी द्वारा की गई विभिन्न पहलों के साथ-साथ एक व्यापक पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत करने तथा महत्वपूर्ण उपलब्धियों सहित कार्य योजना संबंधी प्रतिबद्धताओं का उल्लेख करने के लिए कहा था।

[हिन्दी]

महिला विकास कार्यक्रम हेतु निधियां

3078. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गए तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के महिला विकास कार्यक्रम हेतु कितनी निधियां आवंटित की गईं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने आवंटित निधियों का उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत कराए गए कार्यों का वास्तविक सत्यापन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) महिला विकास हेतु गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को निर्मुक्त राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रुपये लाखों में)

वर्ष	निर्मुक्त राशि
2000-01	177.75
2001-02	318.64
2002-03	357.54

तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के लिए, जिनके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है, स्वैच्छिक संगठनों को राशियां निर्मुक्त की जाती हैं।

(ख) स्वयंसिद्धा स्कीम के संबंध में, जिसके क्रियान्वयन के लिए राज्य प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है, उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्रतीक्षा है।

(ग) और (घ) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा हेतु आवधिक रिपोर्टों, समीक्षा बैठकों तथा संबंधित क्षेत्राधिकारी के क्षेत्र दौरों के माध्यम से अनुवीक्षण प्रणाली विद्यमान है।

जीवक रक्षक औषधियों की कमी

3079. श्री राम विलास पासवानः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लाला रामस्वरूप क्षयरोग और संबद्ध वक्ष रोग अस्पताल में जीवन रक्षक औषधियों तथा बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की कमी तथा जीवन रक्षक औषधियों की कमी के कारणों का पता लगाने के लिए अस्पताल के कार्यकरण का आकलन कराया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) लाला राम सरूप क्षय एवं श्वास रोग अस्पताल में जीवन रक्षक औषधों तथा बुनियादी सुविधाओं की कोई कमी नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

महिला और बाल विकास हेतु योजनाएं

3080. श्री जी.जे. जावीया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में महिला और बाल विकास हेतु राज्यवार कितनी योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ख) क्या देश में महिला मछुआरों के लिए अनेक योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र शामिल हैं, कार्यान्वित की जा रही बहुत सी स्कीमों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास के घटक शामिल हैं। तथापि, निम्नलिखित 12 विशिष्ट स्कीमें महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं:

1. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल
2. स्वावलम्बन (नोराड)
3. महिलां के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप)
4. स्वाधार
5. अल्पावास गृह
6. स्वयंसिद्धा
7. स्वशक्ति*
8. राष्ट्रीय शिशु गृह कोष सहित कामकाजी एवं रुग्ण माताओं के बच्चों के लिए शिशु गृह/दिवस देखभाल केन्द्र
9. समेकित बाल विकास सेवा (आई. सी. डी. एस.)
10. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई. सी. डी. एस, परियोजनाएं**
11. उदिशा
12. बालिका समृद्धि योजना

* बिहार छत्तीसगढ, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्यों में क्रियान्वित

** आन्ध्र प्रदेश,, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल, केरल, महाराष्ट्र राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में क्रियान्वित

(ख) से (घ) भारत सरकार द्वारा महिला मछुआरों के कल्याण के लिए कोई विशिष्ट स्कीम क्रियान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, उन्हें उपयुक्त महिला सहकारी समितियों का गठन करके तथा सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जैसे कि एकीकृत मत्स्य परियोजना (कोचीन) में भाग लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

जैव रसायन की खरीद/बिक्री

3081. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्स्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक एण्ड इन्टीग्रेटिव बायलॉजी (आईजोआईबी), सीएसआईआर के पास नेशनल फैसिलिटी फॉर बायोकेमिकल एण्ट जेलामिक रिसोर्सेस (एन एफ बी जी आर) परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जैव रसायनों की खरीद/आयात पर वर्षबार और श्रेणीवार कुल कितनी राशि खर्च की गयी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जैव रसायनों की वर्षवार और श्रेणीवार कुल कितनी बिक्री हुई और उक्त अवधि के दौरान जैव रसायनों की बिक्री से कुल कितना लाभ कमाया गया; और

(घ) एक डालर में जैव रसायन की कितनी मात्रा खरीदी गई और उसे कितने रुपये में बेचा गया?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आयातित जैव रसायनों के विभिन्न वर्गों यथा आण्विक जैव रसायन, जीनोमिकी उत्पाद तथा सामान्य जैव रसायन की खरीद पर किए गए कुल खर्च का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्षवार	राषि (रुपये)*
2000-2001	140 लाख
2001-2002	171 लाख
2002-2003	177 लाख

*इन आंकड़ों में रसायनों तथा विदेशी भाड़ा एवं बीमा की लागत सम्मिलित है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयातित जैव रसायनों के विभिन्न वर्गों यथा आण्विक जैव रसायन, जीनोमिकी उत्पाद तथा समान्य जैव रसायन की बिक्री की कुल राशि का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्षवार	राशि (रुपये)*
2000-2001	148 लाख
2001-2002	236 लाख
2002-2003	214 लाख

*दिए गए आंकड़े बीजक का कुल मूल्य है जिसमें रसायनों, बिक्री कर तथा विशिष्ट पेकिंग प्रभार की लागत शामिल हैं।

एनएफबीजीआर-"न लाभ न हानि" आधार पर कार्य करता है।

(घ) डॉलरों में खरीदी गई जैवरसायन की प्रत्येक मात्रा को प्रचलित बाजार दर से 1.0625 गुणा दर पर रुपयों में बेचा जाता है ताकि विदेशी भाड़ा एवं बीमा लागतों इत्यादि को पूरा किया जा सके।

बी.पी.सी.एल. का विनिवेश

3082. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में डीएसपी मेरिल लिंच (एशिया प्रशांत), आईसीआईसीआई सेक्युरिटीज एण्ड फाईनान्स का.लि. और यूबीएस वारबर्ग को बीपीसीएल के विनिवेश हेतु संयुक्त वैश्विक समन्वयक-सह-परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए चयनित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है;

(ग) बीपीसीएल के विनिवेश हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य कितना रखा गया है;

(घ) उनके शेयरों के मूल्य का किस प्रकार आकलन किया गया है;

(ङ) क्या विभाग ने बीपीसीएल के विनिवेश से संबंधित कैबिनेट के निर्णय से ठीक पहले निवेशकों के एक समूह द्वारा बीपीसीएल के शेयरों को खरीदने के संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बीपीसीएल की शेयरधारिता पद्धति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सरकार ने, प्रतिस्पर्द्धात्मक

बोली प्रक्रिया के आधार पर घरेलू पेशकश तथा एडीआर निर्गम, दोनों के माध्यम से सरकार द्वारा धारित बीपीसीएल की 35.2 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने के लिए डीएसपी मेरिल्ल लिंच लिमिटेड, मुम्बई और मेरिल्ल लिंच (एशिया प्रशान्त) लिमिटेड, हांगकांग से युक्त संकाय तथा आईसीआईसीआई सिक्यूरिटीज लिमिटेड, मुम्बई और यूबीएस वारबर्ग, हांगकांग से युक्त दूसरे संकाय को संयुक्त सार्वभौमिक समन्वयक-सह-सलाहकारों के रूप में नियुक्त किया है।

(ग) और (घ) बीपीसीएल विनिवेश जैसी बिक्री की पेशकश के मामले में कोई आरक्षित मूल्य तय नहीं किया जाता है। तथापि, बिक्री की पेशकश के मामले में मूल्य निर्धारण आदि का निर्णय विशेष रूप से प्रक्रिया के किसी उपयुक्त चरण पर बाद में सलाहकारों के साथ परामर्श करके लिया जाता है।

(ङ) जी, नहीं। तथापि, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से बीपीसीएल/एचपीसीएल के विनिवेश पर सितम्बर, 2002 के सरकार के निर्णय के आस पास की अवधि की जांच करने का अनुरोध किया गया था।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

ईटीएण्डटी कार्पोरेशन का फ्रैंचाइजी नेटवर्क

3083. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईटीएण्डटी कार्पोरेशन के फ्रैंचाइजी (विशेष विक्रय अधिकार) नेटवर्क की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नियुक्त फ्रैंचाइजी का ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध कितनी राशि बकाया है; और

(ग) उनसे बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) माननीय उच्च यायालय में ईटीएण्डटी के समापन की याचिका दर्ज किए जाने के बाद माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 16.4.2001 के आदेश में कम्प्यूटर शिक्षण केन्द्रों के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया है। इसके फलस्वरूप, लाइसेंसी नेटवर्क को अभी भी जारी रखा गया है और पूरे देश में 164 लाइसेंसी केन्द्र चल रहे हैं।

(ख) ईटीएण्डटी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 8 नये लाइसेंसी नियुक्त किए हैं। इन 8 लाइसेंसियों से 8.8.2003 की स्थिति के अनुसार वार्षिक शुल्क की बकाया राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ईटीएण्डटी द्वारा बकाया राशि पर ब्याज का संग्रह किया गया है तथा 40,000/- रूपए की अदायगी के संबंध में शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया है।

विवरण

8.8.2003 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि के क्षेत्र-वार/लाइसेंसी-वार ब्यौरे

क्र.सं.	लाइसेंसी का नाम और पता	नियुक्ति की तिथि	बकाया राशि
1.	अभिज्ञान अकादमी, विकास पुरी, नई दिल्ली	24.4.2002	40,000/- रु.
2.	इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, कोट्टयम, केरल	1.6.2002	शून्य
3.	डिजिटल कम्प्यूटर्स, कोल्लम, केरल	26.06.2001	शून्य
4.	अरुणापुरम पिल्लै, कोट्टयम	दिसम्बर, 2002	शून्य
5.	नेदुमकंदम इदुकी जिला, केरल	नवम्बर, 2002	शून्य
6.	ऐस टेक्नोलॉजी, गुलबर्ग, बंगलौर	फरवरी, 2002	शून्य
7.	एडुसॉफ्ट, कोलकाता	03.09.2001	शून्य
8.	विद्या मंदिर, कोलकाता	04.03.2002	शून्य
		कुल बकाया राशि	40,000/- रु.

विनिवेश नीति

3084. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष 2003-2004 के दौरान लगभग 13,200 करोड़ रुपए का विनिवेश करने का बजट बनाया गया था;

(ख) अब तक कितनी राशि का विनिवेश किया गया है और मदवार कितनी राशि का विनिवेश करने की योजना है;

(ग) क्या विशेष रूप से लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में विनिवेश नीति में परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हाँ।

(ख) उन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची, जिनमें सरकार की अल्पांश शेयरधारिता विनिवेशित की गई थी, संलग्न विवरण-I में दी गई है। प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ अनुकूल बिक्री की प्रक्रिया के माध्यम से बेचे गए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची, विवरण-II में दी गई है। वर्ष 2003-04 के दौरान मारुति उद्योग लिमिटेड में सरकारी शेयरधारिता के एक भाग की प्रारम्भिक सार्वजनिक पेशकश से 993 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम, जिनमें विनिवेश प्रगति पर है। संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं। सभी गैर-महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, चाहे वे लाभ अर्जित कर रहे हों अथवा घाटे में चल रहे हों, विनिवेशित किए जाने है। तथापि, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भारतीय तेल निगम लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा भारत गैस प्राधिकरण लिमिटेड के मामले में सरकारी शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं की जाएगी। तेल इण्डिया लिमिटेड का भी विनिवेश नहीं होना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

1991-92 से 1992-2000 तक अल्पांश शेयरों की बिक्री के माध्यम से विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नामों का ब्यौरा

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	1991-92	1992-93	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	एण्ड्रल यूल	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	—	—	48.270	—	—	—	—	—
3.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	—	—	47.169	—	—	—	—	—
4.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	—	8.21	301.336	—	—	—	—	—
5.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	—	331.18	—	—	—	—	—	—
6.	बोंगाई गांव रिफा. एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.	—	45.40	—	—	—	—	—	—
7.	सी एम सी लिमिटेड	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमि. (ट्रावनकोर) लि.	—	1.30	—	—	—	—	—	—
11.	एच एम टी लिमिटेड	—	23.38	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	हिनदुस्तान कॉपर लिमिटेड	—	8.07	—	—	—	—	—	—
14.	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड	—	331.85	563.111	—	—	—	—	—
16.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माण कॉपो. लि.	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	—	81.55	—	—	—	—	—	—
18.	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि.	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	इंडियन रेलवे कॉट कम्पनी लि.	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	इंडियन टेलिफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	—	15.63	—	—	—	—	—	—
21.	मद्रास रिफाईनिरीज लिमिटेड (चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पो. लि.)	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	—	—	1322.168	135.899	—	902.00	—	—
23.	मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पो. लि.	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	नेशनल एल्युमनियम लिमिटेड	—	244.20	0.096	—	—	—	—	—
25.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	—	0.72	0.283	—	—	—	—	—
26.	नेशनल मिनरल डवलपमेंट कॉर्पो. लिमिटेड	—	17.88	—	—	—	—	—	—
27.	नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड	—	70.43	—	—	—	—	—	—
28.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	—	30.36	—	—	—	—	—	—
29.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	—	—	28.076	—	—	—	—	—
30.	राष्ट्रीय व्यापार निगम	—	2.25	—	—	—	—	—	—
31.	स्टील आर्थोरिटी आफ इण्डिया लि.	—	700.10	22.661	13.303	—	—	—	—
32.	विदेश संचार निगम लिमिटेड	—	—	—	—	379.67	—	783.68	75.00
33.	कन्टेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	—	—	99.714	14.118	—	—	221.65	—
34.	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन	—	—	1033.646	—	—	—	1208.96	162.79
35.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	—	—	1051.516	5.156	—	—	2484.96	296.48
36.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	—	—	67.527	—	—	—	—	—
37.	गैस आर्थोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	—	—	194.120	—	—	—	671.86	945.00
38.	इंडियन टूरिज्म डवलपमेंट कॉर्पोरेशन	—	—	51.985	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड	—	—	11.399	—	—	—	—	—
40.	माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	—	—	—	—	—	—	—	—
41.	बाल्को (वित्तीय पुनर्संरचना)/विनिवेश	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	3038.00	1912.51	4843.077	168.476*	379.67	902.00	5371.11	1479.27

चूंकि 1991-92 में शेयरों को इक्कठा बेचा गया था, अतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमवार जुटाई गई राशि उपलब्ध नहीं है।
*इसके अतिरिक्त आईडीबीआई में सरकारी शेयरों की बिक्री से 193 करोड़ रु. भी जुटाए गए थे।

विवरण II

1999-2000 से आज तक विनिवेश तथा अनुकूल बिक्री और संबंधित सौदों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का ब्यौरा

क्र.सं.	नाम	जुटाई गई धनराशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1क.	एम एफ आई एल	105
1ख	एम एफ आई एल-चरण II	44
2.	बाल्को	826.57
3.	सीएमसी	152
4.	एचटीएल	55
5.	एल जे एम सी	2.53
	आई टी डी सी-19 होटल	
6.	आगरा अशोक	3.61
7.	बोधगया अशोक	1.81
8.	हसन अशोक	2.27
9.	टीबीएबीआर मामल्लापुरम	6.13
10.	मदुरै अशोक	4.97
11.	बंगलौर अशोक*	39.41 (अग्रिम शुल्क); (4.11 एमजीएपी)
12.	कुतुब	34.46
13.	लोधी	71.93
14.	एलवीपीएच-उदयपुर	6.77
15.	मनाली अशोक	3.65
16.	केएवीआर कोवलम	40.39
17.	औरंगाबाद अशोक	16.50
18.	एयरपोर्ट, कोलकाता अशोक	19.39
19.	खजुराहो अशोक	2.19
20.	वाराणसी अशोक	8.38
21.	कनिष्क	92.37
22.	इन्द्रप्रस्थ (ए वाई एन)	43.39
23.	चण्डीगढ़ होटल परियोजना	17.27
24.	रणजीत	29.20
	उप-योग	444.09
	एचसीआई-3 होटल	
25.	संतूर होटल, जुहू-मुम्बई	153
26.	इण्डो-होके होटल्स	6.51
27.	संतूर होटल एयरपोर्ट, मुम्बई	83
	उप-योग	242.51
28.	आई बी पी	1153.68
29.	वीसएनएल	3689^

1	2	3
30.	एसटीसी	40^^^
31.	एमएमटीसी	60^^^
32.	पीपीएल	151.70
33क.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	445
33ख.	हिन्दुस्तान जिंक लि.@	6.19
34क.	मारुति उद्योग लि.	1000
34ख.	मारुति उद्योग लि.-प्रारम्भिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से	993
35.	आई पी सी एल	1490.84
36.	सीएमसी लि.	6.07
	कुल योग	10912.11

* न्यूनतम प्रत्याभृत वार्षिक भुगतान पर भावी अर्जन के एन पी वी और पट्टा किराया सहित

^ लाभांश और लाभांश कर सहित। क्र.सं. 5, 25, 25, 26, 27 पर दी गई कंपनियां सहायक कंपनियां है।

यह प्राप्त नकदी अधिशेष के अन्तरण के कारण हुई।

@ कर्मचारियों के पक्ष में विनिवेश

विवरण III

वे मामले जिनमें विनिवेश प्रगति पर है

I. अनुकूल बिक्री

1. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
2. राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड
3. बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड
4. ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी
5. बर्न स्टैण्डर्ड एण्ड कम्पनी
6. भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसल्स लिमिटेड
7. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड
8. फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
9. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
10. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
11. मेकॉन लिमिटेड
12. एमएसटीसी
13. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमटेड (फिलहाल इसका विनिवेश नहीं किया जा रहा है)
14. नेशनल इन्स्ट्रूमेन्टस लिमिटेड
25. नेपा लिमिटेड
16. भारत राज्य व्यापार निगम लिमिटेड
17. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
18. टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
19. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड
20. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
22. स्पॉज आयरन इंडिया लिमिटेड
23. भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड
24. इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (मदर यूनिट)
25. हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
26. होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
    (1) संतूर होटल एक्सपोर्ट, दिल्ली (सेफेयर दिल्ली सहित)
    (2) सेफेयर मुम्बई
27. भारत पर्यटन विकास निगम
    (1) होटल सम्राट नई दिल्ली (पट्टा सह-प्रबंधन नियंत्रण)
    (2) होटल जयपुर अशोक
    (3) होटल पाटलीपुत्र अशोक
    (4) होटल कलिंग अशोक
    (5) होटल जम्मू अशोक
28. केन्द्रीय अन्तर्देशी जल परिवहन निगम लि.
29. हिनदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
30. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.
31. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.
32. खनिज अन्वेषण निगम लि.
33. होटल नीलांचल अशोक पुरी
34. होटल लेकव्यूह अशोक भोपाल

35. होटल रांची अशोक, रांची

36. होटल ब्रह्मपुत्र अशोक गुवाहाटी

37. होटल पाण्डिचेरी अशोक पाण्डिचेरी

38. होटल दोनयी पोलो अशोक ईटानगर

39. होटल पंजाब अशोक आनन्दपुर साहिब

II. बिक्री की पेशकश करने के जरिए विनिवेश

40. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

41. भारतीय निकर्षण निगम लि.

III. बिक्री की पेशकश करने के जरिए सरकार के अवशिष्ट शेयरों का विनिवेश

42. सीएमसी लि.

43. विदेश संचार निगम लि.

44. आईबीपी कंपनी लि.

45. इंडियन पेट्रोकेमिकल्स निगम लि.

46. भारत एल्युमिनियम कंपनी लि. (बाल्को)

IV. विनिवेश पूरा कर लिया गया है परन्तु न्यायालयों/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड के निर्णयों के कारण लम्बित है

47. जेसप एण्ड कम्पनी लि.

48. इन्स्ट्रूमेन्टेसन कंट्रोल वाल्वस लि., पालक्कड़

[हिन्दी]

बिहार में भूमिगत केबल

3085. श्री राजो सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में भूमिगत टेलीफोन केबल (तार) को बिछाने के लिए इनकी आपूर्ति कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार के विभिन्न जिलों में रुके केबल बिछाने के काम का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) बिहार में केबल बिछाने के कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2002-03 में विक्रेताओं द्वारा अग्रिम क्रयादेशों की आंशिक स्वीकृति के कारण आपूर्ति कम थी।

(ग) केबल बिछाने का काम कहीं भी रोका नहीं गया है लेकिन भूमिगत केबल की सीमित मात्रा में उपलब्धता के कारण केबल बिछाने की प्रगति धीमी है।

(घ) भूमिगत केबल प्रापण हेतु नई निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई चल रही है।

(ङ) केबल बिछाने का कार्य एक सतत प्रक्रिया है और केबल की उपलब्धता से इस कार्य में तेजी आने की संभावना है।

[अनुवाद]

मुख्य मुद्दों पर त्रिपक्षीय सहयोग

3086. श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्री राजैया मल्याला:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत, चीन और रूस के बीच अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा समानता आधारित विश्व का निर्माण इत्यादि पर सहयोग के लिए अनौपचारिक वार्ताएं की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बातचीतों का क्या परिणाम निकला है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) से (ग) भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच दोपहर के भोजन पर एक अनौपचारिक बैठक 14 सितम्बर, 2002 को न्यूयार्क में हुई थी। तीनों विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 57वें सत्र की कार्यसूची में शामिल मुद्दों के विषय में विचारों का आदान-प्रदान किया। इस बात पर सहमति हुई कि वे इसी रूप में मिलना जारी रखेंगे। यह निर्णय भी लिया गया कि न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के संबंधित स्थायी मिशन अधिक निकटतापूर्वक समन्वय एवं सहयोग करेंगे। इस निर्णय के अनुसरण में तीनों देशों के स्थायी मिशन एक-दूसरे से सम्पर्क बनाए हुए हैं और उन्होंने,

संयुक्त राष्ट्र संघ में परस्पर हितों के मुद्दों पर सहयोग एवं समन्वय करने के लिए बैठकें की हैं।

गैर-विशेष श्रेणी राज्य

3087. **डा. वी. सरोजा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय, सरकारी और निजी निवेश, संस्थागत निवेश और विदेश से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ए. सी ए के संदर्भ में प्रमुख पांच गैर-विशेष श्रेणी राज्य कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या तमिलनाडु इस सूची में शामिल नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु में प्रति व्यक्ति धन की आवक के कम होने के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय, सरकारी और निजी निवेश, संस्थागत निवेश और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ए) के रूप में प्रमुख पांच गैर-विशेष श्रेणी राज्यों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) तमिलनाडु, प्रति व्यक्ति सरकारी और निजी निवेश (2001) की दृष्टि से प्रमुख पांच राज्यों में शामिल है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय, सरकारी और निजी निवेश, संस्थागत निवेश और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की दृष्टि से पांच प्रमुख गैर-विशेष श्रेणी राज्य

क्र.सं.	ब्यौरा	प्रमुख पांच गैर-विशेष श्रेणी राज्य (अवरोही क्रम में व्यवस्थित)
1	2	3
क.	प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय (2001-02)	
		1. गोवा
		2. कर्नाटक
		3. गुजरात
		4. पंजाब
		5. महाराष्ट्र
ख.	प्रति व्यक्ति सरकारी और निजी निवेश (2001)	
		1. गोवा
		2. गुजरात
		3. तमिलनाडु
		4. उड़ीसा
		5. कर्नाटक
ग.	प्रति व्यक्ति संस्थागत निवेश (2001)	
		1. गोवा
		2. केरल

1	2	3
		3. पंजाब
		4. उड़ीसा
		5. राजस्थान
घ.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (नौवीं योजना के दौरान) के लिए प्रति व्यक्ति अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	
		1. आंध्र प्रदेश
		2. गुजरात
		3. कर्नाटक
		4. उड़ीसा
		5. हरियाणा

स्रोत: दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) दस्तावेज, खंड III, अध्याय-III

राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर बाईपास

3088. **श्री अमर राय प्रधान: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में फालकाता से पुन्दीबाड़ी तक राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर बाईपास और तोरशा नदी पर पुल का निर्माण कार्य कब आरंभ किया गया था;

(ख) अनुमानित लागत कितनी है और पहले कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और इस पर केन्द्र और राज्य सरकारों ने अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की;

(ग) कार्य पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है; और

(ङ) इस कार्य के पूरा होने में हुए विलंब के कारण लागत राशि में वृद्धि होने के लिए कौन-सा अधिकारी उत्तरदायी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) फालकाता से पुंदीबाड़ी तक रा.रा. 31 पर बाइपास और तोरशा नदी पर पुल का निर्माण कार्य क्रमशः नवम्बर, 1991 और दिसम्बर, 1992 में आरंभ किया गया था।

(ख) यह कार्य मूल रूप से कुल 1371.42 लाख रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया था। प्रथम संशोधित लागत प्राक्कलन 3671.15 लाख रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया था। अब तक 3587.13 लाख रु. का व्यय हुआ है जो पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया गया है।

(ग) मूल स्वीकृति के पश्चात् राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप देने/कार्य को सौंपने में लगभग 42 माह का विलंब हुआ। ठेके संबंधी समस्याओं के कारण इसमें और अधिक विलंब हुआ तथा ठेकेदारों द्वारा 2001 से कार्य बंद कर दिया गया है। बार-बार के अनुस्मारकों के बाद दूसरा संशोधित लागत प्राक्कलन दिनांक 1.7.2003 को प्राप्त हुआ है।

(घ) संशोधित लागत प्राक्कलन के अनुमोदन और शेष कार्य सौंपने के पश्चात् इस कार्य के पूरा होने में लगभग 20 महीने लगेंगे।

(ङ) यद्यपि, लागत में वृद्धि के लिए जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है, लेकिन उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

एसबेस्टस खनन

3089. **श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैंसर अनुसंधान संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन एजेंसी ने एसबेस्टस खनन को कैंसर फैलाने वाला खतरा घोषित किया है;

(ख) क्या इन्स्टीट्यूट ऑफ आक्यूपेशनल हेल्थ, अहमदाबाद ने कहा है कि एसबेस्टस खनिकों के असामयिक निधन का कारण एसबेस्टस है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि एसबेस्टस खनन के कार्य में व्यक्तियों को कैंसर होने का खतरा होता है। यद्यपि राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद ने खनिकों की मृत्यु दर पर कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् का यह विचार है कि किसी भी प्रकार के एसबेस्टस के दीर्घकालिक प्रभावन से एसबेस्टोसिस, फेफड़ों का कैंसर और मेसोथेलिओमा विकसित हो सकता है।

कन्ज़्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेन्टर और अन्य द्वारा दायर की गई एक याचिका के प्रत्युत्तर में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसबेस्टस पर निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि:

(1) रोजगार शुरू करने से 40 वर्ष तक की उम्र तक अथवा सेवानिवृत्ति/अवसान के पश्चात् 15 दिनों तक, जो भी बाद में हो प्रत्येक कार्मिक का स्वास्थ्य संबंधी रिकार्ड रखा जाए।

(2) एस्बेस्टस फाइबर का पता लगाने के लिए उद्योगों द्वारा मेम्ब्रेन फिल्टर जांच अपनाई जाए।

(3) सभी कारखानों को प्रत्येक कार्मिक का अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य कवरेज बीमा करने के निर्देश दिए गए थे।

(4) संघ और राज्य सरकारों को प्रत्येक 10 वर्ष के बाद और जब अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन निर्देश दे, फाइबरों की अनुमत्य प्रभावन सीमा वैल्यू के मानकों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था।

(5) संघ और राज्य सरकारों को कार्मिकों को स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए लघु कारखानों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए थे।

एसबेस्टस और एसबेस्टस उत्पादों की हैंडलिंग और उपयोग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विभिन्न मानक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, एसबेस्टस प्रभावन के कारण होने वाले खतरों को कम करने/नियंत्रित करने के लिए कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1987, खान अधिनियम 1952 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उपबंध हैं।

प्रत्यर्पण के मामलों के लिए अधिवक्ताओं का पैनल

3090. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने न्यायालय मामलों विशेषकर प्रत्यर्पण कार्यवाहियों हेतु अधिवक्ताओं के पैनल के गठन के लिए मामले को विधि और न्याय मंत्रालय के साथ उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस पर विधि और न्याय मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के स्थायी परामर्शदाता की पेशेवर सेवाओं को प्रत्यर्पण के मामलों के आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाया गया;

(घ) यदि हां, तो क्या विधि मंत्रालय ने प्रत्यर्पण के मामलों के लिए विशेष सरकारी परामर्शदाताओं के पैनल के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) जी हां।

(ख) विधि और न्याय मंत्रालय में विदेश मंत्रालय से प्रत्यर्पण संबंधी प्रक्रियाओं के लिए अधिवक्ताओं के एक अलग पैनल गठन करने संबंधी प्रस्ताव भेजने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) जी नहीं, तथापि विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति ने इस बात की जोरदार सिफारिश की है कि प्रत्यर्पण संबंधी प्रक्रियाओं के लिए अधिवक्ताओं के पैनल में सर्वोत्तम परामर्शदाताओं को शामिल किया जाए।

(घ) और (ङ) जी हां, विधि मंत्रालय ने प्रत्यर्पण मामलों के लिए परामर्शदाताओं का एक अलग पैनल बनाने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है।

विश्वविद्यालय अध्यापकों की अधिवर्षिता आयु

3091. श्रीमती कान्ति सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रवक्ताओं, रीडरों और प्रोफेसरों हेतु निर्धारित अधिवर्षिता की आयु कितनी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार कितने रीडरों/प्रोफेसरों को अधिवर्षिता के पश्चात सेवा विस्तार दिया गया है;

(ग) अधिवर्षिता के पश्चात भी सेवा विस्तार देने का मानदंड क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कभी इस बात पर विचार किया है कि सेवा विस्तार का रोजगार परिदृश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नेपाल में दूरसंचार सेवाएं

3092. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नेपाल में उस देश के साथ साझेदारी में दूरसंचार के क्षेत्र में काम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में दोनों देशों द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स इंडिया लि. (टीसीआईएल), इस समय निम्नलिखित कार्य कर रहा है:

* नेपाल दूरसंचार निगम की बुनियादी टेलीफोन सेवाओं के लिए कस्टमर केयर एवं बिलिंग सिस्टम तैयार करना

* नेपाल में ईस्ट-वेस्ट हाईवे पर ऑप्टीकल फाइबर केबल परियोजना का कार्यान्वयन

* इसके अलावा नेपाल में महानगर टेलीफोन निगम लि., विदेश संचार निगम लि. और स्थानीय नेपाली कम्पनी, नेपाल वेंचर्स (प्रा.) लि. (एनवीपीएल) के साथ यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (यूटीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी गठित की गई है। यह संयुक्त उद्यम कंपनी नेपाल में वायरलैस इन लोकल लूप आधारित बुनियादी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए 10.10.2001 से प्रचालन में है।

बहिरंग रोगी विभाग का औचक निरीक्षण

3093. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बहिरंग रोगी विभाग का औचक निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके परिणाम क्या हैं; और

(ग) राजधानी के विभिन्न सरकारी अस्पतालों की बहिरंग रोगी विभाग की सेवाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सम्बद्ध अस्पतालों में पंजीकरण काउंटरों, रोगियों के लिए बैठने की व्यवस्था, सिग्नेज सुविधाओं, पीने के पानी की सुविधाओं, व्हील चैयर और ट्रालियों की व्यवस्था में वृद्धि आवश्यकतानुसार की जाती है। रोगियों के प्रतीक्षा समय को कम करने हेतु हर प्रयास किया जाता है।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार सृजन

3094. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगारों का सृजन करने की अपार संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अगले पांच वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्यवार विशेषकर आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में लगभग कितने रोजगार सृजित किये जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी, हां।

(ख) नैसकॉम के अनुमानों के अनुसार, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर क्षेत्र में इस समय 6,50,000 व्यक्ति नियोजित हैं। अनुमान है कि लगभग 2,05,000 व्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर एवं सेवा निर्यात उद्योग में, लगभग 1,60,000 व्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्र में, 25,000 देशीय सॉफ्टवेयर क्षेत्र में और 2,60,000 से ज्यादा व्यक्ति प्रयोक्ता संगठनों में काम कर रहे हैं।

(ग) देश में रोजगार की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने की सुविधा प्रदान करने और विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ हैं सॉफ्टवेयर पार्कों की स्थापना, मीडिया लैब एशिया की स्थापना, इन्टरनेट तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं का प्रसार।

(घ) यह अनुमान है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वर्ष 2008 तक 22 लाख कार्मिकों को नियोजित किया जाएगा। रोजगार के सृजन की प्रस्तावित संख्या से संबंधित राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

3095. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में सी जी एच एस औषधालयों/मान्यताप्राप्त अस्पतालों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या नियमित अन्तरालों पर इन औषधालयों की उचित निगरानी की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी (असम) तथा शिलांग (मेघालय) में चल रही है। इन शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

गुवाहाटी (असम)

(1) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय सं. 1,
हेंगरावारी रोड,
गुवाहाटी-781226

(2) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय सं. 2,
नरेंगी, फारेस्ट गेट, गुवाहाटी-26

(3) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय सं. 3,
भारलुमुख, गुवाहाटी-9

शिलांग (मेघालय)

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, डाकघर के निकट लैतुमफराह, शिलांग-793003

गुवाहाटी तथा शिलांग में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत किसी भी प्राइवेट अस्पताल को मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) संबंधित शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, गुवाहाटी तथा अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, शिलांग द्वारा नियमित आधार पर मानीटरिंग की जाती है, जो आकस्मिक दौरे/निरीक्षण भी करते हैं।

केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय द्वारा स्थान का आबंटन

3096. श्री नरेश पुगलिया:
श्री भास्करराव पाटील:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कई केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों द्वारा विद्यालय परिसर में विभिन्न एजेंसियों को शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थान को चलाने हेतु स्थान आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे विद्यालयों ने केन्द्र सरकार से इन एजेंसियों को अपने विद्यालयों से कार्य करने की अनुमति देने के लिए पहले अनुमति ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इससे इन विद्यालयों ने कितनी राशि एकत्रित की है और उक्त राशि किस प्रकार उपयोग में लायी जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने जानकारी दी है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने अपने विभिन्न विद्यालय-परिसरों में कला, शिल्प तथा खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु एक स्कीम और निर्माण, संचालन एवं अंतरण के आधार पर प्राईवेट पार्टियों द्वारा तरणतालों तथा व्यायामशालाएं बनवाने हेतु एक स्कीम अनुमोदित किया है। कला, शिल्प तथा खेलकूद को बढ़ावा देने संबंधी स्कीम के अंतर्गत कला, शिल्प तथा खेलकूद में कोचिंग देने के लिए प्रति विद्यार्थी भुगतान के आधार पर बाहर के विशेषज्ञों तथा प्रशिक्षकों को लगाया जाता है। विद्यालयों द्वारा विशेषज्ञों को प्रति बच्चा हेतु किया गया भुगतान विद्यालय और उस बच्चे द्वारा 80:20 के आधार पर वहन किया जाता है। इन विशेषज्ञों तथा प्रशिक्षकों को इन विद्यालयों में मौजूद आधारभूत सुविधाओं को विद्यालय कार्यसमय समाप्त होने के पश्चात् आम जनता के लिए उपयोग करने की छूट दी गई है जिसके लिए उन्हें उससे होने वाली आय का 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा। विद्यालयों द्वारा इन प्रशिक्षकों से लिए गए 10 प्रतिशत शुल्क का उपयोग इन आधारभूत सुविधाओं के रख रखाव पर किया जाता है। प्राइवेट पार्टियों द्वारा तरणतालों के निर्माण करवाने संबंधी स्कीम के अंतर्गत इन सुविधाओं के निर्माण हेतु एक विशिष्ट स्थल एक विशिष्ट अवधि के लिए निर्धारित कर दिया जाता है और विशिष्ट अवधि के उपरांत ये सुविधाएं केन्द्रीय विद्यालय संगठन को स्वत: अंतरित हो जाएंगी। इन सुविधाओं के निर्माण, रखरखाव तथा संचालन पर होने वाला संपूर्ण व्यय प्राईवेट पार्टियों द्वारा वहन किया जाता है।

नवोदय विद्यालय समिति ने जानकारी दी है कि उन्होंने अपने विद्यालयों के लिए ऐसी कोई स्कीम तैयार नहीं की है।

सफदरजंग अस्पताल में चिकित्सीय अपशिष्ट निपटान प्रणाली

3097. श्री वाई.वी. राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सफदरजंग अस्पताल की अपशिष्ट निपटान प्रणाली में कमी पायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रणाली को सुधारने के लिए अस्पताल द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) सफदरजंग अस्पताल के एक निरीक्षण के दौरान दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न रंगों के कलर कोडिड बैगों, जो अपशिष्ट के निपटान के लिए निर्धारित रंगों से भिन्न रंगों के हैं, के उपयोग जिससे उन्हें हैंडलिंग करने वाले कार्मिकों में भ्रम पैदा होता है और इनसिनरेटर में उत्सर्जन नियंत्रण यंत्र (डिवाइस) संस्थापित नहीं करने के बारे में बताया था।

उत्सर्जन नियंत्रण यंत्र को संस्थापित किया जा चुका है और जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निर्धारित कलर कोडिड बैगों की उपलब्धता और उपयोग सुनिश्चित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

केबल बिछाने हेतु दिशानिर्देश

3098. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी महानगरों में निजी टेलीफोन कंपनियों द्वारा केबल बिछाने के लिए कोई दिशानिर्देश/नियम निर्धारित बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी कंपनियों ने उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है और केबल लाइन बिछाने में गलत तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे एमटीएनएल को भारी घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार की निजी कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है या करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारत-बंगलादेश आर्थिक संबंध

3099. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:
श्री वी. वेत्रिसेलवन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-बंगलादेश संयुक्त आर्थिक आयोग की हाल ही में बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों पर बातचीत हुई और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने आर्थिक संबंध मजबूत बनाने के लिए ढाका-अगरतला बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध सुदृढ़ करने हेतु उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) भारत और बंगलादेश के बीच छठे संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक 14-16 जुलाई को ढाका में सम्पन्न हुई थी।

(ख) आर्थिक और वाणिज्यिक रुचि के सभी मसलों पर एक व्यापक रीति में चर्चा हुई थी। यह फैसला किया गया कि इसके बाद जेईसी की बैठक वार्षिक आधार पर होगी। यह भी सहमति हुई थी कि अधिकारियों की स्थायी समिति की उस समय एक बार बैठक होगा जब जे ई बी की बैठक होगी तथा घटनाक्रम को प्रभावी रूप से मानीटर करने के लिए एक बार जे ई सी के सत्रों के बीच। यह सहमति थी कि वाणिज्य मंत्रालयों के संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार पर वार्ता आरंभ करने के लिए मध्य अक्तूबर, 2003 तक ढाका में संपन्न होगी। अगस्त, 2003 के प्रथम सप्ताह में ढाका-अगरतला बस सेवा का उद्घाटन करने का एक निर्णय किया था। बंगलादेश के लिए एक संभावित नई ऋण खेप पर चर्चा संपन्न हुई थी जिसे अमरीकी डालर में दिया जा सकता है। रेल तथा सियालदाह जो देवपुर यात्री रेल लिंक द्वारा कुंटेनरयुक्त सेवाओं के सूत्रपात सहित रेलवे सेक्टर में अनेक प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा कृषि जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा हुई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) दोनों पक्षों के बीच ढाका-अगरतला बस सेवा की उद्घाटन संबंधी तिथि निर्धारित की जा रही है।

(ङ) दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध सुधारने के लिए किये जा रहे अन्य उपायों में अर्द्ध-सीमा शुल्क और गैर-सीमा शुल्क प्रतिबंधों तथा सीमा-करों पर, द्विपक्षीय निवेश संरक्षण और संवर्धन पर एक करार और एक संशोधित द्विपक्षीय व्यापार करार से संबद्ध संयुक्त कार्य समूह की बैठकें शामिल हैं।

[हिन्दी]

डब्ल्यू.एल.एल. के लिए आकर्षक दरों की घोषणा

3100. श्री माणिकराव होडल्या गावीत:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रिलायंस और इंडीकॉम ने हाल ही में स्थानीय परिक्षेत्र में बेतार सुविधा के लिए नई आकर्षक दरें घोषित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उपर्युक्त कंपनियों से उनके द्वारा घोषित आकर्षक दरों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ट्राई का विचार इन कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) प्रशुल्क समय-समय पर जारी

किए गए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आदेशों के अनुसार होंगे। ट्राई उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक प्रशुल्क योजनाओं की अनुमति देता है। रिलायन्स और टाटा टेलीसर्विसेज ने किराया और कॉल प्रभारों के विभिन्न संयोजन वाली अनेक वैकल्पिक प्रशुल्क योजनाओं की पेशकश की है।

(ग) से (च) ट्राई के ध्यान में यह बात आई कि रिलायन्स मानसून हंगामा स्कीम के तहत 501 रुपये के प्रारंभ भुगतान पर वायरलेस इन लोकल लूप (सीमित मोबाइल) (डब्ल्यूएलएल एम) कनेक्शन प्रदान कर रहा है जिसमें हैंडसेट प्रदान करना भी शामिल है। ट्राई ने इस मामले को स्वयं उठाया तथा रिलायन्स से योजना तथा हैंडसेट की पेशकश संबंधी ब्यौरों की बाबत स्पष्टीकरण मांगा। हैंडसेट की कीमत को नियंत्रित करने संबंधी मुद्दे पर ट्राई ने और विचार-विमर्श किया तथा इस संबंध में ट्राई का यह मत है कि हैंडसेटों की कीमतों को नियंत्रित न किया जाए। सभी प्रशुल्क योजनाओं को उपभोक्ता द्वारा हैंडसेट पर खर्च की गई लागत के बिना ही देखा जाए। ट्राई ने निर्देश दिया है कि पेश की जाने वाली सभी प्रशुल्क योजनाएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध होनी चाहिए चाहे वह प्रचालक से हैंडसेट खरीदे अथवा न खरीदे। दिनांक 17 जुलाई, 2003 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई।

इसके अलावा, ट्राई ने 01 अगस्त, 2003 को उपभोक्ता के सूचनार्थ प्रशुल्क फार्मेट संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं जिन्हें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उनकी योजनाओं के लिए प्रकाशित करना होगा। ये दिशा-निर्देश उपभोक्ता की सहायता के लिए जारी किए गए हैं ताकि उसे किसी विशेष स्कीम के लिए अपना विकल्प देने से पहले उपलब्ध प्रशुल्क पैकेज के तहत खर्च किए गए कुल वित्तीय व्यय की अच्छी जानकारी हो सके।

[अनुवाद]

आर्थिक अपराधों के लिए अलग सीबीआई स्कंध

3101. **श्री खगेन दास:**
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री भास्करराव पाटील:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक सीबीआई द्वारा विचार किये जा रहे कुल कितने मामले तीन वर्ष से अधिक समय से विचारण हेतु लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या सीबीआई द्वारा विचार किये गये मामलों में दोषसिद्धि दर में कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्राथमिक रूप से पारंपरिक दांडिक अपराधों पर विचार करने में सक्षम सीबीआई पर आर्थिक अपराधों के मामलों का भारी बोझ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर आर्थिक अपराधों के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो का अलग स्कंध बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) 31.7.2003 की स्थिति के अनुसार, 4,350 मामले तीन वर्ष से अधिक समय से विचारण के लिए लंबित है।

(ख) पिछले तीन केलेन्डर वर्षों में दोषसिद्धि के मामलों की संख्या क्रमशः 326, 292 और 430 रही।

(ग) से (च) सीबीआई में एक आर्थिक अपराध स्कंध 1994 से पहले ही कार्य कर रहा है।

गुजरात में चिकित्सा सुविधाएं

3102. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनीसेफ की सहायता से राज्य में मोबाइल अस्पतालों और अनुसंधान केन्द्रों में ई.एन.टी. जांच हेतु अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, ईसीजी, प्रयोगशाला जांच और बुनियादी उपकरण सुविधाएं शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन कनेक्शन

3103. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरिया खण्ड के अन्तर्गत पघियां गांव और आसपास के गांवों के निवासियों ने 160 टेलीफोन कनेक्शन लेने हेतु अपेक्षित राशि जमा करा दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) मुजफ्फरपुर जिले के पघियां और आसपास के गांवों के 140 आवेदकों ने टेलीफोन कनेक्शन लगवाने हेतु अपेक्षित राशि जमा करा दी है।

(ख) और (ग) निकटतम जैन्तपुर एक्सचेंज से 40 कनेक्शन पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। शेष 100 आवेदकों को मोतीपुर बाटीएस से वायरलेस इन लोकल लूप पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे बशर्ते कि इसका विस्तार उपस्कर प्राप्त हो जाए जिसकी मार्च 2004 तक मिलने की संभावना है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान

3104. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में संचारी रोगों का इलाज करने वाले और संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान की भूमिका में परिवर्तन करने और इसका विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों को इस क्षेत्र में अपने संस्थान स्थापित करने हेतु सहायता भी दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) इस समय देश में संचारी रोगों का उपचार करने वाले नए संस्थान खोलने अथवा राज्य सरकारों को इस क्षेत्र में अपने संस्थान स्थापित करने के लिए सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दसवीं योजना के दौरान, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली के कार्यकरण को सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, प्रस्तावित समेकित रोग निगरानी परियोजना के अंतर्गत, राज्यों को प्रयोगशाला तथा निगरानी कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता दिए जाने की परिकल्पना की गई है।

चिकित्सा अनुदान आयोग

3105. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सा अनुदान आयोग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त आयोग स्थापित करने के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चिकित्सा अनुदान आयोग के प्रशासनिक ढांचे पर भारी धनराशि खर्च करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) चिकित्सा अनुदान आयोग स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। इस आयोग के तौर-तरीके तैयार किये जा रहे हैं।

बीएआरसी द्वारा वाटर प्यूरीफायर का विकास

3106. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी) ने एक मेंटिनेंस फ्री वाटर प्यूरीफायर विकसित किया है;

(ख) क्या इस प्रकार वाटर प्यूरीफायर की कीमत बाजार में उपलब्ध अन्य वाटर प्यूरीफायरों की अपेक्षा काफी कम है और इसकी गुणवत्ता भी बेहतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे बाजार में कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी) ने लगभग न के बराबर रख-रखाव वाले घरेलू जल शोधक की प्रौद्योगिकी विकसित की है।

(ख) जी, हां। इस जल शोधक से संबंधित सामग्री की लागत इस समय बाजार में उपलब्ध जल शोधकों की तुलना में कम है और इसकी क्वालिटी बेहतर होगी।

(ग) ऑनलाइन घरेलू जल शोधन उपकरण, सूक्ष्म जीवों, रंग, गंध, निलंबित ठोस पदार्थों और कार्बनिक पदार्थों के संबंध में घरेलू जल को शोधित करने के लिए एक अनूठे बेलनाकार विन्यास वाली पॉलिस्फॉन किस्म की अतिसूक्ष्म निस्यंदन झिल्ली पर आधारित एक युक्ति है।

(घ) अब तक यह प्रौद्योगिकी सात विनिर्माताओं को अंतरित की गई है, जिनमें से दो विनिर्माता अपने उत्पादों को बाजार में ले आए हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना

3107. श्री कोलूर बसवनागौड़: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार से राज्य में एक अलग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फलों और सब्जियों का कृत्रिम रूप से पकाना

3108. श्री सईदुज्जमा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में फलों और सब्जियों के व्यापारी, दुकानदार फलों और सब्जियों को पकाने के लिए एसिटलीन गैस उत्पन्न करने के लिए नियमित रूप से कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे कच्चे फलों के उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार के हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीसीएफएस, सीएफटीआरआई आदि जैसी संस्थाओं ने इस विषय पर कोई अध्ययन कराया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने कैल्शियम कार्बाइड के प्रयोग को समाप्त करने के लिए क्या निवारात्मक उपाए किए हैं/करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) कुछ बेईमान फल व्यापारियों द्वारा फलों को पकाने के लिए कार्बाइड गैस के अवैध प्रयोग की रिपोर्ट मिली हैं। सामान्यतया कार्बाइड गैस कैल्सियम कार्बाइड से उत्पन्न की जाती है।

इस प्रक्रिया के दैरान हाइड्रोजन सल्फाईड एवं फास्फीन जैसी गैसें संभवत: अल्प मात्रा में उत्पन्न होती हैं। ऐसी जानकारी है कि इन गैसों से मतली (नैसिया), वमन तथा सरदर्द जैसे जठरान्त्रीय अनुषंगी प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तथापि, उपयोग के समय फल में इन गैसों की अपशिष्ट मात्रा पाए जाने के संबंध में जानकारी नगण्य है।

(ङ) और (च) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में फलों को पकाने में कार्बाइड गैस के प्रयोग का पहले ही निषेध किया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सभी खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों से समय-समय पर कहा गया है कि वे फलों को पकाने में कैल्सियम कार्बाइड के प्रयोग पर निगरानी रखें तथा इन उपबंधों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

इंजीनियरी परीक्षा में स्थानीय बोली/भाषा को मान्यता देना

3109. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इंजीनियरी महाविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं में स्थानीय बोली/भाषा को मान्यता प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त महाविद्यालयों में केवल अंग्रेजी को ही माध्यम बनाये रखने के क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) कई राज्य इंजीनियरी प्रवेश परीक्षाएं स्थानीय भाषाओं में आयोजित करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-संयुक्त प्रवेश में बैठने वाले उम्मीदवारों के पास क्षेत्रीय भाषाओं में प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प होता है। इस समय, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी तथा हिन्दी माध्यम से आयोजित कर रहा है।

[अनुवाद]

लघु पत्तनों के लिए रूपरेखा

3110. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री परसुराम माझी:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तटीय पोत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए समस्त भारतीय प्रायद्वीप में लघु पत्तन विकसित करने हेतु कोई रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पत्तन स्थलों का अध्ययन करने हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तुत रिपोर्ट में उनके द्वारा विशेष रुप से गुजरात में पहचान किए गए स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इन छोटे पत्तनों के विकास हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मै. टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज को तटीय नौवहन और लघु पत्तन के विकास पर अध्ययन का दायित्व सौंपा गया है। अध्ययन के विचारार्थ विषय में तटीय नौवहन के उपयोग के लिए पत्तनों की संभावित स्थापना के लिए स्थलों का पता लगाना भी सम्मिलित हैं। सलाहकार के साथ करार पर दिनांक 28.2.2003 को हस्ताक्षर किए गए थे। सलाहकार की रिपोर्ट, जो अध्ययन सौंपे जाने के सात महीने के भीतर प्रस्तुत की जानी हैं, की प्रतीक्षा है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

आरक्षित श्रेणियों की नियुक्ति

3111. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंस्टीट्यूट ऑफ जिनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (आई जी आई बी), सी एस आई आर ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग लोगों की समूह (चार) वैज्ञानिक पद पर सरकारी रोस्टर के अनुसार भर्ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) से (ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की घटक इकाई जीनोमिकी और समवेत जीवविज्ञान संस्थान (आईजीआईबी) ने दिनांक 02.07.1997 से प्रभावी सरकार द्वारा निर्धारित पद आधारित रोस्टर के लागू होने के बाद समूह IV (2) और उससे उच्चतर स्तर के 10 वैज्ञानिकों की भर्ती की है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों में आरक्षण समूह 'क' के पदों की निम्नतम श्रेणी अर्थात समूह IV (1) के वैज्ञानिकों के स्तर तक लागू है।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन कनेक्शन

3112. श्री राजो सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान और आज तक बिहार में उपलब्ध कराए गए टेलीफोन कनेक्शनों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) राज्य में इस समय कितने टेलीफोन खराब पड़े हैं;

(ग) क्या राज्य में विभिन्न जिलों में ग्रामीण टेलीफोन प्रणाली विफल हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) बिहार में पिछले दो वर्षों से आज तक उपलब्ध कराए गए टेलीफोन कनेक्शनों की जिलावार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्य में इस समय खराब पड़े टेलीफोन कनेक्शनों की की संख्या 20125 है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन का सही कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) टेलीफोन केक्शनों में खराबी की मरम्मत पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निगरानी।

(2) बाह्य संयंत्र की मरम्मत/सुधार।

(3) चरणबद्ध तरीके से दूर-दूर खड़े किए गए खंभों पर लगाए गए तारों के स्थान पर भूमिगत केबल बिछाना।

(4) दोष संबंधी शिकायतें दर्ज कराने के लिए कम दूरी प्रभारण केन्द्र (एसडीसीसी) में इंटरऐक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स प्रणाली (आईवीआरएस) आधारित केन्द्रीकृत सेवाएं आरंभ करना।

(5) जिन टेलीफोन उपकरणों की मियाद पूरी हो चुकी है उन्हें चरणबद्ध रूप में बदलना।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस इन लोकल लूप, टाइम डिवीजन मल्टीपल ऐक्सेस/प्वाइंट टू मल्टी प्वाइंट (टीडीएमए/पीएमपी), उपग्रह जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल शुरू करना।

(7) लंबी अवधि तक बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए जेनरेटर सेटों को उपलब्ध करना।

(8) सभी ग्रामीण एक्सचेंजों को विश्वसनीय माध्यमों से जोड़ना।

(9) प्रत्येक ग्रामीण एक्सचेंज के दैनिक अनुरक्षण कार्यों पर ध्यान देने के लिए लाइन कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

विवरण

बिहार में पिछले दो वर्षों से आज तक उपलब्ध कराए गए टेलीफोन कनेक्शनों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिला	2001-2002				2002-2003				अप्रैल से जून, 2003			
		लैंड लाइनों की संख्या	डब्ल्यू एलएल	सीएमटी एस	कुल	लैंड लाइनों की संख्या	डब्ल्यू एलएल	सीएमटी एस	कुल	लैंड लाइनों की संख्या	डब्ल्यू एलएल	सीएम टीएस	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अररिया	1705	207	0	1912	886	1080	671	2637	52	0	233	275
2.	अरवल	122	662	0	784	314	700	0	1014	38	0	0	38
3.	औरंगाबाद	3071	1221.	0	4292	657	1324	1020	3001	73	3	1026	1102
4.	बांका	2520	1112	0	3632	1932	927	595	3454	-261	5	367	111
5.	बेगूसराय	6931	850	0	7781	2742	839	1139	4720	-522	0	1303	781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	भभुआ	2580	1565	0	4145	1284	427	0	1711	-3	0	0	-3
7.	भागलपुर	5758	1830	0	7588	3801	1063	2356	7220	836	60	2868	3764
8.	भोजपुर	4239	1407	476	6122	2292	353	215	2860	-2897	0	5	-2892
9.	बक्सर	2711	903	0	3614	1590	409	0	1999	3091	0	0	3091
10.	दरभंगा	8496	1827	0	10323	5744	9	940	6693	127	0	1623	1750
11.	पूर्वी चंपारन	8288	1829	0	10117	4972	1758	1001	7731	687	0	817	1504
12.	गया	4764	1680	0	6444	2739	2021	3629	8389	137	19	4599	4755
13.	गोपालगंज	1279	665	0	1944	504	1295	3040	4839	133	0	523	656
14.	जहानाबाद	465	321	0	786	422	621	780	1823	31	0	1107	1138
15.	जमुई	1096	407	0	1503	883	2197	581	3661	104	99	395	598
16.	कटिहार	2602	311	0	2913	3402	1821	1248	6471	365	51	523	939
17.	खगड़िया	2999	717	0	3716	1804	681	226	2711	169	5	348	522
18.	किशनगंज	2352	139	0	2491	1061	986	473	2520	136	156	442	734
19.	लखी सराय	1629	282	0	1911	1160	878	667	2705	232	31	709	972
20.	माधेपुरा	2256	0	0	2256	1443	1353	418	3214	218	46	378	642
21.	मधुबनी	6444	1010	0	7454	3418	1276	0	4694	194	0	767	962
22.	मुंगेर	4413	486	0	4899	2008	260	495	2763	289	23	956	1268
23.	मुजफ्फरपुर	8856	1560	0	10416	6420	825	1526	8771	400	78	3161	3639
24.	नालंदा	-32	275	585	828	2439	419	188	3046	-63	0	3	-60
25.	नवादा	7666	605	0	8271	957	868	979	2804	55	103	1194	1352
26.	पटना	21918	7837	6656	36411	7592	2343	5508	15443	-2089	0	166	-1923
27.	पूर्णिया	2515	305	0	2820	3344	1476	1031	5851	235	0	835	1070
28.	सहरसा	4211	0	0	4211	1164	1805	372	3341	435	23	525	983
29.	समस्तीपुर	9670	830	0	10500	4352	878	563	5793	189	141	629	959
30.	सारण	4868	876	0	5744	1600	1225	2131	4956	181	0	515	696
31.	रोहतास	6106	3426	0	9532	3254	627	543	4424	134	113	286	533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.	शेखपुरा	1400	203	0	1603	812	637	329	1778	77	2	219	298
33.	शिवहर	338	325	0	663	112	42	201	355	0	0	0	0
34.	सीतामढ़ी	2330	907	0	3237	1635	619	483	2737	100	0	782	882
35.	सिवान	4881	435	0	5316	403	1006	1908	3317	194	0	255	449
36.	सुपौल	3188	0	0	3188	2020	1567	340	3927	237	38	297	572
37.	वैशाली	8831	2168	339	11338	2981	801	104	3886	734	1	76	811
38.	प. चम्पारन	5309	867	0	6176	1768	1231	816	3815	-27	17	484	474
	कुल	168775	40050	8056	216881	85911	38647	36516	161074	4022	1014	28406	33442

[अनुवाद]

रोगों का उन्मूलन

3113. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां काला जार, फाइलेरिया, डेंगू, छोटी चेचक, बड़ी चेचक, कैंसर, मलेरिया और मस्तिष्क शोथ जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में स्थिति का तत्स्थानिक अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों का कोई दल भेजा है;

(ग) यदि हां, तो उक्त दल के निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अभी तक इन रोगों का मुकाबला करने हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा इन रोगों पर काबू पाने हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): क) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में वायरल एनसेफेलाइटिस, केरल तथा कर्नाटक में डेंगू ज्वर, झारखण्ड में कालाजार, पश्चिम बंगाल में मलेरिया के कारण रोगियों की संख्या में वृद्धि की सूचना मिली है। फाइलेरिया के रोगियों में किसी वृद्धि की सूचना नहीं मिली है। चेचक का उन्मूलन विश्वभर में किया जा चुका है। कैंसर के रोगियों के राज्यवार ब्यौरे केन्द्र द्वारा नहीं रखे जाते।

(ख) और (ग) हाल ही में, तीन दलों ने आंध्र प्रदेश का, दो दलों ने केरल का, एक दल ने महाराष्ट्र का और एक दल ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया। इन दलों ने आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में वायरल एनसेफेलाइटिस, केरल में डेंगू ज्वर और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में मलेरिया के प्रकोप की पुष्टि की है।

(घ) डेंगू तथा जापानी एन्सेफलाइटिस के लिए अलग से कोई निधियां नियत नहीं की गई हैं। उन रोगों के नियंत्रण हेतु व्यय, राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित बजट में से वहन किया जाता है। गत तीन वर्षों के लिए राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम, कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम तथा विश्व बैंक की सहायता से वृहद् मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत प्रदान की गई राज्यवार केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। मौजूदा वर्ष के दौरान राज्यों की आवश्यकताओं तथा उनके पास शेष निधियां, यदि कोई हों, के उपयोग के आधार पर निधियां रिलीज की जाएंगी। गत 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को रिलीज की गई निधियां संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई हैं। मौजूदा वर्ष के दौरान, किसी भी राज्य को कोई सहायता अनुदान रिलीज नहीं किया गया है।

(ङ) मलेरिया के नियंत्रण के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक वृहद् मलेरिया नियंत्रण परियोजना 8 राज्यों के आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में 1997 से ही चल रही है।

विवरण I

2000-2001 से 2002-2003 तक राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम और वृहद मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे

(रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2000-01	2001-02	2002-03
आंध्र प्रदेश	2523.24	954.65	548.86
अरुणाचल प्रदेश	293.79	364.67	377.08
असम	2657.86	2377.47	1934.39
बिहार	328.82	525.94	95.85
छत्तीसगढ़	271.65	876.3	3047.95
गोवा	0.98	6.17	7.97
गुजरात	1480.92	1353.89	767.99
हरियाणा	78.35	18.42	55.79
हिमाचल प्रदेश	89.06	36.78	11.89
जम्मू और कश्मीर	84.28	69.62	382.43
झारखण्ड	—	804.33	1267.52
कर्नाटक	233.36	369.55	227.36
केरल	75.92	42.78	6.16
मध्य प्रदेश	2154.36	2540.77	2408.15
महाराष्ट्र	1478.39	2289.2	947.11
मणिपुर	235.72	275.28	144.86
मेघालय	303.58	290.37	301.70
मिजोरम	235.26	345.85	195.40
नागालैंड	278.91	368.08	367.24
उड़ीसा	1440.89	1745.01	3030.8
पंजाब	148.31	94.09	65.75
राजस्थान	468.09	924.93	925.9
सिक्किम	0.12	0.14	4.32
तमिलनाडु	133.90	85.72	125.2

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2000-01	2001-02	2002-03
त्रिपुरा	480.94	505.76	389.93
उत्तर प्रदेश	544.11	637.44	526.19
उत्तरांचल	—	39.19	1.96
पश्चिम बंगाल	454.44	701.72	347.04
दिल्ली	100.45	89.57	58.47
पांडिचेरी	13.56	8.3	13.18
अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	231.73	220.78	230.07
चंडीगढ़	44.81	35.51	38.29
दादरा एवं नगर हवेली	18.12	40.47	16.07
दमन और दीव	9.9	18.64	7.99
लक्षद्वीप	5.57	5.29	5.35
कुल	16899.39	19062.88	18882.2
काला-आजार			
बिहार	856.06	327.93	102.50
झारखण्ड	0	99.5	83.64
पश्चिम बंगाल	143.92	314.06	126.72
उत्तर प्रदेश	0	25.8	79.15
कुल	999.98	767.29	391.02

विवरण II

2000-2001 से 2002-2003 तक राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों के ब्यौरा

(राशि लाख में)

	2000-2001	
1.	मेडिकल कालेज, मैसूर	200.00
2.	बंगलौर मेडिकल कालेज एंड विक्टोरिया	200.00
3.	इंस्टीट्यूट आफ ओब्सटेरिक एंड गायनेकोलाजी गव. होस्पी. तमिलनाडु	150.00
4.	गव. रायापेठ होस्पीटल, चेन्नई	150.00
5.	भिवानी गव. हास्पीटल, हरियाणा	150.00
6.	एस.जी. कैंसर हास्पीटल एंड एम.जी.एम. मेडिकल कालेज, इंदौर	150.00

7.	कामा एंड एल्बलैस हास्पीटल, मुम्बी	150.00
8.	नेताजी सुभाष चन्द्र मेडिकल कालेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश	120.00
9.	गाधी मेडिकल कालेज, भोपाल, मध्य प्रदेश	50.00
10.	ईस्ट एंड साउथ डिस्ट्रिक, गव. आफ सिक्किम	30.00
	2001-2002	
1.	सिविल हास्पीटल, मिजोरम	62.40
2.	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	200.00
3.	गव. मेडिकल कालेज एंड हास्पीटल, चंडीगढ़	200.00
4.	सिविल हास्पीटल, गव. आफ मिजोरम	8.60
5.	जी.जी.एस. हास्पीटल एंड एम.पी. शाह मेडिकल कालेज, जामनगर	150.00
6.	एस.एस.जी. हास्पीटल एंड गव. मेडि. कालेज, वड़ोदरा	150.00
7.	आई.जी.आई.एम.एस. पटना	200.00
8.	राजेन्द्र मेडिकल कालेज, रांची	100.00
9.	पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज, धनबाद	129.00
10.	कांबाल्ट टू प. जे.एन.एम. हास्पीटल, छत्तीसगढ़	150.00
11.	राजा मीरासुधार गव. हास्पीटल, तंजावुर (मेम्मोग्राफी)	30.00
12.	जनरल हास्पीटल, पंचकुला (विभिन्न उपकरण)	100.00
13.	सिविल हास्पीटल, मिजोरम, आईजोल	300.00
14.	मेम्मोग्राफी टू गव. मेडि. कालेज, त्रिरुनावेली	30.00
15.	मेम्मोग्राफी टू गव. मेडि. कालेज, कोयम्बटूर	30.00
16.	आर.जी. कर मेडिकल कालेज, कोलकाता	200.00
17.	थ्री डिस्ट्रिक आफ अरुणाचल प्रदेश पपुम पारे, ईस्ट सियांग एंड वेस्ट कमांग	45.00
	2002-03	
1.	निलरत्न सिरकर मेडिकल कालेज, कोलकाता	50.00
2.	राजाजी हास्पीटल, मदुरई	31.00
3.	एस.एम.एस. हास्पीटल, जयपुर	30.00 (मेम्मोग्राफी)
4.	एस.एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर	30.00 (मेम्मोग्राफी)
5.	मेडिकल कालेज हास्पीटल, कोलकाता	150.00
6.	वी.आई.एम.एस. बेल्लारी, कर्नाटक	200.00
7.	एस.पी. मेडिकल कालेज, बिकानेर	50.00
8.	नेताजी सुभाष मेडि. कालेज, जबलपुर	80.00
9.	मोहन कुमारमंगलम, सलेम (टीएन)	200.00

ए.आई.सी.टी.ई. के अंतर्गत एन.बी.ए. की स्थापना

3114. **श्री कोडीकुनील सुरेश:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए.आई.सी.टी.ई. के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना आवधिक मूल्यांकन के माध्यम से डिप्लोमा स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों की गुणवत्तापरक दक्षता का आंकलन करने हेतु की गई थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 से 2001-2002 के दौरान परिषद् द्वारा अनुमोदित 1800 विभागों/संस्थानों में से केवल 95 ने एन.बी.ए. से प्रत्यायन की मांग की है;

(ग) यदि हां, क्या ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित संस्थानों के लिए एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एन बी ए से प्रत्यायन प्राप्त करना अनिवार्य बनाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अधिनियम, 1987 की धारा 10 (यू) के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी कार्यक्रम पर प्रत्यायन हेतु विचार करने के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड यह है कि संबंधित कार्यक्रम से कम से कम दो बैंच उत्तीर्ण कर चुके हों। इस प्रकार अधिकतर संस्थाएं जो 1997-98 से 2001-02 की अवधि के दौरान स्थापित हुई थी, प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अभी तक अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं किया है। तथापि कुछ प्रोत्साहन के माध्यम से वे प्रत्यायन हेतु संस्थाओं को आगे आने के लिए बढ़ावा देते हैं।

केन्द्रीय योजनाओं का हस्तांतरण

3115. **डा. वी. सरोजा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का हस्तांतरण करने के लिए राज्यों के साथ परामर्श करके निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों को हस्तांतरित केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) फरवरी, 1999 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों दोनों के सदस्यों सहित उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सी एस एस) के अंतरण संबंधी एन डी सी की एक समिति का गठन किया गया था। एन डी सी समिति का कार्यकाल 31 अगस्त, 2003 तक है। तथापि, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) और अन्नपूर्णा नामक स्कीमों को 2002-03 से राज्यों को अंतरित कर दिया गया है। इन स्कीमों के लिए वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्रमशः 680.00 करोड़ रु. और 679.87 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ए) उपलब्ध कराई गई है।

पेटेंट सूचना केन्द्र खोलना

3116. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पेटेंट संबंधी आवेदन करने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक पेटेंट सूचना केन्द्र (पी आई सी) खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर उक्त योजना के अंतर्गत पेटेंट सूचना केन्द्र पहले से ही स्थापित कर दिए गए हैं; और

(ग) महाराष्ट्र में पेटेंट सूचना केन्द्र कब तक स्थापित होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसके प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद् (टाइफैक) के अंतर्गत पेटेंट सरलीकरण केन्द्र के माध्यम से 15 राज्यों में 15 पेटेंट सूचना केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये राज्य हैं-आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल। इन केन्द्रों की स्थापना मुख्यतः राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों/विभागों के अनुरोध पर की गई है। महाराष्ट्र

सहित अन्य राज्यों में से ऐसे केन्द्र स्थापित किये जाने की दिशा में आरम्भिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं।

एक नए वायरस की पहचान करना

3117. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी वैज्ञानिकों के एक दल ने फ्रूट बैट्स से खतरनाक वायरस के हाल ही के मामलों पर विचार करने हेतु उत्तर प्रदेश की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त वायरस की निपाह वायरस के रूप में पहचान की गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस वायरस से निपटने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सांध्यकालीन बहिरंग रोगी विभाग

3118. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और अन्य शहरों में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में सांध्यकालीन बहिरंग रोगी विभाग सेवा शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली और अन्य शहरों के कुछ अग्रणी अस्पतालों में डाक्टर इस व्यवस्था के विरुद्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सहायक कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकताओं तथा अस्पतालों की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि सांध्यकालीन बहिरंग रोगी विभाग सेवा को दिन की ओ.पी.डी. के समान प्रभावी और सफल बनाया जा सके; और

(घ) गत छह महीनों के दौरान इस सांध्यकालीन बहिरंग रोगी विभाग द्वारा अस्पतालवार कितने रोगियों की सेवा प्रदान की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) सायंकालीन बहिरंग रोगी विभाग ने काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, नेत्र, ई.एन.टी., मनश्चिकित्सा, बाल-रोग चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान की विशिष्टता (स्पेशिलिटी) में डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 9.1.2003 से तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ में 2.12.2002 से कार्य करना शुरू कर दिया।

तथापि, इन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ में 1.6.2003 से बन्द कर दिया गया है।

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा सफदरजंग अस्पताल के डाक्टर मौजूदा अवसंरचना की सहायता से कार्य कर रहे हैं। फरवरी से जुलाई 2003 तक डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा सफदरजंग अस्पताल में सायंकालीन बहिरंग रोगी विभाग द्वारा देखे गए रोगियों की संख्या क्रमशः 14352 और 16307 है।

भारतीय विज्ञान संस्थान का विस्तार

3119. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान ने अपने कर्मचारियों की संख्या का विस्तार करने की योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की वर्तमान स्थिति क्या है और विद्यार्थियों और कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है:

1. विद्यार्थी	लगभग 1700
2. संकाय	लगभग 470
3. सहायक स्टाफ	लगभग 1000

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन

3120. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "नाको" का विभाजन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नाको एड्स के संबंध में राष्ट्रीय चिन्ता को दूर करने में विफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नाको के विभाजन संबंधी प्रस्ताव में अलग-अलग संस्थाएं स्थापित करना शामिल है;

(च) यदि हां, तो ये संस्थाएं कब से कार्य करना शुरू करेंगी; और

(छ) नाको का घरेलू चिन्ताओं की ओर तत्काल ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

(छ) वर्तमान में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा-राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम साक्ष्य आधारित है और यह घरेलू प्राथमिकताओं द्वारा चालित है। इस कार्यक्रम को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एड्स नियंत्रण सोसाइटियों द्वारा पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

वार्षिक योजना परिव्यय

3121. **डा. वी. सरोजा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय में राज्य स्वामित्व वाले संसाधन और केन्द्रीय सहायता शामिल है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं योजना के दौरान तमिलनाडु के लिए इनका क्या अनुपात है; और

(ग) उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से यह किस तरह से भिन्न हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) दसवीं योजना के दौरान तमिलनाडु के लिए राज्य के अपने संसाधनों और केन्द्रीय सहायता का अनुपात 1:0.6 था।

(ग) उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का तुलनात्मक अनुपात क्रमशः 1:3.3, 1:1.5 और 1:0.9 है।

सफाई कर्मचारियों के लिए कैपसूल कोर्स

3122. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अस्पतालों और चिकित्सा इकाइयों के कर्मचारी जैव-चिकित्सा अपशिष्ट निपटान के विनियमों से अनभिज्ञ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के सभी प्रमुख अस्पतालों के सफाई कर्मचारियों के लिए कैपसूल कोर्स आयोजित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पन्न जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन किया जाए, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन (प्रबंधन एवं निपटान) नियमों के अनुसार स्वास्थ्य परिचर्या प्रतिष्ठानों में कार्यरत स्टाफ के लिए नियमित रूप से जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

स्नातक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत नामांकन

3123. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान स्नातक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत नामांकित हुए उम्मीदवारों की औसत वार्षिक संख्या 90 लाख के लगभग आंकी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) ऐसे छात्र देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है;

(घ) क्या सरकार ने इस संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित अवधि क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा

3124. **श्री एन.एन. कृष्णदास:**
डा. राम चन्द्र डोम:
श्री विकास चौधरी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांच सदस्यों वाले परिवार में गरीबी रेखा का निर्धारण 11,060 रुपये की वार्षिक आय (1991-1992 मूल्य) द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना आयोग किस तरीके से इस गरीबी रेखा को तर्कसंगत ठहराता है; और

(घ) इस गरीबी रेखा का पड़ोसी देशों की गरीबी रेखा के साथ तुलना करने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) योजना आयोग मार्च, 1997 तक गरीबी के अनुमान "न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग" के अनुमान संबंधी कार्यदल द्वारा रेखांकित पद्धति के आधार पर लगा रहा था। इस पद्धति के अनुसार गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति व्यय स्तर के अर्थ में परिभाषित किया गया था जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कि. केलोरी और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कि. केलोरी के समनुरूप था। 1973-74 की कीमतों पर इन मानकों की तुल्य राशि ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये और शहरी क्षेत्रों 56.64 रुपये परिकलित की गई थी। ये गरीबी रेखाएं सभी राज्यों पर समान रूप से लागू थीं। कीमतें बढ़ने के साथ-साथ बाद के वर्षों के लिए इन गरीबी रेखाओं को सीएसओ के अप्रत्यक्ष निजी उपभोग अपस्फीतक को प्रयोग करते हुए अद्यतन बनाया गया था। 1991-92 की कीमतों पर 5 सदस्यों वाले ग्रामीण परिवार के लिए वार्षिक गरीबी रेखा 11,060 रुपये होने का अनुमान लगाया गया था।

इस पद्धति को मार्च, 1997 में गरीबों की संख्या और अनुपात का अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल (जिसे सामान्यत: लकड़ावाला समिति के रूप में जाना जाता है तथा जिसका नाम इसके अध्यक्ष के नाम पर रखा गया है) की रिपोर्ट में निहित पद्धति से बदल दिया गया था। विशेषज्ञ दल ने गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित न करके कार्यदल द्वारा परिभाषित एक गरीबी रेखा जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर की थी को अपना लिया था। विशेषज्ञ दल ने राज्य-विशिष्ट कीमत सूचकांकों और अन्तराज्यीय मुख्य विभेदकों का प्रयोग करते हुए इन राष्ट्रीय स्तर की गरीबी रेखाओं का विघटन करते हुए प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग गरीबी रेखाओं का अनुमान लगाया था। 1999-2000 की कीमतों पर राष्ट्रीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 327.56 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 454.11 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है। 1999-2000 की कीमतों पर प्रमुख राज्यों के लिए गरीबी रेखाएं संलग्न विवरण में है।

(घ) उपभोग पैटर्न में अन्तर के कारण विभिन्न देशों की गरीबी रेखाओं की तुलना नहीं की जा सकती।

विवरण

वर्ष 1999-2000 में राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं
(रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	262.94	457.40
2.	असम	365.43	343.99
3.	बिहार	333.07	379.78

1	2	3	4
4.	गुजरात	318.94	474.41
5.	हरियाणा	362.81	420.20
6.	हिमाचल प्रदेश	367.45	420.20
7.	कर्नाटक	309.59	511.44
8.	केरल	374.79	477.06
9.	मध्य प्रदेश	311.34	481.65
10.	महाराष्ट्र	318.63	539.71
11.	उड़ीसा	323.92	473.12
12.	पंजाब	362.68	388.15
13.	राजस्थान	344.03	465.92
14.	तमिलनाडु	307.64	475.60
15.	उत्तर प्रदेश	336.88	416.29
16.	पश्चिम बंगाल	350.17	409.22
17.	दिल्ली	362.68	505.45
	अखिल भारत*	327.56	454.11

*अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा (अव्यक्त) की गणना व्यक्तियों के व्यय वर्ग-वार वितरण और अखिल भारत स्तर पर गरीबी अनुपात से की गई है। अखिल भारत स्तर पर गरीबी अनुपात राज्यवार गरीबी अनुपात के भारित औसत के रूप में प्राप्त किया जाता है।

बीएसएनएल के लाभ में कमी

3125. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर, 2000 में बीएसएनएल का निगमीकरण किये जाने के बाद इसके लाभ में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस निगम को लाभ में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां। दूरसंचार विभाग के सहवर्ती कार्यकाल की तुलना में बीएसएनएल के लाभ में कमी आ रही है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 11975 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था जो वर्ष 2001-02 के दौरान घटकर 6312 करोड़ रुपये हो गया।

(ख) और (ग) इसके मुख्य कारण समूह "ग" तथा "घ" कर्मचारियों को दिये जा रहे वेतन में अधिक वृद्धि, उच्च मूल्य-ह्रास दरें लागू करने, अशोध्य ऋणों के प्रावधान, सम्पत्ति कर आदि के कारण व्यय में वृद्धि होना है। कम्पनी को निगमीकरण के बाद से आय-कर का भुगतान भी करना होता है।

कॉल प्रभारों में अत्यधिक कमी (कुछ मामलों में 60% से अधिक) के कारण कम्पनी के प्रति प्रयोक्ता राजस्व में गिरावट आयी है। अत: प्रति वर्ष लाइनों में 20% से अधिक वृद्धि के बावजूद राजस्व की कुल प्राप्ति पूर्ववत ही रही।

राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से बीएसएनएल ने सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं, इन्टरनेट तथा कई अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं शुरू की हैं जिनसे कम्पनी को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

मेसाचूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी)

3126. श्री रामजीवन सिंह:
श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री सुनील खां:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेसाचूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मीडिया लैब भारत के साथ सहयोग से पीछे हट गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) एमआईटी के साथ सहयोग करने के उद्देश्य क्या हैं;

(घ) इस व्यवस्था से देश में स्थापित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार और अन्य पक्षों द्वारा अलग-अलग कितना खर्च किया गया; और

(च) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी, नहीं।

(ख) मेसाचूसेट्स इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी), संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मीडिया लैब एशिया के बीच सहयोग को 31 मार्च, 2003 से आगे जारी नहीं रखा गया।

(ग) मीडिया लैब एशिया के आरम्भिक प्रयोगात्मक कार्यक्रम की अवधि के लिए एमआईटी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सितम्बर, 2001 में मीडिया लैब एशिया के साथ एक अनुसंधान एवं सहयोग समझौते (आरसीए) पर हस्ताक्षर किए थे। आरसीए के अनुसार, एमआईटी के साथ सहयोग में निम्नलिखित सक्रिय एवं स्पष्ट तकनीकी समर्थन की अपेक्षा की गई थी: (1) मीडिया लैब एशिया कार्यक्रम के संगत एमआईटी मीडिया लैब के तकनीकी ज्ञान, अनुभव, कुशलता, तकनीकी जानकारी तथा प्रक्रियाओं से संबंधित सूचना कम्पनी को उपलब्ध कराना और (2) कम्पनी के अनुसंधान एवं शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए तकनीकी योजना के विकास में सहायता करना।

(घ) मीडिया लैब ने निम्नलिखित प्रमुख शोध कार्यों का चयन किया है:

- सबके लिए बिट : कम लागत पर उच्च बैंटविडथ बेतार संपर्क उपलब्ध कराना।
- विश्व कम्प्यूटर : कम कीमत वाली अभिकलन एवं संचार अभिगम युक्तियों का विकास करना।
- कल के साधन : ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए सेंसरों तथा इंटरफेसों का विकास करना।

पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों अर्थात दिल्ली, मुम्बई, कानपुर, चेन्नै तथा खड़गपुर स्थित अनुसंधान प्रयोगशालाओं ने इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई परियोजनाएं आरम्भ की हैं। कुछ परियोजनाओं के मामले में प्रायोगिक स्तर पर नियोजन का कार्य आरम्भ किया गया है। इनमें उल्लेखनीय हैं: ग्रामीण सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिए मल्टी हांप बेतार नेटवर्क का नियोजन, बेतार नेटवर्क के लिए अभिनव वाहन आरोहित अभिगम बिन्दु का विकास, सुवाह्य कम्प्यूटरों के लिए लाइनक्स आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा ग्रामीण वातावरण में नियोजन के लिए कम कीमत वाले परीक्षण साधनों का विकास।

(ङ) भारत सरकार ने मीडिया लैब एशिया को 65 करोड़ रुपये की धनराशि सहायता अनुदान के रूप में जारी की है। अन्य पार्टियों द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया।

(च) उपर्युक्त भाग (घ) में उल्लिखित परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं।

टोल टैक्स की उगाही

3127. श्री बसुदेव आचार्य: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "दुर्गापुर एक्सप्रेस हाइवे" से गुजरने वाले वाहन यातायात से टोल टैक्स की उगाही बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो जबसे टोल टैक्स की उगाही की व्यवस्था की गई है तब से उगाहे गए टोल टैक्स को समझौते के प्रावधानों के अनुरूप एन एच 9 के मद में जमा नहीं किया गया है;

(ग) क्या इससे एन एच-9 को 100 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस नुकसान के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराने तथा कथित दोषियों को सजा दिलवाने का है;

(ङ) क्या सरकार का विचार एनएच-1 के लिए दोषरहित प्रणाली स्थापित करने का है क्योंकि इस पर भी टोल टैक्स की उगाही की जाती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां।

(ख) संभवत: यह प्रश्न रा.रा. 2 पर दुर्गापुर एक्सप्रेसवे से संबंधित है। वसूला गया पथकर, मसझौते के प्रावधानों का पालन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास जमा कराया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजमार्ग-1 पर शुल्क की वसूली कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से की जा रही है। शुल्क वसूली की जांच पर्यवेक्षण परामर्शदाता और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म द्वारा की जा रही है। इस प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करनाल टोल प्लाजा, शम्भू टोल प्लाजा और दोराहा टोल प्लाजा के पास स्वचालित वाहन वर्गीकरण एवं परिकल तंत्र (ए वी सी सी) संस्थापित कर रहा है। इस तंत्र को सितम्बर, 2003 के अंत तक प्रचालनरत होने की आशा है।

[हिन्दी]

स्कूलों में निर्धन छात्रों को आरक्षण

3128. कुंवर अखिलेश सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्कूलों में प्रवेश हेतु निर्धन छात्रों को चालीस प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के बारे में विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए समिति गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बकाया धनराशि का भुगतान

3129. श्री अजित कुमार पांजा: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलकाता डॉक लेबर बोर्ड के 6600 से अधिक पेंशनभोगी अपनी पेंशन के पूर्ण और अंतिम भुगतान और उपदान, भविष्यनिधि आदि समेत सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और पेंशन और अन्य लाभों का भुगतान किस तारीख से बकाया है;

(ग) क्या बकाया धनराशि का भुगतान न होने के कारण बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त व्यक्ति या तो भुखमरी के कारण मर चुके हैं अथवा बड़ी गरीबी में जीवनयापन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को कोलकाता डॉक लेबर बोर्ड पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें सेवानिवृत्त व्यक्तियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को दर्शाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो पेंशन आदि का भुगतान न होने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा बकाया धनराशि का शीघ्रतापूर्वक भुगतान कराने हेतु किन उपचारात्मक उपायों पर विचार किया गया है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) और (ख) जी हां। 1.11.1997 से 31.12.1999 तक 538 विधवा अनुग्रह पेंशनभोगियों के मामले तथा 1.1.98 से शेष पेंशनभोगियों के मामले बकाया थे। पेंशन के नाम पर कुल बकाया भुगतान की राशि 43.41 करोड़ रु. होगी। इसके अतिरिक्त, कोलकाता डॉक लेबर बोर्ड (सी डी एल बी) पर आए वित्तीय संकट के कारण अवकाश के बदले भुगतान पर 2.31 करोड़ रु. तथा उपदान की बढ़ी हुई दरों पर 2.15 करोड़ रु. सेवानिवृत्त लोगों को दिए जाने बाकी हैं। इन्हीं कारणों से ही अप्रैल, 2003 से मौजूदा पेंशनभोगियों को चालू पेंशन का भुगतान भी नहीं किया जा सका है।

(ग) सी.डी.एल.बी. ने किसी सेवानिवृत्ति व्यक्ति के भूख से मरने की सूचना नहीं दी है। तथापि, पेंशन/बकाया रकम की अदायगी न होने के कारण पेंशन भोगियों को वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ा होगा।

(घ) जी हां।

(ङ) सी.डी.एल.बी. के सामने आई वित्तीय कठिनाईयों के कारण पेंशन आदि का भुगतान नियमित रूप से किया जाना संभव नहीं हो सका है।

(च) संबंधित मंत्रालयों और विभागों की परामर्श से बकाया पेंशन हितलाभों के भुगतान के लिए 43 करोड़ रु. तक की वित्तीय सहायता का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

मध्याह्न भोजन हेतु आलू

3130. श्री महबूब जाहेदी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विद्यालयों में निःशुल्क मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के माध्यम से आनुवंशकीय रूप से संबंधित आलुओं से करोड़ों कुपोषित बच्चों को भोजन प्रदान करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्राकृतिक खाद्य वस्तुओं की तुलना में बेहतर खाद्य है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण

3131. श्री मोहन रावले: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में चीनी सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) से (ग) भारत और चीन के बीच सीमा प्रश्न का समाधान बकाया है। दोनों पक्षों के भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा की पहचान में भी मतभेद हैं। दोनों पक्ष भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त की गतिविधि चलाते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन के मसले को राजनयिक जरिए और सीमा कार्मिक बैठकों/फ्लैग बैठकों में उठाया जाता है।

भारत और चीन सीमा मसले का शांतिपूर्ण परामर्श के जरिए एक निष्पक्ष, न्यायोचित तथा परस्पर रूप से स्वीकार्य हल चाहते हैं भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आर-पार शांति और अमन बनाए रखने के संबंध में एक करार 1993 में संपन्न हुआ था तथा भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आर-पार सैन्य क्षेत्र में विश्वासोत्पादक उपायों से संबद्ध एक दूसरा करार 1996 में संपन्न हुआ था। ये दोनों करार सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन बनाए रखने संबंधी एक संस्थागत रूपरेखा प्रदान करते हैं।

जून 2003 में प्रधान मंत्री की चीन की यात्रा के दौरान, यह सहमति हुई थी कि सीमा के एक अंतिम समाधान के लम्बित होते हुए, दोनों देश अपने-अपने सीमा क्षेत्रों में शांति और अमन बनाए रखने के लिए मिलकर काम करेंगे तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण सहित इस प्रयोजन के लिए संपन्न करारों का क्रियान्वयन करना जारी रखेंगे।

सरकार सतर्क रहती है तथा भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता और सुरक्षा संरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक और उपयुक्त उपाय करती है।

[अनुवाद]

मदरसों के आधुनिकीकरण का द्वितीय चरण

3132. श्री प्रभात सामंतराय: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से विशेषकर उड़ीसा से मदरसों के आधुनिकीकरण के द्वितीय चरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि जारी किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावों की जांच की जाती है और सहायता अनुदान समिति द्वारा प्रस्तावों पर विचार करने और उसके द्वारा संस्तुत किये जाने के बाद ही निधियां जारी की जाती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मदरसों के दूसरे चरण के आधुनिकीकरण के संबंध में ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव
1.	मध्य प्रदेश	206.88
2.	आंध्र प्रदेश	7.67
3.	उत्तर प्रदेश	18.66
4.	मणिपुर	16.86
5.	जम्मू और कश्मीर	24.55
6.	उड़ीसा (वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के लिए)	185.20
7.	त्रिपुरा	48.96
	कुल	507.78

[हिन्दी]

संसद सदस्य कोटे से बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन

3133. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्य के कोटे से प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या दरभंगा दूरसंचार जिले में उक्त कोटे से बड़ी संख्या में लोगों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, नहीं। वर्ष 2000 के बाद से 353 संस्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं जिनमें से 239 आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं। शेष 114 आवेदकों को भी वायरलेस इन लोकल लूप प्रौद्योगिकी पर आधारित टेलीफोन हेतु प्रस्ताव दिया गया है और उनकी स्वीकृति मिलने पर उन्हें टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग हेतु शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण

3134. श्री बाल कृष्ण चौहान: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन शिक्षण, अभियांत्रिकी संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं;

(ख) क्या उक्त आरक्षण स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर भी लागू है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) शैक्षिक और इंजीनियरी संस्थानों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 15 प्रतिशत सीटें और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 7.5 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाती हैं।

(ख) और (ग) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शर्तों में छूट दी जाती है।

[अनुवाद]

ऋणों/अनुदानों के लिए दिशा-निर्देश

3135. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष और गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों की विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के लिए ऋण वित्तीय सहायता और सहायता अनुदान देने के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने इस संबंध में अपना विरोध जताया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या निवारात्मक उपाय किये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों के लिए ऋण और अनुदान के रूप में राज्यों की वार्षिक योजनाओं हेतु जारी की गई केन्द्रीय सहायता (एनसीए) में सामान्य केन्द्रीय सहायता, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपीज) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) और विशेष और अन्य कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) शामिल है। सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए) का आबंटन राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा दिसम्बर, 1991 में यथा-अनुमोदित गाडगिल मुखर्जी फार्मूले पर आधारित है, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपीज) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) और विशेष और अन्य कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आबंटन इन कार्यक्रमों में से प्रत्येक के लिए दिए गए विशिष्ट दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

(ग) और (घ) राज्य, विभिन्न राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठकों में इस विषय पर भिन्न-भिन्न मत प्रकट करते रहे हैं। जबकि उन्नत राज्यों ने अपने निष्पादन के लिए उच्च भारण (वेटेज) की मांग की है, कम उन्नत राज्यों ने पिछड़ेपन की वजह से उच्च भारण (वेटेज) मांगा है। अत: राज्यों में सर्वसहमति के अभाव में इस विषय पर कोई विचार बनाना कठिन है। परियोजनाओं/स्कीमों के लिए राज्यों को निधि की उपलब्धता और इसका प्रभावी उपयोग और कार्यान्वयन में हुई प्रगति को प्रगति रिपोर्टों, उपयोगिता प्रमाण पत्रों और आयोग/मंत्रालयों/विभागों की आवधिक समीक्षा बैठकों/राज्यों के सरकारी दौरों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

रेप क्राइसिस इंटरवेंशन केन्द्र

3136. श्री ए.सी. जोस: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेप क्राइसिस इंटरवेंशन केन्द्र, नई दिल्ली को वर्ष 2002-2003 के दौरान प्रहार और बलात्कार की कई शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा और स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया):(क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

आईटी सेक्टर को प्रोत्साहन

3137. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईटी सेक्टर ने प्रोडक्ट कम्पनी, सर्विस कम्पनी या बिजनेस प्रोसेस कम्पनी को प्रोत्साहन देकर राजस्व में अपना योगदान बढ़ाने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में इस प्रोडक्ट कम्पनी, सर्विस कम्पनी और बिजनेस प्रोसेस कम्पनी के भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चीन, दक्षिण कोरिया जापान और अमेरिका से हमारे आईटी सेक्टर को चुनौतियां मिल रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कारगर उपाय किये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए विकास के लक्ष्य संलग्न विवरण-I में दिए गए है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं के निर्यात के मामले में इन देशों से भारत को कोई चुनौती नहीं है। लेकिन हार्डवेयर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संलग्न विवरण-III में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभिन्न प्रभावी उपाय किये हैं:

विवरण I

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास के लक्ष्य

(करोड़ रुपये)

वर्ष	सॉफ्टवेयर	हार्डवेयर
2003-04	96000	45000
2004-05	128000	52000
2005-06	168000	60000
2006-07	213000	69000

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उत्पादन

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सॉफ्टवेयर	हार्डवेयर
2000-01	37750	30700
2001-02	47374	32750
2002-03	59900	37500

विवरण III

इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर क्षेत्र के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है और 5% शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी देहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात को बाध्यता को अब शुल्क की बचत से जोड़ा जाएगा और यह आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर बचत किए गए शुल्क का 8 गुना होगा जिसे 8 वर्षों की अवधि में पूरा किया जाएगा। 10 वर्ष तक की पुरानी वस्तुओं के आयात तथा उत्पादन पूर्व एवं उत्पादन पश्चात सुविधाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति भी योजना के अंतर्गत दी गई है। विद्यमान संयंत्र एवं मशीनरी का दर्जा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कलपुर्जों के आयात की अनुमति भी दी गई है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन स्वत: मार्ग के अंतर्गत हैं।

3. इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) योजना अंतर मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती हैं।

4. विश्व व्यापार का 1% हिस्सा हासिल करने और निर्यात में त्वरित विकास के दृष्टि से "इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर" को 1.4.2003 से लागू नई आयात निर्यात नीति में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

5. ईओयू/ईएचटीपी इकाइयों से केवल सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता बनाने के अपेक्षा है और निर्यात के न्यूनतम निष्पादन की कोई अपेक्षा नहीं है। शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय की गणना उत्पादन आरम्भ करने के समय से 5 वर्षों की अवधि के लिए संचयी आधार पर की जाएगी।

6. ईएचटीपी निर्यातन्मुखी इकाइयों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी समझौतें (आईटीए-1) की वस्तुओं तथा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में अधिसूचित शून्य शुल्क दूर संचार/इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की आपूर्ति को सकारात्मक न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय हासिल किये जाने के रूप में गिना जाएगा।

7. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों को निर्यात के लदान पर्यंत नि:शुल्क मूल्य के 50% तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है।

8. ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजेड) योजनाओं के अंतर्गत सभी प्रकार की इलेक्ट्रानिक इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर मूल्यह्रास 3 वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण सीमा के 100% कर दिया गया है।

9. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है। घरेलू शुल्क क्षेत्र से एसईजेड को बिक्री निर्यात के रूप में मानी जाएगी। इसके फलस्वरूप देशीय आपूर्तिकर्ता को शुल्क प्रतिपूर्ति/डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्रीकर से छूट तथा सेवाकर से छूट के पात्र होंगे। एसईजेड इकाइयों द्वारा देशीय बिक्री को विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट दी गई है।

10. कम्प्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

11. वर्ष 2003-04 के बजट में, सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 30% से घटाकर 25% कर दिया गया है, तरल क्रिस्टल युक्ति (एलसीडी) वाले इंडीकेटर पैनलों तथा उनके पुर्जों पर सीमा शुल्क को 10% से घटाकर 0% कर दिया गया है, कैश डिस्पेंसर के मामले में 30% से घटाकर 15% डिजीटल स्थिर चित्र, वीडियो, कैमरा के पुर्जों (भरे हुए मुद्रित परिपथ बोर्ड सहित) के मामले में 15% से घटाकर 10% सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक एकल परत कैपेसिटर के मामले में 15% से 10%, रूटरों, मोडमों तथा स्थिर बेतार टर्मिनलों के मामले में 15% से 10% तथा प्रकाशिक तंतु केबलों के मामले में 25% से घटाकर 20% कर दिया गया है। इलेक्ट्रानिक संघटकों पुर्जों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं की 27 श्रेणियों (लगभग 300 उप वस्तुएं) पर सीमा शुल्क को 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

- कम्प्यूटर और उपांत उपस्करों पर सीमा शुल्क 15% की दर से और सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, जेटा प्रदश नलिकाओं या रंगीन मानीटरों के विक्षेपण संघटक-पुर्जों पर 0% की दर से जारी है। कम्प्यूटरों/प्रिंटरों के स्टेपर मोटरों पर सीमा शुल्क 0%, फ्लापी डिस्क तथा रिकार्ड नहीं किए गए चुम्बकीय मीडिया पर 10% तथा कम्प्यूटरों के प्रिंटरों में प्रयोग

होने वाले इंक कार्टिज, रिबन संयोजन, रिबन गिअर संयोजन, रिबन गिअर कैरिज पर सीमा शुल्क 5% पर जारी है। इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लिए निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों 9168 वस्तुएं) रियायती सीमा शुल्क 5% की दर से जारी है। इलेक्ट्रानिकी उद्योग में काम आने वाले टूल्स, साँचों, डाइयों पर सीमा शुल्क 15% जारी है। अर्द्धचालकों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर रियायती सीमा शुल्क 0% पर जारी है। विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आंटीए-1) की मदों (सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार उत्पाद) पर सीमा शुल्क 10% 15%, दूरसंचार के पुर्जों पर 5%, सेल्युलर टेलीफोन सहित सचल हैंडसेटों के पुर्जों, संघटक-पुर्जों और सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क 0% की दर से जारी है। मूलभूत सेवाओं, सेलुलर सेवाओं आदि के लिए दूरसंचार उपस्करों पर 5% सीमा शुल्क को एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया है। यह छूट 1.3.2003 को समाप्त होनी थी।

12. 2003-04 के बजट में एकवर्णी टीवी पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को सैनवेट के साथ 8% पर तर्कसंगत बना दिया गया है। पहले यह सेनवैट के अलावा 4% और संनवैट के साथ 16% था। श्याम तथा श्वेत टीवी के लिए भरे हुए पीसीबी पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेनवैट के साथ 8% की दर से प्रभारित किया जाता है। 500 रुपये प्रति नग से अनधिक खुदरा मूल्य वाली घड़ियों तथा दीवार घड़ियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेनवैट के साथ 8% की दर से प्रभारित किया जाता है। पीसी, शब्द सीडी, सैल्युलर फोन, रेडियो ट्रंकिंग टर्मिनल, कॉल, चेतावनी अथवा पेजिंग के लिए पहले से भरे हुए साफ्टवेयर; सैल्युलर फोन सहित सचल हैंड सेटों के पुर्जों, संघटक पुर्जों तथा सहायक उपकरणों को उत्पाद शुल्क छूट दी गई है।

13. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

14. ईओयू/ईएचटीपी इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

15. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईएसबी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

16. किसी उत्पाद के लिए शुल्क पात्रता पास बुक (डीपीईबी) दर एक ही होगी चाहे उसे पूर्णता निर्मित इकाई (सीबीयू) के रूप में अथवा पूर्ण निर्मित (सीकेडी)/अधिनिर्मित (एसकेडी) स्थिति में निर्यात किया गया हो।

17. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ 9000 (श्रृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में "निर्यात गृह" का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। वह दर्जा प्राप्त इकाइयां निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं:

* विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।

* सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

18. धारा 80-1ए (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधानों के अंतर्गत करावकाश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को भी उपलब्ध कराया गया है।

19. विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नए औद्योगिक उपक्रमों अथवा वर्तमान औद्योगिक उपक्रम के बड़े पैमाने पर विस्तार के मामले में 31.3.2002 के बाद खरीदी गई तथा प्रतिष्ठित मशीनरी अथवा संयंत्र की वास्तविक लागत के 15% की और कटौती की अनुमति दी गई है। वह संशोधन 1.4.2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा उसके बाद के वर्षों में लागू होगा।

20. भारत में उद्योगों को पुन: स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करके की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे पुन:स्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 50 करोड़ रु. से अधिक हो।

21. अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध है।

22. निर्यात/आयात की अनुमति में लगने वाले समय में कमी करने के प्रयोजन से, नागर विमानन मंत्रालय ने 24 घण्टे की प्रतीक्षा अवधि को दूर करने के उद्देश्य से 'परिचित व्यावसायी' (नोन शिपर्स) योजना को अंतिम रूप दिया है।

23. मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली तथा गोवा स्थित हवाई सामान परिसरों में कार्यदिवसों में दो पारियां तथा छुट्टी के दिनों में एक पारी की व्यवस्था लागू की गई है।

24. इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तैयार किया गया है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा से संबंधित विधायी पहलूओं का प्रावधान किया गया है।

मोबाइल सेवा के लिए लाइसेंस

3138. श्री बीर सिंह महतो: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस और टाटा इंडस्ट्री को डब्ल्यूएलएल के माध्यम से सभी मोबाइल सेवाओं के लिए लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान सरकार को उपर्युक्त निबंधन और शर्तों के उल्लंघन की कोई सूचना दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं। बुनियादी सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंस संबंधी शर्तों के अनुसार, इन सेवा प्रदाताओं को कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) के भीतर सीमित मोबिलिटी के साथ वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

(ख) लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तों के खंड 2.2 (ग) (1) के अनुसार, "लाइसेंसधारक को वायरलेस अभिगम्यता प्रणालियों के साथ अपने उपभोक्ताओं को मोबिलिटी प्रदान करने की अनुमति है परंतु यह उस स्थानीय क्षेत्र अर्थात कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) तक सीमित है जिसमें उपभोक्ता पंजीकृत है। ऐसी प्रणालियां प्रयोग में लाते समय, लाइसेंसधारक को संबंधित एसडीसीए की अंकन योजना (नम्बरिंग प्लान) को अपनाना पड़ता है जिसके भीतर सेवा प्रदान की जाती है और जिस एसडीसीए में यह पंजीकृत है उसे छोड़कर अन्य कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों में उपभोक्ता टर्मिनल उपस्कर को प्रमाणित करना और उसके साथ कार्य करना संभव नहीं होना चाहिए। प्रणाली में भी इस तरह की युक्ति होगी कि उपभोक्ता की बातचीत एक एसडीसीए से दूसरे एसडीसीए में हस्तांतरित न होने पाए। खंड 2.2 (ग) (3) के अनुसार, इसके अलावा, ऐसी प्रणाली इस तरह की होगी कि इसे दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र द्वारा यथाविहित वी 5.2 के लिए राष्ट्रीय मानकों या अद्यतन प्रौद्योगिकी युक्त अनुमोदित उन्नत रूप के आधार पर अभिगम्यता नेटवर्क प्रोटोकाल पर कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) के टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़ा जाए।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड

3139. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड ने पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1998 से क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों की संख्या में कमी की है और तद्नुसार धनराशि में कटौती की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो मूल रूप से बीएपी के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यक्रम कौन-कौन से हैं और कम किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत कार्यक्रमों की संख्या कम नहीं की है। तथापि, वर्ष 1996-97 से केन्द्रों को आपूर्ति हेतु बजट कम कर दिया है।

(ख) सीमावर्ती क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत दवाओं, शिल्प एवं मनोरंजक सामग्री, बालवाड़ी, सामाजिक शिक्षा, खाद्य आपूर्ति एवं बच्चों के लिए वर्दी जैसे क्रियाकलाप चलाये जाते हैं।

सीमावर्ती क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत कार्यक्रम कम नहीं किये गये हैं।

[हिन्दी]

जिलों में मोबाइल सेवा

3140. **श्री रामदास आठवले: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन-किन जिलों को मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए अनुमोदित किया गया है;

(ख) शेष क्षेत्र में कब तक उक्त सेवा प्रदान किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की गई और इसके लिए आवश्यक उपकरणों के संबंध में क्या स्थिति है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) प्रदान करने के लिए देश को चार महानगर सेवा क्षेत्रों और 19 दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्रों (कुल 23 सेवा क्षेत्रों) में विभाजित किया गया है। सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार महानगर सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रचालक को एक वर्ष के भीतर सेवा क्षेत्र का 90% का भाग कवर करना अपेक्षित होता है। दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र से संबधित प्रचालक को एक वर्ष के भीतर सेवा क्षेत्र के 10% जिला मुख्यालयों और तीन वर्ष के भीतर 50% जिला मुख्यालयों को कवर करना अपेक्षित होता है। लाइसेंसधारक को जिला मुख्यालय के बदले में जिले के किसी अन्य कस्बे के कवर करने की भी अनुमति है। कवर किये जाने वाले जिला मुख्यालयों/कस्बों का चयन करना तथा 50% जिला मुख्यालयों/कस्बों से अधिक स्थानों पर सेवा का विस्तार करना लाइसेंसधारक के व्यावसायिक निर्णय पर निर्भर करेगा।

सेवा क्षेत्र की 100% कवरेज की कोई बाध्यता नहीं है। प्रचालकों के सेवा क्षेत्र के भीतर किन्हीं विशिष्ट जिलों/शहरों/कस्बों को कवर करने के संबंध में अनुदेश भी नहीं दिये गये हैं। सेवा क्षेत्रों के भीतर कवर किये जाने वाले क्षेत्रों का चयन करना लाइसेंसधारकों के वाणिज्यिक/व्यावसायिक निर्णय पर निर्भर है। इस समय 23 सेवा क्षेत्रों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए 25 कम्पनियों के पास कुल 78 सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लाइसेंस हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न अन्य कस्बों और शहरों के अलावा इस समय 481 जिला मुख्यालयों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध है। सेल्यूलर प्रचालक अपने निर्णय के अनुसार सभी जिला मुख्यालयों को चरणबद्ध ढंग से सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने की योजना बना रहे है। अतः सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रचालक द्वारा स्थापित किये जाने वाले उपस्कर और इसमें किया जाने वाला पूंजी निवेश उनकी व्यावसायिक योजनाओं के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। सरकार उसके लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रावास सुविधा

3141. **श्री रघुनाथ झा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रावस की कमी है और विद्यार्थी बाहर रहने के लिए मजबूर हैं;

(ख) यदि हां, तो लड़के तथा लड़कियों के छात्रावासों की अलग-अलग संख्या कितनी है और प्रत्येक छात्रावास की छात्रावासवार क्षमता कितनी है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार छात्रावास में स्थानों की कुल आवश्यकता क्या है;

(घ) उत्तर और दक्षिण कैम्पस में आवश्यक संख्या में छात्रावासों का निर्माण नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ङ) दोपहर और रात के भोजन इत्यादि सुविधाओं सहित वांछित संख्या में छात्रावासों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(च) क्या यह सच है कि बाहर किराए बहुत अधिक और इसके निजी छात्रावास मालिकों को मनमानी करने की छूट मिलती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

3142. **डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2003 तक देश में राज्यवार विभिन्न मेडिकल कालेजों में कितने मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एम.सी.आई. द्वारा कालेजवार और राज्यवार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की मान्यता के संबंध में कितनी बार जांच की गई है;

(ग) मेडिकल कालेजों में कितने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एम.सी.आई. के जांच दल द्वारा बताई गई कमियों को दूर किया है और सारे मानदण्डों को पूरा किया है तथा विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के संबंध में एम.सी.आई. से मान्यता प्राप्ति संबंधी अंतिम आदेशों की प्रतीक्षा कर रही है; और

(घ) सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद कालेजों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु मान्यता देने में अत्यधिक विलम्ब करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 11(2) के अंतर्गत समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में जोड़े जाते हैं। उक्त अनुसूची के अलावा, मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताओं के कालेजवार और राज्य-वार ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट-डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एमओएचएफडब्ल्यू.निक.इन/डिपार्टमेंट ऑफ हैल्थ/मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में भी उपलब्ध हैं।

देश में विभिन्न संस्थाओं द्वारा अनेक पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं जिनको भारतीय आयुर्विज्ञान (संशोधन) परिषद् अधिनियम 1993 के लागू होने के बाद इस अधिनियम की धारा 10क के अंतर्गत चलाये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। जब कभी छात्रों का पहला बैंच अंतिम वर्ष की परीक्षा दे देगा, इन पाठ्यक्रमों को इस अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन मान्यता दे दी जाएगी बशर्ते यह इस अधिनियम के उपबंधों को पूरा करने और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम.सी.आई.) की सिफारिश के अध्यधीन हो। संबंधित राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों, के अनुमोदन से भारतीय आयुर्विज्ञान (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारंभ से पूर्व कुछ संस्थाओं द्वारा शुरू किये गए अनेक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी हैं जिन्हें अभी केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम.सी.आई.) की सिफारिश के अध्यधीन हो। संबंधित राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों, के अनुमोदन से भारतीय आयुर्विज्ञान (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारंभ से पूर्व कुछ संस्थाओं द्वारा शुरू किये गये अनेक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी हैं जिन्हें अभी केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जानी है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ऐसे पाठ्यक्रमों के संबंध में आंकड़े (डेटा) नहीं रखती है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 11(2) के अंतर्गत ऐसे पाठ्यक्रमों को, जब कभी संबंधित कालेज इसे संबंधक विश्वविद्यालय के माध्यम से आवेदन करते हैं, मान्यता प्रदान की जाती है।

(ख) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में परिषद ने भारत में स्थित विभिन्न संस्थाओं के संबंध में स्नातकोत्तर अर्हताओं को मान्यता देने के लिए 613 निरीक्षण किए हैं। परिषद की स्नातकोत्तर समिति ने निरीक्षण रिपोर्टों पर विचार करने के बाद आंध्र प्रदेश में स्थित मेडिकल कालेजों के 57 पाठ्यक्रमों के संबंध में कमियां बताईं। इन 57 पाठ्यक्रमों में से परिषद से संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त हुई कमियों में शोधन की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मान्यता देने हेतु 12 पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की है। शेष 45 पाठ्यक्रमों के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कमियों के शोधन की रिपोर्ट परिषद को अभी प्रस्तुत की जानी है।

नए अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलना

3143. श्रीमती प्रभा राव:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) का विचार देश में नए अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने की अनुमति न देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनेक राज्य सरकारों ने ए आई सी टी ई से नए अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो ए आई सी टी ई के पास लम्बित राज्य सरकारों में ऐसे अनुरोधों की राज्यवार संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, उनके पास कोई भी अनुरोध लंबित नहीं है क्योंकि सभी मामलों में उपयुक्त निर्णय ले लिए गए हैं।

एम.एस.टी.सी. का विनिवेश

3144. श्री सुनील खां : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश आयोग ने 5 मई, 2003 को एमएसटीसी के 100 प्रतिशत शेयरों को इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मेसर्स फेरों स्क्रैप निगम लिमिटेड को बेचने का निर्णय लिया था जिसका कार्यनिष्पादन, बहुत अच्छा रहा है और यह सरकार से बिना किसी वित्तीय सहायता के कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संगठन के कर्मचारियों के हितों की रक्षा किस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) विनिवेश आयोग ने अपनी 11वीं रिपोर्ट (जुलाई, 1999) में एमएसटीसी के मामले पर विचार किया था। आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह टीका-टिप्पणी की कि पहले व्यापक रूप से प्रचलित राज्य व्यापार अधिकतर देशों में धीरे-धीरे समाप्त हो गया था और इसके परिणामस्वरूप भारत में सरकार के स्वामित्व में व्यापारिक कम्पनियों के लिए बाजार अवसरों की भारी कमी हो गई थी। आयोग ने यह महसूस किया कि एमएसटीसी को सरकार के स्वामित्व में बनाए रखने से किसी भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी और इसलिए आयोग ने एमएसटीसी को गैर-महत्वपूर्ण के रूप में वर्गीकृत किया। आयोग ने फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में एमएसटीसी की भागीदारिता के साथ एसएसटीसी में भारत सरकार की सम्पूर्ण शेयरधारिता की बिक्री करने की सिफारिश की। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि कम्पनी में किसी निवेशक के इच्छुक न होने की दशा में एमएसटीसी के संचालन को बन्द करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा।

(ग) कर्मचारियों को हित संरक्षण प्रदान करना विनिवेश नीति का एक अभिन्न अंग होता है। अनुकूल बिक्री के समय सम्पन्न सौदा करारों में यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपबंधों की व्यवस्था की जाती है कि विनिवेश के बाद एक साल तक कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं होगी और जहां आवश्यकता हो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना केवल लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों अथवा विनिवेश से पूर्व कंपनी में प्रचलित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जो भी कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हो, के अनुसार ही क्रियान्वित की जाएगी।

इंजीनियरिंग कालेज

3145. श्री पी. राजेन्द्रन:
श्री प्रकाश वी. पाटील:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सक्षम प्राधिकारी ने हाल ही में निजी स्ववित्त पोषित व्यावसायिक कालेजों के अंतर्गत केरल में कुछ इंजीनियरिंग कालेजों को मान्यता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार निजी स्ववित्त पोषित व्यावसायिक कालेजों में श्रेणीवार मेरिट के आधार पर उपलब्ध सीटों सहित कुल सीटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ए.आई.सी.टी.ई. को विभिन्न राज्यों से राज्यवार चालू वर्ष के दौरान और कट आफ तारीख के पहले और बाद में नये इंजीनियरिंग संस्थान चलाने हेतु कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) राज्यवार कुल कितने प्रस्तावों पर विचार किया गया और उनका अनुमोदन किया गया;

(ङ) क्या कट-ऑफ तारीख के बाद मिले किसी प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने वर्ष 2003-2004 के लिए केरल राज्य में 10 नए निजी स्व-वित्तपोषित इंजीनियरी कालेजों की स्थापना हेतु अनुमोदन दे दिया है। केरल राज्य में इन सभी निजी स्ववित्तपोषित इंजीनियरी कालेजों में वार्षिक दाखिले के लिए कुल 10,040 सीटें हैं। टी एम ए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, व्यावसायिक संस्थाओं में 'भुगतान' या 'निःशुल्क' श्रेणी की कोई भी सीट नहीं होगी। वर्ष 2003-04 के लिए नए इंजीनियरी कालेजों को शुरू करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्राप्त प्रस्तावों तथा दिए गए अनुमोदन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त किसी भी प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदन प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	88	03
2.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	00	00
3.	अरुणाचल प्रदेश	00	00
4.	असम	01	00
5.	बिहार	01	00
6.	चंडीगढ़	00	01*
7.	छत्तीसगढ़	10	00
8.	दादर व नगर हवेली	00	00
9.	दमन व दीव	00	00
10.	दिल्ली	12	01
11.	गोवा	00	00
12.	गुजरात	28	01
13.	हरियाणा	08	03
14.	हिमाचल प्रदेश	04	02
15.	जम्मू व कश्मीर	01	00
16.	झारखंड	14	01
17.	कर्नाटक	05	02
18.	केरल	24	10
19.	लक्षद्वीप	00	00
20.	मध्य प्रदेश	69	10
21.	महाराष्ट्र	15	00
22.	मणिपुर	00	00
23.	मेघालय	00	00
24.	मिजोरम	00	00
25.	नागालैंड	01	00
26.	उड़ीसा	32	00
27.	पांडिचेरी	00	00
28.	पंजाब	10	06
29.	राजस्थान	19	08
30.	सिक्किम	00	00
31.	तमिलनाडु	14	01
32.	त्रिपुरा	00	00
33.	उत्तरांचल	05	00
34.	उत्तर प्रदेश	15	00
35.	पश्चिम बंगाल	32	07
	कुल	408	56

*प्रस्ताव को आगे ले जाया गया

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. में भ्रष्टाचार

3146. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड में भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गये;

(ग) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दूरसंचार सेवाओं का विस्तार

3147. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री अनन्त नायक:
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना के दौरान देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं विशेषकर सेल्यूलर एवं लिमिटेड मोबिलिटी फील्ड का विस्तार करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस पर कितनी धनराशि का निवेश करने का प्रस्ताव है;

(घ) आम तौर पर उड़ीसा में और विशेष तौर पर अनुसूचित जिलों में किस विशिष्ट विस्तार और विकास योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान):

बीएसएनएल (भारत संचार निगम लि.) के संबंध में उत्तर:

(क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 223.84 लाख मोबाइल फोन तथा 62.93 लाख डब्ल्यू एल एल (वायरलेस इन लोकन लूप) फोनों सहित 367.67 लाख डी ई एल (सीधी एक्सचेंज लाइनें) जोड़ने की योजना है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हो। चूंकि सर्किल-वार योजना वार्षिक आधार पर तैयार की जाती है इसलिए चालू वर्ष 2003-04 से संबंधित सर्किल-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) बीएसएनएल के लिए प्रस्तावित दसवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय 66,412 करोड़ रुपये है, जिसमें से सेल्यूलर तथा सीमित मोबिलिटी के लिए 32,599 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान है।

(घ) और (ङ) बीएसएनएल की वर्ष 2003-04 के दौरान उड़ीसा में सभी जिलों को कवर करते हुए वायर्ड लाइन पर 37000 कनेक्शन डब्ल्यू एल एल पर 10,000 नए कनैक्शन और 90,000 सेल्युलर मोबाइल कनैक्शन प्रदान करने की योजना है।

एमटीएनएल (महानगर टेलीफोन निगम लि.) के संबंध में उत्तर:-

(क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में 8.12 लाख और मुंबई में 3.1 लाख स्विचन क्षमता की वृद्धि करने की योजना है जिसमें 6.6 लाख डब्ल्यूएलएल (वायरलेस इन लोकल लूप) क्षमता और 12.75 लाख मोबाइल क्षमता शामिल है।

(ग) एमटीएनएल की 10वीं योजना अवधि के दौरान 5955.46 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है। इस राशि से विदेशों में नए सेवा क्षेत्र का विस्तार करना और राष्ट्रीय अधिग्रहण करना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालन शामिल नहीं हैं जिनके लिए 6000 करोड़ रुपये की राशि अलग से निर्धारित है।

(घ) और (ङ) लागू नहीं होता।

विवरण

2003-04 के दौरान लैंड लाइन, मोबाइल तथा डब्ल्यू.एल.एल. कनेक्शनों के लिए सर्किलवार अनन्तिम लक्ष्य

सर्किल का नाम	लैंड लाइन के लिए लक्ष्य	मोबाइल कनेक्शनों के लक्ष्य	डब्ल्यूएलएल कनेक्शनों के लक्ष्य	कुल
1	2	3	4	5
अंडमान तथा निकोबार	1500	2000	0	3500
आंध्र प्रदेश	9000	350000	90000	449000
असम	30000	38000	15000	83000

1	2	3	4	5
बिहार	135000	60000	60000	255000
छत्तीसगढ़	10000	30000	18000	58000
गुजरात	15000	300000	109000	424000
हरियाणा	70000	80000	73000	223000
हिमाचल प्रदेश	35000	20000	20000	75000
जम्मू एवं कश्मीर	30000	40000	9500	79500
झारखंड	36000	40000	20000	96000
कर्नाटक	65000	220000	100000	385000
केरल	295000	220000	285000	800000
मध्य प्रदेश	36000	70000	70000	176000
महाराष्ट्र	75000	300000	221000	596000
पूर्वोत्तर- I	13000	50000	6500	69500
पूर्वोत्तर-II	5500	*	9000	14500
उड़ीसा	37000	90000	10000	137000
पंजाब	52000	220000	117000	389000
राजस्थान	72000	120000	105000	297000
तमिलनाडु	50000	180000	75000	305000
उत्तरांचल	23000	40000	10000	73000
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	45000	150000	76000	271000
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	65000	130000	50000	245000
पश्चिम बंगाल	135000	80000	70000	285000
कोलकाता	40000	70000	22000	132000
चेन्नई	20000	100000	20000	140000
बीएसएनएल जोड़	1400000	3000000	1661000	6061000

*पूर्वोत्तर-I के साथ शामिल।

नोट:- 1. महाराष्ट्र में गोआ शामिल है और एमटीएनएल मुंबई नहीं है।

2. पूर्वोत्तर-I सर्किल में मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा शामिल है।

3. पूर्वोत्तर-II सर्किल में अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मणिपुर शामिल है।

4 पश्चिम बंगाल में सिक्किम शामिल है।

परीक्षा में अव्यवस्था

3148. श्री जी. पुट्टा स्वामी गौड़ा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा और अखिल भारतीय स्तर की अन्य प्रवेश परीक्षाओं में बरती जा रही है घोर अव्यवस्था के संबंध में संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में रहने वाले कई इच्छुक विद्यार्थियों को उनके क्रमांक समय पर नहीं मिल पाये या उनके आवेदन सी.बी.एस.ई. के दिल्ली कार्यालय में खो गये;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले की कोई जांच करायी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या सरकार का विचार सी.बी.एस.ई. के जोनल आधार पर तथा दक्षिणी जोन, पूर्वी जोन इत्यादि जैसा सी.बी.एस.ई. का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को माननीय संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 9 मई, 2003 की एक शिकायत 12 जून 2003 को प्राप्त हुई थी।

(ख) यह शिकायत 11 मई, 2003 को आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 2003 के लिए कुछ उम्मीदवारों द्वारा, जिन्होंने केरल से आवेदन किया था, प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के संबंध में थी।

(ग) जी, नहीं। यह भी बताया गया कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा के सूचना बुलेटिन में यह अधिसूचित किया था कि यदि 22 अप्रैल, 2003 तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है तो आवेदक को प्रवेश पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र जमा करने का प्रमाण देकर बोर्ड को लिखना/से संपर्क करना चाहिए तदनुसार, 11188 उम्मीदवारों ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संपर्क किया और उन्हें प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। किसी भी उम्मीदवार को जिसने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा 2003 के आवेदन पत्र को जमा करने का प्रमाण भेजा था, अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा, 2003 में भाग लेने से वंचित नहीं किया गया था।

(घ) उक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पहले से ही चेन्नई गुवाहाटी, चंडीगढ़, इलाहाबाद, अजमेर और दिल्ली में छह क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंकाई फोन रैकेट

3149. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक श्रीलंकाई गिरोह ने चेन्नई में एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाकर सेटेलाइट कोड का पता लगाकर अपने ग्राहकों को स्थानीय काल दर पर अंतर्राष्ट्रीय काल कराकर और बीएसएनएल एक्सचेंज को बाईपास करके करोड़ों रुपये कमाए है जैसाकि दिनांक 12 जुलाई, 2003 के "द लोकमत टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इससे बीएसएनएल को कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले, रैकेट की कार्यप्रणाली क्या थी और इस संबंध में कितने आदमी पकड़े गये?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) चेन्नई शहर की पुलिस के पास दर्ज प्राथमिकी के अनुसार चेन्नई में एक अवैध फोन रैकेट सक्रिय था।

(ख) टेलीफोन पर सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने छापा मारा। चूंकि तहकीकात चल रही है अत: बीएसएनएल को हुई क्षति का पता नहीं चला है।

(ग) जी, नहीं। पुलिस प्राधिकारियों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। चेन्नई शहर की पुलिस द्वारा अभी भी मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के लाइसेंस की अवधि समाप्त होना

3150. डा. चरण दास महंत: क्या संचार और सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कार्यरत विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है;

(ख) क्या सीमा शुल्क भवन संबंधी बीमा और सीमा शुल्क मुक्त आयातित वस्तुओं से संबंधित लाइसेंस अवधि भी समाप्त हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी राजस्व हानि हुई है;

(घ) क्या कतिपय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां मनमाने ढंग से कार्य कर रही हैं और सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

वी.एस.एन.एल. में सरकारी निवेश

3151. श्री किरीट सोमैया: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वी.एस.एन.एल. में सरकार के शेयर धारण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या टाटा समूह की कंपनियों में वी.एस.एन.एल. के 1200 करोड़ रु. के उच्चतर मूल्यांकन पर हस्तांतरण/निवेश का टाटा का निर्णय सरकारी निवेश नहीं माना जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इस पर विभाग की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वी.एस.एन.एल. में सरकारी हिस्सेदारी के विपणन मूल्यांकन में घाटा हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) कंपनी की 285 करोड़ रुपये (प्रत्येक 10 रुपये के अंकित मूल्य के 28,50,00,000 शेयर) की प्रदत्त पूंजी का 26.12% स्टेक (7,44,46,885 शेयर) सरकार के पास है।

(ख) और (ग) टाटा समूह की कम्पनी टाटा टेलीसर्विसेस के शेयर का मूल्यांकन इसके अंकित मूल्य के बराबर लगाया गया था इसके अलावा अगले 7 वर्षों में केवल 835.80 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति हुई थी। पहले 4 वर्षों में 636.80 करोड़ रुपये की राशि का निवेश उस समय सारणी और तरीके के अनुसार किया जाएगा जिसके बारे में वीएसएनएल और टाटा सर्विसेज पारस्परिक रूप से निर्णय लेंगे।

(घ) और (ङ) वीएसएनएल के शेयर मूल्य में बाजार की शक्तियों के अनुसार परिवर्तन होता रहा है तथा इसकी स्थिति सभी शेयरों विशेषकर दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शेयरों के आम रूझान के मुताबिक रही है।

मुंबई में कंटेनर टर्मिनल्स

3152. श्री विनय कुमार सोराके: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई स्थित दो कंटेनर टर्मिनल्स जे. एन. पी. टी. द्वारा चलाए जा रहे हैं तथा एक अन्य निजी स्वामित्व वाले पी एंड ओ प्रबंधन द्वारा चलाया जा रहा है;

(ख) क्या जे. एन. पी. टी. का विचार निजी आपरेटरों को एक नया कंटेनर टर्मिनल देने का है तथा निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या जे. एन. पी. टी. ने नए टर्मिनल हेज संविदाओं के लिए पी एंड ओ प्रबंधन को अयोग्य ठहरा दिया है;

(घ) क्या मुंबई स्थित पी एंड ओ टर्मिनल पोत परिवहन उद्योग द्वारा सर्वाधिक सक्षम और आर्थिक रूप से लाभकारी माना जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो जे. एन. पी. टी. द्वारा उनको अयोग्य ठहराये जाने के कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) इस समय, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, नवीं मुंबई में दो कंटेनर टर्मिनल हैं। एक कंटेनर टर्मिनल का जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जे एन पी टी) द्वारा स्वयं प्रबंध किया जाता है तथा चलाया जाता है तथा दूसरा जे एन पी टी के साथ लाइसेंस करार के तहत बनाओ, चलाओ तथा हस्तांतरित करो (बी ओ टी) आधार पर पी एंड ओ आस्ट्रेलिया पोर्टस पी टी लि. द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी नामत: न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लि. (एन एस आई सी टी) द्वारा प्रबंधित है तथा परिचालित किया जाता है।

(ख) जवाहरलाल नेहरु पत्तन पर बी ओ टी आधार पर एक कंटेनर टर्मिनल के रूप में विद्यमान बल्क टर्मिनल को पुन: विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के लिए जे एन पी टी द्वारा जारी "अर्हता के लिए अनुरोध" नोटिस के प्रत्युत्तर में 12 पार्टियों ने अपने अपने आवेदन प्रस्तुत किए है, पत्तन न्यास ने इनमें से 10 पार्टियों को बोली में भाग लेने के लिए चुना है तथा उनसे प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

(ग) से (ङ) जवाहरलाल नेहरू पत्तन में विद्यमान निजी कंटेनर आपरेटर अर्थात न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्रा. लि. इसकी मुख्य कंपनी तथा इसके समूह से संबंधित अन्य कंपनी को अंत: पत्तन प्रतियोगिता को बढ़ाने तथा निजी एकाधिकार/एकल निजी पार्टी के पास शक्ति संकेन्द्रीकरण को रोकने के हित में उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित परियोजना के लिए बोली प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है।

प्रमाणिक भरोसेमंद तथा सत्यापनीय सामान्य पैरामीटर्स जो तुलनात्मक कार्यकुशलता तथा परिचालनात्मक अर्थव्यवस्था के उपाय के लिए बना सकती है, के न होने से टर्मिनलों के बीच नितान्त रूप से तुलना करना तर्कसंगत नहीं होगा।

[हिन्दी]

गरूड़ और डाल्फिन सेवाएं

3153. श्री हरिभाई चौधरी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरूड़ और डाल्फिन मोबाइल सेवाएं लोक प्रिय नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे प्रतिस्पर्धात्मक और लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) लोग एमटीएनएल की गरूड़ और डाल्फिन मोबाइल सेवाओं में अत्यधिक रुचि दिखा रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एमटीएनएल द्वारा सेल्यूलर सेवाओं को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक एवं लोकप्रिय बनाने हेतु निम्न उपाय किए गए है:–

(i) वाजिब प्रशुल्क जो दिल्ली और मुम्बई के अन्य सेल्यूलर प्रचालकों से बेहतर हो।

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के नगरों में अतिरिक्त फ्रैन्चाइजी नियुक्त किए गए हैं और एनसीआर नगरों के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उपभोक्ता सेवा केन्द्र भी खोले गए हैं।

(iii) वायरलैस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल (डब्ल्यू ए पी) सेवाएं चुनिंदा नेटवर्क पर प्री-पेड उपभोक्ताओं को रोमिंग इत्यादि जैसी अतिरिक्त मूल्य वर्द्धित सेवाएं शीघ्र ही शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान को अमरीकी सहायता

3154. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:
श्री नरेश पुगलिया:
डा. मंदा जगन्नाथ:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता सहित 3 बिलियन डालर के पैकेज का वायदा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आतंकवाद से लडने के नाम पर अमरीका द्वारा पाकिस्तान को की गई हथियारों की आपूर्ति इराक युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा अमरीका को दी गई मदद के प्रोत्साहन के रूप में हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत के विदेश सचिव ने सहायता की मात्रा और इसके अंतर्गत आपूर्ति किए जा सकने वाली रक्षा मदों के प्रकार के बारे में अमरीकी नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या पाकिस्तान को दिया गया अमरीकी सहायता पैकेज भारत के लिए चिंता का विषय है;

(छ) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ज) क्या इस संबंध में अमरीका के समक्ष कोई विरोध दर्ज किया किया गया है; और

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) 24 जून, 2003 को कैम्प डेविड में राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश और राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच हुई बैठक के पश्चात राष्ट्रपति बुश ने घोषणा की कि वे पाकिस्तान के लिए संयुक्त राज्य कांग्रेस से 3 बिलियन डालर की सहायता पैकेज हासिल करने के प्रयास करेंगे। संयुक्त राज्य प्रशासन द्वारा घोषित ब्यौरों के अनुसार संयुक्त राज्य इस सहायता पर लगभग 5 वर्ष से विचार कर रहा है जो कि 600 मिलियन डालर प्रति वर्ष होगी, संयुक्त राज्य राजकोषीय वर्ष 2005 (1.10.2004 से 30.9.2005) से आरंभ होगी लगभग आधी राशि आर्थिक सहायता के रूप में और आधी विदेशी सैन्य वित्तपोषण कार्यक्रम के माध्यम से सैन्य सहायता के रूप में होगी।

(ग) राष्ट्रपति बुश ने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में पाकिस्तान के सहयोग की प्रशंसा की और यह घोषणा की कि प्रस्तावित सहायता पैकेज "पाकिस्तान के नागरिकों के लिए सुरक्षा और आर्थिक अवसर के उन्नयन में सहायता" के लिए है।

(घ) पाकिस्तान को प्रस्तावित संयुक्त राज्य सहायता का प्रस्ताव जुलाई, 2003 में वाशिंगटन डी. सी. में वरिष्ठ संयुक्त राज्य कर्मियों के साथ हुई विदेश सचिव की बैठक के दौरान आया।

(ङ) संयुक्त राज्य प्रशासन का कहना है कि आर्थिक और सैन्य सहायता के ब्यौरे अभी तय नहीं किए गए हैं। हालांकि यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को एफ-16 विमान नहीं दिए जाएंगे। सरकार यह समझती है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक और सन्य सहायता का औचित्यीकरण संयुक्त राज्य कांग्रेस को देना होगा। संयुक्त राज्य प्रशासन ने यह भी कहा है कि सहायता लेने से पूर्व पाकिस्तान को संयुक्त राज्य को इस बात के लिए संतुष्ट करना होगा कि पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में सक्रियता से हमारे साथ है, पूर्ण निष्ठा से यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है कि अप्रसार में आगे वृद्धि नहीं होगी ओर लोकतंत्र की ओर तीव्रता से कदम बढ़ेंगे।

(च) सरकार भारत पर इसके प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए पाकिस्तान को दी जाने वाली संयुक्त राज्य की सहायता के वास्तविक आकार और प्रकृति की निगरानी करेगी।

(छ) और (झ) पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों का निर्धारण संयुक्त राज्य को स्वयं करना है। हालांकि सरकार लगातार संयुक्त राज्य को अपनी इस अपेक्षा से अवगत कराती रही है कि पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने का निर्णय लेते समय भारत की सुरक्षा पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखा जाए।

एम.ए.आर.आर. उपकरण

3155. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998 से मार्च, 2000 के दौरान बी.एस.एन.एल. ने 184.56 करोड़ करोड़ रुपये की लागत वाले 23.070 एम.ए.आर.आर. उपकरण खरीदे हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने एम.ए.आर.आर. उपकरण न खरीदने का निर्देश दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इसे खरीदने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) 1.1.97 से आज तक कुल 144.26 करोड़ रु. मूल्य की 2/15 एमएआरआर उपकरणों की 17118 प्रणालियों और 4/36 एमएआरआर उपकरणों की 1467 प्रणालियों का आर्डर दिया गया ब्यौरे संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां। एमएआरआर उपकरणों की खरीद बंद करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश जारी किए गए।

(ग) सभी आपूर्तिकर्ताओं को उनको क्रय आदेश को बंद करने के लिए अल्पावधिक नोटिस जारी किया गया। मै. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का क्रय आदेश भी डिलीवरी शेडयूल चालू रहने के दौरान ही अल्पावधि में बंद कर दिया गया। मध्य प्रदेश और असम के लिए एम ए आर आर प्रणालियों के 128 टर्मिनलों की आवश्यकता के कारण और साथ ही संविदात्मक दायित्व को पूरा करने की दृष्टि से मै. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो दूरसंचार विभाग से संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, को दूरसंचार आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उक्त उपकरण की आपूर्ति करने की अनुमति प्रदान की गई।

विवरण

वर्ष 1997 से खरीदी गई एमएआरआर प्रणालियों का ब्यौरा

क्र.सं.	क्रय आदेश की संख्या और तारीख	विक्रेता का नाम	मात्रा		क्रय आदेश का मूल्य (रुपये में)
			2/15 एमएआरआर उपकरण	4/36 एमएआरआर उपकरण	
1.	एमटी/पीओ/83/96-97 दिनांक 6-1-97	मै. आईटीआई लिमिटेड	225	225	269781975
2.	एमटी/पीओ/84/96-97 दिनांक 14-1-97	मै. यूनाइटेट टेलीकॉम लिमिटेड, बंगलोर	0	50	45511200
3.	एमटी/पीओ/84/96-97 दिनांक 22-1-97	मै. श्याम टेलीकाम	0	250	227556000
4.	एमटी/पीओ/100/96-97 दिनांक 4-2-97	मै. हिन्दुस्तान इलेक्ट टेक	0	2	1638400
5.	एमटी/पीओ/113/96-97 दिनांक 26-2-97	मै. कावेरी टेलीकाम लिमिटेड	8	0	2053736
6.	एमटी/पीओ/124/96-97 दिनांक 27-3-97	मै. फीनिक्स टेक	0	2	952800
7.	एमटी/पीओ/126/96-97 दिनांक 31-3-97 (इ.ओ.)	मै. कावेरी टेलीकाम लिमिटेड	0	2	952800
8.	एमटी/पीओ/46/97-98 दिनांक 1-10-97	मै. एचटीएल लिमिटेड	290	222	197401254
9.	एमटी/पीओ/47/97-98 दिनांक 18-10-97	मै. यूटीएल	250	195	172307305
10.	एमटी/पीओ/49/97-98 दिनांक 24-10-97	मै. फीनिक्स टेक	110	—	25249995
11.	एमटी/पीओ/50/97-98 दिनांक 24-11-97	मै. जीसीइएल	115	90	79438162
12.	एमटी/पीओ/51/97-98 दिनांक 24-11-97	मै. टेक्नीकाम सिस्टम	100	80	70101599
13.	एमटी/पीओ/52/97-98 दिनांक 24-11-97	मै. श्याम टेलीकाम	0	105	61880513
14.	एमटी/पीओ/53/97-98 दिनांक 24-11-97	मै. अवन्टेल कम्यू.	120	90	80585889
15.	एमटी/पीओ/54/97-98 दिनांक 24-11-97	मै. नेशनल टेलीकाम	110	0	25249995
16.	एमटी/पीओ/55/97-98 दिनांक 28-11-97	मै. ऐन्को कम्यू.	115	70	67651397
17.	एमटी/पीओ/56/97-98 दिनांक 3-12-97	मै. बिन्फो इलेक्ट	125	90	81733616
18.	एमटी/पीओ/76/97-98 दिनांक 24-3-98	मै.आईटीआई लिमिटेड	158	0	32641357
		जोड़	1726	1473	1442687993

सीमा क्षेत्र परियोजनाएं

3156. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड ने सीमा क्षेत्र के पीड़ित लोगों की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से चीन, पाकिस्तान, बंग्लादेश, बर्मा, भूटान आदि देशों की सीमाओं में लगे विभिन्न राज्यों में सीमा क्षेत्र परियोजनाएं आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा पश्चिम बंगाल में उक्त परियोजना के लिए जारी की गयी धनराशि वर्ष 2000-2001 से अनियमित और अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि कर्मचारियों को उनका वेतन नियमित रूप से मिलता रहे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के बाद केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश (वर्तमान में उत्तर प्रदेश परियोजना के कर्मचारी राज्य में आई.सी.डी.एस. परियोजना में विलय कर दिये गए हैं), हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब राजस्थान, गुजरात, लक्षद्वीप, अंडमान एव निकोबार द्वीपसमूह राज्यों में सीमावर्ती क्षेत्र परियोजनाएं प्रारंभ की। इन परियोजनाओं के शुरू करने के पीछे उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का शेष देश की जनता से भावनात्मक और सांस्कृतिक एकीकरण सुनिश्चित करना था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, दूर-दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रही महिलाओं और बच्चों को शिल्प प्रशिक्षण, मातृत्व एवं बाल कल्याण, सामाजिक शिक्षा चिकित्सा सहायता एवं बालवाड़ी सेवाओं जैसी एकीकृत कल्याण सेवाएं प्रदान की जाती है। इनके अतिरिक्त, किशोरों एवं किशोरियों को मनोरंजक सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

(ग) से (ङ) परियोजनाओं के लिए निर्मुक्तियां प्रत्येक वर्ष 2-3 किस्तों में राज्य बोर्डों के माध्यम से की जाती है। संबंधित राज्य बोर्ड राज्य में परियोजनाओं में आगे निर्मुक्तियां करते हैं। वेतन पर व्यय केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड एवं राज्य सरकार दोनों द्वारा 2/3 एवं 1/3 अनुपात में वहन किया जाता है।

पश्चिम बंगाल राज्य में निर्मुक्तियों की स्थिति के संबंध में विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	संस्वीकृत राशि (रुपये लाखों में)	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)
2000-01	115.40	80.22
2001-02	106.54	98.03
2002-03	106.54	9589

संस्वीकृति निधि में से कुछ राशि इन वर्षों के दौरान रोक ली गई थी क्योंकि परियोजना के खाते निपटाए नहीं गए थे और इसलिए नियमानुसार 100 प्रतिशत निर्मुक्ति नहीं की जा सकी।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने परियोजनाओं के खातों का निपटारा करने के लिए एक अभियान चलाया जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

3157. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य शिक्षा मंत्रियों के पिछले सम्मेलन के दौरान पारित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को और शिक्षकों को अधिक सौहार्दपूर्ण बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और राज्य प्रशासन को केन्द्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने की भी मांग की गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा दिसंबर, 2002 में दिल्ली में आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से संबंधित किसी मामले पर विचार नहीं किया गया था।

देश में गरीब लोग

3158. श्री ब्रह्मानंद मंडल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वर्ष 1987, 1997, 1990 और 2000 में गरीब लोगों की अलग-अलग संख्या कितनी थी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा लगभग पांच वर्षों के अंतराल पर पारिवारिक उपभोक्ताओं व्यय पर किए गए वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षणें से करता है। ये सर्वेक्षण वर्ष 1973-74, 1977-78, 1983, 1987-88, 1993-94 और 1999-2000 के दौरान किए गए। वर्ष 1987-88, 1993-94 और 1999-2000 में गरीबों की संख्या के अनुमान नीचे दिये गये हैं:

वर्ष	गरीबों की संख्या (लाख में)
1987-88	3070.49
1993-94	3203.68
1999-2000	2602.50

कृषि क्षेत्र में निवेश

3159. श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के किसानों की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से कृषि में विनिवेश की संभावनाओं का पता लगाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में विनिवेश की संभावनाओं पर विचार करने के लिए कोई योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (घ) सरकार की विनिवेश नीति के अनुसार उन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का मामला-दर-मामला आधार पर विनिवेश किया जाना है जो गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र में हैं। कृषि क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम महत्वपूर्ण उपक्रमों के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं। विनिवेश आयोग ने भारत के स्टेट फार्मर्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के संबंध में सरकारी इक्विटी के विनिवेश पर क्रमशः अप्रैल और मई, 2003 में विचार किया किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। सरकार ने विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

शहरी क्षेत्रों की योजना बनाना

3160. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतरिक्ष विभाग ने हाई रेजोलूशन संबंधी आंकड़ों को प्रयुक्त करते हुए नक्शों के जरिये शहरी क्षेत्रों की योजना बनाने का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो उन नगरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां उक्त योजना बनाई गई है; और

(ग) उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है और योजना बनाने का उद्देश्य क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) विविध शहर/नगर प्राधिकरणों के अनुरोध पर अंतरिक्ष विभाग की राष्ट्रीय सुदूर संवेदनशील एजेंसी और क्षेत्रीय सुदूर संवेदन सेवा केन्द्रों ने देश में विविध नगरों के लिए उच्च-विभेदन उपग्रह प्रतिबिम्बकियों और हवाई चित्रों का उपयोग करते हुए शहरी क्षेत्रों के मानचित्रण का कार्य किया है।

(ख) और (ग) इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस मानचित्रण का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के विकास की योजना बनाना था।

विवरण

उच्च-विभेदन वाली उपग्रह प्रतिबिम्बकियों और हवाई फोटोग्राफीय आंकड़ों का उपयोग करते हुए जहां शहरी मानचित्रण किया गया है, उन नगर/शहरी क्षेत्रों की सूची

राज्य	शहरी क्षेत्र
1	2
आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद
	2. मेडक
	3. महबूबनगर
	4. वारंगल

1	2	
	5.	चित्तूर
	6.	रामगुंडम
	7.	हिन्दुपुर
	8.	नंदयाल
	9.	खम्माम
	10.	गुड़ीवाडा
	11.	भीमावरम
अरुणाचल प्रदेश	12.	ईटानगर-नहरियाजान
असम	13.	गुवाहाटी
बिहार	14.	गया
	15.	छपरा
चंडीगढ़	16.	चंडीगढ़
छत्तीसगढ	17.	रायपुर
दिल्ली	18.	दिल्ली
गोवा	19.	पणजी
गुजरात	20.	अहमदाबाद
	21.	वलसाड
	22.	भरूच
	23.	सुरेन्द्र नगर
	24.	पोरबंदर
	25.	वेरावल
कनार्टक	26.	बेंगलूर
	27.	मेंगलूर
	28.	मैसूर
केरल	29.	कोचि
	30.	तिरूवनन्तपुरम
हरियाणा	31.	अम्बाला
	32.	गुडगांव

1	2	
हिमाचल प्रदेश	33.	हमीरपुर
	34.	मंडी
महाराष्ट्र	35.	मुंबई
	36.	पिम्परी-चिन्चवाड़
	37.	कल्याण एवं उल्हास नगर
	38.	शोलापुर
	39.	नान्देड
	40.	नागपुर
	41.	रत्नागिरि
	42.	अकोला
	43.	औरंगाबाद
	44.	पुणे
मध्य प्रदेश	45.	इन्दौर
	46.	भोपाल
मेघालय	47.	शिलांग
मिजोरम	48.	ऐजवाल
नागालैंड	49.	कोहिमा
उड़ीसा	50.	भुवनेश्वर
	51.	पुरी
पांडिचेरी	52.	पांडिचेरी
पंजाब	53.	मुक्तसर
	54.	मोगा
राजस्थान	55.	अजमेर
	56.	बीकानेर
	57.	कोटा
	58.	जोधपुर
सिक्किम	59.	गंगटोक
तमिलनाडु	60.	टिन्डीवनम

1	2	
	61.	नागपटनम
	62.	कराईक्कुड़ी
	63.	तिरूचेन्डुर
	64.	राजपालयम
त्रिपुरा	65.	अगरतल्ला
उत्तर प्रदेश	66.	आगरा
	67.	फैजाबाद
	68.	नैनीताल
	69.	लखनऊ
उत्तरांचल	70.	देहरादून
पश्चिम बंगाल	71.	कोलकाता
	72.	आसनसोल
	73.	सिलीगुडी

एंटीबायोटिक्स का अधिक प्रयोग

3161. श्री अनन्त गुढ़े: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिकित्सकों को एंटीबायोटिक्स कम लिखने के लिए सलाह दी है क्योंकि उनके अधिक प्रयोग से औषध प्रतिरोध बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या एंटिबायोटिक्स के अधिक प्रयोग के प्रतिकूल प्रभावों से लोगों को अवगत कराने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठनों औषधों के विवेकपूर्ण उपयोग का समर्थन करता है क्योंकि एंटिमाइक्रोवायल्स के अति-उपयोग से एंटिमाइक्रोवायल प्रतिरोध बढ़ सकता है।

(ख) और (ग) एंटिबायोटिक औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूची "ज" में पहले से ही कवर है और इन्हें चिकित्सक द्वारा लिखे जाने पर ही बेचा जाना अपेक्षित है।

एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकों का अनुवाद

3162. श्री विष्णु पद राय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आई.डी.ए. की 10वीं बैठक में यह निर्णय किया गया था कि 10वीं, 11वीं, और 12वीं, कक्षा को एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों का अनुवाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उच्च अधिकार प्राप्त समिमि द्वारा तमिल, बंग्ला और तेलगू में किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार प्रशासन को एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकों के अनुवाद हेतु आवश्यक अनुमति पहले ही दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो संघ राज्य क्षेत्र के विद्यार्थियों को मुद्रित पुस्तकों को कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार उसने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन को राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकों का तमिल, तेलगू और बंगाली भाषाओं में अनुवाद करके मुद्रण करने की कापीराइट अनुमति फरवरी, 2003 में प्रदान कर दी थी। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित प्रदेश प्रशासन का दायित्व है कि वह अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इन भाषाओं में मुद्रित पुस्तकें यथाशीघ्र उपलब्ध कराए।

अ.जा. के वैज्ञानिकों का उत्पीड़न

3163. श्री रामदास आठवले: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 2003 में इंस्टीट्यूट आफ जेनोमिक्स एंड इंटिग्रेटिव बायोलाजी, सीएसआईआर में कार्यरत अनुसूचित जाति से संबंधित वैज्ञानिकों से एक उप निदेशक द्वारा उत्पीड़न/दुर्व्यवहार तथा बुरे बर्ताव के संबंध में कोई पत्र प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) जी हां। एक वैज्ञानिक से प्रधान जैवकार्बनिक, प्रभाग एकक द्वारा उत्पीड़न के दोषारोपण वाला दिनांक 27.5.2003 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें प्रमुखत: शिकायतकर्ता की सीट को शिफ्ट करने का उल्लेख किया गया था। निदेशक आई जीआईबी ने इस शिकायत के सभी पहलुओं के जांच करने के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिकों की एक समिति गठित की है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य शामिल है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में सुविधाओं तथा अनुसंधान में सुधार करना

3164. **श्री कोलूर बसवनागौड:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में सुविधाओं तथा अनुसंधान में सुधार करने हेतु कौन-सी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में सुधार लाने हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में राज्यवार क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) 2002-2003 तथा 2003-2004 के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति में सुधार लाने हेतु राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) 10वीं योजना में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ख) जी, हां।

(ग) विभिन्न राज्यों से प्राप्त और सभी तरह से पूर्ण प्रस्तावों पर छानबीन/परियोजना चयन समिति द्वारा अनुमोदन हेतु विचार किया गया। 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान अभी तक जारी अनुमोदित निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्यों को 1417.19 लाख रुपयें की राशि जारी की गई। वर्ष 2003-2004 के दौरान अभी तक 186.26 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

विवरण-I

दसवीं योजना के दौरान भा.चि.प. एवं हो. विभाग द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय स्कीमों की सूची

क्र.सं.	स्कीम का नाम (संक्षेप में)
1	2
(क)	***संस्थानों का विकास**
1.	भा.चि.प. एवं. हो. स्नातकपूर्व कालेजों का विकास
2.	भा.चि.प. एवं. हो. शिक्षण अस्पतालों का नवीकरण एवं सुदृढ़ीकरण
3.	भा.चि.प. एवं. हो. कालेजों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना
4.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा को सहायता
5.	आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी होम्योपैथी के शैक्षणिक संस्थानों का राज्य मांडल संस्थान स्तर तक उन्नयन
6.	भा.चि.प. एवं. हो. कार्मिक हेतु पुनर्अभिविन्यास
(ख)	**अस्पताल एवं औषधालय**
1.	पंचकर्म/आयुर्वेद की क्षार सूत्र चिकित्सा अथवा यूनानी औषधी अथवा सिद्ध अथवा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अथवा होम्योपैथी की रेजीमेंटल चिकित्सा हेतु अस्पताल में भर्ती करने की सुविधा के साथ विशिष्ट केन्द्र की स्थापना
2.	भा.चि.प. एवं. हो. की विशिष्टता क्लिनिक की स्थापना अर्थात विशिष्ट बहिरंग उपचार केन्द्र पद्धति
**3.	होटलों में आयुर्वेद पार्क/पंचकर्म (चिकित्सा पर्यटन)
4.	जिला एलोपैथिक अस्पतालों में भा.चि.प. एवं. हो. स्कंध की स्थापना करना—भा.चि.प. एवं. हो. की बहिरंग के साथ अंतरंग सुविधा वाली एक अथवा दो पद्धतियां
**5.	भा.चि.प. एवं. हो. की लोकप्रियता हेतु प्रदर्शनात्मक भा.चि.प. एवं. हो. एककों की स्थापना हेतु स्कीम
6.	(i) राज्य के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों को औषधालयों को अनिवार्य औषधियों की आपूर्ति (ii) ग्रामीण क्षेत्रों को औषधि की आपूर्ति हेतु "होम रेमेडीज किट" संबंधी प्रायोगिक स्कीम
(ग)	**औषधि गुणवत्ता नियंत्रण**
1.	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों की आयुर्वेद सिद्ध यूनानी और होम्योपैथिक हेतु औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण

1	2
	2. गुणवत्तायुक्त भा.चि.प. एवं. हो. औषधियों हेतु राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों की आयुर्वेद सिद्ध यूनानी और होम्योपैथिक फार्मेसियों का सुदृढ़ीकरण
	3. आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के विकास में आधुनिक प्रौधोगिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग
	4. भा.चि.प. एवं. हो. के राज्य औषधि नियंत्रकों, राज्यों में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी (एएसयू) तथा होम्योपैथिक औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण।
	5. अच्छी विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग/औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने हेतु आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी (ए.एस.यू.) औषधि विनिर्माण इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए स्कीम।
	6. अच्छी विनिर्माण पद्धतियों (जी एम पी)- अनुसूची न. की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजनार्थ आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी (ए.एस.यू.)- औषधि विनिर्माण एककों के अवसंरचनात्मक सुधार के लिए उन्हें सहायता देने की स्कीम

नोट *स्कीमों को सी.सी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित किया जाना है।
**स्कीमों को अभी तक अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण II

2002-2003 और 2003-04 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्यवार जारी की गई/अनुमोदित निधियां

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-2003 के दौरान जारी की गई राशि	2003-2004 के दौरान अभी तक अनुमोदित राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	148.13	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	16.05	8.50
3.	असम	122.50	3.27
4.	बिहार	5.57	0.00
5.	छत्तीसगढ़	5.57	0.00
6.	गुजरात	59.57	0.00
7.	हरियाणा	20.57	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	149.43	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	14.25
10.	झारखंड	5.57	0.00
11.	कर्नाटक	142.82	12.93
12.	केरल	174.53	35.00
13.	मध्य प्रदेश	40.99	1.03
14.	महाराष्ट्र	169.17	31.38
15.	मणिपुर	5.30	3.68
16.	मेघालय	5.30	0.00
17.	मिजोरम	0.00	2.50
18.	नागालैंड	0.00	2.50
19.	उड़ीसा	28.50	15.00
20.	पंजाब	20.57	5.25
21.	राजस्थान	115.94	15.96
22.	तमिलनाडु	49.02	20.00
23.	त्रिपुरा	0.00	15.00
24.	उत्तर प्रदेश	61.61	0.00
25.	उत्तरांचल	30.57	0.00
26.	पश्चिम बंगाल	39.91	0.00
	योग	1417.19	186.26

नोट:* - छानबीन/परियोजना चयन समिति द्वारा अनुमोदित राशि।
निधियां संबंधित संस्थानों को वित्त प्रभाग द्वारा अनुमोदन के पश्चात जारी की जाएगी।

नए स्वास्थ्य कार्यक्रम

3165. श्री खगेन दासः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लोगों के कल्याण हेतु कुछ नए स्वास्थ्य कार्यक्रमों को तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2003-2004 में प्रत्येक कार्यक्रम हेतु क्या बजटीय आवंटन किया गया हैं और ऐसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित और निष्पादित करने वाले प्राधिकरणों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) जी हां। अल्पसेवित क्षेत्रों में जरूरतमंद और गरीब लोगों को विशिष्ट उपचार प्रदान करने की आवश्यकता को समझते हुए, भारत सरकार ने "प्रधानमंत्री स्वाम्थ्य सुरक्षा योजना" नाम से एक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में निम्नलिखित पर विचार किया गया है:-

(i) कुछ अल्प-सेवित राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पैटर्न पर संस्थाओं की स्थापना करना। इस स्कीम का उद्‌घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 15.7.2003 को भुवनेश्वर में ऐसी एक संस्था का नींव पत्थर रखकर किया गया है।

(ii) अति विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को पूरा करने के लिए कुछ शेष अल्पसेवित राज्यों/क्षेत्रों में मौजूदा संस्थाओं का उन्नयन।

(iii) नवजात शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए मौजूदा स्कीमों का संवर्धन करके उनको मिलाकर जननी स्वास्थ्य योजना शुरू करना।

(iv) संजीवनी स्कीम के अधीन आपाती चिकित्सा राहत प्रदान करने के लिए कंटेनर आधारित चल (मोबाइल) अस्पताल की स्थापना करना ।

(v) गरीबों को स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए "व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना"। इसे प्रधानमंत्री द्वारा पहले ही 14 जुलाई 2003 को शुरू कर दिया गया है।

बजटीय आबंटन आदि से संबंधित और ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

भारत में स्वास्थ्य की स्थिति

3166. श्री वाई.वी. रावः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मानव विकास रिपोर्ट में यथा प्रदर्शित भारत में स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कराये गये अध्ययन के अनुसार अनुमान क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) जी, हां। दि. यूएन.डी.पी. रिपोर्ट सहस्राब्दि (मिलेनियम) विकास लक्ष्यों (एम.डी.जी.) पर केन्द्रित है जिन्हें विकास की प्रगति को मापने के लिए ढांचे (फेमवर्क) के रूप में सामान्यत: स्वीकार किया गया है। स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्य जो स्वास्थ्य विभाग के कार्यकलापों से संबंधित है, मलेरिया, क्षयरोग और एच.आई.पी./एडस और अन्य प्रमुख रोगों का मुकाबला कर रहे है और ये वहनीय अनिवार्य औषधियों तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक (ग्लोबल) सहभागिता विकसित कर रहे है। चिन्ता के इन क्षेत्रों को स्वीकार करते हुए सरकार ने मलेरिया और क्षयरोग के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने और वहनीय अनिवार्य औषधियों तक पहुंच को बढ़ाने और एच.आई.वी./एडस की समस्या पर काबू पाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इस संबंध में सरकार के प्रक्षेपण सहित स्वास्थ्य से संबंधित सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एम.डी.जी.)	सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य*
1	2
लक्ष्य 6 - एच.आई.वी./एड्स मलेरिया और अन्य रोगों का मुकाबला करना	एच.आई.वी./एड्स मलेरिया और क्षयरोग का मुकाबला करना।

1	2
लक्ष्य 7 - एच.आई.वी./एड्स का फैलाव वर्ष 2015 तक रूक गया है और यह उलटना शुरू हो गया है।	वर्ष 2007 तक एच.आई.वी./एड्स की शून्य वृद्धि प्राप्त करना।
लक्ष्य 8 - मलेरिया और अन्य प्रमुख रोगों की घटनाएं वर्ष 2015 तक रुक गई है और उलटना शुरू हो गई हैं।	वर्ष 2010 तक मलेरिया और क्षयरोग से होने वाली मृत्यु दर को 50% तक कम करना।
लक्ष्य 8 - विकास के लिए एक व्यापक सहभागिता विकसित करना।	वहनीय अनिवार्य औषधियों तक पहुंच।
लक्ष्य 17 - फार्मास्यूटिकल कंपनियों के सहयोग के विकासशील देशों में वहनीय अनिवार्य औषधियों तक पहुंच मुहैया करवाना।	केन्द्रीय सरकार वित्तपोषण के अंतर्गत कुछ अनिवार्य औषधियां मुहैया करवाकर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जायेगा। आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर औषधियों, वैक्सीनों और उपभोज्यों की आपूर्ति के लिए एक कार्यकुशल और प्रभावी संभार तंत्र बनाने पर जोर दिया जाएगा।

*दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एन.एच.पी.) 2002 में सूचीबद्ध लक्ष्य शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

[लोकसभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई]

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए)

(इस समय श्री अधीर चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गये)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मै आपसे विनती करता हूं कि आप अपनी-अपनी जगहों पर जाइये। सदन का काम मुझे चलाने दीजिये। एक शार्ट नोटिस प्रश्न यूनीफार्म सिविल कोड पर है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज के लिए सूचीबद्ध अल्प सूचना प्रश्न सं. 1 स्थगित किया जाता है और इस बारे में अध्यक्ष पीठ द्वारा नयी तारीख बाद में तय की जायेगी।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

सभापटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7899/2003]

(3) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (1) के अंतर्गत चंडीगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1997 जो 12 सितंबर, 1997 के चंडीगढ़ प्रशासन

राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलडी-97/9783 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7900/2003]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): महोदय मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7919/2003]

(3) (एक) सरदार वल्लभभाई रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी सूरत (वर्तमान से सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्ट्टियूट आफ टेक्नालॉजी सूरत) के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई रीजनल कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालाजी सूरत (वर्तमान में सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्ट्टियूट आफ टेक्नालाजी सूरत) के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 7920/2003]

(5) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिटयूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नॉलाजी, ईटानगर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिटयूट ऑफ साइस एण्ड टेक्नॉलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 7921/2003]

(7) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दन रीजन), कानपुर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दन रीजन), कानपुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 7922/2003]

(9) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 7923/2003]

(11) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 7924/2003]

(13) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारयीय संस्थान, रूड़की के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 7925/2003]

(15) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1998-099 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा[illegible]क्षा प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1994-1996 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1996-1997 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1997-1998 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(पांच) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(छह) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7926/2003]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): महोदय मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण विधेयक, 1954 की धारा 23 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 508 (अ), जो 24 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 28 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 382 (अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[ग्रंन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7927/2003]

(2) (एक) एमएनजे इंस्टिट्यूट ऑफ आनकोलोजी एंड रीजनल कैंसर सेन्टर हैदराबाद के वर्ष 1997-1998 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएनजे इंस्टिट्यूट ऑफ आनकोलोजी एंड रीजनल कैंसर सेन्टर हैदराबाद के वर्ष 1997-1998 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) एमएनजे इंस्टिट्यूट ऑफ आनकोलोजी एंड रीजनल कैंसर सेन्टर, हैदराबाद के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएनजे इंस्टिट्यूट ऑफ आनकोलोजी एंड रीजनल कैंसर सेन्टर, हैदराबाद के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) एमएनजे इंस्टिट्यूट ऑफ आनकोलोजी एंड रीजनल कैंसर सेन्टर, हैदराबाद के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएनजे इंस्टिट्यूट ऑफ आनकोलोजी एंड रीजनल कैंसर सेन्टर, हैदराबाद के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7928/2003]

(8) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7929/2003]

(10) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ नेचुरोपैथी पुणे के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 7930/2003]

(12) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 2003 जो 18 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 554 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि-पत्र जो 29 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 610 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 7931/2003]

(13) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2003 जो 8 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 528 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पांचवां संशोधन) नियम, 2003 जो 16 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 549 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(14) उपर्युक्त (13) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 68-क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 517 (अ) जो 27 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 26 फरवरी, 1993 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 86 (अ) में संशोधन करना है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7932/2003]

(16) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (नेशनल एकेडमी आफ आयुर्वेद), नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (नेशनल एकेडमी आफ आयुर्वेद), नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7933/2003]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का टिप्पणियां।

[ग्रंन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7934/2003]

[हिन्दी]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): महोदय मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार अंतसंपर्क उपयोग प्रभार (आई यू सी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 जो 16 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 311-1/2003-इकॉन में प्रकाशित्त हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7935/2003]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): महोदय श्री श्रीपाद येसो नाइक की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का.आ. 431 (अ) जो 10 अप्रैल के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चेन्नई- विजयवाड़ा खंड) के उपयोगकर्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में हैं।

(दो) का.आ. 432 (अ) जो 10 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (कोटपुतली से जयपुर और जयपुर बाईपास जोन 'ग' और 'घ' खंड) के विभिन्न हिस्सों के उपयोगकर्ताओं से वसूल किये जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(तीन) का. आ. 814(अ) जो 16 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चेन्नई-विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में हैं।

(चार) का. आ. 822(अ) जो 17 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पांच) का. आ. 823(अ) जो 17 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छह) का.आ. 829 (अ) जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलोर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमिका अर्जन करने के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक और दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 7936/2003]

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): महोदय, मैं, डा. संजय पासवान की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन, भोपाल के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन, भोपाल के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 7937/2003]

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): महोदय मैं श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1)(एक) नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई के वर्ष 2001-2002 के छत्तीसवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** एल.टी. 7938/2003]

(3) (एक) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण के वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण के वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7939/2003]

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): महोदय मैं, निम्नलिखित पत्र पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** एल.टी. 7940/2003]

अपराह्न 12.01$^1/_2$ बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—
सभा पटल पर रखा गया

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने सोमवार, 28 जुलाई, 2003 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:

> ''कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त संबंधी से श्री संघ प्रिय गौतम द्वारा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दिए जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा के एक सदस्य को नियुक्त करे और यह प्रस्ताव करती है कि इस रिक्त स्थान को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसरण में एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को निर्वाचित किया जाए''

मुझे आगे यह सूचना देनी है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, राज्य सभा सदस्य, श्री के. जना कृष्णमूर्ति को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित कर लिया गया है।

(ii) ''मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 2003 जो कि लोक सभा की 26 फरवरी, 2003 की बैठक में पारित कर दिया गया था।

राज्य सभा द्वारा 7 अगस्त, 2003 की बैठक में निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया है:-

1. पृष्ठ 10 पर पंक्ति 17 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"(घ) मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (समन्वय और लोक शिकायत)"-सदस्य

2. पृष्ठ 10 पर पंक्ति 33 में, "संयुक्त निदेशक" शब्दों के स्थान पर "पुलिस अधीक्षक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

अतः, मैं एतद् द्वारा "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसरण में उक्त विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटाता हूं कि उक्त संशोधनों लोक सभा की सहमति की सूचना इस सभा को दी जाए।"

(iii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 7 अगस्त, 2003 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 1 अगस्त, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये बंदी संप्रत्यावर्तन विधेयक, 2003 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।"

(iv) "मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने शुक्रवार, 1 अगस्त, 2003 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की सदस्यता से श्री नाना देशमुख द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण उत्पन्न रिक्ति के स्थान पर उक्त समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए राज्य सभा के एक सदस्य को समिति में सहयोजित करने के लिए नाम निर्देशित करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और यह प्रस्ताव करती है कि इस रिक्त स्थान को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसरण में एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को निर्वाचित किया जाए।"

2. मुझे लोक सभा को यह सूचना भी देनी है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, राज्य सभा सदस्य, श्री राबर्ट खारशिंग को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित कर लिया गया है।

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाया गया केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 2003 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

लोक लेखा समिति

बावनवां और तिरपनवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह (जालौर): महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2003-2004) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) "संसदीय वित्तीय नियंत्रण को नजरअंदाज करना" के बारे में लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही के संबंध में लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) का 52वां प्रतिवेदन।

(2) "मैसर्स पिलकॉम का मामला" के बारे में लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही के संबंध में लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) का 53वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02½ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

की-गई कार्यवाही संबंधी विवरण

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2002-03 के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति (2002) के 10वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 12वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर अंतिम की-गई-कार्यवाही उत्तर दर्शाने वाले विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

मुम्बई हाई अपतट में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के कर्मचारियों को ले जा रहे हेलीकाप्टर की दुर्घटना

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री रामनाईक): मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करने में वास्तव में दुख हो रहा है

*सभा पटल पर रखा गया।

कि एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मेसको (एमईएससीओ) एयरलाइन्स से किराए पर लिया गया एमआई-172 हेलीकाप्टर 11 अगस्त को प्रात: दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हेलीकाप्टर 11.37 बजे जुहू, मुंबई में ओएनजीसी हेलीबेस से उड़ा था। यह हेलीकाप्टर ओएनजीसी की सागर किरण रिग पर उतरा और वहां से ओएनजीसी की एक अन्य रिग सागर ज्योति जाने के लिए 12.15 बजे उड़ान भरी। सागर किरण से उड़ान के तुरन्त बाद हेलीकाप्टर ओएनजीसी के 14 अधिकारियों और 8 कर्मकारों, 3 ठेका कर्मचारियों सहित 25 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों के साथ सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

सागर किरण से बचाव-नौका दौड़ा कर और पास में ओएनजीसी के जहाजों को एकदम हरकत में लाते हुए बचाव कार्य तुरन्त आरंभ कर दिए गए। किराए पर लिए गये अन्य हेलीकाप्टर भी ढूंढने और बचाव के लिए कार्य में लगा दिए गए। तटरक्षक और नौसेना भी एक घंटे के भीतर ढूंढने और बचाव के कार्यों में शामिल हो गए। दो व्यक्तियों को बचा लिया गया और इस दुर्घटना में मरने वाले 3 व्यक्तियों की लाशें ढूंढ ली गई। ओएनजीसी द्वारा लगाए गए बहु प्रयोजन आपूर्ति पोतों ने दुर्भाग्यग्रस्त हेलीकाप्टर के मलबे का 12 अगस्त को सबेरे-सबेरे लगभग 80 मीटर की गहराई पर पता लगा लिया है। आज सबेरे-सबेरे हेलीकाप्टर को समुद्र तल से निकाल लिया गया है तथा उसमें 22 शव प्राप्त हुए और उनकी पहचान कर ली गयी है। शेष दो शवों की खोज जारी है।

ओएनजीसी से उपलब्ध सूचना के अनुसार हेलीकाप्टर उड़ान योग्य बताया गया था और 11 अगस्त 2003 को उड़ान के समय किसी बाधा की रिपोर्ट नहीं की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय से इस घटना की परिस्थितियों की जांच करने के लिए एक जांच आरंभ करने का अनुरोध किया था। नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) ने इसके अनुरूप उप महानिदेशक श्री वी.के. चांदना द्वारा सांविधिक जांच के आदेश दे दिए हैं।

उपर्युक्त के अलावा एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा स्वतंत्र जांच कराने का निर्णय लिया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ अपतटीय प्रचालनों के अंतर्गत जीवन की सुरक्षा एवं संरक्षा, विशेषतया वायु संभारतंत्र, अपतटीय संरचनाओं तथा पाइपलाइनों का रखरखाव, मरम्मत एवं नवीकरण, हैलीकाप्टरों को भाड़े पर लेने तथा तत्संबंधी मामलों की जांच करेगी। समिति अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर दे देगी।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ओएनजीसी से डीजीसीए के साथ परामर्श करके एक पखवाड़े के भीतर इस अपतटीय क्षेत्र में वायु परिवहन के लिए सुरक्षा उपायों को और सशक्त करने के लिए एक आपातकालीन योजना तैयार करने के लिए कहा गया है, ताकि इन्हें सर्वोत्तम वैश्विक मानकों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

ओएनजीसी नीति के अनुसार दिवंगत कर्मचारियों के परिवार स्व वित्तपोषण योजना के तहत अंशदायी भविष्य निधि, परिदान, अवकाश नकदीकरण तथा पेंशन इत्यादि जैसे मानक लाभों के अलावा 14.3 लाख रुपये से लेकर 23.5 लाख रुपए तक वित्तीय क्षतिपूर्ति के हकदार हैं। ठेका कर्मचारी कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति के हकदार हैं। मैंने प्रति कर्मचारी को 5 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुग्रह राशि लाभ की घोषणा की है।

मैंने इस घटना के दुखद समाचार को सुनने के पश्चात प्रथम उपलब्ध फ्लाइट द्वारा मुंबई के लिए प्रस्थान किया तथा ओएनजीसी के जुहू हेलीबेस गया। मुंबई में मैं अधिकारियों एवं कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से मिला तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ओएनजीसी एवं ओएनजीसी के निदेशकों के साथ अनुवर्ती उपायों के विषय में चर्चा की।

मुंबई क्षेत्र से सामूहिक संगठनों ने 11 अगस्त, 2003 को मुझे अपनी कई ऐसी मांगों के बारे में लिखा जिनके समाधान के लंबित रहते अपतटीय प्रचालनों के 13 अगस्त, 2003 को प्रात: 6 बजे से प्रभावित होने की संभावना है। यह चार्टर उस दिन देर रात में प्राप्त हुआ। मैंने इन सामूहिक संगठनों से ऐसी कोई कार्यवाही न करने का अनुरोध किया है जिससे कि इस संकट काल में मुंबई हाई से तेल एवं गैस उत्पादन एवं उसके द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। मुझे आशा है कि वे मेरे अनुरोध को सुनेंगे तथा सामान्य उत्पादन जारी रखेंगे। इसी समय ओएनजीसी प्रबंधन मुंबई उच्च न्यायालय में गया जिसने निर्देश दिया कि कर्मचारी उत्पादन में व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1)(i) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की

अवधि के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1)(i) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

..(व्यवधान)

(दो) केन्द्रीय भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

[हिन्दी]

"कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 11(2) के साथ पठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3(2) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 11(2) के साथ पठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 3(2) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

..(व्यवधान)

अपराह्न 12.07 बजे

बैंककारी विनियमन (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक*—*पुर:स्थापित*

[अनुवाद]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, कंपनी अधिनियम, 1956, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, भांडागारण निगम अधिनियम, 1962, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976, औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993, औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1997 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, कंपनी अधिनियम, 1956, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, भांडागारण निगम अधिनियम, 1962, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976, औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993, औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1997 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 13.8.2003 में प्रकाशित।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

..*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.08 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले*

अध्यक्ष महोदय: आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जाए।

..*(व्यवधान)*

(एक) आंध्र प्रदेश के मेडक जिले में जाहिराबाद में रेलवे फाटक पर एक सड़क अधोगामी पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री ए. नरेन्द्र (मेडक): महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश के मेडक जिले के जाहिराबाद नगर से एक रेलवे लाइन गुजरती है। इस रेलवे लाइन पर आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक रेलवे गेट लगाया गया है। इस क्रासिंग पर कोई पुल न होने के कारण आस-पास के क्षेत्रों के लोगों और आम जनता को काफी असुविधा होती है। कई बार उस रेलवे लाइन से रेलों के गुजरते समय उसे पार करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस रेलवे क्रासिंग पर यातायात के भारी दबाव के कारण सड़क अधोगामी पुल बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि बिना किसी कठिनाई के सुगमता से यातायात जारी रहे। इस लेवल क्रासिंग पर उपरिपुल के निर्माण के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। अतः सड़क अधोगामी पुल बनाया जाना आवश्यक और अनिवार्य है।

इसके मद्देनजर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस रेलवे क्रासिंग पर सड़क अधोगामी पुल के निर्माण के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं जिससे यातायात और लोगों का सुगम आवागमन हो सके।

(दो) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में जूनागढ़ कस्बे के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 201 पर हाती नदी के ऊपर हाई लेवल पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मैं सरकार का ध्यान उड़ीसा के कालाहांडी जिले में जूनागढ़ कस्बे के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 201 पर हाती नदी के ऊपर हाई लेवल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता तथा बारगढ़ और बोरीगुमा के मध्य सर्वदा सुलभ संचार स्थापित करने की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि यह केबीके के सभी जिलों के लिए महत्वपूर्ण सम्पर्क का काम करता है। इसके अतिरिक्त, कालाहांडी के जिला मुख्यालय, भवानीपटना के नजदीक भी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 201 पर भी पुल क्षतिग्रस्त अवस्था में है जो किसी भी समय गिर सकता है। इसलिए प्रस्तावित नये पुल की स्वीकृति तुरंत दी जायें। वर्तमान पुल 1999 में ही क्षतिग्रस्त हो गया था उसके स्थान पर नया प्रस्तावित पुल काफी समय से लम्बित है।

[हिन्दी]

(तीन) देश में आलू के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): अध्यक्ष महोदय, देश में इस वर्ष आलू का उत्पादन बहुत अधिक हुआ है। इस कारण देश में आलू का मूल्य, लागत मूल्य से भी नीचे चला गया है। देश का आलू किसान आर्थिक दृष्टि से जर्जर हो गया है। शीतगृहों में जो आलू रखा गया है, उसमें आलू 40 रु. प्रति बोरा से अधिक दाम नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत से किसान तो, कोल्ड स्टोरेजों में रखा हुआ आलू उठाना ही नहीं पसन्द कर रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र बिल्हौर आलू उत्पादन का सबसे बड़ा केन्द्र है, और उसके पड़ोस कन्नौज, फरुखाबाद आलू उत्पादन का देश में सबसे बड़ा केन्द्र है। किसान भुखमरी की कगार पर खड़े हैं।

मेरा कृषि मंत्री जी से विशेष आग्रह है कि आलू किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए, आलू निर्यात के लिए सरकार योजना बनाये। किसानों को आलू का उचित मूल्य कैसे मिले, इसके लिए एक नीति की घोषणा करे ताकि आलू का किसान आर्थिक संकट से बच जाये।

(चार) गुजरात में भरूच-अंकलेश्वर-सूरत राष्ट्रीय राजमार्ग के समुचित रखरखाव की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): अध्यक्ष महोदय, भरूच-अंकलेश्वर-सूरत के राष्ट्रीय राजमार्ग की दशा अत्यंत दयनीय हो गयी है, जिसमें एक-एक फीट के गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों को मैंने स्वयं देखा है। इन गढ्ढों से भीषण दुर्घटनायें हो रही हैं और भविष्य में आशंका भी है। कीम एवं कोसम्बा क्षेत्रों के पास स्थित राजमार्ग की दशा तो और भी खतरनाक है। इस राजमार्ग का निर्माण पिछले साल हुआ है और एक साल में राजमार्ग की यह दशा हो गयी, जिससे यह लगता है कि इस राजमार्ग पर अच्छी क्वालिटी का मैटिरियल नहीं लगाया है, जिससे यह राजमार्ग एक बरसात भी झेल नहीं पाया है।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री मनसुखभाई डी. वसावा]

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस राजमार्ग के निर्माण प्रयोग हुए कच्चे माल की जांच की जाये। साथ ही इस राजमार्ग का मरम्मत कार्य शीघ्र करवाया जाये अन्यथा बड़ी दुर्घटना की संभावना है।

(पांच) गुजरात के बलसाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में व्यारा रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण रेलों का ठहराव प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री मानसिंह पटेल (मांडवी): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र व्यास है, जहां पर उकई डैम, कांकरपारा एटोमिक पॉवर प्लांट और कई चीनी मिलें हैं। यहां पर बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तमिलनाडु एवं केरल के लोग विभिन्न रोजगार में लगे हैं और समय समय पर अपने राज्यों में आते जाते रहते हैं। ये लोग व्यारा तक पहुंचने के लिए ताप्ती-गंगा, नवजीवन एक्सप्रेस एवं वलसाड-पटना एक्सप्रेस रेलवे सेवा का प्रयोग करते हैं, परन्तु इन गाड़ियों का व्यारा में ठहराव नहीं है, जिसके कारण विभिन्न राज्यों के लोगों को अपने राज्यों का टिकट आरक्षण कराने एवं आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है और अन्य स्टेशनों पर उतरकर व्यारा आना पड़ता है या अन्य स्टेशनों पर पहुंच कर इन रेल सेवा को पकड़ना पड़ता है और उनके पास सामान भी काफी होता है। लोगों की अत्यंत मांग होने पर मैंने कई बार रेलवे विभाग को अनुरोध किया है, परन्तु अभी तक ठहराव नहीं दिया है।

रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ताप्ती-गंगा, नवजीवन एक्सप्रेस एवं वलसाड-पटना रेल सेवा का व्यारा में तत्काल ठहराव का निर्देश प्रदान करें।

(छह) तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से प्रवासित हुए कतिपय समुदायों को उत्तरांचल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

डा. महेन्द्र सिंह पाल (नैनीताल): अध्यक्ष महोदय, पूर्वी पाकिस्तान से आये तथा देश के विभिन्न भागों में बसे बंगाली समुदाय जो उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा विशेष रूप से उत्तरांचल के जिला नैनीताल, जिला उधमसिंह नगर आदि स्थानों में आकर बसे हैं, पूर्वी पाकिस्तान में यह जातियां अनुसूचित जाति/जनजाति के अंतर्गत आती थी तथा पश्चिम बंगाल में भी वही जातियां अनुसूचित जाति/जनजाति के अंतर्गत आती हैं। परन्तु उत्तरांचल तथा अन्य राज्यों में इन जातियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा इससे पूर्व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधेयक पारित कर पूरे देश में कुछ जातियों को शामिल कर कानूनी दजा दिया गया, परन्तु बंगाली समुदाय को उस समय भी वंचित रखा गया है। उत्तरांचल की वर्तमान सरकार बंगाली समुदाय की एक सूची, जो पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति/जनजाति में आती है, केन्द्र सरकार को भेज चुकी है, जिसमें खासकर नौ सूद्र आदि जातियां आती हैं। अतः केन्द्र सरकार अतिशीघ्र उत्तरांचल तथा अन्य प्रदेशों में रह रही इन जातियों को अनुसूचित जाति/जनजाति के अंतर्गत लेकर आरक्षण की सुविधा प्रदान करे।

(सात) कर्नाटक में सूरथकल और कुंडापुरा क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर सूरथकल से कुण्डापुरा खंड को चार लेनों वाला बनाए जाने का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी): राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 तटीय कर्नाटक विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र उदुपी के लिए काफी उपयोगी है। परन्तु इस राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्तमान दो लेन की सुविधा उस पर बढ़ते हुए यातायात के घनत्व हेतु अपर्याप्त है जो कि बारास्ता उदूपी सूरथकल से कुण्डापुरा के बीच यातायात नियंत्रण बिंदुओं 3000 पीसीयू चिह्न को पार कर चुका है। इंडियन रोड कांग्रेस को उसके अनुसार जिन राजमार्गों पर यातायात 20,000 पीसीयू घनत्व को पार कर जाए, उसका उन्नयन करके चार लेन राजमार्ग में कर देना चाहिए। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 सूरथकल से कुण्डापुरा तक की संपूर्ण पट्टी को चार लेन में उन्नयित किये जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 के सूरथकल-उदुपी खण्ड पर आवश्यक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पहले ही पूर्ण हो चुकी है, अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस खण्ड को चालू वित्त वर्ष में चार लेन में बदलने का कार्य शुरू किया जाए।

उदुपी-कुण्डापुर खण्ड को आने वाले वर्ष (2004-05) के दौरान चार लेन में बदलने का कार्य शुरू किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (सूरथकल से कुण्डापुरा तक) के इस खण्ड को चालू कर देने से इस क्षेत्र का चहुंमुखी विकास हो पायेगा।

[हिन्दी]

(आठ) राजस्थान राज्य में पेयजल की समस्या को हल करने के लिए राजस्थान सरकार को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य दो भागों में बंटा हुआ है, जिसमें दक्षिणी राजस्थान पहाड़ी

क्षेत्र है और उत्तरी भाग रेगिस्तान है। पहाड़ी क्षेत्र में जमीन की कमी है, जो भी जमीन है, उसके लिए सिंचाई के साधन नहीं हैं। उत्तरी राजस्थान में रेतीला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी सिंचाई के साधन नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान में पेयजल की स्थिति भी बहुत गंभीर है। अब तक राजस्थान को केन्द्र सरकार से पेयजल एवं सिंचाई हेतु अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम बजट दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा का जल बह कर चला जाता है, उसको छोटे-बड़े बांध बनाकर रोका जा सकता है और इससे अकाल की स्थिति भी संभवत: कम हो सकती है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान राज्य को पेयजल एवं सिंचाई के साधन जुटाने के लिए अतिरिक्त बजट दिया जाये तथा इस बजट में निम्न कार्य करायें जायें।

1. अरावली पहाड़ियों का पानी योजना बनाकर रोका जाये।
2. जयसमन्द झील को भरने के लिए झाखम बांध से केनाल बनायी जाये।
3. माही परियोजना की अधूरी नहरों को पूर्ण कराया जाये।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी-छोटी नदियां हैं, उन पर एनिकट का निर्माण किया जाये।

[अनुवाद]

(नौ) केरल में क्वीलोन बाईपास के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): केरल के लोगों की सामान्य रूप में और क्विलोन के लोगों की विशेष रूप से क्विलोन बाई-पास को पूरा किये जाने की बहुत पुरानी मांग रही है। इस कार्य को चार चरणों में पूरा किया जाना है और इसके पहले दो चरणों का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। यहां तक कि तीसरे और चौथे चरण के लिए भू-अधिग्रहण का कार्य पूरा हो जाने के बाद भी, केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय से स्वीकृति न मिलने के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ है। क्विलोन हाल ही में निगम बना है और यातायात की भीड़भाड़ एक ऐसी स्थायी समस्या बन गई है। जिस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यदि क्विलोन बाई-पास का निर्माण हो जाता है, तो यातायात की समस्या बहुत हद तक हल हो सकती है। निर्माण में अवांछित विलंब से लोगों में असंतोष और अप्रसन्नता पनप रही है। अत:, मैं सरकार से बिना अतिरिक्त विलंब के इस परियोजना को पूरा करने हेतु तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(दस) बीज अधिनियम में संशोधन करने के लिए व्यापक कानून लाए जाने की आवश्यकता

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों और विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था से पैदा हुई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, बीज अधिनियम, 2000 में कुछ संशोधन व सुधार किये जाने की आवश्यकता है। चूंकि वर्तमान बीज कानून अप्रभावी हैं, अत: बीज संबंधी एक व्यापक विधान बनाना आज के समय की आवश्यकता है। 20.7.2001 को दक्षिणी राज्यों की हैदराबाद में प्रस्तावित बीज अधिनियम, 2000 से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक संगोष्ठी आयोजित की गयी थी। मेरा यह सुझाव है कि नए कानून को पुर:स्थापित करते समय इस सेमिनार से उभर कर आए निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

(1) बीजों की बिक्री, आयात और निर्यात के अतिरिक्त उत्पादन को विनियमित करने का प्रावधान करना।

(2) राज्य बीज बोर्डों को सम्मिलित करने हेतु "बोर्ड" की व्याख्या करना।

(3) राष्ट्रीय बीज बोर्ड की ही भांति राज्य बीज बोर्ड स्थापित करना।

(4) राज्य बीज बोर्डों द्वारा राष्ट्रीय बीज रजिस्ट्री में प्रविष्टि हेतु राज्यों की बीच रजिस्ट्री का रखरखाव करना।

(5) बीज अधिनियम, 1996 की धारा 19 के अंतर्गत छोटे और बड़े अपराधों को पहला अपराध और दूसरा अपराध के रूप में निर्दिष्ट किया जाए।

मैं भारत सरकार से उल्लिखित संशोधनों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने और शीघ्रातिशीघ्र बीज संबंधी एक व्यापक अधिनियम लाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(ग्यारह) संसद सदस्यों को पेयजल परियोजनाओं पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से 10 प्रतिशत राशि खर्च करने की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): अध्यक्ष महोदय, स्वजलधारा के अंतर्गत भारत सरकार पेयजल की व्यवस्था हेतु राज्य सरकारों को धन आवंटित कर रही है। उत्तर प्रदेश में स्वजल धारा योजना के अंतर्गत विधायकों को हैंडपंप लगाने हेतु विधायक निधि से 10 प्रतिशत अंशदान देने हेतु राज्य सरकार ने निर्देश दिया है, किंतु सांसदों को इससे वंचित रखा गया है।

[श्री चन्द्रनाथ सिंह]

अत: ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि भारत सरकार की इस योजना में सांसदों को भी 10 प्रतिशत अंशदान सासंद निधि से देने की व्यवस्था की जाये।

(बारह) 'खाद्य निरीक्षकों' के पद पर नियुक्ति के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी में स्नातकों को वरीयता दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): अध्यक्ष महोदय, खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग में पूरे देश में खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें शैक्षिक योग्यता विज्ञान स्नातक है। अब देश के अनेक विश्वविद्यालयों में खाद्य विज्ञान और तकनीकी में स्नातक पाठ्यक्रम आरंभ कर दिए हैं। निश्चय ही खाद्य निरीक्षकों के पद पर ऐसे स्नातकों की नियुक्ति उपयोगी होगी।

अत: इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि खाद्य निरीक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु खाद्य विज्ञान और तकनीकी में स्नातक की शैक्षिक योग्यता को वरीयता दी जाये तथा यदि आवश्यक हो तो इस हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये जायें।

(तेरह) कोलकाता में स्वामी विवेकानन्द स्मारक और सांस्कृतिक केन्द्र के विकास के लिए रामकृष्ण मिशन को विशेष बजटीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): रामकृष्ण मिशन ने शिमला स्ट्रीट, कलकत्ता में स्वामी विवेकानन्द के पैतृक घर का अधिग्रहण किया था और उक्त घर के पूर्ण विकास की परियोजना को हाथ में लिया है। इसका नाम "स्वामी विवेकानन्द मेमोरियल और कल्चरल सेन्टर" होने जा रहा है।

इस स्मृति और सांस्कृतिक केन्द्र के लिए निम्नलिखित चार नए भवनों का निर्माण किया गया है:

1. गरीब छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों का एक पुस्तकालय और एक सम्मेलन कक्ष।
2. एक अनुसंधान केन्द्र सह अनुसंधान पुस्तकालय भवन
3. एक स्वागत सह दिशानिर्देशक खण्ड
4. अन्य सामाजिक व लोक-उपकारी गतिविधियों के लिए एक भवन।

यह 20 करोड़ रुपये की परियोजना है जिसमें से 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। उक्त राशि में से अधिकांश धन पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग और आम लोगों से दान के रूप में प्राप्त किया है। भारत के उप-प्रधानमंत्री, माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने 6 जुलाई, 2003 को इस स्थल का दौरा किया था।

रामकृष्ण मिशन ने शेष 6.50 करोड़ रुपये के व्यय हेतु अनुदान का प्रबंध किये जाने की अपील की है जिससे कि यह परियोजना वर्ष 2004 तक पूरी हो सके। मैं सरकार से रामकृष्ण मिशन जैसी महान संस्था के लिए विशेष बजटीय समर्थन के रूप में यह राशि आवंटित किये जाने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) डोगरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता

चौ. तालिब हुसैन (जम्मू): मैं डोगरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किये जाने संबंधी लोक महत्व का एक मामला उठाना चाहता हूं।

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के लोग, जिनकी जनसंख्या 4 मिलियन से अधिक है, लंबे समय से यह मांग करते रहे हैं कि उनकी भाषा को उचित मान्यता और दर्जा प्रदान किया जाए। जम्मू-कश्मीर की उत्तरोत्तर सरकारों ने केन्द्र से यह सिफारिश की है कि डोगरी भाषी लोगों की इस वास्तविक मांग को स्वीकार किया जाए परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। इस वैध मांग पर शीघ्र विचार होना चाहिए। चूंकि पूर्व में संसद के दोनों सदनों में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को सरकार का समर्थन नहीं मिला है, अत: मैं प्रार्थनापूर्वक यह महत्वपूर्ण मुद्दा सरकार के समक्ष उठाना चाहता हूं कि वह डोगरी भाषा को मान्यता देने हेतु संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन करने के लिए एक विधेयक लाए।

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश में हापुड़ और मुरादाबाद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के रखरखाव के लिए उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र विजय सिंह (मुरादाबाद): मेरा निर्वाचन क्षेत्र मुरादाबाद दिल्ली से सड़क मार्ग से 150 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने के लिए हापुड़ से मुरादाबाद तक की दूरी, राष्ट्रीय राजमार्ग 24, को तय करने के लिए 5 घंटे लगते हैं क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढों की भरमार है। डीजल और वाहनों के रखरखाव पर होने वाला निरर्थक व्यय करोड़ों रुपयों का बैठता है। इस थकाऊ यात्रा में लगने वाले अधिक घंटों के कारण श्रम घंटों की हानि होती है।

मैं सरकार से हापुड़ और मुरादाबाद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 की समुचित मरम्मत और रखरखाव कराए जाने के लिए उपाय करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आप क्या कहना चाहते हैं? आप बोलिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि बिहार में सात आदिवासियों का कत्ल कर दिया गया और बहुत से आदमी लापता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया आप अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि ये दलित हत्याएं बिहार में क्यों होती हैं और आदिवासियों को क्यों मारा जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा कांड पूर्णिया (बिहार) में हुआ। ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से आदिवासी लापता हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप लोग अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः अध्यक्ष महोदय, बिहार में आदिवासियों का कत्ल हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया आप अपने-अपने स्थान पर जाईए। आपको यह शोभा नहीं देता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः टी.वी. का सीधा प्रसारण बंद किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः नारों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः श्री बनातवाला, अब आप अपनी विशेषाधिकार की सूचना पर बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मेरी दो सूचनाएं आपके समक्ष लम्बित हैं। एक विशेषाधिकार सूचना विधि मंत्री, श्री अरुण जेटली के विरुद्ध अयोध्या मुद्दे पर सदन को गुमराह करने के बारे में है ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले का उल्लेख और इस पर आपके निर्णय को सदन के कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित कराएं ...*(व्यवधान)* मुझे आपने सूचित किया है कि यह मामला राज्य-सभा के सभापति को अग्रेषित कर दिया गया है। लेकिन मैं आपसे इस मामले के उल्लेख और अपनी इस कार्यवाही को कि इस मामले को राज्य सभा के सभापति को अग्रेषित किया गया है, को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कराएं ...*(व्यवधान)*

मेरी दूसरी सूचना रक्षा मंत्री द्वारा लोक लेखा समिति के कार्य में बाधा डालने से संबंधित है क्योंकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट समिति को नहीं सौंपी गई थी ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.12 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

विशेषाधिकार का प्रश्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मुझे बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सी.बी.आई. द्वारा हल्का किए जाने के बारे में विधि और न्याय मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा कथित रूप से तथ्यों को दबाने और सदन को गुमराह करने के लिए उनके विरुद्ध श्री जी.एम. बनातवाला और श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा दी गयी विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

लोक सभा तथा राज्य सभा की विशेषाधिकार समितियों में 1954 में हुई अपनी संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन में ऐसे मामले के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की थी जिसमें किसी एक सदन के सदस्य ने कथित रूप से दूसरे सदन के विशेषाधिकार का हनन किया हो। उस प्रक्रिया के अनुसरण में, जब किसी विशेषाधिकार हनन का प्रश्न किसी ऐसे सदन में उठाया जाता है जिसमें दूसरे सदन का सदस्य संलिप्त हो, तो उस सदन का पीठासीन अधिकारी, जिसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है, उस मामले को उपयुक्त कार्यवाही के लिए दूसरे सदन के पीठासीन अधिकारी को भेज देता है।

[अध्यक्ष महोदय]

इस प्रकार भेजे गए मामले पर, दूसरे सदन का पीठासीन अधिकारी इस मामले का निपटान उसी प्रकार करेगा जैसे कि यह उसी सदन के विशेषाधिकार हनन का मामला हो। तत्पश्चात्, पीठासीन अधिकारी उस सदन के पीठासीन अधिकारी को, जिसमें विशेषाधिकार का प्रश्न मूलरूप से उठाया गया था, जांच के बारे में रिपोर्ट, यदि कोई हो, और संदर्भित मामले पर की गयी कार्यवाही से अवगत करायेगा।

लोक सभा तथा राज्य सभा की विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त बैठक का प्रतिवेदन 23 अगस्त, 1954 को दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन लोक सभा द्वारा 2 दिसम्बर, 1954 तथा राज्य सभा द्वारा 6 दिसम्बर, 1954 को स्वीकृत किया गया था।

यह मामला 1955 में आयोजित 'भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन' के समक्ष आया, जिसने इस मामले की जांच करने के लिए अध्यक्षों की एक समिति नियुक्त की। भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन द्वारा 17 सितम्बर, 1956 को स्वीकृत अध्यक्षों की समिति के प्रतिवेदन में ऐसे मामलों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गयी।

समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह टिप्पणी की '............. एक ऐसी परिपाटी विकसित की जानी चाहिए कि जब किसी भी विधानमंडल में विशेषाधिकार हनन का कोई ऐसा प्रश्न उठाया जाए जिसमें दूसरे विधानमंडल का कोई सदस्य संलिप्त हो, तो पीठासीन अधिकारी उस विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी को यह मामला भेजेगा जिसका वह सदस्य हो और दूसरा पीठासीन अधिकारी इस मामले का निपटान ठीक उसी प्रकार करेगा जैसे कि यह उसी सदन के विशेषाधिकार हनन का मामला हो।'

ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राज्य सभा के सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न राज्य सभा के सभापति को भेजे गए।

हाल ही में, श्री पवन कुमार बंसल, संसद सदस्य द्वारा तत्कालीन विनिवेश राज्य मंत्री तथा राज्य सभा के सदस्य श्री अरुण शौरी के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्ष श्री जी.एम.सी. बालयोगी द्वारा 30 अगस्त, 2001 को राज्य सभा के माननीय सभापति को भेजी गयी थी।

ऐसे भी कई उदाहरण हैं जहां राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार के प्रश्न सम्बन्धित राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों को भेजे गए।

मैंने 23 अप्रैल, 2003 को, श्री रामविलास पासवान, संसद सदस्य द्वारा गुजरात सरकार के गृह मंत्री के विरुद्ध दिनांक 7 अप्रैल, 2003 को दी गयी विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना सम्बन्धी मामले को उपयुक्त कार्यवाही के लिए गुजरात विधान सभा के माननीय अध्यक्ष को भेज दिया था।

ऐसे भी कई उदाहरण हैं जहां राज्य के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा लोक सभा के सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं लोक सभा अध्यक्ष को भेजी गईं।

वर्तमान मामले में, मैंने श्री अरुण जेटली से उनकी टिप्पणियां भी मांगी हैं। दोनों पक्षों द्वारा मुझे मुहैया करायी गयी सामग्री पर विचार करने के पश्चात् मैंने महसूस किया कि इस मामले में और आगे जांच किए जाने की आवश्यकता है।

चूंकि, श्री अरुण जेटली राज्य सभा के सदस्य हैं, इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि यदि इस मामले पर राज्य सभा के माननीय सभापति विचार करते हैं, तो यह उचित होगा। इसलिए मैंने इस मामले को उपयुक्त कार्यवाही के लिए 1 अगस्त, 2003 को राज्य सभा के माननीय सभापति को भेज दिया है।"

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री जी.एम. बनातवाला, मुझे 8 अगस्त, 2003 को श्री जार्ज फर्नान्डीज, रक्षा मंत्री के विरुद्ध लोक लेखा समिति को केन्द्रीय सतर्कता आयोग का प्रतिवेदन सौंपने से इंकार किए जाने पर आपकी विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना प्राप्त हुई है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस मामले पर रक्षा मंत्री की टिप्पणी मांगी है। मैं उनकी टिप्पणी प्राप्त होने के बाद इस मामले में अपना निर्णय दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, 11 अगस्त को ओ.एन.जी.सी. कर्मियों को ले जा रहा हैलीकॉप्टर एम.आई. 72 अरब सागर में गिर गया, जिसमें 29 लोग सवार थे। इनमें से 25 लोग मारे गए, दो लापता हैं जबकि दो लोगों को जीवित बचा लिया गया है। *...(व्यवधान)*

हैलीकॉप्टर एम.आई. 72 को ओ.एन.जी.सी. ने चार्टर किया था। यह हैलीकॉप्टर अर्जेण्ट रिक्वायरमेंट बेसिस पर रशियन कम्पनी मैस्को से लिया गया था। पहले डेढ़ वर्षों से इसका चालन बन्द कर दिया गया था। ...*(व्यवधान)*

इस दुर्घटना में लापरवाही और असावधानी का स्पष्ट कारण देखने को मिला है। इस हैलीकॉप्टर को रैगुलर पायलट नहीं चला रहा था और पायलट की वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। इस हैलीकॉप्टर में एयरवर्दीनैस आफिसर भी मौजूद नहीं था। ...*(व्यवधान)*

पिछले तीन वर्षों के भीतर यह दूसरी बड़ी दुर्घटना है। 17 जुलाई, 2002 को एक बड़ी दुर्घटना, जिसमें 11 लोगों को बहुत मुश्किल से बचाया जा सका था, हुई थी। 11 महीने पहले एक पवनहंस हैलीकॉप्टर भी समुद्र में गिरा था। 5-6 बार ओ.एन.जी.सी. के कर्मचारी संगठन ने अधिकारियों से दुर्घटना की आशंका की शिकायत की थी। ...*(व्यवधान)* एक बार उनका जवाब भी आया था कि हम आपकी शिकायतों पर ध्यान दे रहे हैं। प्रतिवर्ष ट्रांसपोर्टेशन पर 120 करोड़ रुपये खर्च करने वाली कम्पनी अपने कर्मियों की सुरक्षा के प्रति सचेत नहीं है, यह खेदजनक बात है। ...*(व्यवधान)* इस घटना के तुरन्त बाद श्री राम नाईक जी दिल्ली से वहां आये और स्थिति का अवलोकन किया। वहां उन्हें कर्मचारियों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने वहां शान्ति से सब की बात सुनी। वे वहां कर्मचारियों के परिवारों से भी मिले और मृत कर्मचारियों के परिजनों को सांत्वना दी। लेकिन सी.एम.डी. और अन्य अधिकारी वहां नहीं गये, इसलिए कर्मचारियों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया।

हमारी मांग है कि इस घटना की सी.बी.आई. इन्क्वायरी कराई जाये और ओ.एन.जी.सी. के सी.एम.डी. को तुरन्त बर्खास्त किया जाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल, 14 अगस्त, 2003 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.20 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 14 अगस्त, 2003/23 श्रावण, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/36/16/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।